

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र (Economics Made Easy)

पर
एक सरल अध्ययन

[उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पटना, मध्यप्रदेश, सागर, नागपुर,
ग्रजमेर व पजाब आदि बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा इण्टर-
मीडियेट, हायर सेकिन्ड्री तथा प्री० यूनिवर्सिटी कक्षाओं के
लिये निर्धारित पाठ्यक्रम एवम् परीक्षाओं में आये हुए
तथा सम्भावित प्रश्नों के आधार पर अर्थशास्त्र
के दोनों प्रश्न पत्रों पर उचित चित्रों
सहित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक]
(प्रश्नोत्तर रूप में)

लेखक —

श्री० पी० अग्रवाल, एम० ए०, एम० कॉम०
एवं
एस० के० अग्रवाल, एम० कॉम०

नवभारत प्रकाशन केन्द्र
प्रकाशक एवं मुद्रक
छुरजा सिटी ।

प्रकाशक —
नवभारत प्रकाशन कन्द्र
छुरजा मिटी ।

द्वितीय संस्करण अगस्त, १९६१

पुस्तक का सर्वाधिकार प्रकाशक के प्राधीन है ।

मूल्य—चार ए० पचास नये पैसे मात्र

श्री ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल द्वारा कलाश प्रिंटिंग प्रस छुरजा में मुद्रित ।

“द्वितीय संस्करण पर दो शब्द”

इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों के हाथ में है। प्रथम संस्करण श्री ग्रोम प्रकाश अग्रवाल जी (मूल लेखक) ने काफी परिश्रम से लिखा जिसका कि पाठकों ने स्वागत अवश्य किया परन्तु उस रूप में नहीं जिसमें हम आशा थी। पुस्तक के प्रथम संस्करण में अनेक दोष थे जिनका उत्तर-दायित्व प्रकाशक पर न होकर लेखक पर ही था।

मुझे इस पुस्तक के अनेक दोषों से अध्यापकों तथा अनेक अच्छे विद्यार्थियों द्वारा अवगत कराया गया। मैं उनका बहुत अधिक आभारी हूँ। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से इस पुस्तक में मशोघन व परिवर्द्धन करके विभिन्न दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया है और पुस्तक को विद्यार्थियों के लाभार्थ बनाने की भरसक चेष्टा की है जिससे कि विद्यार्थीगण को यह पुस्तक खरीद लेने पर किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता न पड़ेगी। मुझे आशा है कि यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तक का कार्य कर सकेगी।

पुस्तक में निम्न विशेषताएँ लाई गई हैं —

प्रथम तो मैंने प्रत्येक अध्याय पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको यथा सम्भव देने का प्रयत्न किया है।

द्वितीय— प्रश्नों को विद्यार्थीगण की आवश्यकतानुसार इस प्रकार से समझाया गया है जिससे कि समझने में कठिनाई ना हो।

तृतीय— पुस्तक की भाषा को सरल व सुन्दर बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है जिससे कि विद्यार्थियों को उक्त विषय पर भ्रांति न हो।

चतुर्थ— पुस्तक में मुख्य अर्थशास्त्रीयों की परिभाषायें हिन्दी के साथ २ अंग्रेजी में भी आवश्यकतानुसार दी गई हैं जिससे विद्यार्थीगण परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर सकें।

पंचम— प्रस्तुत पुस्तक में मैंने प्रत्येक प्रश्न पर अधिक से अधिक पोंइन्टस देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इससे परीक्षार्थियों को अपार लाभ पहुँचेगा।

षष्ठम— पुस्तक के अन्त में परीक्षा उपयोगी मुख्य प्रश्नों की तालिका दी गई है जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को भासानी से समझा जा सके।

मैंने इस पुस्तक को प्रथम संस्करण के दोषों से मुक्त करने का तुच्छ साहस तो किया ही है । साथ ही कुछ नवीनता और विद्यार्थियों की सुगमता के लिए मैंने प्रत्येक प्रश्न के पाइन्टस को संक्षेप में चतुर्भुज में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ मलग्न कर दिया है । इससे विद्यार्थी का स्मरण करने में सुविधा होगी ।

अन्त में मेरे कहने का अभिप्राय है कि मैंने विद्यार्थियों की समस्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस संस्करण को उत्तम और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है । मेरे प्रयास की सफलता प्रदान करना आपके हाथ में है ।

मुझे पूर्ण आशा है कि पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों को और अधिक पसन्द आयेगा ।

दया भवन,
खुरजा

एस० के० अग्रवाल

विषय सूची

अध्याय प्रश्न सं०

विषय

पृष्ठ सं०

विषय प्रवेश

१. अर्थशास्त्र की परिभाषा :—
१. अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा परिभाषाओं की आलोचना २ ✓
२. "अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है" परिभाषा की त्रुटि तथा उत्तम सुधार ७
३. मार्शल, रोबिन्स की परिभाषा तथा इसमें कौन सी उत्तम है १०
२. अर्थशास्त्र का क्षेत्र :—
४. अर्थशास्त्र की विषय सामिग्री १५ ✓
५. अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला के रूप में १७ ✓
६. अर्थशास्त्र का क्षेत्र २०
७. "हमारे अर्थशास्त्र विज्ञान का प्रारम्भ और अंत मानव है" कथन की व्याख्या करो ? २४
३. अर्थशास्त्र के विभाग तथा उनके सम्बन्ध :—
८. अर्थशास्त्र के विभाग तथा उनके सम्बन्ध २६
४. अर्थशास्त्र के नियम .—
९. आर्थिक नियम तथा इनकी प्रकृति तथा यह प्राकृतिक विज्ञान के नियमों जैसे निश्चित क्यों नहीं हैं ? ३१
१०. "अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिए न कि गुरुत्वाकर्षण जैसे निश्चित नियम से" । इन कथनों की विवेचना कीजिये ? ३४
५. अर्थशास्त्र के अध्ययन के तरीके :—
११. आगमन और निगमन प्रणालियों के गुण तथा दोष या
"जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बायें पैर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वैज्ञानिक विचार धारा के लिए निगमन और आगमन प्रणालियों की आवश्यकता होती है ।" व्याख्या कीजिये ? ३५
६. अर्थशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध :—
१२. अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध ४०

७	अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ तथा महत्व —	
१३	सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक लाभ	४४
१४	अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व	४७
८	आर्थिक जीवन का विकास —	
१५	आर्थिक जीवन का विकास तथा उसकी विशेषतायें ।	४८
९	भारतीय आर्थिक जीवन :—	
१६	आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक संस्थाओं का वर्णन ।	५१
१०.	महत्वपूर्ण परिभाषायें :—	
१७	उपयोगिता, अर्थ, कीमत और वस्तु	५३ ✓
१८	धन की परिभाषा, धन और मानव कल्याण का सम्बन्ध — तथा विभिन्न वस्तु क्या धन हैं ?	५६
१९	“पानी स्वर्ण से अधिक उपयोगी है किन्तु स्वर्ण का बाजार मूल्य पानी से अधिक है ।” व्याख्या करो ✓	६०

उपभोग

११	उपभोग का अर्थ :—	
२०	उपभोग की परिभाषा तथा उसका महत्व	६१
२१	“उपभोग अर्थशास्त्र का आदि भी है और अंत भी ।” व्याख्या करो ।	६४
१२.	आवश्यकताये —	
२२	आवश्यकता की परिभाषा तथा उसका महत्व	६६
२३	आवश्यकताओं की विशेषतायें तथा इन पर आधारित नियम	६७
१३.	आवश्यकताओं का वर्गीकरण :—	
२४	आवश्यकताओं का वर्गीकरण तथा उनका आधार	७१
२५	“क्या एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिये कभी अनिवार्य, कभी सुखकर और कभी विलासिता पूर्ण हो सकती है ।” व्याख्या करो ।	७४
१४.	उपयोगिता :—	
२६	उपयोगिता की परिभाषा तथा उसके लक्षण	७५
— २७	सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता में सम्बन्ध या	
	“जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तभी कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है ।” समझाइये ।	७७

- २८ जब हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उप-
भोग करते हैं तो (क) उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता
घट जाती है (ख) कुल उपयोगिता घट जाती है ।
(ग) हमारी उस वस्तु के लिये मांग घट जाती है ।
समझाइये । ८०
१५. उपयोगिता ह्रास नियम
२८ उपयोगिता ह्रास नियम तथा इसके अपवाद ८१
१६. समसीमांत उपयोगिता नियम.—
३० समसीमांत उपयोगिता नियम तथा इसका महत्व ८७
३१ नियम की कठिनाईयाँ एवं सीमाये ९०
३२ सीमांत उपयोगिता निकालने का तरीका ९२
१७. उपयोगिता की बचत —
३३ उपयोगिता की बचत तथा इसके अध्ययन की उपयोगिता ९४
१८. माँग और पूर्ति :—
३४ मांग का अर्थ, माँग के नियम तथा उपयोगिता ह्रास
नियम से सम्बन्ध ९८
— ३५ मांग की लोच तथा इसकी प्रभावित करने वाली बातें १००
३६ मांग की लचक का (अ) कारारोपण और (ब) एकाधिकार
लामों पर प्रभाव १०४
३७ पूर्ति का अर्थ तथा पूर्ति के नियम १०५
३८ पूर्ति की लचक तथा इसकी निर्भरता १०७
१९. परिवारिक बजट.—
३९ परिवारिक बजट तथा इसका उपयोग १०९
४० ऐंजिल का उपभोग नियम
या
"आय जितनी अधिक होती है आवश्यक वस्तुओं पर
उतना ही अधिक व्यय होता है" स्पष्ट कीजिये । ११२
२०. आय, व्यय और बचत :—
४१ आय, व्यय और बचत एवं इनका महत्व ११५
२१. व्यय का सामाजिक पहलू :—
४२ आय के व्यय करने का ढंग तथा क्या समाज द्वारा
व्यक्ति की व्यय करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप उचित है । ११८

२२. रहन सहन का स्तर —
 ४३ रहन सहन का स्तर नीचा होने के कारण तथा ऊँचा करने के उपाय १२१
 ४४ रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ १२६

उत्पत्ति

२३. उत्पत्ति का अर्थ —
 ४५ उत्पादन तथा इसके तरीके या
 “उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पत्ति है।” समझाइये । १३३
२४. उत्पत्ति के साधन —
 ४६ उत्पत्ति के साधन तथा इनका महत्व १३५
 ४७ “श्रम धन का पिता तथा सक्रिय तत्व है जबकि भूमि उसकी माता है।” समझाइये । १३८
२५. भूमि —
 ४८ भूमि एवं इसकी विशेषतायें १३६
 ४९ भूमि का महत्व एवं कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाली बात १४१
 ५० गहरी व विस्तृत खेती १४३
२६. भारतवर्ष की भूमि :—
 ५१ मिट्टियों के प्रकार १४४
 ५२ भूमि का कटाव तथा इसको रोकने के उपाय १४६
 ५३ भारतवर्ष में वर्षा १४८
२७. भारतीय भूमि की उत्पत्ति —
 ५४ कृषि के कम उत्पत्ति के कारण तथा इसके सुधार के सुभाव १५१
 ५५ खाद के प्रकार तथा इनका उपयोग १५४
 ५६ भारतीय कृषि में यंत्रीकरण से लाभ व हानियाँ १५६
 ५७ वन तथा उनका महत्व १५९
 ५८ वन महोत्सव आन्दोलन १६२
 ५९ खनिज पदार्थ तथा इनका महत्व १६५

२८.	शक्ति के साधन .—	
६०	शक्ति के साधन	१६७
६१	उत्तर प्रदेश में जल शक्ति के विकास का आर्थिक प्रभाव	१७०
६२	बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ	१७१
२९.	श्रम .—	
६३	श्रम, इसकी विशेषताएँ तथा उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम	१७३
३०	भारत का जनसंख्या —	
६४	जनसंख्या का घनत्व तथा भिन्नता के कारण	१७६
६५	क्या भारत की जनसंख्या अधिक है। यदि है तो उसके रोकने के उपाय लिखिये।	१७६
३१.	जनसंख्या के सिद्धान्त —	
६६	माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एवं इसकी आलोचना। भारत में यह कहा तक लागू है	१८२
६७	सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत	१८६
३२	श्रम की कार्य क्षमता .—	
६८	श्रम की कार्य क्षमता तथा प्रभावित करने वाली बातें	१८७
६९	कार्य क्षमता की हीनता के कारण तथा वृद्धि के सुभाव	१९१
३३.	पूंजी :—	
७०	पूंजी, पूंजी का महत्व तथा चल व अचल पूंजी	१९३
७१	उत्पादन के कार्य	१९६
७२	पूंजी के संचय की निर्भरता तथा भारत में इसकी स्थिति	१९८
३४.	मशीनों का प्रयोग —	
७३	मशीनों से लाभ व हानियाँ	२०२
३५.	भारत में पूंजी —	
७४	सिंचाई के साधन एवं इनका महत्व	२०६
७५	यातायात के साधन	२०८
७६	रेलो से लाभ	२१०
३६	व्यवस्था :—	
७७	व्यवस्था का अर्थ एवं इसके कार्य	२१२
३७	श्रम विभाजन .—	
७८	श्रम विभाजन का अर्थ एवं इसके लाभ व हानियाँ	२१६
७९	श्रम विभाजन की सीमाएँ	२२१

३८.	उद्योग धंधों का स्थानीयकरण :—	
	८० स्थानीयकरण का अर्थ, कारण, लाभ तथा हानियाँ	२१
	८१ विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति	२२
३९.	उत्पादन का पैमाना :—	
	८२ बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा इसके लाभ हानि	२२
	८३ कारण जो बड़े पैमाने की उत्पत्ति के मुकाबले में छोटे पैमाने की उत्पत्ति को जीवित रखते हैं।	२३
४०.	उत्पादन की बचतें :—	
	८४ उत्पादन की बचतें	२३
४१	उत्पत्ति के नियम .—	
	८५ उत्पत्ति के नियम एवं इसकी सीमायें	२३
	८६ उत्पत्ति के क्रमरा घटने का नियम, नियम का क्षेत्र उद्योग धंधों पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता।	२३
	८७ क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम	२४
	८८ उत्पत्ति का क्रमागत क्षमता नियम	२४
	८९ "उत्पत्ति में जो कार्य प्रकृति द्वारा किया जाता है वह उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार होता है और जो कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है वह उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार होता है।" व्याख्या करो।	२४
४२.	संगठन :—	
	९० "संगठन औद्योगिक इकाइयों का प्राण है" समझाओ। तथा संगठन कर्तारों के गुण	२४
४३.	साहस :—	
	९१ साहसी के कार्य एवं गुण	२४
४४.	कुटीर उद्योग धंधे —	
	९२ कुटीर उद्योग धंधे एवं इनकी समस्यायें तथा विकास के सुझाव	२४
	९३ भारत के मुख्य कुटीर उद्योग धंधे	२५
राजस्व		
४५	सार्वजनिक धित्त —	
	९४ राजस्व का अर्थ, निजी और राजकीय अर्थ व्यवस्था में भेद	२५
	९५ सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत	२५

८६	कर लगाने के सिद्धांत	२६१
८७	प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर तथा इनसे नाम व हानियाँ	२६४
८८	एक कर तथा अनेक कर प्रणाली तथा मच्छी कर पद्धति की विशेषतायें	२६७
४६	भारत में केन्द्रीय राजस्व —	
८९	केन्द्रीय सरकार की आय व्यय के साधन	२६९
४७.	भारत में प्रान्तीय राजस्व —	
१००	राज्य सरकार के आय व्यय के साधन	२७३
४८.	भारत में स्थानीय राजस्व —	
१०१	नगरपालिकाओं के आय व्यय के साधन	२७६
१०२	विना बोर्डों के आय व्यय के साधन	२७९

विनमय

४९	विनमय —	
१०३	विनमय का अर्थ तथा विनमय से दोनों पक्षों को लाभ	२८३
१०४	अदल बदल की परिभाषायें एवं इनके दोष तथा द्रव्य द्वारा ये दोष दूर हो गये हैं ।	२८६
१०५	'क्या अदल बदल प्रणाली पूर्णतया समाप्त हो चुकी है ।'	२८८
५०	वाजार —	
१०६	वाजार का अर्थ तथा विस्तार के कारण	२८९
१०७	पूर्ण वाजार तथा इसकी विभाषायें । स्पष्ट करो कि "एक ही प्रतियोगिता मूलक मूल्य एक पूर्ण वाजार की विशेषता और परीक्षा है ।"	२९३
१०८	चोर वाजार, अतर्राष्ट्रीय वाजार तथा अल्पकालीन व दीर्घकालीन वाजार	२९५
१०९	वाजार के भेद तथा निम्न वस्तुओं का वाजार कैसा है । (अ) लगडा आम (आ) जूट का सामान (ई) करवे का सामान (ई) कुम्हार के बर्तन ।	२९७
५१	मूल्य निर्धारण करने का सिद्धांत —	
११०	वाजार मूल्य का अर्थ तथा मूल्य का निर्धारण	३००
१११	"किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य माग पर और दीर्घकालीन मूल्य पूर्ति पर निर्भर रहता है ।" समझाइये ।	३०४
११२	सामान्य मूल्य तथा इनके निर्धारण का तरीका	३०६

११३	बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर तथा इनका सम्बन्ध	३०८
११४	“किसी वस्तु का सामान्य मूल्य स्थाई रूप से उसके उत्पादन-व्यय से अधिक ऊंचा और न अधिक नीचा रह सकता है।” इस कथन की व्याख्या कीजिये। अथवा “किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके सामान्य मूल्य के इधर उधर मड़राया करता है।” इस कथन को समझाइये।	३१०
५२.	द्रव्य —	
११५	द्रव्य की परिभाषा तथा इसके कार्य	३११
११६	समाज में द्रव्य का महत्व	३१६
११७	द्रव्य पदार्थ के गुण	३१७
११८	प्रामाणिक व सांकेतिक सिक्का। क्या रुपया प्रामाणिक सिक्का है ?	३२०
११९	कानूनी ग्राह्य मुद्रा, मुद्रा ढलाई, सिक्कों की हीनता	३२२
५३.	द्रव्य और मुद्रा का प्रमाण —	
१२०	पत्र मुद्रा के प्रकार, गुण-प्रवर्ण तथा भारत में कागजी द्रव्य का चलन	३२४
१२१	स्वर्ण मान के प्रकार	३२८
१२२	अच्छी मुद्रा पद्धति के गुण	३३०
५४.	मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन तथा प्रेशम का नियम —	
१२३	मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन	३३१
१२४	प्रेशम का नियम तथा इसका क्षेत्र एवं सीमाये अथवा “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से निकाल देती है।”	३३४
५५.	साख :—	
१२५	साख की परिभाषा तथा इसके लाभ हानि एवं साख का महत्व	३३६
५६	साख पत्र :—	
१२६	चैक व बिनमय विपत्र एवं इनमें अंतर	३३९
५७.	बैंक —	
१२७	बैंक की परिभाषा एवं इसके कार्य	३४२
१२८	बैंक द्वारा साख सृजन का तरीका तथा इसकी सीमाये	३४५

५८	भारतीय बैंक की व्यवस्था —	
१२६	बैंकों के प्रकार	३४६
१३०	रिजर्व बैंक का संगठन एवं इसके कार्य	-४८
१३१	स्टेट बैंक का संगठन तथा इसके कार्य	३५२
१३२	व्यापारिक बैंक तथा इसके कार्य तथा आधुनिक बैंक व देशी बैंक में अंतर	३५४
१३३	साहकारी प्रणाली	३५७
५९	ग्रामीण ऋण —	
१३४	ग्रामीण ऋण के कारण तथा ग्रामीण साख क वर्तमान स्त्रोत	३६०
६०.	सहकारिता —	
१३५	सहकारिता के सिद्धांत	- ६३
१३६	सहकारी साख समिति तथा इसके लाभ	३६४
१३७	(अ) बहुउद्देशीय समितिया (ब) उपभोक्ता भंडार	३६७
१३८	सहकारी खेती के प्रकार तथा भारत के लिये उपयुक्त रूप	३६९
१३९	सहकारिता की मुख्य कमियाँ तथा सुधार के सुभाव	३७२

वितरण

६१	वितरण —	
१४०	वितरण का अर्थ एवं समस्या	३७७
६२	उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता —	
१४१	गतिशीलता का अर्थ तथा श्रम की गतिशीलता में बाधाएँ	३७९
१४२	श्रम की गतिशीलता का अर्थ प्रकार तथा मजदूरी पर प्रभाव	३८३
१४३	पूँजी की गतिशीलता का अर्थ तथा गतिशीलता पर प्रभाव डालने वाली बात	३८४
६३	लगान :—	
१४४	रिकाडों का लगान सिद्धांत तथा इसकी आलोचना	३८५
१४५	भारतीय परिस्थितियों में रिकाडों का सिद्धांत	३८०
१४६	आर्थिक लगान व ठेका लगान	३९१
१४७	“भनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं होता क्योंकि लगान अधिक है, बल्कि इसलिये अधिक है क्योंकि भनाज का मूल्य अधिक है।” समझाकर लिखिये।	

	अथवा	
	लगान और मूल्य का सम्बन्ध ✓	३६२
१८८	लगान उत्पन्न होने की दशाएँ	३६८
६४	भूमि अधिकार प्रणाली व जमींदारी-उन्मूलन —	
१८९	भूमि अधिकार का अर्थ तथा प्रकार	३६५
१९०	जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भू अधिकार प्रणाली का रूप एवं अविनियम की विशेषताएँ	३६७
६५	मजदूरी —	
१५१	मजदूरी का अर्थ, नकद और अमल मजदूरी में अन्तर	४००
१५२	मजदूरी का अर्थ तथा मजदूरी का निर्धारण	४०४
१५३	अधिक मजदूरी कम मजदूरी होती है और कम मजदूरी अधिक मजदूरी होती है समझाइय ।	४०६
१५४	विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की विभिन्नता का कारण	४०७
६७	व्याज —	
१५५	व्याज की परिभाषा तथा कुल और वास्तविक व्याज	४०९
१५६	व्याज की दर की निश्चिन्ता	४१२
१५७	व्याज की दर में विभिन्नता के कारण तथा भारतीय गांवों में व्याज की दर ऊँची होने के कारण	४१८
६८	लाभ —	
१५८	लाभ का अर्थ तथा कुल और वास्तविक लाभ में अन्तर	४१७
१५९	लाभ का निर्धारण लगान और लाभ में अन्तर एवं इनमें समानता	४२०
६९	विदेशी व्यापार की विशेषताएँ —	
१६०	विदेशी व्यापार की विशेषताएँ	४२१
७०	भूदान यज्ञ —	
१६१	भूदान यज्ञ पर एक निबन्ध	४२८
७१	दाशमिक प्रणाली तथा मेट्रिक प्रणाली —	
१६२	सिक्कों की दाशमिक प्रणाली, मापों की मेट्रिक प्रणाली	४२९
७२	भारतीय योजनाएँ —	
१६३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	४२९
१६४	तृतीय पंचवर्षीय योजना	४३०

विषय-प्रवेश
(Introduction)

अध्याय १

अर्थशास्त्र की परिभाषा

प्रश्न १—अर्थशास्त्र क्या है? प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं की झालोचना करते हुये अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिये।

(Define Economics Explain critically the main definitions of economics in support of your answer)

उत्तर—

अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत रहा है और इसी कारण अर्थशास्त्र की एक सर्वमान्य परिभाषा अब तक नहीं बन सकी। वास्तव में अर्थशास्त्र की इसी अधिन परिभाषाये है कि लार्ड जे० एम० कीन्ज (Lord J. M. Keynes) को यह कहना पडा कि "अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है"। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो अर्थशास्त्र की परिभाषा देना आवश्यक ही नहीं समझा। परन्तु यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। किसी शास्त्र के समुचित अध्ययन के लिए उसके क्षेत्र, स्वभाव तथा सीमाएँ जानने के लिए उस शास्त्र की एक उचित परिभाषा देना आवश्यक हो जाता है।

अर्थशास्त्र दो शब्दों का संग्रह है—अर्थ एवं शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य धन एवं सम्पत्ति से है तथा शास्त्र से अभिप्राय किसी विषय का क्रम बद्ध ज्ञान है इस प्रकार अर्थशास्त्र 'धन सम्बन्धी क्रियाओं का क्रम बद्ध अध्ययन' है। 'यह धन का शास्त्र है'। धन सम्बन्धी क्रियाओं को अर्थशास्त्र में 'आर्थिक क्रियाएँ' कहते हैं। मनुष्यों की वे क्रियाएँ जिन्हें द्रव्य द्वारा जाना जा सके और जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जावें, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। मनुष्य ही वही आर्थिक क्रियाएँ अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, प्रत्येक व्यक्ति कुछ आर्थिक क्रियाएँ करता है, फल वस्त्र उत्पन्न धन का द्रव्य द्वारा विनिमय किया जाता है। इस द्रव्य को उत्पत्ति में महारता प्रदान करने वाले साधनों में वितरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हैं। "मनुष्यों की धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से सम्बन्धित क्रियाओं के अध्ययन करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है"।

अर्थशास्त्र पर

अर्थशास्त्र प्रत्येक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता (मनुष्य-पक्षियों की क्रियाएँ भी अर्थशास्त्र का विषय नहीं हैं) बल्कि केवल उन्हीं व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनमें निम्न विशेषताएँ होती हैं —

(१) सामाजिक प्राणी .—सामाजिक प्राणी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो समाज के सदस्य हैं और समाज के नियमों का पालन करते हैं । साधु, मन्वामी या गविन्धन क्रूरी आदि जो समाज छोड़कर एकान्त निर्जन में जीवन व्यतीत करते हैं, सामाजिक प्राणियों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते ।

(२) सामान्य प्राणी .—असाधारण अथवा असामान्य व्यक्तियों जैसे पागल, कलून, शरापी आदि का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता, इनकी क्रियाएँ साधारण व्यक्तियों में भिन्न होती हैं । ये व्यक्ति समाज के साधारण व्यक्तियों की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ।

(३) वास्तविक प्राणी .—इसका तात्पर्य ऐस व्यक्तियों से है जिन्हें हम साधारण जीवन में देखते हैं अथवा जैसे हम स्वयं हैं । प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने एक 'आर्थिक मनुष्य' (Economic Man) की कल्पना की थी जो सदैव स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता था । अर्थशास्त्र ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता । यह वास्तविक प्राणियों जो केवल स्वार्थ (Self interest) की भावना से ही नहीं बल्कि प्रेम, दया, कर्तव्य, धर्म आदि भावनाओं से भी प्रेरित होकर कार्य करते हैं, का अध्ययन करता है ।

अतः अर्थशास्त्र सामाजिक, सामान्य व वास्तविक मनुष्यों की धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण से सम्बन्धित क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है ।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मत —

धन का शास्त्र —प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'धन का शास्त्र' (Science of Wealth) कहकर परिभाषित किया और अपनी परिभाषाओं में धन के अध्ययन पर बल दिया । अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार 'अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है' (Economics is the Science of Wealth) जे० बी० से० (J. B. Say) के मतानुसार 'अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करे' (Economics is the science which treats of wealth) प्रो० वाकर (Prof. Walker) के शब्दों में, 'अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से सम्बन्धित है' Economics is that body of knowledge which relates to wealth.) इत्यादि ।

इस प्रकार की परिभाषाओं के फलस्वरूप 'अधिकतम धन कमाना' ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य और इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग बनलाना एक अर्थशास्त्री का कार्य हो गया। अर्थशास्त्रियों का ध्यान 'मनुष्य' ने जो प्रमुख है हटकर 'धन' जो गौण है और मनुष्य की भौतिक समृद्धि का केवल साधन मात्र है, पर केन्द्रित हो गया। धन द्वारा मनुष्य कल्याण की वहाँ तक वृद्धि हो सकती है इस बात की उपेक्षा की जाने लगी। कार्लोश्च, रस्किन, चार्ल्स डिकिन्स आदि विद्वानों ने इन लक्ष्मिण दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की और अर्थशास्त्र को 'रोटी टुकड़े का विज्ञान' (Bread and butter Science) 'दुखदाई विज्ञान' (Dismal Science), और 'कुवेर का शास्त्र' (Gospel of mammon) आदि घृणित नामों द्वारा पुकारा।

मार्शल की परिभाषा — प्राचीन परिभाषाओं के दोष जान लेने पर कुछ विद्वानों का ध्यान उनके सुधार की ओर आकर्षित हुआ, इन्होंने अर्थशास्त्र को इन दूषित वातावरण से निकालकर, परिष्कृत रूप प्रदान किया और स्पष्ट किया कि 'धन मनुष्य के लिये है न कि मनुष्य धन के लिये'। धन को धन इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि मानवीय कल्याण की वृद्धि के लिये प्राप्त किया जाता है। धन उद्देश्य नहीं बल्कि भौतिक कल्याण की वृद्धि का एक साधन मात्र है। इन अर्थशास्त्रियों में मार्शल (Marshall) का नाम प्रमुख है। मार्शल के अनुसार 'अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। (To us, it is on one side a study of wealth and on the other and more important side, a part of the study of man.)

एक अन्य स्थान पर प्रो० मार्शल कहते हैं कि "अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य मात्र का अध्ययन है, यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों के उस शृङ्खला का अध्ययन करता है जो कल्याण की भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति तथा उपभोग से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है" (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being.)

इस प्रकार प्रो० मार्शल ने पुरानी भाषाओं के दोषों को दूर कर मानव-कल्याण को साध्य (end) बताकर अर्थशास्त्र में मनुष्य को प्रमुख और धन को गौण स्थान प्रदान किया। अब अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण की

वृद्धि के लिये धन प्राप्त करना है। पीगू (Pigou) कैनन (Connon) आदि विद्वानों ने भी प्रो० मार्शल के मत का समर्थन करते हुए अर्थशास्त्र को "मनुष्य के भौतिक कल्याण का शास्त्र कहकर परिभाषित किया।"

आलोचना — लन्दन स्कूल आफ इकोनामिक्स के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० रॉबिंस (Prof Robbins) ने प्रो० मार्शल की बड़ी आलोचना की है। रॉबिंस के अनुसार मार्शल की परिभाषा से जीवन के साधारण और असाधारण व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट नहीं होता है। रॉबिंस मानवीय क्रियाओं के आर्थिक तथा अनार्थिक वर्गीकरण पर भी आपत्ति प्रकट करता है। मनुष्यों के कुछ प्रयत्न अगर एक समय या स्थान पर आर्थिक हैं तो ये ही प्रयत्न किसी दूसरे स्थान या समय पर अनार्थिक हो सकते हैं। एक नौकरानी की अपने मालिक के लिए की गई सेवाएँ आर्थिक हैं परन्तु उसकी यही सेवाएँ अपने घर में या अपने मालिक से विवाह कर लेने के पश्चात्, अनार्थिक हो जाती हैं क्योंकि बाद की स्थिति में उसको उसकी मन्दाओं के बदले कुछ नहीं मिलता। इसीलिये मानवीय क्रियाओं पर आर्थिक और अनार्थिक का भेद लगाना अवज्ञानिक है। प्रो० मार्शल की परिभाषा 'भौतिकता के भ्रम में फँसी हुई है' खयाल चाहे भौतिक पदार्थों जैसे कुर्सी खरीदना या अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय हैं। एसी स्थिति में भौतिक और अर्थशास्त्र के अन्तर करना अनावश्यक है। इसी प्रकार रॉबिंस के अनुसार अर्थशास्त्र का 'मानव कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है' क्योंकि मनुष्य के कुछ आर्थिक प्रयत्न ऐसे होते हैं जिनसे मानव कल्याण में वृद्धि नहीं आती है। जैसे शराब बनाना व बेचना परन्तु अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है दूसरे कल्याण को नापना भी बठिन है। इसके अनिश्चित प्रो० मार्शल ने असामाजिक प्राणियों को अर्थशास्त्र की परिधि से बाहर निकालकर, इनके धन को सन्तुष्टि कर दिया है। रॉबिंस के अनुसार अर्थशास्त्र प्रत्येक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है।

प्रो० रॉबिंस की परिभाषा — प्रो० रॉबिंस की परिभाषा निम्न तथ्यों पर आधारित है —

१. **आवश्यकताएँ** — (Needs) — मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं। एक आवश्यकता की सन्तुष्टि के पश्चात् दूसरी आवश्यकता आरम्भ होती है। आवश्यकताओं के असीमित हान के कारण ही समाज में आर्थिक क्रियाएँ मशीन सदैव अबाध गति में चालू रहती हैं।

२. **साधन (Means)** — असीमित आवश्यकताओं को सन्तुष्टि करने के

लिये मनुष्य के पास साधन और समय सीमित हैं। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मनुष्य के पास साधन व समय भी असीमित होते हैं, तो मनुष्य को कोई आर्थिक क्रिया नहीं करनी पड़ती, परन्तु ऐसा नहीं है, इसीलिए मनुष्य को सोचना पड़ता है कि वह किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करे और कितना समय किस आवश्यकता की पूर्ति में लगावे।

३. वैकल्पिक प्रयोग — सीमित साधनों और समय का कई उपयोगों में प्रयोग हो सकता है। इसीलिए हमारे सम्मुख चुनाव (choice) का प्रश्न उठता है। अगर एक साधन एक ही प्रयोग में आता तो चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० रीबिस के अनुसार 'अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन सीमित साधनों, जिनको विविध उपयोगों में प्रयोग किया जा सकता है, तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध के रूप में करता है। (Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses) इस परिणाम के अनुसार अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह व्यवहार किसी भी व्यक्ति का और किसी भी स्थान पर हो सकता है, परन्तु अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि मानव व्यवहार के आर्थिक पहलू (Economic Aspect) का अध्ययन करता है जिसका असीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रयोगों वाले सीमित साधनों के उपयोग से जन्म होता है।

दोनों परिभाषाओं में प्रो० रीबिस की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण और विवेचनात्मक है परन्तु प्रो० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्टिकोण में उत्तम है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।

—०—

✓ प्रश्न २—'अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है' यह परिभाषा क्यों दोषपूर्ण है? मार्शल द्वारा इसमें क्या सुधार किया गया है।

('Economics is the science of wealth' Why this definition is defective Explain the improvement made by Marshall)

उत्तर—

अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है — सभी प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'धन का शास्त्र' या 'सम्पत्ति का शास्त्र' माना है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय धन ही है, इस मत के सर्वप्रथम समर्थक एडम स्मिथ (Adam Smith) थे। उन्होंने कहा कि 'अर्थशास्त्र धन या सम्पत्ति

का विज्ञान है।" (Economics is the science of wealth) एडम स्मिथ के अन्य साथी जैसे प्रो० वॉकर, प्रो० जे० वी० से० तथा जे० एस० मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने भी इसी मत को माना है। प्रो० वॉकर के शब्दों में "अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से सम्बन्धित है।" (Economics is that body of knowledge which relate to wealth) इसी प्रकार जे० वी० से० ने कहा है कि "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या सम्पत्ति की विवेचना करे।" (Economics is the Science which treats of wealth). इसी मत का समर्थन करते हुए प्रो० जे० एस० मिल ने भी कहा है कि "अर्थशास्त्र मनुष्य से सम्बन्धित धन का विज्ञान है।"

इस प्रकार उपलिखित सभी परिभाषाओं में धन के अध्ययन पर अधिक महत्व दिया गया है और उस समय 'धन' का अर्थ केवल रुपये पैसे तथा दौलत से था और अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य उन साधनों के बताने से समझा जाता था कि जिससे अधिकतम धन सम्पत्ति एकत्रित हो सके।

दोषपूर्ण परिभाषा — प्राचीन अर्थशास्त्रियों की यह परिभाषा दोषपूर्ण

एडम स्मिथ की
परिभाषा के मुख्य
दोष :—

- १ धन या सम्पत्ति के अध्ययन पर अधिक बल।
- २ 'आर्थिक मनुष्य' की कल्पना।
- ३ धन का सङ्कुचित अर्थ।

है। इसी कारण इस परिभाषा की अनेक अर्थशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की है।

सर्वप्रथम, आलोचकों का कहना है कि इस परिभाषा में धन या सम्पत्ति के अध्ययन पर अधिक बल डाला है। धन ही को उन्होंने अर्थशास्त्र का केन्द्र बिन्दु माना है और मनुष्य के अध्ययन को उन्होंने गौर स्थान दिया है। इस प्रकार से यह परिभाषा दोषपूर्ण हो जाती है।

दूसरे प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत 'आर्थिक मनुष्य' की कल्पना की जिसके कारण से भी इनकी परिभाषाओं की आलोचना हुई। इनके अनुसार 'आर्थिक मनुष्य' हमेशा प्रत्येक कार्य आर्थिक दृष्टि कोण से करता है। अर्थात् रुपये, पैसे एकत्र करना तथा लाभ प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक कार्य करना और उसके सामने नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं होता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्वान लोग इस शास्त्र से घृणा करने लगे क्योंकि वे यह समझने लगे कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य केवल स्वार्थ भावना को ही प्रोत्साहन देना है।

तीसरे, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जिसके कारण भी इनकी अत्यधिक आलोचना हुई। उनका अर्थशास्त्र में 'धन' केवल वही है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं तथा जो भौतिक है। जैसे मेज, कुर्ची, अनाज, कपड़ा आदि। आज 'धन' की यह परिभाषा ठीक नहीं है। इस प्रकार 'धन' का संकुचित अर्थ लगाना भी इनकी परिभाषाओं की आलोचना का मुख्य कारण बना।

इन सब कमियों के कारण ही कार्ल मार्क्स, रसकिन, विलियम मारिस तथा चार्ल्स डिक्किन्स आदि विद्वानों ने अर्थशास्त्र की कड़ो आलोचना की और इस शास्त्र को अनेक नामों से पुकारा जैसे धुंजर का शास्त्र (Gospel of mammon), दुखदाई विज्ञान (Dismal Science), रोटी टुकड़े का विज्ञान (Read & Butter Science) आदि।

मार्शल द्वारा सुधार मार्शल तथा उनके साथियों ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को मार्शलियन, रसकिन आदि विद्वानों की आलोचना से बचाया। उन्होंने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं की कमियों को देखा और उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। इन्होंने 'धन' के स्थान पर 'मनुष्य' के अध्ययन पर अधिक महत्त्व दिया और बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानवीय भौतिक कल्याण की वृद्धि करना है। इस प्रकार 'मनुष्य' साध्य और 'धन' को साधन मान कर अर्थशास्त्र के अध्ययन पर बल दिया। इस प्रकार मार्शल ने यह स्पष्ट कर दिया कि "अर्थशास्त्र धन का शास्त्र" नहीं है वरन् यह 'मानवीय भौतिक कल्याण की वृद्धि' का शास्त्र है। इसका मुख्य ध्येय 'मनुष्य' है और उसकी समस्याओं के समाधान में है। 'धन' तो केवल इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है। लेकिन 'धन' का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा अधिक लोकप्रिय है। इसके अनुसार "अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से अत्यन्त निष्कट सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों की छानबीन की जाती है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।" (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of

well being Thus it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man)

इस परिभाषा व अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य व साधारण जीवन के व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है । अर्थात् अर्थशास्त्र केवल सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है । दूसरे अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर ता इनमें अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य का अध्ययन है । इस प्रकार से मानव न प्राचीन अर्थशास्त्रियों के धन' व अत्यधिक महत्व व द्योप म सुचारु किया है । मार्शल व अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य नीतक सुख व साधना की प्राप्ति और उनके उपयोग से है जिसमें मनुष्य व भौतिक सुख म वृद्धि होती है । हमने यह स्पष्ट हा गया कि धन' मनुष्य व निष्ठा है न कि मनुष्य धन' के लिए । इस प्रकार मानव न अर्थशास्त्र का आलाचका की निंदा म बचाया और इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य मनुष्य हित धनाया । साथ हा मानव न यह भी कहा कि अर्थशास्त्र म मनुष्य व व्यक्तिगत और सामाजिक प्रवृत्ता की द्धानवीन का जाती है । इस प्रकार अर्थशास्त्र म मनुष्य व व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार व कार्यों का अध्ययन किया जाता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हा जाता है कि मानव न अपनी परिभाषा व द्वारा अर्थशास्त्र का प्राचीन अर्थशास्त्रियों के दोषों तथा आलाचका की निंदा म बचाया और इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य 'मानव हित धनाया न कि धन । मानव की इस दिशाधारा का और अर्थशास्त्रियों न भी माना नन पीगू केंनन कनाक आद निन्ना अना अपनी परिभाषाओं म मानवाय नातिव कल्याण व वृद्धि' पर अधिक धन दिया है ।

—०—

प्रश्न ३—मार्शल और रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ दीजिये । उनमें से कौन सी उत्तम है ? अपने उत्तर की पुष्टि में कारण भी दीजियेगा ।

(State the definitions of Marshall & Robbins Which of them is best Give arguments in favour of your answer)

उत्तर—

मार्शल की परिभाषा —मानव न सर्वप्रथम प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का कमिया का अन्वय परिभाषा म दूर करन का प्रयत्न किया । अन्वय म धन व धन पर 'मनुष्य' व अध्ययन पर अधिक महत्व दिया । और अनन इस बात का स्पष्ट कर दिया कि धन मनुष्य व लिए है न कि मनुष्य धन व लिए । उसने अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न प्रकार स दा है—

“अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में मानव जाति का अध्ययन है। इसमें भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से अत्यन्त निकट सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों की छानबीन की जाती है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।” (Economics is a study of mankind in the ordinary business of life it examines that a part of individual & social action which is most closely connected with the attainment & with the use of material requisites of well being . Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side, a part of the study of man) मार्शल की परिभाषा में निम्न चार बातों पर विशेष महत्व दिया गया है।

(१) “अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में मानव जाति का अध्ययन है।” मार्शल ने यह स्पष्ट तो नहीं कहा है

मार्शल की परिभाषा की विशेषताएँ —

- १ जीवन के साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में मानव जाति का अध्ययन।
- २ जीतिर सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग का अध्ययन।
- ३ व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों की छानबीन।
- ४ धन से अधिक मानव के अध्ययन पर महत्व।

कि जीवन के साधारण व्यवसाय का क्या अर्थ है। परन्तु फिर भी उसके कहने का आशय यह हो सकता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक आन्विक एवं सामान्य व्यक्तियों को उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिनका सम्बन्ध धन के उद्भोग, उत्पादन, विनिमय वितरण एवं राजस्व में है। इस प्रकार मार्शल अर्थशास्त्र को सामाजिक शास्त्र का रूप प्रदान करता है।

(२) अर्थशास्त्र में “भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग” का अध्ययन होता है। मार्शल ने यह स्पष्ट रूप में कह दिया कि अर्थशास्त्र में धन मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए। और इस कारण अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन मानव कल्याण की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ‘मानव हित’ है।

(३) अर्थशास्त्र में “व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों की छान-बीन” की जाती है । मार्शल ने अपनी परिभाषा में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अर्थशास्त्र में हम व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा साथ २ सामाजिक कार्यों का भी अध्ययन करते हैं जो कि वह समाज का सदस्य होने के रूप में करता है ।

(४) अर्थशास्त्र “एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है ।” इस वाक्य को कहकर मार्शल ने प्राचीन परिभाषाओं के धन पर अत्यधिक महत्व के दोष को दूर किया । उसने कहा कि अर्थशास्त्र में ‘धन’ और ‘मनुष्य’ दोनों का ही अध्ययन होता है लेकिन ‘मनुष्य’ का स्थान प्रधान है और ‘धन’ का गौरेव ।

रोबिन्स की परिभाषा — प्रो० रोबिन्स ने मार्शल एवं उनके साथियों द्वारा दी गई परिभाषाओं की कड़ी आलोचना की और स्वयं एक नई परिभाषा लिखी जो निम्न प्रकार में है—

‘अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध के रूप में करता है ।’ (Economics is the science that studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses) इस प्रकार प्रो० रोबिन्स के मतानुसार हमारी असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के द्वारा जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थशास्त्र उसी का अध्ययन है । प्रो० रोबिन्स की परिभाषा की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं —

(१) अर्थशास्त्र ‘विज्ञान’ के रूप में — प्रो० रोबिन्स ने अर्थशास्त्र को विज्ञान का रूप दिया है कला का नहीं । इसी कारण प्रो० रोबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं न कि आदर्श विज्ञान के रूप में । जब कि मार्शल अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही मानता है और अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान के होने के पक्ष में है ।

(२) अर्थशास्त्र में ‘मानव व्यवहार’ का अध्ययन — प्रो० रोबिन्स ने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक व्यक्तियों की क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं होता बल्कि असामाजिक व्यक्तियों की क्रियाओं का भी । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सामने असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के फलस्वरूप चुनाव की समस्या आती है । इस कारण प्रो० रोबिन्स अर्थ-

शास्त्र को सामाजिक शास्त्र न मानकर जैसे मार्शल तथा उनके साथियों ने कहा

डो० रौबिन्स को परिभाषा की विशेषताएँ—

- १ विज्ञान के रूप में अध्ययन ।
- २ मानव व्यवहार का अध्ययन ।
- ३ मनुष्य की अनन्त आवश्यकताएँ ।
- ४ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन ।
- ५ सीमित साधनों का अनेक प्रकार से उपयोग ।
- ६ आवश्यकताओं की तीव्रता के अनुसार संतुष्टि ।

या अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार के अध्ययन का शास्त्र मानता है ।

(३) मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं — रौबिन्स ने इस बात को प्रधानता दी कि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं और एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी अन्य आवश्यकता का जन्म हो जाता है । मनुष्य के सामने हमेशा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्येय रहता है ।

(४) मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित हैं — रौबिन्स ने कहा है कि मनुष्य के पास आवश्यकताओं

की पूर्ति के लिए साधन सीमित होते हैं और यदि ये साधन असीमित होते तो हमारे सामने चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं आता । इन सीमित साधनों का वर्णन करते समय प्रो० रौबिन्स ने धन और समय दोनों के बारे में कहा है ।

(५) इन सीमित साधनों का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है :—साथ २ प्रो० रौबिन्स ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमित साधनों का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है जिसके कारण से ही हमारे सामने चुनाव का प्रश्न आता है । यदि साधनों का एक ही प्रकार से उपयोग हो सकता होता तो यह आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होती ।

(६) मनुष्य आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार संतुष्ट करता है :—मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ अधिक तीव्रता की होती हैं और कुछ कम और वह इसी कारण असीमित आवश्यकताओं में से तीव्रता के अनुसार उनको संतुष्ट करता है । यदि मनुष्य की सब आवश्यकताएँ एक ही तीव्रता की होती तो फिर चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकार मनुष्य अपने सीमित साधनों से पहले अधिक तीव्र आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयत्न करता है और यही समस्या आर्थिक चुनाव की समस्या है जो रौबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है ।

अतः प्रो० रौबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल उन मानव व्यवहारों

का अध्ययन होता है जिनका सम्बन्ध असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों (धन, समय, शक्ति) के उपयोग से है।

मार्शल और रीविन्स की परिभाषाओं की तुलना — यह जानने के लिए कि प्रो० मार्शल तथा प्रो० रीविन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में से कौन सी उत्तम है, हमें उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए जो निम्न प्रकार है—

मार्शल की परिभाषा

१. मार्शल समस्त क्रियाओं का आर्थिक और अनार्थिक में बाँटा है और यह कहता है कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है जिनको कि द्रव्य के मापदण्ड से मापा जा सकता है।

२. मार्शल अर्थशास्त्र की सामाजिक शास्त्र मानता है और कहता है कि इस सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य व्यक्तियों की ही आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है।

३. मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ लाभ प्राप्ति भी है। इस प्रकार यह आदर्श विज्ञान हो जाता है।

४. मार्शल की परिभाषा वर्ग-कारिणी है क्योंकि वह आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक और अनीतिक में भेद करता है।

५. मार्शल की परिभाषा में व्यावहारिकता पाई जाती है। जिस कारण इसकी परिभाषा उत्तम मानी जाती है।

रीविन्स की परिभाषा

१. रीविन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं के आर्थिक पहलू का अध्ययन होता है जो कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के उपयोग में होता है।

२. प्रो० रीविन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान नहीं बरन मानव विज्ञान है क्योंकि चुनाव के प्रश्न की समस्या सामाजिक तथा असामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के सामने आती है।

३. प्रो० रीविन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही है।

४. परन्तु प्रो० रीविन्स की परिभाषा विद्वेषणात्मक है। यह माध्य, साधन तथा उनके साथ उत्पन्न होने वाली चुनाव की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से वर्णन करता है।

५. प्रो० रीविन्स की परिभाषा सैद्धान्तिक है। इसमें मार्शल की परिभाषा की भांति व्यावहारिकता नहीं पाई जाती है।

उत्तम परिभाषा—यह कहना कि कौनसी परिभाषा उत्तम है। यह एक कठिन कार्य है। फिर भी मार्शल की परिभाषा रीविन्स की तरह विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक न होने के कारण रीविन्स की परिभाषा को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उत्तम माना जा सकता है। लेनिन यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाय तो मार्शल की परिभाषा उत्तम कही जा सकती है क्योंकि यह अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानकर चलता है। जबकि रीविन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान ही मानता है और कुछ अर्थशास्त्रियों का मन है कि मार्शल और रीविन्स दोनों की परिभाषाएँ एक दूसरे की पूरक हैं।

—०—

अध्याय २

अर्थशास्त्र का क्षेत्र

✓ प्रश्न ४—अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा दीजिये तथा उसकी विषय सामग्री की विवेचना कीजिये।

(Give a suitable definition of Economics. Discuss its subject matter.)

उत्तर :—

परिभाषा के लिये प्रश्न (१) का उत्तर देखिये।

अर्थशास्त्र की विषय सामग्री (Subject matter of Economics) :—

अर्थशास्त्र वह सामाजिक शास्त्र है जिनमें उन तमाम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जा है जिनका धन से सम्बन्ध है या जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्रव्यों के मापदण्ड में सम्बन्धित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ ही अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय या विषय-सामग्री हैं। हम प्रश्न न० १ में पहले ही देखा चुके हैं कि समस्त मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं करता। इसी में केवल उन मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज के अङ्ग हैं और अन्त सामाजिक व्यक्तियों के साथ रहते और सम्पर्क रखते हैं, जो अपने कार्यों और विचारों से समाज को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी अन्य व्यक्तियों के कार्य और विचारों से प्रभावित होते हैं। साथ ही ऐसे मनुष्य सामान्य और वास्तविक भी होने चाहिये। ऐसे व्यक्तियों के कार्य और उनकी विचारधारा सर्वसाधारण व्यक्तियों जैसी होनी चाहिये। अतः

सामाजिक, सामान्य और वास्तविक व्यक्तियों की आर्थिक क्रियायें अर्थशास्त्र की विषय सामित्री हैं ।

हम अनेकों आवश्यकताओं का अनुभव करते हैं । इनकी सन्तुष्टि हेतु ही हम आर्थिक क्रियायें करते हैं । आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करना ही आर्थिक क्रियाओं का उद्गम है । अर्थशास्त्र में इसे उपभोग कहते हैं । परन्तु उपभोग तो धन का होता है और धन से ही आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है । प्रश्न उठता है कि वह धन कहाँ से आता है । यह धन हमारी आर्थिक क्रियाओं का ही फल है । धन के प्राप्त करने सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में उत्पादन कहते हैं । आदिवाला मनुष्य आवश्यकताओं की समस्त वस्तुओं का उत्पन्न कर लिया करता था परन्तु समाज के विकास के साथ स्थिति बदल गई है । अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समस्त वस्तुएँ कोई भी मनुष्य स्वयं नहीं उत्पन्न कर सकता । वह किसी विशिष्ट वस्तु को बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है और फिर अपनी वस्तु को अन्यो की वस्तुओं से बदलकर अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है या अपनी वस्तु को द्रव्य द्वारा बदलकर उस द्रव्य से अपनी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करता है । धन की इस प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अदान-व्यदान को अर्थशास्त्र में विनिमय कहते हैं । बड़ी मात्रा में धनोत्पत्ति करने में दूसरों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है । धन का उत्पादन संयुक्त रूप से मिल जुन कर किया जाता है जिसके कारण धनोत्पादन भी अधिक होता है । संयुक्त उत्पत्ति को द्रव्य द्वारा बदला जाता है और प्राप्त द्रव्य को उत्पादन में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी-२ आवश्यकता की वस्तुएँ जुटाकर आवश्यकता पूर्ति करता है । संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के सहयोगियों में बाँटने सम्बन्धी क्रियाओं को वितरण कहते हैं । अतः आर्थिक क्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—उपभोग, उत्पत्ति विनिमय और वितरण । ये आर्थिक क्रियाएँ ही अर्थशास्त्र की विषय सामित्री हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त अर्थशास्त्र राज्य की उन आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है जो आर्थिक व्यवस्था के विधिवत संचालन के लिये आवश्यक हैं । ये भी अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय हैं ।

अतः सामाजिक, सामान्य व वास्तविक व्यक्तियों की धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से सम्बन्धित क्रियायें तथा समाज तथा राज्य की ये क्रियायें जो भौतिक कल्याण को बढ़ाकर देती हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामित्री हैं ।

जो रीविन्सन क्रूमो की तरह एकान्तवासी है उनकी क्रियाओं का अध्ययन इस शास्त्र में नहीं किया जाता है ।

(२) सामान्य प्राणी :—समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की क्रियाओं को अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं करता । वे व्यक्ति सामान्य होने चाहिये, समाज के साधारण व्यक्तियों की प्रवृत्तिया का प्रतिनिधित्व करते हों । इसलिये पागल, कजूम आदि व्यक्तियों का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता क्योंकि उनका व्यवहार बड़ा अटपटा और असाधारण होता है ।

(३) वास्तविक प्राणी :—अर्थशास्त्र जैसे व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है जो हाड मांस के बने हों, चलते फिरते हों और दया, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष व सहानुभूति आदि तत्वों से प्रभावित होते हों । प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने एक 'आर्थिक मनुष्य' की कल्पना की थी जो हर समय आर्थिक भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करता था और अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय माना गया । परन्तु हम देखते हैं कि हम सदैव आर्थिक भावना से प्रेरित होकर ही काम नहीं करते जैसे माता का अपने शिशु को पालना । देश भक्त का देश के लिये बलिदान हो जाना इत्यादि ।

अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक, सामान्य व वास्तविक प्राणियों की आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है । प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में "अर्थशास्त्र के साधारण जीवन-व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है । यह बताता है कि वह किस प्रकार रुपया कमाता है और व्यय करता है । इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है ।" (*Economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it enquires how he gets his income and how he uses it Thus it is on one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man (Marshall)*)

प्रोफेसर रीविंस ने मार्शल के मत की कटु आलोचना की है । उनके अनुसार 'अर्थशास्त्र एक मानवीय शास्त्र है' जो प्रत्येक प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है । रीविंस के अनुसार भौतिक और अभौतिक, सामाजिक, असामाजिक, उत्पादक अथवा जो गैर कल्याणकारक आदि में भेद अवैज्ञानिक है । उनके अनुसार "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन अनेकों उपभोग वाले सीमित साधनों तथा लक्ष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के रूप में करता है" (*Economics is a*

science which studies human behaviour a relationship between ends and scarce means which have alternative uses'— (Robbins)

ग्राजरल दोनो ही उपयुक्त मत—प्रो० मागल का व प्रो० रीविस का प्रचलित है। सद्धातिक दृष्टिकोण से प्रो० रीविस की परिभाषा उपयुक्त है परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रो० मागल की उचित है। (विस्तृत ज्ञान के लिये प्रश्न १ का उत्तर पढ़िये।)

अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics) —

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन —

१ विषय सामित्री — उपभोग उत्पत्ति विनिमय वितरण तथा राजस्व।

२ अर्थशास्त्र का स्वभाव — विज्ञान और कला के रूप में अर्थशास्त्र वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान।

(२) मर्यादाय —

(i) आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन।

(ii) मानवीय क्रियाओं का अध्ययन।

(iii) सामाजिक। सामाज्य एवं वास्तविक व्यक्तियों का अध्ययन।

(iv) वास्तविक और आदर्श विज्ञान एवं कला।

अर्थशास्त्र का सामाज्य परिचय प्राप्त करने के उपरांत उसके क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ताकि यह पता चल जावे कि क्या क्या बातें इसके अंतर्गत अध्ययन की जायगी उन बातों की किन किन पहलुओं की चर्चा की जावेगी और क्या बात इसके क्षेत्र से बाहर रहगी और उसका स्वभाव क्या है? आ अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन करने में हम तीन प्रश्नों पर विचार करना पड़ता है

(१) अर्थशास्त्र की विषय सामित्री (Subject matter of Economics)

(२) अर्थशास्त्र का स्वभाव (Nature of Economics)

(३) अर्थशास्त्र की मर्यादाय (Limitations of Economics)

(१) अर्थशास्त्र की विषय सामित्री — इन प्रश्नों के उत्तर में हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक वास्तविक व सामाज्य व्यक्तियों का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जिन क्रियाओं का धन से कोई सम्बन्ध नहीं है वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र से परे हैं। आवश्यकतया आर्थिक क्रियाओं को

जन्म देती है। आवश्यकताओं की सतृप्ति के लिये हम आर्थिक क्रियायें करके धनोत्पत्ति करते हैं। प्राचीन युग में धनोत्पत्ति व्यक्तिगत-प्रयास से ही हो जाती थी परन्तु आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ साथ स्वावलम्बन का युग समाप्त हो गया है और अब उत्पत्ति मिल-जुल कर उत्पत्ति के पाँचों साधनों के सहयोग में होती है। अतः संयुक्त उत्पत्ति को सब साधनों में बाँट दिया जाता है जिससे वे अपनी इच्छित वस्तुयें प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की सतृप्ति कर सकें। इस कार्य को अर्थशास्त्र में विनिमय कहते हैं। अतः सामाजिक, सामान्य व वास्तविक प्राणियों की धन के उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय व वितरण से सम्बन्धित क्रियायें ही अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री ही हैं।

(विरतृत वितरण के लिये प्रश्न ४ का उत्तर अवश्य पढ़ें)

(२) अर्थशास्त्र का स्वभाव (Nature of Economics)—अर्थशास्त्र एक विज्ञान व कला दोनों है। यह वास्तविक व आदर्शमूलक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान कार्य और कारण का सम्बन्ध बतलाता है। अर्थशास्त्र में भी अनेको ऐसे विषय हैं जो कारणों व उनके प्रभावों के संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अतः अर्थशास्त्र विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान हमको वस्तु स्थिति से अवगत कराता है, यह प्रचलित अवस्था का ज्ञान कराता है। इसका काम केवल 'क्या है' (What is) प्रश्न का उत्तर देना है। यह समस्या को नैतिक दृष्टि से नहीं देखता। यह नहीं बतलाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है क्या करना चाहिए यथवा क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। यह उद्देश्य प्राप्ति के उपाय भी नहीं बतलाता। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है क्योंकि इसके विभाग सामान्य स्थिति का ज्ञान कराते हैं। उदाहरणार्थ माग का नियम :—यदि मूल्य बढ़ जाता है तो माग घट जाती है और इसके विपरीत मूल्य घटने से माग बढ़ जाती है, व्याज का नियम यदि पूँजी की पूर्ति बढ़ जाती है तो व्याज की दर कम हो जाती है।

आदर्श विज्ञान हमको बतलाता है कि 'क्या अच्छा है और क्या बुरा है' ? अर्थशास्त्र भी एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि यह हमको मानव व्यवहारों के आदर्शों को बतलाता है। जैसे यदि व्याज की दर ऊँची है तो अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि व्याज की ऊँचा दर ठीक नहीं है, यह कम होनी चाहिये। यदि भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता कम है तो इसमें वृद्धि होनी चाहिये इत्यादि।

कला किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सर्वोत्तम उपायों को बतलाती है।

दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य वाछनीय आदर्शों की प्राप्ति और अवाछनीय बातों से आदर्श प्राप्ति के उपायों को बतलाना है। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि मजदूरों की कार्यक्षमता कैसे बढ़ सकती है, व्याज की दर कैसे कम हो सकती है। देश में जनसंख्या कैसे सीमित रखी जा सकती है इत्यादि।

(विस्तृत विवरण के लिये प्रश्न ५ का उत्तर पढ़िये।)

(३) अर्थशास्त्र की मर्यादायें — अर्थशास्त्र की मुख्य मर्यादायें निम्न लिखित हैं —

(१) अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है।

(२) इसमें केवल मनुष्यों की ही क्रियाओं का अध्ययन होता है पशु पक्षी की क्रियाओं का नहीं।

(३) अर्थशास्त्र केवल सामाजिक, सामान्य और वास्तविक व्यक्तियों की ही आर्थिक-क्रियाओं का अध्ययन करता है।

(४) अर्थशास्त्र एक वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान और कला दोनों हैं।

—०—

प्रश्न ७—“हमारे अर्थशास्त्र विज्ञान का प्रारम्भ और अन्त मानव है।” इस कथन की व्याख्या करो।

(“The starting point and the goal of our Economic Science is man.” Explain this statement clearly.)

उत्तर—

मार्शल की परिभाषा से पहले अर्थशास्त्र को ‘धन का शास्त्र’ समझा जाता था तथा आगल अर्थशास्त्रियों ने ‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना के आधार पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की रचनाएँ की थी। धन पर अत्यधिक महत्व के कारण इनकी कड़ी आलोचना हुई तथा अर्थशास्त्र को अनेक आलोचनाओं से बचाने के लिए मार्शल ने अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। जिसमें उसने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र होते हुए मुख्यतः मानव जीवन का शास्त्र है। इस प्रकार उससे अर्थशास्त्र के अध्ययन में ‘मनुष्य’ को प्रधान स्थान दिया और ‘धन’ को गौण। और मार्शल के बाद के सभी अर्थशास्त्रियों ने भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में ‘मनुष्य’ के अध्ययन को मुख्य स्थान दिया है।

‘मानव’ अर्थ विज्ञान का प्रारम्भ—यह कहना उचित है कि ही अर्थशास्त्र का प्रारम्भ है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जैसे खाने की, कपड़े की तथा रहने की। ये आवश्यकताएँ आवश्यक, १२१

और विलासिता सीनो ही प्रकार की हो सकती हैं ।
 पूर्ति करने के लिए ही मनुष्य कोई न कोई आर्थिक क्रि-
 सेती करना, अव्यापक होना, डाक्टर बनना आदि सब
 अनेक रूप है । इस प्रकार मनुष्य को अनन्त आवश्यकताएँ
 एवं उनको सतुष्ट करने के लिए किसी एक या एक से अधि-
 को करना पड़ता है और अर्थशास्त्र मानव जीवन से सम्बन्धित आर्थिक
 क्रियाओं के अध्ययन का शास्त्र है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि
 मानव ही अर्थशास्त्र का प्रारम्भ है । अर्थात् मानवीय आवश्यकताएँ एवं उनका
 समाधान ही अर्थशास्त्र को जन्म देती है ।

मानव अर्थशास्त्र का अन्त—“मानव अर्थशास्त्र का प्रारम्भ है ।” इसी
 के साथ २ यह भी कहा जाता है कि मानव अर्थशास्त्र का अन्त है । क्योंकि
 अर्थशास्त्र का “साध्य” मनुष्य ही है तथा “धन” तो केवल इस साध्य की
 प्राप्ति का साधन मात्र है । मनुष्य आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन की प्राप्ति
 करता है तथा इस धन के द्वारा अपनी अनेक आवश्यकताओं की सतुष्टि करता
 है । मानवीय आवश्यकताओं की सतुष्टि ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है । इस
 प्रकार मानव अर्थशास्त्र का अन्त भी ।

उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, मानव से
 सम्बन्धित—उपभोग की तीव्रता मनुष्य की आर्थिक क्रिया करने को प्रोत्सा-
 हित करती है । आर्थिक क्रिया का अध्ययन उत्पत्ति से सम्बन्धित है तथा
 मनुष्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं का विक्रय द्वारा धन प्राप्त
 करना विनिमय के अध्ययन से सम्बन्धित है । इस कुल आय को उत्पत्ति व
 सहयोगियों में बाँटना वितरण कहलाता है । प्राप्त आय से आवश्यकता की
 वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदना फिर विनिमय से सम्बन्धित है तथा इन
 वस्तुओं एवं सेवाओं के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की सतुष्टि कर
 पाता है जिसका सम्बन्ध फिर उपभोग से है । इस प्रकार मनुष्य की अनेक
 आर्थिक क्रियाएँ उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण से सम्बन्धित हैं ।

राजस्व भी आज अर्थशास्त्र का एक मुख्य अंग बन गया है । जिसका द्येय
 कल्याणकारी राज्य की स्थापना है । राजस्व सरकार के आय, व्यय, ऋण के
 अध्ययन से सम्बन्धित रखता है । जिसका उस देश के निवासियों पर काफी
 प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार अर्थशास्त्र में राजस्व का अध्ययन भी मानव से
 सम्बन्धित है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रत्येक शाखा मानव

जीवन से सम्बन्धित है। चाहे यह उपभोग हो, उत्पत्ति हो, विनिमय हो, वितरण हो या राजस्व। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि अर्थशास्त्र का प्रारम्भ और अन्त मानव है।

—०—

अध्याय ३

अर्थशास्त्र के विभाग और उनका सम्बन्ध

प्रश्न ८—अर्थशास्त्र का विषय किन किन मुख्य भागों में विभक्त है ? उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये।

(Into what divisions the subject matter of Economics is divided ? Discuss clearly their mutual relationship.)

उत्तर—

अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र को निम्न पाँच विभागों में बाटा जाता है —

- १ उपभोग (Consumption)
- २ उत्पादन (Production)
- ३ विनिमय (Exchange)
- ४ वितरण (Distribution)
- ५ राजस्व (Public Finance)

(१) उपभोग—इस विभाग में मानवीय आवश्यकताएँ, उनके गुण, उनकी सन्तुष्टि, प्राय, व्यय वस्तु, बजट तथा इनसे सम्बन्धित नियमों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोग का बड़ा ही महत्व है क्योंकि आवश्यकतायें ही अर्थशास्त्र का प्रारम्भ और अन्त हैं।

(२) उत्पत्ति — आवश्यकताओं की सन्तुष्टि धन द्वारा की जाती है। अर्थशास्त्र के उत्पत्ति विभाग में धनोत्पत्ति के विभिन्न साधनों, उनकी पूर्ति व क्षमता, उत्पादन का पैमाना व उत्पत्ति नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है।

(३) विनिमय — अर्थशास्त्र के इस विभाग में विनिमय की आवश्यकता,

मतों, रूप व मूल्य निर्धारण आदि का अध्ययन होता है। द्रव्य, वैव, बाजार, पातायात के माधन, मन्डियाँ, राष्ट्रीय व्यापार आदि विभिन्न प्रकार की बातों का इस विभाग में अध्ययन किया जाता है।

(४) वितरण — वर्तमान समय में सम्पत्ति का उत्पादन समुक्त प्रयाग का फल है। समुक्त उत्पादन प्रणाली, समुक्त उत्पात्ति के साभीदार तथा समुक्त उत्पात्ति वितरण सिद्धान्तों का अध्ययन अर्थशास्त्र के वितरण विभाग के अध्ययन विषय हैं।

(५) राजस्व — इसमें सरकारी आय व्यय के सिद्धांतों का विवरण होता है। हम देखते हैं कि राज्य किन किन माधनों द्वारा आय प्राप्त करता है और किन किन मदों पर व्यय करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ऋण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सरकारी उद्योग आदि समस्याओं का वर्णन वितरण विभाग में होता है।

अर्थशास्त्र के विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध —

हम पहले ही कह चुके हैं कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के विषय को पाँच विभागों में बाँटा जा सकता है। ये विभाग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके आपसी सम्बन्ध निम्न प्रकार हैं —

(१) उपभोग और उत्पात्ति — उपभोग और उत्पात्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपभोग की आवश्यकता के कारण ही उत्पात्ति होती है। यदि किसी वस्तु के लिये हमारी आवश्यकता ही नहीं होगी तो उत्पादनकर्ता उसका उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि वह बिक्री ही नहीं। इसी प्रकार उत्पात्ति उपभोग को सम्भव बनाती है। देश में जिन चीजों की उत्पात्ति होगी, उपभोगता उन्हीं का उपभोग कर सकते हैं। जब युद्धकाल में बहुत सी चीजों का उत्पादन बन्द हो गया तो उपभोगताओं को उनके उपभोग में अन्तित रहना पड़ा।

उपभोग उत्पात्ति को मात्रा और उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। उत्पादन वस्तु की मात्रा के अनुसार ही होता है। यदि किसी वस्तु की मात्रा ज्यादा है तो उसकी उत्पात्ति भी अधिक होगी। यही नहीं उत्पात्ति किसी ही गुणवाली वस्तुओं की होगी जैसी कि उपभोगता माँग करते हैं। उत्पादन जनता की इच्छा के अनुसार ही होता है। इसी प्रकार उत्पात्ति उपभोग को मात्रा और उसके स्वभाव को निर्धारित करती है। व्यक्ति उन्हीं और उन्हीं ही वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं जैसी और जितनी कि उत्पादन-

कर्ता उत्पन्न करते हैं। युद्धकाल में वारीक (Fine) कपड़ा बनना बन्द हो गया और घटिया (Coarse) कपड़े का उत्पादन कम हो गया। उस समय उपभोक्ताओं की थोड़ी मात्रा में केवल घटिया कपड़े को ही प्रयोग करना पड़ा।

(२) उपभोग और विनिमय — प्राचीनकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की स्वयं उत्पन्न करता था। परन्तु आजकल कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल स्वयं के ही प्रयत्न से नहीं कर सकता इसलिए वह अपनी वस्तु देकर बदले में दूसरों की वस्तुएं लेता है और फिर अपनी आवश्यकता पूर्ण करता है। इन विनिमय उपभोग को सम्भव बनाता है। इसी प्रकार उपभोग विनिमय को सम्भव बनाता है वही वस्तु विनिमय साध्य हो सकती है जो उपभोग के योग्य हो। जब तक कोई वस्तु मनुष्य की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आवश्यकता की मनुष्य नहीं करेगी, उसका क्रय-विक्रय भी नहीं होगा।

(३) उपभोग और वितरण — उपभोग के लिये वितरण अनिवार्य है। उत्पत्ति के पाँची साधनों की सहायता से ही धन पैदा किया जाता है। जब यह धन सब साधनों में वितरित कर दिया जाता है तब ही प्रत्येक साधन अपनी अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकता है। अतः वितरण के बिना उपभोग असम्भव है। वितरण के ढंग और मात्रा का भी उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। यदि धन का वितरण समान है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यय करने के लिये काफी पैसा होगा और देश में उपभोग की मात्रा बढ़ जायेगी। इसी प्रकार उपभोग का भी वितरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य हानिकारक पदार्थों का उपभोग करते हैं तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जायेगी। फलस्वरूप उसकी धनोत्पादन शक्ति गिर जायेगी। देश में कुल उत्पादन कम होगा और वितरण भी कम होगा।

(४) उपभोग और राजस्व — सरकार की आय-व्यय नीति का व्यक्तियों के उपभोग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्य वस्तुओं पर कर लगा कर उनके उपभोग को हतोत्साहित कर देता है। विदेशी वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाकर, राज्य उनके उपभोग का बहुत कम कर देता है या उनका आयात को बिल्कुल बन्द करके, उपभोक्ताओं को उसके उपभोग से वंचित रख सकता है। शराब व नशीली वस्तुओं के उपभोग पर राज्य द्वारा नियन्त्रण किया जाता है, खाद्य पदार्थों में मिठावट रोक्ने के लिये, निरीक्षण किया जाता है आदि।

उपभोग का भी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं का उपभोग

अधिक होता है उन वस्तुओं पर कर लगाने से राज्य की आय अधिक होती है।

(५) उत्पत्ति और विनिमय :—आजकल अधिकांश उत्पत्ति उपभोग के लिये न होकर बजट में विक्री के लिये की जाती है। निजी उपभोग के लिये उत्पादन का बहुत कम महत्व है। जो वस्तु विनिमय साध्य नहीं होती उनको कोई उत्पन्न नहीं करता। संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादनकर्ता बाजार में विनिमय करके द्रव्य प्राप्त करता है और उस द्रव्य को उत्पादको में वाट देता है। इस द्रव्य से वे अपनी आवश्यकतायें सन्तुष्ट करते हैं। अतः विनिमय के अभाव में उत्पत्ति असम्भव है।

इसी प्रकार विनिमय भी उत्पत्ति पर निर्भर है। यदि उत्पादन बन्द हो जाये तो विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता। देश में जितनी अधिक उत्पत्ति होती है उतना ही अधिक क्रय विक्रय अर्थात् विनिमय होता है।

(६) उत्पत्ति और वितरण .—वितरण उत्पत्ति पर ही निर्भर है। अगर कुल उत्पत्ति की मात्रा (राष्ट्रीय आय) अधिक है तो उत्पादन के साधनों को अधिक मात्रा में धन वितरित किया जायेगा और अगर राष्ट्रीय आय कम है तो धन का वितरण भी कम होगा। वितरण का प्रभाव भी धन की उत्पत्ति पर पड़ता है। यदि वितरण सन्तोषजनक है और उत्पादन के साधनों का विश्वास है कि उनका शोषण नहीं हो रहा है, तो वे सन्तुष्ट रहेगे कार्य अधिक परिश्रम और मन से करेंगे, उनकी कार्यक्षमता बढ़ जायेगी और फलस्वरूप धनोत्पत्ति भी बढ़ जायेगी। वितरण उत्पत्ति के स्वभाव को निर्धारित करता है। यदि धन का वितरण असमान है तो धनिक और धनिक, और गरीब और गरीब होंगे और समाज में आवश्यकताओं की वस्तुओं के स्थान पर विलासिता की चीजों की उत्पत्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत दशा में ठीक इसका उल्टा होगा।

(७) उत्पत्ति और राजस्व — समाज में शान्ति, सुव्यवस्था और न्याय का सुप्रबन्ध है तो उत्पत्ति भी निर्विघ्न और अधिक होगी। यदि समाज में लूट मार, चोरी, डकैती आदि का भय रहता है तो स्वभावतः उत्पादन कम होता है। किसी वस्तु पर अधिक कर लगाकर या कम करके राज्य उसकी उत्पत्ति को घटा या बढ़ा देता है क्योंकि कर लगाने से वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, उसकी मांग कम हो जाती है। और फलतः उत्पत्ति भी कम हो जाती है। राज्य आर्थिक सहायता देकर किसी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन दे सकता

है या वस्तु का उपभोग को निषेध या नियन्त्रित करके, उसकी उपत्ति को बन्द या कम कर सकता है।

उत्पादन का प्रभाव भी राजस्व पर पड़ता है—राज्य अनेकी वस्तुओं पर उत्पादन कर (Excise Duty) लगाकर, आय प्राप्त करता है। यदि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अधिक है तो राज्य की आय भी अधिक होगी और यदि कम है तो राज्य की आय भी कम होगी।

(द) विनिमय और वितरण — धन का वितरण विनिमय द्वारा ही सम्भव है। सयुक्त उत्पत्ति को बाजार में बँचकर धन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त धन को ही उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विनिमय के नियमों के आधार पर वितरित किया जाता है। वितरण द्वारा प्राप्त धन में प्रत्येक साधन अपनी आवश्यकता के पदार्थों का क्रय करता है। अतः वितरण के पूर्व और पश्चात् दोनों समय विनिमय आता है।

वितरण का भी विनिमय पर प्रभाव पड़ता है। यदि वितरित की जाने वाली सम्पत्ति अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। अधिक आय से उपभोक्ता अधिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। अतः विनिमय भी अधिक होगा।

(६) विनिमय और राजस्व — सरकार वस्तुओं की विक्री पर व विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात पर कर लगाती है। अतः विनिमय जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक सरकार की आय होगी। राज्य विनिमय की दर या कीमतों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। सरकार विनिमय की सुविधा के लिये मुद्रा की मात्रा व रूप तथा बैंकिंग व साख प्रणाली को नियन्त्रित करती है परिवहन सड़क वाहक साधनों का निर्माण करती है। इसी प्रकार विनिमय भी राजस्व का प्रभावित करता है। साव जनिक अर्थशास्त्र की अनेक समस्याएँ विनिमय के कारण उत्पन्न होती हैं।

(१०) वितरण और राजस्व — राज्य की नीति धन वितरण के स्वभाव को प्रभावित करती है। साम्यवादी देशों में धन का वितरण मनुष्यों की आवश्यकतानुसार होता है। समाजवादी देशों में योग्यता के अनुसार तथा पूँजीवादी देशों में भाँगे व पूँजी की शक्तियों के द्वारा। राजस्व नीति से वितरण की असमानता कम हो सकती है। सरकार प्रगतिशील कर, रागकर, धर्मकर, सजाएँ, घड़े, माँगा, म आदि प्राप्त करती है और फिर इस आय का बहुत बड़ा भाग निधनों के बह्याण के लिये व्यय कर देती है।

वितरण का भी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में धन का

वितरण नमान है तो सरकार करो के रूप में अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकती। यदि वितरण अनमान है तो बड़ी र आमदनियों पर प्रगतिशील कर लगाकर, काफी आय प्राप्त की जा सकती है।

—०—

अध्याय ४ अर्थशास्त्र के नियम

प्रश्न ६—आर्थिक नियम क्या है ? उनकी प्रकृति क्या है ? आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों जैसे निश्चित क्यों नहीं हैं ?

(What are economic laws ? What is their nature ? Why are economic Laws not as exact as the laws of physical sciences ?)

उत्तर—

प्रत्येक विज्ञान में 'कारण' और 'फल' के सम्बन्धों को स्थापित करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों को उस विज्ञान के नियम कहते हैं। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। इसमें बहुत से आर्थिक कारणों और उनके प्रभावों को अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन आर्थिक निष्कर्षों को ही आर्थिक नियम कहते हैं। वस्तु के मूल्य बढ़ने पर माँग घट जाती है और मूल्य घटने पर माँग बढ़ जाती है। यह कथन मूल्य में परिवर्तन और माँग पर उसके प्रभाव के सम्बन्ध को बतलाता है। यह एक आर्थिक नियम है। प्रो० मार्शल ने आर्थिक नियम की परिभाषा इस प्रकार दी है "आर्थिक नियम अथवा आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन वे सामाजिक नियम हैं जो व्यवहार की उन शाखाओं से सम्बन्धित हैं जिनमें किसी उद्देश्य की शक्ति मुद्रा में नापी जा सकती है।"

(Economic laws or statements of economic tendencies are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price) अतः हम कहते हैं कि आर्थिक नियम "आर्थिक प्रवृत्तियों

के कथन मात्र हैं" और सामाजिक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहारों के कारण व परिणामों में सम्बन्ध स्थापित करते हैं ।

आर्थिक नियमों की अन्य नियमों से तुलना :—

अर्थशास्त्र के नियम वैधानिक, नैतिक, सामाजिक व प्राकृतिक नियमों से भिन्न है —

आर्थिक व वैधानिक नियम —वैधानिक नियम वे राजाज्ञायें हैं जो व्यक्तियों को किसी काम के करने या न करने को विवश करते हैं जिनके न मानने पर राज्य की ओर से दण्ड मिलता है । उनका पालन करना अनिवार्य है । परन्तु आर्थिक नियम हम किसी काम के लिये आदेश नहीं देते और न उनके उल्लंघन पर कोई दण्ड दिया जाता है ।

आर्थिक व नैतिक नियम —नैतिक नियम मनुष्य आचरण के वाछनीय आदर्शों का उपदेश देते हैं । इन नियमों का पालन औचित्य की दृष्टि से ईश्वरीय प्रकोप से बचने के लिये किया जाता है । जैसे 'अहिंसा परमोधर्म' 'सदा सत्य वोलो' आदि । इनके उल्लंघन करने पर कोई दण्ड नहीं मिलता परन्तु व्यक्ति का नैतिक स्तर गिर जाता है । आर्थिक नियमों के न मानने पर यद्यपि कोई ऐसी हानि नहीं होती फिर भी इनमें आदर्श का योग तो रहता ही है क्योंकि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है ।

आर्थिक नियम और सामाजिक नियम :—ये नियम समाज में प्रचलित रुढ़ियों और प्रथाओं द्वारा निर्धारित होते हैं । इनका पालन करना यद्यपि अनिवार्य नहीं, फिर भी सामान्यतया सभी व्यक्ति इनका पालन करते हैं जैसे विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर भोज देना । इनके पालन न करने पर व्यक्ति को समाज के अनादर, व विरोध का सामना करना पड़ता है । आर्थिक नियम इनसे भिन्न हैं क्योंकि ये प्रथाओं द्वारा निर्धारित नहीं होते और न इनके उल्लंघन करने पर व्यक्ति का समाज में कोई स्थान गिरता है ।

आर्थिक नियम और प्राकृतिक नियम —प्राकृतिक तथ्यों का निरीक्षण व अवलोकन करके, उनके कारणों और परिणामों में सम्बन्ध स्थापित करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं जैसे भौतिक शास्त्र का गुरुत्वाकर्षण का नियम (Law of gravitation) यह बतलाता है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होने के कारण प्रत्येक चीज नीचे की गिरती है । यह नियम व्यापक और सदैव सत्य होने हैं । आर्थिक नियम भी अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत बनाये जाते हैं अतः ये भी प्राकृतिक अथवा वैज्ञानिक नियमों की कोटि में आ जाते हैं परन्तु आर्थिक नियम सदैव सत्य नहीं होने और न इतने निश्चय (Exact) होने जितने कि प्राकृतिक नियम ।

आर्थिक नियमों का स्वभाव

हम ऊपर देख चुके हैं कि आर्थिक नियम आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र हैं। वे प्रवृत्ति (Tendency) के द्योतक हैं। यह अनिवार्य नहीं कि उनके द्वारा स्थापित कारण-परिणाम (cause-effect) सम्बन्ध सदैव सही उतरे। बल्कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर श्रमिक कारण पैदा होता है तो श्रमिक परिणाम उत्पन्न होने की सम्भावना होगी। अतः आर्थिक नियम काल्पनिक (Hypothetical) हैं वे तभी सही उतरते हैं जबकि अन्य बातें पूर्ववत् रहें (Other things remaining same) इसलिये आर्थिक नियमों के साथ यह वाक्यांश जुड़ा रहता है। 'मूल्य बढ़ने से माग घट जाती है' यह एक आर्थिक नियम है परन्तु यदि उपभोक्ता भविष्य में वस्तु की ओर अधिक बर्तन महसूस करते हैं तो वे मूल्य बढ़ जाने पर भी अधिक मांग करेंगे। युद्धकाल में ऐसा ही होता है।

परन्तु वैज्ञानिक नियमों की भी कुछ मान्यताएँ होती हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम तभी लागू होगा जबकि कोई अन्य द्रवित पदार्थ-विशेष को अपनी ओर नहीं खींच रही हो। इसलिये वैज्ञानिक नियम भी काल्पनिक हैं परन्तु इनमें आर्थिक नियमों की अपेक्षा कल्पना का भ्रम कम होता है।

आर्थिक नियम सापेक्षिक होते हैं — वे प्राकृतिक नियमों की भाँति अनिवार्य और सार्वभौमिक (Universal) नहीं होते हैं परन्तु आर्थिक नियम स्थान, काल, परिस्थितियों व व्यक्तियों के साथ बदलते रहते हैं। जैसे माग का नियम युद्धकाल में सही नहीं उतरा। भारतवर्ष में ऊँची कीमत होने पर भी देशी वस्तुओं को क्रय किया गया आदि। आर्थिक नियम कम पूर्ण होते हैं। यदि किसी वस्तु की माग दो गुनी बढ़ जाये तो यह आवश्यक नहीं कि वस्तु का मूल्य भी पहले की अपेक्षा दो गुना हो जाये। हम इस सम्बन्ध में निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। परन्तु यदि किसी समय पानी बनाने के लिये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा (H_2O) को पहले की अपेक्षा चौगुना कर दिया जाय तो सदैव चौगुना पानी तैयार होगा। अतः प्राकृतिक नियम अधिक निश्चित होते हैं।

आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की भाँति निश्चित और अटल क्यों नहीं हैं :—

यद्यपि आर्थिक नियम भी वैज्ञानिक नियमों की कोटि में आते हैं परन्तु वे अन्य वैज्ञानिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित और कम व्यापक हैं। इसके निम्न कारण हैं :—

(१) प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन विषय बुद्धिहीन, अचेतन व जड़ पदार्थ हैं मनुष्य अपनी इच्छानुसार इनका विभाजन, विध्वंसपण, अवलोकन तथा परीक्षण कर सकता है। परन्तु अर्थशास्त्र स्वैच्छापूर्ण, विवेकशील, बुद्धिमान व चेतन व्यक्तियों का अध्ययन करता है जिन पर नियन्त्रण रखना अति कठिन है। मनुष्य विपरीत दिशा में कार्य करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र है।

(२) वैज्ञानिक नियमों की सत्यता प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके प्रमाणित की जा सकती है परन्तु आर्थिक नियमों की प्रयोगशाला समस्त समाज है जहाँ प्रयोग करना बड़ा कठिन है।

(३) मानवीय प्रवृत्तियों का मापदण्ड द्रव्य है जिसका मूल्य स्वयं स्थिर नहीं रहता। परन्तु प्राकृतिक विज्ञानों के मापदण्ड बहुत ही सूक्ष्म और स्थिर हैं जैसे ताप नापने का थर्मामीटर।

अतः आर्थिक नियम अन्य प्राकृतिक नियमों की भाँति व्यापक और निश्चित नहीं होते हैं। वे तभी लागू होते हैं जब अन्य बातें समान रहें। परन्तु मुद्रा के माप दण्ड के कारण समस्त सामाजिक शास्त्रों के नियमों में आर्थिक नियम अधिक वैज्ञानिक और निश्चित हैं।

—०—

प्रश्न १०—‘अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिये न कि गुरुत्वाकर्षण जैसे निश्चित नियम से’ मार्शल के इस कथन की व्याख्या कीजिये।

(“The laws of Economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact law of gravitation”—Marshall Discuss this statement)

उत्तर—

इस कथन से मार्शल यह स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक नियम भौतिक विज्ञानों के नियमों की भाँति व्यापक, निश्चित और सदैव सही नहीं हैं। इस अनिश्चितता के कारण जानने के लिये प्रश्न (९) का उत्तर पढ़िये।

ज्वार भाटा का नियम यह बतलाता है कि चन्द्रमा और सूर्य के प्रभाव से दो बार दिन में ज्वार क्यों आता है? ज्वार पूर्ण चन्द्र (Full Moon) होने पर ऊँचा और उसके शीघ्र होने के साथ २ नीचा रहता है। इस नियम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कब ज्वार सबसे ऊँचा होगा। परन्तु

समुद्र पर परिस्थितिया बदल जाने पर, यह भविष्य वाणी गलत हो सकती है। अतः यदि समुद्र पर अन्य परिस्थितिया समान रहे तो ज्वार आने की भविष्य-वाणी सदैव सही निकलेगी। ठीक यही प्रकृति आर्थिक नियमों की है। यदि अन्य बात समान रहे तो आर्थिक नियम मत्त उतरते हैं अन्यथा नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पहले ही देख चुके हैं अपेक्षाकृत बहुत अधिक निश्चित, और व्यापक है। अतः मार्शल का यह कहना कि अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिये न कि गुरुत्वाकर्षण जैसे निश्चित नियम से सही है।

—०—

अध्याय ५

अर्थशास्त्र के अध्ययन के तरीके

प्रश्न ११—अर्थशास्त्र के अध्ययन में आगमन और निगमन प्रणालियों के गुण व दोषों का वर्णन करिये।

(Explain the merits and demerits of Deductive and Inductive methods of study of Economics)

Or

“जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बाएं पैर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वैज्ञानिक विचारधारा के लिए निगमन और आगमन प्रणालियों की आवश्यकता होती है”। व्याख्या कीजिये।

(Induction and Deduction are both needed for scientific thought as the right and left foot are needed for walking” Explain fully.)

उत्तर—

“अध्ययन की विधि” या “रीतियों” का अर्थ हम अर्थशास्त्र में उन तरीकों से लेते हैं जिनका उपयोग हम उस शास्त्र के तथ्यों एवं सिद्धांतों को रचना करने में लाते हैं। अन्य शास्त्रों की भांति अर्थशास्त्र में भी विद्वानों ने अध्ययन की दो प्रमुख विधियों का वर्णन किया है। जो क्रमशः निगमन एवं आगमन प्रणालियों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

निगमन प्रणाली :—इस प्रणाली को अर्थशास्त्र में अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे **विश्लेषणात्मक प्रणाली** (Analytical Method) **निराकार प्रणाली** (Abstract Method) आदि। इस प्रणाली के द्वारा **किसी शास्त्र के नियमों की रचना कुछ सर्वमान्य आधारभूत धारणाओं को लेकर किया जाता है। जो होनेना और हर दशा में सत्य होते हैं। इन आधारभूत नियमों के आधार पर हम विशिष्ट मत्स्यों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में हम सामान्य सत्त्यों से विशिष्ट मत्स्यों की खोज करते हैं।** जिसे अंग्रेजी में **From General to Particular** का माना जाता है। उदाहरणार्थ यह एक मानान्वय सत्य है कि मनुष्य मृत्युशील है। अब यदि हमें रमेश के विषय में यह पता चले कि रमेश भी मृत्युशील है क्योंकि मनुष्य मृत्युशील है तो हम प्रकृत सत्य निगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। निगमन प्रणाली के आधार पर अर्थशास्त्र में अनेक सिद्धांतों की रचना की गई है जैसे न्यूनतम त्याग का नियम (The law of least sacrifice), उत्पत्ति का क्रमागत ह्रास नियम (The Law of Diminishing Returns), जनसंख्या का सिद्धांत (Law of population) आदि। इस प्रणाली को आंग्ल अर्थशास्त्रियों (classical Economists) में अधिक अग्रणी है जिनमें **रिचार्डो (Ricardo)** **सीनियर (Senior)** **मिल (Mill)** आदि अर्थशास्त्री अधिक प्रसिद्ध हैं।

आगमन प्रणाली :—निगमन प्रणाली की भांति अर्थशास्त्र में इस प्रणाली को भी अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे ऐतिहासिक विधि (Historical Method), वास्तविक विधि (Realistic Method), प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) आदि। इस प्रणाली के द्वारा अर्थशास्त्र में नियमों की रचना वास्तविक घटनाओं तथा कर्मों के आधार पर की जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम विशिष्ट मत्स्यों की प्राप्ति की जाती है और उसके बाद उनका परिणाम निकाल कर सामान्य सत्य निकाला जाता है। इस प्रकार हम इस विधि के प्रयोग में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। जिसे अंग्रेजी में **From Particular to General** कहते हैं, उदाहरणार्थ यदि हम देखें कि राम की मृत्यु हो गई है और इसी प्रकार और व्यक्तियों की भी मृत्यु हो जाती है, तो हम यह सामान्य सत्य निकालेंगे कि मनुष्य मृत्युशील है। अर्थशास्त्र में इस प्रणाली के आधार पर अनेक सिद्धांतों की रचना की गई है जिनमें मांग का नियम (Law of Demand) भी एक है। इस प्रणाली के अध्ययन पर ऐतिहासिक विचार-धारा के अर्थशास्त्रियों (Historical School) ने अधिक बल दिया है।

क्योंकि उनके अनुसार निगमन प्रणाली अधिक दोषपूर्ण थी। इन अर्थशास्त्रियों में रोस्चर (Roscher), नीज (Knies) अधिक प्रसिद्ध है।

निगमन प्रणाली के गुण-दोष :— निगमन प्रणाली के गुण निम्न लिखित हैं :—

(१) इन प्रणाली द्वारा बनाये गये नियम प्रभावपूर्ण होते हैं क्योंकि ये

सर्वमान्य आधारभूत तथ्यों व आधार पर बनाये जाते हैं।

निगमन प्रणाली

के गुण :—

१. प्रभावपूर्ण नियम।

२. सरल प्रणाली।

३. निश्चयता का गुण।

४. सत्य की खोज।

५. पक्षपात रहित प्रणाली।

६. आगमन प्रणाली की परीक्षा।

७. भविष्यवाणी में सहायक।

८. सर्व व्यापकता का गुण।

निगमन प्रणाली के दोष :—

१. अध्यवहारिता का अभाव।

२. भविष्यमाननीय।

३. अध्ययन में अधूरी।

४. अस्थिर एवं अनिश्चित निष्कर्ष।

(२) यह प्रणाली बहुत ही सरल है। इसी कारण से यह अधिक लोकप्रिय भी है।

(३) इस प्रणाली में निश्चयता का भी गुण पाया जाता है। क्योंकि इसमें निष्कर्ष तर्क द्वारा निकाले जाते हैं। जिसके कारण निष्कर्ष एवं नियम निश्चित एवं विश्वासनीय होते हैं।

(४) इस प्रणाली के द्वारा हम अर्थ में अधिक सत्य की खोज कर सकते हैं।

(५) इस प्रणाली में पक्षपात को कोई स्थान नहीं है। क्योंकि हम सर्वमान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की खोज करते हैं।

(६) इस निगमन प्रणाली का प्रयोग अर्थशास्त्री आगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष की जाच के लिए भी प्रयोग करते हैं।

(७) इस प्रणाली की सहायता से भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यदि सामान्य तथ्यों की दृशाओं में अधिक परिवर्तन न हो।

(८) इस प्रणाली में सर्वव्यापकता का भी गुण पाया जाता है क्योंकि प्राप्त निष्कर्ष तर्क के आधार पर बनाये जाते हैं, जो हर स्थान और हर समय सत्य निकलते हैं।

ऐतिहासिक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली में अनेक दोष बताये । निगमन प्रणाली के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं :—

(१) इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि आधारभूत तथ्य वास्तविकता से जरा भी दूर हो तो परिणाम अवास्तविक एवं अव्यवहारिक हो जाते हैं ।

(२) आलोचकों का कहना है कि आधारभूत तथ्यों को वास्तविक समझना भूल है । इसी कारण उनसे प्राप्त निष्कर्ष विश्वासनीय नहीं होते हैं ।

(३) निगमन प्रणाली अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है । इसकी सहायता एवं विस्तृत अध्ययन के लिए आगमन प्रणाली भी आवश्यक है ।

(४) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से निष्कर्ष में स्थिरता एवं निश्चयता का गुण समाप्त हो जाता है ।

आगमन प्रणाली के गुण-दोष :—आगमन प्रणाली के मुख्य गुण निम्न हैं :—

आगमन प्रणाली के गुण :—

- १ वास्तविक निष्कर्ष ।
- २ मान्यता की जांच ।
- ३ निगमन का आधार ।
४. व्यवहारिकता का गुण ।
- ५ परिस्थितियों के अध्ययन को महत्व ।

आगमन प्रणाली के दोष :—

- १ पक्षपात की सम्भावना ।
२. कठिन एवं जटिल कार्य ।
- ३ सर्वव्यापकता नहीं ।
- ४ सामान्यताओं की अवहेलना ।
- ५ अधिक समय और व्यय ।

(१) इस प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक होते हैं क्योंकि इस विधि में हम विशिष्ट तथ्यों की जांच करके निष्कर्ष निकालते हैं ।

(२) इस प्रणाली के द्वारा किसी मान्यता की सत्यता प्रयोग द्वारा सिद्ध की जा सकती है ।

(३) यह प्रणाली निगमन का आधार है । क्योंकि इस विधि के द्वारा उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है ।

(४) इस विधि में ऐतिहासिक घटनाओं एवं अनुभवों की सहायता ली जाती है । जिसमें व्यवहारिकता का गुण आ जाता है ।

(५) इस विधि में परिस्थितियों के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है जो कि निष्कर्ष के प्रभावित करती हैं ।

आगमन प्रणाली में अनेक दोष भी हैं जिनमें से मुख्य निम्न हैं —

(१) इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि अध्ययन क्षेत्र सीमित हो तो पक्षपात की अधिक सम्भावना होती है जिससे प्राप्त निष्कर्ष सामूहिक रूप से अमर्य हो सकते हैं।

(२) इस विधि द्वारा सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग करना एक कठिन एवं जटिल कार्य हो जाता है।

(३) इस विधि में प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक क्षेत्र में सत्य नहीं हो सकते।

(४) कभी-कभी इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष सामान्यताओं की अवहेलना करते हैं जिससे उनकी सत्यता पर शक हो जाती है।

(५) इस विधि में अध्ययन कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जिससे व्यय और समय अधिक लगता है।

निगमन एवं आगमन—दोनों की आवश्यकता

यह एक प्रश्न उठना है कि निगमन या आगमन प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिये? इसके विषय में सब अर्थशास्त्रियों का एक मत नहीं है कुछ निगमन के पक्ष में तो कुछ आगमन के और कुछ दोनों ही के मिश्रित प्रयोग के पक्ष में हैं।

आगमन अर्थशास्त्रियों (classical Economists) ने केवल निगमन प्रणाली का समर्थन किया था। लेकिन निगमन प्रणाली में अनेक दोष होने के कारण ऐतिहासिक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने (Historical school) इसी कड़ी आलोचना की और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए केवल आगमन प्रणाली का समर्थन किया। परन्तु हम देखते हैं कि आगमन प्रणाली भी दोष रहित नहीं है।

इसी कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि कोई भी रीति पूर्ण एवं दोष रहित नहीं है और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए किसी एक विधि पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। उनका मत है कि सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में निगमन और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में आगमन रीतियों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन में दोनों ही प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग होता है। वास्तव में देखा जाय तो आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों का उपयुक्त सामन्वय ही अर्थशास्त्र के अध्ययन की उचित विधि कही जा सकती है।

इस और सकेत करते हुए पैरेटो (Pareto) ने ठीक ही कहा है कि अध्ययन के विधि के विषय में नातन्वीत करना केवल समय समाप्त

करना है।" क्योंकि वह इस पक्ष में थे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दोनों ही विधियों का उचित प्रयोग आवश्यक है।

प्रो० वेगनर (Wagner) ने भी यही मत प्रगट किया है। उसने कहा कि "निगमन और आगमन प्रणालियों में से किसको चुना जाय, इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर यही हो सकता है कि दोनों को ग्रहण किया जाये।"

इसी मत में सहमत होने के कारण ही प्रो० शोमलर (Shomaller) ने कहा कि, "जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बांये दोनों पैरों की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन में आगमन तथा निगमन दोनों विधियों की आवश्यकता होती है।" डा० मार्शल ने भी दोनों विधियों के प्रयोग के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त वाक्य का प्रयोग किया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन में दोनों विधियों का उचित प्रयोग होना चाहिये।

अध्याय ६

अर्थशास्त्र का दूसरे शास्त्रों से सम्बन्ध

प्रश्न १२—क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ? अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये।

(Is Economics a social science ? Explain clearly the relation of Economics with other social sciences)

उत्तर—

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान (Economics as a social science)

सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य उस विज्ञान से है जो व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में करता है। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का इसी रूप में अध्ययन करते थे। आर्थिक कल्याणवादी अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, पीगू इत्यादि भी अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानते हैं। मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र उन्हीं व्यक्तियों की क्रियाओं

का अध्ययन करता है जो समाज में रहते हैं, जो समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों और विचारों से प्रभावित होते हैं और स्वयं अपने कार्यों और विचारों से समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरी विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिनमें प्रो० रॉबिंस प्रमुख हैं अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान (Human science) है और समाज में रहने और न रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से रॉबिन्सन क्लो जो फेला ही एक द्वीप पर रहता था, अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय है क्योंकि उसके और सामाजिक प्राणी के आचरण में कोई अन्तर नहीं है। प्रत्येक के साधन सीमित हैं और इसलिये प्रत्येक के सामने चुनाव की समस्या आती है। मत यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से रॉबिन्स का मत उपयुक्त है परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से मासल का मत ही माननीय है।

अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध (Relation of Economics with other social sciences):—

अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र — जो विद्या मनुष्य और समाज या मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करती है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के सभी व्यवहारों—धार्मिक, राजनीतिक, वैधानिक, प्राथमिक आदि का अध्ययन करता है जसकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिये अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का एक अङ्ग है। समाजशास्त्र की दृष्टि होने के कारण, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है कि अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु मनुष्य के धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक आदि विचारों का प्रभाव आर्थिक व अनार्थिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है और दोनों एक दूसरे से काफी सम्बन्धित हैं।

अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र — अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र दोनों ही समाजशास्त्र की शाखाएँ हैं इसलिए दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। बहुत से राजनीति के फार्य अर्थनीति से नियन्त्रित होते हैं, यदि देश में बेकारी फैली हुई है तो राजनीतिज्ञों का ध्यान इसी समस्या के निवारण पर कन्द्रित हो जाता है, वे एसी नीति अपनाते हैं जिससे कि देश के प्राकृतिक व मानवीय साधनों का बहुत तजी से विकास हो, और लोगों को काम मिले। अर्थशास्त्री भी इस समस्या को मुलभूत के लिये अपने सुझाव देते हैं जोकि राजनीतिज्ञों की नीति का आधार होते हैं। यदि देश में धन का वितरण असमान है तो राज्य धनिकों पर अधिक कर लगाकर

उम आय को निर्धनो के ऊपर अधिक व्यय करके, इस दोष को दूर करने का प्रयत्न करता है ।

किसी देश की धनोत्पत्ति व आर्थिक अवस्था पर उस देश की राजनैतिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है । यदि देश में शान्ति सुव्यवस्था और आर्थिक कार्यों में सरकार का सहयोग है, तो देश समृद्धिशाली, धनी व आर्थिक रूप से विकसित हो जायेगा । भारतवर्ष में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति राज्य के संरक्षण प्रदान करने के कारण ही है । यदि सरकार पूँजीपतियों के इशारे पर चलन वाली है तो धन का समान वितरण न हो पायगा और यदि साम्यवादी सरकार है तो धन का वितरण समान होगा और धनिकों द्वारा निर्धनो का शोषण भी नहीं होगा । साम्यवादी देशों में धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण पर राज्य का नियंत्रण होता है और जनतांत्रिक देशों में भी धनोत्पादन की क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण रहता है । भारत में 'आर्थिक नियोजन' इसी प्रकार का एक उदाहरण है । वर्तमान युग में तो अर्थशास्त्र और राजनीति का सम्बन्ध और भी बढ़ गया है । कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बन जाने के कारण राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है ।

साम्यवाद, समाजवाद, पूँजीवाद आदि अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों के ही अध्ययन विषय हैं । प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तो अर्थशास्त्र का नाम ही राजनैतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) रखा था ।

अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र — न्यायशास्त्र के अन्तर्गत हम देश के कानूनों का अध्ययन करते हैं । यह कहना है कि अमुक कार्य वैधानिक और अमुक कार्य अवैधानिक है । एक देश की आर्थिक समृद्धि पर उस देश के कानूनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है । यदि देश में कानून का राज्य है तो शांति और सुव्यवस्था होगी और देश का आर्थिक जीवन उन्नत होगा, किन्तु यदि कानून की अवज्ञा की जाती है तो धन, जन की सुरक्षा नहीं रहेगी, और देश में धनोत्पत्ति का उत्पादक कम हो जायेगा । भारतवर्ष में उत्तराधिकारों के नियम (Law of Imperitance) के कारण देश में शेतों के छोटे होने और बिखरे होने की समस्या उपस्थित हो गई है, जिससे देश की कृषि प्रतिदिन और अनाधिक होती जा रही है । पिता के मरने के उपरान्त, पैतृक सम्पत्ति समस्त पुत्रों में (प्रब लड़कियों में भी) बराबर-बराबर बाट दी जाती है परन्तु इससे देश में श्रेष्ठता का नियम (Law of Primogeniture) प्रचलित है जिसके कारण वहाँ की भूमि का काफी बड़ी-बड़ी है क्योंकि पैतृक सम्पत्ति का अधिकार केवल बड़े बेटे को ही है । इसी प्रकार अम

समठन एवं उद्योग समठन आदि सामयिक वैधानिक व्यवस्था पर ही निर्भर हैं।

आर्थिक दशाये भी देश के विधान को प्रभावित करती हैं। जैसे २२२२ की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है, नये-नये कानून बनाये जाते हैं और पुराने में संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं। भारतवर्ष में औद्योगीकरण के फलस्वरूप कई कारखानों और श्रम सम्बन्धी कानून बनाये गये हैं। जब व्यक्तियों की आय बढ़ जाती है तो राज्य नये २ कर लगा देता है। युद्धकाल में वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने बहुत से नियम बनाये जिसमें वस्तुओं का उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण नियंत्रित रखा गया।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र :—नीतिशास्त्र हमारे सामने आदर्श उपस्थित करता है। वह बतलाता है कि कौन-सा कार्य अच्छा है, कौन-सा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं, आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र के सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मजदूरों को कितना वेतन मिलना चाहिये, मूद की दर बढ़ा तक उचित है वस्तुओं का उचित मूल्य क्या है आदि। इन सबका उत्तर नैतिक दृष्टिकोण से देना आवश्यक है। यही नहीं, आदर्शों की प्राप्ति के लिये उचित उपाय बताना भी अर्थशास्त्री का काम है। गहन-महन का स्तर ऊंचा करने के लिये व्यक्ति को अपनी आय बढ़ानी चाहिए। अर्थशास्त्र यह नहीं कहता कि व्यक्ति को दूसरों का धन छीन कर या चोरी उकंती करके, अपनी आय बढ़ानी चाहिए बल्कि न्यायपूर्ण ढंग से परिश्रम करके।

आर्थिक परिस्थितियों का भी मनुष्य के नैतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है :—यदि देश में धनोत्पत्ति कम होती है और धन वितरण असमान है तो देश के निवासी दुखी होंगे, निधन और भूरे होंगे। ऐसे व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं रह सकता। चोरी, लूटमार करना बुरा नहीं समझेंगे। प्राचीन काल में व्याज लेना अनैतिक था क्योंकि उम्र समय की आर्थिक परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। व्यक्ति दुख और आपत्ति काल में उपभोग के लिये उधार लेते थे। उद्योग घटो का विकास न होने के कारण उत्पादन के लिए रूची नहीं ली जाती थी। दुख और आपत्तिकाल में सहायता करना व्यक्ति का कर्तव्य था अतः व्याज लेना अनुचित था।

अर्थशास्त्र और इतिहास :—अर्थशास्त्र और इतिहास में परस्पर बड़ा सम्बन्ध है। आर्थिक इतिहास में किसी देश की आर्थिक घटनाओं का क्रमपूर्वक

अध्ययन किया जाता है। यह ऐसी सामग्री प्रदान करता है जिसके आधार पर बहुत से आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, अनेकों आर्थिक सिद्धांतों की परीक्षा व पुष्टी की जाती है और उनमें सशोधन किये जाते हैं। जैसे माल्यस का जनसंख्या सिद्धांत, मुद्रा मात्रा सिद्धांत, मुद्रा प्रसार व संकुचन आदि। इतिहास के अध्ययन से भविष्य के लिये नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिये इतिहास में हमें पता चलता है कि आर्थिक संकट बार-बार आते हैं अतः उनके दूर के लिये पहले से ही उपाय काम में लाये जाते हैं।

अर्थशास्त्र और भूगोल :—भूगोल में 'मनुष्य' और उसके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे भूमि, जलवायु पशु, खनिज पदार्थ, जंगल आदि वहाँ के निवासियों की घनत्वता की प्रभावित करती हैं। जिस देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर और उत्तम प्रकार के पाये जाने हैं, वहाँ का आर्थिक जीवन उतना ही उच्च होता है, भौगोलिक दृष्टियों ही व्यक्तियों के मकान, खाना, वस्त्र, व्यवसाय आदि को निर्धारित करती हैं। यही कारण है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान के लिये, वहाँ के भूगोल का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अतः भूगोल और अर्थशास्त्र परस्पर सम्बन्धित हैं।

—०—

अध्याय ७

अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ एवं महत्व

प्रश्न १३—अर्थशास्त्र के अध्ययन से सैद्धांतिक और व्यवहारिक लाभों का उल्लेख कीजिए।

(Discuss the theoretical and practical advantages of the study of Economics)

उत्तर—

प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन दो उद्देश्यों से किया जाता है—एक ज्ञान प्राप्ति के लिये और उस दूसरे ज्ञान से दिन प्रतिदिन के जीवन में लाभ उठाने के लिए। अर्थशास्त्र भी एक ऐसा ही विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव कल्याण की

वृद्धि करना है। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन से सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही लाभ हैं।

सैद्धांतिक लाभ (Theoretical advantages) - अर्थशास्त्र के अध्ययन

अध्ययन से लाभ —

- १ सैद्धांतिक लाभ।
- २ व्यवहारिक लाभ —
 - (१) गृहस्वामियों को
 - (२) व्यापारियों को
 - (३) मजदूरों को
 - (४) राजनीतिज्ञों को
 - (५) समाज सुधारकों को

से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास और ज्ञान-दोष की वृद्धि होती है। आर्थिक नियमों के निर्माण में मुख्यतः 'निगमन' और 'आगमन' प्रणाली (Deductive and Inductive method) का प्रयोग होता है। निगमन प्रणाली से मनुष्य की तर्क-शक्ति बढ़ती है और आगमन प्रणाली से उसकी निरीक्षण या अवलोकन शक्ति

बढ़ती है। अर्थशास्त्र का अध्ययन एक मानसिक व्यायाम का काम करता है। इसके अध्ययन से मनुष्य में छाँट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। समस्त आवश्यकताओं में से उनके सापेक्षिक महत्त्व को तुलना करके मनुष्य कुछ अति आवश्यक आवश्यकताएँ छाँट लेता है और उन्हीं की सतुष्टि करता है व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सम्पत्ति के उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण सम्बन्धी सिद्धांत क्या हैं आदि।

व्यवहारिक लाभ (Practical advantages) - अर्थशास्त्र के अध्ययन के सिद्धांतिक लाभ ही नहीं हैं बल्कि दैनिक जीवन में इससे मनुष्य को अपनी प्राप्ति स्थिति सुधारने में बहुत सहायता मिलती है "अर्थशास्त्र के अध्ययन में ज्ञान की नहीं बल्कि फल की आशा हमारा ध्यान आकर्षित करती है" इसका अर्थव्यवहारिक जीवन रूपी जलयान के लिये लाइट हाउस है। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से निम्न लाभ होते हैं —

गृहस्वामी को लाभ :— प्रत्येक गृहस्थी अपनी सीमित आय से अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अर्थशास्त्र का समीचीन उपयोगिता नियम इस उद्देश्य प्राप्ति में उसकी मदद करता है। परिवारिक बजटों का अध्ययन से वह अपनी आवश्यकताओं को जान नेता है और अपने व्यय को व्यवस्थित कर लेता है। बिना बजट बनाये वह अपने व्यय को अनावश्यक पदार्थों पर व्यय कर डालता है और कितनी ही आवश्यक आवश्यकताएँ सतुष्टि रह जाती हैं। परिवारिक बजट उसको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यय करने में सहायक होते हैं। गृहस्वामी वर्तमान और भविष्य की आवश्यक-

ताओं पर व्यय की उपयोगिताओं की तुलना करके यह निश्चय करता है कि उसे कितनी रकम खर्चानी चाहिये और कितनी व्यय करनी चाहिये। अर्थशास्त्र का अध्ययन उसको यह बतलाता है कि अमुक वस्तु का मूल्य कितना देना चाहिये। वस्तु का मूल्य उसकी सीमाना उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता। अतः गृहस्त्री के लिये अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यन्त लाभदायक है।

व्यापारियों को लाभ — यह कहा जाता है कि 'अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसकी कला का नाम व्यवसाय है'। अतः कोई भी व्यापारी अर्थशास्त्र के ज्ञान के बगैर एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता। बहुत सी व्यापारिक समस्याओं को हल बिना आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञान के नहीं हो सकता। प्रतिस्थापन के नियम (Law of substitution) के अध्ययन से वह साधनों का उपयोग इस प्रकार कर लेता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। देशी व विदेशी उद्योगों की मांग, विदेशी उत्पादन-कर्ताओं की प्रतियोगिता, राज्य की नीति आदि के अनुसार ही वह अपना उत्पादन करता है। उसको अपना उद्योग कहीं स्थापित करना चाहिए साधनों को कहा-कहा से जुगना चाहिए आदि समस्याओं का हल अर्थशास्त्र के अध्ययन से मिलता है। उत्पत्ति के साधनों की उनकी सेवाओं का पुरस्कार लगाना, मजदूरी व्याज आदि किस आधार पर दिया जाये, श्रम-विभाजन उत्पत्ति का पैमाना, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप, द्रव्य साख प्रणाली आदि बातों का उत्तर अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। वस्तु का मूल्य निर्धारण, बाजारों की छांट, यान्त्रिक के साधनों की छांट आदि सब ही अर्थशास्त्र के अध्ययन से सम्बन्धित हैं। अतः अर्थशास्त्र व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिये भी महत्वपूर्ण है।

मजदूरों को लाभ :— मजदूरी क्या है ? यह कैसे निर्धारित होती है ? क्या उनकी मजदूरी उचित है ? मजदूरी में वृद्धि कैसे की जा सकती है ? आदि बातों का ज्ञान श्रमिकों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही होता है। मजदूर इस बात का महत्त्व समझ जाते हैं कि कामक्षमता में वृद्धि करके मजदूरी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। मजदूरी बढ़ाने के लिये गलत तरीकों का प्रयोग नहीं होगा और मजदूर व मिन मालिकों के संघर्ष कम हो जाते हैं। परिवारिक बजट बना कर श्रमिक वर्ग अपने पैसों का उपयोग उचित प्रकार से करन में सफल हो जाते हैं और हानिकारक पदार्थों का सेवन त्याग कर, आवश्यक पदार्थों का सेवन प्राप्त कर सकते हैं।

राजनीतिज्ञों को लाभ — अर्थशास्त्र के अध्ययन से राजनीतिज्ञों का

देश की आर्थिक समस्याओं, उनके कारण और हाल का ज्ञान हो जाता है। आर्थिक तथा राजनैतिक समस्याओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वर्तमान युग में राज्य का उद्देश्य समाज में शान्ति, सुरक्षा व सुव्यवस्था स्थापित करना ही नहीं बल्कि एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना है। देश में धन के वितरण की असमानता को कैसे दूर किया जाय, देश के लिये एक उचित कर प्रणाली क्या होनी चाहिए, किन-किन पर कर लगाया जाय और किन-किन पर नहीं, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं आदि बातों का उत्तर अर्थशास्त्र के अध्ययन में ही प्राप्त होता है। वर्तमान युग योजना वद्ध आर्थिक विकास का युग है। योजना के निर्माण में, उसके लिये धन जुटाने, व साधनों के मितव्ययतापूर्ण प्रयोग के लिये, अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। यही कारण है कि प्रत्येक सरकार आर्थिक सलाहकार या आर्थिक सलाहकार भूमितिवा नियुक्त करती है जो उनको उनकी नीति निर्माण में उचित सलाह प्रदान करते हैं।

समाज सुधारको को लाभ :—अर्थशास्त्र का उद्देश्य समाज कल्याण में वृद्धि करना है। अतः समाजसुधारको के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अति-आवश्यक है क्योंकि इसके अध्ययन से ऐसे उपायों का ज्ञान हो जाता है जो सामाजिक दोषों को दूर करके, आर्थिक कल्याण की वृद्धि कर सकते हैं। बेकारी, गरीबी, बढ़ती हुई जनसंख्या, दहेज प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, बाल विवाह, स्त्री और बाल मृत्यु संख्या इत्यादि सामाजिक-आर्थिक (Social-economic) समस्याओं के कारण समझाने, और हल करने में अर्थशास्त्र के अध्ययन की अति आवश्यकता है।

—०—

प्रश्न १४—व्यवहारिक जीवन में अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ होता है? भारतवर्ष में अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिये।

(Discuss the utility of the study of economics in practical life. Why is the study of economics useful in India?)

उत्तर—

प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न १३ का उत्तर पढ़िये।

भारतवर्ष और अर्थशास्त्र का अध्ययन :—

भारतवर्ष में अर्थशास्त्र के अध्ययन का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे देश में कुछ ऐसी आधारभूत समस्याएँ हैं जिनके कारणों और उपायों पर

अर्थशास्त्र प्रकाश डालता है। हमारा देश पिछड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय कम है, लोग गरीब हैं, कुछ साधनों का शोषण तो हुआ ही नहीं है और कुछों का बहुत ही कम हुआ है। अभी तक भारत जैसे वृषि प्रधान देश में वृषि सम्बन्धी समस्याएँ ही हल नहीं हो पाई हैं। हमारी खेती पिछड़ी हुई है। यहाँ खेत बिल्हारे हुये और छोटे-छोटे हैं, मिचवाई, बीज, खाद आदि की कमी है, किसान आधे समय ठाली रहते हैं। देश का औद्योगीकरण बहुत ही सीमित है। द्वितीय युद्ध के बाद से ही कुछ उद्योगों का देश में प्रादुर्भाव हुआ है, अब भी हम अनेकों वस्तुओं के लिये विदेशी उद्योगपतियों पर निर्भर हैं करोड़ों की सम्पत्ति देश से बाहर प्रतिवर्ष चली जा रही है। देश के कुटीर उद्योग घड़े जो किसी समय बहुत ही प्रसिद्ध थे आज पतन को पहुँच गये हैं उनको पुर्नजीवित करने की समस्या है। देश में यातायात के साधन पिछड़े हुये हैं। जन-सख्या और बेकारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खाद्य समस्या हमारे सामने मुह फाड़े खड़ी रहती है। प्रतिवर्ष १०० करोड़ ६० का अन्न विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं के समझने और सुलभाने के लिये अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। भारत में अनेकों सामाजिक कुरीतियाँ हैं अर्थशास्त्र उनके कारणों और आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करता है और उनको दूर करने का उपाय बताता है। भारत सरकार योजना-बद्ध तरीके (Planned way) से देश का आर्थिक विकास कर रही है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सफलता के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक है।

—०—

अध्याय ८

आर्थिक जीवन का विकास

✓ प्रश्न १५—आदिकाल से अब तक विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा आर्थिक जीवन का जो विकास हुआ है उसका वर्णन कीजिये और प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में बताइये।

(Trace the development of economic life through the various stages from the earliest to the modern times, giving briefly the characteristics of each stage of development.)

उत्तर—

जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब से उसके जीवन में बड़े २ परिवर्तन हुये हैं और उसने बहुत उन्नति कर ली है। मनुष्य के जीवन का विकास जिन-जिन आर्थिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है, अर्थशास्त्र में इन विभिन्न अवस्थाओं को हम 'आर्थिक जीवन' के विकास की अवस्थाएँ कहते हैं ये अवस्थाएँ निम्न हैं .—

- १ शिकारी अवस्था (Hunting stage)
- २ चरागाह अवस्था (Pastoral stage.)
- ३ कृषि अवस्था (Agriculture stage.)
- ४ कारीगरी या दस्तकारी अवस्था (Handicraft stage.)
- ५ औद्योगिक अवस्था (Industrial stage.)

(१) शिकारी अवस्था :—आर्थिक जीवन के विकास की प्रथम अवस्था में मनुष्य प्रकृति का दास था। उसकी आवश्यकताएँ सीमित थी। जिनको वह स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ही मनुष्य बन लेता था। ज्योंही उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती वह स्वयं उसको उत्पन्न करता था। मनुष्य स्वावलम्बी और आत्म-निर्भर था। उसकी मुख्य आवश्यकताएँ खाना, कपड़ा और मकान की ही थी। खाने के लिये वह जंगल में शिकार कर लेता था और जो फल आदि मिल जाते उन्हीं पर जीवन निर्वाह कर लेता था। शरीर को ढकने के लिये पेड़ की छाल या जानवरों की खाल का प्रयोग करता था। रहने के लिये पेड़ों की डाल और गुफाएँ थी। शिकार के अभाव में आदमी २ को भी मार कर खा जाते थे।

जीवन स्थायी नहीं था। शिकार की तलाश में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। इसलिये जनसंख्या बहुत सीमित थी। निजी सम्पत्ति का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। केवल शिकार करने के हथियारों को छाटकर उनके पास निजी सम्पत्ति कहने के लिये कुछ नहीं थी। जीवन बहुत ही मोघा साधा था। विनिमय का उदय अभी नहीं हुआ था।

(२) चरागाह अवस्था :—धीरे-धीरे मनुष्यों ने पशुओं की उपयोगिता को समझा। इस युग में पशुओं को मारने के बजाय उनको पाला जाने लगा। मनुष्य ने देखा कि वे पीने के लिये दूध, पहनने के लिये ऊन और गाल और घूमने और लडने के लिये सवारी दे सकते हैं और आवश्यकता पडने पर मार कर खाये भी जा सकते हैं। मनुष्य जानवरों के लिये घास की तलाश में घूमा करते थे और जहाँ चरागाह मिल जाते वही वे रहने लगते

और घास समाप्त हो जाने पर फिर चल पड़ने थे। अतः जीवन अगतः स्थाई था।

भोजन आसानी से मिलने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। चरागाहों के लिये आपस में युद्ध होते थे। विजेताओं का विजितों, उनके पशुओं और चरागाहों पर अधिकार हो जाता था। वदी व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। आखेट युग की अपेक्षा इस अवस्था में निजी सम्पत्ति की भावना अधिक विस्तृत हुई। पशुओं, अस्त्रों व दासों पर निजी अधिकार था। भूमि अभी भी सामूहिक सम्पत्ति समझी जाती थी। मनुष्य स्वावलम्बी थे और विनिमय का उदय अभी नहीं हुआ था।

(३) कृषि अवस्था :—इस युग में मनुष्य भूमि पर खेती बाड़ी करने लगे और उनका जीवन अधिक स्थायी भी हो गया क्योंकि कृषि द्वारा स्वयं के लिये अन्न और पशुओं के लिये चारा उत्पन्न किया जाने लगा। खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना समाप्त हो गया। मनुष्य के पास अवकाश अधिक होने और खेतों की देखभाल की आवश्यकता के कारण वे मकान बनाकर अपने परिवारों के साथ रहने लगे। जनसंख्या में वृद्धि हुई। लोग एक जगह मिलकर गाँव बनाकर रहने लगे। वे अब भी आवश्यकताओं की सख चीजें गाँव में बनाने लग और जिन वस्तुओं का पैदा नहीं करते थे उनको वे बदल बदल के द्वारा ले लेते थे। मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। गाँव आत्म निर्भर थे परन्तु कुछ वस्तुएँ जैसे नमक, लोहा, सुई इत्यादि बाहर से मगाई जाती थी। दासों को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझा जाता था और उनका क्रय-विक्रय जानवरों की भाँति होता था।

(४) कारीगरी या दस्तकारी अवस्था :—ज्ञान और अवकाश वृद्धि के कारण मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गईं। नई आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के प्रयास किये गये। सर्वप्रथम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की छोटी-२ वस्तुएँ बनाना शुरू किया गया। छुरी, चाकू, नावें, हल, गाड़ी कपडा, बरतन आदि बनाने के व्यवसाय खुले। प्रत्येक व्यक्ति उसी व्यवसाय को अपनाते लगा जिस कार्य में वह अधिक कुशल था। इस प्रकार विशिष्टीकरण (Specialisation) का प्रादुर्भाव हुआ। विशिष्टीकरण के साथ साथ विनिमय का भी शीघ्रगौरव हुआ। प्रारम्भ में एक वस्तु दूसरी वस्तु से बदल ली जाती थी परन्तु बाद में वस्तु परिवर्तन प्रथा की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ और विनिमय क्रय विक्रय के रूप में होने लगा।

दस्तकार समस्त कच्चा माल पूंजी व औजार इत्यादि तैयार वस्तु के बेचने का स्वयं ही प्रबन्ध करता था। इस अवस्था में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था।

(५) औद्योगिक अवस्था :— अभी तक उत्पादन खय निमित छोटा २ छोजारो मे होता था, धीरे-धीरे मशीनो का आविष्कार हुआ जिनको पानी, भाप और बिजली से चनाया जाने लगा । इगर्नेड की औद्योगिक क्रांति ने समाज के आर्थिक ढांचे का रूप ही बदल डाला । बड़ी-बड़ी मशीनो द्वारा दस्तकार के घर मे उत्पादन नहीं हो सकता था । अतः उत्पादन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियो मे शुरू किया गया । पूजी का महत्व बढ़ गया । मशीनो द्वारा दम्पुयें कम लागत और कम समय मे बनने लगी । दस्तकार लोग इनकी प्रतियोगिता मे न ठहर सके । अपन उद्योगो को बंद करके वे कारखाना मे श्रमिकों के रूप मे कार्य करने लगे ।

उत्पादन का पैमाना वृद्ध हो गया । व्यापार की उन्नति हुई और याता यात व मदेशवाहन के माधन, बैंक व बीमा कम्पनियो की मुनिषाओ का विकास हुआ । समाज दो वर्गो मे बंट गया—पूजीपति और श्रमिक । श्रमिको का शोषण होने लगा और इस प्रकार वर्ग संघर्ष बढ गया जो कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली का मुख्य अंग है । मशीनो के प्रयोग न बेकारी को बढा दिया । ज्ञानक शक्ति और विशाल यन्त्रों के प्रयोग ने आज मनुष्य को प्रकृति के दाम से निर्यामक के पद को पहुँचा दिया है । मनुष्य ने दूरी को जीत लिया है । विश्व के दो कोनो मे बँडे हुए व्यक्ति आपस मे एने बात कर लेते हैं जैग कि वे दो कमरो मे बँडे हो ।

—०—

अध्याय ६

भारतीय आर्थिक जीवन

प्रश्न १६— भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक संस्थाओ का वर्णन कीजियेगा ।

(Explain those social institutions that affected the economic development of India.)

उत्तर—

भारत मे महा मे ही धर्म का स्थान प्रमुख रहा है और इसी कारण से धर्म ने भारतीय सामाजिक मस्याओं तथा आर्थिक त्रियाओ को प्रभावित किया है । भारतीय सामाजिक मस्याओ मे जानि प्रथा, सयुक्त परिवार प्रथा तथा उत्तराधिकार के नियम प्रमुख हैं । इन मस्याओ ने भारतीय आर्थिक विकास को परवधित प्रभावित किया है । जिनका अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे ।

जाति प्रथा :—भारत में जाति प्रथा के अनुसार आर्यों ने चार जातियाँ मानी—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । यह विभाजन पहले कार्यों के अनुसार किया गया । परन्तु बाद में यह जन्म के अनुसार माना जाने लगा । जाति प्रथा ने भारतीय आर्थिक विकास को अत्यधिक प्रभावित किया । इस प्रथा से श्रम विभाजन द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ समाज को प्राप्त हुए तथा प्रत्येक क्षेत्र में विनिष्ठीकरण का विकास हुआ जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई तथा उनके वक्चों ने अपने पिता के व्यवसाय को आसानी से सीखा । जाति प्रथा के इन लाभों के साथ साथ समाज को बहुत अधिक हानि भी हुई है । इसी प्रथा के कारण ही व्यक्तियों को अपनी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार पेशा चुनने में बाधा हुई है । तथा शूद्रों का समाज के अन्य वर्गों द्वारा अत्यधिक शोषण हुआ है । इसी जाति-प्रथा के कारण कभी-कभी किसी वर्ग विशेष में व्यवसाय का एकाधिकार स्थापित हो जाता है जिसमें उनकी कार्यकुशलता कम होती चली जाती है तथा पैतृक धन की प्रथा से व्यक्तियों में नए व्यवसाय के प्रति साहस व रुचि भी समाप्त हो जाती है । इन दोषों के कारण ही समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर गया जिन्होंने समाज में जाति प्रथा का समाप्त करने का प्रयत्न किया । उन समाज सुधारकों में महात्मा गान्धी का नाम प्रमुख है ।

संयुक्त परिवार प्रथा —जब एक पिता के सभी पुत्र तथा उनके परिवार सम्मिलित रूप में रहते, खाने और कमाते हैं तो इस प्रथा को संयुक्त परिवार प्रथा कहते हैं । यह प्रथा भारत की एक विशेषता है क्योंकि ऐसे परिवार पाश्चात्य देशों में नहीं पाये जाते हैं । इस प्रथा ने भी भारत के आर्थिक विकास को अधिक प्रभावित किया है । इस प्रथा के अनुसार परिवार का वयावृद्ध व्यक्ति परिवार की देख-भाल करता है तथा धन के उचित व्यय की व्यवस्था करता है । साथ ही वह धन के बचन की ओर भी ध्यान रखता है । इस प्रथा से यह भी लाभ है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो पाते हैं । इन लाभों के साथ-साथ इस प्रथा से अनेक दोष भी हैं । प्रथम संयुक्त परिवार प्रथा में जब कुछ व्यक्ति कमाने लगते हैं तो अन्य व्यक्ति लापरवाह तथा आलसी हो जाते हैं तथा जब परिवार का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो धन का व्यय अधिक बढ़ जाता है जिससे धन संचय करना कठिन हो जाता है । इन सबका परिणाम यह है कि इन में अनाल्पति में बाधाएँ पैदा हो जाती हैं । दूसरे इस प्रथा के कारण ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को कार्य करने के लिए नहीं जाता है जिससे श्रमिकों की गतिशीलता कम हो जाती है । परन्तु अब शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता के विस्तार के कारण परिवार की

दत्ता व्यक्तिवादी ढंग की ओर होती जा रही है तथा श्रमिकों में स्थान की गतिशीलता भी बढ़ रही है।

उत्तराधिकार के नियम — भारत में हिन्दुओं के उत्तराधिकार के दो प्रमुख नियम हैं — (१) मिताक्षर नियम तथा (२) दाय भाग नियम। मिताक्षर नियम भारत में बंगाल को छोड़कर सभी भाग में प्रचलित है। इस नियम के अनुसार पूर्वजों की सम्पत्ति में पिता और पुत्र का समान अधिकार होता है। पिता पिता पुत्र की राय के सम्पत्ति को नहीं बेच सकता है तथा यदि पुत्र चाहे तो सम्पत्ति का बटवारा पिता के जीवन काल में करा सकता है परन्तु पिता द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर यह नियम लागू नहीं होता है। हमारे दायभाग नियम केवल बंगाल में ही लागू होता है। इस नियम के अनुसार पिता बिना पुत्र की राय के सम्पत्ति का बच सकता है तथा सम्पत्ति का बटवारा केवल पिता की मृत्यु के बाद ही होता है। इन नियमों का महत्व इसलिए अधिक है कि इन नियमों ने समाज में धन के वितरण को समान बाने का प्रयत्न किया है किन्तु इस नाम के साथ साथ इन नियमों से हानियाँ भी हुई हैं। प्रथम भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते चले जा रहे हैं जिससे कृषि कार्य में बाधा पहुँची है तथा दूसरे धन संचय में रूकावट पैदा होती है। शीघ्र ही में भारत में हिन्दू उत्तराधिकार नियम के पास हो जाने से भविष्य में उडकियों को भी मुसलमानों के समान पिता की सम्पत्ति में स हिस्सा मिलना करेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति-प्रथा सयुक्तपरिवार प्रथा तथा उत्तराधिकार के नियमों आदि सामाजिक मरुथाओं ने भारतीय आर्थिक विकास की दशा को अत्यधिक प्रभावित किया है।

अध्याय १०

महत्वपूर्ण परिभाषायें

प्रश्न १७—उपयोगिता (Utility) अर्घ (Value) कीमत (Price) और वस्तु (Goods) पर संक्षिप्त लिपि-लिखिए।

(Write short notes on Utility, Value, Price and Goods)

उत्तर—

उपयोगिता (Utility)—साधारण भाषा में उपयोगिता का अर्थ लाभ-दायकता से लगाया जाता है। हम उसी वस्तु को उपयोगी मानते हैं जो हमारे लिये लाभप्रद हो। उदाहरण दूध को उपयोगी और शराब को अनुपयोगी या हानिप्रद कहा जाता है। परन्तु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का लाभप्रदता (Usefulness) से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकता है और वह उस वस्तु का प्रयोग करके उसको सन्तुष्ट कर सकता है। किसी वस्तु के इसी गुण को जिसके कारण वह एक मानवीय आवश्यकता को सन्तुष्ट करती है, उपयोगिता कहते हैं। अतः किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को पूर्ण करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। इस अर्थ में दूध और शराब दोनों में उपयोगिता है क्योंकि दोनों वस्तुयें अलग अलग व्यक्तियों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं यह बात सत्य है कि दूध पीने वाले व्यक्ति के लिए जो शराब का सेवन नहीं करता, शराब की कोई उपयोगिता नहीं होगी, इसी प्रकार एक शराबी के लिये जो दूध का आदो नहीं है, दूध की कोई उपयोगिता नहीं होगी। उपयोगिता का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि उपयोगिता केवल वस्तु का ही गुण है। परन्तु एसी धारणा गलत है। उपयोगिता किसी वस्तु का भीतरी गुण नहीं है वह मनुष्य की आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है। उपयोगिता वस्तु के प्रति आवश्यकता वाले मनुष्य के मन में होती है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता है पर प्यास मिट जाने के बाद पानी की उसके लिये कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उपयोगिता आवश्यकता की प्रबलता (Intensity of Want) पर निर्भर करती है। जितनी अधिक तीव्र किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक उस वस्तु की उपयोगिता होती है। अतः उपयोगिता ध्वस्तित्त होता है। इन्हीं प्रकार एक वस्तु की उपयोगिता एक समय पर हो सकती है और दूसरे समय पर कुछ और।

उपयोगिता का माप — इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। डा० एलन और प्रो० हिकस के अनुसार यह अमापनीय है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। परन्तु डा० मार्शल और उनके अनुयाईया के अनुसार यह मापनीय है। उपयोगिता का मापदण्ड (Measuring rod) द्रव्य है।

एक ही वस्तु के लिए एक ही समय दो व्यक्ति मूल्य देने हैं तो अधिक व्यय देने वाले व्यक्ति को उम वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है और यह उन व्ययों के बराबर है जो वह भुगत करता है ।

मूल्य, या अर्थ (Value) — अर्थ या मूल्य शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है — (i) उपयोगिता मूल्य (Value-in-use) और (ii) विनिमय मूल्य (Value-in-exchange) । प्रथम से हमारा तात्पर्य उपयोगिता से है, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है । दूसरे से हमारा अर्थ वस्तु या सेवा के उम गुण से है जिसके कारण यह अन्य वस्तुओं या सेवाओं अपने बदले में प्राप्त करती है । विनिमय मूल्य को ही वर्तमान समय में अर्थ या मूल्य कहते हैं ।

यदि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के बदले में लेने या खरीदने की शक्ति को ही अर्थ कहते हैं । (Value in the power of a commodity to command other commodities in exchange for itself) यदि एक सेर दूध के बदले एक सेर गेहूँ प्राप्त किया जाता है तो एक सेर दूध का मूल्य एक सेर गेहूँ हुआ अथवा एक सेर गेहूँ का मूल्य एक सेर दूध हुआ । मूल्य भी उपयोगिता की भाँति एक सापेक्षिक भाव है, यह किसी विशेष परिस्थितियों में दो वस्तुओं या सेवाओं के बीच के सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है ।

किसी वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा तभी प्राप्त की जा सकती है जब वस्तुओं में निम्न तीन गुण हों — (१) उपयोगिता, (२) दुर्लभता और (३) स्वामित्व परिवर्तनशीलता । सूरज की रोशनी, चाँद की चाँदनी, ठंडी हवा आदि हमारे लिये बड़ी उपयोगी हैं पर इसका अर्थ नहीं होता क्योंकि यह अपरिमित मात्रा में उपलब्ध होती है और इनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है । इसी प्रकार नदी के किनारे वाला या पानी का अर्थ नहीं होता — परन्तु नहरों में डबी वाला और पानी में अर्थ उत्पन्न हो जाता है ।

कीमत (Price) — जब किसी वस्तु या सेवा के विनिमय मूल्य को अन्य वस्तुओं या सेवाओं में प्रगट न करके मुद्रा में प्रगट किया जाता है तो उसे कीमत कहते हैं । एक सेर दूध का अर्थ एक सेर गेहूँ न कह कर रुपये में व्यक्त किया जाय तो वह कीमत कहलायेगी । जैसे एक कलम की कीमत तीन रुपये । यद्यपि साधारणतया हम कीमत और मूल्य में कोई अन्तर नहीं करते परन्तु अर्थशास्त्र में इन दोनों शब्दों का अलग-अलग अर्थ है ।

वस्तु या माल (Goods) :—समस्त भौतिक वस्तुओं तथा अभौतिक जो

मानवीय आवश्यकताओं को सतुष्ट करती हैं, माल, वस्तु या पदार्थ कहलाती हैं। डा० मार्शल के अनुसार 'पदार्थ वे वस्तुयें हैं जो इच्छित हैं तथा जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं' (Goods are all desirable things, all things that satisfy human events - Marshall) साधारण बोल-चाल में तो माल शब्द का प्रयोग केवल भौतिक वस्तुओं के लिये ही करते हैं पर अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग अधिक व्यापक है। अभौतिक वस्तुयें भी जिन्हें हम देख अथवा स्पर्श नहीं कर सकते, अगर वे मानवीय आवश्यकताओं को सतुष्ट करती हैं, तो माल की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती हैं जैसे प्रेम, मित्रता, व्यवहार की स्याति इत्यादि क्योंकि इनमें भी कोई न कोई आवश्यकता सतुष्ट होती है।

वैसे तो माल के कितने ही प्रकार हैं पर आर्थिक दृष्टि में आर्थिक माल (Economic Goods) और अनार्थिक या मुफ्त माल (Uneconomic or free Goods) अधिक महत्वपूर्ण हैं। जिन वस्तुओं के प्राप्त करने में न तो व्यक्ति को कोई परिश्रम ही करना पड़ता है और न उसकी कोई कीमत ही देनी पड़ती है, मुफ्त माल कहते हैं, ऐसी वस्तुयें असीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, वायु इत्यादि। इसके विपरीत स्वल्प वस्तुओं को जिनके प्राप्त करने में परिश्रम करना या कीमत देनी पड़ती है, आर्थिक माल कहते हैं जैसे मकान, भेड़, कुर्सी इत्यादि। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि स्वल्पता (Scarcity) से हमारा अर्थ किसी वस्तु की माग की अपेक्षा कम होना है। अगर कोई वस्तु अपार मात्रा में मिलती है पर उसकी माग काफी है तो उसकी स्वल्प ही कहा जायगा जैसे गेहूँ, कोयला आदि। मानवीय परिश्रम लगने से मुफ्त पदार्थ, आर्थिक पदार्थ बन जाते हैं। उदाहरणार्थ नदियों के किनारे रेत मुफ्त पदार्थ है पर अगर इसकी शहरों में लाकर बेचा जाय तो यही रेत आर्थिक पदार्थ हो जायगा।

— —

प्रश्न १८—धन की परिभाषा दीजिये और धन और मानव-कल्याण में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। क्या निम्नलिखित धन हैं :—

(अ) बी० ए० की डिग्री, (ब) कार्पो-राईट, (स) गवैये का स्वर (द) रेत।

(Define Wealth and give out the relation between wealth and human Welfare Are following Wealth :—

(a) B. A. Degree, (b) Copy-right, (c) Voice of a Musician, (d) Sand.)

उत्तर—

माधारण भाषा में 'धन' शब्द का अर्थ रपया पैसा या द्रव्य तक ही सीमित होता है परन्तु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। आजकल रपया-पैसा ही धन नहीं है, बरन मकान, भूमि, कम्पनी, के हिस्से आदि मत्र ही धन के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं। "आर्थिक माल का दूसरा नाम ही धन है" (All economic goods are wealth) अर्थात् वे ममस्त वस्तुयें जिनमें अर्थ या मूल्य होता है और जिनका विनिमय अथवा क्रय-विक्रय हो सकता है, धन या सम्पत्ति कहलानी है। वायु, प्रकाश आदि यद्यपि मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है परन्तु क्योंकि उनकी पूर्ति अपरिमित है, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनको खरीदा-बेचा नहीं जा सकता, यह धन के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

धन के लक्षण (Characteristics of Wealth) —

धन कहलाने के लिए किसी वस्तु में निम्न तीन गुणों का होना आवश्यक है :—

(१) उपयोगिता — अगर किसी पदार्थ में उपयोगिता अर्थात् मान-

<p>धन के लक्षण :—</p> <p>२ उपयोगिता।</p> <p>२. दुर्लभता।</p> <p>३ विनिमय साध्यता।</p> <p>धन का वर्गीकरण :—</p> <p>१ व्यक्तिगत धन।</p> <p>२ सामाजिक धन।</p> <p>३. राष्ट्रीय धन।</p> <p>४ अन्तर्राष्ट्रीय धन।</p>	<p>वीय आवश्यकता को अनुष्ठ करने की क्षमता नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति उसको खरीदने की तैयार नहीं होगा। उसके बदले में अन्य कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं हो सकती और उसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा इसलिये ऐसी वस्तु धन के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकती।</p>
---	--

(२) दुर्लभता — धन कहलाने

वाली वस्तु दुर्लभ होती है। अगर वे अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है तो उनको धन के अन्तर्गत नहीं माना जा सकेगा, जैसे हवा, धूप इत्यादि। नदियों के पाम पानी की पूर्ति माग की अपेक्षा अधिक है, इसलिये बड़ा धन का क्रय-विक्रय नहीं होना अर्थात्, नदियों के किनारे पानी धन नहीं है परन्तु बड़े-बड़े शहरों के किनारे पानी की बनी होती है और पानी के लिये पैसा लिया जाता है। शहरों में पानी का मूल्य है इसलिये शहरों में पानी धन है।

सूय की रोशनी, हवा इत्यादि यद्यपि काफी उपयोगी हैं पर धन नहीं क्योंकि वे दुर्लभ नहीं है और इन्हे मनचाही मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं ।

विनिमय साध्यता — एक वस्तु को धन की श्रेणी में लम्बी रख सकते हैं जब उसका स्वामित्व बदला जा सकता है, अर्थात् विनिमय द्वारा उसके अधिकार को बदला जा सके । जिस वस्तु का स्वामित्व नहीं बदल सकता उसके लिये कोई भी व्यक्ति पैसा देने को तैयार नहीं होगा चाहे उसमें कितनी ही उपयोगिता क्यों न हो और चाहे कितनी ही दुर्लभता क्या न हो । ऐसी वस्तुओं में विनिमय साध्यता का गुण नहीं होता । हवा और रोशनी अत्यन्त उपयोगी हैं किन्तु उनका स्वामित्व नहीं बदल सकते । इसी प्रकार व्यक्ति के निजी गुण जो दुर्लभ हैं, हस्तांतरित नहीं किये जा सकते । अतः ये धन नहीं हैं । विनिमय-साध्यता अथवा स्वामित्व-शीलता धन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं में से हैं । इसलिये कहा जाता है कि “समस्त विनिमय साध्य वस्तुमें धन हैं” (All exchangeable goods are wealth)

धन का वर्गीकरण — प्रो० मार्शल ने सम्पत्ति को चार भागों में बाटा है —

(अ) **व्यक्तिगत धन (Personal Wealth)** — इसके अन्तर्गत वे सब भौतिक और वास्तव्य अर्थात् वस्तुयों सम्मिलित हैं जिन पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो । कुछ अर्थशास्त्री व्यक्तिगत गुणों को जैसे डाक्टर की कुशलता गर्वये का कठ, आदि व्यक्तिगत धन मानते हैं यद्यपि इन गुणों में विनिमय साध्यता अर्थात् खरीदे या बेचे जाने की योग्यता विद्यमान नहीं होती है ।

(ब) **सामाजिक धन (Social Wealth)** — जिस धन पर किसी मन्था या समाज का सामूहिक अधिकार हो अर्थात् जो उनके समस्त सदस्यों की सम्मिलित सम्पत्ति हो उसे सामाजिक धन कहते हैं । तालाब, पुल, सड़कें मार्गजनिक पुस्तकालय आदि इसके उदाहरण हैं ।

(ग) **राष्ट्रीय धन (National Wealth)** — राष्ट्रीय धन का एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है । इसके अन्तर्गत राष्ट्र के समस्त निवासियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, राष्ट्र का सामूहिक धन, देश की जलवायु, स्थिति, खनिज पदार्थ और देशवासीयों के नैतिक गुणों का समावेश किया जाता है ।

(द) **अन्तर्राष्ट्रीय धन (Cosmopolitan Wealth)** — इस धन में हम मसाल के समस्त राष्ट्रों के धन को शामिल करते हैं और उस धन को भी

शामिल करते हैं जो सब राष्ट्रों को सामान्य रूप में प्राप्त हैं जैसे महासागर, वैज्ञानिक ज्ञान व आविष्कार आदि ।

धन एवं मानव कल्याण

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को माध्य (end) मानकर अध्ययन किया परन्तु आजकल धन मानव-कल्याण वृद्धि का एक साधन (Means) मानकर अध्ययन किया जाता है । धन में मानव जाति का कुशल-क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है । जो राष्ट्र अधिक धनोपाजन कर रहे है उनको ही अधिक प्रगति-शील, सम्य और सुखी कहा जाता है । अतः समाज में धन की जितनी अधिक वृद्धि होगी, उतना ही मानव-कल्याण बढ़ेगा । परन्तु यह सदैव सत्य नहीं । अधिक धन उत्पादन की विधि समाज के लिये कल्याणकारी होनी चाहिये । अगर व्यक्तियों से जबरदस्ती अधिक धन ऐसे कारखानों में काम लिया जाता है जिनमें सुखपूर्वक कार्य करने की सुविधायें नहीं हैं तो धन वृद्धि होने पर भी मानव-कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती । समाज में धन का वितरण भी समान होना चाहिये । भवसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि व्यक्ति धन का उपयोग किस भाँति करते है । व्यक्तियों में व्यय करने की चालुरी न होगी तो अधिक धन होने पर भी, मानव-कल्याण में वृद्धि नहीं होगी । अगर धन का उपयोग सादक और हानिप्रद पदार्थों के सेवन पर किया जायेगा तो उसका मानव-कल्याण का हानि होगा ।

धन निम्न धन हैं —

धो० ए० की डिग्री .—यह उपयोगी भी है और दुर्लभ भी परन्तु यह हस्तान्तरित नहीं हो सकती । अतः यह धन नहीं है ।

कापी राइट —यह उपयोगी और दुर्लभ होने के साथ २ हस्तांतरित किया जा सकता है । एक लेखक अपने अधिकारों को दूसरे को देना सकता है अतः धन है ।

गवैये का फाँट-स्वर —व्यक्तिगत गुणों में हस्तांतरितता का गुण नहीं पाया जाता । गवैया अपने स्वर के कारण पैसा प्राप्त करता है उसके स्वर की उपयोगिता भी है पर वह इसको देना नहीं सकता । इसलिये यह धन नहीं । कुछ अर्थशास्त्री इसको दायित्व धन में शामिल करते हैं ।

रेत —रेगिस्तान या नदियों के किनारे जहाँ रेत, माग की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपलब्ध है, यह धन नहीं है । परन्तु शहरों में जहाँ यह अति दुर्लभ है, उसने लिये पैसा दिया जाता है, यह धन कहा जायेगा ।

प्रश्न १६—“पानी स्वर्ण से अधिक उपयोगी है किन्तु स्वर्ण का बाजार मूल्य पानी से अधिक है।” इस कथन की व्याख्या करो।

(“Water is more useful than Gold yet Gold has greater market value than water” Explain this statement clearly)

उत्तर—

पानी स्वर्ण से अधिक उपयोगी है —अर्थशास्त्र में उपयोगी होने का अर्थ किसी वस्तु एवं पदार्थ में मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने की क्षमता से है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता से नहीं लगाया जाता है। यह उपयोगिता लाभदायक या हानिकारक दोनों हो सकती है लेकिन पदार्थ में किसी व्यक्ति की आवश्यकता का सन्तुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिये। व्यवहारिक जीवन के अनुभव से यह स्पष्ट है कि पानी जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है। मनुष्य कपड़े या भोजन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है लेकिन यदि उसको पानी न मिले तो उसका जीवित रहना असम्भव है। पानी की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। इस प्रकार पानी की उपयोगिता सत्रसे अधिक है।

दूसरी ओर, स्वर्ण में इतनी उपयोगिता नहीं है जितनी कि पानी में है क्योंकि स्वर्ण के बिना मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। समाज में स्वर्ण केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। इस प्रकार स्वर्ण केवल उनके स्वामित्व के लिए ही उपयोगी है, परन्तु पानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में पानी स्वर्ण से अधिक उपयोगी है।

स्वर्ण का बाजार मूल्य पानी से अधिक है —बाजार मूल्य केवल धन या आर्थिक वस्तुओं का ही होता है। क्योंकि इनमें उपयोगिता दुर्लभता तथा स्वामित्वशीलता का गुण पाया जाता है। जिन पदार्थों में ये गुण नहीं पाये जाते उनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है।

इसी कारण पानी का कोई बाजार मूल्य नहीं होता है, क्योंकि पानी में केवल उपयोगिता एवं स्वामित्वशीलता का ही गुण पाया जाता है। इसमें दुर्लभता का गुण नहीं है। इसकी पूर्ति असीमित है, इसी कारण इसे प्रकृति की निःशुल्क भेंट नहीं जानी है। इस प्राप्त करने के लिए मनुष्य का विनाश परिश्रम एवं त्याग नहीं करना पड़ता है, इसी कारण पानी जीवन का एक आवश्यक एवं उपयोगी पदार्थ होते हुए भी इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है, लेकिन जहाँ पानी की दुर्लभता है जैसे रेगिस्तानों में वहाँ पानी भी धन या

आर्थिक वस्तुओं में आ जाता है तथा उस समय इसको बिना त्याग या परिश्रम के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस समय इसका बाजार मूल्य भी हो जाता है, लेकिन सामान्य दशाओं में पानी हमको आसानी से असीमित मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यह मानना उचित ही होगा कि पानी का कोई बाजार मूल्य नहीं होता है।

लेकिन दूसरी ओर स्वर्ण एक धन या आर्थिक वस्तु है। इसमें धन के तीनों गुण पाये जाते हैं। इसकी पूर्ति असीमित है। इसी कारण से इसका बाजार मूल्य भी अधिक है क्योंकि जिस पदार्थ की माँग अधिक हो और उसकी पूर्ति सीमित हो तो उसका बाजार मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार सोना धन होने के कारण अधिक बाजार मूल्य रखता है और पानी धन न होने के कारण इसका कोई बाजार मूल्य ही नहीं है। इसी कारण से सोने का प्रयोग प्राचीन समय से मुद्रा के रूप में होता था तथा इसकी सीमितता के कारण ही इसका मुद्रा के रूप में चलन समाप्त हो गया है। अब भी स्वर्ण के रूप में द्रव्य संचय तथा विनियोग को व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पानी स्वर्ण से अधिक उपयोगी है, लेकिन पानी के धन न होने के कारण इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है परन्तु स्वर्ण एक आर्थिक वस्तु होने के कारण बाजार मूल्य रखता है तथा इसमें दुर्लभता का प्रमुख गुण होने के कारण ही इसका बाजार मूल्य भी अधिक है।

अध्याय ११

उपभोग का अर्थ

प्रश्न २०—उपभोग की परिभाषा लिखिये। अर्थशास्त्र में उपभोग के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।

(Define consumption, and give its importance in economics.)

उत्तर—

साधारण बोलचाल में उपभोग का अर्थ किसी वस्तु के खाने या सेवन करने से होता है परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का एक विशेष और विस्तृत

अर्थ है। मनुष्यों की अनेकों आवश्यकतायें हैं जिनकी पूर्ति वस्तुओं या सेवाओं से की जाती है। भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, व्यास लगने पर पानी पीते हैं, ज्ञान की आवश्यकता पूर्ति के लिये हम स्कूल में भर्ती होते हैं, मनोरञ्जन करन के लिये हम सिनेमा इत्यादि देखने जाते हैं। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पदार्थों के ऐसे प्रयोग को उपभोग कहते हैं जिससे उपभोक्ता को प्रत्यक्ष और तात्कालिक तृप्ति और सन्तोष प्राप्त होता है।

इस प्रकार मानवीय आवश्यकताओं की सतुष्टि हो जान से सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं की उपयागिता धीमे-धीमे २ या तेजी से लुप्त हो जाती है। इमीलिय कभी २ उपभोग को उपयोगिता का नष्ट करना कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि मानव पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकता, न उसको बड़ा सकता है और न कम कर सकता है। ऐसा करना हमारी शक्ति से परे है। हम केवल उसके रूप को इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं कि उसमें मानवीय आवश्यकताओं को सतुष्ट करने की शक्ति (उपयोगिता) घट जाये या बढ़ जाये। रोटी खा लेने के पश्चात् रोटी नष्ट नहीं हो जाती बल्कि हमारे पेट में पहुँच कर वह विभिन्न रूपों में मौजूद रहती है। अन्तर केवल इतना ही गया कि अब रोटी का रूप अन्य पदार्थों में ले लिया उसकी रोटी के रूप में कोई उपयोगिता नहीं रही। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उपयोगिता का नष्ट करना ही उपभोग नहीं कहा जा सकता। यह परिभाषा तो अप्रुब ही है। उपयोगिता का नष्ट होना वास्तव में उपभोग न होकर, उपभोग का प्रभाव मात्र है। वस्तु का प्रयोग मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिये। अगर किसी पदार्थ की उपयोगिता बिना किसी मानवीय आवश्यकता की सतुष्टि किये नष्ट या कम होती है तो इस क्रिया को उपभोग नहीं कहेंगे। उपभोग के लिये यह जरूरी है कि इसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हो। कभी कभी आग लग जाने से बहुत से पदार्थ जलकर भस्म हो जाते हैं बाढ़ आने से बहुत से पदार्थ जलमग्न होकर गल जाते हैं। दोनों ही उदाहरणों में वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट हो जाती है परन्तु इसको उपभोग नहीं कहेंगे क्योंकि साथ ही साथ कोई भी मानवीय आवश्यकता की सतुष्टि नहीं होती है। इन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य नहीं कर पाया और वे व्यर्थ चली गईं। अतः इनको हम 'बर्बादी' (Waste) कह सकते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि उपभोग वह मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा

किसी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक संतुष्टि के लिए किया जाता है ।

उपभोग के प्रकार (Kinds of Consumption) :— उपभोग के निम्न-लिखित प्रकार हैं :—

धीमा और शीघ्र (Slow and Quick)—बार-बार मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करती रहे तो ऐसे उपभोग को मन्द उपभोग कहेंगे जैसे कपड़ा मकान, किताब आदि का प्रयोग । इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ की समस्त उपयोगिता एक ही बार के प्रयोग से नष्ट हो जाय तो ऐसे उपभोग को शीघ्र उपभोग कहेंगे जैसे पानी का पीना, सन्तरे का खाना इत्यादि ।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (Direct and Indirect) .—यदि किसी वस्तु का उपभोग किसी अन्य वस्तु के बदलने में किया जाय तो यह उसका प्रत्यक्ष उपभोग है जैसे मकान बनाने के लिये ईंटों का उपयोग, इजन में कोयले का उपयोग इत्यादि । इन चीजों से जो वस्तु तैयार होती है उसमें भी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से । यदि वस्तु के प्रयोग से कोई अन्य वस्तु तैयार न हो और प्रत्यक्ष रूप से ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट हो तो ऐसे उपयोग को त्पक्ष उपभोग कहेंगे जैसे अनाज की रोटी बनाने में प्रयोग । प्रथम प्रकार के उपयोग को उत्पादक उपयोग (Productive Consumption) तथा द्वितीय को अनुत्पादक अथवा अन्तिम (Unproductive or Final) उपभोग भी कहते हैं ।

वर्तमान उपभोग और भविष्य उपभोग (Present & Future Consumption)—हम सम्पत्ति के कुछ भाग का वर्तमान में उपभोग कर डालते हैं और कुछ को भविष्य के लिये उठा कर रख देते हैं । प्रथम को तात्कालिक और द्वितीय को भविष्य उपभोग कहेंगे ।

उपभोग का महत्व :—प्राचीन अर्थशास्त्री विशेषकर एडम स्मिथ, माल्यस और रिकार्डों आदि उपभोग को कुछ भी महत्व नहीं देते थे । उनके अनुसार अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विभाग 'उत्पत्ति' है । उन्होंने उपभोग को व्यवितगत बात मान कर छोड़ दिया । सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला और बतलाया कि एक व्यक्ति कितना ही अधिक धनी क्यों न हो उसका कुशल-क्षेत्र तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसको अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान न हो और वह उनकी संतुष्टि के लिये अपने धन का समुचित प्रयोग न करता हो । आधुनिक अर्थशास्त्री उपभोग को सर्वाधिक महत्व देते हैं । उपभोग हमारे आर्थिक प्रयासों का

प्रारम्भ और अन्त है (Consumption is the beginning and end of economic activity) हमारी आवश्यकताओं के अभाव में, समाज में कोई फलोत्पत्ति नहीं होगी और न कोई आर्थिक समस्या ही खड़ी होगी। आवश्यकता ही आर्थिक क्रियाओं को जन्म देती है। यही नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे आर्थिक प्रयागों का ध्येय भी है। आवश्यकता सन्तुष्टि के लिये ही हम कार्य करते हैं इस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का अन्त भी है। उत्पादन, विनिमय और वितरण, उपभोग से ही शुरू होते हैं और उपभोग पर ही समाप्त।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोग का व्यावहारिक जीवन में भी काफी महत्त्व है। उपभोग के प्रकार से किसी राष्ट्र के जीवन-स्तर के विषय में मालूम कर सकते हैं, इस स्तर का गिरना या ऊँचा उठना देश की अचनति या प्रगति को इंगित करता है। गृह स्वामी वर्ग उपभोग के अध्ययन से अपनी आय का समुचित प्रयोग करना जान लेता है, पारिवारिक बजट बनाकर और अपने व्यय को नियन्त्रित ढंग में करके वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक समाज के सदस्यों की व्यय मर्दों को देखकर यह मालूम करत हैं कि जनता अपने धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रही। सरकार मादन पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध या नियन्त्रण लगा देती है क्योंकि उनके सेवन से व्यक्तियों की कार्यक्षमता घट जायेगी और देश में धनोत्पत्ति भी कम होगी। शराब बंदी (Prohibition) इसी उद्देश्य पूर्ति की ओर एक प्रयास है। व्यापारी वर्ग मनुष्यों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके, उन्हीं पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जिनकी मांग अधिक होती है। वित्त मन्त्री भी उन्हीं वस्तुओं पर अधिक कर लगाने हैं जिनमें उपभोक्तृओं को अधिक बचत प्राप्त होनी है। अर्थशास्त्रियों ने उपभोग और आवश्यकताओं के अध्ययन में बहुत से नियम बनाये हैं।

— ० —

प्रश्न २१—“उपभोग अर्थशास्त्र का आदि भी है और अन्त भी” इस कथन की पूर्णतया व्याख्या कीजिये।

(“Consumption is the beginning and also the end of Economics” Explain this statement fully)

उत्तर—

अर्थशास्त्र में उपभोग का बड़ा महत्त्व है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने इसके महत्त्व को नहीं समझा और अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन तक नहीं किया।

उनके दृष्टिकोण में राष्ट्र के भौतिक कल्याण में वृद्धि करने के लिये धन के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक था। अतः उन्होंने 'उत्पादन' को अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विभाग माना। सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र में उपभोग के महत्व पर प्रकाश डाला। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अर्थशास्त्र का कोई अन्य विभाग। इतना ही नहीं यदि यह भी कहा जाये कि उपभोग अर्थशास्त्र के अन्य विभागों से अधिक महत्वपूर्ण है तो अत्योक्ति न होगी। इसका कारण है 'उपभोग' का आर्थिक प्रयत्नों का प्रारम्भ और अन्त होना।

उपभोग आर्थिक क्रियाओं का मूल :—

समस्त आर्थिक प्रयासों का स्रोत उपभोग है। यदि मनुष्यों को किसी वस्तु के उपभोग की आवश्यकता न हो तो उसे कौन उत्पन्न करेगा? उत्तर है, कोई नहीं। जब वस्तु उत्पन्न ही नहीं होगी तो उसके विनिमय तथा वितरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना। आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति की प्रेरणा से आज समस्त विश्व में मनुष्य कार्य करते हैं। आवश्यकताओं के अभाव में, न कोई आर्थिक क्रिया होगी और न अर्थशास्त्र। कुछ व्यक्तियों की आवश्यकताएँ कम होती हैं और कुछ की बहुत अधिक। जिन देशों के व्यक्तियों की आवश्यकताएँ घनी होती हैं, वहाँ उनकी सन्तुष्टि के लिये उतने ही अधिक आर्थिक प्रयास किये जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से वही देश अधिक प्रगतिशील समझे जाते हैं। मानवीय आवश्यकताएँ उत्पत्ति की मात्रा स्वभाव, प्रकार व उसके स्थान को निर्धारित करती हैं। उत्पत्ति के अनुसार ही धन का विनिमय व वितरण होता है। अतः उपभोग अर्थशास्त्र का प्रारम्भ है।

उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अन्त :—

समस्त आर्थिक प्रयत्नों का एक उद्देश्य है—मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि। मानवीय आवश्यकताएँ आर्थिक क्रियाओं को जन्म देती हैं और इन क्रियाओं का उद्देश्य तब समाप्त हो जाता है जब उन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हो जाती है। इस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का अन्त भी है। उत्पादन, विनिमय और वितरण उपभोग से ही आरम्भ होते हैं और उपभोग पर ही अन्त।

अध्याय १२

आवश्यकतायें

प्रश्न २२—आवश्यकता की परिभाषा दीजिये और अर्थशास्त्र में इसके महत्व को बताइये ।

(Define Want and give its importance in Economics)

उत्तर :—

अन्य शब्दों की भाँति अर्थशास्त्र में आवश्यकता का अर्थ भी साधारण अर्थ से भिन्न है। दैनिक जीवन की दौलत में हम 'इच्छा', 'चाह' 'कामना' और 'आवश्यकता' इत्यादि में कोई अंतर नहीं करते और उन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं परन्तु अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' (Want) शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। हम प्रत्यक्ष इच्छा को आवश्यकता नहीं कह सकते। अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसके पूर्ण करने के लिये उसके पास पर्याप्त साधन विद्यमान हों और वह उस इच्छा की पूर्ति के लिये उन साधनों को लगाने को तत्पर हो। यदि किसी मजदूर को एक रेडियो की इच्छा है, उसके पास रेडियो खरीदने के लिये आवश्यक धन है और वह उस धन को रेडियो खरीदने में व्यय करने को तैयार भी है तो उसकी यह इच्छा प्रभावीत्पादक है और इसे आवश्यकता कहेंगे। किन्तु यदि एक मजदूर एक आलीशान महान की इच्छा करने लगे जिस खरीदने के लिये उसके पास साधन नहीं है या एक कजूस-धनी व्यक्ति एक कीमती कार की इच्छा करता है और कार खरीदने के लिये पर्याप्त धन होते हुए भी वह उस धन को खर्च करने को तैयार नहीं है, तो दोनों ही दशाओं में मजदूर और कजूस की इच्छायें केवल इच्छायें मात्र हैं, उनको पूर्ण नहीं किया जा सकता, वे प्रभावीत्पादक हैं। अतः अर्थशास्त्र में प्रभावीत्पादक इच्छाओं को ही आवश्यकता कहते हैं (*Effective desires are called wants.*)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक की इच्छा में आवश्यकता होने के लिये निम्न दो बातों का होना आवश्यक है —

- (१) इच्छा पूर्ति के लिये पर्याप्त साधनों का होना ।
- (२) इच्छा पूर्ति के लिये साधनों को व्यय करने की तत्परता ।

किसी एक भी गुण के अभाव में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना या चाह केवल इच्छा (desire) ही रह जायगी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पैसन

(Pension) के अनुसार "आवश्यकता शब्द में तीन चीजें निहित हैं, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, उसको क्रय कर सकने की शक्ति अथवा साधन और इस उद्देश्य पूर्ति के लिये साधनों को व्यय करने की तत्परता" "(Want implies three things, the desire to possess a thing, the means of purchasing it and the willingness to use those means for this particular purpose)" प्रो० टामस के शब्दों में "आवश्यकता उस क्रियाशील इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति करने के लिये मनुष्य के पास पर्याप्त शक्ति अथवा साधन हो तथा वह उस सम्पत्ति को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये व्यय करने को तैयार हो।"

आवश्यकताओं का अर्थशास्त्र में महत्व :—अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं के अध्ययन का बड़ा महत्व है। आवश्यकतायें आर्थिक प्रयत्नों को जन्म देती हैं। वे मनुष्य की प्रयत्नशीलता का रहस्य हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई आर्थिक कार्य करता है जिससे वह धन कमा कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिनकी अधिक आवश्यकतायें बढ़ती जायेंगी उनका ही समाज में आर्थिक कार्य बढ़ता जायेगा। अगर सभी व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक बन जायें तो आज जो आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में प्रगति दिखाई देती है, रीढ़ ही रुक जाय। आवश्यकताओं की संख्या और विभिन्नता एक देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण है पिछड़े हुये देशवासियों की आवश्यकतायें बहुत थोड़ी और घटिया प्रकार की होती हैं परन्तु एक प्रगतिशील देश जैसे अमेरिका के व्यक्तियों की आवश्यकतायें संख्या में अधिक और बढिया प्रकार की होती हैं। आवश्यकतायें सतुष्ट हो जाने पर, आर्थिक क्रियाओं की स्वाभाविक रूप से इतिथी हो जाती है। अतः आवश्यकतायें वे बिन्दु हैं जहाँ से आर्थिक उद्यम प्रारम्भ होने हैं और जहाँ वापस आने पर उनका अन्त हो जाता है। आवश्यकताओं का महत्व इसलिए भी है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रहन-सहन का दर्जा और कार्य-क्षमता इन्हीं पर निर्भर है। एक व्यक्ति जिसकी आवश्यकतायें पूरी सतुष्ट हो जाती हैं, उसकी कार्य-क्षमता अधिक हो जाती है, वह अधिक सुखी रहता है। फल-स्वरूप देश में घनत्व भी अधिक होती है।

—०—

प्रश्न २३—मानवीय आवश्यकताओं की प्रमुख विशेषताओं (लक्षण) को बताइये और इन पर आधारित नियमों का भी उल्लेखन कीजिये।

(What are the chief characteristics of human wants? Also mention the economic laws based on them.)

उत्तर :—

प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताय समान नहीं होती उनमें विभिन्नता पाई जाती है। आवश्यकताओं के स्वभाव में विभिन्नता होते हुये भी उनमें कुछ ऐसी विशेषताये पाई जाती है जो हर दश काल में सत्य है और विद्वद्व्यापक है। मानवीय आवश्यकताओं की सामान्य विशेषतायें निम्नलिखित है :—

(१) आवश्यकतायें असिमित हैं (Wants are unlimited) --

आवश्यकताओं की विशेषताये —

- १ असिमित होती है।
- २ विशेष आवश्यकता की पूर्ति सम्भव।
- ३ आवश्यकताये प्रयोगी हानी है।
- ४ आवश्यकताय आद-
र्तक होती हैं।
- ५ आवश्यकताये पूरक होती है।
- ६ आवश्यकताय वैक-
ल्पिक होती हैं।
- ७ ज्ञान वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हैं।
- ८ तीव्रता में अंतर होता है।
- ९ आदर में परिणित हो जाती हैं।
- १० वर्तमान आवश्यक-
तायें भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण।
- ११ सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित।

मानवीय आवश्यकताओं की गिनती नहीं की जा सकती। मनुष्य तो आवश्यकताओं की एक शठरी है। ज्योंही एक आवश्यकता पूर्ण होती है त्योंही दूसरी आवश्यकताय उत्पन्न हो जाती हैं। इमीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के लिये पहले से अधिक श्रमिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, ये प्रयत्न अन्य नई आवश्यकताओं को जन्म देते हैं और इस प्रकार यह चक्र बराबर चलता रहता है। आवश्यकताओं का यह लक्षण उन्नति के नियम (Law of Progress) का आधार है।

(२) किसी आवश्यकता विशेष को पूर्ण किया जा सकता है (Any particular want is satiable) —
यद्यपि आवश्यकताये अनन्त है और उनकी सूची बनाना कठिन है तो भी प्रत्येक आवश्यकता विशेष को दिये हुये स्थान या समय पर पूर्णतया सतुष्ट किया जा सकता है अगर मनुष्य के पास उचित मात्रा में धन है। उदाहरण के लिये एक व्यास व्यक्ति को लीजिये। उसको एक के बाद दूसरा पानी का भिलास देते जाइये, एक सीमा ऐसी आयेगी कि वह पानी और नहीं चाहेगा। आवश्यकताओं के इस लक्षण पर अर्थ-

शास्त्र का 'उपयोगिता ह्रास नियम' (Law of Diminishing Returns) आधारित है।

(३) आवश्यकतायें प्रयोगी होती हैं (Wants are competitive) — साधनों के सीमित और आवश्यकताओं के अनिश्चित होने के कारण एक व्यक्ति की समस्त आवश्यकतायें उसके सम्मुख आती हैं और सबप्रथम सन्तुष्टि के लिये प्रतियोगिता करती हैं। जो आवश्यकता इस स्पर्धा में जीत जाती है उसी पर वह व्यक्ति अपना धन व्यय करना है। एक रुपये के नोट से एक विद्यार्थी एक पुस्तक, मिनेमा का टिकट, या मिठाई खरीद सकता है। वह किमको सर्व प्रथम सन्तुष्ट करता है यह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करना है। आवश्यकताओं के इस लक्षण पर 'समसीमान उपयोगिता नियम' (Law of Equi marginal Utility) और प्रतिस्थापन का नियम (Law of substitution) आधारित हैं।

(४) आवश्यकतायें आवर्तक होती हैं (Wants recur) — एक बार पूर्ण हो जाने के पश्चात् कालांतर में वह आवश्यकता पुनः महसूस होने लगती है। एक घाद पानी पी लेने के बाद, फिर पानी की प्यास लगती है। सुबह को भोजन करने के बाद पुनः सायंकाल को भूख लगती है।

(५) आवश्यकतायें पूरक होती हैं (Wants are complementary) :—कुछ आवश्यकतायें साथ-साथ अनुभव होनी हैं और साथ ही साथ नष्ट की जाती हैं जैसे कलम और दवात, मोटर और पेट्रोल आदि। आवश्यकता के इस गुण पर सामूहिक मांग (Joint Demand) का नियम आधारित है।

(६) आवश्यकतायें वैकल्पिक होती हैं (Wants are alternative) — एक ही आवश्यकता अनेक वस्तुओं में से किसी एक के द्वारा पूरी की जा सकती है। भूख शांत करने के लिये फल, रोटी, दूध, मिस्कुट, चावल मिठाई किसी भी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है।

आवश्यकतायें ज्ञान-वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हैं (Wants increase with increase in knowledge) — जैसे २ ज्ञान की वृद्धि होती है त्यों २ व्यक्ति की आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं। आमोण व्यक्तियों की आवश्यकतायें शहरी व्यक्तियों की अपेक्षा कम रहती हैं क्योंकि आमोणों का ज्ञान सन्तुष्ट होना है। आदिम काल से आज तक ज्यों ज्यों मानव के ज्ञान में वृद्धि होती गई वैसे ही उसकी आवश्यकतायें बढ़ती रही हैं।

(७) आवश्यकताओं की तीव्रता में अन्तर होना है (Wants differ in intensity) — एक व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की तीव्रता समान

नहीं होती, इसीलिये वह चुनाव करता है कि वह किस आवश्यकता को पहले सतुष्ट करे और किसको बाद में। जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है उसको सर्वप्रथम पूर्ण किया जाता है। आवश्यकताओं के इस गुण पर सम-सीमात उपयोगिता नियम (Law of Equal-Marginal Utility) आधारित है। इस नियम के अनुसार अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में चुनाव करके उपभोक्ता अधिक सतुष्टि प्राप्त करता है।

(६) आवश्यकताएँ आदत में परिणित हो जाती हैं (Wants became a matter of habit) — यदि किसी आवश्यकता की नित्य प्रति पूर्ति की जाय तो उसका स्वभाव सा पड़ जाता है। उसकी पूर्ति के अभाव में उपभोक्ता को कष्ट होता है और उसकी शक्ति कार्यक्षमता आदि में अन्तर पड़ जाता है। उदाहरण के लिये धीड़ी सिगरेट, चाय, तम्बाकू व शराब की आवश्यकताएँ। इसी पर व्यक्ति का रहन सहन का स्तर (Standard of Living) निर्भर करता है।

(१०) वर्तमान आवश्यकताएँ भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं (Present Wants are more important than future wants) — साधारण मनुष्य इतना दूरदर्शी और समझदार नहीं होता कि वह भविष्य को समझ सके और हमारे भविष्य तर्क ही बड़ा अनिश्चित है। इन कारणोंसे मनुष्य वर्तमान की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देता है। आवश्यकताओं के इस गुण पर व्याज का सिद्धान्त आधारित है।

(११) आवश्यकताएँ सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित होती हैं (Wants are affected by social customs) — जिस समाज में हम रहते हैं उसकी प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार हमारी आवश्यकताएँ बन जाती हैं। एक साधारण व्यक्ति का खान-पान, यौवनक, मनोरंजन, व्यवसाय आदि उसके सामाजिक रीति रिवाजों पर ही निर्भर करता है। शादी रिवाज, शिशु जन्म तथा मृत्यु पर दावन देना कुछ गम ही उदाहरण हैं।

अध्याय १३

आवश्यकताओं का वर्गीकरण

प्रश्न २४—आवश्यक, आरामदायक तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं में भेद स्पष्ट कीजिए। आवश्यकताओं के इस वर्गीकरण का क्या आधार है ?

(Distinguish between Necessaries, Comforts and Luxuries. What is the basis of this classification ?)

उत्तर—

मनुष्य की सभी आवश्यकताएँ एक समान नहीं होतीं। यदि कुछ आवश्यकताओं की मांग अधिक तीव्र है तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें इतनी तीव्रता या महत्त्व नहीं होता। कुछ आवश्यकताओं के पूरा न करने से अपार पीडा होती है और कुछो के अभाव में कोई विशेष कष्ट नहीं होता। अतः तीव्रता तथा महत्त्व के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को निम्न तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है :—

- (१) आवश्यक आवश्यकताएँ (Necessaries)
- (२) आरामदायक आवश्यकताएँ (Comforts)
- (३) विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ (Luxuries)

(१) आवश्यक आवश्यकताएँ—आवश्यक आवश्यकताओं अथवा अनिवार्यताओं का अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं से लिया जाता है जो दैनिक जीवन में प्रायः आवश्यक होती हैं, और जिनकी सतुष्टि अवश्य होनी चाहिये। ये वे वस्तुएँ हैं जो जीवित रहने या कार्य-क्षमता बनाये रखने या सामाजिक प्रतिष्ठा स्थायी रखने के लिये आवश्यक हैं। इसी आधार पर अनिवार्यताओं को तीन भागों में विभाजित किया जाता है।

- (१) जीवन रक्षक आवश्यकताएँ (Necessaries for life)
- (२) कार्य-क्षमता रक्षक आवश्यकताएँ (Necessaries for efficiency.)
- (३) सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक (Conventional Necessities).

(i) जीवन रक्षक आवश्यकतायें — जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है

आवश्यकताओं का वर्गीकरण :—

१ आवश्यक आवश्यकतायें —

(i) जीवन रक्षक

(ii) निपुणता रक्षक

(iii) सामाजिक—

प्रतिष्ठा रक्षक

२ आरामदायक आवश्यकतायें ।

३ विलासिता सम्बन्धी आवश्यकतायें ।

वर्गीकरण का—
आधार :—

१ कार्य-क्षमता पर प्रभाव ।

२ सुख-दुख पर प्रभाव ।

३ पून्य और पाप का सम्बन्ध ।

कार्य-कुशलता को बनाये रखने के लिये अच्छे प्रकार का खाना, कपड़ा व मकान, आदि आवश्यक हैं ।

(iii) सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकतायें — ये वे आवश्यकतायें हैं जिनको सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करन या अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये सन्तुष्ट करना पड़ता है । इन आवश्यकताओं के पूर्ण करने से न तो जीवन-शक्ति प्राप्त होती है और न कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ता है । पर पर आये मेहमान का सत्कार, पान, सुपाणी, फल व मिठाई आदि से करना पड़ता है । विवाह के उपलक्ष्य म भोज देना, मृत्यु के समय कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं का करना आदि भी इनके उदाहरण हैं । इन आवश्यकताओं के पूर्ण न करन पर व्यक्ति की समाज में बदनामी होती है ।

जीवन रक्षक आवश्यकतायें वे हैं जो मनुष्य को केवल जीवित रखती हैं । इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के बिना जीवित रहना असम्भव है । इनकी सन्तुष्टि न करने से घोर दुख होता है और मृत्यु भी हो जाती है । कम से कम भोजन, वस्त्र, रहने के लिये मामूली घर इत्यादि ऐसी ही आवश्यकतायें हैं ।

(ii) निपुणता रक्षक आवश्यकतायें :— इनके अन्तर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनका उपभोग व्यक्ति की कुशलता को पूर्ववत् बनाये रखने के लिये आवश्यक है । अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधायें कार्य-क्षमता की आवश्यकताओं के उदाहरण हैं । कम से कम जीवित रहने मात्र हल्का-सूखा भोजन खाकर एक मजदूर एक-ही कुशलता से रोज काम नहीं कर सकता है । वह दिन-प्रतिदिन कमजोर होता जायेगा । अब उसकी

शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ सामाजिक वृष्टियाँ समाप्त होती जा रही हैं और प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकतायें बदल रही हैं।

(२) आरामदायक आवश्यकतायें — ये आवश्यकतायें कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताओं से कुछ ऊपर होती हैं। इनके उपभोग से हमको आनन्द प्राप्त होता है, जीवन अधिक सुखी, पूर्ण, शिष्ट व समृद्धिशाली हो जाता है और मनुष्य की कार्य क्षमता में कुछ वृद्धि हो जाती है। उपभोग न करने से न अधिक पीडा ही होती है और न विद्यमान निपुणता में कमी आती है। जैसे अच्छे कपडे, हवादार बडा मकान, स्वादिष्ट भोजन, फर्नीचर, रेडियो और मत्तोरन्जन के साधन आदि।

(३) विलासिता सम्बन्धी आवश्यकतायें :—वे आवश्यकतायें होती हैं जिनके उपभोग से हमें बडा आनन्द प्राप्त होता है परन्तु हमारी कार्य-कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती और उपभोग न करने से न कोई दुख होता है और न कार्य-क्षमता में कोई कमी। इसीलिये प्रो० जीड (Gide) ने इन्हें 'बेकार की आवश्यकतायें' और प्रो० ऐली (Ely) ने "अत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग" कह कर परिभाषित किया है। आलीशान विशाल बगले, कीमती कारें, जवाहरात, मूल्यवान साडियाँ, बहुमूल्य चित्र इनके उदाहरण हैं।

विलासिता के कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके उपभोग से हमको सुख तो प्राप्त होता है परन्तु हमारी कार्य-क्षमता काफी मात्रा में कम हो जाती है जैसे शराब। ✓

आवश्यकताओं के वर्गीकरण का आधार :—

मानवीय आवश्यकताओं का उपरोक्त वर्गीकरण निम्न तीन आधार पर किया गया है :—

- (१) कार्यक्षमता पर प्रभाव ✓
- (२) सुख दुख पर प्रभाव ✓
- (३) मूल्य और माग का सम्बन्ध ✓

कार्यक्षमता :—वे आवश्यकतायें जिनकी सतुष्टि से हमारी निपुणता की रक्षा होती है और जिनको सतुष्ट न करने से निपुणता बहुत ज्यादा कम हो जाती है, अनिवार्यतायें कहलाती हैं। वे आवश्यकतायें जिनकी सतुष्टि हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाती है और यदि उन्हें सतुष्ट न किया जाये तो कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं होती, आरामदायक आवश्यकतायें कहलाती हैं। वे वस्तुयें जिनके उपभोग करने या न करने से कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पडता, विलासतायें कहलाती हैं।

सुख दुख :—यदि किसी वस्तु के उपभोग करने में थोड़ा सुख मिलता है या उपभोग न करने में तीव्र दुख होता है, तब ऐसी वस्तु को अनिवार्यता की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार आरामदायक वस्तुओं के वस्तुओं हैं जिनके उपभोग से पर्याप्त आनन्द और उपभोग के अभाव में थोड़ा कष्ट मिलता है। विलासितायें उन आवश्यकताओं को कहेंगे जिनकी सतृप्ति से बहुत आनन्द प्राप्त होता है और असतृप्ति रहने पर कोई दुख नहीं होता। अगर वे व्यक्ति की आवृत्त बन चुकी हैं तो उन्हें उपभोग न करने से कष्ट होता है।

मूल्य और माँग :—आवश्यक आवश्यकता के पदार्थों का मूल्य बढ़ने अथवा घटने में उपभोक्ता के लिये उन वस्तुओं की माँग में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। यदि मूल्य के अनुपात में ही माँग में परिवर्तन होता है तो ऐसी आवश्यकतायें आरामदायक आवश्यकतायें कहलाती हैं। इसी प्रकार यदि मूल्य में परिवर्तन होने से, वस्तु की माँग में भारी घट बढ़ होती है तो ऐसी आवश्यकता विलासितायें कहलाती हैं।

— ० —

प्रश्न २५—अनिवार्य सुखकर व विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अन्तर स्पष्ट कीजिये। क्या एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिये कभी अनिवार्य, कभी सुख कर और कभी विलासिता हो सकती है ?

(Distinguish between Necessaries, Comforts and Luxuries. Is it possible for a commodity to be called necessary, comfort or luxury in relation to the same person ?)

उत्तर :—

प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न २४ का उत्तर देखिये।

आवश्यक, आरामदायक और विलासिता सम्बन्धी आवश्यकतायें सापेक्षिक (Relative) शब्द हैं। किसी वस्तु विशेष की आवश्यकताओं को किस वर्ग में रखा जाय यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता है। किसी वस्तु पर किसी वर्ग-विशेष का लेबल लगाना महान् गन्ती होगी। गेहूँ को आवश्यक, बिजली के पत्ते को आरामदायक और मोटरकार को विलासिता का पदार्थ कहना ठीक नहीं। इस बात का निर्णय बहुत से दृष्टिकोणों को सम्मुख रख कर किया जाता है।

एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिये कभी अनिवार्य, कभी सुखकर और कभी विलासिता हो सकती है। एक पाँचवी या छठी कक्षा के विद्यार्थी के लिये

एक फाउन्टेनपैन विलासिता की वस्तु है। वही विद्यार्थी जब हाईस्कूल में आता है तो वह फाउन्टेनपैन उसके लिये एक धाराम का पदार्थ बन जाता है। यह अब उस विद्यार्थी को लेख लिखने में सहायता करता है। पुनः जब वह विद्यार्थी कालिज में यूनीवर्सिटी कक्षाओं में पढ़ने लगता है तो वह फाउन्टेनपैन उसके लिये एक आवश्यक आवश्यकता बन जाता है क्योंकि अब विद्यार्थी को अपने शिक्षकों के लेखों को लिखना पड़ता है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के लिये एक जोड़ी जूता आवश्यक दूसरी जोड़ी आरामदायक और तीसरी जोड़ी विलासिता समझी जाती है।

इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिये आवश्यक, दूसरे के लिये आरामदायक और तीसरे के लिये विलासिता की वस्तु हो सकती है। मोटरकार विद्यार्थी के लिये विलासिता की, डाक्टर के लिये आरामदायक और जी० डी० विडला के लिये आवश्यकता की वस्तु है। बात यह है कि धन, समय, उपभोगता की स्थिति, वस्तु की इकाई तथा कीमत आदि बातों के साथ २ आवश्यकताओं का वर्गीकरण भी बदलता रहता है। इंग्लैंड में गर्म कोट आवश्यक, भारत के उत्तरी भागों में जहाँ काफी जाड़ा पड़ता है आरामदायक तथा भारत के दक्षिणी भागों में जहाँ बहुत कम जाड़ा पड़ता है वही कोट विलासिता की वस्तु है। इसी प्रकार आज से कुछ वर्षों पूर्व चाय एक विलासिता का पदार्थ समझी जाती थी परन्तु आज चाय एक आवश्यक वस्तु है। धन सम्पन्न व्यक्ति को रेडियो आवश्यक पदार्थ है परन्तु एक गरीब श्रमिक को एक विलासिता सम्बन्धी आवश्यकता है।

—६—

अध्याय १४

उपयोगिता

प्रश्न २६—उपयोगिता की परिभाषा दीजिये तथा इसके मुख्य लक्षणों को स्पष्ट कीजियेगा।

(Give a suitable definition of Utility and explain its main characteristics.)

उत्तर—

माधारण बोनचाल म उपयोगिता का अर्थ लाभदायकता मे लगाया जाता है परन्तु अर्थशास्त्र मे उपयोगिता का अर्थ दूसरा है । अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति या गुण है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, अर्थात् किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहते हैं । इस प्रकार रोटी, मकखन, दूध, कपड़ा आदि वस्तुओं में उपयोगिता है क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र म उपयोगिता का अर्थ माधारण बोनचाल मे भिन्न है ।

उपयोगिता के स्वभाव के विषय मे चार बात प्रमुख हैं जिन्हें उपयोगिता के लक्षण कहा जाता है । वे निम्नलिखित हैं —

(१) उपयोगिता वस्तु का गुण नहीं है — उपयोगिता का पहला लक्षण यह है कि यह वस्तु का आन्तरिक गुण नहीं है, बरन उपयोगिता मनुष्य

उपयोगिता के लक्षण —

१ उपयोगिता वस्तु का गुण नहीं है ।

२ उपयोगिता व्यक्तिगत होती है ।

३ उपयोगिता वस्तु तथा उपयोगिता के सम्बन्ध पर निर्भर करती है ।

४ लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं म होती है ।

की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है । माना कि एक व्यक्ति प्यासा है तो उसे पानी की उपयोगिता अधिक होगी लेकिन पानी पी लेने के बाद उसको पानी के लिए कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी । तबकि पानी म प्यास बुझाने की शक्ति अत्र भी है । इससे स्पष्ट है कि उपयोगिता वस्तु का आन्तरिक गुण नहीं है । बरन यह मनुष्य की आवश्यकता पर निर्भर करती है ।

(२) उपयोगिता व्यक्तिगत होती है — उपयोगिता का दूसरा लक्षण यह है कि यह व्यक्तिगत होती है, यह व्यक्तियों की आदत, रुचि, फैशन आदि

पर निर्भर करता है जो व्यक्ति विगरेट पीता है उनको विगरेट की उपयोगिता होती है तबकि जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें इसकी उपयोगिता नहीं होती है । इससे स्पष्ट है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है ।

(३) उपयोगिता वस्तु तथा उपभोक्ता के सम्बन्ध पर निर्भर करती है :—उपयोगिता के विषय में तीसरा लक्षण यह भी कहा जाता है कि उपयोगिता वस्तु तथा उपभोक्ता के सम्बन्ध पर निर्भर करती है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आवश्यकता है और वह वस्तु उसको मिल जाती है तो उस वस्तु में उपभोक्ता के लिए उपयोगिता होगी तथा आवश्यकता की पूर्ति के बाद उपभोक्ता को उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी उदाहरण के लिये एक व्यक्ति जिसके पास पहले साइकिल थी उसको कार मिलने पर उसके लिए साइकिल की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी। इससे स्पष्ट है कि उपयोगिता वस्तु तथा उपभोक्ता के सम्बन्ध पर निर्भर करती है।

(४) उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में होती है —वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम लाभदायक जैसे गेहूँ, दूध, फल आदि तथा दूसरे हानिकारक जैसे शराब, सिगरेट, अफीम आदि। साधारण बोलचाल में हम उपयोगिता केवल लाभदायक वस्तुओं में ही मानते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में मानी जाती है। उपयोगिता के लिए लाभदायकता का होना आवश्यक नहीं है बल्कि उस वस्तु में मनुष्य की किसी आवश्यकता विशेष की सतुष्टि करने की क्षमता होनी चाहिये। इस कारण से हानिकारक वस्तुएं भी उपयोगी नहीं जाती हैं क्योंकि इनसे भी किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों की आवश्यकता की सतुष्टि होती है, इससे स्पष्ट है कि उपयोगिता लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में होती है।

इस प्रकार उपलिखित चार बातें उपयोगिता के स्वभाव को स्पष्ट करती हैं। यही उपयोगिता के मुख्य लक्षण हैं।

—०—

प्रश्न २७—“सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अभि-प्राय समझाइये इनका सम्बन्ध बताते हुए सिद्ध करो कि “जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तभी पूर्ण उपयोगिता सबसे अधिक होती है।”

(Explain the meaning of marginal and total utility. Give their mutual relationship and prove that “when the Marginal utility is least the total utility is the maximum”)

उत्तर—

सीमान्त उपयोगिता —जब मनुष्य को अपनी किसी आवश्यकता का सतुष्ट करने के लिए वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है, तो उपभोग की जाने वाली अन्तिम इकाई को सीमान्त इकाई कहते हैं क्योंकि यह इकाई उपभोग की अन्तिम सीमा पर है। सीमान्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को ही सीमान्त उपयोगिता कहते हैं। उपभोग क्रम में वस्तु की पहली इकाई सबसे अधिक उपयोगिता प्रदान करती है क्योंकि वह आवश्यकता के अधिक तीव्र भाग को सतुष्ट करती है और जैसे-जैसे अगली इकाईयों के उपभोग से आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। वैसे ही वैसे उन इकाईयों की उपयोगिता भी कम होती जाती है। उपभोग के क्रम में अन्तिम इकाई की उपयोगिता ही सीमान्त उपयोगिता कहलाती है।

कुल उपयोगिता :—जब कोई व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता विशेष को सतुष्ट करने के लिये वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करता है, तो उन समस्त इकाईयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं।

निम्न तालिका में एक व्यक्ति की रोटियों की विभिन्न इकाईयों से मिलने वाली उपयोगिता व्यक्त की गई है।

रोटी की संख्या	सीमान्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता
१	५०	५०
२	४०	९०
३	२५	११५
४	५	१२३
५	०	१२३
६	-५	११८
७	-२५	९३

इस तालिका को देखने से यह स्पष्ट है कि पाचवीं रोटी से उपयोगिता शून्य है इसके बाद उपयोगिता ऋणात्मक (Negative) हो जाती है अतः वह व्यक्ति केवल पाँच रोटियाँ ही खरीदेगा उससे अधिक रोटियाँ खरीदने पर उसकी उपयोगिता की हानि होने लगती है और उसकी कुल उपयोगिता कम होने लगती है। पाचवीं रोटी पर ही उसकी पूर्ण सतुष्टि (Point of Satisty) का बिन्दु विद्यमान है। वह छठी और सातवीं रोटियाँ नहीं खरीदेगा। अतः पाँचवीं रोटी सीमान्त इकाई है। अगर वह व्यक्ति केवल चार ही रोटियाँ खरीदेता है तो चौथी इकाई सीमान्त इकाई और इसकी उपयोगिता ८

इकाईयां सीमान्त उपयोगिता कहलायेगी और कुल उपयोगिता १२३ इकाईयां होगी। अगर वह छटी रोटी भी खरीदता है तो सीमान्त इकाई छटी रोटी होगी और सीमान्त उपयोगिता ऋण ५ (Minus five) होगी और कुल उपयोगिता ११८ इकाईयां होगी। इस प्रकार पूर्ण सतुष्टि के बिन्दु से पहले सीमान्त उपयोगिता घनात्मक (Positive) होकर घटती रहती है, और कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, पूर्ण सतुष्टि के बिन्दु पर यह शून्य होती है और कुल उपयोगिता सर्वाधिक होनी है, इसके पश्चात् सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक (Minus) हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। ✓

सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सम्बन्ध —

उपरोक्त उदाहरण द्वारा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का सम्बन्ध भलीभांति स्पष्ट हो जाता है जो निम्न प्रकार है।


(i) जब तक सीमान्त उपयोगिता घनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता सतत बढ़ती रहती है परन्तु उसके बढ़ने की दर कम होती जाती है। चौथी रोटी तक सीमान्त उपयोगिता घनात्मक है और कुल उपयोगिता भी इसी सीमा तक की घटती दर पर सतत बढ़ रही है।

(ii) पूर्ण सतुष्टि के बिन्दु पर सीमान्त उपयोगिता शून्य तथा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उपरोक्त उदाहरण में पूर्ण सतुष्टि का बिन्दु छटी रोटी पर आ जाता है परन्तु इसी बिन्दु पर कुल उपयोगिता, १२३ सबसे अधिक है।

(iii) पूर्ण सतुष्टि के बिन्दु के पश्चात् सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होकर घटने लगती है और उसके साथ-साथ कुल उपयोगिता घटने लगती है।

सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के इस सम्बन्ध को नीचे एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

अब रेखा सीमान्त उपयोगिता को प्रदर्शित करती है यह कक्ष रेखा का द बिन्दु पर काटती है। द बिन्दु उपयोगिता की पूर्ण सतुष्टि का बिन्दु है। अस रेखा कुल उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। जब तक अस रेखा कक्ष रेखा को द बिन्दु पर नहीं काटती है अस रेखा जो कुल उपयोगिता रेखा है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। द बिन्दु पर सीमान्त उपयोगिता सबसे कम है पर कुल उपयोगिता सबसे अधिक है जो कि घ बिन्दु से प्रकट है। द बिन्दु के पश्चात् सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होकर नीचे की ओर बढ़ने लगती है और अस रेखा घ बिन्दु से नीचे की ओर गिरने लगती है।



अतः तालिका और ग्राफ दोनों द्वारा यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब सीमान्त उपयोगिता सबसे कम होती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है।

—०—

प्रश्न २८—जब हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो (अ) उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है (ब) कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है और (स) हमारी उस वस्तु के लिये माँग घट जाती है। समझाइये।

(When we consume more and more units of a commodity (a) the marginal utility of that commodity diminishes, (b) total utility increases and (c) our demand for the commodity decreases Explain)

उत्तर —

इस प्रश्न के प्रथम दो भागों के उत्तर के लिये प्रश्न न० २७ का देखिये।

(स) माँग और उपयोगिता का वक्र गहरा सम्बन्ध है। एक वस्तु की माँग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। यह एक साधारण तथ्य है कि वस्तु अधिक उपयोगी होने से उसकी माँग बढ़ जाती है और जब उसकी उपयोगिता कम हो जाती है तो उसकी माँग भी कम हो जाती है। उपयोगिता स यहाँ पर हमारा तात्पर्य वस्तु की सीमान्त उपयोगिता से है। ज्या ज्या सीमान्त उपयोगिता कम जाती जाती है त्यों त्यों माँग भी कम होती जाती है।

—०—

अध्याय १५ उपयोगिता ह्रास नियम

प्रश्न २६—उपयोगिता ह्रास नियम का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिये । क्या इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं ?

(Explain fully the Law of Diminishing Marginal Utility.
Are there any exception to this law ?)

उत्तर—

हम देख चुके हैं कि यद्यपि मानवीय आवश्यकतायें अनन्त हैं तो भी किसी आवश्यकता विशेष को पूर्णतया सन्तुष्ट किया जा सकता है यह हमारा प्रति-दिन का अनुभव है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा आरम्भ में बहुत प्रबल होती है परन्तु ज्यों ही हम उसकी एक भी इकाई का सेवन कर चुकते हैं तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता कुछ कम हो जाती है और दूसरी इकाई के लिए हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं रहती जितनी पहले थी इस कारण दूसरी इकाई को हम पहली की अपेक्षा कम महत्व देते हैं । जैसे-जैसे किसी वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है उस वस्तु के सेवन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम होनी जाती है । इस प्रकार एक वस्तु की जितनी अधिक मात्रा मिलती जाती है, उसकी आवश्यकता उतनी ही कम होती जाती है और उस वस्तु की प्रत्येक बाद में मिलने वाली इकाईयों (Succeeding units) से मिलने वाली उपयोगिता कम होनी जाती है । इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं ।

प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता ह्रास नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है । 'किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अन्य वस्तुयों समान रहने पर वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ २ घटता जाता है ।' (The additional benefit which a person desires from a given increase of a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has — Marshall)

प्रोफेसर चंपमैन के शब्दों में "जितनी ही कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है उतना ही हम उसकी अधिक वृद्धि कम अंश तक चाहते हैं अथवा उतना ही अधिक हम उसकी अधिक वृद्धि नहीं


चाहते" (The more we have of a thing, the less we want additional increments of it, or the more we want not to have additional increments of it. —Chapman)

नियम को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मानलो राम को बहुत भूख लग रही है। भूख की प्रबलता के कारण, उसके लिये पहली रोटी की उपयोगिता अधिक होगी। और भूख की आंशिक सन्तुष्टि होते जाने के कारण, अगली रोटियों की उपयोगिता घटती जावेगी। माना कि रोटी की विभिन्न इकाइयों से राम को निम्न उपयोगिताएँ प्राप्त होती हैं :—

रोटी की इकाइया	प्राप्त उपयोगिता (इकाइयों में)
१	१००
२	८०
३	५०
४	३०
५	१०
६	०
७	-१०

छठी रोटी से राम की भूख पूर्णतया मिट चुकी है वह सातवीं रोटी नहीं खरीदगा। अगर उसे सातवीं रोटी लेने को बाध्य किया जाय तो इसकी उपयोगिता ऋण में होगी अर्थात् उसको १० इकाइयों के बराबर अनुपयोगिता प्राप्त होगी क्योंकि इसके सेवन से उसके पेट में दर्द निश्चित है।

रेखा चित्र द्वारा निरूपण —



चित्र में प्रत्येक आयत रोटियों से मिलने वाली उपयोगिताओं को प्रदर्शित

करता है। जैसे जैसे अगली रोटियो का उपभोग किया जाता है त्यो-त्यो आयतों का क्षेत्रफल भी घटना जाता है अर्थात् रोटियो की उपयोगिता गिरनी जाती है। छठी रोटी से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती इसलिये छठी इकाई पर कोई आयन नहीं बनाया गया है। अतः इस उदाहरण का अध्ययन चाहे तालिका के आधार पर करें चाहे चित्रों के, एक बात स्पष्ट है कि प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है।

नियम के कार्यशील होने की शर्तें:—

उपयोगिता ह्रास नियम तब ही लागू होता है जबकि कुछ अन्न पूरी हा जानी हैं। इस नियम की परिभाषा में प्रयुक्त वाक्यांश 'अगर अन्य बातें समान रहें' का ही तात्पर्य भी इन्हीं शर्तों से जो निम्न हैं —

उपयोगिता ह्रास

नियम की शर्तें —

- १ वस्तु की इकाईया गुण और परिमाण में समान हो।
- २ उपभोग के समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में समानता।
- ३ उपभोग का एक ही समय।
- ४ उपभोक्ता की आय, फंडन, स्वभाव व आदत में अपरिवर्तनशीलता।
- ५ वस्तु एवं म्यानापन्न वस्तु के मूल्य में समानता।

(१) वस्तु की इकाईया गुण और परिमाण में समान होनी चाहिये:— यदि एक व्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी पीने के पश्चात् दूसरा गिलास निकजी का दिया जाय तो निश्चय ही दूसरे गिलास की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अधिक होगी। इसी प्रकार यदि किसी भूखे व्यक्ति को एक रोटी जो की खा लेने के पश्चात् अन्य रोटी गेहू की दी जाय तो इस रोटी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि वस्तु की इकाईया एक ही प्रकार की होनी चाहिये अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। ✓

(२) उपभोग के समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए — भाग, शराब आदि वस्तुओं को सेवन कर लेने से उपभोक्ता

का मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है और उसको वस्तु की अनुक्रमिक इकाईयो से अधिक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। इसलिये उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(३) उपभोग का समय एक ही होना चाहिए :— यदि उपभोग का समय समान न रह कर टूट जाता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति एक रोटी प्रातःकाल, दूसरी दोपहर को और तीसरी रात को खाए तो दूसरी और तीसरी रोटी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम नहीं होगी। परन्तु यदि तीनों रोटियों का सेवन एक ही साथ एक ही समय किया जाय तो दूसरी रोटी की उपयोगिता पहली से और तीसरी की दूसरी से क्रमशः अवश्य कम होगी।

(४) यदि वस्तु का उपभोग अधिक समय तक होता है, तब उपभोक्ता की आय, फँसन, स्वभाव व आदत पूर्ववत् रहने चाहिये :— इन सबमें परिवर्तन से नियम क्रियाशील नहीं होगा। धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति को सिगरेट की उपयोगिता बहुत कम होगी परन्तु यह इसकी आदत पड़ जाने पर, सिगरेटों की उपयोगिता बढ़ जायेगी। यदि चौड़ी मोहरी की पतखून फँसन में नहीं हो तो उसकी उपयोगिता कम होगी परन्तु कुछ समय बाद फँसन में पुनः आ जाने पर इसकी उपयोगिता बढ़ जायेगी। इसी प्रकार एक गरीब आदमी के लिये बहुत-सी चीजों की उपयोगिता नहीं होती है परन्तु आय बढ़ जाने पर उसमें उन चीजों के लिये इच्छा पैदा हो जायेगी और इनकी उपयोगिता भी बढ़ जायेगी।

(५) वस्तु तथा उसकी स्थापान्न वस्तुओं का मूल्य समान रहना चाहिये :— किसी एक वस्तु के समूह या उसकी स्थापान्न वस्तुओं के महंगी हो जाने से उस वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा अधिक प्रबल हो जाती है। चाय सती या काफी महंगी हो जाने पर, व्यक्ति चाय की अधिक मात्रा खरीदने लगेगा और चाय की थगली इकाईया की उपयोगिता बढ़ जायेगी।

उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद :—

इस नियम के कुछ अपवाद भी बताये जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं —

(१) उपभोग इकाई का बहुत छोटा होना :— माना कि एक व्यक्ति चाय बनाना चाहता है। इसके लिये कोयले की आवश्यकता होती है। मान लीजिये कि उसे १ छटाक कोयला मिल जाता है। इससे उसका कोई कार्य नहीं बनगा क्योंकि कोयले की मात्रा बहुत ही अपर्याप्त है। यदि उसे एक छटाक कोयला और मिल जाय तो उस व्यक्ति के लिये इसकी उपयोगिता पहले कोयले की अपेक्षा अधिक होगी क्योंकि २ छटाक कोयले की मात्रा काम चायक मात्रा के समीप पहुँचती जायेगी। अतः नियम लागू नहीं होगा।

उपयोगिता ह्रास नियम

के अपवाद :—

- १ उपभोग इकाई का छोटा होना ।
- २ अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह ।
- ३ दिखावट, शक्ति व धन की इच्छा ।
- ४ मादक वस्तुओं का उपभोग ।
- ५ एक वस्तु का बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयोग ।
- ६ मधुर कविता या गीत ।
- ७ उपभोग की प्रारम्भिक अवस्था ।

यह अपवाद केवल इसलिये हैं क्योंकि वस्तु की इकाई बहुत ही छोटी मानी गई है। व्यवहार में प्रत्येक वस्तु की इकाई का परिमाण इतना अवश्य होता है कि वह काम की हो। परन्तु फिर भी कुछ समय बाद जब पर्याप्त कोयला इकट्ठा हो जायगा तो कोयल की प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता गिरन लगेगी।

(२) अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह :— विचित्र व दुर्प्राप्य वस्तुयें जितनी अधिक मिलती जाती हैं उतनी ही उनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। मान लीजिये कि एक मित्रके इकट्ठे करने वाले को अकबर के युग का सिक्का मिल

जाता है उसका बाद औरगजेर के युग का सिक्का मिलने पर उसकी उपयोगिता अकबर के सिक्के में अधिक होगी क्योंकि यह उसके संग्रह को अधिक बहुमूल्य बना देगा। यही बात टिकट या हस्ताक्षर संग्रह करने के सम्बन्ध में गही होगी। परन्तु यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम इस कारण लागू नहीं होता क्योंकि वस्तु की इकाईयाँ एक ही प्रकार की नहीं हैं। अगर हमारा भी सिक्का अकबर के युग का मिलता है तो निश्चय रूप से इसकी उपयोगिता पहले से कम होगी। अतः यह अपवाद वास्तविक नहीं है।

(३) दिखावट, शक्ति व धन की इच्छा — प्रदर्शन, शक्ति तथा द्रव्य आदि के उपासकों का अपनी अभीष्ट वस्तु के प्रति मोह असोपणनीय है। परन्तु वास्तव में यह अपवाद अवास्तविक है क्योंकि दिखावट या प्रदर्शन की इच्छा कोई एक वस्तु से सम्बन्धित नहीं होती यह बहुत सी वस्तुओं की सामूहिक इच्छा है। वस्तु एक नहीं अनक हैं। मनुष्य व पास जितना धन बढ़ता जाता है उतना ही उसका धन संग्रह का मोह बढ़ता जाता है। परन्तु धन की इच्छा भी एक सीमा के पश्चात् कम होन लगती है। मिदास राजा (King Midas) का उदाहरण हमारे सम्मुख है। शक्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में परे है।

(४) मादक वस्तुओं का उपभोग :—यह कहा जाता है कि एक शराबी को शराब के हर दूमरे प्याने में अधिक उपयोगिता मिलती है। परन्तु यह अपवाद भी मिथ्या है क्योंकि शराब का पहला प्याला पी लेने के पश्चात् शराबी की मानसिक स्थिति बदल जाती है। इसके अनिश्चित शराबी औसत व्यक्ति नहीं हैं अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र से परे है।

(५) एक वस्तु का बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयोग :—एक शहर में जैसे २ टेलीफोन कनक्शन की समस्या बढ़ती जाती है त्यों २ उस व्यक्ति के लिये जिसके पास पहले से ही टेलीफोन है अधिक उपयोगिता हानि जायेगी क्योंकि वह टेलीफोन का पहले से अधिक उपयोग कर सकता है। परन्तु यह अपवाद भी असत्य है। अगर टेलीफोन की समस्या एक ही व्यक्ति के पास बढ़ती है तो उसको प्रत्येक अगले टेलीफोन की उपयोगिता कम होती जायेगी परन्तु अगर अन्य व्यक्तियों के पास टेलीफोनो की समस्या बढ़ती है तो यह नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि वस्तु की इकाईयो का विस्तार कई व्यक्तियों में होता है। -

(६) मधुर कविता या गीत :—प्रोफेसर टासिग (Tausig) का कथन है कि किसी अच्छी पुस्तक या कविता के द्वारा तिवारा पढ़ने या किसी मधुर गीत को सुनना या तिवारा सुनने में पढ़ती बार की अपक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यह हमारे नित्य-प्रति के अनुभव की बात है।

(७) अर्थशास्त्रियों का मत है कि वस्तु के उपभोग की प्रारम्भिक अवस्थाओं में जब तक कि अधिकतम मनुष्य का बिन्दु न आ जाय, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई में बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है।

अतः नियम के उपरोक्त अपवादों के विवरण में यह स्पष्ट है कि इस नियम का कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। छूट और मातृवें अपवादों को वास्तविक अपवाद कहकर पुकारा जाता है परन्तु यह मिथ्या है। एक सीमा एसी अवश्य आती है जबकि हम एक ही गीत या कविता को और अधिक सुनना पसन्द नहीं करेंगे। इसी प्रकार अधिकतम मनुष्य का बिन्दु के पश्चात् से उपयोगिता घटन लगती है। अतः इस प्रवृत्ति को विश्वव्यापी कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी। .

समसीमान्त उपयोगिता नियम

प्रश्न ३०—समसीमान्त उपयोगिता नियम को समझाइये और उसके महत्व पर प्रकाश डालिये ।

* (What is the law of Equi-Marginal Utility ? Explain also its importance)

उत्तर—

मनुष्य की आवश्यकतायें असीमित हैं परन्तु इन आवश्यकताओं को सतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं । इसलिए हम अपनी सभी आवश्यकताओं को सतुष्ट नहीं कर पाते और हमारे सम्मुख सदैव यह समस्या रहती है कि अपने सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं की सतुष्टि में किस प्रकार व्यय करें कि हमको अधिकतम सतोष की प्राप्ति हो । इसलिए वह अधिक लाभदायक अथवा अधिक उपयोगिता वाली चीजों को कम उपयोगिता वाली चीजों के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा । सर्वप्रथम वह सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को खरीदेगा इसके पश्चात् वह उस वस्तु को खरीदेगा जो पहले की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण और आवश्यक है । परन्तु फिर भी अन्य वस्तुओं से अधिक आवश्यक है । इस प्रकार ही व्यय करने से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है । प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय को इसी प्रकार व्यय करता है । जो वस्तु द्रव्य की इकाई के बदले में अपेक्षाकृत अधिक सतुष्टि देती है उस पहले क्रय किया जाता है और जो इसी इकाई के बदले में सबसे कम सतुष्टि देती है उसे अन्त में खरीदा जाता है । यह क्रय द्रव्य की सब इकाईयों के व्यय हो जाने तक चालू रहता है ।

अगर आय को उपरोक्त क्रम में विभिन्न वस्तुओं के खरीदने में व्यय किया जाये तो अन्त में उपभोक्ता को इस बात का अनुभव होगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई द्रव्य की अन्तिम इकाई की उपयोगिता समान अथवा लगभग समान है । इसी को अर्थशास्त्र में समसीमान्त उपयोगिता नियम कहते हैं अतः नियम के अनुसार "रूपया की किसी निश्चित रकम से अधिकतम सतुष्टि तब ही प्राप्त हो सकती है जबकि हर वस्तु पर व्यय होने वाली रूपयों की अन्तिम इकाई की उपयोगिता या प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर है ।"

प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को इस प्रकार व्याख्या की है "यदि एक वस्तु का प्रयोग कई कार्यों में किया जा सकता है तो उसका बंटवारा उन समस्त कार्यों में इस प्रकार करना चाहिये कि प्रत्येक कार्य में व्यय की गई उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता समान हो" (If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all" —Marshall.) इस नियम को अधिकतम सन्तुष्टि का नियम (Law of Maximum satisfaction) भी कहते हैं क्योंकि इस नियम के अनुसार व्यय करने से ही अधिकतम सन्तोष की प्राप्ति हो सकती है। इसको 'व्यय निदान' (Law of Expenditure) भी कहा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति व्यय करने के ढंग को बताता है।

यह बात याद रखने योग्य है कि यह नियम तभी लागू होता है जबकि वस्तु एक ही परन्तु उसकी कई कार्यों में प्रयोग किया जाये। द्रव्य ऐसी वस्तु है।


उदाहरण — मान लीजिये कि मोहन के पास १२ रु० हैं और वह उन को गेहूँ, फल, चीनी और घी पर व्यय करना चाहता है। अब सवाल यह है कि कितना धन किस वस्तु पर व्यय करें। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार मोहन की इन चीजों की उपयोगिता निम्न प्रकार है :—

प्राप्त उपयोगिता				
रुपये की इकाई	गेहूँ	फल	चीनी	घी
१	१२ (१)	८ (३)	८ (४)	७ (६)
२	१० (२)	६ (७)	४ (६)	४ (१०)
३	८ (५)	४ (११)	३	२
४	६ (८)	२	१	०
५	४ (१२)	०	०	
६	२			
७	०			

मोहन पहले रुपये की गेहूँ पर व्यय करेगा क्योंकि उपरोक्त तालिका के अनुसार इसमें उसकी अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे रुपये की भी वह गेहूँ पर व्यय करेगा। तीसरे, चौथे व पाचवें रुपये की वह फल, चीनी व गेहूँ पर व्यय करेगा। इसी प्रकार खर्च करते चले जाने पर मोहन के ५ रु० गेहूँ पर ३ रु० फलों पर, २ रु० घी पर व्यय होंगे और ऐसा करने से प्रत्येक

वस्तु की इकाई से अथवा प्रत्येक वस्तु पर व्यय की जाने वाली रूप्यो की अन्तिम इकाई से मोहन को ४ इकाई की उपयोगिता मिलती है—सीमात उपयोगिता प्रत्येक दशा म समान है। इस प्रकार उसे कुल ८१ इकाई उपयोगिता प्राप्त होगी यदि वह उपरोक्त क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से अपन धन का व्यय करता है तो न सीमान्त उपयोगिता ही बराबर होगी और न अधिकतम सन्तोष ही प्राप्त होगा। यदि मोहन गेहूँ पर ५ रु० के स्थान पर ४ रु० व्यय करे और फलों पर ३ रु० के स्थान पर ४ रु० व्यय करे तो सीमात उपयोगितायें तो बराबर होंगी ही नहीं साथ ही साथ कुल उपयोगिता घट कर ७६ रह जायेगी। इसी प्रकार अन्य क्रम भी देखे जा सकते हैं परन्तु व्यय करने का प्रथम ढंग ही सर्वोत्तम है और अधिकतम सन्तोष प्रदान करता है। अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिये सीमात उपयोगिताओं का समान या लगभग समान होना अति आवश्यक है।

चित्र द्वारा निरूपण



उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि गेहूँ की पाँच, फल की तीन, चीनी की दो और घी की दो इकाइयाँ खरीदी गई हैं। प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता (जो रंगे भाग द्वारा प्रदर्शित की गई है) बराबर हैं।

समसीमान्त उपयोगिता नियम का महत्व—इसी नियम का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व है। यह अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में लागू होता है। प्रोफेसर राबिंस ने तो इसका 'अर्थशास्त्र का आधार' बतलाया है क्योंकि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सर्वत्र इसी नियम का पालन करना पड़ता है।

प्रत्येक उपभोक्ता की आय सीमित है वह उससे अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को इस प्रकार सन्तुष्ट करना चाहता है कि उसे सर्वाधिक सन्तोष प्राप्त हो। यह नियम इस उद्देश्य प्राप्ति में उसकी मदद करता है। उपभोक्ता अपनी आय को वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं पर

व्यय करने में इसी नियम का पालन करता है। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका कई कार्यों में प्रयोग होना है तो उस वस्तु के सर्वश्रेष्ठ उपभोग के लिये इसी नियम का पालन किया जाता है।

उत्पादकों को भी इस नियम की शरण लेनी पड़ती है। उसका उद्देश्य कम से कम लागत उत्पत्ति करना होता है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वह अधिक मूल्य वाले उत्पादन साधनों के स्थान पर कम मूल्य वाले साधनों को प्रति स्थापित करता है। विनिमय तो मुख्यतः प्रति स्थापना की ही क्रिया है। दो मनुष्यों के बीच दो वस्तुओं का विनिमय उसी सीमा तक होता है जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य के लिये दोनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाती है। द्रव्य द्वारा विनिमय में भी हम द्रव्य की इकाईयों के बढ़ने उपभोग की वस्तुओं का प्रतिस्थापन करते हैं। वितरण के क्षेत्र में भी उत्पत्ति के साधनों का पुरुष्कार उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर दिया जाता है। राज्य भी अपना व्यय इसी सिद्धांत के अनुसार करता है। राज्य के साधन भी सीमित हैं। वह अधिकतर सामाजिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिये रुपया इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक मद से लगभग बराबर सीमांत लाभ प्राप्त हो।

प्रश्न ३१—समसीमांत उपयोगिता का नियम प्रतिपादित और स्पष्ट कीजिए। इस नियम के पालन में क्या कठिनाइयाँ हैं? यह व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के व्यय में किस प्रकार पथप्रदर्शन करता है?

(State and explain the law of Equi Marginal Utility? How does it guide the day today expenditure of a person?)

उत्तर—

प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न ३० का उत्तर पढ़िये।

नियम की सीमाएँ या प्रयोगों में कठिनाइयाँ —

समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति एक प्रवृत्ति का द्योतक है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उपभोक्ता इस नियम के अनुसार व्यय करने के लिये विवश होगा। नियम तो यह बतलाता है कि अधिकतम सतोष प्राप्ति के लिये साधनों को इस प्रकार व्यय करना चाहिये। हाँ सक्ता है कि उपभोक्ता ऐसा न कर पाये। व्यवहारिक जीवन में इससे लागू होने में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जो निम्न हैं :—

(१) उपभोक्ता की लापरवाही व अज्ञानता :—बहुत से व्यक्तियों

समसीमांत उपयो-
गिता नियम की कठि-
नाइयाँ एवं सीमायें :-

१. उपभोक्ता की लापर-
वाही व अज्ञानता ।
२. रीति-रिवाज तथा
फैशन ।
३. मूल्य परिवर्तन ।
४. वस्तुओं के विभाजन
में असुविधा ।
५. वस्तुओं की अप-
युक्तता ।
६. धन की सीमान्त
उपयोगिता में परि-
वर्तन ।

को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि
उनको श्रमिक वस्तु से इतनी उपयोगिता
प्राप्त होती है और श्रमिक से इतनी ।
कुछ व्यक्ति जानबूझ कर इस नियम की
अवहेलना करते हैं और विभिन्न वस्तुओं
की उपयोगिताओं के अनुमान लगान की
परवाह ही नहीं करते । उनको जब किसी
वस्तु की आवश्यकता अनुभव होती है
तब ही उसको खरीद डालते हैं चाहे
उनके पास अन्य आवश्यकताओं के लिये
पैसा रहे या न रहे या उसकी अन्य
महत्वपूर्ण आवश्यकतायें अतृप्त रह जायें ।

✓(२) रीति रिवाज तथा फैशन :-

सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति
को अनेकों रीति-रिवाजों और प्रथाओं
का पालन करना पड़ता है चाहे उनकी

उसके लिये कोई उपयोगिता हो या न हो ।। ऐसी प्रथायें हमारे भारतवर्ष
में बहुत ही अधिक प्रचलित हैं । मृत्यु पश्चात् भोज देना आवश्यक है चाहे
कण लेकर किया जाय । व्यक्ति को अपनी अन्य आवश्यक आवश्यकताय
छोड़ कर ऐसे कार्यों पर व्यय करना पड़ता है । वह धन साधनों का ठीक
उपयोग नहीं कर सकता और उसका आचरण इस नियम के प्रतिकूल चला
जाता है । यही बात फैशन के सम्बन्ध में मही है । फैशन में प्रभावित होकर
व्यक्ति को ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना पड़ जाता है जिनकी उपयोगिता
बहुत कम होती है ।

(३) मूल्य परिवर्तन :—विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में समय-
परिर्वर्तन होते रहते हैं और उपभोक्ता के व्यय का वह क्रय भंग ही जाता है जो
उसने एक बार तय किया था । इसको प्राथमिकता सारिणी दुबारा बनानी
पड़ती है और वस्तुओं को मात्रा में पुनः हेर फेर करना पड़ता है । इस कठिनाई
और परेशानी से बचने के लिये उपभोक्ता इस नियम का पालन करना ही छोड़
देता है ।

(४) वस्तुओं के विभाजन में असुविधा —कुछ वस्तुयें ऐसी होती

हैं जैसे मोटर जिनको कि हम छोटी छोटी इकाईयों में नहीं बाट सकते हैं जिससे कि उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता की तुलना अन्य छोटी-छोटी इकाईयों की वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता की तुलना से नहीं की जा सकती। अतः इस नियम के प्रयोग में असुविधा हो जाती है।

(५) वस्तुओं की अपर्याप्तता :—बुद्ध व तुपें ऐसी होती हैं जो कि कट्टील या राशन के समय आसानी से प्राप्त नहीं हो सकतीं और यदि प्राप्त होती भी हैं तो अधिक खर्च करना पड़ता है। अतः उपभोक्ता इन वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। अतः इस नियम के प्रयोग में कठिनाई होती है।

(६) धन की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तन :—जैसे-जैसे हम वस्तुओं की इकाई खरीदते जाते हैं वैसे ही हमारे लिए धन की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है, जिससे नियम के पालन में परेशानी होती है।

उपरोक्त कठिनाइयों से तात्पर्य नहीं निकालना चाहिये कि समसीमात उपयोगिता नियम पूर्णतया काल्पनिक है। छोटी छोटी मात्रा में धन व्यय करते समय भले ही उपभोक्ता इस नियम को ध्यान में न रखे परन्तु यदि व्यय की जाने वाली रकम बहुत ज्यादा है तो वह व्यय की विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की प्रवश्य ही तुलना करेगा और उस वस्तु को पहले खरीदेगा जिससे उपयोगिता अधिक मिलती है। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति जाने या अनजान, इस नियम के अनुसार ही आचरण करता है।

प्रश्न ३२—आपको १६ रुपये तीन वस्तुओं क, ख ग पर जिनकी सीमात उपयोगितायें नीचे दर्ज हैं व्यय करने हैं। वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का मूल्य १ रु० है। बतलाइये इन तीनों वस्तुओं पर आप किस प्रकार धन व्यय करेंगे।

(क) १००, ६०, ७८, ६८, ६०, ५०, ४२

(ख) ८०, ७६, ७०, ६८, ५२, ४०, २८

(ग) ७६, ६४, ५४, ४६, ३६, ३०, २०

(You are asked to spend a sum of Rs 16 on three Commodities—A, B and C whose marginal utilities are given below Show how will you spend the money on these commodities, if each unit of the commodities costs Rs 1/- each)

	1	2	3	4	5	6	7
(A)	100	90	78	68	60	50	42
(B)	80	76	70	68	52	40	28
(C)	76	64	54	46	38	30	20

उत्तर—

दिये हुए प्रश्न में वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का मूल्य ₹ २० है और हमको कुल ₹ ६० व्यय करने हैं। इस प्रकार हम तीनों वस्तुओं की कुल १६ इकाईया खरीद सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन १६ रूपयों की विभिन्न वस्तुओं के क्रय करने में किस प्रकार प्रयोग किया जाय कि हमको अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो।

समसीमांत उपयोगिता नियम (Law of Equi-Marginal Utility) के अनुसार व्यय करके एक उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस नियम के अनुसार दिये हुए धन से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जबकि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की जाने वाली द्रव्य की अन्तिम इकाई की उपयोगिता समान अथवा लगभग समान हो। इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर १६ रूपयों को तीनों वस्तुओं पर निम्न प्रकार व्यय किया जायगा :—

रूपये की इकाईया	व्यय की वस्तु			प्राप्त उपयोगिता
पहली	100 क०			१००
दूसरी	90 क०			९०
तीसरी		३० ख०		८०
चौथी	78 क०			७८
पाँचवी		१६ ख०		७६
छठी			१६ ग०	७६
सातवी		१६ ख०		७०
आठवी	68 क०			६८
नवी		६४ ग०		६८
दसवी			६४ ग०	६४
ग्यारहवी	60 क०			६०
बारहवी			५४ ग०	५४
तेरहवी		५२ ख०		५२
चौदहवी	५० क०			५०
पन्द्रहवी			५६ ग०	४६
सोलहवी	५२ क०			४२
व्यय की गई इकाईया	७	५	४	१०७४ इकाईया

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हम क वस्तु की ७, ख वस्तु की ५ और ग वस्तु की ४ इकाईया खरीदेंगे। क वस्तु पर व्यय किये जाने वाले पाँचवें रुपये की सीमान्त उपयोगिता ५२ और ग वस्तु पर व्यय होने वाले सातवें रुपये की सीमान्त उपयोगिता ४२ है, ख वस्तु पर व्यय किये जाने वाले चौथे रुपये की सीमान्त उपयोगिता ४६ इकाई है। ४२, ४६, ५२ उपयोगिताये लगभग समान हैं। इस क्रम से व्यय करने पर हमको १०७८ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। यह उपयोगिता अधिकतम है। यदि हम किसी और क्रम से वस्तुओं का क्रय करें तो हमारी कुल उपयोगिता प्रत्येक दशा में १०७४ से कम ही होगी। मान लीजिये हम क वस्तु पर १ रुपया कम अर्थात् ६ रुपये व्यय करें और ख वस्तु पर १ रुपया अधिक अर्थात् ६ रुपये व्यय करें तो हमको ४२ उपयोगिता की कमी और ४० इकाई उपयोगिता की वृद्धि होती है अर्थात् कुल उपयोगिता $(१०७४-२) = १०७२$ इकाईयाँ रह जावेंगी। इस बात को वस्तु क्रम में अन्य परिवर्तन करके दिखाया जा सकता है। प्रत्येक दशा में कुल उपयोगिता १०७४ इकाईयों से कम ही होगी।

अध्याय १७

उपभोक्ता की वचत

प्रश्न ३३—‘उपभोक्ता की वचत’ का क्या अर्थ है? यह कैसे उदय होती है? इसके अध्ययन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

(What is the meaning of ‘Consumers Surplus’? How does it arise? Discuss the utility of this concept.)

उत्तर—

‘उपभोक्ता की वचत’ का विचार अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया था। उपयोगिता हानि नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो हमें अधिक इकाईयों का लालच रहता है, जो कि उपभोक्ता की वचत कहलाती है। वस्तु की आन्तरिक इकाई की सीमान्त उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है। वस्तु के लिये दी जाने

वाली कीमत उपभोक्ता द्वारा वस्तु को प्राप्त करने में त्याग की गई उपयोगिता के बराबर है। सीमात इकाई से हमको उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है जितनी कि मूल्य के रूप में त्याग की जाती है। सीमात इकाई से पूर्व की इकाईयों से हमको त्याग की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है क्योंकि बाजार में वस्तु की प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होता है। इसलिये सीमात इकाई को छोड़कर प्रत्येक पूर्व की इकाईयों पर उपभोक्ता को उपयोगिता की बचत प्राप्त होती है। इसी को अर्थशास्त्र में 'उपभोक्ता की बचत' कहते हैं। अतः किसी वस्तु से प्राप्त सन्तुष्टि और उस वस्तु को खरीदने में व्यय हुई सन्तुष्टि के अन्तर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रो० जे० के० मेइत्ता के शब्दों में "किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सन्तुष्टि और उस वस्तु को पाने के लिए किए गए त्याग के अन्तर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं" (Consumers Surplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and which he for goes in order to procure that commodity)

वस्तु सीमात की इकाई के अतिरिक्त पूर्वं की प्रत्येक इकाई के लिये उपभोक्ता अधिक मूल्य देने को तैयार होता है परन्तु वास्तव में वह प्रत्येक के लिये एक समान मूल्य देता है। इस प्रकार उसकी कुछ द्रव्य की बचत हो जाती है जो कि अन्य वस्तुओं के खरीदने में व्यय हो सकती है। अतः एक वस्तु के प्राप्त करने के लिये जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं और जो वास्तव में हम देते हैं के अन्तर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रो० मार्शल ने इस विचार की निम्न परिभाषा दी है :-

"किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत इस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है, और जो कीमत वह वस्तु को देता है, उनका अन्तर ही इस तृप्ति का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं" (The excess of the price which he would be willing to pay rather than go without thing, over that which he actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfaction" Marshall.) एक प्यासा व्यक्ति एक गिलास पानी के लिये ५ रु० देने को तैयार है इससे ज्यादा वह इसका मूल्य नहीं दे सकता परन्तु वास्तव में वह उसको एक आने में मिल जाता है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता की बचत ४ रु० १५ आ० होगी।

उपभोक्ता की वचत का उदय निम्न कारणों से होता है :—

- (१) उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपयोगिता के क्रमशः घटने की प्रवृत्ति ।
- (२) वस्तु के मूल्य का सीमान्त उपयोगिता के बराबर होना ।
- (३) वस्तु की प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होना ।

उदाहरण — मान लीजिये बाजार में प्रति टोपी कीमत ५ आना है और एक व्यक्ति क्रमशः घटती उपयोगिता नियम के अनुसार पहली टोपी के लिये ३० आना, दूसरी के लिये २० आना, तीसरी के लिये १० आना, चौथी के लिये ५ आना और पाँचवीं के लिये २ आना देने को तैयार है । वह पहली तीन टोपियाँ बगैर हिचक के खरीद लेगा क्योंकि उनमें उसे ५ आने से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, वह चौथी टोपी भी खरीद लेगा क्योंकि ऐसा करने से उसको कोई हानि नहीं है । किन्तु वह पाँचवीं टोपी नहीं खरीदेगा क्योंकि इससे उसको तीन आने के बराबर उपयोगिता की हानि होगी । उसको ६५ आने उपयोगिता प्राप्त होगी और २० आने की उपयोगिता का त्याग करना पड़ेगा । अतः उसकी उपभोक्ता की वचत ४५ आने के बराबर है ।

निम्न तालिका द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है .—

इकाई की संख्या (टोपी)	प्रति इकाई उपयोगिता (आने में)	प्रति इकाई मूल्य	उपयोगिता की वचत (आने में)
१	३०	५	२५
२	२०	५	१५
३	१०	५	५
४	५ सीमान्त	५	०
५	२ इकाई	५	

$\left. \begin{array}{l} 25 \\ 15 \\ 5 \end{array} \right\} 45 \text{ आने}$

उपभोक्ता की वचत को निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है :—

$$\begin{aligned} \text{उपभोक्ता की वचत} &= \text{कुल उपयोगिता} - \left\{ \text{सीमान्त उपयोगिता} \times \text{उपभोग} \right. \\ & \quad \left. \text{इकाईयों की संख्या} \right\} \\ &= 65 - (5 \times 4) = 45 \text{ आने।} \end{aligned}$$

चित्र द्वारा निरूपण



आयतो के रगे हुए भाग प्रत्येक इकाई से उपभोक्ता की बचत को प्रदर्शित करते हैं।

उपभोक्ता की बचत का महत्व —सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोण से उपभोक्ता की बचत का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व है। अपने दैनिक जीवन में हम इसका अनुभव करते हैं। हम समाचार-पत्र केवल २ आने में देकर खरीदते हैं, दियामलाई के लिये हम १ आना देते हैं, पोस्ट-कार्ड के लिये हम तीन पैसे देते हैं परन्तु इन चीजों को प्राप्त करने को हम बहुत कुद्य देने को तैयार हो जायेंगे। अतः उपभोक्ता की बचत का विचार हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि वस्तु की उपयोगिता उसके लिए किए गए त्याग से अधिक होती है।

वित्त मंत्री भी नये कर लगाते समय या पुराने करों में वृद्धि करते समय इस विचार का आश्रय लेता है— कर उन्हीं वस्तुओं पर लगाने चाहियें जिनसे पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। जिन वस्तुओं से यह बचत कम होती है, उन पर कर लगाने से लोग दुखी होते हैं।

यदि हमें किसी जाति अथवा देश के निवासियों के भौतिक कल्याण व रहन-सहन के दर्जे का अध्ययन करना है तो हमें उस देश के लोगों की उपभोक्ता की बचत को देखना होगा। जिस देश में उपभोक्ता की बचत अपेक्षाकृत कम है वहाँ के निवासियों सुखी नहीं कहे जा सकते हैं। अफ्रीका आदि देश उसी प्रकार के हैं। इनके विपरीत योरोप व अमरीका के देश में उपभोक्ता की बचत बहुत अधिक है।

एकाधिकारी व्यापारी (Monopolist) अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय इस बचत की सहायता लेकर अपने मूल्यों को घटाता बढ़ाता है। अगर उसकी वस्तु में उपभोक्ताओं को काफी बचत प्राप्त हो रही है तो वह उसका मूल्य बढ़ाकर अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयत्न करेगा। इसके विपरीत अगर बचत कम है तो वह मूल्य में कोई

वृद्धि नहीं करेगा अन्यथा उपभोक्ताओं में उसके प्रति असन्तोष उत्पन्न हो जायेगा ।

किसी देश को उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसका माप उपभोक्ता की बचत द्वारा किया जा सकता है । किसी वस्तु के आयात से उस वस्तु के उपभोग में पहले की अपेक्षा उपभोक्ता की बचत जितनी बढ़ गई है उतना ही उस वस्तु के आयात व्यापार से लाभ हुआ ।

— —

अध्याय १८

माँग और पूर्ति

प्रश्न ३४—माँग किसे कहते हैं ? माँग का नियम समझाइये और इसका उपयोगिता ह्रास नियम से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये ।

(What is demand ? Explain the law of demand, and show its relationship with the law of Diminishing Utility)

उत्तर :—

माग किसी वस्तु को प्राप्त करने की उस इच्छा को कहते हैं जो उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन तथा उन साधनों को उस वस्तु की प्राप्ति के नियम दे देने की तत्परता से समुक्त होती है । दूसरे शब्दों में प्रभावोत्पादक इच्छा (Effective desire) को माग कहते हैं । इससे यह प्रतीत होता है कि 'माँग' और 'आवश्यकता' दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । परन्तु ऐसा नहीं है, आवश्यकता और माँग में अन्तर है । इन दोनों को व्यक्त करने के तरीके में अन्तर है । माग सदैव एक विशेष मूल्य पर होती है, आवश्यकता बिना मूल्य के व्यक्त की जाती है । मान लो एक व्यक्ति रेडियो खरीदना चाहता है, उसके खरीदने के लिये उसके पास धन भी है और वह उस धन को व्यय करने को भी तैयार है तो यह कहा जायेगा कि उसको रेडियो की आवश्यकता है । किन्तु यह कहने के लिए कि उसको रेडियो की माग है, यह व्यक्त करना होगा कि उसको प्रमुख मूल्य पर रेडियो की माग है । वह कह सकता है कि मुझे ३०० रुपया पर रेडियो की माग है । अतः स्पष्ट है कि माँग सदा मूल्य सापेक्ष होती है जबकि आवश्यकता को व्यक्त करने के लिये मूल्य को नहीं बतलाया जाता है ।

माग के लिये चार बातों का होना आवश्यक है —

- (१) किसी वस्तु की इच्छा
- (२) वस्तु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन
- (३) साधनों को देकर वस्तु प्राप्त करने की तत्परता
- (४) वस्तु का एक निदिष्ट मूल्य ।

अतः 'किसी वस्तु को निदिष्ट मूल्य पर प्राप्त करने की उस इच्छा को जिसकी सन्तुष्टि के लिये व्यक्ति के पास आवश्यक साधन और उन साधनों को व्यय कर डालने की तत्परता हो, माग कहते हैं' ।

दूसरे अर्थ में माग शब्द से तात्पर्य किसी वस्तु की विशेष मूल्य पर मांगी हुई मात्रा से है। प्रो० वेनहम के शब्दों में "किसी वस्तु की मांग से वस्तु की उस मात्रा का बोध होता है जो किसी विशेष कीमत पर, किसी विशेष समय में खरीदी जायेगी" (The demand for anything at a given price, is the amount of it which will be bought per unit of time at that price.) प्रो० कॅरनीज की परिभाषा में उपरोक्त दोनों ही अर्थों का समावेश है। उनके अनुसार "यह सप्रमाणिक भाग होती है और उस मात्रा द्वारा सूचित होती है जो एक दी हुई कीमत पर लोग खरीदने को तैयार हैं" ।

माग का नियम (Law of Demand) :—

माग का नियम बतलाता है कि किसी वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। अर्थात् वस्तु की कीमत और माग में उल्टा सम्बन्ध है—कीमत बढ़ जाने से मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने से माग बढ़ जाती है। प्रो० मार्शल के अनुसार "कीमत गिरने से मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर उठने से मांग घटती है" माग और मूल्य का सम्बन्ध बच्चों को खेलने के (Sea-Saw) से अच्छा समझा जा सकता है। जब एक सिरे पर बँठा हुआ बच्चा नीचे आता है तो दूसरे सिरे पर बँठा हुआ बच्चा ऊपर उठ जाता है और जब दूसरा नीचे आता है तो पहला ऊपर उठ जाता है। ठीक यही बात मांग और मूल्य की है। माग की प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि उसमें कीमत की विपरीत दशाओं में परिवर्तन होते हैं। माग की इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में 'माग का नियम' कहा जाता है।

यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि माग में कीमत की विपरीत दशा में परिवर्तन होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि मांग-मूल्य और मांगी गई

मात्रा में समान अनुपात में ही घट बढ़ हो। एक वस्तु के २०% मूल्य बढ़ जाने पर यह आवश्यक नहीं कि उसकी मांग २०% कम हो जाय। कभी इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है। मांग का नियम तो एक प्रवृत्ति का द्योतक है। अगर अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की रुचि फैशन, आमदनी, व्यवसाय, स्थाना-पत्रों की कीमत, समय आदि पूर्ववत् रह तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी मांग में विपरीत दशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होगी। यही मांग का नियम है।

मांग नियम का उपयोगिता ह्रास नियम से सम्बन्ध : मांग नियम क्रमगत उपयोगिता ह्रास नियम से ही निकला है। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार ज्यों ज्यों एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है त्यों-त्यों उसके लिये वस्तु की अगली इकाईयों की उपयोगिता कम होती जाती है अर्थात् वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। इसलिए ज्यों ज्यों अधिक इकाईयाँ खरीदी जाती हैं वस्तु की उपयोगिता में ह्रास होने के कारण वह उस वस्तु की अगली इकाईयों के लिये कम मूल्य देने को तैयार होता है। दूसरे शब्दों में वह किसी वस्तु की अधिक मात्रा कम मूल्य पर खरीदेगा। इसके विपरीत यदि सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है तो उसका थोड़ी सी मात्रा मोल लेकर ही अपनी खरीद बन्द करनी पड़ेगी क्योंकि स्वयं की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु की सीमांत उपयोगिता शीघ्र ही बराबर हो जाती है। इसलिये अधिक मूल्य पर कम मात्रा मोल ली जाती है। अतः मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है।

— — —

प्रश्न ३५—मांग की लचक का क्या अर्थ है ? मांग की लचक को प्रभावित करने वाली बातों को बताइये।

(What is elasticity of Demand ? State the factors which govern the elasticity of demand)

उत्तर :—

मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और उसकी कीमत घट जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाने की प्रवृत्ति को 'मांग की लचक' कहते हैं। डा० केरनक्रॉस (Dr. Cairncross) के शब्दों में "किसी वस्तु की मांग की लचक उस तेजी को दिखाती है जिससे कि कीमतों में परिवर्तनों के साथ खरीदों

जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होते हैं" (The elasticity of demand for a commodity in the rate at which the quantity bought changes as the price changes)

लोच के प्रकार :— किसी वस्तु की माँग की लोच निम्न पाँच प्रकार की हो सकती है :—

(१) पूर्णतया बेलोचदार माँग :—जब मूल्य में घट-बढ़ होने पर भी किसी वस्तु की माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस वस्तु की माँग पूर्णतया बेलोचदार कही जाती है परन्तु इस प्रकार की माँग की लोच बिल्कुल शून्य है और व्यवहार में ऐसी माँग नहीं पाई जाती। मूल्य परिवर्तन पर वस्तु की माँग में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही होता है चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो।


(२) पूर्णतया लोचदार माँग :—मूल्य अपरिवर्तित रहते हुए भी यदि वस्तु की माँग में बहुत घट-बढ़ हो, तो वस्तु की माँग को पूर्णतया लोचदार कहा जायगा। यह अवस्था भी केवल सैद्धांतिक है और व्यवहार में किसी वस्तु की भी माँग ऐसी नहीं होती।

(३) अधिक लोचदार माँग :—जब मूल्य में थोड़ी सी घट-बढ़ में माँग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि हो जाय तब माँग को अधिक लोचदार कहा जाता है। ऐसी स्थिति में माँग में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन से अधिक अनुपात में होता है। बहुधा विनासिता के पदार्थों की माँग ऐसी ही होती है।

(४) लोचदार माँग :—लोचदार माँग वाली वस्तुओं की माँग में परिवर्तन लगभग उसी अनुपात में होता है जिन अनुपात में उनके मूल्य में परिवर्तन हुआ हो। साधारणतः आरामदायक पदार्थों की माँग लोचदार हुआ करती है।

(५) बेलोचदार या सामान्य लोचदार माँग :—कुछ वस्तुओं की माँग में मूल्य के परिवर्तन से बहुत कम अनुपात में परिवर्तन होता है। ऐसी माँग को बेलोचदार या सामान्य लोचदार माँग कहा जाता है। अगर नमक का मूल्य दूना हो जाये या आधा रह जाये, तो भी नमक की माँग उतनी ही रहेगी क्योंकि नमक का प्रयोग सदैव एक निश्चित मात्रा में ही होता है।

माँग को लोच के प्रकारों का चित्र द्वारा निरूपण —



माँग को लोच को प्रभावित करने वाली बातें —

निम्न वस्तुओं को माँग की लचक में विभिन्नता के कारण निम्न है —

(१) आवश्यकता के भेद — आवश्यकता पदार्थों की माँग प्रायः बहुत

माँग को लोच को प्रभावित करने वाली बात —

- १ आवश्यकता के भेद ।
- २ वस्तु के अनेक प्रयोग ।
- ३ स्थानापन्न की उपलब्धि ।
- ४ मूल स्तर ।
- ५ वस्तु पर व्यय आय का अनुपात ।
- ६ माँग का स्थगन ।
- ७ उपभोक्ता की रुचि ग्राहक व स्वभाव ।
- ८ सम्पत्ति का वितरण ।

कम लचकीली होती है। आरामदायक पदार्थों की माँग लोचदार और विनाशताओं की माँग बहुत लोचदार होती है। नमक आवश्यक पदार्थ है इसका मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि होने पर, इसके उपयोग में थोड़ी ही कमी कर पायेंगे। इसी प्रकार नमक का मूल्य बढ़ जाने पर हम अधिक नमक खाना प्रारम्भ नहीं करेंगे। परन्तु विनाशताओं का मूल्य कम या अधिक होने पर उनकी माँग में काफी विस्तार या संकुचन हो जाता है। आरामदायक पदार्थों की वस्तुयें हैं और इनकी माँग की लोच साधारण होती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि

आवश्यकताओं का यह वर्गीकरण सापेक्ष है।

(२) **वस्तु के अनेकों प्रयोग :—**जिस वस्तु के बहुत से उपयोग हो सकते हैं उसकी माँग अधिक लोचदार होती है। मूल्य बढ़ने पर इसका उपयोग कम आवश्यक कार्यों से हटा दिया जायगा और घटने पर कम आवश्यक के लिए भी प्रयोग शुरू हो जाता है। जैसे बिजली, यदि यह सस्ती हो जाय तो इसका उपयोग पखा, हीटर, रेफ्रीजरेटर, प्रैस, कुकर आदि में होने लगेगा अन्यथा इसका उपयोग केवल रोशनी करने तथा अन्य आवश्यक उपयोगों तक सीमित रहेगा और माँग में कमी हो जायेगी।

(३) **स्थानापन्न की उपलब्धि :—**उन वस्तुओं की माँग जिनके स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं लोचदार होती है। काफी का मूल्य बढ़ जाने पर लोग चाय का प्रयोग करने लगेंगे और काफी की माँग कम हो जायेगी। इसी प्रकार चाय की कीमत बढ़ जाने पर लोग काफी पीना शुरू कर देंगे और चाय की माँग कम हो जायेगी।

(४) **मूल्य-स्तर :—**माँग की लचक बहुत अधिक और बहुत कम मूल्य पर बेलोचदार होती है। अधिक कीमत की वस्तु को जैसे हीरे की अंगूठी, चाहे इसका मूल्य कम हो या अधिक, समाज के केवल अमीर व्यक्ति ही खरीदते हैं और माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे यदि वस्तु की कीमत इतनी कम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने आवश्यकतानुसार खरीद लिया है तो और अधिक मूल्य कम होने पर इसकी माँग नहीं बढ़ेगी। मध्यम श्रेणी की वस्तुओं की माँग लोचदार होती है।

(५) **वस्तु पर व्यय आय का अनुपात :—**यदि वस्तु पर मनुष्य की आमदनी का ज्यादा भाग खर्च होता है तो वस्तु की माँग लोचदार और बहुत थोड़ा भाग व्यय होता है तो माँग बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिये नहाने का साबुन, इस पर आय का बहुत ही छोटा अंश व्यय किया जाता है, इसकी माँग बेलोचदार होगी। परन्तु कपड़े पर व्यक्ति की आय का एक बड़ा अंश व्यय होता है, मूल्य बढ़ने पर, कपड़े का प्रयोग कम हो जायेगा और घटने पर बढ़ जायेगा अतः कपड़े की माँग लोचदार होगी।

(६) **माँग का स्थगन :—**जिन वस्तुओं की माँग को भविष्य के लिये स्थगित किया जा सकता है, उसकी माँग लोचदार होती है और जिन वस्तुओं का उपभोग स्थगित नहीं किया जा सकता, उनकी माँग बेलोचदार होती है। जूतों की कीमत में वृद्धि हो जाने पर, उपभोक्ता कुछ दिनों के लिये जूते पहनने को टाल कर सकता है, वह अपने पुराने जूतों की मरम्मत करा कर प्रयोग में ले चाये। ऐसी स्थिति में जूतों की माँग लोचदार हुई।

(७) उपभोक्ता की रुचि, आदत व स्वभाव :—ऐसी वस्तुयें जिनके प्रति उपभोक्ता की रुचि है या जिनको उपभोग करने की आदत पड गई है, इनकी मांग बेलोचदार होती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर उपभोक्ता इनको उसी मात्रा में प्रयोग करते हैं और मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। चाय का मूल्य बढ़ जाने पर भी, चाय का आदी व्यक्ति चाय पीना कम नहीं करेगा। इसलिये चाय की मांग बेलोचदार हुई। परन्तु जिन वस्तुओं का उपभोक्ता आदी नहीं, उनकी मांग लोचदार होती है क्योंकि मूल्य बढ़ने पर उनका प्रयोग आसानी से कम किया जा सकता है।

(८) सम्पत्ति का वितरण :—धन के समान वितरण से मांग की लोच बढ़ जाती है और असमान वितरण से मांग की लोच कम हो जाती है। सम्पत्ति का वितरण जितना समान होगा उतनी ही व्यक्तियों की क्रय-शक्ति समान होगी और मूल्य परिवर्तन का समाज के समस्त लोगों पर समान प्रभाव पड़ेगा। वितरण असमान होने पर एक ओर समाज में निर्धन व्यक्ति होंगे और दूसरी ओर धनिक व्यक्ति। दोनों ही व्यक्तियों की मांग की लचक कम होती है।

—०—

प्रश्न ३६—'मांग की लचक' को पूर्ण व्याख्या कीजिये। मांग की लचक का (अ) करारोपण और (ब) एकाधिकार लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(State and explain fully the Elasticity of demand. Consider the effect of elasticity of demand on (a) Taxation and (b) monopoly profits.)

उत्तर :—

प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न न० ३५ का उत्तर देखिये।

(अ) अर्थशास्त्र में वस्तु की मांग की लचक का बड़ा महत्व है। वित्त-मन्त्री कर लगाने या कर वृद्धि करते समय वस्तु विशेष की मांग की लचक का अध्ययन अवश्य करता है। कर लगाने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगर बेलोचदार मांग वाली वस्तु पर कर लगाया जायेगा तो मूल्य वृद्धि होने पर भी उसकी मांग कम नहीं होगी और करों से राज्य को काफी आमदनी हो सकती है। इसके विपरीत लोचदार मांग की वस्तु पर कर लगाने से उसकी मांग कम हो जायेगी और राज्य की आय कम हो जायेगी। दियासलाई की मांग बेलोचदार है, राज्य उस पर टैक्स लगा कर, काफी आय प्राप्त करता

है। रेडियो की माग लोचदार है, इन पर टैक्स लगाने से मूल्य बढ़ जाने व फलस्वरूप, इनकी माग कम हो जायेगी और टैक्सों से आय भी कम हो जायेगी। अतः लोचदार मांग की वस्तुओं पर टैक्स कम और वेलोचदार माग की वस्तुओं पर अधिक लगाया जाता है।

(व) एकाधिकारी का उद्देश्य अपने एकाधिकार लाभों को अधिकतम करना होता है। यदि वस्तु लोचदार भाग वाली है तो वह वस्तु का मूल्य नीचा रख कर, माग का विस्तार करके लाभ कमाता है और यदि वस्तु की माग वेलोचदार है तो वह उसका मूल्य ऊँचा रख कर अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। लोचदार मांग वाली वस्तु का मूल्य ऊँचा रखने से उसकी विक्री कम हो जायेगी और उसके कुल लाभ अधिकतम नहीं हो पायेंगे। ऐसी वस्तुओं का मूल्य वह नीचा रखता है जिससे उसकी विक्री बढ़े और उसका कुल लाभ बढ़ जाये।

प्रश्न ३७—पूति क्या है? पूति के नियम को तालिका व चित्र द्वारा समझाइये।

(What is supply? Explain the Law of supply with the help of a suitable schedule and diagram)

उत्तर :—

पूति (supply)

साधारण भाषा में 'पूति' शब्द से किसी वस्तु के कुल स्टॉक या कुल उत्पादन से अर्थ लगाया जाता है परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। अर्थशास्त्र में पूति का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लिया जाता है जो कि विक्रेता किसी खास कीमत पर किसी खास समय बेचने को तैयार हो। वस्तु के स्टॉक (Stock) और वस्तु की पूति (Supply) दोनों अलग-अलग वस्तुयें हैं। स्टॉक से तात्पर्य वस्तु की उस कुल मात्रा से है जो किसी विशेष समय बाजार में व्यापारियों के गोदामों में रक्खी हुई है परन्तु पूति किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी विशेष मूल्य पर किसी विशेष समय उप-स्टॉक में से विक्राने के लिए प्रस्तुत है। मान लीजिए मण्डी में १००० मन चना का सग्रह है। १५) रुपया प्रति मन के भाव पर व्यापारी ८०० मन चना बेचने को तैयार है। हम कहेंगे कि १००० मन चना का स्टॉक है और १५ रुपया प्रति मन के भाव पर ८००० मन चने की पूति है। उपरोक्त में यह भी विदित हो जाता है कि जैसे माग का मूल्य के बिना कोई अर्थ नहीं

है उसी प्रकार पूर्ति और मूल्य भी साथ-साथ जुड़े हुए हैं। पूर्ति सदैव किसी निश्चित मूल्य पर हुआ करती है।

पूर्ति का नियम (Law of Supply) —


माँग के नियम के अनुसार ही पूर्ति का नियम भी वस्तु की पूर्ति और उसके मूल्य के सम्बन्ध को बतलाता है। पूर्ति का नियम बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। अतः किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सीधा (Direct) सम्बन्ध है। पूर्ति और मूल्य में साथ साथ एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है? हो सकता है कि कम मूल्य पर केवल थोड़े से ही ऐसे व्यक्ति हो जिनका उत्पादन व्यय उस मूल्य से प्राप्त हो सकता है परन्तु जब मूल्य बढ़ते हैं तो बहुत से नये उत्पादनकर्त्ता उस वस्तु की पूर्ति (उत्पादन) बढ़ा देंगे क्योंकि मूल्य बढ़ने से उनका उत्पादन व्यय निकल आयेगा। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। अतः कीमत बढ़ने पर मण्डी में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है? जब मूल्य घटते हैं तो वस्तु की पूर्ति क्यों घट जाती है? जब मूल्य घटते हैं तो उन उत्पादनकर्त्ताओं को जिनका उत्पादन व्यय पहले ठीक कीमत के बराबर था अब उनको हानि होने लगेगी और वे वस्तु की पूर्ति कम कर देंगे। मूल्यों के घटने के साथ साथ यह क्रम बढ़ना ही रहता है। अतः मूल्य घटने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है।

उदाहरण — मान लीजिये कि १० रुपया प्रति मन के भाव पर ३००० मन चन की पूर्ति है। यदि भाव १२ रुपया प्रति मन हो जाये तो पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति भी बढ़ जायेगी मान लीजिये पूर्ति ४००० मन हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न मूल्यों पर बाजार में वस्तु का क्या पूर्ति होगी यह निम्न पूर्ति तालिका (Supply Schedule) द्वारा दिखाया जा सकता है —

पूर्ति की तालिका

मूल्य (रु० में)	वस्तु की पूर्ति (मनो म)
१०	३००
१२	४००
१४	५००
१६	६००
१८	१२००
२०	१४००

चित्र — उपरोक्त तालिका को चित्र द्वारा नी निरूपित किया जा सकता है —



यह रेखा पूर्ति का वक्र है यह मूल्यो में वृद्धि के साथ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है।

प्रश्न ३८—पूर्ति की लचक को समझाइये तथा इसके भेद भी कीजिये और उन बातों को लिखिये जिन पर पूर्ति की लचक निर्भर होती है।

(Explain the meaning and types of the Elasticity of supply Also mention the factors affecting the Elasticity of supply)

उत्तर —

माँग की लचक की भाँति पूर्ति की भी लचक होती है और इसलिए पूर्ति की लचक को परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि मूल्य के घटने और बढ़ने से पूर्ति की मात्रा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को ही पूर्ति की लचक कहते हैं। माँग की लोच की भाँति पूर्ति की लोच को भी पाँच भागों में बाँट सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं —

(१) लोचदार पूर्ति — जब वस्तु के मूल्य और उसकी पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन होते हैं तो उस लोचदार पूर्ति कहते हैं।

(२) अधिक लोचदार पूर्ति — जब वस्तु की पूर्ति में अनुपात में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन के अनुपात में अधिक होता है तो उस अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं।

(३) कम लोचदार पूति :—जब वस्तु की पूति के अनुपात में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन के अनुपात से कम होता है तो उसे कम लोचदार पूति कहते हैं।

पूति की लोच के भेद :—

- १ लोचदार पूति ।
- २ अधिक लोचदारपूति ।
- ३ कम लोचदार पूति ।
- ४ पूर्णतया लोचदार पूति ।
- ५ पूर्णतया बेलोचदार पूति ।

(४) पूर्णतया लोचदार पूति :—

जब वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर पूति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हा जाते हैं तो उसे पूर्णतया लोचदार पूति कहते हैं।

(५) पूर्णतया बेलोचदार पूति :—

जब वस्तु के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन

हो जाने पर पूति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पूर्णतया बेलोचदार पूति कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग की लचक की भांति पूति की लचक के पांच प्रमुख भेद हैं। अब हम पूति की लचक को प्रभावित करने वाली बातों को विस्तार से देखेंगे।

पूति की लचक को प्रभावित करने वाली बातें :—

(१) वस्तु का स्वभाव — जो वस्तुएँ टिकाऊ हैं उनकी पूति लोच

दार तथा जो शीघ्र नष्ट होने वाली हैं उनकी पूति बलोचदार होती है क्योंकि मूल्य के घटन और बढ़ने पर प्रथम वर्ग की वस्तुओं की पूति बढ़ाई या घटाई (आगे के लिए उठाकर रखकर) जा सकती है जबकि द्वितीय वर्ग की वस्तुओं की पूति में परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है।

(२) वस्तुओं के उत्पादन में लागत व्यय का स्वभाव :— यदि वस्तु का उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है तो अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने से वस्तु का उत्पादन व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में पूति कम लोचदार होती है। परन्तु इसके विपरीत यदि वस्तु का उत्पादन


पूति की लचक को प्रभावित करने वाली बातें :—

- १ वस्तु का स्वभाव ।
- २ वस्तुओं के उत्पादन में लागत व्यय का स्वभाव ।
- ३ वस्तुओं की पूति का समय ।
- ४ वस्तु के उत्पादन का ढंग ।

क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत हो रहा है तो अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने से वस्तु का उत्पादन व्यय कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पनि लोचदार होगी ।

(३) वस्तुओं की पूर्ति का समय — वस्तुओं की पूर्ति के समय पर भी पूर्ति की लोच निर्भर करती है । यदि अल्प काल में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है तो पूर्ति बेलोचदार होगी परन्तु यदि वस्तुओं के मूल्य में दीर्घकालीन वृद्धि हो तो पूर्ति बढ़ाई जा सकती है तब पूर्ति लोचदार होगी ।

(४) वस्तु के उत्पादन का ढंग :— वस्तु के उत्पादन के ढंग पर भी पूर्ति की लोच निर्भर करती है । यदि उत्पादन का ढंग सरल एवं सीधा है अर्थात् जिसमें अचल पूंजी कम मात्रा में प्रयोग होती है तो ऐसी दशा में वस्तु के मूल्य बढ़ने पर पूर्ति आसानी से बढ़ाई जा सकती है तो पूर्ति लोचदार कहलायेगी । परन्तु इसके विपरीत यदि उत्पादन का ढंग कठिन एवं जटिल है अर्थात् जिसमें अचल पूंजी का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है तो ऐसी दशा में वस्तु के मूल्य बढ़ने पर पूर्ति आसानी से नहीं बढ़ाई जा सकती । तब पूर्ति बेलोचदार कहलायेगी ।



अध्याय १६

पारिवारिक बजट

प्रश्न ३६—परिवारिक बजट क्या है ? किसी (अ) गृहस्थी (ब) अर्थशास्त्री तथा (स) समाज सुधारक के लिये इसका क्या उपयोग है ?

(What are family budgets ? How is their study beneficial to (a) House holder (b) Economist and (c) Social reformer ?)

उत्तर :— ✽

किसी व्यक्ति या मस्या के एक निश्चित समय के आय-व्यय विवरण को बजट कहते हैं । जब यह आय-व्यय विवरण एक परिवार द्वारा बनाया जाता है तो इसे पारिवारिक बजट कहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसको अपने व्यय से अधिकतम सन्तोष की प्राप्ति हो । इस उद्देश्य प्राप्ति

के लिये वह अपना व्यय बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करता है। वह अपनी आय और व्यय का व्योरा रखकर यह निश्चिन करता है कि व्यय का कौन सा ऋम सबसे अधिक सन्तोष प्रदान करेगा। आय व्यय के ऐसे व्योरे एक निश्चिन समय के लिये ही बनाने जाते हैं। अतः किसी परिवार की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। इससे यह विदित हो जाता है कि उस परिवार की आमदनी कितनी है, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, व्यय किन २ पदार्थों पर हुआ है, कुछ बचन हैं अथवा नहीं। यद्यपि कोई विशेष नियम तो नहीं है कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो फिर भी बजट बनाने के लिये कुछ व्यय को इन प्रकार बाँटते हैं—खाना, कपड़ा, मकान, रोगनी, लकड़ी, शिक्षा स्वास्थ्य, मनोरन्जन, अन्य खर्च और बचत इत्यादि।

पारिवारिक बजटों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे बहुत सी उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक दिन में पारिवारिक बजटों का विषिवत्त अध्ययन किया जाने लगा है।

गृहस्थों के लिए —

(अ) पारिवारिक बजट किसी गृहस्थी के लिये बहुत ही लाभदायक है बजट उसे उसकी आमदनी और खर्चों की सही जानकारी देता है और वह जान सकता है कि उसको कुछ बचन भी हो रही है अथवा नहीं। बचत के प्रभाव में वह अपने व्यय का निरीक्षण फालतू मर्दों पर व्यय कम कर सकता है। वह वह भी जान सकता है कि वह आवश्यक वस्तुओं पर अधिक व्यय कर रहा है वा किनामिताओं की वस्तुओं पर। अगर अनिवार्यताओं की अपेक्षा किनामिताओं पर व्यय अधिक है तो वह शीघ्र ही उन दोषों को दूर कर सकता है। वह विभिन्न मर्दों पर अपनी आय को शोच विचार कर बाँट लेता है और प्रत्येक मर्द पर व्यय हुए द्रव्य की सीमात इकाई से लगभग समान उपयोगिता प्राप्त करके अधिकतम सन्तोष का उपभोग कर सकता है। अपने कई वर्षों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके एक गृहस्थी यह पता लग सकता है कि उसके जीवन स्तर में समय-समय पर क्या परिवर्तन हुआ है।

अर्थशास्त्रों के लिए —

(ब) पारिवारिक बजटों का अध्ययन अर्थशास्त्रियों के लिये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वे अर्थशास्त्रों को बतलाते हैं कि समाज के कौन-कौन से वर्ग किस प्रकार की आवश्यकताओं पर कितना व्यय करते हैं। देश के विभिन्न भागों में अथवा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का रहन-सहन का स्तर क्या है,

यह ऊंचा उठ रहा है या गिर रहा है। यदि लोग आवश्यक आवश्यकताओं पर अपनी आय का कम भाग व्यय करते हैं और आराम और विलासिताओं पर अधिक। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि समाज का रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो रहा है। पारिवारिक बजट ही रहन-सहन की लागत (Cost of living) माँलूम करने के लिये एक मात्र साधन है। श्रमिकों की वेतन वृद्धि इन्हीं के आधार पर तय की जाती है। व्यक्तियों की वचत के आधार पर उनकी कर देय क्षमता भी पारिवारिक बजटों के अध्ययन से माँलूम हो सकती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन और सरकारी नीतियों का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बजटों के अध्ययन से माँलूम किया जा सकता है। पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके अर्थशास्त्रियों ने अनेकों नियमों का प्रतिपादन किया है। डा० ऐंजिल का उपभोग का नियम ऐसे ही नियमों में प्रमुख है।

राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के लिए :—

(घ) राजनीतिज्ञ और समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट बहुत उपयोगी होते हैं। बजटों के अध्ययन से वे व्यक्तियों के व्यय की भिन्न-भिन्न मरदों को जान सकते हैं जिन पर स्पर्शा व्यय खर्च किया जा रहा है या अनिश्चित ढंग से व्यय किया जा रहा है। वह जान सकता है कि विभिन्न वर्ग विलासिता पर, नैतिक दृष्टि से हानिकारक वस्तुओं पर, धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाओं पर, हानिकारक मनोरञ्जन पर कितना खर्च कर रहे हैं। ऐसे व्यय के व्यय को रोकने के लिए समाज सुधारक अपना प्रयत्न शुरू कर देता है। व्याख्यान आदि देकर वे व्यक्तियों के सामने आदर्श व्यय प्रणाली को रख सकता है, या कानून बनवाकर ऐसे अपव्यय को रोक सकता है। पारिवारिक बजट उन्हें अपना दृष्टिकोण सिद्ध करने के लिये पर्याप्त सामग्री प्रदान करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ भी हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाकर उनके उपभोग को बढ़ या कम कर सकते हैं। भारतवर्ष में औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के बजटों का अध्ययन करके यह पता लगा कि वे अपनी आय का एक बड़ा भाग शराब पीने पर व्यय करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिये भारत सरकार ने शराब बंदी (Prohibition) की नीति को देश में लागू किया है।

पारिवारिक बजट का नमूना

नाम व पता.....
 सदस्यों की संख्या (मायु सहित).....पुरुष.....स्त्री.....लड़के.....
 सड़कियाँ.....

आय.....

अवधि.....

व्यय की मद	वस्तु की मात्रा	दर	व्यय की राशि	कुल व्यय	विशेष विवरण
१ भोजन					
२ वस्त्र					
३ मकान					
४. राशनी व ईंधन					
५ विविध— शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन यात्रा अन्य वचत					

प्रश्न ४०—ऐंजिल के उपभोग नियम की व्याख्या कीजिये और समझाइये ।

या

“आय जितनी अधिक होती है, आवश्यक वस्तुओं पर उतना ही प्रतिशत व्यय होता है” इस कथन को समझाइये ।

(State and explain the Engel's Law of consumption)

Or

(“As the income increase the percentage expenditure on necessities diminishes” Discuss this statement)

उत्तर :—

डा० ऐंजिल जर्मनी के निवासी थे । सन् १८५७ में उन्होंने जर्मनी के प्रशिधा प्रांत के निवासियों के पारिवारिक वजटों का अध्ययन करके उपभोग सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष निकाले और एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया । यह सिद्धांत ‘ऐंजिल का उपभोग का नियम’ नाम से विख्यात है ।

पारिवारिक बजटों के अध्ययन के लिये डा० ऐंजिल ने समस्त परिवारों को तीन भागों में विभाजित किया था। (१) ४५ पौ० से ६० पौ० आय वाले परिवार अर्थात् श्रमिक परिवार (२) ६४ पौ० से १२० पौ० आय वाले परिवार अर्थात् मध्यम श्रेणी के परिवार और (३) १५० पौ० से २०० पौ० आय वाले परिवार अर्थात् धनी परिवार। इन पारिवारिक बजटों के गहरे अध्ययन से डा० ऐंजिल ने निम्न निष्कर्ष निकाले।

(i) जैसे २ आय बढ़ती है, भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और आय घटने में बढ़ता जाता है।

(ii) आय में परिवर्तन होने पर भी वस्त्र, रोशनी, ईंधन और किराये पर व्यय का प्रतिशत लगभग स्थिर रहता है।

(iii) आय बढ़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है और आय में कमी होने में घटता है।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर ऐंजिल के उपभोग के नियम की इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है —

"ज्यों २ किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, त्यों २ भोजन पर व्यय किये जाने वाली आय का प्रतिशत घटता जाता है, वस्त्र, मकान, व ईंधन रोशनी पर लगभग स्थिर रहता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि पर बढ़ता जाता है।

यही यह बात याद रखन योग्य है कि आय बढ़ने में भोजन पर व्यय होने वाला आय का प्रतिशत घटता है न कि भोजन पर व्यय की गई कुल धन राशि। यही बात नियम के अन्य निष्कर्षों के विषय में सही है। नियम का सम्बन्ध किसी विशेष मद पर व्यय की गई कुल धन-राशि से नहीं बल्कि कुल आय के प्रतिशत भाग से है जो उस पर व्यय होता है। माना कि एक परिवार की आय १००) ४० महीना है। यह परिवार भोजन पर ५०) ४० व्यय करता है जो कुल आय का ५०% है। अब यदि उस परिवार की आय २००) ४० मासिक हो जाय तो वह भोजन पर अधिक व्यय करने लगेगा। मान लीजिये वह ८०) ४० व्यय करता है जो कि कुल आय का ४०% है। यहाँ भोजन पर व्यय की जाने वाली आय की प्रतिशत तो कम हो गई परन्तु धन-राशि ५०) ४० में बढ़ कर ८०) ४० हो गई है। इसका कारण है कि आय बढ़ जाने पर व्यक्ति अधिक नहीं खाने लगता है बल्कि थोड़ा अपेक्षाकृत अन्धा खाने लगता है। कितने ही तरह की सब्जी बनती हैं और फल दूध इत्यादि का सेवन होने लगता है। इस कारण भोजन पर

व्यय की जाने वाली कुल धन-राशि तो बढ़ जाती है पर कुल आय का प्रतिशत गिरने लगता है ।

परन्तु जो बात भोजन के विषय में सत्य है वह वन, मकान, ईंधन और रीशनी पर लागू नहीं होती । इन पर व्यय होने वाला आय का प्रतिशत लगभग समान रहता है । आय वृद्धि से पहले अगर हम मिट्टी के तेल का लैम्प जला रहे थे तो अब लालटन जलाने लगेंगे, पहले अगर किसी छोटे मकान में रह रहे थे तो अब एक बड़े मकान में रहने लगेंगे इत्यादि । परन्तु यह सत्य है कि व्यय की प्रतिशत समान ही रहती है । इन सब उपरोक्त आवश्यकताओं को मनुष्य करने के बाद में गरीब लोगों के पास धमीरो की अपेक्षा बहुत ही कम धन खेष रहता है । इस कारण गरीब व्यक्तियों का शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरञ्जन आदि पर व्यय अधिक नहीं हो पाता । दूसरे क्योंकि धमीरो के पास काफी धन बच रहता है, वे इन आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करते हैं । आय बढ़ने पर गरीब अपनी भोजन, मकान, वस्त्र, ईंधन आदि की आवश्यकताओं को थोड़ा और अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लेता है परन्तु उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वह विलासिताओं और धारामदायक पदार्थों का सेवन कर सके । डा० ऐंजिल का नियम निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

व्यय की प्रकार	कुल आय का व्यय किया गया प्रतिशत		
	अधिक वर्ग	मध्यम वर्ग	धनिक वर्ग
(१) भोजन	६०	५५	५०
(२) वस्त्र	१८	१८	१८
(३) मकान	१२	१२	१२
(४) ईंधन व रीशनी	५	५	५
(५) शिक्षा स्वास्थ्य मनो- रञ्जन आदि	५	१०	१५
	१००%	१००%	१००%

अध्याय २०

आय व्यय और बचत

प्रश्न ४१—“आय, व्यय और बचत का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।
‘सामाजिक दृष्टिकोण से व्यय की अपेक्षा बचत सदैव अच्छी है’
क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? समझाकर लिखिये ।

(Explain clearly the meaning of Income, Expenditure and Saving. “From the social point of view savings are always better than expenditure”. Do you agree with this statement? Explain.)

उत्तर—

आदि काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ प्रत्यक्ष रूप में संतुष्ट होती थीं । अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुओं को वह स्वयं ही उत्पन्न कर लिया करता था । आज स्थिति बदल गई है । समय और सम्पत्ता की प्रगति के साथ-साथ मनुष्यों की आवश्यकताएँ इनकी अधिक हो गई हैं कि वह अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाता है । वह परिश्रम करके धन उत्पन्न करता है और उस धन में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है । धन आय से तात्पर्य उस धन से है जो हमें एक समय विशेष में आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होता है । अब आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रयत्नों में प्रत्यक्ष रूप में न होकर आय में जो द्रव्य के रूप में होती है, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होती है । आय एक निधि (Fund) नहीं बल्कि प्रवाह (Flow) है जिसका उद्गम स्थान आर्थिक प्रयत्न है ।

आय प्राप्त करके व्यक्ति उसको अपनी आवश्यकताओं की अनेकों वस्तुओं के खरीदने में उपयोग करता है । आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन का प्रयोग करना ही व्यय कहलाता है । व्यक्ति अपनी आय को दो प्रकार में प्रयोग करता है—(अ) व्यक्तिगत कार्यों में और (ब) सामाजिक कार्यों में । मनुष्य की आय का अधिकतर भाग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयुक्त होता है । वह समस्त आय को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही नहीं लगाता, कुछ आय को भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी छोड़ रक्ख लेता है । भविष्य अनिश्चित है और उसकी

सुरक्षा हेतु कुछ बचाना प्रत्येक विचारशील और दूरदर्शी व्यक्ति का कर्तव्य है। अतः आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय किया जाता है, व्यय कहलाता है। शेष आय को दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति उसे जमीन में गाड़ कर या अलमारी या तिजोरी में बन्द करके रख दे या सोना चादी खरीद कर रखदे या वह उसे किसी बैंक, बीमा कम्पनी या व्यापारी को व्याज पर उधार दे दे या किसी कम्पनी के हिस्से खरीदने में लग दे। प्रथम को आय का अनुपादक (Unproductive) प्रयोग और द्वितीय को आय का उत्पादक (Productive) प्रयोग कहेंगे। आय का वह भाग जो उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाये 'बचत' (Saving) कहलाता है, उसका वह भाग जो अनुत्पादक ही रहता है अर्थात् किसी प्रकार की अतिरिक्त धन उत्पत्ति में कोई सहायता नहीं देता, 'सचय' (Hoarding) कहलाता है।

उदाहरणार्थ एक मनुष्य की आय ५००) रुपया मासिक है वह ४००) ६०) प्रति मास अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च कर डालता है और १००) ६०) मासिक भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचा लेता है। उस व्यक्ति का व्यय ४००) ६०) मास है। उनकी बचत १००) ६०) प्रति मास होगी यदि वह इन १००) ६०) को इस प्रकार प्रयोग करे कि उसको अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो। मानलोजिये वह ६०) ६०) प्रति मास बैंक में जमा कर देता है या किसी कम्पनी के शेयर खरीदने में व्यय कर देता है और शेष ४०) रुपयों को वह जमीन में गाड़ कर रख लेता है या अपनी स्त्री के गहने बनवा देता है, या तिजोरी में बन्द कर देता है। तो उसकी बचत ६०) रुपया प्रति मास और सचय ४०) रुपया प्रति मास होगा।

सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति की आय का कुछ भाग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर भी व्यय होता है। सामाजिक व्यय के दो प्रकार हैं—ऐच्छिक और अनिवार्य। सार्वजनिक पार्क, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला, अनाथालय आदि के निर्माण हेतु दान करना, ऐच्छिक सामाजिक व्यय है। दान देना हमारी इच्छा पर निर्भर है। इसके विपरीत व्यक्ति राज्य को कुछ कर देता है। राज्य उसके लिये शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित स्थिति में धनोपार्जन करने की सुविधायें उत्पन्न करता है और वैयक्तिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करता है। करों की अदायगी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनको अनिवार्य रूप में देना पड़ता है। ऐसा व्यय अनिवार्य सामाजिक व्यय कहलाता है।

व्यय और वचत का सामाजिक महत्व :—

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यय और वचत व्यक्ति की आय के दो रूप हैं। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आय के प्रत्यक्ष उपयोग को व्यय कहते हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये आय के उत्पादन उपभोग को वचत कहते हैं। व्यय उपभोग से सम्बन्धित है और वचत का उत्पत्ति से। अब, प्रश्न उठता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से व्यय अधिक महत्वपूर्ण है या वचत ?

व्यय और वचत दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि व्यक्ति अपनी आय के अधिक भाग को उपभोग करता है तो उसके पास बचाने के लिए कम शेष रह जायेगा। यदि वह वचत अधिक करता है तो उसकी वर्तमान की आवश्यकतायें कम सन्तुष्ट हो पायेगी। वचत करना व्यक्ति के लिये आवश्यक है। व्यक्ति को आवश्यकता पडने पर वचत काम देती है। पहले की वचत से ही बीमारी, बेकारी तथा विशेष खर्च के अवसर पर काम निकाल सकते हैं। वचत होने के लिये व्यक्ति की आय का उसके उपभोग से अधिक होना आवश्यक है। यही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से इन दोनों का विशेष महत्व है। परन्तु कुछ व्यक्ति व्यय को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और दूसरे वचत को।

अधिक व्यय करने से समाज में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने में उत्पादनकर्ता उसकी उत्पत्ति बढ़ा देते हैं। व्यापार की वृद्धि होती है। जनता का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठता है मांग और बढ़ती है, उत्पादन भी और बढ़ता है उत्पादन बढ़ने से देश में लोगों को काम मिलता है। व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों को लाभ होता है। परन्तु ये लोग यह भूल जाते हैं कि अगर आय का अधिक भाग व्यय कर दिया जायेगा तो वचत कम हो जायेगी और पूँजी की कमी हो जायेगी। अगर पूँजी का संचय कम हो जायेगा तो उत्पादन की वृद्धि केवल मोचना मात्र है।

दूसरी ओर कुछ व्यक्ति वचत को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। अधिक वचत होने में अधिक पूँजी का निर्माण होगा, अधिक उत्पत्ति होगी, बेकारी दूर होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। परन्तु अगर ध्यान से सोचा जाये तो यह मत भी गलत है। अधिक वचत का अर्थ है व्यय कम हो जाना, इसलिये अगर अधिक वचत के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसका उपभोग कौन करेगा। व्यय कम हो जाने के कारण व्यक्तियों की मांग कम हो जायेगी। उत्पन्न किया हुआ माल बाजार में नहीं

बिहेगा। फलतः अति उत्पत्ति की समस्या सामने आयेगी, और उत्पादकों को हानि होने लगेगी। उद्योग बंद कर दिये जायेंगे और बेकारी फैल जायेगी।

इस प्रकार न अधिक व्यय उपयुक्त है और न अधिक बचत ही। असल में बचत और व्यय में न्यायानुकूल अनुपात होना चाहिये। ऐसा हीना सामाजिक दृष्टिकोण से हितकर ही नहीं बल्कि अनिवायं है। यदि व्यय न किया जाये तो उत्पन्न किया हुआ माल कौन खरीदेगा और यदि बचत न की जाये तो उपभोग के लिये माल कम तैयार होगा। बचत और व्यय दोनों को साथ चलना चाहिये।

अध्याय २१

व्यय का सामाजिक पहलू

प्रश्न ४२—व्यक्तिगत व्यय के व्यय करने के ढंग का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या समाज द्वारा व्यक्ति की व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप उचित है?

(What are the effects of an individual's expenditure on society? Is the interference of society in individual's expenditure freedom to be considered desirable?)

उत्तर—

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रत्येक क्रिया का प्रभाव परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में समाज के दूसरे लोगों पर पड़ता है। अतः उसके व्यय करने की नीति का भी समाज पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। अगर उसका व्यय विवेकपूर्ण है तो उसके व्यय करने के ढंग को अन्य व्यक्ति भी अपना सकते हैं और उसके साथ उनका भी भला हो जायगा और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। यदि व्यक्ति असावधानी से अपनी आय को व्यय करता है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जायगी और उत्पादन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको देख कर अन्य व्यक्तियों का व्यय भी असावधानी से होन लगेगा। और समाज में कुल धन उत्पादन कम हो जायगा। व्यक्ति तो सबसे पहले अपने स्वार्थ को देखता है, समाज को पीछे। वह उस

मावश्यकता को पहले पूर्ण करेगा जिससे उसे अधिक सन्तोष की प्राप्ति होती है चाहे समाज के अन्य सदस्यों के लिये उसका उपयोग हानिकारक ही क्यों न हो ।

उदाहरण यदि कोई व्यक्ति शराब पीने लगता है तो उसकी कार्य-क्षमता घिर जाती है, उसका चार्ित्रिक पतन होने लगता है । कार्य-शक्ति कम होने से उत्पादन कम हो जाता है और उस सीमा तक वह अपने गलत व्यय के कारण समाज को निर्धन बनाता है । यही नहीं, शराबी के सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति भी शराबी बन जायेंगे, उनकी भी कुशलता कम हो जायगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ जायेंगे । इस प्रकार समाज का कल्याण बजाये षडने के गिराने लगेगा । इसके विपरीत यदि व्यक्ति व्यय को बहुत ही सोच समझकर, स्वास्थ्यप्रद और उत्तम वस्तुओं पर करता है तो वह स्वयं और अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की कुशलता में वृद्ध करके, सामाजिक हित को बढ़ा सकता है । अतः समाज के लिये यह बड़े ही महत्व की बात है कि व्यक्ति अपनी आय को किस प्रकार व्यय करता है ।

व्यक्ति के व्यय से समाज में उत्पत्ति का स्वभाव निर्धारित होता है । केवल वही वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं जिनकी उपभोग के लिये मांग है । मांग के स्वभाव से ही उत्पत्ति का पैमाना तय होता है । जिस वस्तु पर अधिक व्यय हो रहा है अर्थात् जिस वस्तु की मांग अधिक है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है अन्यथा छोटे पैमाने पर और इसी प्रकार वस्तु की लागत प्रति इकाई कम या अधिक हो जाती है । यही नहीं, उत्पत्ति की कुल मात्रा व्यक्तियों की कुशलता पर निर्भर करती है जो स्वयं इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यय किस प्रकार की—हानिप्रद अथवा स्वास्थ्यवर्धक—वस्तुओं पर होता है । हानिप्रद वस्तुएँ कार्य-क्षमता कम करके, घन उत्पादन कम कर देती हैं और स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएँ कार्य-क्षमता में वृद्धि करके, उत्पादन को बढ़ा देती हैं । भारतवर्ष में शराब बंदी नीति अपनाये जाने का एक प्रमुख कारण, मजदूरों की कार्य-क्षमता पर शराब के बुरे परिणाम थे ।

व्यक्तिगत व्यय में राजकीय हस्तक्षेप :-

कुछ धर्मशास्त्रियों का विचार है कि व्यक्ति को अपने व्यय में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये । वह अपनी आय का उपयोग किसी भी ढंग में और किन्हीं भी वस्तुओं के उपयोग में कर सकता है । परन्तु यदि कोई अपना व्यय अविवेकपूर्ण ढंग से करता है तो राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस व्यय के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये उसके व्यय पर नियन्त्रण करे ।

दूसरे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि व्यक्तिगत व्यय पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। परन्तु ऐसा करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग उसकी आदत, स्वभाव, फैशन, रीति रिवाज, जीवन स्तर आदि पर निर्भर करता है। अतः उपरोक्त दोनों मतों के बीच का ही मार्ग अपनाया उचित है। व्यक्ति को उसके व्यय करने में उसी सीमा तक स्वतन्त्रता होनी चाहिये जिस सीमा तक कि उसका समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

हस्तक्षेप की नीतियाँ :— राज्य का समाज द्वारा व्यक्ति की व्यय करने की स्वतन्त्रता में कितने ही प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है। राज्य कानून बना कर ऐसी वस्तुओं का उपभोग निषेध कर देती है जो समाज के लिए हानिकारक हैं जैसे शराब। विदेशों में ऐसे कितने ही नियम लागू किये गये। आजकल भारतवर्ष में मद्य-निषेध (Prohibition) की नीति इमीलिय अपनाई गई है। मूल्य नियन्त्रण द्वारा भी राज्य कुछ वस्तुओं को उन्मोक्तियों के लिये सस्ती ही सुलभ करा देता है। अन्न की कमी दूर करने के लिये राज्य ने गल्ले के दाम निश्चित करके राशनिंग की व्यवस्था चालू कर दी थी। कुछ वस्तुओं जैसे कीकीन, अफीम, माग, चरम आदि केवल लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति बेच सकते हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। अफीम एक निश्चित मात्रा से केवल उन व्यक्तियों को मिलती है जिनके पास अफीम के राशन कार्ड हैं। कर लगा कर भी वस्तुओं के उपभोग को कम या अधिक किया जा सकता है। राज्य जिन वस्तुओं पर व्यय कम कराना चाहती है उन पर उत्पादन कर बढ़ा देती है जैसे तम्बाकू। इसी प्रकार विदेशी वस्तुओं के उपभोग को कम कराने के लिये राज्य आयात कर (Import duty) लगा देती है। राज्य जिन वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाना चाहता है उनके उत्पादन के लिये उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे उनकी लागत कम हो जावे और उसकी माग बढ़ जावे। भारतवर्ष में लघु व कुटीर उद्योग धर्म (Small scale and cottage industries) के प्रोत्साहन को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और उनकी वस्तुओं का उपभोग बढ़े।

अध्याय २२

रहन सहन का स्तर

प्रश्न ४३—रहन-सहन के दर्जे का क्या आशय है ? भारतवासियों का रहन सहन का स्तर नीचा होने के क्या कारण हैं ? उसको ऊंचा करने के उपाय बताइये ।

(What is meant by 'Standard of Living' ? What are the causes of the low standard of living of Indians ? Define ways to raise it)

उत्तर—

प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ धनिवाय भारामदायक और विलासिता सम्बन्धी पदार्थों का सेवन करता है । इन वस्तुओं का सेवन करते-करते व्यक्ति इनका आदी हो जाता है । यही ममस्त वस्तुयें जिनके उपभोग करने का एक व्यक्ति आदी हो जाता है उसके जीवन स्तर को निर्धारित करती है । दूसरे शब्दों में रहन-सहन के दर्जे से उन आवश्यकताओं से आशय है जिन्हें संतुष्टि करने की मनुष्य की साधारणतया आदत पड़ गई है ।

रहन-सहन के स्तर का विचार एक सापक्ष और तुलनात्मक विचार है जिसका प्रयोग दो व्यक्तियों, दो वर्गों, दो देशों व कालों के तुलनात्मक अध्ययन में किया जाता है । यह कहना कठिन है कि भारतवासियों का जीवन स्तर कैसा है परन्तु भारत और अन्य किसी देश या देशों के जीवन स्तर में जिसका जीवन स्तर ऊंचा है यह बताना आसान है । 'जब हम यह कहते हैं कि अमेरिकावासियों का जीवन स्तर ऊंचा है' तो हमारे दिमाग में एक ऐसे देश का भी विचार रहता है जिसकी तुलना में अमेरिकावासियों का जीवन स्तर ऊंचा है ।

रहन-सहन के स्तर के निर्धारक तत्व :—

रहन-सहन का स्तर मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है :—

- (१) व्यय की जाने वाली आय की रकम
- (२) व्यय करने में प्रयुक्त विवेक

यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहे तो एक धनी व्यक्ति का जीवन-स्तर एक गरीब आदमी के जीवन-स्तर की अपेक्षा ऊंचा हो सकता है क्योंकि धनी व्यक्ति आय की अधिकता के कारण अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है और गरीब व्यक्ति केवल थोड़ी सी प्रारम्भिक आवश्यकतायें ही

सुतुष्ट कर पायेगा । इसके प्रतिरिक्त दो बराबर आमदनी वाले व्यक्तियों में उम व्यक्ति का रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होगा जो अपने व्यय को सावधानी और विवेक से करता है । वहुधा यह समझा जाता है कि अधिक आय वाले व्यक्ति का जीवन स्तर सर्वद ऊँचा होगा और कम आय वाले व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा होगा । परन्तु यह धारणा गलत है । रहन-सहन का स्तर आय के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति विद्येय अपनी आय को किस प्रकार व्यय करता है । मानभोजिये हरीश को ५०० रु० प्रतिमास और सतीश को ४०० रु० प्रतिमास की आय है । साधारणतया हम कहेंगे कि हरीश का रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होना चाहिये क्योंकि उसकी आय अधिक है जिसकी सहायता से वह अधिक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है । परन्तु हो सकता है कि हरीश का व्यय करने का ढंग अविवेकपूर्ण हो और सतीश अपनी आय को चतुरता से व्यय करता हो । हरीश अपनी आय का एक बड़ा भाग सिनेमा देखने, शराब पीने, होटलों में खाना खाने, तडक फडक के फंशनेबल कपड़े पहनने में बर्बाद कर देता है । फलस्वरूप वह न तो ठीक-सा भोजन ही कर पाता है, न दूध पीता है उसके पास हटना धन शेष नहीं रहता कि वह अपनी स्त्री व बच्चों का भरण पोषण सुचारु रूप से कर पाये । हरीश के कुल उपभोग की विराम बहुत नीची है । इसके विपरीत सतीश चतुरता से व्यय करता है । वह शुद्ध स्वास्थ्यप्रद भोजन खाता है, दूध पीता है और अच्छे कपड़े पहनता है । स्त्री बच्चे भी ठीक रहते हैं । बच्चे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं । अतः सतीश का जीवन स्तर हरीश की अपेक्षा ऊँचा है ।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि खर्चीला रहन-सहन का दर्जा आवश्यक रूप से ऊँचा रहन-सहन नहीं होना । (Costly living is not necessarily a high standard of living) अगर कम आय वाला व्यक्ति अपने व्यय को चतुरता से और सोच समझकर करता है तो उससे अधिक आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो लापरवाही से अपने धन को व्यय करता है, उसका रहन-सहन का दर्जा अवश्य ही ऊँचा होगा ।

भारतवासियों के रहन-सहन का स्तर नीचा है :—

भारतवासियों का रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है । इस सम्बन्ध में दो सम्मेलन हो चुके हैं नही सकते । मन् १९५६-५७ में प्रीत व्यक्ति आय २८४ रु० प्रतिवर्ष अर्थात् लगभग १२ आने प्रतिदिन आती गई थी । इतनी कम आमदनी वाला से आज के महंगाई के युग में जबकि रुपये की क्रय-शक्ति बहुत ही कम हो गई है, एक अच्छे रहन-सहन की कैसे आशा की जा सकती

है। इतनी आय तो जीवन रक्षक पदार्थों के लिये भी पर्याप्त नहीं, आराम-दायक और विलासिता के पदार्थ तो दूर की बात हैं। दारीर ढकन को पूरा रूपडा नहीं भिन्ता, रहने के स्थान तग गदे और अस्वास्थ्यपूर्ण है। अधिकांश भारतीय अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते और न स्वस्थ चिकित्सा का प्रबन्ध ही कर पाते हैं। देश की ३/४ जनता गाँवों में रहती है जहाँ कि जीवन स्तर शहरो की अपेक्षा और भी नीचा है।

भारतवासियों का जीवन-स्तर नीचा होने के निम्न कारण हैं :—

(१) कम आय — हम पहिले ही देटा चुके हैं कि औसत भारतीय

जीवन स्तर नीचा होने के कारण :—

१. कम आय ।
२. अशिक्षा ।
३. पंतुक ऋण ।
४. सामाजिक कुप्रथायें ।
५. धार्मिक विचार ।
६. प्राकृतिक कारण ।
- ७ जनसख्या की अधिक वता ।
८. औद्योगीकरण का अभाव ।
९. साधनों के उपयोग का अभाव ।
१०. उत्पादन की कमी ।
- ११ असन्तुलित मर्ध—व्यवस्था ।
- १२ धन का असमान वितरण ।
१३. बेदिंग एव यातायान के साधना की कमी ।
- १४ लोक उपयोगी सस्यायों का अभाव ।
१५. फंगन एव विलासिता का कुप्रभाव ।

को वार्षिक आय २८४ रु० है। कम आय के कारण लोग मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं को सतुष्ट कर पाते हैं। अधिकांश जन-सख्या खेती पर निर्भर है जो कि एक अनार्थिक व्यवसाय मात्र है। प्रति एकड उपज बहुत कम है। देश औद्योगिक दृष्टिकोण से अभी बहुत पिछडा हुआ है। इन्हीं सब कारणों से भारतवासियों की आय बहुत कम है।

(२) अशिक्षा —अशिक्षित होने के कारण भारतवासियों का दृष्टिकोण सकुचित हो गया है। जो कुछ भी धन वे प्राप्त करते हैं अज्ञानता और अशिक्षित होने के कारण, टीक प्रयत्न से प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। उनमें व्यय चातुर्य की कमी है।

(३) पंतुक ऋण :— भारतीय किसान ऋण में ही ^{जन्म लेता है} ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। पंतुक ऋण के प्रतिरिक्त किसान स्वयं भी सामाजिक रीति-रिवाजों को गलत करने के लिये वे अपनी आमदनी की कमी को पूरा करने के लिये ऋण लेता है। उसकी आमदनी का काफी भाग साहूकारों, महा-

जनों व बनियों को व्याज देने म बला जाता है और उसके पास उसकी आवश्यकताओं पर व्यय करने को बहुत कम पैसा रह जाता है ।

(४) सामाजिक कुप्रथाये :—हमारे देश मे कुछ ऐसी प्रथायें हैं जैसे शादी, मृत्यु या बच्चे के जन्म पर विरादरी का भोज देना आदि, जिन पर व्यक्ति को खच करना ही पडता है चाहे उसकी अन्य आवश्यक आवश्यकतायें असंतुष्ट रह जायें या उसको श्रम ही क्यों न लेना पडे । इस कारण व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊचा नहीं उठ पाता है ।

(५) भारतवासियों के धार्मिक विचार — हिन्दू धर्म इस लोक की अपेक्षा परलोक बनाने पर जोर देता है । भौतिक सुख की अपेक्षा आत्मिक सुख प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है । 'सादा जीवन उच्च विचार (Simple living and high thinking) के आदर्श ने भौतिक उन्नति मे बहुत ही बाधा पहुँचाई है । इस आदर्श के अनुयायी रहन सहन के ऊचे दर्जे के पोषक नहीं ।

(६) प्राकृतिक कारण — हमारे देश की जलवायु ऐसी है कि यहा के व्यक्तियों को अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं पडती है । गर्म देश होने के कारण बडे मकान व अधिक कमरों की आवश्यकता नहीं पडती, लोग कम परिश्रम करके ही अपनी गुजर कर लेते हैं । और वे अधिक के लिये इच्छा भी नहीं करते । योरोपीय देशों के रहन-सहन के दर्जे के ऊचे होने का कारण वहां की ठडी जलवायु है ।

(७) जनसख्या की अधिकता — भारतवर्ष की जनसख्या प्रतिवर्ष १२% के हिसार से बढ़ रही है । हर वर्ष ४० लाख व्यक्ति हमारी जनसख्या मे और बट जाते हैं । देश मे उत्पादन की वृद्धि इतनी तेजी से नहीं हो रही कि इतनी बडी जनसख्या ठीक प्रकार से रह सके । बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । अतः लाग गरीब हैं ।

(८) औद्योगिकरण का अभाव — देश की दो तिहाई जनसख्या खेती पर निर्भर है । उद्योग धंधों का विकास बहुत ही सीमित हैं । खेती की अवस्था कोई विशेष अच्छी नहीं है इसलिये प्रति व्यक्ति आय कम है और जीवन स्तर नीचा है ।

(९) साधनों के उपयोग का अभाव :—कहा जाता है कि 'भारत एक धनी देश है जिसमे निचन निवास करने हैं (India is a rich country inhabited by the poors) । भारत मे अपार मात्रा मे प्राकृतिक सम्पत्ति है परन्तु उसका पूर्ण शोषण नहीं हो पाया है । पृथ्वी के गर्भ मे अपार खनिज पदार्थ हैं परन्तु उनको निकाला नहीं जा रहा, बहुत सी भूमि बेकार

रही है, वन सम्पत्ति का २/३ भाग अभी हमारे उपयोग से बाहर है, अपार जनशक्ति बेकार पड़ी है, अपनी नदियों के केवल १/१० पानी का ही हम उपयोग कर रहे हैं आदि । इसलिये हमारा देश गरीब है ।

(१०) उत्पादन की कमी —भारतवर्ष में अन्य देशों की तुलना में कृषि व औद्योगिक उत्पादन बहुत ही कम है । इसी कारण से भारतवासियों का रहन सहन का स्तर अन्य देशों की तुलना में गिरा हुआ है ।

(११) असन्तुलित अर्थ व्यवस्था :—हमारे यहाँ जनसंख्या का लगभग ७०% भाग कृषि पर कार्य करता है और उद्योग में केवल १५% व्यक्ति कार्य करते हैं । जिस कारण से हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन अन्य देशों से कम है । इसी कारण से भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है और रहन-सहन का स्तर भी नीचा है ।

(१२) धन का असमान वितरण —भारत में उत्पादन पूँजीवादी व्यवस्था के अनुसार होता है, जिससे श्रमिकों का शोषण किया जाता है । उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और पूँजीपतियों के पास धन का एक बड़ा भाग एकत्र हो जाता है, जिससे देश में धन का असमान वितरण हो गया है इस कारण से भी श्रमिकों का रहन सहन का स्तर नीचा है ।

(१३) देश में बैंकिंग और यातायात के साधनों का अभाव :—भारत में बैंकिंग व यातायात एवं सन्वाह वाहन के साधनों का अभाव है । जिस कारण से एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से नहीं ले जाई जा सकती है । इसी कारण से फैशन एवं नये प्रयोग की वस्तुओं का प्रयोग सीमित रहता है । रहन सहन का स्तर बढ़ने नहीं पाता है ।

(१४) लोक उपयोगी सस्थाओं का अभाव —भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि लोक उपयोगी सस्थाओं का बहुत अभाव है, जिससे जनता के सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है । इस कारण से भी यहाँ का रहन-सहन का स्तर नीचा है ।

(१५) फैशन एवं विलासिता का कुप्रभाव :—साधारणतः व्यक्ति फैशन एवं विलासिता की वस्तुओं पर बिना सोचे विचारे आवश्यकता से अधिक व्यय कर देते हैं । जिससे वह आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रह जाता है । इस कारण से भी यहाँ का रहना सहन का स्तर नीचा है ।

रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने के उपाय —भारतवासियों के रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है । इस रहन सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए निम्न सुझावों पर ध्यान देना अति आवश्यक है ।

(१) प्राकृतिक साधनों के उचित प्रयोग से अधिकतम धनोत्पत्ति करना — देश में योजना के द्वारा धन सम्पत्ति खनिज सम्पत्ति, जलशक्ति

का उचित प्रयोग होना चाहिये तथा वृषि व औद्योगिक उत्पादन का बढ़ावा मिलना चाहिये। सभी देश के व्यक्तियों की धाय बढ़ सकती है और रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(२) जनसंख्या की वृद्धि पर रोक — देश में जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है इस वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा शादी की आयु को कानून द्वारा बढ़ा देना चाहिये, जिससे देश में जनसंख्या अधिक न हो।

(३) शिक्षा का प्रसार होना चाहिये — शिक्षा का प्रसार से आर्थिक औद्योगिक एवं व्यापारिक समस्याओं का प्रासंगिकता से हल होता है तथा व्यक्ति का रहन-सहन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है।

(४) श्रमिकों को कार्य-कुशलता में वृद्धि होनी चाहिये — देश में वृषि एवं औद्योगिक सभी प्रकार के श्रमिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। इससे उनकी धाय बढ़ेगी तथा

जीवन स्तर ऊँचा करने के उपाय —

- १ प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग।
- २ जनसंख्या की वृद्धि पर रोक।
- ३ शिक्षा का प्रसार।
- ४ श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि।
- ५ फेशन एवं विलासिता के प्रयोग पर रोक।
- ६ धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों पर रोक।
- ७ उद्योगों का विकास।
- ८ धन का समान वितरण।
- ९ लोच—हितकारी समस्याओं की वृद्धि।
- १० बैंकिंग एवं यातायात के साधनों का—विकास।

रहन सहन का स्तर भी ऊँचा होगा।

(५) फेशन एवं विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग को हनोत्साहित करना — व्यक्तियों को प्रथम उही आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिये। फेशन एवं विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग को सीमित करना चाहिये। यह कार्य शिक्षा के प्रसार एवं सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा किया जा सकता है।

(६) धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को रोकना चाहिये —

सरकार को समाज में से दहेज प्रथा, शादी व मृत्यु आदि पर दायतों आदि पर होन वाले व्यय को कानून द्वारा बन्द कर देना चाहिये, जिससे व्यक्ति धन का अपव्यय न करें और उसे उचित प्रकार से व्यय करें। तभी उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(७) सन्तुलित धन व्यवस्था के लिए उद्योगों के विकास पर ध्यान :—सरकार को देश में उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जिससे कृषि पर भार कम हो तथा रोजगार में वृद्धि हो। औद्योगिक विकास से ही व्यक्ति की आय बढ़ सकती है तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(८) देश में धन के समान वितरण को लाना :—सरकार को देश में धन के समान वितरण को समाप्त करना चाहिये। इसके लिए उसे आय की न्यूनतम एक अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करनी चाहिये तथा पूँजी-पतियों पर प्रगति बर लगा कर प्राप्त आय को लोक हितकारी कार्यों पर व्यय करना चाहिये। तभी भारतीयों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(७) देश में लोक हितकारी संस्थाओं की वृद्धि करना :—सरकार को देश में लोक हितकारी संस्थाओं की वृद्धि करनी चाहिये। इन लोक हितकारी संस्थाओं में शिक्षा, मनोरन्जन, स्वास्थ्य, बीमा आदि से सम्बन्धित संस्थायें आती हैं। इनके विकास से नागरिकों के जीवन एवं रहन-सहन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

(१०) खेतिग एवं यातायात के साधनों का विकास होना चाहिये :—खेतिग व्यवस्था के विकास में उत्पादनकारियों को कम व्याज पर पूँजी मिल सकती जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा यातायात एवं सम्वाद-वाहनों के साधनों के विकास से कृषि एवं औद्योगिक कार्यों का विकास होगा। इन सबका प्रभाव यह होगा कि व्यक्तियों की आय बढ़ेगी तथा उनका रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा।

इस प्रकार उपरिलिखित सुझावों के अनुसार भारतवासियों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सकता है।

—०—

प्रश्न ४४—‘रहन-सहन का स्तर दो कारणों से प्रभावित होता है—(क) परिस्थितियाँ जिनमें समय, धन तथा धर्म शामिल हैं तथा (ख) व्यक्तित्व।’ इस कथन की व्याख्या करो।

(“The standard of living is a result of two forces (a) Envir-

roument comprising time, income and class and (b) Individuality." Discuss)

उत्तर —

उपलिखित कथन से यह स्पष्ट होता है कि रहन सहन का स्तर दो बातों पर निर्भर करता है । (१) परिस्थितिया तथा (२) व्यक्तित्व ।

परिस्थितियों के अन्तर्गत समय, आय तथा वर्ग प्रभावित दशाओं का अध्ययन किया जाता है तथा व्यक्तित्व ने अन्दर शिक्षा दूरदर्शिता पारिवारिक वातावरण, धार्मिक प्रभाव, तथा पाश्चात् सभ्यता का प्रभाव आदि का अध्ययन होता है । अब हम इन दोनों बातों का क्रमशः विस्तार में अध्ययन करेंगे ।

परिस्थितियाँ—परिस्थितियों का मर््या अर्थ उन सामाजिक वातावरण से है जिसमें रह कर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है । इस प्रकार उसकी आवश्यकताएँ एवं आर्थिक क्रियाएँ सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती हैं । सामाजिक वातावरण में भी हम यह देखना होगा कि वह किस वर्ग से सम्बन्धित है । उसकी मासिक आय क्या है, तथा वह किस समय के वातावरण में रह रहा है ।

समय —एक व्यक्ति किस समय में रह रहा है, इसका उसके रहन-सहन के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है । प्राचीन समय में जो वस्तुएँ आराम एवं विलासिता की वस्तु मानी जाती थी वह आज वैज्ञानिक विकास के कारण तथा उत्पादन में अधिक वृद्धि होने के कारण तथा उनके अत्यधिक उपयोग के कारण आवश्यक वस्तुएँ ही गई है । विद्यार्थी के लिए फाउन्टेनपैन पहले आराम की वस्तु समझी जाती थी लेकिन आज वही फाउन्टेनपैन आवश्यक वस्तु ही गई है । इसी प्रकार रेडियो साइकिल आदि वस्तुओं का उदाहरण ले सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि रहन-सहन के स्तर पर सामाजिक दशाओं के विकास का अधिक प्रभाव पड़ता है ।

आय :—दूसरे, किसी व्यक्ति का रहन-सहन उसकी आय से प्रभावित होता है । उसकी आय पर ही उसकी आवश्यकताओं तथा सेवाओं की सन्तुष्टि की सीमा निर्भर है । इस प्रकार किसी व्यक्ति का रहन-सहन प्रत्यक्ष रूप से उसकी आय पर निर्भर करता है । यदि आय अधिक है तो रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा और यदि आय कम हो तो रहन-सहन का स्तर नीचा होगा । इसी कारण से किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो उसके रहन-सहन में भी परिवर्तन आ जाता है । इस प्रकार यदि हमें दो व्यक्तियों के रहन-सहन की तुलना करनी हो तो उनकी आय पर भी ध्यान देना चाहिये कि

किस व्यक्ति की आय कम है और किसकी अधिक । भारत में प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण ही रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की तुलना में कम है । इसी कारण यदि भारतवासियों के रहन-सहन में वृद्धि करनी है तो अन्य बातों के साथ उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिये ।

वर्ग :—व्यक्ति समाज के जिस वर्ग विशेष में रहता है उसका भी उसके रहन-सहन के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है, उसीके अनुसार उसको रीति-रिवाज, खान पान, परम्परायें एवं आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है, जिससे उसका रहन-सहन प्रभावित होता है । साधारणतः समाज में तीन वर्ग दिखाई देते हैं—निम्न, मध्य तथा उच्च वर्ग । निम्न वर्ग के व्यक्तियों की आय भी कम होती है तथा उनके रहने की दशायें भी सन्तोषप्रद नहीं होती हैं । प्रायः इस वर्ग के व्यक्ति सामाजिक रिवाज के वशीभूत होकर अपनी आय का अशुभ्य कर देते हैं जिससे इनके रहन-सहन का स्तर नीचा होता है । मध्य वर्ग के व्यक्ति इसकी ओर अपनी स्थिति के अनुसार रहन-सहन के स्तर को बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं । इस वर्ग के व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्तर बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं । उच्च वर्ग के व्यक्तियों की दशा अन्य दोनों वर्गों से भिन्न होती है । इनकी आय अन्य दोन वर्गों की अपेक्षाकृत अधिक होती है । इसी कारण इस वर्ग के व्यक्तियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता है तथा वे विलासिता की आवश्यकताओं को भी सन्तुष्टि कर सकते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ग विशेष में रहने वाले व्यक्ति का रहन सहन उस वर्ग की दशाओं से प्रभावित होता है ।

व्यक्तित्व :—किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसके रहन-सहन के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है । किन्हीं दो व्यक्तियों के समय, आय तथा वर्ग के समान होने पर भी व्यक्ति के आधार पर रहन-सहन में भिन्नता पाई जाती है । किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी शिक्षा, दूरदर्शिता, पारिवारिक वातावरण, धार्मिक प्रभाव एवं पारिवारिक सम्पत्ता का असर प्रभावित करते हैं, जिसका अध्ययन हम निम्न प्रकार से विस्तार में करेंगे ।

शिक्षा एवं दूरदर्शिता :—शिक्षा एवं दूरदर्शिता से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है । वह उचित एवं अनुचित में भेद करने की योग्यता रखता है । इसी कारण एक शिक्षित व्यक्ति तथा एक अशिक्षित व्यक्ति को यदि समान आय दी जाय तो शिक्षित व्यक्ति उस आय का उचित ढंग से व्यय करेगा । उसका रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा । परन्तु दूसरी ओर अशिक्षित व्यक्ति उस आय को बिना विचारे व्यय न करेगा जिससे उसके रहन-सहन की दशा में कोई सुधार नहीं होगा । इसी प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति भविष्य के विषय में भी

कुछ बचा कर रखने की कोशिश करता है। क्योंकि वह समझता है कि परिवार में हारी-बीमारी चलती ही रहती है जिसके लिए धन बचाना अच्छा होता है, परन्तु दूसरी ओर अशिक्षित व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता और भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो अपने घर के स्त्रियों के जेवरों तथा सामानों को बेच देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रहन-सहन के स्तर पर व्यक्ति को शिक्षा एवं दूरदर्शिता का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

पारिवारिक धातावरण :—मनुष्य के रहन-सहन पर उसके परिवार का भी असर पड़ता है जिसमें रह कर वह पला है। यदि उसके परिवार का रहन-सहन अच्छा है तो उसकी भी अच्छे रहन-सहन के स्तर बनाय रखने की रुचि होगी। परिवार के बाद मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली जातीय गुण होते हैं जिसके अनुसार वह रीति-रिवाज एवं परम्पराओं का मानता है और अपने रहन-सहन के स्तर को बनाता है।

धार्मिक विचारधारा :—धार्मिक विचारों का भी मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ का आर्थिक विकास अधिक नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ भारत में मनुष्य के जीवन पर धार्मिक प्रभाव अधिक है। यहाँ व्यक्ति मीस, मंदिरों का सेवन धर्म के विरुद्ध समझते हैं। तथा स्वीहागे पर अधिक धन व्यय करना ये अच्छा समझते हैं। धर्म के प्रभाव के कारण ही यह भगवान पर विश्वास करके अधिक उत्पादन एवं कार्यक्षमता के बढ़ाने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की गतिशीलता भी इसी कारण से कम है। इससे यह स्पष्ट है कि धार्मिक विचारों का भी मनुष्य के रहन-सहन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषकर उन व्यक्तियों पर जो अशिक्षित हैं तथा गावों में रहते हैं।

पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव :—मनुष्य के रहन-सहन पर पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा एवं विचारधाराओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति देश-विदेश में भ्रमण करते हैं उनको विदेशी के रहन-सहन की विधि ज्ञात हो जाती है। और वे भी उसी प्रकार का रहन-सहन बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजों का असर भारतीय रहन-सहन पर अधिक पड़ा है। इसी के कारण यहाँ पर मशीनों द्वारा निर्मित सामान का उपयोग शुरू हुआ। तथा भारतीयों ने विदेशी भेष-भूषा को अपनाना शुरू किया। इसी प्रकार अंग्रेजों पर भी कुछ भारतीय बातों का प्रभाव पड़ा जिसे वे आज भी करते हैं। जैसे पान व हुक्का पीना। इससे स्पष्ट है कि विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर भी मनुष्य का रहन-सहन का स्तर निर्धारित होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य के रहन-सहन का स्तर मुख्य दो बातों से प्रभावित होता है। प्रथम परिस्थितियों से जिसमें समय, आय तथा वर्ग प्रभावित करते हैं तथा दूसरे व्यक्तित्व से जिनके अन्तर्गत शिक्षा, एवं दूरदर्शिता, पारिवारिक धातावरण, धार्मिक विचारधारा, पाप, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आदि बातें मनुष्य के रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं।

उत्पत्ति (Production)

अध्याय २३ उत्पत्ति का अर्थ

प्रश्न ४५—“उत्पादन क्या है ? उत्पत्ति के कौन २ से तरीके हैं” ।
या

“उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पत्ति है” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । पदार्थों में उपयोगिता वृद्धि के क्या-क्या तरीके हैं ?

(What is production ? What are different ways of production ?)

Or

(Production is the creation of utilities, discuss and explain clearly the methods of increasing utility)

उत्तर :—

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य पदार्थ का न सृजन कर सकता है और न उसका विनाश ही । सृष्टि के आरम्भ से ससार में जितना पदार्थ था, उसमें न वृद्ध हुई न हो सकती है । यदि मनुष्य कुछ कर सकता है तो केवल अपने परिश्रम से मौजूद वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिये अधिक उपयोगी बना सकता है अर्थात् वह इनमें अधिक उपयोगिता पैदा कर सकता है । वस्तुओं से इस उपयोगिता के सृजन करने अथवा वृद्धि करने को ही अर्थशास्त्र में उत्पत्ति कहते हैं । राज एक मकान बनाता है, दर्जी एक कमीज सीता है, दोनों उदाहरणों में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है । राज विभिन्न पदार्थों जैसे ईंट, मिट्टी, सीमेन्ट, लोहा आदि का प्रयोग इस प्रकार करता है कि मकान बन जाता है । इसी प्रकार दर्जी कोट नती बनाता बल्कि कपड़े में काट-छाट करके, उन्हें इस प्रकार जोड़ता है कि कोट बन जाता है । उमने कपड़े को अपनी कंधी और मशीन की सहायता से अधिक उपयोगी बना दिया । प्रो० पेसन के मतानुसार “उत्पत्ति से अर्थ किसी पदार्थ के निर्माण करने से नहीं लिया जाता बरन् इसका अर्थ वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को सृष्टि करने की योग्यता, शक्ति अथवा गुण में वृद्धि करना है” ।

केवल उपयोगिता वृद्धि को ही उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता जब तक कि

उस वस्तु का आर्थिक मूल्य भी न बढे, अर्थात् जिसके होने से उसका मूल्य पहले से कुछ अधिक हो जाये। ऐसी वस्तु के उत्पन्न करने को जिसमें उपयोगिता हो पर मूल्य न हो आर्थिक दृष्टि से उत्पत्ति नहीं कह सकते। इसी लिये प्रो० टामस के अनुसार “वस्तु मूल्य में वृद्धि करना या अर्थ का सृजन करना उत्पत्ति कहलाता है”।

उत्पादन की रीतियाँ अथवा उपयोगिता के प्रकार :—

प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार उपयोगिता में वृद्धि लाता है अर्थशास्त्र में उत्पादक कहलाता है। पदार्थों में उपयोगिता वृद्धि निम्न प्रकारों में हो सकती है। इन्हीं को उत्पादन की रीतियाँ कहते हैं :—

(१) **रूप उपयोगिता (Form Utility)** —जब किसी पदार्थ के रूप को बदलकर उपयोगिता वृद्धि की जाती है तो उसे रूप उपयोगिता द्वारा उत्पत्ति कहते हैं। बढई का लकड़ी से मेज बनाना, दर्जी का कपडे से कौट बनाना, सुनार का जेवर बनाना इत्यादि रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता वृद्धि के उदाहरण हैं।

(२) **स्थान उपयोगिता (Place Utility)** —किसी वस्तु को एक

उपयोगिता के प्रकार —	स्थान पर ले जाने से भी उपयोगिता में वृद्धि होती है। नागपुर से सन्तरो, काश्मीर से मेवो, जंगलो में लकड़ी अन्य स्थानों पर ले जान से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः वस्तुओं के पैदा होने के स्थान से उपभोग के स्थान पर ले जाने से उनमें उपयोगिता की वृद्धि होती है।
१. रूप उपयोगिता।	
२. स्थान उपयोगिता।	
३. समय उपयोगिता।	
४. अधिकार उपयोगिता।	
५. सेवा उपयोगिता।	
६. ज्ञान उपयोगिता।	

(३) **समय उपयोगिता (Time Utility)** —बहुत सी वस्तुएँ कुछ समय तक रखन के पश्चात् अधिक उपयोगी हो जाती हैं जैसे चावल, दाराब व भिरका। अतः कुछ समय तक वस्तुओं को रक्छे रहना या सुरक्षित रखना उत्पादन की एक रीति है। व्यापारी लीग मदी में माल भर लेते हैं और तेजी में बेचते हैं। वे भी पदार्थ में समय उपयोगिता उत्पन्न करते हैं।

(४) **अधिकार उपयोगिता (Possession Utility)** —कभी २ वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाकर अधिक उपयोगी हो जाती है। दूकानदार की अलमारी में रक्छी हुई किताबों की उतनी उपयोगिता दूकानदार को नहीं होती जितनी कि उनको खरीदने वाले विद्यार्थियों को।

(५) सेवा उपयोगिता (Service Utility) :—बहुत से व्यक्ति कोई वस्तु नहीं बनाते, वह केवल सेवा करते हैं। सेवा कार्य द्वारा भी उपयोगिता वृद्धि होती है। अध्यापक, शिक्षक, डाक्टर, घरेलू नौकर, नर्तकी, अभिनेता, सिपाही, ये सब सेवा उपयोगिता उत्पन्न करते हैं।

(६) ज्ञान उपयोगिता (Knowledge Utility) :—वस्तु के बारे में अधिक ज्ञान हो जाने से, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। विज्ञापन द्वारा वस्तुओं के गुण का ज्ञान उपभोक्तारों तक पहुँचाया जाता है और उनके लिए उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि वे उनको खरीदने को तत्पर हो जाते हैं।

अध्याय २४

उत्पत्ति के साधन

प्रश्न ४६—उत्पादन के साधन से आप क्या धर्म समझते हैं ?
उत्पत्ति में उनके सापेक्षिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

(What do you mean by its Factors of Production? What is their relative importance in production?)

उत्तर :—

उत्पत्ति के साधनों से तात्पर्य उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका धनोत्पत्ति कार्य के लिये होना आवश्यक है या जिनका धन उत्पादन कार्य के लिये उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति के पांच साधन हैं :—

(१) भूमि (Land) —अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ पृथ्वी की

उत्पत्ति के साधन —

१. भूमि।
२. श्रम।
३. पूँजी।
४. व्यवस्था।
५. साहस।

ऊपरी सतह से ही नहीं बल्कि उन समस्त प्राकृतिक पदार्थों और शक्तियों से है जो हमको पृथ्वी के घरातल पर, उससे ऊपर और उसके नीचे पाये जाते हैं। नदी, नाले, पहाड़, जंगल, भील, सूर्य की रोशनी, चादनी, वर्षा, खनिज पदार्थ समस्त भूमि हैं। इनको प्रकृति की मुफ्त देन (Free gift of nature) भी कहते

है। प्रकृति उत्पादन के लिये प्रथम वस्तु है इसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता।

(२) श्रम (Labour) :—प्राकृतिक देनों का शोषण करने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि भूमि एक निष्क्रिय साधन (Passive factor) है। श्रम से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के दारौरिक और मानसिक श्रम से है जो शौकिया नहीं बल्कि धन लाभ की आशा से किया जाता है। यह भी भूमि की भाँति उत्पत्ति का आवश्यक साधन है और इसके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती।

(३) पूंजी (Capital) :—मनुष्य प्राकृतिक साधनों के शोषण में निहत्था काम नहीं कर सकता। उसे अनेकों छोटे बड़े औजारों, यन्त्रों और मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं को अर्थशास्त्र में पूंजी कहते हैं। पूंजी सम्पत्ति का वह भाग है जो अधिक धन उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। पूंजी श्रम और भूमि के मेल का ही फल है।

(४) व्यवस्था (Organisation) :—उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उचित अनुपात में लगाने तथा उत्पादन कार्य के निरीक्षण का कार्य 'व्यवस्था' अथवा 'संगठन' के नाम से पुकारा जाता है। आबकल की बड़े पैमाने की घनोत्पत्ति में जहाँ भूमि श्रम और पूंजी विशाल मात्रा से एकत्रित किये जाते हैं, व्यवस्था का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

(५) साहस (Enterprise) —हर व्यवसाय में चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा कुछ जोखिम अवश्य होती है। ही मकता है कि व्यापारी के अनुमान सही न उतरें और उसे हानि सहनी पड़े। आबकल जबकि उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और माप से पूर्व ही उत्पत्ति की जाती है यह जोखिम और भी अधिक बढ़ गई है इस जोखिम को उठाने वाला व्यक्ति 'साहसी' (Enterpreneur) कहलाता है।

उत्पत्ति के साधन और उत्पत्ति के साधक (Factor and Agent of Production) .—उत्पत्ति के साधन से आशय उन वस्तुओं अथवा सेवाओं से है जो उत्पत्ति के लिये अनिवार्य हैं, और उत्पत्ति के साधक से आशय उन व्यक्तियों से है जो इन साधनों को देते हैं :—

साधन	साधक
भूमि ✓	भूमिपति या जमींदार ✓
श्रम ✓	श्रमिक ✓
पूंजी ✓	पूंजीपति ✓
व्यवस्था ✓	व्यवस्थापक, संगठनकर्ता ✓
साहस ✓	साहसी ✓

साधनों सम्बन्धी विवाद — प्रयंशास्त्रियों में इस बात पर मतभेद है कि उत्पात्ति के साधन कितने हैं ? कुछ प्रयंशास्त्री उत्पात्ति के केवल दो—भूमि और श्रम ही साधन मानते हैं । इनको उत्पात्ति के प्रमुख साधन (Primary Factors of Production) कहा जाता है क्योंकि इनके अभाव में उत्पात्ति की कल्पना करना व्यर्थ है । इन प्रयंशास्त्रियों के अनुसार पूँजी साधन का अलग कोई अस्तित्व नहीं है बल्कि यह भूमि और श्रम का समुक्त प्रतिफल है । व्यवस्था और साहस भी एक विशिष्ट प्रकार के श्रम ही हैं । अतः उत्पात्ति के मूल साधन दो ही हैं । परन्तु बाजार के बड़े पैमाने की उत्पात्ति में जहाँ करोड़ों रुपये का विनियोग होना है पूँजी का अभाव अत्यन्त महत्व है । उत्पादन के साधनों की देखभाल व व्यवस्था के लिये समकालीन परिवर्तन हो गया है । इनके बड़े पैमाने की उत्पात्ति में जातिम भी अधिक होती है । बड़े पैमाने की उत्पात्ति में ही नहीं, छोटे-छोटे व्यवसायों और घरेलू उद्योग धर्मों में भी व्यवस्था और जोखिम भ्रगतना प्रमुख साधन हो गये हैं । योही बहुत जोखिम प्रत्येक उत्पादन के कार्य में सम्मिलित है । अतः बाजार की उत्पात्ति के ५ साधन हैं । प्रो० वेनहम के अनुसार तो उत्पात्ति के साधन दो या पाँच नहीं बल्कि अगणित हैं, जो भी वस्तु उत्पात्ति में सहयोग देती है, उत्पादन का साधन है । प्रत्येक भूमि, प्रत्येक प्रतिक और प्रत्येक पूँजी पदार्थ व व्यवस्थापन एक पृथक् साधन है क्योंकि सभी में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है । परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए साधनों को साधारणतया पाँच ही भागों में बाँटा जाता है ।

साधनों का सापेक्षिक महत्त्व — उत्पादन कार्य पाँचों साधनों के सहयोग से होता है । किसी एक के भी अभाव में उत्पादन नहीं हो सकता । प्रत्येक साधक अनेक साधन का अन्य साधनों से अधिक आवश्यक समझता है । इन दो कठिनाईयों के कारण यह निर्णय करना कठिन है कि उत्पात्ति का कौनसा साधन अधिक महत्वपूर्ण है कौनसा कम महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस समस्या का हल किया जा सकता है । उदाहरण के लिये मानवी जीवन के आदिमकाल में प्रकृति का मनुष्य पर अधिकार था उस समय भूमि साधन अधिक महत्वपूर्ण था । बाद में ज्यों २ मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की, श्रम का महत्त्व बढ़ता गया । कालान्तर में अन्तःराष्ट्रिय में पूँजी का इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग होने लगा कि उसने श्रम में भी अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया । आधुनिक समय में उत्पात्ति का पैमाना बढ़ जाने से बाजारों के अन्तर्राष्ट्रीय हो जाने से समकाल और साहस न महत्वपूर्ण स्थान गृहण कर लिया है ।

प्रश्न ४७—“श्रम धन का पिता तथा सक्रिय तत्त्व है, जबकि भूमि उसकी माता है” इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

(“Labour is the father and active principle of wealth, as Lands are the mother ” Explain this statement fully)

उत्तर .—

उपर्युक्त कथन श्रम और भूमि का सम्बन्ध स्पष्ट करते हैं । जिस प्रकार किसी सन्तान के माता और पिता दोनों होते हैं । उसी प्रकार उत्पत्ति कार्य में श्रम का स्थान पिता का तथा भूमि का स्थान माता के समान है । इस प्रकार श्रम और भूमि उत्पत्ति के प्रमुख साधनों में से हैं ।

इस कारण से प्राचीन समय में उत्पत्ति के साधनों में केवल श्रम और भूमि ही माने जाते थे । उनका विचार था कि किसी उत्पादन कार्य में इन दोनों के सहयोग बिना कार्य नहीं हो सकता है । भूमि का अर्थ अर्थशास्त्र में भूमि की सतह पर तथा इस सतह के ऊपर और नीचे पाये जाने वाले सभी पदार्थों से होता है । इस कारण से खनिज पदार्थ, नदियाँ, पहाड़, वर्षा, जंगल आदि सबों को हम भूमि के अन्तर्गत मानते हैं । ये सब माना को प्रकृति की देन है । इन्हीं सब प्राकृतिक साधनों के सहयोग में अनेक प्रकार का उत्पादन किया जाता है, जिसका हम अपने जीवन में नित्य प्रति प्रयोग करते हैं । अर्थशास्त्र के अध्ययन में भूमि को एक निष्क्रिय साधन (Passive Factor) माना गया है । निष्क्रिय साधन से यहाँ पर अर्थ यह है कि भूमि में उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ होना हुआ भी यह अपने आप उत्पत्ति कार्य करने में असमर्थ है ।

भूमि के उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होने के कारण उत्पादन कार्य के लिए श्रम की आवश्यकता होती है । यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकती है, माना हमका खनिज पदार्थ की आवश्यकता है । ये भूमि की सतह के नीचे पाये जाते हैं, इनका प्राप्त करने के लिए हमका श्रमिकों का तथा पूंजी की सहायता लनी होगी । तभी खनिज उत्पादन के बाद हम खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भूमि स्वयं कुछ नहीं कर सकती । भूमि को उपयोग में लाने के लिए श्रम का सहयोग लाना आवश्यक है । तभी उत्पादन कार्य सम्भव हो सकता है, बिना श्रम के भूमि का कोई महत्व नहीं रह जाता है । इसी कारण अर्थशास्त्रियों ने श्रम को पिता एवं भूमि को माता की उपाधि दी है ।

श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन (Active factor of production) है । यही उत्पादन की क्रियाया का संचालन करता है । श्रम के बिना अन्य

उत्पत्ति के साधनों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, श्रम का प्रयोग पूँजीपतियों के द्वारा श्रमिकों एवं व्यवस्थापकों के रूप में होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भूमि एवं श्रम दोनों ही उत्पादन के मुख्य साधन हैं। इनमें से किसी एक साधन के द्वारा उत्पादन कार्य सम्भव नहीं है। उत्पादन में दोनों साधनों का सहयोग आवश्यक है। इसी कारण से यह कहा गया है कि श्रम पिता एवं भूमि माता के समान है।

साथ-साथ महा यह भी समझ लेना चाहिये कि आधुनिक युग में उत्पादन कार्य केवल श्रम और भूमि के सहयोग से ही सम्भव नहीं है। आज उत्पादन का ढंग प्राचीन ढंग से काफी विकसित दशा में है। आज उत्पादन कार्य में पूँजी, व्यवस्थापक एवं साहसी का भी विशेष महत्व है। इस कारण आज यदि हम कोई बड़े पैमाने का उत्पादन करते हैं तो श्रम और भूमि के साथ हमें अन्य उपत्ति के साधनों का भी पूरा पूरा सहयोग लेना होगा।

अध्याय २५ भूमि

प्रश्न ४८—अर्थशास्त्र में 'भूमि' शब्द का क्या तात्पर्य है ? उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये।

(What is meant by the term 'Land' in Economics ? What are its characteristics ?)

उत्तर :—

दैनिक जीवन में 'भूमि' शब्द से तात्पर्य जमीन या पृथ्वी की सतह से होता है परन्तु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ काफी व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत वे सब वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं जो प्रकृति की भेंट (Gifts of nature) हैं या जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य को धनोत्पादन में सहायता करने के लिये मुफ्त प्रदान किया है। प्रो० मार्शल के शब्दों में 'भूमि' का अर्थ केवल संकुचित अर्थ में भूमि से नहीं है बल्कि उन सभी वस्तुओं और शक्तियों से है जो सूर्य और जल, प्रकाश और गर्मी के रूप में प्रकृति की ओर से निशुल्क मनुष्य की सहायता के लिये प्रदान की जाती हैं (By land is meant not merely land in the strict sense of the word, but the whole of the material and forces which

nature gives freely for man's and, in land and water, in air light and heat' Marshall) । इस प्रकार भूमि शब्द में निम्न चीजें सम्मिलित की जाती हैं :—

(१) भूमि की सतह और उस पर पाये जाने वाले जंगल, पशु, पक्षी, नदी, नाले, पहाड़, समुद्र इत्यादि ।

(२) भूमि के नीचे के खनिज पदार्थ ।

(३) भूमि की सतह से ऊपर वायुमण्डल में निहित समस्त द्रव्यियां जैसे वायु, जलवायु, प्रकाश, उष्णता ध्रुव, वर्षा आदि ।

प्रकृति द्वारा उत्पन्न वस्तुयें तभी तक भूमि कहलायेंगी जब तक मनुष्य इन्हें प्राप्त करने के लिये कोई परिश्रम न करे, परिश्रम करके प्राप्त वस्तुयें धन की कोटि में आती हैं ।

भूमि की विशेषतायें (Characteristics of land) :—

(१) भूमि सीमित है (Land is limited) —सीमितता भूमि का एक प्रमुख गुण है । प्रकृति की देनी वृद्धि या कमी करना मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है । किसी देश के भूगर्भ में छिपे खनिज पदार्थों को किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता । बम्बई में समुद्र के पानी को सुखा कर मेरीन ड्राइव (Marine Drive) के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया । क्या यह भूमि की मात्रा में वृद्धि है ? नहीं । अन्तर केवल इतना है कि जो भूमि पहले पानी के नीचे थी वह अब पानी से अलग हो गई है । भूमि की मात्रा वही है जो इस परिवर्तन से पहले थी ।

भूमि की विशेषतायें :-

१. भूमि सीमित है ।
२. भूमि स्थिर है ।
३. भूमि में विविधता का गुण है ।
४. भूमि निष्क्रिय साधन है ।
५. भूमि अदाय है ।
६. भूमि निशुल्क उधार है ।
७. भूमि की उर्वरा एवं स्थिति निम्न होती है ।

(२) भूमि स्थिर है (Land is immobile) —यही नहीं कि भूमि सीमित है, वह स्थिर भी है । किसी स्थान विशेष की भूमि को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता । भारत के लोहे के भंडार को अमेरिका नहीं ले जाया जा सकता । वनों को उठा कर अन्य किसी जगह नहीं ले जा सकते, आदि । उत्पादन के अन्य मूल साधनों में गतिशीलता का गुण पाया जाता है ।

(३) भूमि में विविधता का गुण (Land is variable) :—समस्त भूमि एक सी नहीं होती। अलग-अलग भूमि अलग-अलग कामों के लिए उपयुक्त होती है। किसी भूमि के टुकड़े में सावमन मछलियाँ अधिक मिलती हैं इसी में काड़। किसी खान से उत्तम प्रकार का लोहा निकलता है तो किसी घटिया प्रकार का।

(४) भूमि निष्क्रिय साधन है (Land is a passive factor) :—भूमि स्वयं जनोत्पत्ति नहीं करती बल्कि मनुष्य इस पर श्रम व पूँजी लगाकर जनोत्पत्ति करता है।

(५) भूमि अक्षय है (Land is indestructible) —यह विशेषता श्रम विशेषता का स्पष्टीकरण ही है। हम भूमि को उत्पन्न भी नहीं कर सकते और न हम भूमि का नाश ही कर सकते हैं। वह खराब हो सकती है, बेकार हो सकती है, परन्तु नाश नहीं हो सकती। वह किसी न किसी रूप में रहेगी अवश्य।

(६) भूमि निशुल्क उपहार है (Land is a free gift) —इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भूमि का कोई उत्पादन व्यय नहीं होता। समाज को भूमि के लिये कोई व्यय नहीं करना पडा, यह प्रकृति को देन है। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से भूमि की कोई लागत नहीं है किन्तु व्यक्ति विशेष के लिये भूमि का मूल्य अवश्य है।

(७) भूमि की उर्वरता व स्थिति भिन्न होती है (Land differs in fertility and situation) :—प्रत्येक भूमि समान नहीं होती। यदि कोई भूमि अधिक उपजाऊ है तो दूसरी कम उजाऊ और तीसरी बजर है। भूमि का मूल्य उसकी स्थिति से भी निर्धारित होता है। लगभग समान उर्वरता भूमियों का मूल्य उनकी स्थिति के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। शहर के पास की भूमि का मूल्य दूर गाव में स्थित भूमि के टुकड़े की अपेक्षा अधिक होता है।

प्रश्न ४६—उत्पत्ति में भूमि का क्या महत्व है? भूमि की क्षमता को प्रभावित करने वाली बातों का वर्णन कीजिये।

(What is the importance of Land in Production? Discuss the factors governing the efficiency of Land.)

उत्तर :—

भूमि का उत्पादन में महत्व —पार्थिव जीवन के विकास की प्रत्येक

अवस्था में भूमि का घनोत्पत्ति में प्रमुख कार्य रहा है। आखेट युग का व्यक्ति तो पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर था। आज भी भूमि का उत्पादन कार्य में बड़ा महत्व है। उद्योग-घरों के लिए बच्चा माल प्रकृति अथवा प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त होता है, शक्ति के लिए कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, जलशक्ति भव प्रकृति की ही देन है। भूमि के ऊपर ही सब कारखाने खड़े किये जाते हैं और मनुष्य की काम करने के लिये स्थान मिलता है। कृषि, खान खुदाई, वन-व्यवसाय, मछली व्यवसाय आदि का विकास भी प्राकृतिक देनों से बहुत प्रभावित होता है। यातायात और सवादवाहन के साधनों का विकास घरातल धी बनावट पर निर्भर है। प्राकृतिक साधनों का उस देश के आर्थिक विकास में इतना अधिक महत्व है कि जिन देशों में 'प्रकृति में देनों' की अधिकता है वे देश दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्य, प्रगतिशील, समृद्धिवाली और सुखी हैं।

भूमि की कार्य-क्षमता — भूमि की कार्य क्षमता उसकी उत्पादकता (Productivity) पर निर्भर करती है। जो भूमि अधिक उत्पादक होती है अर्थात् जिससे उसके उपभोग करने वाले को अधिक लाभ पहुँचता है, उस भूमि की कार्य-क्षमता अधिक मानी जायेगी। जो भूमि कम उत्पादक होती है अर्थात् जिससे उसके प्रयोग करने वाले को अपेक्षाकृत कम लाभ होता है, उस भूमि की कार्य-क्षमता कम होती है। भूमि की कार्य-क्षमता निम्न बातों से प्रभावित होती है —

(१) **प्राकृतिक उपयुक्तता (Natural suitability)** :—भूमि की कार्य-क्षमता उसकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है। भूमि जिस कार्य के लिये प्रयोग की जाय उस कार्य के लिये उपयुक्त होनी चाहिये। अन्यथा भूमि की उत्पादकता कम हो जायेगी। उर्वरा भूमियों पर कृषि करनी चाहिये। किन्तु यदि इस भूमि पर मकान बना दिये जायें तो इसकी कार्यक्षमता गिर जायेगी। जो भूमियाँ उर्वरा होती हैं उनमें कम खर्च करके ही अधिक माल उत्पन्न किया जा सकता है। भूमि की उर्वरा शक्ति उसकी प्रकृति, रसायनिक विशेषताओं सजीव सत्वों, जलवायु आदि पर निर्भर होती है।

(२) **स्थिति (situation)** — जो भूमि क्षेत्र बाजार के निकट होता है या यातायात मार्गों के समीप होता है वह कृषि कार्य के लिये अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि उस पर कम व्यय में अधिक उत्पात्ति हो सकती है। ऐसी भूमि पर वे फसलें उगाई जायेंगी जो शीघ्र नष्ट हो जाती हों, जिनका शीघ्र ही बाजार करना अनिवार्य हो। जो भूमि आवादी से बहुत दूर हो जहाँ वर्षा

न होती हो और जो किसी नदी के निकट न हो, वह खेती के लिये अधिक उपयोगी नहीं हो सकती। इसी भाँति जो नदियाँ मैदानी भागों में होकर बहती हैं वे सिंचाई के लिये अधिक उपयुक्त समझी जाती हैं।

(३) व्यवस्थापक की योग्यता (Organiser's ability) — भूमि की कुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। समझदार व परिश्रमी कृषक भूमि से अधिक पैदा कर लेते हैं किन्तु आलसी व मूर्ख किसान उसी भूमि से बहुत कम पैदा करता है।

(४) बाहरी बातें (External conditions) — यातायात व मदेश वाहन के साधनों द्वारा प्राकृतिक साधनों का उचित शोषण हो सकता है। इसी प्रकार माल बेचन की सुविधायें देश में पर्याप्त मात्रा में पूर्वी और पूँजी को लेन देन करने वाली संस्थायें सिंचाई के साधन आदि भी भूमि की काय-क्षमता को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न ५०—गहरी व विस्तृत खेती पर टिप्पणियाँ लिखिये।

(Write short notes on Intensive and Extensive cultivation)

उत्तर —

यदि कोई किसान अधिक फसल पैदा करना चाहे तो उसके सामने दो रीतियाँ हैं—(१) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) और (२) गहरी खेती, (Intensive Cultivation)

(१) विस्तृत खेती — इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जोते जाने वाले खेत का क्षेत्रफल पहले से अधिक विस्तृत हो जाता है। यदि एक किसान अब तक १० एकड़ भूमि पर खेती करता था तो उपज बढ़ाने के लिये वह १० के स्थान पर १५ या २० एकड़ भूमि पर खेती करने लगेगा, यह प्रणाली विशेष तया नये देशों में पाई जाती है। वहाँ आबादी कम होती है और भूमि की पूर्ति काफी होती है। इसलिये उपज बढ़ाने के हनु, खेती का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। आस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइना व कनाडा में ऐसी ही कृषि का प्रचार है।

(२) गहरी खेती — इस प्रकार की खेती में भूमि का क्षेत्रफल सीमित रखकर उसी खेत पर श्रम और पूँजी का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया जाता है। प्राचीन देशों में जहाँ जनसंख्या की पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है और भूमि की स्थूलता है, उपज बढ़ाने के लिये प्रस्तुत भूमि पर ही अधिक श्रम और पूँजी का प्रयोग किया जाता है।

यह सोचना गलत है कि कोई देश या तो विस्तृत खेती को अपनाता है, या गहरी खेती को। वास्तव में प्रत्येक देश में दोनों प्रकार की कृषि प्रणालियाँ साथ साथ चलती हैं। धीरे धीरे एक-सा महत्व कम होता जाता है और दूसरी का बढ़ता जाता है। प्राचिन काल में जनसंख्या की वृद्धि के कारण गहरी खेती का महत्व लगभग सब ही देशों में बढ़ता जा रहा है। गहरी खेती दो बातों पर निर्भर करती है —

(१) जनसंख्या की वृद्धि और (२) टेक्नीकल आविष्कार और कृषि मन्वन्धी सुधार।

अध्याय २६

भारतवर्ष की भूमि

प्रश्न ५१—भारतवर्ष की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का संक्षेप में वर्णन कीजिएगा।

(Explain in brief the various types of soil in India.)

उत्तर—

एक कृषि प्रधान देश के लिए भूमि का लक्षण एवं उर्वरा शक्ति का प्रभाव प्राथमिक जीवन पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना अच्छी भूमि की सहायता के अच्छी एवं सस्ती फसलें नहीं पैदा की जा सकती हैं। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तथा वे विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त भी हैं। भारतवर्ष में निम्न मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं :—

(१) लाल मिट्टी — इस मिट्टी में लोहे का अणु अधिक होने के कारण

मिट्टी के प्रकार :—

- १ लाल मिट्टी।
- २ काली मिट्टी।
- ३ लेटराइट मिट्टी।
- ४ नदियों की मिट्टी।
- ५ बलुई मिट्टी।

इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टी मद्रास, मंसूर, बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रान्त के पूर्व में तथा छोटा नागपुर उड़ीसा एवं बंगाल के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी कई प्रकार की चट्टानों के सहयोग से मिलकर बनती है। इस कारण से यह गहराई

तथा उर्वराशक्ति के विचार से विभिन्न प्रकार की होती है। इसी कारण से ऊँचे मैदानों पर पाई जाने वाली मिट्टी अधिक उर्वरा नहीं होती है तथा यह केवल हीन फसलों के उगाने के काम ही आती है, परन्तु इसके विपरीत जो मिट्टी नीचे मैदानों में पाई जाती है जिसका रंग गहरा लाल होना है वह अधिक उर्वरा मिट्टी होती है तथा उसमें अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, चावल मुख्य हैं। लाल मिट्टी के कम उर्वरा होने का कारण यह है कि इसमें नाइट्रोजन, फासफोरिक एमिड और वनस्पति का भ्रश कम होता है।

(२) काली मिट्टी.—इस मिट्टी में धातुओं की अधिक मिलावट होने का कारण इसका रंग काला होता है। यह मिट्टी कपास की उपज के लिए अधिक उपयुक्त है तथा इस प्रकार की मिट्टी में कपास की उपज के लिए वर्षा एवं सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की मिट्टी भारत में बम्बई राज्य के अधिकांश भाग में, धरार मध्यप्रदेश का पश्चिमी भाग, हैदराबाद तथा मद्रास के कुछ जिलों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र लगभग १ लाख वर्गमील में है। लाल मिट्टी की भाँति यह मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। ऊँचे मैदानों तथा पहाड़ियों की ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी कम गहरी होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं होती है लेकिन नीचे मैदानों, नदियों की घाटियों तथा पहाड़ियों के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी अधिक गहरी होने के कारण अधिक उपजाऊ होती है। बरसात के दिनों में यह मिट्टी चिकनी तथा लचीली हो जाती है परन्तु गर्मियों के दिनों में उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी अधिकांश अधिक उपजाऊ होती है।

(३) लेटराइट मिट्टी —इस प्रकार की मिट्टी विशेषकर मध्यभारत, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समीप और कहीं-कहीं आसाम और बर्मा के पास पाई जाती है। यह मिट्टी भी लाल रंग की होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों के टूटने से इस प्रकार की मिट्टी बनती है। यह मिट्टी सामान्यतया अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी भी अनेक प्रकार की होती है। पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है जिससे इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं जिसमें चावल मुख्य है। चाय की खेती भी इस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है।

(४) नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी.—यह मिट्टी भारतवर्ष में अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है तथा कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र बड़ी बड़ी नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है। भारत के

उत्तरी भाग में सिन्धु और गंगा के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी फैली हुई है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर, राजपूताना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आंध्र आसाम के भाग में पाई जाती है। देश के दक्षिणी भाग में यह मिट्टी प्रायद्वीप के दोनों तटों पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग ३ लाख वर्गमील है। रसायनिक दृष्टि से यह मिट्टी अधिक उत्तम है लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यदि मिचाई की उचित व्यवस्था रहे तो इस प्रकार की मिट्टी में सभी प्रकार की फसल बोई जा सकती है। इन मैदानों में चावल एवं गन्ने का उत्पादन अधिक होता है।

(५) बलुई मिट्टी :—इस मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ वर्षा या तो होती ही नहीं है या होती भी है तो बहुत कम। ऐसे स्थानों पर बालू के टीले पाये जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में पानी सोखने की शक्ति अधिक होती है। ऐसी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। भारत में ऐसी मिट्टी दक्षिणी पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।

भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में नाइट्रोजन तत्व की कमी पाई जाती है। यही कारण है कि हम खाद द्वारा इस तत्व की कमी को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा भारत की मिट्टियाँ अपेक्षाकृत शुष्क हैं। इसी कारण से भारत के किसानों के सम्मुख मिचाई की एक कठिन समस्या रहती है।

प्रश्न ५२—भूमि के कटाव से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों तथा रोकने के उपायों का वर्णन कीजिएगा।

(Explain the meanings and causes of soil Erosion Also suggest the methods to check soil Erosion.)

उत्तर :—

भूमि के कटाव का अर्थ —जब बाढ़, हवा या अधिक वर्षा के कारण भूमि की सतह की मिट्टी बह जाती है तो उसे भूमि का कटाव कहते हैं। भूमि के ऊपर की सतह की मिट्टी बहुत मुलायम तथा उपजाऊ होती है और जब अधिक वर्षा या बाढ़ आती है या तेज हवा चलती है तो सतह के गुणकारी तत्व बह जाते हैं जिससे भूमि की उर्वराशक्ति कम हो जाती

है। इसी को ही भूमि का कटाव कहते हैं। भारतवर्ष में मिट्टी का कटाव मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब के होशियारपुर तथा अम्बाला जिलों में और पहाड़ी प्रदेशों में तथा अधिक वर्षा होने के कारण बम्बई के दक्षिणी जिलों तथा छोटा नागपुर में विशेष रूप से पाया जाता है। वैसे भूमि के कटाव की समस्या प्रत्येक देश में पाई जाती है।

भूमि के कटाव के कारण — भूमि के कटाव के मुख्य कारण निम्न लिखित हैं —

(१) अधिक वर्षा का होना — जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है। वहाँ या तो भूमि में गहरे गड्ढे हो जाते हैं या भूमि के ऊपरी सतह के गुणकारी तत्व वर्षा के साथ-साथ बह जाते हैं, जिस कारण से उन स्थानों पर भूमि का कटाव हो जाता है।

भूमि के कटाव के कारण :—

१. अधिक वर्षा का होना।
२. मिट्टी में ढलाव।
३. मिट्टी की वनावट।

(२) भूमि में ढलाव — यदि भूमि का ढलान कम है जैसे सिन्ध और गंगा के मैदान तो भूमि का कटाव बहुत ही कम होता है। इसके विपरीत यदि भूमि का ढलाव अधिक है जैसे भारत के दक्षिणी भाग में तो भूमि का कटाव अधिक होता है। ऐसे स्थानों पर वर्षा के कारण गहरे गड्ढे हो जाते हैं।

(३) मिट्टी की वनावट — जिन स्थानों की मिट्टी बाली है वहाँ वर्षा के दिनों में मिट्टी लिज्जिली हो जाती है तथा ऊपरी सतह की थोड़ी ही मिट्टी बहने पाती है और सतह में गहरे गड्ढे भी नहीं होने पाते हैं इस कारण से भूमि का कटाव भी कम होता है लकिन जिन स्थानों की भूमि की मिट्टी रेतीली या दोमट होती है वहाँ वर्षा के कारण ऊपर की सतह की मिट्टी बह जाती है तथा भूमि में गहरे गड्ढे भी हो जाते हैं जिससे उन स्थानों पर भूमि का कटाव भी अधिक होता है।

भूमि के कटाव को रोकने का सुझाव :— भूमि के कटाव को रोकने के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(१) वर्षा से पहले भूमि को जोतना — वर्षा होने से पहले भूमि को ढाल के समानान्तर जोत देना चाहिये जिससे पानी के बहने की शक्ति कम हो जाती है। भूमि में पानी के सोखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। यह कार्य प्रतिवर्ष वर्षा होने से पहले ही जाना चाहिये।

(२) वनों की वृद्धि करना :— जिन स्थानों पर भूमि का कटाव अधिक

होता है। वहाँ वनों की वृद्धि करनी चाहिये। वना के लगाने से भूमि सगठित

कटाव को रोकने
के सुझाव —

- १ वर्षा से पहले भूमि को जोतना।
- २ वनों की वृद्धि करना।
- ३ बाँधों का लगाना।
- ४ ढलाऊ भूमि पर सीढ़ीदार खेती।
- ५ चारागाहों की उचित व्यवस्था।
- ६ वर्षा के समय खेतों में फसल का होना।

हो जाती है। बाढ़ तथा वर्षा से मिट्टी अधिक नहीं बहती है। वनों के लगाने से हवा के वेग में भी कमी आ जाती है जिससे मिट्टी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़के नहीं जाती है। इसलिए भूमि के कटाव को रोकने के लिए वनों की वृद्धि करनी चाहिये।

(३) बाँधों का लगवाना —

जगह जगह पर भूमि पर बाँध लगवा देने चाहिये जिससे पानी का बहाव कम हो सके। इस कार्य में खर्चा अधिक होगा जिसको गरीब किसान सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस कार्य में सरकार

द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिये।

(४) ढलाऊ भूमि पर सीढ़ीदार खेती — यदि भूमि अधिक ढलाऊ है तो उस पर सीढ़ीदार खेती करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से भूमि का कटाव कम होगा।

(५) चारागाहों की उचित व्यवस्था — चारागाहों में पशुओं के चरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। भूमि से सारी घास नहीं काटनी चाहिये। ऐसा करने से वर्षा द्वारा मिट्टी का बहाव रक जायेगा।

(६) वर्षा के समय खेतों में फसल का होना — वर्षा के समय खेतों में किसी भी प्रकार की फसल होने से पानी का बहाव पौधों की जड़ों के कारण कम हो जाता है। जिससे भूमि का कटाव कम हो जाता है।

इस प्रकार उपरिलिखित विधियों को अपनाकर भूमि के कटाव की समस्या हल हो सकती है।

प्रश्न ५३—“भारतवर्ष में वर्षा” पर एक निबन्ध लिखियेगा।

(Write an essay on 'Rainfall in India')

उत्तर :—

भारतवर्ष में वर्षा मानसूनो द्वारा होती है। यहाँ मानसून का अर्थ वर्षा

लाने वाली हवाओं से है। भारतवर्ष में मानसून हवायें दो प्रकार की होती हैं (१) ग्रीष्मकालीन मानसून तथा (२) शीतकालीन मानसून। अब हम प्रत्येक के विषय में विस्तार से देखेंगे।

ग्रीष्मकालीन मानसून :—भारतवर्ष में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं से होती है। इसी कारण से ग्रीष्मकालीन वर्षा के समय को "वर्षाऋतु" कहते हैं। यह जून में शुरू होकर सितम्बर तक चलती है। ग्रीष्मकालीन मानसून दो प्रकार की होती है —

(१) बंगाल की खाड़ी से मानसून तथा (२) अरब की खाड़ी से मानसून।

बंगाल की खाड़ी से मानसून —पहले मानसून बंगाल में हिमालय के पूर्वी भाग से टकराता है जिससे इस भाग में अधिक वर्षा होती है। इस मानसून का कुछ भाग आसाम की ओर चला जाता है तथा ब्रह्मपुत्र की खाड़ी में बहुत वर्षा करता है तथा शेष भाग पश्चिम की ओर चलकर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में जाकर वर्षा करता है। जैसे-जैसे मानसून पूर्व से पश्चिम की ओर चलता जाता है। वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। दूसरी प्रकार की ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात् अरब की खाड़ी से मानसून का अधिकांश भाग पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराकर पश्चिमी घाट तथा मैदानों में वर्षा करता है। इस मानसून का कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी वर्षा करता है तथा शेष मानसून सिंध, काठियावाड़ तथा राजपूताना आदि में वर्षा करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं के द्वारा होती है।

शीतकालीन मानसून —यह मानसून हवायें अक्टूबर से शुरू होकर दिसम्बर तक चलती हैं। यह मानसून थल से जल की ओर चलता है। दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में भारी वर्षा करती हैं। मध्य प्रदेश, बरार और हैदराबाद में भी इन मानसून से कुछ वर्षा हो जाती है जिससे इन प्रदेशों की गेहूँ की फसल को अतिक्रम लाभ होता है।

भारतीय वर्षा की विशेषताएँ :—भारतवर्ष की वर्षा की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) वर्षा की मात्रा में भिन्नता — भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा हर स्थान पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे चेरापूँजी में वर्षा ६००" के लगभग होती है लेकिन राजस्थान एवं पंजाब के दक्षिणी भाग में यह केवल १०" ही होती है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट पर तथा गंगा के मैदान में २०"

आसाम में ६०", बंगाल में ५५", उत्तर प्रदेश में २५" से ४०" तथा दक्षिणी

भारतीय वर्षा की विशेषताये —

१. वर्षा की मात्रा में भिन्नता ।
२. अधिकांश वर्षा ग्रीष्म-कालीन मानसूनो द्वारा ।
३. वर्षा की अनिश्चितता
४. कुछ भागों में वर्षा की कमी ।
५. वर्षा से भूमि के कटाव की समस्या ।
६. वर्षा के बाद सिंचाई के साधनों की आवश्यकता ।

प्रायद्वीप में १०" से ३०" के लगभग वर्षा होती है । इससे स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक भाग में वर्षा की मात्रा में असमानता पाई जाती है ।

(२) अधिकांश वर्षा ग्रीष्म-कालीन मानसूनो द्वारा .--६०% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है जो कि जून से शुरू होकर मितम्बर तक चलती है । इसी कारण से इस समय को "वर्षाऋतु" कहते हैं ।

(३) वर्षा की अनिश्चितता :— 'भारतवर्ष' में वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है । कभी वर्षा शीघ्र शुरू हो जाती है कभी देर से या कभी वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है या देर से । इसी प्रकार किसी दिन वर्षा अधिक हो जाती

है तो किसी दिन कम ।

(४) कुछ भागों में वर्षा की कमी — देश के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें वर्षा की कमी पाई जाती है तथा जिन पर किसी वर्ष वर्षा ही जाती है और किसी वर्ष वर्षा नहीं भी होती है । जैसे मध्य भारत ।

(५) अधिक वर्षा से भूमि के कटाव की समस्या ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं से वर्षा जोर में होती है जिससे पानी व्यर्थ जाता है तथा भूमि के ऊपरी सतह के गुणकारी तत्व बह जाते हैं जिससे कृषकों के मामले में भूमि के कटाव की समस्या आती है ।

(६) वर्षा के बाद सिंचाई के साधनों की आवश्यकता — देश में वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है । इस कारण से वर्षा के बाद कृषकों को सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था करनी होती है ।

वर्षा की उपलब्ध विशेषताओं के कारण ही "भारतीय कृषि को जल-वृष्टि का जुआ" कहा है । इसलिए कृषि के उचित विकास एवं उसमें स्थिरता लाने के लिए देश में सिंचाई के साधनों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

भारतीय भूमि की उत्पत्ति

प्रश्न ५४—भारत में कृषि के कम उत्पत्ति के कारण लिखियेगा तथा सुधार के लिए सुझाव भी दीजिये ।

(Explain the causes of low Agricultural Production in India and suggest methods for its development.)

उत्तर—

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ की अधिकांश जनता लगभग ८०% खेती पर ही निर्भर है । खेती भारतवर्ष का प्राचीन धन्धा है । फिर भी यदि हम अपने देश की कृषि उत्पादन की ओर ध्यान दें तो हमें दशा मोचनीय दृष्टि पड़ती है । हमारे देश का कृषि उत्पादन विदेशों की तुलना में बहुत कम है । जब विदेशों में प्रति एकड़ ३० मन प्रति एकड़ पैदा होता है तो भारत में यह केवल १० मन प्रति एकड़ ही पैदा होता है ।

कृषि के कम उत्पत्ति के कारण - भारत में कृषि के कम उत्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं —

(१) प्राकृतिक कारण :—भारत एक विशाल देश है । इसमें न एक ही भूमि पाई जाती है और न वर्षा की ही समानता पाई जाती है । वही-वही वर्षा इतनी अधिक होती है कि बाढ़ तक आ जाती है जैसे बंगाल और आसाम और वही वर्षा बहुत कम होती है जैसे सिन्ध और राजस्थान । वर्षा का अधिक और कम होना दोनों ही कृषि के लिए बाधक हैं ।

(२) दैवी कारण — जहाँ वही कृषि की उन्नति अच्छी होती है वहाँ दैवी कारणों से फसल खराब हो जाती है । जैसे चूहे, कीड़े, मकोड़े, टीडी आदि के द्वारा । कभी-कभी पाला या जाड़ा मार जाता है जिससे फसल नष्ट हो जाती है । भारतीय किसान प्राचीन ढंग से कृषि चलाकर रहता है, इस कारण से वह इनसे रचना के वैज्ञानिक उपाय नहीं जानता है ।

कृषि के कम उत्पत्ति के कारण —

- १ प्राकृतिक कारण ।
- २ दैवी कारण ।
- ३ खेती का छोटा व छिटका होना ।
४. सिंचाई का अभाव ।
५. किसानों की गरीबी ।
६. वैज्ञानिक यन्त्रों की कमी ।
७. खाद की कमी ।
८. दुर्बल पशु ।
९. उत्तम बीज का अभाव ।
१०. शिक्षा का अभाव ।

(३) खेतों का छोटा व छिटका होना — भारतवर्ष में यह प्रथा है कि पैतृक सम्पत्ति में सभी पुत्रों का बराबर हक होता है। इस कारण से दिन पर दिन खेत छोटे छोटे व दूर-दूर होते चले जाते हैं, जिन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता है।

(४) सिंचाई का अभाव — भारतीय किसान पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जिस वर्ष वर्षा अच्छी हो जाती है तो फसल भी अच्छी ही आती है। अन्यथा वर्षा की कमी में फसल भी अच्छी नहीं होती है। भारत में सिंचाई के साधनों का अभाव है। सरकार को विभिन्न सिंचाई के साधनों की जैसे नहरों तथा बिजली के कुओं की व्यवस्था करनी चाहिये।

(५) किसानों की गरीबी — भारतीय किसान गरीब है। उनके पास कृषि के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी भी नहीं है, इसलिये वे आये दिन महाजनों से ऋण उधार लेते हैं जिसको वे अपनी जिन्दगी में कभी अदा नहीं कर पाते हैं। इसी गरीबी के कारण वे पीछे भोजन भी नहीं कर पाते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इसी कारण से विदेशों के कृषकों के रहन-सहन की तुलना में भारतीय कृषक का रहन-सहन का दर्जा नीचा है।

(६) वैज्ञानिक यन्त्रों की कमी — भारतीय किसान पुराने किस्म के हल एवं औजारों से ही कृषि कार्य करता है जिससे कृषि का उत्पादन अधिक नहीं होने पाता है, जबकि विदेशों में किसान आधुनिक यन्त्रों का पूर्णतः प्रयोग करता है। इसी कारण से उनका कृषि का उत्पादन अधिक होता है।

(७) खाद की कमी — भारत में अधिकांश किसान गोबर के घन्ना बनाकर उसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं तथा हड्डी तथा मछली की खाद की वे प्रयोग में लाते ही नहीं हैं। इस कारण खेती में खाद की कमी रहती है तथा कृषि उत्पादन बढ़ने नहीं पाता है।

(८) दुर्बल पशु — भारतीय किसान अधिकतर कृषि कार्य में पशुओं का सहारा लेते हैं, जिनमें बैल मुख्य है लेकिन उनकी दशा भी शोचनीय है। उनको अच्छा तथा उचित मात्रा में चारा नहीं मिलता है। उनकी देखभाल भी अच्छी नहीं है तथा उनकी बीमारियों के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इस कारण से पशु दुबल रहते हैं।

(९) उत्तम बीज का अभाव — भारतीय किसान बीज की उत्तमता पर ध्यान नहीं देता है। उसको जैसा बीज मिल जाता है वैसा ही वो देता है। यह बीज अधिकतर किसान महाजनों से लेता है जो कि अच्छा नहीं होता है इसी कारण से उपज भी अच्छी नहीं होती है।

(१०) शिक्षा का अभाव :—भारतीय किसान अशिक्षित है। वह कृषि कार्य पुराने ढंग से करता है। शिक्षा के अभाव में वह आधुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से कृषि कार्य करके अधिक उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो पाता है।

इन्हीं सब कारणों से भारत में कृषि का उत्पादन कम है तथा प्रति वर्ष सरकार को विदेशों से अन्न मगाना पड़ना है।

सुझाव :—भारतीय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा :—

(१) चकवन्दी कार्य :—खेतों को छोटे एवं छिटका होने से रोमने के लिए चकवन्दी कार्य का होना आवश्यक है तभी खेतों में वैज्ञानिक रूप से कृषि लाभप्रद हो सकती है।

(२) सिंचाई का प्रबन्ध :—सरकार को नहरों के विनाश पर ध्यान देना चाहिये तथा साथ ही साथ ट्यूब वेल, तालाब आदि साधनों का भी उचित प्रबन्ध कराना चाहिये जिससे कृषकों को कम खर्च पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके।

(३) नवीन एवं वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग :—सरकार को भारतीय किसानों को कृषि से सम्बन्धित नवीन एवं वैज्ञानिक यन्त्रों की शिक्षा देनी चाहिये तथा उनके प्रयोग के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये। तभी कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है।

(४) अच्छी खाद की व्यवस्था :—यह कार्य कृषक स्वयं कर सकते हैं। उनको चाहिये कि वे गोबर का प्रयोग खाद के रूप में करें न कि ईंधन के रूप में। तभी खाद की कमी दूर हो सकती है।

(५) पशुओं की नस्ल में सुधार :—सरकार को पशुओं की नस्ल में सुधार को भी व्यवस्था करनी चाहिये। गाव २ में पशु चिकित्सालय एवं अच्छे साड- होने चाहिये। उनके लिए चारे की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अधिक उत्पादन के लिए सुझाव :—

१. चकवन्दी कार्य।
२. सिंचाई का प्रबन्ध।
३. वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग।
४. अच्छी खाद की व्यवस्था।
५. पशुओं की नस्ल में सुधार।
६. उत्तम बीज की व्यवस्था।
७. शिक्षा का प्रचार।
८. भावना धर्म की व्यवस्था।
९. नुमायश एवं प्रदर्शनों का प्रबन्ध।
१०. पंचायतों द्वारा सहयोग।

(६) उत्तम बीज की व्यवस्था :—सरकार को उत्तम बीज की भी व्यवस्था करनी चाहिये । इसके लिये प्रत्येक गांव में सहकारी बीज भण्डार खोलने चाहिये । तभी अच्छे बीजों से अच्छे प्रकार की खेती हो सकती है ।

(७) शिक्षा का प्रचार —गांवों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिये जिसमें किसानों के नये साधनों के प्रयोग को समझें तथा महाजनो के अत्याचारों से बच सकें ।

(८) आदर्श फार्म की व्यवस्था —सरकार को अपने आदर्श फार्म खोलने चाहिये तथा किसानों को उनके देखने का मौका देना चाहिये जिसमें वे भी उसी प्रकार अपनी कृषि में सुधार कर सकें ।

(९) नुमायश एवं प्रदर्शनों का प्रबन्ध :—सरकार को कृषि से सम्बन्धित नुमायशों एवं प्रदर्शनों का प्रबन्ध करना चाहिये जिसमें आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग करने की विधि भी समझानी चाहिये ।

(१०) पचायतों द्वारा सहयोग —पचायतों को अपने अपने गांव की कृषि के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न करने रहना चाहिये तथा गांव में शान्ति स्थापित रखने का उत्तरदायित्व लेना चाहिये ।

उपरोक्त सृभावों द्वारा ही भारत में कृषि का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बढ़ सकता है । इसलिए सरकार एवं कृषकों का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है ।

— — —

प्रश्न ५५—खाद कितने प्रकार की होती है ? क्या भारतीय किसान इन खादों का समुचित उपयोग करता है ?

(What are the kinds of fertilizer ? Does Indian farmer use these fertilizers in a good way ?)

उत्तर :—

जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अच्छी खेती के लिए खेतों में खाद की आवश्यकता होती है । खाद मुख्यतः सात प्रकार की होती है ।

(१) गोबर और गोमूत्र की खाद —गोबर की खाद सबसे अच्छी एवं सस्ती होती है लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय किसान गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं । वर्षों के दिनों में जबकि गोबर आमानी से सुखाया नहीं जा सकता तब किसान कहीं इसका प्रयोग खाद के रूप में करते हैं । साथ ही

भारतीय किसान गोबर का वैज्ञानिक ढंग से खाद बनाने की विधि भी नहीं जानता है। इसके प्रतिरिक्त गोमूत्र भी खाद के रूप में काम में लाई जा सकती है किन्तु भारतीय किसान इसका भी उचित प्रयोग नहीं कर पाता है और वह धर-उधर बह कर व्यर्थ जाता है लेकिन यदि किसान गोबर एवं गोमूत्र को गाव के बाहर गड्ढा बनाकर एकत्र करे और बाद में उसे खाद के रूप में काम में लाय तो यह वृषि के लिए उत्तम खाद रहेगी।

(२) मल की खाद मल के द्वारा भी अच्छी खाद बन सकती है

- लेकिन भारतीय किसान इसका भी उचित प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वह इस खाद को छूना नहीं चाहता है। दूसरे इससे बदबू भी आती है। गावों में पाखाने न होने से इसके एकत्र करने में भी परेशानी होती है। इस कारण से मल की खाद अधिक प्रयोग में नहीं आती है। इसके लिए पचा-यती को गाव में पिट-लैट्रिन्स की व्यवस्था करनी चाहिये तथा मल को खाद के रूप में प्रयोग करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिये।
- खाद के प्रकार :—
- १ गोबर व गोमूत्र की खाद।
 २. मल की खाद।
 - ३ हरी खाद।
 - ४ खली की खाद।
 - ५ रासायनिक खाद।
 - ६ मिट्टियों की खाद।
 - ७ मछलियों की खाद।

लेकिन भारतीय किसान इसका भी उचित प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वह इस खाद को छूना नहीं चाहता है। दूसरे इससे बदबू भी आती है। गावों में पाखाने न होने से इसके एकत्र करने में भी परेशानी होती है। इस कारण से मल की खाद अधिक प्रयोग में नहीं आती है। इसके लिए पचा-यती को गाव में पिट-लैट्रिन्स की व्यवस्था करनी चाहिये तथा मल को खाद के रूप में प्रयोग करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

खाद के रूप में प्रयोग करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

(३) हरी खाद :—हरी खाद के लिए साधारणतः सन का उपयोग किया जाता है। पहले सन को सेना में दबा दिया जाता है और जब वह उग पाता है तो पटला चला कर पौधों को मिट्टी में मिला दिया जाता है, इस प्रकार हरी खाद प्रयोग में आती है। इस प्रकार के करने से भूमि कुछ समय के लिए मानी रखनी पड़ती है। इस कारण से कृषक इस प्रकार से खाद का प्रयोग करना पसन्द नहीं करते हैं।

(४) खली की खाद :—तिलहन में तल निकालने के बाद जो शेष रहता है उसे खली कहते हैं। खली की खाद बहुत उपयोगी होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी भारतीय मिट्टियों को अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन भारतीय किसानों को यह खाद भी प्राप्त नहीं मिल पाती है क्योंकि घमिकाश खली विदेशों को भेज दी जाती है तथा शेष खल को पशुओं के सिनान के कार्य में लाया जाता है। इसलिए यदि सरकार विदेशों को खली भेजना बन्द कर दे तथा पशुओं के लिए उचित चारे की व्यवस्था हो जाय तो भारतीय कृषकों को खली के खाद का प्रयोग करने का अवसर मिल सकता है।

(१) रासायनिक खाद — रासायनिक खादें फलो एवं गन्नों की पैदावार के लिए अधिक उपयोगी होती है। रासायनिक खाद दो प्रकार की होती है — (१) सोडा नाइट्रेट तथा (२) अमोनिया सल्फेट। ये खादें अधिक मूल्यवान होती हैं जिनको कृषक आसानी से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। सोडा नाइट्रेट रासायन खाद की तो भारत में ही कमी है। सरकार का ध्यान देश में रासायनिक खाद के उत्पादन की ओर गया है और आशा की जाती है कि कुछ ही वर्षों में भारत में रासायनिक खाद की कमी नहीं रहेगी तथा भारतीय कृषक इसका आसानी से प्रयोग कर सकेंगे।

(६) हड्डि की खाद — जिस भूमि में फासफोरस के तत्व की कमी है वहाँ हड्डि की खाद अधिक उपयोगी होती है। हड्डि की खाद हड्डियों को सजा कर एक पीस कर बनाई जाती है। यह खाद फलदार वृक्षों के लिए भी अधिक उपयोगी होती है। परन्तु भारत में अधिकांश हड्डि की खाद विदेशों को भेज दी जाती है जिससे भारतीय किसान इनका प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। दूसरे भारतीय किसान घासिक दृष्टिकोण के कारण इस खाद का प्रयोग करना भी नहीं चाहते हैं। यदि भारत में इस खाद का प्रयोग बढ़ाना है तो सरकार को विदेशों को निर्यात बन्द करना होगा तथा शिक्षा के प्रचार द्वारा कृषकों को इसकी उपयोगिता समझानी होगी।

(७) मछली की खाद — मछली की खाद भी बहुत उपयोगी होती है लेकिन इसका भी भारत में अभाव है क्योंकि भारत में इतनी मछली पैदा नहीं होती कि उनको खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके। केवल समुद्र तट के प्रदेशों में वहीं-वहीं इस खाद का प्रयोग होता है।

उपलिखित विवरण में स्पष्ट है कि भारतीय किसान खेतों में उचित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं करता है। भारत की दशा के अनुसार गोबर की खाद ही सस्ती एवं उत्तम है। इसलिए भारतीय कृषकों को गोबर की खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिये तथा इसका ईंधन के रूप में प्रयोग समाप्त करना चाहिये। तभी भारतीय कृषकों की खाद की समस्या का हल सम्भव हो सकता है।

— —

प्रश्न ५५—“भारतीय कृषि में यन्त्रीकरण से लाभ-हानि” पर नोट लिखिये।

(Write a note on the advantages and disadvantages of machinery in India agriculture)

उत्तर :—

आज का युग विज्ञान का युग है। प्रत्येक व्यवसाय में औद्योगिक हो या

कृषि सम्बन्धित मशीनों का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पाश्चात्य देशों ने विज्ञान में अधिक प्रगति की है और इसी कारण से वे कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे हैं। अब यह प्रश्न होता है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश होने के नाते विज्ञान का सहारा लेना चाहिये या नहीं। जिस देश की ८०% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हो वहाँ यन्त्रीकरण का क्या परिणाम होगा? यह एक वाद विवाद का प्रश्न है। किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने में पहले हम नीचे विस्तार में भारतीय कृषि में यन्त्रीकरण से लाभ व हानि देखेंगे।

कृषि में यन्त्रीकरण से लाभ

(१) कठिन कार्य में आसानी — कृषि कार्य शारीरिक श्रम से अधिक सम्बन्धित है। इन कार्यों को करने में समय भी अधिक लगता है जैसे खेत जोतना, सिंचाई का प्रबन्ध करना, फसल करना आदि। इसलिये यदि कृषि कार्य में यन्त्रों का प्रयोग किया जाय तो ये सब कार्य आसानी से हो सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग।

(२) उत्पादन में वृद्धि — मशीनों की सहायता से कृषि उत्पादन में

कृषि में यन्त्रीकरण से लाभ —

- १ कठिन कार्य में आसानी।
- २ उत्पादन में वृद्धि।
- ३ कृषकों की कार्य क्षमता में वृद्धि।
- ४ सिंचाई की व्यवस्था।
- ५ श्रम विभाजन के लाभ।
- ६ ऋण विक्रय में सहायता

हानियाँ —

- १ बेरोजगारी का डर।
- २ आर्थिक असमानता को बढ़ावा।
- ३ उत्पादन व्यय में वृद्धि।
- ४ दूसरों पर निर्भरता
- ५ श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव।

कृषि हो सकती है। क्योंकि मशीनों के द्वारा कार्य आसानी से एवं कम समय में समाप्त हो जाता है। इसी कारण से विदेशों में कृषि का उत्पादन हमारे देश की तुलना में अधिक है।

(३) कृषकों की कार्य क्षमता में वृद्धि — मशीनों के प्रयोग से कृषक वर्ग कार्य विशेष में निपुण एवं कुशल हो जाते हैं जिससे उनकी कार्य-क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है और लाभ की मात्रा बढ़ जाती है।

(४) सिंचाई की व्यवस्था — यन्त्रों की सहायता से अब कृषकों की सिंचाई की समस्या का भी अन्त सा हो गया है। खूब बल व नहरों की सहायता से खेतों को पानी आसानी से

मिल जाता है। अब किसानों को प्राचीन ढंग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(५) कृषि में यन्त्रों की सहायता से श्रम-विभाजन के लाभों की प्राप्ति —कृषि कार्य में जितना अधिक यन्त्रों का प्रयोग बढ़ता जाता है उतना ही श्रम विभाजन का क्षेत्र भी बढ़ जाता है जिसमें श्रम-विभाजन द्वारा होने वाले लाभ भी कृषि कार्य में प्राप्त होने लगते हैं।

(६) क्रय विक्रय में सहायता :—यातायात के साधनों के विकास में किसानों की आवश्यकता की वस्तु उनके खेतों तक पहुँच सकती है। इसी प्रकार कृषि उत्पादन को बाजार तक लाने में सहायता मिलती है जिसमें वन और समय की बचत होती है।

कृषि में यन्त्रीकरण से हानियाँ

(१) बेरोजगारी का डर —आलोचकों का कहना है कि कृषि में यदि यन्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया तो बेरोजगारी बढ़ने का डर है क्योंकि जो व्यक्ति इस समय कृषि कार्य में लगे हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्ति मशीन के प्रयोग होने से बेकार हो जायेंगे। भारत में जनसंख्या अधिक है। इसका अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। इस कारण से मशीनों का प्रयोग बेरोजगारी बढ़ाने में महायक होगा।

(२) आर्थिक असमानता को बढ़ावा —यन्त्रों के प्रयोग से कुछ कृषक अधिक धनी तथा अधिकांश कृषक गरीब रहेंगे जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी क्योंकि यन्त्रों को भारत में प्रत्येक किसान प्रयोग नहीं कर सकता है। उसकी आर्थिक दशा सन्तोषजनक नहीं है।

(३) उत्पादन व्यय में वृद्धि —भारतीय कृषक के पास भूमि छोटी छोटे टुकड़ों में और दूर दूर पर बटी हुई है जिसमें यन्त्रों का प्रयोग आसानी से नहीं हो सकता है। यदि यन्त्रों का प्रयोग किया भी जाय तो उत्पादन व्यय बढ़ जाता है जिससे लाभ की मात्रा कम हो जाती है।

(४) दूसरों पर निर्भरता —आज किसान प्रत्येक कार्य स्वयं कर लेता है तथा दूसरों की सहायता की कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब कृषि में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ेगा तो किसानों की विशेषज्ञों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा जिससे कृषि कार्य में बाधा पड़ेगी।

(५) श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव —कृषक अपने हाथों से प्रत्येक कार्य करता है। इस कारण से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है लेकिन जब

यन्त्रों का प्रयोग अधिक होगा तो किमान आलसी हो जायेगा जिससे उसका स्वास्थ्य भी गिर जायेगा ।

उपलिखित विवरण से स्पष्ट है कि कृषि में यन्त्रों के प्रयोग से जहाँ लाभ है वहाँ हानिया भी हैं । भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने हुए जहाँ ८०% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है जिन्हें उचित शिक्षा प्राप्त नहीं है । यन्त्रों का प्रयोग उस सीमा तक होना चाहिये जिससे देश में बेरोजगारी को बढ़ावा न मिले । सरकार को कृषि यन्त्रों की शिक्षा एवं अनुसन्धान की ओर ध्यान देना चाहिये । धीरे-धीरे भारतीय कृषिकों को इनके अपनाएने का अवसर प्रदान करना चाहिये । तभी भारतीय कृषक कृषि यन्त्रों का प्रयोग उचित रूप में कर सकेंगे ।

—०—

प्रश्न ५७—भारत में कौन २ से वन मिलते हैं ? देश के आर्थिक विकास में वनों का महत्व बताइये ।

(What are the main types of forests in India ? State the importance of forests in the economic development of the country.)

उत्तर :—

किसी देश की वनस्पति वहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है । भारतवर्ष में जलवायु और मिट्टियों की विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार के वन पाये जाते हैं । भारत के मुख्य वन निम्नलिखित हैं :—

(१) पहाड़ी वन (Mountain forests) —ये वन किसी एक प्रकार के नहीं होते । पर्वतों की ऊँचाई और वर्षा की मात्रा के अनुसार यह विभिन्न प्रकार के होते हैं । इन वनों में देवदार, पाइन, फर, स्प्रूस, सरोवर, बनूत, मगोलियाडा आदि के पेड़ अधिक होते हैं । भारत के हिमालय पर्वत ऐसे पेड़ों से आच्छादित हैं ।

(२) सदाबहार वन (Evergreen Forests) —ऐसे वन उन प्रदेशों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है (८०") । ये साल के बारहों महीने हरे-भरे रहते हैं । इन वनों में मुख्यतया बॉस, बँत, महोगनी आदि के पेड़ पाये जाते हैं । भारत में ऐसे वन पूर्वी हिमालय, आसाम तथा पच्छिमी घाट पर पाये जाते हैं ।

(३) पतझड़ वाले वन (Deciduous Forests) —ये वन ऐसे क्षेत्रों

में पाये जाते हैं जहाँ ४०"—६०" तक वर्षा हो जाती है। भारत में यह वन दक्षिणी पठार और हिमालय के निचले भागों में मिलते हैं। गर्मी के दिनों में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। साल, सागवान, हल्दू, चन्दन, सेमल आदि इन वनों की मुख्य लकड़ियाँ हैं।

वनों के प्रकार :—

१. पहाड़ी वन।
२. सदाबहार वन।
३. पतझड़ वाले वन।
४. सूखे वन।
५. समुद्र तटीय वन।

(४) सूखे वन (Dry Forests) :—जैसा कि इनके नाम

ही विदित होता है, ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। भारत में इस प्रकार के वन राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, और गुजरात में पाये जाते हैं। इन

वनों में कटिशार वृक्ष और भाडिया उगती हैं। इनमें कीकर, दबूल, सेजडी आदि के पेड़ प्रमुख हैं।

(५) समुद्र तटीय वन (Tidal Forests) .—ऐसे वन समुद्र के किनारे उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ ज्वार के साथ समुद्र का पानी भूमि पर बढ़ आता है जैसे नदियों के डेल्टे और समुद्र तटीय प्रदेश। इन वनों में मुन्दरी नाम का वृक्ष बहुतायत में मिलता है। गंगा नदी के डेल्टा प्रदेश के वनों को इसी कारण 'मुन्दर वन' कहते हैं।

वनों का देश के आर्थिक विकाश में योग —

वन किसी देश की एक बहुमूल्य सम्पत्ति होते हैं। वे देश के धन तथा कल्याण की वृद्धि में सहयोग देने हैं। वनों से मिलने वाले लाभों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

१. प्रत्यक्ष लाभ (Direct advantages)
२. परोक्ष लाभ (Indirect advantages.)

(१) प्रत्यक्ष लाभ .—वनों की प्रत्यक्ष उपज को बहुधा दो भागों में बाँटा जाता है .—(१) बड़ी उपज (Major Produce) और (२) छोटी उपज (Minor Produce)।

बड़ी उपज — इसमें जताने की लकड़ी बहुमूल्य इसारती और व्यापारिक लकड़ी व घास और जानवरों के लिये चारा आदि सम्मिलित हैं। वनों की लकड़ी को जला कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष ५० लाख टन लकड़ी जलाने के काम आती है। इसकी कमी के कारण ही हमारे किसान गोबर को खाद के रूप में प्रयोग न करके,

उपला बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। घनों की लकड़ी का इमारती कामों में भी प्रयोग होता है। कितने ही उद्योग घन्वे अपने कच्चे माल के लिये वनों की लकड़ी पर ही निर्भर हैं। जिनमें दियासलाई, खेल का सामान कागज व फर्निचर उद्योग प्रमुख हैं। वनों की कड़ी लकड़ी जहाज और नाव बनाने के काम आती है। रेलों को स्लीपर्स जंगलों में ही प्राप्त होते हैं। देश में फौलाद की कमी को पूरा करने के लिये लकड़ी के लट्टों को तार, टेलीफोन व बिजली के खम्भों की जगह प्रयुक्त किया जा रहा है। इसके प्रतिरिक्त वनों से पशुओं को चारा मिलता है।

छोटी उपज :—वनों की छोटी उपज के अन्तर्गत अनेकों उपयोगी वस्तुयें शामिल की जाती हैं जैसे रबड़, तेल, तारपीन, गोंद, विरोजा, लाख, कत्या, रग, घास, शहद, रेशम, जड़ी-बूटियाँ व चमड़ा रंगने का सामान आदि। रंग-रोगन उद्योग (Paint & Varnishes) चमड़ा उद्योग, बीडी उद्योग, कागज उद्योग इन्हीं छोटी उपजों पर निर्भर हैं। भारत में सबाई घास से कागज बनाया जाता है। बीडियाँ बनाने के लिये पत्तों जंगलों से ही प्राप्त होते हैं।

(२) **परोक्ष लाभ :—**वनों के परोक्ष लाभ उनके प्रत्यक्ष लाभों में भी अधिक उपयोगी हैं —

(१) **तापक्रम कम** — वृक्षों की पत्तियाँ भूमि के नीचे पानी को सोख कर वातावरण में नमी छोड़ती रहती हैं जिससे तापक्रम कम हो जाता है।

(२) **वर्षा का होना** — जब जन से भरी हुई हवायें नम वातावरण के जंगलों के ऊपर होकर गुजरती हैं तो स्वयं ठंडी होकर, जल की वर्षा कर देती हैं।

(३) **भूमि कटाव रोकना** :—वनों के कारण बरसात का पानी अधिक वेग से नहीं बह पाता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़े रहती हैं।

वनों से लाभ

१—प्रत्यक्ष लाभ —

१ बड़ी उपज।

२ छोटी उपज।

२—परोक्ष लाभ —

१ तापक्रम कम।

२ वर्षा का होना।

३ भूमि कटाव का रोकना।

४ बाढ़ की भीषणता कम।

५ ठन्डी हवाओं को रोकना।

६ मनोरम स्थान।

७ व्यक्तियों को रोजगार और राज्य की आय।

(४) बाढ़ की भीषणता कम —जगल पानी के वेग को कम कर देते हैं। अगर पहाड़ों पर जगल न हो तो वर्षा का पानी काफी वेग से आकर मैदानों में काफी क्षति पहुँचा सकता है।

(५) ठंडी हवाओं और बाहरी आक्रमणों को रोकना .—घने वनों से तेज हवाएँ रुक जाती हैं और आस पास के स्थानों पर बहुत गर्म या ठंडी हवा का प्रभाव नहीं होता। भारतवर्ष में राजस्थान के रेगिस्तान को यू०पी० और दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिये पेड़ लगाये जा रहे हैं।

(६) मनोरम स्थान .—वनों में ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ मनुष्य जाकर स्वास्थ्य लाभ या पर्यटन कर सकते हैं।

(७) व्यक्तियों को रोजगार और राज्य को आय —वनों में अनेकों व्यक्तियों को काम मिल जाता है। राज्य को भी इनसे काफी आय हो जाती है। भारत में अनुमानत जगला से ६ करोड़ ६० प्रतिवर्ष की आय होती है।

अत स्पष्ट है कि वन भारत के आर्थिक विकास में बड़े महत्वपूर्ण हैं। परन्तु बड़े खेद की बात है कि भारत में अभी ऐसे बहुत से वन हैं जिनकी लकड़ी का कोई उपयोग नहीं हो सका है। वनों में सड़कें बना कर इनका उपयोग किया जाना चाहिये। देशवासियों को भी इनका महत्व समझना चाहिये, उनकी वन-महोत्सव सप्ताह में वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा करनी चाहिये। एक उष्ण कटिबंधीय देश के कुल क्षेत्रफल का १/३ भाग जंगलों के नीचे होना चाहिये परन्तु भारत का केवल २०% भाग ही जंगलों के नीचे है। अत हमारे देश में और जंगल लगाने का प्रयत्न करने चाहिये।

प्रश्न ५८—'वन-महोत्सव आन्दोलन' पर एक निबन्ध लिखिये। इसके विकास पर भी प्रकाश डालियेगा।

(Write an essay on 'Van Mahotsev Movement' started in India. Also show its progress.)

उत्तर —

वन-महोत्सव आन्दोलन —इस आन्दोलन का प्रारम्भ जुलाई सन् १९५० में श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुन्शी ने किया। इस आन्दोलन के अनुसार वनों तथा वृक्षों की वृद्धि के लिए प्रयत्न किये गये। तभी से प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में यह उत्सव सारे देश में मनाया जाता है। लगभग प्रतिवर्ष २५

उत्सव के अन्तर्गत २३ लाख वृक्ष लगाये जाते हैं जिनमें केवल १३ लाख वृक्ष ही पनप पाते हैं। इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिए सरकार अब यह कार्य सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के आधीन कर रही है। जिसमें आशा है कि वनों तथा वृक्षों के विस्तार में काफी सहयोग मिल सकेगा तथा यह 'वन-महोत्सव आन्दोलन' सफलता को प्राप्त करेगा।

यह आन्दोलन देश के सभी राज्यों में मनाया जाता है तथा योजना के अन्तर्गत इस आन्दोलन का भी विशेष स्थान होता है। इस आन्दोलन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब प्रान्तों में अधिक कार्य हुआ है। तथा वृक्षों के विस्तार के लिए सरकार की ओर से पौध मुफ्त दी जाती है।

'वनमहोत्सव सप्ताह' के अन्तर्गत वृक्षों की आवश्यकता तथा इनके आर्थिक महत्व का प्रचार किया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह इस आन्दोलन में सहयोग प्रदान करे। सरकारी दफ्तरो, स्कूलों तथा कालेजों में यह महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि जो वृक्ष इस महोत्सव के अन्तर्गत लगाये जाते हैं उनकी वर्ष भर ठीक प्रकार में देखभाल होती रहे। उचित समय पर खाद, पानी तथा बन्दरो आदि से रक्षा आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिये। तभी लगाये गये वृक्षों में से अधिक वृक्ष पनप सकते हैं तथा इस महोत्सव का उद्देश्य सफल हो सकता है तथा इस महोत्सव पर किया गया व्यय उत्पादक व्यय माना जा सकता है। इसलिए जन सहयोग की इस महोत्सव की सफलता के लिए विशेष आवश्यकता है। यदि जन साधारण इस महोत्सव का उचित महत्व समझ कर इसके विकास में सहयोग प्रदान करे तो यह आशा की जा सकती है कि इस उत्सव से देश में अनेक वृक्षों की वृद्धि होगी जिससे देश की आर्थिक दशा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

वन महोत्सव के अन्तर्गत विकास :—इस उत्सव को देश की पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस आन्दोलन में १० करोड़ रुपये व्यय करने का विचार था। इस धन में पुराने वनों के विकास तथा नये वृक्षों की वृद्धि पर खर्च किया गया। साथ ही वनों में से सड़को का निर्माण, ईंधन की कमी को दूर करने के लिए गावों में वनों की वृद्धि, महस्थल होने से बचाने के लिए वनों की वृद्धि करना तथा युद्धकालीन अविकसित वनों को विकसित करने पर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना काल में ८० हजार एकड़ भूमि पर वन लगाये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस ओर ओर भी अधिक ध्यान दिया गया है और उसके लिए २७ करोड़ रुपये की धनराशि निश्चय की गई। तथा इस योजना में ५ लाख एकड़ भूमि पर वन लगाये गये। इसके अतिरिक्त वन अनुसन्धान, वन शिक्षा, वन पशुओं की सुरक्षा की दिशा में भी अधिक उन्नति हुई है।

इस 'वन महोत्सव' आन्दोलन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। ये एक ओर तो नये वाग स्थापित कर रहे हैं, तथा दूसरी ओर दिया-सलाई की लकड़ी तथा गोद आदि के वृक्षों की वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही औषधियों के लिए भी वृक्षों की वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। पशुओं के चरने की व्यवस्था भी की जा रही है। जंगली पशुओं की रक्षा तथा पशु-पक्षियों की उचित व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार इस आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न दिशाओं में कार्य प्रगति के साथ किया जा रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना अब शुरू होने वाली है। इस योजना में भी अन्य दो योजनाओं की भांति वन के विकास पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। विभिन्न प्रकार के वन सम्बन्धी प्रोग्राम बनाये जायेंगे। वन अनुसन्धान तथा वन सम्बन्धी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जलाने की लकड़ी की कमी को अशत पूरा करने के उद्देश्य से तीसरी योजना के अन्तर्गत कोई २० लाख एकड़ क्षेत्र में जल्दी उगने वाले वृक्षों के जंगल लगाने का विचार है। तीसरी योजना के दौरान में अमत के लिए जो विकास कार्य-क्रम शामिल किये गये हैं उनके उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के ५० हजार एकड़ क्षेत्र में सान और शकुल वृक्ष उगाने, मध्य प्रदेश, आसाम, केरल मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और बिहार की दो लाख एकड़ भूमि में टीक के पेड़ उगाने तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, केरल और कुछ अन्य राज्यों में साठे चार लाख एकड़ क्षेत्र में विविध प्रकार के पेड़ विशेष रूप से तेजी से बढ़ने वाले पेड़ उगाने के कार्य-क्रम हैं। नहरों, सड़कों और रेल की पटरियों के सहारे पेड़ उगाने के कार्य-क्रम जारी रहेंगे। हीन दशा में पड़े हुए लगभग १० लाख एकड़ जंगलों को ठीक किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ३३ हजार वर्ग मील के ऊपर वन-क्षेत्र से चक्रवन्दी का कार्य शुरू किया जायेगा।

भविष्य :—तीसरी, चौथी और पाचवी पंचवर्षीय योजनाओं में वन विकास के व्यापक कार्य क्रम तैयार करते समय आर्थिक पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। तेजी से वनों का विकास करने वाली योजनाओं के द्वारा

प्रतिवर्ष लगातार पैदावार बढ़नी चाहिये । इसके अन्तर्गत तेजी से उगनेवाली जाति के पेड़ लगाये जायेंगे । ऐसे स्थान चुने जायेंगे जहाँ पर उपज अधिक हो और उन्नत तरीकों का प्रयोग किया जायेगा । वन संचार का भी विकास किया जायेगा और आम तौर से अगले १०-१५ वर्षों में औद्योगिक विकास की जो विशिष्ट योजनाएँ शुरू की जायेंगी उनके साथ वन-विकास की योजनाओं का सम्बन्ध जोड़ा जायेगा ।" (भारत सरकार योजना आयोग की 'तीसरी पंचवर्षीय योजना' से) ।

प्रश्न ५६—भारत में कौन २ खनिज पदार्थ मिलते हैं ? देश के आर्थिक विकास पर इनके प्रभाव बताइये ।

(What are the mineral products of India ? What is their effect on the economic development of the country ?)

उत्तर :—

आज के औद्योगिक विश्व में खनिज पदार्थों का महत्व बहुत ही अधिक है । उद्योग घरे उन्ही देशों में बहुत विकसित है जहाँ पर भूमि के गर्भ से अपार खनिज निकालकर उत्पादन कार्य में उपयोग किये जा रहे हैं । भारतवर्ष भी खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक बहुत धनी देश है परन्तु यहाँ की खनिज सम्पत्ति का पूर्णतया शोषण और वैज्ञानिक रीति से उपयोग नहीं किया जा रहा । भारतवर्ष के मुख्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैं —

(१) कोयला (Coal) —कोयले की दृष्टि से भारत का विश्व में

खनिज पदार्थ के
प्रकार —

१. कोयला ।
- २ लोहा ।
- ३ मैंगनीज
- ४ अवरक ।
- ५ पेट्रोलियम ।
- ६ सोना ।
- ७ वाक्सार्ट ।
- ८ जिप्सम ।

आठवा स्थान है । यह मुख्यत बंगाल त्रिहार व उड़ीसा में पाया जाता है । भेरिया, रानीगज, म्यूरभज, डाल्टन-गज इत्यादि इसके मुख्य केन्द्र हैं । कुछ कोयला हैदराबाद व मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है ।

कोयला शक्ति का मुख्य साधन है । भारतीय कोयले का २/३ भाग रेलों द्वारा प्रयोग किया जाता है, बाकी कारखाने चलाने और थोड़ा-सा भाग घरेलू कामों में प्रयोग किया

जाता है। भारत म कोयले का वितरण बड़ा ही असन्तोषजनक है। कोयले के क्षेत्र देश के दक्षिणी-पूर्वी भागों में ही कन्द्रित हैं इसलिये बम्बई के कारखानों में दक्षिणी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से कोयला मंगा कर प्रयोग किया जाता है। विद्युत-शक्ति के दिन प्रतिदिन अधिक बढ़त रहने के कारण, अब कोयले का महत्व कम होता जा रहा है।

(२) लोहा (Iron) :—आधारभूत उद्योगों के विकास के लिये लोहा एक अनिवार्य मूलद्रव्य है। इसका उपयोग युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में महत्वपूर्ण है। भारत एशिया में सबसे अधिक लोहा निकालता है। देश में औद्योगीकरण में भारतीय लोहा काफी योग दे रहा है। भारत में लोहा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश मैसूर में पाया जाता है। भारत अब तक अपने कच्चे लोहा का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों को भेज दिया करता था परन्तु द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में कच्चे लोहे में इम्पात बनाने के तीन बड़े कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। अब इसका प्रयोग देश में ही किया जा सकता है।

(३) मैंगनीज (Manganese) —मैंगनीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलद्रव्य है। इसका प्रयोग मुख्यतः लोहा से स्पात बनाने में होता है। अब लोहा और इस्पात उद्योग विकास के लिये मैंगनीज एक आवश्यक धातु है। इसका उपादन में भारत का रूस को छोड़कर द्वितीय स्थान है। हमारी आवश्यकता में अधिक मैंगनीज यूरेशियन देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसकी मुख्य खानें मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, बम्बई और आंध्र प्रदेश में हैं। भारत में इसका उत्पादन २० लाख टन प्रतिवर्ष है। जब भारत के नये इस्पात के कारखाने हमारी मैंगनीज का प्रयोग करने लगेंगे तो इसका निर्यात बहुत कम हो जायगा।

(४) अभ्रक (Mica) :—इसका प्रयोग बिजली की मशीनों और बिजली के अन्य सामान बनाने में प्रयोग होता है जैसे रेडियो, हवाई जहाज, वेतार का तार इत्यादि। भारत का औद्योगीकरण विद्युत-शक्ति के निर्माण पर निर्भर है। भारत में विद्युत-शक्ति के बनाने और वितरित करने के लिये अवरक बहुत ही आवश्यक है। भारत भारत में अवरक का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता और निर्यातकर्ता है।

(५) पेट्रोलियम (Petroleum) —पेट्रोल का प्रयोग हवाई जहाज, मोटर, बस, ट्रक, समुद्री जहाज व छोटे-छोटे इजनों को चलाने में होता है। पेट्रोल की दृष्टि से भारत की स्थिति ठीक नहीं है। भारत में आयाम में डिगबोई के क्षेत्र में तेल निकाला जाता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिये, रूस

ईरान व बर्मा में तेल प्रायात किया जाता है। हाल ही में खुदाई काय करके यह पता लग गया है कि ज्वालामुखी खम्बात की खाड़ी काश्मीर व जैसलमेर में भी तेल के भंडार छिपे पड़े हैं। इन स्थानों पर बोरिंग किया जा रहा है।

(६) सोना (Gold) — भारत विश्व की उ पत्ति का लगभग ३% मात्रा उत्पन्न करता है। इसकी मुख्य खान मैसूर राज्य के कोलार जिले में है जिनसे ६५% सोना निकाला जाता है। थोड़ा सा सोना मद्रास राज्य में अनन्तपुर और हैदराबाद में हुदी स्थानों पर भी निकलता है।

(७) बाक्साईट (Bauxite) — इसका प्रयोग मुख्यत एल्यूमीनियम बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह तेल-शोधन कारखानों में, उच्च प्रकार का सीमट व रसायनों आदि के बनाने में भी प्रयोग होती है। यह बम्बई, मध्यप्रदेश और बिहार में पाई जाती है।

(८) जिप्सम (Gypsum) — इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of Paris) तथा सीमट बनाने में किया जाता है। इसके भंडार राजस्थान और दक्षिणी भारत में हैं। यद्यपि थोड़ा सी घातु उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी पाई जाती है। अब इसका प्रयोग खाद के कारखानों में खाद बनाने के लिये भी किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतवर्ष में चादी जस्ता नमक शोरा, इमारती पत्थर व चीना बनाने के भी पदार्थ पाये जाते हैं।

— —

अध्याय २८

शक्ति के साधन

प्रश्न ६० — भारत में उपलब्ध शक्ति के मुख्य साधन क्या हैं ? उनका पूर्ण विवेचन कीजिये।

(What are the chief sources of power in India ? Discuss fully)

उत्तर—

उत्पादन के औजारों यंत्रों और मशीनों को चलाने के लिये गामक शक्ति (Motive power) की आवश्यकता होती है। इसीलिए देश के आर्थिक विकास में शक्ति के साधनों का बड़ा महत्व है। जिस देश में सस्ते व प्रचुर

शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सभी को उन्नति की जा सकती है। भारत में शक्ति के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—

(१) मानव शक्ति — मनुष्य स्वयं शक्ति का साधन है। धनोत्पत्ति का कोई भी कार्य बिना उसकी सहायता के सम्भव नहीं। मानव-शक्ति की पूर्ति जनसंख्या और उसकी निपुणता पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से भारत में अपार जनशक्ति है। विश्व की जनसंख्या का सातवाँ भाग भारत में रहता है परन्तु मनुष्यों की कायक्षमता बहुत ही गिरी हुई है।

मानव शक्ति सीमित है। मनुष्य शीघ्र ही थक जाता है। आजकल क बड़े पैमाने के उत्पादन में जहाँ विशाल मशीनों का प्रयोग आवश्यक है मानव शक्ति अनुपयुक्त रहती है। अतः आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में शक्ति के अन्य साधनों का महत्व अधिक है।

(२) पशु शक्ति — प्राचीन काल में ही पशुओं का शक्ति के एक

शक्ति के साधन —

- १ मानव शक्ति।
- २ पशु शक्ति।
- ३ लकड़ी या ईंधन शक्ति।
- ४ वायु शक्ति।
- ५ कोयला शक्ति।
- ६ तेल शक्ति।
- ७ अणुशक्ति।
- ८ पानी की शक्ति।

सम्बन्ध में मुख्य साधन के रूप में प्रयोग होता आया है। भारतवर्ष में पशु शक्ति मनुष्य शक्ति की भाँति बहुत है। भारत में विश्व में सबसे अधिक पशु पाये जाते हैं। परन्तु वे बहुत ही दुर्बल हैं, उनको पूरा चारा नहीं मिलता है उनके रहने के स्थान गंदे हैं उनके रोगों के उपचार के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में पशु शक्ति का अधिक महत्व है। कृषि में हल चलाने गाड़ी हारन बोझ ढोने लाक चलाने आदि में इसका प्रयोग होता है। जिन प्रदेशों में मोटर रेल आदि की व्यवस्था नहीं है, पशु-शक्ति यातायात ही मुख्य साधन है। परन्तु इनकी शक्ति भी सीमित है और आधुनिक मशीनों की चलाने के लिये अनुपयुक्त है।

(३) लकड़ी या ईंधन शक्ति — वनों की लकड़ी जलाकर इससे भाप बना कर इंजिन व मशीनों चला सकते हैं। परन्तु यह एक बहुत ही महंगा साधन है। दूसरे, शीघ्र ही हमारे जंगल इस प्रकार प्रयोग किये जाने पर समाप्त हो जायेंगे। अतः वनों की लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग बहिष्कर है।

(४) वायु शक्ति :—वायु भी शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इसका सबसे अधिक प्रयोग हालैंड में हवाई चक्कियाँ चलाने में होता है। भारत में प्रचण्ड वायु शक्ति न बहने के कारण, इसका कोई विशेष प्रयोग नहीं होता है। मैदानों में वायु शक्ति अनाज से भूषा अन्नग करने में प्रयोग की जाती है। औद्योगिक उपयोग के लिये वायु शक्ति सर्वथा अनुपयुक्त है।

(५) कोयला शक्ति—प्रश्न ५६ का उत्तर पढ़िये।

(६) तेल शक्ति—प्रश्न ५६ का उत्तर पढ़िये।

(७) अणु शक्ति :—विशेषतया उन स्थानों में जहाँ कोयला और विद्युत शक्ति दोनों का ही अभाव है, अणु शक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। अणुशक्ति विजली उत्पन्न करने में प्रयोग की जा सकती है। भारत में 'ट्राम्बे' में अणुशक्ति विकास का केन्द्र है। यूरेनियम, जिप्सम, टीटेनियम व थोरियम आदि खनिजों की प्रचुरता के कारण भारत में अणुशक्ति का भविष्य उज्ज्वल है।

(८) पानी की शक्ति :—पानी की शक्ति का प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। बहने पानी से आटा पीसने की चक्कियाँ चलाई जाती हैं। यह इसका प्रत्यक्ष उपयोगी है। ऐसी चक्कियाँ हमारे देश में भी पाई जाती हैं। आजकल पानी की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में अधिक होता है।

जल विद्युत :—जलविद्युत आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्ति के अन्य प्रमुख माधन जैसे कोयला, पेट्रोल आदि एक दिन समाप्त हो सकते हैं परन्तु जल विद्युत कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। भारतवर्ष में पेट्रोल का आवश्यकता का केवल ६% ही उत्पन्न करने को भारत में अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा आसानी और कम खर्च पर विद्युत उत्पादन केन्द्रों तक ले जाई जा सकती है। इसका उत्पादन व्यय भी कम है। यह उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायक सिद्ध हुई है। छोटे और कुटीर उद्योग घन्टों को विजली में चलाया जा सकता है। रेलों को विजली से चला कर आवश्यक कार्यों के लिये कोयले को बचाया जा सकता है।

भारत में विजली उत्पन्न करने के स्थान :—बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित हो रहे, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अतिरिक्त भारतवर्ष में विद्युत उत्पन्न करने के निम्नलिखित मुख्य स्थान हैं —

(१) मैसूर में शिवममुन्द्रम, शिमशा व जोग भरने।

(२) बम्बई में लोनावाला, भीरा व भीवपुरी स्थानों पर टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा।

- (३) काश्मीर में झेलम नदी पर वारामूला के निकट ।
 (४) यू० पी० में ऊपरी गंगा नदी पर मात स्थानों पर बहादुरबाद, गजनी, चित्तौरा, सन्दावा, भोला, पलहा तथा सुमेरा—कृत्रिम भरने बनाकर ।
 (५) पनाब में यूहल नदी पर नडी रियामत में जीनेन्द्र नगर के निकट ।
 (६) मद्रास में पाइकारा, मँडर, पाणामन, नँडर तथा परिवार योजनाएँ ।



प्रश्न ६१—भारत में शक्ति के मुख्य साधन क्या हैं ? उत्तर प्रदेश में जल शक्ति के विकास से क्या आर्थिक प्रभाव होने की आशा है ?

(What are the chief sources of power in India ? What would be the economic effects of Hydroelectric development in U P)

उत्तर —

शक्ति के मुख्य साधनों के लिये प्रश्न ५० का उत्तर पढ़िये ।


उत्तर प्रदेश में जल विद्युत विकास के प्रभाव :—उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के समस्त भागों में जलविद्युत विकास के बड़े अच्छे परिणाम होंगे । यहाँ हम विशेषतया यू० पी० से ही सम्बन्धित हैं —

कृषि में — उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है । कृषि को आधुनिक वैज्ञानिक स्तर पर लाने के लिये पन्ना का प्रयाग अनिवार्य है जिनके संचालन के लिये जलविद्युत सर्वश्रेष्ठ साधन है । कुओं से पानी खींचने का काम आसान हो सकता है । नलकूपों (Tubewells) द्वारा जो बिजली द्वारा संचालित होते हैं, राज्य में सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकती हैं । ठण्डे गोदाम (Cold storages) फलों व सागभाजी की खेतों में अपार वृद्धि की जा सकती है व कृषि के लिये बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है ।

उद्योग धंधों में — बड़े पैमाने के उद्योग तो कोयले के अलावा केवल विद्युत शक्ति से ही चल सकते हैं । उद्योगों को बिजली से बनाकर, कोयले के प्रयोग में बचत की जा सकती है । उद्योगों को घने वसे क्षेत्रों से हटाना (Decentralisation of Industries) विद्युत शक्ति से सम्भव हो सकता है । कुटीर उद्योग धंधों की भी विद्युत शक्ति से काफी लाभ होगा । कुटीर उद्योग धंधों में उन छोटी २ कम कीमत की मशीनों का प्रयोग हो सकेगा जो अब विद्युत के अभाव में प्रयोग नहीं की जाती हैं । नये नये उद्योग भी खुलेंगे जो

विजली के कारण अब तक नहीं खुले थे जैसे तेल पेरना, कपास का रुई का विनोला अलग करना, चावल माफ करना आदि ।

यातायात के साधन .—रेलो को विजली से चलाया जा सकता है विजली से रेलें तेज चलाने वाली और मसती होती हैं ।



प्रश्न ६२—बहु उद्देशीय नदी घाटी योजनाये क्या हैं ? भारत की कुछ मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये ।

(What are multipurpose river valley projects ? Write short notes on some principal river valley projects in India.)

उत्तर :—

देश में जनविद्युत निर्माण के लिये अनेकों नदी घाटी योजनाय कार्यान्वित की जा रही हैं । इन नदी घाटी योजनाओं का उद्देश्य केवल विजली बनाने तक ही सीमित न रह कर, बहुमुखी है । इसीलिये इनको बहु-उद्देश्य नदी घाटी योजनाय कहते हैं । किमी भी ऐसी योजना के निम्न-लिखित उद्देश्य हो सकते हैं :—

- (१) विद्युत उत्पादन करना
- (२) सिंचाई
- (३) बाढ़ नियन्त्रण
- (४) मत्स्यिकी की संस्थापना
- (५) नौका परिवहन की सुविधाओं का विकास
- (६) मत्स्य उद्योग का विकास
- (७) भूमि नष्ट होने से रोकना
- (८) नगरों को पानी उपलब्ध करना
- (९) मनोरंजन के क्षेत्रों को विकसित करना ।

(१) भाकरा नागल योजना (Bhakra Nagal Project) :—यह

राष्ट्र की सबसे बड़ी सिंचाई और जन-विद्युत योजना है इस योजना के अन्तर्गत पंजाब में सतलज नदी पर भाकरा और नागल स्थायी पर दो बांध हैं । नागल बांध पूरा हो चुका है । भाकरा पर कार्य चालू है । इस पर १५० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है । इसके पूर्ण हो जाने पर लगभग ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १०५ लाख किलोवाट विजली बनगी ।

(२) दामोदर घाटी योजना (Damodar valley Project) :— दामोदर नदी पर ७ स्थानों पर बांध बनाये जायेंगे। लगभग दो लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी और १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह नदी प्रतिवर्ष बंगाल व बिहार में बाढ़ से करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट कर देती है। अतः बाढ़ नियन्त्रण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना संयुक्त राज्य की 'हेनसी घाटी योजना' के आदर्शानुसार बनाई गई है। इस योजना पर १०० करोड़ रुपया के व्यय होने का अनुमान है।

(३) हीरा कुण्ड योजना (Hirakund Project) :—यह महानदी घाटी योजना के नाम से भी विख्यात है। उड़ीसा में महानदी पर नाराज, टिक्पारा और हीराकुण्ड स्थानों पर बांध बनाये जायेंगे। हीराकुण्ड पर कार्य समाप्त हो चुका है और विद्युत निर्माण होने लगी है। इस पर ६२ करोड़ रुपया व्यय होगा। ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और २३ लाख किलोवाट बिजली बनेगी। हरकेला के स्पात के कारखाने को यहीं से बिजली प्रदान की जायगी।

(४) कोसी घाटी योजना (Kosi River Valley Project) :— यह बिहार राज्य की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत कोसी नदी पर दो बांध—पहला नेपाल में और दूसरा नेपाल बिहार की सीमा पर बनाये जायेंगे। इसमें १८ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी और नेपाल बिहार में ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस योजना पर १७७ करोड़ ६० व्यय होगा और १० वर्ष इसके पूर्ण होने में लगेंगे।

(५) तुङ्गभद्रा योजना (Tung Bhadra Project) :—यह योजना मैसूर और आंध्र राज्यों द्वारा शुरू की गई है। कृष्णा नदी की सहायक तुङ्गभद्रा पर एक बांध बनाकर १३६००० किलोवाट बिजली व ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जायगी।

(६) रिहन्द बांध योजना (Rihand Dam Project) :—यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की मुख्य योजना है। मिर्जापुर जिले में रिहन्द नदी के کنار, पीपरी गांव के स्थान पर, एक ३०००' लम्बा बांध बनाया जायेगा। इस योजना के द्वारा ३३ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी और २५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस योजना पर ३० करोड़ रुपया व्यय होगा।

इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में शारदा योजना, उड़ीसा-आंध्र में मचकुण्ड योजना, बम्बई में वकरपारा व कोयला बांध योजनाएँ मद्रास में रामपद भागर

पोखना, मध्य-प्रदेश और राजस्थान में चम्बल नदी घाटी योजना आदि प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएँ हैं।

अध्याय २६

श्रम

प्रश्न ६३—'श्रम' किसे कहते हैं? श्रम की क्या विशेषताएँ हैं? उत्पादक और अनुत्पादक श्रम का भेद स्पष्ट कीजिये।

(What is labour? What are the peculiarities of labour? Differentiate clearly between Productive and Unproductive Labour?)

उत्तर :—

साधारण बोलचाल में 'श्रम' से तात्पर्य किसी भी प्रकार के मानसिक अथवा शारीरिक प्रयत्नों से है जो किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिये किये जाते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का एक संकुचित अर्थ है। सर्वप्रथम, अर्थशास्त्र में श्रम शब्द केवल मानवी श्रम के लिये ही प्रयोग किया जाता है। जानवरों, पशुओं, पक्षियों आदि के प्रयत्नों को श्रम नहीं कहा जाता। दूसरे, अर्थशास्त्र में मनुष्य की हर चेष्टा को श्रम नहीं माना जाता। मनुष्य की कुछ चेष्टायें तो आर्थिक उद्देश्य अर्थात् धन कमाने की आशा से की जाती हैं, और कुछ चेष्टायें काय से आनन्द प्राप्त करने, कर्तव्य पालन करने अथवा अन्य किसी उद्देश्य से की जाती हैं। प्रथम प्रकार की आर्थिक चेष्टाओं को ही श्रम कहा जा सकता है द्वितीय को नहीं। तीसरे श्रम के अन्तर्गत मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की चेष्टायें सम्मिलित की जाती हैं। इस दृष्टिकोण से एक रिक्शा चलाने वाला ही श्रम नहीं करता है बल्कि वकील, जज, देश का प्रधानमंत्री आदि भी श्रम करते हैं। अतः आर्थिक उद्देश्य से की गई मानवीय चेष्टाओं को श्रम कहते हैं।

प्रोफेसर जीवन्स की परिभाषा के अनुसार 'श्रम मस्तिष्क अथवा शरीर की वह चेष्टा है जो पूर्णतया या अंशतया कार्यजन्य प्रत्यक्ष सुख के अतिरिक्त किसी आर्थिक उद्देश्य से की जाये।'

प्रोफेसर टामस के अनुसार "सभी प्रकार का मानव श्रम चाहे वह

शारीरिक हो या मानसिक, जो किसी पारितोषण की आशा पर किया गया है, श्रम कहलाता है।”

उदाहरणार्थ एक पर्वतारोही की चेष्टायें जो ख्याति प्राप्त करने के लिये किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ता, अर्थशास्त्र में श्रम नहीं है परन्तु पर्वतारोही के साथ चढ़ने वाले कुली की चेष्टायें श्रम हैं क्योंकि उसको अपनी सेवायाँ के लिये पैसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिशु के पालन पोषण में धाय की चेष्टा श्रम है परन्तु माँ की शिशु पालन-पोषण में चेष्टा श्रम नहीं क्योंकि वह यह काय स्नेह वश करती है।

श्रम की विशेषतायें (Characteristics of Labour)

(१) श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है :—उत्पादन का पैमाना

चाहे कैसा भी क्यों न हो, श्रम के सहयोग के बिना उत्पत्ति नहीं की जा सकती। आधुनिक कारखाना में बड़ी बड़ी मशीनों की देखभाल चालू कराने अथवा रोकने आदि के लिये श्रम अनिवार्य है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन उत्पादन के लिये श्रम एक अनिवार्य साधन है।

(२) श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है —भूमि व पूँजी उत्पत्ति के निष्क्रिय साधन हैं वे स्वयं कोई उत्पत्ति नहीं कर सकते। श्रमिकों द्वारा इन साधनों का उपयोग करके ही धनोत्पत्ति होती है।

(३) श्रम नाशवान है — श्रम सबसे अधिक नाशवान वस्तु है। यदि किसी श्रमिक को एक दिन काम न मिले तो उसका उस दिन का श्रम बेकार हो जाता है। दूसरे दिन वह दो दिन का काम एक साथ नहीं कर सकता। इसी विशेषता के कारण, श्रमिक कभी-कभी थोड़ी मजदूरी पर ही कार्य कर लेता है।

श्रम की विशेषतायें —

- १ उत्पत्ति का अनिवार्य साधन।
- २ उत्पत्ति का सक्रिय साधन।
- ३ श्रम नाशवान है।
श्रम को श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता।
- ४ श्रम की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती है।
- ५ श्रम की गतिशीलता कम होती है।
- ६ श्रमिक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है।
- ७ श्रम में पूँजी का विनियोग किया जा सकता है।
- ८ श्रम की, शक्ति, बल, की, शक्ति कम है।

(४) श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता —जहाँ श्रम की आवश्यकता होती है वहाँ श्रमिक को भी जाना पड़ता है परन्तु उत्पत्ति के अन्य साधन जैसे भूमि व पूँजी, अपने साधको (Agents) से अलग कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसीलिये काम करने की दशा में, काम करने का वातावरण आदि का श्रमिक की कार्यक्षमता और गतिशीलता पर काफी प्रभाव पड़ता है।

(५) श्रम की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती है —यदि आज देश में मजदूरों की मांग बढ़ जाये तो उनकी पूर्ति कल ही नहीं बढ़ाई जा सकती। जनसंख्या में परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं। कुशल श्रमिकों जैसे डाक्टर, इंजीनियर आदि की पूर्ति में इतना समय लग सकता है जितना कि उनकी शिक्षा के लिये आवश्यक है।

(६) श्रम की गतिशीलता कम होती है —व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कारण श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनके सामन, धर्म, भाषा, जल-वायु, घर का मोह, जाति प्रथा, गरीबी आदि आकर उपस्थित होते हैं।

(७) श्रमिक अपनी इच्छानुसार कार्य करता है :—श्रमिक एक सजीव प्राणी है अन्य साधनों जैसे भूमि व पूँजी की भाँति निष्क्रिय और निर्जीव नहीं है। अतः श्रमिक से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं लिया जा सकता।

(८) श्रम में पूँजी का विनियोग किया जा सकता है —जिस प्रकार हम भूमि तथा कारखानों में धन लगा सकते हैं उसी प्रकार श्रमिक की शिक्षा पर पूँजी विनियोग की जा सकती है। श्रमिक की शिक्षा पर व्यय करके उसको अधिक धन उपार्जन के योग्य बना दिया जाता है।

(९) श्रम की सौदा करने की शक्ति कम है :—श्रम नाशवान है। इस विशेषता के कारण वह किसी भी मूल्य पर काम करने को बाध्य किया जा सकता है। इसके विपरीत मिल मालिक संगठित होते हैं। वे मजदूरों की बेवसी का लाभ उठाते हैं। मजदूर सघों के बन जाने से यह दोष अब दूर हो गया है।

उत्पादक व अनुत्पादक श्रम —

अर्थशास्त्रियों में इस बात पर बड़ा मतभेद रहा है कि कौन सा श्रम उत्पादक है और कौन सा अनुत्पादक। फिजीयोक्रेट (Physiocrate) अर्थशास्त्रियों के अनुसार कृषि और खानों में काम करने वाले श्रमिकों का श्रम

ही उत्पादक है। ग्राहम स्मिथ ने इसकी परिभाषा को थोड़ा विस्तृत किया। उसके अनुसार स्पर्शनीय पदार्थों की उत्पत्ति में लगा श्रम उत्पादक है। घरेलू नौकर, वकील, अध्यापक, मंत्री आदि का श्रम अनुत्पादक है क्योंकि ये कोई स्पर्शनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं करते। परन्तु राज क अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह श्रम उत्पादक है जो पदार्थ में उपयोगिता वृद्धि करता है क्योंकि अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का अर्थ उपयोगिता वृद्धि से है। परन्तु जो श्रम किसी भी प्रकार की उपयोगिता वृद्धि न कर सके अर्थात् जो नष्ट हो जाये, अनुत्पादक श्रम कहलाता है। मान लीजिये एक लेखक एक पुस्तक लिखता है। यदि प्रकाशक उस पुस्तक को नहीं छापता है तो पुस्तक लिखने में व्यय श्रम अनुत्पादक कहलायेगा। क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार की उपयोगिता वृद्धि नहीं की। चोर, डाकू, जेब कतरो आदि का श्रम सामाजिक दृष्टिकोण से अनुत्पादक है परन्तु व्यक्तिगत दृष्टिकोण में उत्पादक है।

अध्याय ३०

भारत की जनसंख्या

प्रश्न ६४—जनसंख्या के घनत्व का क्या अर्थ है? भारतवर्ष में जनसंख्या के घनत्व की भिन्नता के क्या कारण हैं? उदाहरण सहित समझाइये।

(What is meant by 'Density of Population'? What are the causes of variations in the Density of Population in India? Illustrate your answer with examples)

उत्तर :—

जनसंख्या के घनत्व का अर्थ :—जनसंख्या के घनत्व से हमारा अर्थ किसी देश में प्रतिवर्ग मील में रहने वाले निवासियों की संख्या से है। जनसंख्या का घनत्व दो बातों पर निर्भर करता है। १—जनसंख्या और २—क्षेत्रफल। यदि किसी देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को वहाँ के क्षेत्रफल में विभाजित कर दिया जाये तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व मायूम हो जाता है।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व ३१३ है अर्थात् औसतन ३१३ है। व्यक्ति प्रतिवर्ग मील में निवास करते

हैं। परन्तु देश के विभिन्न राज्यों और राज्यों के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि निम्न लिखित से स्पष्ट होता है —

राज्य	जनसंख्या का घनत्व
दिल्ली	३००८
पं० बंगाल	८७५
बिहार	५७१
बम्बई	३११
उत्तर प्रदेश	५६२
मध्यभारत	१६२
राजस्थान	११६
अडमान निकोबार	१०

जनसंख्या के घनत्व में विभिन्नता के कारण —

जनसंख्या यही अधिक होगी जहाँ मनुष्य को रहने-सहने और रोजगार पादि की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जनसंख्या के घनत्व की विभिन्नता के निम्न कारण हैं :—

(१) भूमि के गुण — भूमि के घरातल की बनावट व मिट्टी की उर्वरता का जनसंख्या के घनत्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो स्थान पहाड़ी हैं या जिन स्थानों की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसके विपरीत जो स्थान समतल, नीचे और

उपजाऊ होते हैं वहाँ अधिक व्यक्ति आकर बस जाते हैं। इसी कारण पं० बंगाल में जहाँ भूमि बहुत उपजाऊ है और घरातल बहुत समतल है, जनसंख्या का घनत्व ८७५ है और राजस्थान में जहाँ भूमि रेतीली है या मध्य प्रदेश में जहाँ ककरीली और पथरीनी भूमि है जनसंख्या का घनत्व क्रमशः ११६ और १६२ है।

जनसंख्या के घनत्व में भिन्नता के कारण —

- १ भूमि के गुण ।
- २ जलवायु एवं वर्षा ।
- ३ सिंचाई ।
- ४ सुरक्षा ।
- ५ औद्योगिक वृद्धि ।
- ६ यातायात की सुविधाएँ ।
- ७ आवास व प्रवास ।

(२) जलवायु व वर्षा — जहाँ जलवायु अच्छी नहीं होती वहाँ व्यक्ति रहना पसन्द नहीं करते चाहे वहाँ की भूमि उपजाऊ ही क्यों न हो, जैसे हिमा-

लय की तराई और आसाम में इसके विपरीत स्वास्थ्यवर्धक प्रदेश की जनसंख्या घनी रहने की प्रवृत्ति रखती है जैसे कि गंगा-सिन्धु का मैदान । इनमें साथ-साथ वर्षा का भी जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है । भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है । यहाँ की कृषि वर्षा पर निर्भर है । यहाँ पर वर्षा की कमी है खेती करना कठिन होता है, अतः वहाँ जनसंख्या भी कम है जैसे राजस्थान । ज्यों ज्यों वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है त्यो-त्यो जनसंख्या भी बढ़ती जाती है । यही कारण है कि जम-जम हम यू० पी० से बंगाल की ओर बढ़ते हैं जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता जाता है ।

(३) सिंचाई :—सिंचाई का प्रभाव भी वर्षा के समान ही होता है । जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त होती हैं, वहाँ अच्छी प्रकार में खेती की जा सकती है । साल में दो फसलें उगाई जा सकती हैं । ऐसी स्थानों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है । उदाहरणार्थ यद्यपि पंजाब में वर्षा कम होती है, परन्तु वहाँ पर नहरों का जाल सा बिछा हान के कारण जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है ।

(४) सुरक्षा :—जिन स्थानों में जन-घन की सुरक्षा नहीं होती वहाँ में मनुष्य ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ इनका समुचित प्रबन्ध होता है । पूर्वो और पश्चिमी पाकिस्तान में, इसी कारण, लाखों व्यक्ति भारत में आकर बस गये हैं ।

(५) औद्योगिक उन्नति —जनसंख्या का घनत्व उन स्थानों पर भी अधिक होता है जहाँ बहुत से उद्योग खुल जाते हैं । मुख्य उद्योग के साथ-साथ बहुत से अन्य सहायक उद्योग खुल जाते हैं । इन सबों में काम करके लाखों व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं । इसीलिये ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है । बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता आदि नगरों की जनसंख्या इसलिये अधिक है । कुछ नगरों जैसे टाटा नगर मोदी नगर, बिलवा नगर, डालमिया नगर आदि की जनसंख्या तो अधिकानि अधिकों की है जो वहाँ के कारखानों में काम करते हैं ।

(६) यातायात की सुविधाएँ —जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ यातायात व सड़क वाहन की सुविधाएँ अधिक होती हैं । जहाँ ये सुविधाएँ नहीं होती वहाँ न औद्योगिक विकास हो सकता है और न व्यापार की उन्नति हो सकती है और न वहाँ कोई रहना ही पसंद करेगा । देहली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि इसके उदाहरण हैं ।

(७) आवास प्रवास :—आवास-प्रवास से भी जनसंख्या के घनत्व

में परिवर्तन हो जाता है। देश का विभाजन होने के पश्चात् लाखों व्यक्ति पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में आकर बस गये। इसी कारण इन दोनों प्रदेशों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है।

प्रश्न ६५—क्या भारत की जनसंख्या अधिक है? यदि है तो उसके रोकने के उपाय लिखिये।

(Is India over population? If so suggest measures to check the growth of population in India)

उत्तर :—

भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत में जनाधिक्य है? अर्थात् क्या भारतीय जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से ज्यादा है? इस सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ हैं—प्रथम निराशावादी विचारधारा जो कि यह मानते हैं कि भारत में जनाधिक्य है तथा माल्थस के सिद्धान्तानुसार यदि जनसंख्या को बढ़ने से न रोका गया तो महामारी, भ्रूणहत्या युद्ध आदि प्राकृतिक प्रकोपों से जनसंख्या स्वयं कम हो जायेगी। दूसरी विचारधारा यथार्थवादियों की है। जिनके अनुसार भारत में जनाधिक्य नहीं है। यदि प्राकृतिक साधनों का पूर्णतया से उपयोग किया जाय तो जनसंख्या के बढ़ने की गुंजायश है। अब हम इन दोनों विचारधाराओं के तर्कों विस्तार में देखेंगे।

निराशावादी विचारधारा —भारत में निराशावादी विचारधारा के समर्थन में समय समय पर कितने ही तर्क दिये गये हैं जिनमें मुख्य निम्न लिखित हैं —

(१) जनसंख्या में वृद्धि खाद्य सामग्री से अधिक हुई है :—इस मत के समर्थकों का कहना है कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि खाद्य सामग्री की तुलना में अधिक हुई है। जो कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त के अनुसार है। इस मत की पुष्टि करते हुए डा० राधाकमल मुकर्जी ने सन् १९३८ में कहा कि साधारण वर्षों में खाद्य सामग्री की पूर्ति केवल ८८% व्यक्तियों को हो सकी है। इसी प्रकार १९४८ में खाद्य मन्त्री ने जब खाद्य सामग्री की पूर्ति का अनुमान लगाया तो ६० लाख टन का घाटा आया। इस बात का समर्थन राष्ट्रीय योजना कमीशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में भी किया। जबकि उन्होंने बताया कि साधारणतः ८% या ९% खाद्य सामग्री की पूर्ति को कमी रहती है। इससे स्पष्ट है कि काफी समय

से भारत में खाद्य सामग्री विदेशों से आ रही है। इन बातों से स्पष्ट है कि भारत में जनाधिक्य है।

(२) प्रतिबन्धक रोकों का अभाव — समर्थकों का कहना है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के बिना प्रतिबन्धक रोकों का प्रयोग में ला ही रही है। भारत में प्रतिबन्धक रोकों का प्रयोग नहीं के समान है। जिससे जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में विवाह कम आयु में हो जाता है। दच्चे पैदा करना अच्छा समझने हैं जिससे जनसंख्या के बढ़ने को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण भारत में जनाधिक्य की अवस्था पैदा हो गई है।

(३) नैसर्गिक प्रतिबन्धों का होना — समर्थकों का कहना है कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार भारत में समय-समय नैसर्गिक प्रतिबन्ध प्रकृति की ओर जनसंख्या को कम करने के लिए होते रहते हैं। जैसे बाढ़, महामारियाँ एवं दुर्भिक्ष आदि का होना। जो जनाधिक्य को सिद्ध करते हैं।

(४) जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना — समय-समय पर होने वाले जनगणना इस बात को सिद्ध करते हैं कि भारत में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, जिस कारण से जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार भारत में स्त्री एवं बाल मृत्यु दर भी विदेशों की तुलना में सबसे अधिक है एवं भारतीयों की औसत आयु भी कम है। इससे भारत में जनाधिक्य की स्थिति स्पष्ट होती है।

(५) नीचा जीवन स्तर — समर्थकों का कहना है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है जिसके कारण भारतीय निर्धन हैं तथा उनका जीवन स्तर भी नीचा है। यह बात जनाधिक्य की ओर संकेत करती है।

उपलिखित तथ्यों के आधार पर निराशावादी विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि माल्थस का सिद्धांत भारत पर पूर्णरूप से लागू होता है। भारत में जनाधिक्य है। अतः हम यथार्थवादी विचारधारा को तर्कों की ओर देखेंगे।

यथार्थवादी विचारधारा — इस विचारधारा से सम्बन्धित मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं।

(१) भारत प्राकृतिक साधनों की अधिकता एवं कम जनसंख्या का घनत्व :— समर्थकों का कहना है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है क्योंकि भारत में जनसंख्या का घनत्व अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है तथा भारत में प्राकृतिक साधनों की अधिकता है और उनका कहना है कि भारत वर्तमान जनसंख्या से दुगुनी जनसंख्या को रखने की क्षमता रखता है।

(२) आय प्रति व्यक्ति बढ़ रही है :—जेतन के अनुसार यदि जनसंख्या की वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उस देश में जनाधिक्य नहीं है। यह बात भारत के लिए भी ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अनुमान के साथ भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है और उनका कहना है कि भारत में अभी "अधिकतम उत्पत्ति की भीमा" नहीं आई है।

(३) देश में श्रमिकों की कमी :—कुछ समयोंका का कहना है कि देश में श्रमिकों की कमी है। इस कारण से भारत में जनाधिक्य नहीं है क्योंकि जनाधिक्य वाले देशों में श्रमिकों की पूर्ति अधिक होती है।

दोनों विचारधाराओं के तर्कों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा जो प्राकडे इकट्ठे किये गये हैं वे इस बात की धोर सकेत करते हैं कि भारत में जनाधिक्य की दशाएँ हैं लेकिन इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भारत के प्राकृतिक साधनों का अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए इस समय आवश्यकता इस बात की है कि देश में कृषि, औद्योगिक, एवं खनिज व वन सम्पत्ति का पूर्ण रूप से उपयोग लिया जाय।

साथ ही देशवासियों के रहन-सहन को बढ़ाने के लिए उनकी आय की वृद्धि करने के लिए तथा देश की पन्चवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या को अधिक न बढ़ने दिया जाय और इस कारण से सरकार को एक उचित जनसंख्या की नीति को अपनाना चाहिये।

जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय — भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के मुख्य मुद्दा निम्नलिखित हैं —

(१) देश के आर्थिक विकास द्वारा जीवन स्तर में वृद्धि — किसी

जनसंख्या की वृद्धि के रोकने का उपाय :—

१. जीवन स्तर में वृद्धि।
२. शिक्षा का प्रसार।
३. प्रवासन की सुविधा।
४. स्त्रियों की स्वतन्त्रता।
५. परिवार नियोजन।

देश का आर्थिक विकास औद्योगिकरण द्वारा हो सकता है। इसी कारण से भारत में नियोजन द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिनके द्वारा कृषि, औद्योगिक व सभी क्षेत्र में विकास होगा तथा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जिससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी तथा जनसंख्या की समस्या का हल होगा।

(२) शिक्षा का प्रसार — देश में शिक्षा का प्रसार होना चाहिये। इसमें श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है तथा जीवन के प्रति दृष्टि

कीए वदल जाता है । वे प्रतिबन्धक रोकौ के उपयोग की सभभने हैं तथा उनको प्रयोग में भी लाते हैं । ऐसा होने से जनाधिक्य की समस्या नहीं रहेगी ।

(३) प्रवासन की सुविधा — एक देश से दूसरे देश में बसने की सुविधा द्वारा भी जनसंख्या की समस्या का हल हो सकता है । यह कार्य एक अन्तर्राष्ट्रीय मगठन द्वारा सफलता पूर्वक किया जा सकता है परन्तु इस सुभाव में व्यवहारिकता नहीं पाई जाती है ।

(४) स्त्रियों को आर्थिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता — यदि स्त्रियों को आर्थिक मुक्ति मिल जाये तो जनसंख्या की वृद्धि कम हो जायेगी क्योंकि ऐसी दशा में कम आयु में शादी या शादी करना आवश्यक नहीं रहेगा । इसी प्रकार सामाजिक रीति रिवाजों एवं रुढ़िवादिता में परिवर्तन से भी जनसंख्या की वृद्धि कम होगी ।

(५) परिवार नियोजन का सहारा — योजना कमीशन ने परिवार नियोजन का समर्थन किया है और इसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया है । परिवार नियोजन द्वारा जन्म दर कम होगी, बाल मृत्यु दर कम होगी तथा स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरेगा । इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था की जाय एवं जनता भी इस ओर अपना सहयोग दे । क्योंकि परिवार नियोजन के कार्य में व्यय अधिक होता है, इस कारण से यह कार्य भारतवासियों के व्यक्तिगत व्यय के बाहर है । इसके लिए सरकार को पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी ।

इस प्रकार यदि उपरिलिखित सुभावों के अनुसार एक उचित जनसंख्या की नीति देश में अपनाई गई तो यह मत्य है कि फिर भारत में जनसंख्या के अदिवय का भय नहीं रहेगा ।

— —

अध्याय ३१

जनसंख्या के सिद्धांत

प्रश्न ६६—माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है ? इसकी आलोचना कीजिये । यह सिद्धांत भारतवर्ष पर कहाँ तक लागू होता है ?

(What is Malthusian theory of Population ? Examine it critically. How far is this theory applicable to India ?)

उत्तर —

जनसंख्या के प्रश्न पर विचार करने वालों में माल्थस का नाम प्रमुख है। वह एक पादरी था। उसने अपनी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके जनसंख्या सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष निकाले। उस समय नैपोलियन के साथ इंग्लैंड का युद्ध छिड़ा हुआ था, बाहर से सामान न आ सकने के कारण खाद्य सामग्री बड़ी कठिनाई से ऊँचे मूल्यों पर मिल पाती थी, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही थी। उधर जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। जनता बड़ी दुखी थी। माल्थस ने जनसंख्या सम्बन्धी अपने निष्कर्षों को अपनी पुस्तक "An essay on the Principles of Population" में प्रगट किया। ये निष्कर्ष ही माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत कहे जाते हैं, उसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं —

(१) जनसंख्या की वृद्धि — जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यदि कोई खावट न आये तो एक देश की जनसंख्या हर २५ वर्ष में दुगनी हो जाती है। उसने बतलाया कि जनसंख्या ज्योमीतिक अनुपात (Geometric Progression) में बढ़ती है, जैसे १, २, ४, ८, १६, ३२ आदि।

(२) खाद्य सामग्री की वृद्धि — खाद्य सामग्री जनसंख्या की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ती है। दूसरे शब्दों में खाद्य-सामग्री की मात्रा उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिन अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है। खाद्य-सामग्री की वृद्धि अकर्मण्य अनुपात (Geometric Progression) में होती है जैसे १, २, ३, ४, ५, ६ आदि।

उक्त दोनों तथ्यों से माल्थस ने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत शीघ्र ही एक देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक हो जायेगी। प्रारम्भ में जनसंख्या चाहे कितनी ही कम हो वह धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आयेगा जबकि वह खाद्य सामग्री से अधिक बढ़ जायेगी। अतः सीमित भोजन के लिये लोगों में लड़ाईया होंगी, लोग भूखे मरेंगे, दुर्बल हो जायेंगे, बीमारिया फैलेंगी, अकाल पड़ेंगे और अतिरिक्त जनसंख्या नष्ट हो जायेगी। फिर कुछ दिन बाद यह क्रम चालू होगा क्योंकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है इस प्रकार माल्थस ने कहा कि "मनुष्य जाति का भविष्य अन्धकारमय है" माल्थस ने कहा कि यदि मनुष्य इन दैवी प्रकोपों से बचना चाहते हैं तो उनको स्वयं

जनसंख्या कम करनी चाहिए। मनुष्यों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिये, विवाह देर से करने चाहिये परिवार का आकार सीमित रखना चाहिये आदि।

अतः जनसंख्या कम करने के दो उपाय हैं —

- (१) नैसर्गिक रोक (Positive Checks)
- (२) प्रातबधक रोक (Preventive Checks)

नैसर्गिक रोक — जनसंख्या के स्वाद्य सामिग्री की अपेक्षा अधिक बढ़ जान पर प्रकृति स्वयं कुछ रोक लगा देती है। इन्हे नैसर्गिक रोक कहते हैं जैसे हैजा, महामारी, भूकम्प, युद्ध, बाढ़, अकाल आदि। इनसे मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है और जनसंख्या कम हो जाती है।

प्रातबधक रोक — ये वे प्रतिबध होते हैं जो जनसंख्या कम रखने व लिये मनुष्य द्वारा स्वयं लागू किये जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अतः का पालन करना, देर से विवाह करना, परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना व सन्तान नियंत्रण (Birth control) के साधनों का प्रयोग आदि। इनसे जन्म दर में कमी करके, जनसंख्या को सीमित रखा जा सकता है।

माल्थस के सिद्धांत की आलोचना :—

अर्थशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है जो निम्न प्रकार है —

(१) माल्थस का यह कहना सर्वथा गलत सिद्ध हुआ है कि हर पच्चीस वर्ष में एक देश की जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। इतिहास में यह बात सिद्ध नहीं होती।

(२) माल्थस की यह धारणा है कि स्वाद्य सामिग्री अकालिनीय अतः पात में और जनसंख्या ज्योमिनिक अनुपात में बढ़ती है। दोषपूर्ण है। जनसंख्या या स्वाद्य सामिग्री की वृद्धि का इतना निरंतर निश्चित वेग कभी भी नहीं मिलता।

(३) माल्थस ने इस बात पर विचार नहीं किया कि प्रत्येक प्राणी संसार में केवल एक ही मुह लेकर नहीं आता बल्कि दो हाथ भी लेकर आता है। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ श्रम की भी वृद्धि होती है जो देश के साधनों का उचित उपयोग करके देश में धनोत्पादन को बढ़ा देती है।

(४) माल्थस ने स्वाद्य-सामिग्री पर अनावश्यक रूप से दल दिया। उसने जनसंख्या और देश के सभी प्रकार के कुत्र उत्पादन में बीच कोई मध्यस्थ स्थापित नहीं किया। जो देश कृषि की अपेक्षा औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है, अपनी उत्पादित वस्तुओं के विनिमय में विदेशों से स्वाद्य सामिग्री

आयात करके, जनता की खाद्य सामग्री की आवश्यकता को पूर्ण करत है जैसे इंग्लैंड ।

(५) माल्यस को यह भी आभास नहीं हुआ कि यातायात के साधनों में इतनी वृद्धि और विकास हो सकता है कि दूर २ के देशों से अन्न आयात करके कमी के क्षेत्रों में अन्न की मांग को पूरा किया जा सकता है जैसे भारतवर्ष ।

(६) शिक्षा व सम्यता की वृद्धि लोगों को जीवन स्तर ऊँचा करने के उपायों को धमक म लाने के लिये प्रोत्साहित करती है । इस भय से कि परिवार वृद्धि से जीवन स्तर गिर जाता है, लोग अपने परिवारों के आकार को सीमित रखते हैं । यदि नये विवाहित दम्पति के समक्ष मोटरकार और शिक्षा के बीच चुनाव करने का प्रश्न उपस्थित किया जाये तो, निश्चय ही कार का चुनाव होगा । जीवन स्तर के बनाये रखने की लालसा का अनुमान शायद माल्यस नहीं लगा पाया था इसीलिये उसके निष्कर्ष आधुनिक समाज से लागू नहीं होते ।

यद्यपि माल्यस के सिद्धान्त की बहुत सी बातें आजकल नहीं मानी, पर इस सिद्धान्त में काफी मजबूती है ।

भारत और माल्यस का सिद्धान्त —

भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है । प्रतिवर्ष ५० लाख व्यक्ति देश में बढ़ जाते हैं । खाद्य सामग्री की बहुत ही कमी है । अनुमानत १०० करोड़ ६० प्रतिवर्ष का अनाज विदेशों से मगाया जाता है । देश में घोर गरीबी है लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है । अधिकांश लोगों का न पेट भर भोजन मिलता है न पहनने को कपड़ा और न रहने के लिये मकान । यहाँ मृत्यु दर सप्ताह में सबसे अधिक है । हैजा, प्लेग, चेचक मलेरिया, क्षयरोग, आदि से लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष मर जाते हैं । नदियों में बाढ़ें प्रतिवर्ष ही घाती रहनी । यहाँ सार्वभौमिक विवाह (Universal Marriage) की प्रथा है — प्रत्येक व्यक्ति विवाह करता है, लोगों को सतति निग्रह के साधनों का बहुत ही कम ज्ञान है और न वे इनको उपयुक्त ही समझते । संक्षेप में भारत में जनसंख्या खाद्य सामग्री की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है, मनुष्यों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है, पैसगिन रोक देश में अपना काय कर रहे हैं और प्रतिबन्धक उपायों का ज्ञान सीमित है आदि । अतः हम कह सकते हैं कि माल्यस का सिद्धान्त भारत पर पूर्णतया लागू होता है ।

प्रश्न ६७—सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

(Write a short note on Optimum Theory of Population)

उत्तर :—

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने माल्थस के निराशावादी जनसंख्या सिद्धांत का खंडन करके सर्वोत्तम या आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है । इस सिद्धांत के अनुसार देश की जनसंख्या का प्रश्न देश की खाद्य-सामग्री से नहीं बल्कि देश में कुल धन उत्पादन से सम्बन्धित है । माल्थस के अनुसार जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि अवाञ्छनीय है । परन्तु सर्वोत्तम जनसंख्यावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर साथ ही साथ देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग बढ़ जाये तो जनसंख्या की वृद्धि वाञ्छनीय है । 'साधनों का पूर्ण उपयोग' की सीमा से आगे जनसंख्या में वृद्धि ठीक नहीं होगी क्योंकि नवागंतुक बेरोजगार रहेंगे, प्रति व्यक्ति की आय कम हो जायगी और जीवन स्तर गिर जायगा । इसके विपरीत अगर जनसंख्या साधनों के पूर्ण उपयोग की सीमा से कम है तो बहुत से साधन अशोषित पड़े रहेंगे, कुल उत्पादन कम हो जायगा और आय प्रति व्यक्ति कम हो जायगी । अतः हम कह सकते हैं कि 'किसी देश में किसी समय विशेष पर सर्वोत्तम जनसंख्या वह है जिससे प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जिसमें तनिक भी वृद्धि या कमी होने पर प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाये' (कारसाण्डर्स) । जब किसी देश की जनसंख्या न ज्यादा है और न कम बल्कि केवल उतनी है जितनी कि देश में उसके साधनों को देखते हुए होनी चाहिए, तो इस जनसंख्या को सर्वोत्तम जनसंख्या कहते हैं ।

इस सिद्धांत के अनुसार अति जनसंख्या और न्यून जनसंख्या सापेक्षिक है । यदि देश में नये-नये साधनों का उपयोग में ले लिया जाय तो सर्वोत्तम जनसंख्या न्यून जनसंख्या से कम हो जायगी और यदि साधनों को नष्ट कर दिया जैसा कि युद्धकाल में या बाढ़ में होता है तो वही सर्वोत्तम जनसंख्या अति जनसंख्या हो जायगी ।

अध्याय ३२

श्रम की कार्य क्षमता

प्रश्न ६८—श्रम की कार्य क्षमता क्या है ? श्रम की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाली बातों को बताइये ।

(What is meant by efficiency of Labour ? What are the factors that govern the efficiency of Labour ?)

उत्तर :—

श्रम की कार्य क्षमता का अर्थ —

“निश्चित समय व समान परिस्थितियों में अधिक या श्रेष्ठतर या दोनों ही प्रकार के कार्य करने की योग्यता को श्रमिक की कार्य-क्षमता या कार्य कुशलता कहते हैं ।” हम साधारणतः देखते हैं कि एक ही कार्य को करने में एक व्यक्ति को कम समय लगना है दूसरे को अधिक या समान समय के भीतर एक व्यक्ति अधिक और दूसरा कम काम करता है या एक व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तुय तैयार करता है और दूसरा घटिया आदि । पहले प्रकार के व्यक्ति दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कार्य कुशल कहे जायेंगे । अतः स्पष्ट है कि श्रम की कार्य क्षमता एक तुलनात्मक (relative) शब्द है और इसके अन्तर्गत कार्य की मात्रा या उत्पत्ति या दोनों ही गुण समाविष्ट हैं ।

कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाली बातें —

(१) जलवायु (Climate) — जलवायु का श्रमिक की शारीरिक शक्ति व कार्य की आवश्यकता पर प्रभाव पड़ता है । गर्म देशों में मनुष्य शीघ्र ही थक जाता है वह अधिक और लगातार काम नहीं कर पाता । ठंडी प्रकार अधिक ठण्डे देशों में मनुष्य अधिक काम नहीं कर सकता । शीतोपण जलवायु उठ कर कार्य करने के लिये श्रेष्ठ है । इसीलिये एक बंगाली ग्राम भद्रासी की अपेक्षा एक पेर्ज़ांजी श्रमिक अधिक कुशल होता है । दूसरे गर्म देशों के व्यक्तियों की अनिवार्यतायें कम होती हैं और ये सुगमता पूर्वक मत्तुष्ट की जा सकती हैं परन्तु ठंडे देशों में अनिवार्यतायें अधिक होने व कारण व्यक्तियों को इनकी पूर्ति के लिये अधिक काम करना पड़ता है । इसीलिये एक पहाड़ी एक मैदानी निवासी की अपेक्षा अधिक कुशल होता है ।

(२) जातीय तथा पैतृक गुण (Racial and Hereditary qualities) — श्रमिक की जातीय और पैतृक गुणों का उसकी कार्य क्षमता पर

कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाली बातें —

१. जलवायु ।
२. जातीय तथा पैतृक गुण ।
३. मजदूरों का जीवन स्तर व स्वास्थ्य ।
४. नैतिक गुण ।
५. सामान्य बुद्धि ।
६. शिक्षा ।
७. कार्य की दशाएँ ।
८. कार्य के घण्टे ।
९. कार्य की स्वतन्त्रता ।
१०. उन्नति व लाभ की आशा ।
११. मजदूरी ।
१२. श्रम संगठन ।
१३. राजनैतिक व सामाजिक दशाएँ ।
१४. व्यवस्थापक का व्यवहार ।

गहरा प्रभाव पड़ता है । भारत में जाट तथा राजपूत बड़े शक्तिशाली होते हैं । एक बड़ई का लडका एक अच्छा बड़ई बन जाता है जबकि दूसरे ध्यति को यह काम सीखने में अधिक मेहनत और समय लगेगा ।

(३) मजदूरों का जीवन स्तर व स्वास्थ्य (Standard of Living and Health of the Workers) — जिन मजदूरों का जीवन स्तर ऊँचा और स्वास्थ्य अच्छा होता है वे अधिक शारीरिक कार्य कर सकते हैं, उनकी मानसिक कार्य क्षमता भी अधिक होती है । दुर्बल और हलु श्रमिक अधिक और उत्तम कार्य कभी नहीं कर सकते ।

(४) नैतिक गुण (Moral Qualities) :—श्रमिक के नैतिक गुणों और उसकी कार्य क्षमता में गहरा सम्बन्ध है । जो मजदूर सच्चा और ईमानदार होता है और अपने कर्तव्य को समझता है, वह कमजोर होते हुए

सामने भी अधिक काम कर लेता है । लापरवाह वेईमान मजदूर केवल मानिक के ही कार्य करते हैं और उसके जाते ही काम कम या बन्द कर देते हैं । जब मजदूर मानिक के काम को अपना समझकर तत्परता और लगन से करता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है ।

(५) सामान्य बुद्धि (General Knowledge) .—जिग श्रमिक में सामान्य बुद्धि होती है वह प्रत्येक कार्य को विधिवत करने में समर्थ होता है, वह अपनी हचि के ही व्यवसाय को छाटता है और उसमें कार्य करता है वह कार्य को बिना कोई निरीक्षण के ही कर डालता है । ऐसा श्रमिक अधिक

कार्य कुशल होता है । सामान्य बुद्धि एक जन्मजात गुण है परन्तु शिक्षा तथा वातावरण से इसका पर्याप्त विकास हो सकता है ।

(६) शिक्षा (Education) :—कार्य क्षमता को प्रभावित करने में शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा दो प्रकार की होती है—साधारण व टेक्नीकल । उचित शिक्षा मनुष्य की सोती हुई योग्यता को जगाती है, दृष्टिकोण को विस्तृत बनाती है और मानसिक शक्तियों का विकास करती है । उसकी कार्य करने की इच्छा और वर्तव्य परायणता बढ जाती है । साधारण शिक्षा के अतिरिक्त किसी व्यवसाय विशेष के लिये टेक्नीकल शिक्षा भी आवश्यक है । शिल्प शिक्षा मजदूर को कार्य विशेष के करने में प्रवीण बना देती है । ऐसी शिक्षा के अभाव में मजदूर कुशल नहीं हो पाते ।

(७) काम करने की दशायें (Working Conditions) —यदि काम करने का स्थान स्वच्छ, हवादार व प्रकाशयुक्त है तथा मजदूरों के लिये साफ पानी पीने आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका काम करने में मन लगेगा और वे अधिक कार्य कर सकेंगे । इसके विपरीत यदि काम करने का स्थान गंदा, अन्धकारमय और श्रमिकों की शक्ति के अनुकूल नहीं है तो श्रमी कार्य करने में आसक्त्य अनुभव करेंगे, उनका स्वास्थ्य गिर जायेगा और अन्त में उनकी कुशलता कम हो जायेगी । सरकार, इसीलिये देश में काम की दशायें सुधारने का प्रयत्न कर रही है ।

(८) काम के घंटे (Working Hours) —कुछ पूँजीपतियों की यह धारणा है कि यदि मजदूर से ज्यादा घंटे काम लिया जाय तो वह अधिक उत्पादन कर सकेगा । परन्तु ऐसा नहीं है । ज्यादा घंटे काम करने से मजदूर शीघ्र ही थक जाता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है । इसी प्रकार लगातार काम करते रहने से श्रमिक शीघ्र ही थक जाता है और बाद के घंटों में उसकी कार्य क्षमता बहुत ही कम हो जाती है । यदि कुछ घंटे काम करने के पश्चात् मजदूर को कुछ समय आराम करने को मिल जाये तो वह अपनी थकान को दूर करके अपना खोई हुई कार्य शक्ति को पुन प्राप्त कर लेता है और बाद के घंटों में पुन बिल्कुल ताजा और शक्तिशाली होकर पहिले से अधिक माल बना लेता है ।

(९) कार्य करने की स्वतन्त्रता :—(Freedom of Work) :—यदि श्रमिक कार्य करने में स्वतन्त्र है तो वह मन लगाकर कार्य करेगा । यदि वह स्वतन्त्र नहीं है, बार-बार टोका जाता है, बेगार करने को मजदूर किया जाता है तो वह अधिक कार्य न करेगा ।

(१०) **उन्नति और लाभ की आशा** :—उन्नति और लाभ की आशा से काम करने की प्रेरणा मिलती है। जिस मजदूर को यह आशा होती है कि उसे अच्छा काम करने पर तरक्की मिल जायेगी या वेतन बढ़ जायेगा, वह मन लगाकर उत्तम कार्य करता है। ऐसे मजदूर की कार्यक्षमता उस मजदूर की अपेक्षा जिसे इस बात का प्रलोभन नहीं है, अधिक होती है।

(११) **मजदूरी (Wages)** :—श्रमिक को उसके कार्य का उचित प्रतिकूल मिलना चाहिये। साथ ही साथ यह प्रतिफल तुरन्त और प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिये। यदि मजदूर का शोषण किया जायगा, तो वह असंतुष्ट रहेगा। वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पायेगा, फलतः उसकी कार्यक्षमता गिर जायेगी।

(१२) **श्रमिकों का संगठन (Labour Organisation)** :—व्यक्तिगत रूप से मजदूरों को सौदा करने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। पूँजी-पतिश्री द्वारा उनका शोषण किया जाता है। परन्तु श्रम मण्डल (Trade Union) मजदूरों के हित रक्षा के लिये कार्य करते हैं। वे उनकी सामूहिक रूप में सौदा करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। मजदूर का शोषण नहीं होना, उसका उचित पुरस्कार मिलना है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है।

(१३) **राजनैतिक और सामाजिक दशायें (Political and Social conditions)** :—जिस देश में शान्ति और सुव्यवस्था होती है, वहाँ के श्रमिक लगन से कार्य करते हैं। जहाँ जन-घन की कोई सुरक्षा नहीं होती वहाँ लोग भविष्य की ओर से निश्चित रहते हैं और अधिक धन उत्पत्ति नहीं करने। यदि समाज में प्रत्येक को प्रगति के समान अवसर प्राप्त हैं, तथा प्रत्येक को सभी व्यवसाय चलाने और कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है, वहाँ प्रत्येक श्रमिकों से अधिक कुशल धनन की कोशिश करता है।

एक गुलाम देश के मजदूरों की मनोवृत्ति निराशापूर्णक होती है अतः वे अधिक कार्य नहीं करते हैं। स्वतन्त्र देश में देश हित की इच्छा से प्रेरित होकर प्रत्येक व्यक्ति अधिक कार्य करता है।

(१४) **व्यवस्थापक का व्यवहार व योग्यता (Organisers ability and treatment)** :—यदि एक सफल व्यवस्थापक श्रमिकों को उनकी योग्यता और रुचि अनुसार कार्य देता है। मजदूरों को उचित प्रकार के मन्त्र व प्रोत्साहन प्रदान करता है और उनके साथ में उचित व्यवहार करता है तो श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जायेगी। इसके विपरीत यदि संगठनकर्ता मजदूरों के साथ अनुचित व्यवहार करता है, उनकी उनकी रुचि के प्रतिद्वन्द्व

काम देता है और काम करने को पुराने और टूटे-फूटे औजार आदि प्रदान करता है तो मजदूरों की कार्य क्षमता गिर जाती है।

अतः श्रम की कार्य क्षमता व्यवस्थापक की कुशलता व योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित होती है।

—

प्रश्न ६६— भारतीय श्रम की कार्य क्षमता की हीनता के मुख्य कारण कौन से हैं ? उसकी कार्य क्षमता में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है।

(What are the causes of the inefficiency of Indian labour? How can their efficiency be increased?)

उत्तर —

भारतीय श्रमिक पाश्चात्य देशों के श्रमिकों से बहुत कम कुशल हैं। सर वलीमेट सिम्पसन के मतानुसार लकाशायर की सूती मिल का मजदूर भारतीय सूती कपड़े की मिल के श्रमिक से २६७ गुना काम करता है। सर अलैकजेंडर मैकरावर्ट के अनुसार एक अग्रज मजदूर एक भारतीय मजदूर की अपेक्षा ३४ से ४ गुना तक अधिक काम करता है। परन्तु इस प्रकार के कथन भ्रांतिमूलक हैं। कार्य क्षमता की तुलना तभी संभव है जबकि परिस्थितियाँ समान हों। इंग्लैंड और भारत की आर्थिक अवस्थायें समान नहीं हैं। फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता कम है। वे कारण निम्नलिखित हैं —

भारतीय श्रमिक की कार्य क्षमता कम होने के कारण —

(१) भारतवर्ष की जलवायु बहुत उष्ण है। गम जलवायु श्रमिक को अधिक देर तक और लगातार काम नहीं करने देती। वह शीघ्र ही थक जाता है।

(२) औसतन भारतीय मजदूर का जीवन स्तर नीचा है। वह केवल जीवन के आवश्यक पदार्थों को ही मुश्किल से जुटा पाता है। उसका स्वास्थ्य कमजोर है। ये समस्त बातें उसको अयोग्य मजदूर बना देती हैं।

(३) भारतवर्ष में मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मजदूर संघों का अभाव और मुचारू रूप से विकास नहीं हुआ है। अतः मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। असंतुष्ट मजदूर प्रच्छा और अधिक काम नहीं कर सकता।

(४) भारतीय औद्योगिक नगरों में मजदूरों के लिये साफ, स्वच्छ,

हवादार व प्रकाशयुक्त मकानों की कमी है। मजदूर अपने पास अपने परिवारों को भी नहीं रख पाते हैं वे ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ एक सम्यक् व्यक्ति कुछ देर रुकना भी उचित नहीं समझेगा। ऐसे मकानों में श्रमिकों का स्वास्थ्य गिर जाता है। उनमें बहुत सी कुटेबें जैसे वैश्या वृत्ति, जुआ खेलना, शराब पीना आदि पैदा हो जाती हैं। यह स्थिति मजदूरों की योग्यता को बहुत ही गिरा देती है।

(५) शिक्षा, अज्ञानता व रुढ़िवादिता भी भारतीय श्रमिकों की हीन कार्य क्षमता के मुख्य कारण हैं। प्रतिष्ठा के कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं वे अन्धविश्वासी, भाग्यवादी व निहत्ताही हैं।

(६) भारतीय मिलों में अन्य योरोपियन देशों की अपेक्षा काम करने के घण्टे ज्यादा हैं। गर्म जलवायु में अधिक घण्टे काम करने से उनकी कार्य-क्षमता कम हो जाती है।

(७) मिल मालिक अभी कारखानों के वातावरण को सुख कर स्वास्थ्य-व्ययक व रुचिकर बनाने के प्रति उदासीन हैं। श्रमिकों को बहुत ही प्रतिकूल वातावरण में काम करना पड़ता है। उनको न स्वच्छ स्थान, न स्वच्छ पानी न हवादार काम करने के स्थान ही दिये जाते हैं। अतः उनकी कार्यक्षमता गिर जाती है।

(८) भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका गमनशील स्वभाव (Migratory character) है। भारतीय मजदूरों का मिलों में कोई स्थाई सम्बन्ध नहीं रहता। जब गांव में काम नहीं मिलता तो श्रमिक शहरों में आकर काम करने लगते हैं। जब उनके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है या उनको गांव में ही काम मिल सकता है तो वे शहरों को छोड़कर गांव को चले आते हैं। इस आवागमन के कारण मजदूर न तो गांव के घरे में ही निपुण हो पाते हैं और न शहर की फैक्टरी के काम में। अतः उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है।

(९) भारतीय श्रमिकों को शराब पीने की बुरी आदत है। मनोरजन के साधनों के अभाव में उनको यह लत लग जाती है। यह उनकी कार्य-क्षमता पर बुरी तरह से प्रभाव डालती है।

(१०) भारतीय कारखानों में व्यवस्था तथा प्रबन्ध मतोपजनक नहीं है। बहुत से कारखानों में विदेशी मैनेजर कार्य करते हैं जो कि भारतीय श्रमिकों को नहीं समझ पाते। श्रमिकों को उनकी योग्यता, व रुचि के अनुसार काम नहीं मिल पाता। अतः उनकी कार्य क्षमता गिर जाती है।

भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय —

भारत सरकार राष्ट्र के औद्योगीकरण के लिये महान प्रयत्न कर रही है। औद्योगीकरण की सफलता के लिये देश में कुशल श्रमिकों का होना प्रति आवश्यक है। भारतीय श्रमिकों की कार्य क्षमता को निम्न उपायों द्वारा बढ़ाया जा सकता है —

श्रमिकों को साधारण व तकनीक शिक्षा प्रदान की जाये। मजदूरों के बच्चों के लिये श्रमिक वस्तियों में स्कूल खोले जायें, वयस्क श्रमिकों के लिये रात्रि पाठशालाओं का प्रबंध होना चाहिये। शिक्षा मजदूरों के दृष्टिकोण का बढ़ानेगी। वे जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठ कर अपने आप को योग्य नागरिक बना सकें। तकनीक शिक्षा के लिये अधिक सभाये खोली जानी चाहिये।

देश में मजदूर सघों का विकास होना चाहिये। मजदूर सघ मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं, उनको पूंजीपतियों के शोषण से बचा कर मजदूरों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। कारखानों में कार्य करने की दशाओं को सुधारने और उन पर नियंत्रण रखने के लिये राज्य की ओर से श्रम कल्याण अधिकारी (Labour Welfare Officers) नियुक्त होने चाहिये। मजदूरों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिये। मजदूरों और मिल मालिकों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये। श्रमिकों की साझेदारी (Labour Co-partnership) इस ओर एक ठोस प्रयत्न है। स्वच्छ, हवादार व प्रकाशयुक्त स्थानों में मजदूर वस्तियों का निर्माण किया जाय जहाँ मजदूर अपने परिवार सहित रह सकें।

अध्याय ३३

पूंजी

प्रश्न ७०—पूंजी शब्द की परिभाषा कीजिये। आधुनिक युग में पूंजी का क्या महत्त्व है? चल तथा अचल पूंजी का भेद स्पष्ट कीजिये।

(Define the term 'Capital'. What is its importance in the

modern times ? Distinguish clearly between circulating and fixed capital.)

उत्तर—

साधारण बातचीत में पूंजी का अर्थ हमें—पैसे और धन-सम्पत्ति से लिया जाता है किन्तु अर्थशास्त्र में इसका विशिष्ट अर्थ होता है जो इसके साधारण अर्थ से भिन्न है। प्रो० टामस के अनुसार “पूंजी भूमि को छोड़ कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक सम्पत्ति का वह भाग है जो और अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने के काम आता है।” प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्त आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय नहीं कर देता। वह थोड़ा सा भविष्य के लिये भी बचा कर रखता है। इस बचाये हुये धन का दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। उस धन को जमीन में गाड़कर या सड़क में बन्द करके या गहने बनाकर रखें या उस धन को किसी उत्पादक कार्य में लगा दें, जैसे व्यापार में प्रयोग करना, बैंक को उधार देना या कम्पनी के हिस्से आदि खरीदना। इस अन्तिम प्रकार के धन को ही पूंजी कहते हैं क्योंकि यह और अधिक धन उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सब सम्पत्ति पूंजी नहीं है परन्तु सब पूंजी सम्पत्ति है (All Wealth is not capital but all capital is wealth)

केवल द्रव्य ही पूंजी नहीं है अन्य वस्तुयें भी पूंजी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिये कि एक किसान के यहाँ १०० मन चना पेंदा होता है इसमें से वह १० मन बीज के लिये रख लेता है और शेष का कुछ भाग वह उपभोग कर लेता है और कुछ बाजार में बेच देता है। १० मन चना उस किसान की पूंजी है क्योंकि इसका प्रयोग और अधिक चने (धन) उत्पन्न करने में किया जायगा। अतः पूंजी होना किसी वस्तु का जन्म सिद्ध गुण नहीं है, यदि किसी वस्तु का प्रयोग सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये किया जाता है तो वह पूंजी है अन्यथा नहीं। यदि उपरोक्त उदाहरण में किसान १० मन चनों का भी उपभोग कर डाले तो वह उसकी पूंजी नहीं रहेंगे।

समस्त वस्तुयें जो और अधिक धन उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं पूंजी नहीं कहलातीं। पूंजी में केवल मनुष्यकृत सम्पत्ति ही समाविष्ट होती है। भूमि या प्रकृतिदत्त वस्तुयें पूंजी नहीं मानी जाती हैं। पूंजी के अन्तर्गत कच्चा माल, मशीनें, औजार, कारखानों की इमारतें, श्रमिकों के भवन,

श्रमिकों के वेतन, किसानों के हल, बैल और बीज आदि सम्मिलित किये जाते हैं ।

उपरोक्त विवरण से पूंजी पदार्थ में तीन गुण पाये जाते हैं :—

(१) पूंजी सदा मनुष्यकृत होती है ।

(२) पूंजी में वही वस्तुएँ शामिल होती हैं जो धन हैं ।

(३) सारा धन पूंजी नहीं होता है, धन का केवल वही भाग पूंजी होता है जो और अधिक धनोत्पत्ति में सहायक होता है ।

पूंजी का महत्व :—आधुनिक युग को 'पूंजीवादी युग' कहा जाता है । इससे पूंजी का आधुनिक युग में महत्व स्पष्ट हो जाता है । यह बात सत्य है कि बिना पूंजी के भी उत्पत्ति हो सकती है परन्तु यह उत्पत्ति उस उत्पत्ति की तुलना में बहुत ही कम होगी जो पूंजी की सहायता से होती है । यही कारण है कि उत्पत्ति में पूंजी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है । आधुनिक युग में तो बिना पूंजी के किसी भी प्रकार के उत्पादन की बात सोची भी नहीं जा सकती है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति पूंजी के कारण ही सम्भव है । यही नहीं वस्तु के उत्पादन के लिये उसके प्रारम्भिक प्रयत्न और अन्तिम प्रयत्न में काफी समय लगने लगा है । इस बीच पूंजी की सहायता से ही उत्पादन के साधनों को पारिधमिक दिया जाता है । पूंजी के अभाव में भूमि में उन्नति नहीं की जा सकती, कच्ची सामग्री व मशीनें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, यातायात व सवाद वाहन के साधनों में उन्नति नहीं हो सकती । पूंजी के अभाव में किसी प्रकार का उद्योग घघा सरलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है ।

अचल तथा चल पूंजी (Fixed & Circulating Capital) :—

अचल पूंजी :—जो पूंजी उत्पादन कार्य में बार-बार बहुत समय तक काम आती है, जिसे अचल पूंजी (Fixed Capital) कहते हैं जैसे हल, बैल, भोजार, मशीनें, कारखाने की इमारतें, आफिस का टाईन राईटर आदि । प्रोफेसर मार्शल के अनुसार "अचल पूंजी वह है जो टिकाऊ होती है और जिससे आमदनी कुछ समय तक निरंतर प्राप्त होनी रहती है ।

चल पूंजी :—जो पूंजी धन को उत्पत्ति में एक ही बार में, थोड़े ही समय में काम आ जाती है और फिर दूसरी बार काम में लाये जाने के लिये नहीं रहती उसे चल पूंजी कहते हैं । जैसे बीज, कच्चा माल, कोयला, मशीन का तेल आदि । प्रोफेसर मार्शल के अनुसार "चल पूंजी वह है जो उत्पादन सम्बन्धी तमाम कार्य एक ही बार में पूरा कर देती है ।"

चल पूंजी और अचल पूंजी शब्दों का प्रयोग सापेक्षिक दृष्टि से किया

जाना है। स्थिति भेद के कारण चल पूंजी अचल हो सकती है और अचल पूंजी चल हो सकती है। जैसे कोल्हू बनाने के कारखाने में कोल्हू चल पूंजी है क्योंकि इन्हे बेच कर एक ही बार आमदनी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु तेल निकालने की मिलों में कोल्हू अचल पूंजी है क्योंकि वहाँ इनका प्रयोग अनेक बार बहुत समय तक होना है।

—

प्रश्न ७१—पूँजी की परिभाषा दीजिये तथा इसके उत्पादन के कार्यों की व्याख्या करो।

(Define Capital' and explain its various functions in production)

उत्तर .—

“पूँजी की परिभाषा” के लिए कृपया प्रश्न ७० देखियेगा।

पूँजी के उत्पादक कार्य -- 'पूँजी का आज उत्पादन कार्य में विशेष महत्व है और विशेषकर पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के अन्दर इसका महत्व और भी अधिक है। आज के समय में बड़े पैमाने का उत्पादन बिना पूँजी के सहयोग के असम्भव है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि पूँजी आधुनिक उत्पादन प्रणाली का आधार एवं प्रारम्भ है। पूँजी के द्वारा ही देश के उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अनेक विकास कार्य किये जाते हैं। इस कारण यदि किसी देश में पर्याप्त पूँजी का अभाव है तो वह देश आर्थिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। इसी कारण से भारत अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए विदेशों से पूँजी की सहायता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूँजी का आधुनिक उत्पादन प्रणाली में विशेष महत्व है। इसी कारण से प्रो० टामम ने पूँजी के अनेक कार्यों की व्याख्या की है, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं :—

* * * * *

पूँजी के उत्पादक कार्य :—

- १ उत्पादक के साधनों के प्रतिफल के रूप में।
- २ कच्चे माल की व्यवस्था में।
- ३ यन्त्रों की व्यवस्था।
- ४ उत्पादित वस्तुओं की विक्री में सहायता।
५. पूँजी पर व्याज की आय।

* * * * *

(१) पूँजी का प्रयोग उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के रूप में :—यह बात सत्य है कि जब कोई उत्पादन कार्य शुरू किया जाता है तो उत्पादित वस्तु कुछ समय के बाद ही तैयार हो पाती है। इस कारण से इस

समय के मध्य जो उत्पादन के साधन उत्पत्ति कार्य में सहयोग प्रदान करने में उनको पूँजी में से ही प्रतिफल दे दिया जाता है क्योंकि वे अधिक समय तक उत्पादित वस्तु की बिक्री में प्राप्त आय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई कारखाना बाजार तैयार करता है तो बाजार के तैयार होकर बाजार में बिकने में काफी समय लगेगा। इस कारण से जो अधिक इस कार्य में लगे हुए हैं वे मजदूरी मांगेंगे। उनको यह मजदूरी व्यवस्थापक पूँजी में से ही दे देगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूँजी का प्रयोग उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देने में भी होता है।

(२) पूँजी का प्रयोग कच्चे माल की व्यवस्था करने में — उत्पादन कार्य में कच्चे माल की व्यवस्था भी पूँजी के द्वारा की जाती है क्योंकि बिना कच्चे माल के कोई भी उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है और उत्पादन में कच्चे माल को ही रूप परिवर्तन प्रदान करके अधिक उपयोगी बनाया जाता है। कच्चे माल को उसके स्थान से पूँजी के द्वारा ही कारखानों तक पहुँचाया जाता है लेकिन यह कार्य आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में अधिक जटिल हो गया है। जिसके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी उत्पादन कार्य में कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिये भी पूँजी की आवश्यकता होती है।

(३) पूँजी के द्वारा यन्त्रों की व्यवस्था — आज के युग में प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में यन्त्रों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा कार्य कम समय में, कम व्यय पर तथा अच्छा हो जाता है। इन यन्त्रों की प्राप्ति के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है और इसी कारण से यन्त्रों को पूँजी का एक स्वरूप मानते हैं। इसलिए पूँजी का उपयोग यन्त्रों की व्यवस्था करने में प्रमुख रूप से होता है।

(४) पूँजी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में सहायता — आज के युग में उत्पादन बढ़ा हो जाता है तथा माग बढ़ प उत्पादन की जाती है। इस कारण से यदि उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तुओं की माग अधिक चाहता है, तथा उन्हें उचित मूल्य पर बेचना चाहता है तो उस कुछ पूँजी विज्ञापन आदि पर व्यय करनी होगी। विज्ञापन के अन्तर्गत सिनेमा रेडियो, समाचार पत्रों तथा रेजिन्टों की व्यवस्था आदि का व्यय आता है। इस प्रकार पूँजी का प्रयोग उत्पादित वस्तुओं की बिक्री में सहायता देने के कार्य में भी होता है।

(५) पूँजी पर व्याज की आय — पूँजी के द्वारा भी आय प्राप्त

होती है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी है वह उसका किसी भी प्रकार से विनियोग कर सकता है। वह उसे बैंक में जमा कर सकता है, उधार दे सकता है किसी कम्पनी के शेयर खरीद सकता है सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता अथवा किसी व्यापारिक व्यवसाय में अपनी पूंजी का विनियोग करके आय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पूंजी के स्वामी को बिना किसी परिश्रम के ही आय प्राप्त होती है जो कि साधारणतः कर्माज के रूप में प्राप्त होती है जिसे त्याग या प्रतीक्षा का प्रतिफल कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी के द्वारा पूंजीपति को इसके विनियोग से आय भी प्राप्त होती है।

प्रश्न ७२—किसी देश में पूंजी का संचय किन-किन बातों पर निर्भर करता है? भारत में पूंजी संचय की क्या स्थिति है?

(On what factors does the accumulation of capital in a country depend? What is the position in India in this respect?)

उत्तर —

किसी देश में पूंजी का संचय मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है —

(१) संचय की शक्ति — संचय की शक्ति का तात्पर्य धन की उत्पत्ति का उपभोग से अधिक होना है। यदि व्यक्ति जितना धन उत्पन्न करते हैं उतना ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय कर दें, तो राष्ट्र की वचत करने की शक्ति बिल्कुल नहीं होगी। संचय की शक्ति निम्न बातों पर आधारित है :—

(i) प्राकृतिक साधन — जिस देश में प्राकृतिक साधन बहुत अधिक होते हैं, वहाँ धनोत्पत्ति भी अधिक होती है। वहाँ के निवासियों की संचय-शक्ति प्रायः अधिक होती है और जिस देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव होता है वहाँ के निवासियों की संचय शक्ति कम होती है।

(ii) श्रम और पूंजी की कार्य क्षमता :— देश के प्राकृतिक साधन स्वयं कोई उत्पत्ति नहीं करते हैं। वे तो निष्क्रिय हैं। उनके उचित उपयोग के लिये कुशल श्रम, उत्तम प्रकार की पूंजी, व्यवस्था व साहस आवश्यक हैं। इनके अभाव से देश की प्राकृतिक सम्पत्ति अशोषित (Untapped) पड़ी रहेगी देश का उत्पादन कम होगा और वचत करने की शक्ति भी कम होगी।

(III) समाज में धन का वितरण :—सम्पत्ति और प्राय के वितरण का भी सचय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्रायः जहाँ सम्पत्ति के वितरण में असमानता होती है, सचय शक्ति अधिक होती है। थोड़े में धनिक लोग प्रवश्य ही बचा लेते हैं। परन्तु यदि धन का वितरण समान है तो समाज में सब ही मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होंगे जिनकी बचत करने की योग्यता बहुत ही कम होती है।

(iv) राज्य की कर नीति — यदि व्यक्तियों पर कर-भार अधिक है तो उनकी प्राय का एक बड़ा भाग राज्य के पास करों के रूप में चला जायगा और वे कम धन बचा पायेंगे। यदि कर भार थोड़ा है तो व्यक्तियों की सचय की शक्ति भी अधिक होगी।

(2) संचय की इच्छा — पूँजी सचय केवल व्यक्तियों की सचय की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करता। यदि व्यक्ति में धन बचाने की इच्छा ही नहीं है तो वह प्राय अधिक होने पर भी कोई बचत नहीं करेगा। सचय की इच्छा को निम्न बातें प्रभावित करती हैं —

(i) दूरदर्शिता — भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कुछ दुस्त अच्छे और बुरे दिन साथ-साथ रहते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य भी सदा एकसा नहीं रहता रोग अथवा दुर्घटना कभी भी मनुष्य को अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे समय के लिये मनुष्य धन बचाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की कमाने की शक्ति शीघ्र हो जाती है। मनुष्य स्वभाव से दूरदर्शी होता है। अतः वह इन सब बातों के लिये धन सचय करता है।

पूँजी के सचय को निर्भरता —

१—सचय की शक्ति —

१ प्राकृतिक साधन।

२ श्रम और पूँजी की कार्य समता।

३ समाज में धन का वितरण।

४ राज्य की कर नीति।

२—सचय की इच्छा —

१ दूरदर्शिता।

२ कुटुम्ब प्रेम।

३ स्वभाव।

४ आर्थिक कारण।

५ सामाजिक सम्मान।

६. राजनैतिक कारण।

३—सचय की सुविधायें :—

१ शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था।

२ पूँजी विनियोग को सुविधायें।

३ सुयोग्य व्यवसायी।

४. व्याज की दर।

५ मुद्रा व्यवस्था।

(ii) कुटुम्ब प्रेम — कुछ लोगों का स्वयं वचाने का ध्येय यह होता है कि वे अपने वान वच्चो के लिए कुछ स्वयं छोड़ जायें। मनुष्य का यह प्रयत्न रहता है कि उसके मरण के बाद उसके परिवार को किसी प्रकार का आर्थिक मकट न हो। इस विचार में मनुष्य अपनी आय में से अधिक में अधिक वचाने की चेष्टा करता है।

(iii) स्वभाव — कुछ मनुष्यों में स्वभाव में ही धन संग्रह की प्रवृत्ति होती है। वे अनिवार्यताओं को त्याग कर भी कुछ धन बचा लेते हैं चाहे उनकी आय कितनी थोड़ी क्यों न हो। कुछ लोगों का मिर्दात ही कम खर्च करना होता है। वे सादा जीवन उच्च विचार' (Simple living and high thinking) के अनुयायी होते हैं।

(iv) आर्थिक कारण — बहुत से लोग स्वयं को व्याज पर उठान क लिये वचाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब व्याज की दर अधिक होती है तब धन सचय की प्रेरणा अधिक होती है। व्यापार में सफलता प्राप्त करने की लालसा से भी कुछ लोग वचत करते हैं।

(v) सामाजिक सम्मान — आधुनिक समाज में पैस वाले का सम्मान होता है। गरीबों की श्रद्धा नहीं होती। अतः आदर पान और प्रभाव-शाली बनने के लिये बहुत से व्यक्ति स्वयं वचाते हैं।

(vi) राजनैतिक कारण — राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं पद प्राप्त करने के लिये धन बहुत सहायक सिद्ध होता है। धन-बल पर ही बहुत न व्यक्ति विधान सभाओं के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। अतः राजनैतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कुछ व्यक्ति धन-सचय करते हैं।

(३) सचय की सुविधायें — सचय की सुविधायों से तात्पर्य है कि देश में कुछ ऐसी सुविधायें और अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हों जिनके द्वारा सचय किया हुआ धन उत्पादन में लगाया जा सक। ये सुविधायें निम्नांकित हैं —

(i) शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था — मनुष्य धन तभी वचायगा जब उसे यह विश्वास होगा कि सचय धन का वह स्वयं उपनाग कर सकेगा। यदि देश में शान्ति, सुरक्षा की व्यवस्था न हो, चोर, डाकूओं, उपद्रवों और बाहरी आक्रमणों का डर लगा रहेगा तो कोई व्यक्ति धन सचय नहीं करेगा।

(ii) पूँजी विनियोग की सुविधायें :— यदि देश में पूँजी विनियोग करने के सुरक्षित तथा लाभदायक साधन न हों तो लोगों को अपनी वचन अनुत्पादक रूप में अपने पास रखनी पड़ेगी। इसीलिये जिन स्थानों पर बैंक

बीमा कम्पनी, डाकखाने, महकारी समितिया आदि होती हैं वहा लाग बहुत घन बचा लेते हैं। जहा ये सुविधाय नहीं होनी, वहा पूंजी वा सचय नहीं हो सकता।

(iii) **सुयोग्य व्यवसायी** :— रिश्वासनीय, सुयोग्य और ईमानदार उद्योगपति पूजी सचय को बडा प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे उद्योगपतियों को लोग निडर होकर अपना पैसा उधार दे देते हैं। अतः पूजी का सचय भी होता है। इसके विपरीत जहा ऐसे व्यक्तियों का अभाव होता है वहाँ व्यक्ति अपने धन को अनुत्पादक ही रहने देते हैं क्योंकि उनको अपना पैसा नारे जान का डर रहता है।

(iv) **व्याज की दर** — यदि देश में व्याज की दर ऊंची है तो साधारणत अधिक पूजी का सचय होगा क्योंकि कुछ व्यक्ति केवल ऊंची व्याज की दर होने पर ही बचत करते हैं। व्याज की दर कम होने पर, पूजी का सचय कम हो जाता है।

(v) **मुद्रा व्यवस्था** :— मुद्रा का प्रचलित होना सचय की बहुत बडी सुविधा है जब द्रव्य नहीं था तो धन को वस्तुओं के रूप में संचित किया जाता था जिनके मूल्यों में परिवर्तन हो जाया करता था। वस्तुये नष्ट हो जाया करती थीं। परन्तु सोना, चादी तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं की मुद्रा-चलन पद्धति होने के कारण, अब मुद्रा के रूप में धन का सचय सुगम हो गया है। इन वस्तुओं का मूल्य लगभग स्थिर रहता है और न वे कभी नष्ट होते हैं।

भारतवर्ष में पूजी का सचय :—

यद्यपि देश में प्राकृतिक साधन बहुत अधिक हैं परन्तु उनका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है इसलिये राष्ट्रीय आय बहुत कम है। जनसख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का भाग भी कम है। दश में औद्योगिक विकास अभी अपनी शिशु अवस्था में ही है। इसलिये भारतीयों की बचाने की योग्यता कम है। जहा तक सचय की इच्छा का सम्बन्ध है भारतीयों में वे सब गुण हैं जो सचय की इच्छा को प्रमाणित करते हैं। परन्तु आय कम होने के कारण वे अपनी धनमान की आवश्यकताओं को ही कठिनाई से पूर्ण कर पाते हैं। अतः भविष्य के लिये केवल कुछ ही व्यक्ति बचा पाते हैं। सचय की सुविधाय भारत में बहुत ही कम हैं। यद्यपि देश में शान्ति व सुव्यवस्था है, व्याज की दर भी ऊंची हैं परन्तु बैंक, बीमा कम्पनियों व देश में योग्य व्यवसायियों की कमी पूजी निर्माण में बाधक है। डाकखाने के बचत

बैंक ग्रामीणों तक का पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाये हैं। सहकारा समितियों का विकास भी सीमित ही है। इसलिये बहुत सा धन अनुत्पादक ही रह जाता है।

परन्तु धन राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण आर्थिक विकास हो रहा है। कृषि, उद्योग व व्यापार सभी के लिये पूँजी की माँग बढ़ रही है, पूँजी विनियोग की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। भाशा है कि भविष्य में पूँजी का निर्माण और तीव्र गति से होगा।

— — —

अध्याय ३४

मशीनों का प्रयोग

प्रश्न ७३—मशीनों के प्रयोग से लाभों व हानियों को बताइये ?

(Discuss the advantages and disadvantages of the use of machinery.)

उत्तर :—

उत्पत्ति में मशीनों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादन में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम किसी न किसी रूप में मशीनों का प्रयोग करते हैं। मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि लघुस्तरीय व कुटीर उद्योग धर्मों में भी मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसीलिये वर्तमान युग को 'मशीन युग' (Machine age) कहा जाने लगा है। मशीनों के प्रयोग से अनेकों लाभ व हानियाँ हुईं।

मशीनों से लाभ (Advantage of Machine) :—

(१) कठिन और भारी काम करना :—बहुत से कठिन और भारी काम जिन्हें मनुष्य नहीं कर सकता अथवा कठिनाई से कर सकता है, अथवा जिनमें बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, मशीनों द्वारा बड़ी सुगमतापूर्वक हो जाते हैं। 'क्रैन' द्वारा बड़े भारी वस्तुओं को उठाया जा सकता है। रेल की पटरी से गिरे हुये द्रव्य को उठाना एक समस्या है परन्तु क्रैन यह कार्य बड़ी आसानी से कर देती है।

(२) नीरस, गंदा व थकाने

वाला कार्य करना :—नीरस कार्य में मनुष्य शीघ्र ही उब जाता है, जैसे अखबारों की मोड़ना, गंदा काम करने में मनुष्य घृणा मानता है जैसे खमड़ा साफ करना। परन्तु ऐसे कार्यों को मशीनों द्वारा किया जाता है। केवल थोड़ी सी व्यक्तिगत देखभाल करनी पड़ती है।

मशीनों से लाभ :—

१. कठिन एवं भारी कार्य करना।
२. नीरस व थकाने वाला कार्य करना।
३. अधिक उत्पादन।
४. कार्य तेजी से होता है।
५. कम उत्पादन व्यय।
६. सामान उत्पादन।
७. वारिक व नाजुक कार्य का करना।
८. समय व दूरी पर विजय।
९. कार्य क्षमता व मजदूरी में वृद्धि।
१०. गतिशीलता में वृद्धि।
११. अकृशाल धमिकों का प्रयोग।

(३) अधिक उत्पादन —मशीनों के प्रयोग से धर्म विभाजन सम्भव होता है। एक काम को कई छोटे र नामों में बाँट दिया जाता है उनमें से कुछो को पूरा करने के लिये मशीनों का प्रयोग होता है। व्यक्तियों को भी वही कार्य करने को दिये जाते हैं जिनके लिये वे विशेष रूप से योग्य होते हैं। अतः उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति मशीनों के प्रयोग द्वारा ही सम्भव हो सकी है।

(४) काम तेजी से होता है :—एक मशीन एक व्यक्ति से कई गुना अधिक कार्य करती है। मशीनों को भाप-शक्ति अथवा विद्युत शक्ति से चलाया जाता है। अतः काम तेजी से होता है। प्राधुनिक छापेखाने की मशीन ८०,००० अखबार एक घंटे में छाप देती है।

(५) उत्पादन व्यय-रुम —मशीनों के प्रयोग में प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम हो जाता है। मशीनें कम समय में अधिक माल तैयार करती हैं। एही कारण है कि मशीनों द्वारा तैयार माल की कीमतें कूटीर उद्योगों में तैयार मान की कीमतों की प्रवेक्षा बहुत कम होती हैं और ये कूटीर उद्योगों में स्पर्धा में पीछे छोड़ देने हैं। अनेकों वस्तुयें जो पहने महंगी थीं अब बनसाधारण के लिये सुलभ हो गई हैं।

(६) समान उत्पादन —मशीनों द्वारा समस्त वस्तुयें एक ही उत्पन्न होती हैं जबकि एक हाथ के दस्तकार की बनाई हुई दो चीजें एक ही कदापि

नहीं हो सकती। मशीनों द्वारा उत्पादन की इसी विशेषता के कारण दूरी मशीनों के पुर्जा की वदनी की जाती है क्योंकि एक मशीन के एक ही समान भागों पुर्जे तैयार किये जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रमाणीकरण के कारण मनुष्ये श्रयवा विवरण द्वारा वन वेध कर व्यापार-वृद्धि की सुविधायें बढ़ गई हैं।

(७) वारीक व नाजुक कार्य करना — बहुत से वारीक, महीन व नाजुक कार्य मशीनों द्वारा किये जाते हैं जैसे घटियों के सूक्ष्म पुर्जों का निर्माण, वातों के व्यास की माप। यह कार्य व्यक्ति द्वारा कदापि नहीं किये जा सकते।

(८) समय व दूरी पर विजय — मशीनों के प्रयोग में मनुष्य न समय व दूरी पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्राचीनकाल में एक स्थान में दूसरे स्थान को जाने में बड़ी कठिनाई होती थी और समय भी अधिक लगता था। आज द्रुतमापी वायुयानों और कृत्रिम उपग्रहों के उस समस्या को त्रिलकुन मरल बना दिया है। शत्रु तो पृथ्वी वसी चन्द्रमा तक पहुँचना बना ही सामान्य सम्भने लगे हैं।

(९) श्रमिक की कार्य क्षमता व मजदूरी में वृद्धि — मशीनों के द्वारा मजदूरों की उत्पादनशीलता बढ़ती है क्योंकि एक ही मशीन पर कार्य करने करते श्रमिक उस मशीन का स्वामी हो जाता है, कम समय में अधिक उत्पादन करने लगता है। कार्य क्षमता बढ़ जाने के फलस्वरूप, उसकी मजदूरी भी बढ़ जाती है जिससे उसका जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है।

(१०) गतिशीलता में वृद्धि — सभी कारखानों में लगभग समान मशीने होने के कारण, मजदूर एक व्यवसाय श्रयवा स्थान को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय श्रयवा स्थान को आसानी से चला जाता है। सभी कारखानों में मशीनों के मधानन के सामान्य सिद्धांत एक से ही हैं अतः उद्योगों नय कारखानों में काम सीखने में अधिक समय नहीं लगता।

(११) अकुशल श्रमिकों का प्रयोग — मशीनों तो स्वयं कार्य करती हैं उनमें तो केवल एक बार चला देना होता है। परन्तु उनके उपर दरभात व निरीक्षण के लिये कुछ व्यक्तियों को रखना पड़ता है। इस कार्य के लिये साधारण ज्ञान वान अकुशल श्रमिकों का प्रयोग हो सकता है। कुछ नाधारण कार्यों पर बच्चा व स्त्रियाँ को भी लगाया जा सकता है।

मशीनों द्वारा हानियाँ (Disadvantages of Machinery)

(१) बेकारी फैलती है — यह सही है कि वन पत्र १० या २०

यादमी मिलकर किसी कार्य को करते थे वह कार्य अब मशीन की सहायता से एक या दो व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अतः मशीनों बेकारी को बढ़ाती हैं। परन्तु यह मशीनों के प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था में ही होता है। दीर्घकाल में तो मशीनों से बेकारी दूर होती है। मशीनों का बना माल मस्ता होता है, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है, फलतः बच्चे मांग के उत्पादन व पक्के माल के उत्पादन के लिये मजदूरों की मांग भी बढ़ जाती है।

(२) हस्त कला की हानि व कुटीर उद्योगों का विनाश — यद्यपि शायो का बनाया माल कभी-कभी अधिक मजदूर और कलात्मक दृष्टि में उत्तम होता है परन्तु महंगा होने के कारण मशीनों के सस्ते माल के सामने नहीं विक पाता और उसकी मांग घट जाती है। इसलिये हस्त-कला को बड़ी हानि होनी है और हस्तकार कारखानों में वेतन प्राप्त मजदूरों के रूप में कार्य करने की बाध्य हो जाते हैं। हमारे देश में कुटीर-उद्योगों के विनाश का एक मुख्य कारण मशीनों द्वारा उत्पन्न माल की स्पर्धा था।

मशीनों से हानियाँ :-

- १ बेकारी फैलती है।
- २ कुटीर उद्योगों का—
विनाश।
- ३ औद्योगीकरण की सामा-
जिक व नैतिक घुरा-
इया।
- ४ अति उत्पादन का डर।
- ५ वर्ग संघर्ष व सम्पत्ति
का असमान वितरण।
- ६ अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति।

(३) औद्योगीकरण की सामाजिक व नैतिक घुराइयाँ :- मशीनों द्वारा उत्पादन बड़े पैमाने पर, बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में होता है। बड़े शहरों में जहाँ अनेकों प्रकार के कारखाने स्थापित हो जाते हैं, लाखों मजदूर आकर रहने लगते हैं। इन शहरों में सुन्दर व साफ घरों, सफाई, पानी व रोजगारी आदि की समस्याएँ उत्पन्न की जाती हैं। श्रमिकों का स्वास्थ्य गिर जाता है। उनमें शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्या-गायन, चोरी आदि अनेकों कुट्टे पड़ जाती हैं।

(४) अति उत्पादन का डर :- आज के मशीन युग में मांग के पूर्वानुमान के आधार पर ही उत्पादन किया जाता है। अतः सर्वत्र अति-उत्पादन (Over-production) अर्थात् मांग से अधिक उत्पादन का डर बना रहता है। अति उत्पादन से आर्थिक क्षेत्र में मदी आ जाती है, साहसियों को

हानि होने लगती है और उत्पादन कम होने के फलस्वरूप श्रमिकों को काम से अलग कर दिया जाता है ।

(५) **वर्ग संघर्ष और सम्पत्ति का असमान वितरण** :—मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आ जाता है, अधिकांश व्यक्ति केवल मजदूरों के रूप में रह जाते हैं । समाज पूंजीपति व श्रमिकों (Capitalists and labourers) के दो वर्गों में बंट जाता है जिनमें सदैव संघर्ष चलता रहता है । ताजे बंदी व हडताल की घटनाएँ आये दिन होती रहती हैं । सम्पत्ति का वितरण भी असमान हो जाता है क्योंकि पूंजीपति और अधिक अमीर और श्रमिक और अधिक गरीब होते जाते हैं ।

(६) **अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध व अज्ञान्ति** —मशीनों द्वारा शीघ्र, सस्ता व अधिक मात्रा में उत्पन्न माल को बेचने के लिये मंडियों पर प्रभुत्व करने के लिये मिन मिन राष्ट्रों में प्रतिद्वन्द्विता होती है और उनमें पारस्परिक द्वेष और संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं ।

अध्याय ३५

भारत में पृँजी

प्रश्न ७४—भारत में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता के महत्व को समझाते हुए सिंचाई के विभिन्न साधनों का वर्णन करिये ।

(Showing the need and Importance of the Irrigation facilities in India explain the various means of Irrigation)

उत्तर —

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि कार्य के लिए पानी का अति आवश्यकता होती है । यदि वर्षा हर स्थान पर ठीक प्रकार से हो जाये तो अन्य साधनों से पानी देने की आवश्यकता न रहे । लेकिन वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होती है । जहाँ वर्षा कम हाती है वहाँ बनावटी साधनों से पानी पहुँचाया जाता है । इन्हीं साधनों को सिंचाई के साधन कहते हैं ।

सिंचाई की आवश्यकता —भारत में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता अनेक कारणों से होती है जिनमें से मुख्य निम्न हैं —

(१) वर्षा की अनिश्चितता :—भारत में वर्षा की अनिश्चितता है। वर्षा वर्ष में केवल ४ महीने होती है। खरीफ की फसल वर्षा पर ही निर्भर करती है लेकिन रबी की फसल के लिये उचित सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है अन्यथा दुर्भिक्ष पड़ने का डर रहता है।

सिंचाई की आवश्यकता :—

१. वर्षा की अनिश्चितता।
२. अधिक पानी की आवश्यकता।
३. अधिक फसलें।
४. बंजर भूमि का प्रयोग।

(२) कुछ फसलों की अधिक पानी की आवश्यकता :—कुछ फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है जैसे गन्ना, चावल आदि। कुछ फसलों की ठीक समय पर पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं तथा कपास। अतः कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता एवं कुछ फसलों को निश्चित समय पर पर्याप्त पानी की आवश्यकता केवल सिंचाई के साधनों के विकास द्वारा पूरी हो सकती है।

(३) अधिक फसलें —सिंचाई के विकास से दो या तीन फसलें तक पैदा हो सकती हैं। अब गर्मी के मौसम में यदि वर्षा न हो तो सिंचाई की सुविधा द्वारा गन्ना व कपास भी बोई जा सकती है।

(४) बंजर भूमि का प्रयोग :—सिंचाई के साधनों के विकास से बंजर भूमि पर भी कृषि सम्भव हो सकी है जिसके द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में नहरों का प्रमुख हाथ रहा है।

अतः उपलिखित विवरण से स्पष्ट है कि सिंचाई के साधनों का देश के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व है। इसके विकास द्वारा कृषि में पानी की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा वर्षा की अनिश्चितता का भय भी समाप्त होगा। इसलिए देश में सिंचाई के साधनों का विकास होना अति आवश्यक है।

सिंचाई के साधन :—सिंचाई के प्रमुख साधन तीन हैं—(१) कुएँ (२) तालाब एवं (३) नहरें। अब हम प्रत्येक के विषय में विस्तार से देखेंगे।

(१) कुएँ :—सिंचाई के दृष्टिकोण से कुएँ दो प्रकार के होते हैं। (१) कच्चे कुएँ एवं (२) पक्के कुएँ।

भारतवर्ष में कच्चे कुएँ बहुत अधिक मिलते हैं परन्तु इनका प्रयोग गंगा, यमुना के बेसिन में, मध्य प्रान्त, राजस्थान और बिहार में अधिक होता है।

क्योंकि पक्के कुओं के निर्माण में धन का व्यय अधिक होता है। इसलिए अधिकतर गांवों में कच्चे कुएँ ही मिलते हैं परन्तु अब सरकार ने ट्यूब वेल बनवाने शुरू कर दिये हैं जो कि विजली की सहायता से पानी फेंकते हैं। 'अधिक धन उत्राओ' आन्दोलन में प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने ट्यूब वेल के विकास पर जोर दिया है। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ट्यूब वेल हैं जिनकी संख्या ४,७०० है। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसके विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था। सरकार भविष्य में भी इसके विकास के लिए योजनाएँ बना रही है।

(२) तालाब — दक्षिणी भारत में सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। तालाबों में पानी वर्षा ऋतु में भर जाता है और इसका प्रयोग अन्य ऋतुओं में सिंचाई के लिए किया जाता है। परन्तु गर्मियों में अविनाश में तालाब सूख जाते हैं। सबसे अधिक तालाब मद्रास प्रान्त में पाये जाते हैं। वैसे भानाबों का प्रयोग दक्षिणी राजस्थान, मध्य भारत, मैसूर, मद्रास, उदयपुर राज्य में भी होता है। तालाबों के द्वारा लगभग ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है।

(३) नहरें :— भारत में नहरों द्वारा सिंचाई का ढग भी प्राचीन है। नहर दो प्रकार की होती है — (१) सदा बहने वाली तथा (२) बरसाती नहरें। सदा बहने वाली नहरों के नहरों हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। ऐसी नहरें उत्तर प्रदेश सिन्ध एवं पंजाब में अधिक हैं और इन नहरों के द्वारा लगभग ५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। दूसरी बरसाती नहरों के नहरों हैं जिनमें या तो बाढ़ का या बरसात का पानी बहता है और शेष महीनों में वे सूख जाती हैं। इस प्रकार इन नहरों से वर्ष भर सिंचाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की नहरें दक्षिणी पठार एवं मध्य प्रान्त में पाई जाती हैं। भारतीय नहरों में कुल ८० करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी लगी हुई है। भारतीय सरकार देश में नहरों के विकास पर अधिक महत्त्व दे रही है और आशा है कि भविष्य में नहरों के विकास हो जाने पर भारत में सिंचाई की समस्या हल हो जायेगी तथा कृषि उत्पादन में अधिक सहायता मिलेगी।

प्रश्न ७५—भारत में विभिन्न यातायात के साधनों का वर्णन कीजियेगा।

(Describe the various means of transport in India.)

उत्तर :—

भारत में व्यापार दो प्रकार से होता है । (१) आन्तरिक व्यापार तथा (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । इस कारण से दोनों ही प्रकार के व्यापारों के विकास के लिए सभी प्रकार के यातायात के साधनों का विकास होना आवश्यक है । आजकल भारत में निम्नलिखित यातायात के साधन प्रयोग में आते हैं :—

(१) रेल मार्ग (२) सड़कें (३) जलमार्ग । (४) वायुमार्ग । अब हम प्रत्येक के विषय में विस्तार से वर्णन करेंगे ।

रेल मार्ग :—भारत में सबसे पहले रेल १८५३ में बिछाई गई । इनकी शुरुआत कलकत्ता तथा बम्बई के बदरगाहों से हुई । सन् १९१५ तक लगभग रेलों सारे देश में फैल गईं और आज हम देखते हैं कि देश में रेलों का जाल सा बिछा हुआ है । भारत की सबसे बड़ी रेल ईस्ट इन्डिया रेलवे है । अब इसका नाम बदल कर नौरदन रेलवे हो गया है । दूसरी लम्बी रेलवे ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला रेलवे है । इसका नाम भी बदल कर सेंट्रल रेलवे हो गया है । तीसरी मुख्य रेलवे बम्बई बड़ीदा एण्ड सेंट्रल रेलवे है जो दो प्रकार की है— (१) छोटी लाइन तथा (२) बड़ी लाइन । इस रेलवे का नाम भी बदल कर ईस्टर्न रेलवे हो गया है । इन रेलों के अतिरिक्त छोटी-छोटी रेलों का भारत में जान सा बिछा हुआ है ।

सड़कें :—भारत में सड़कें दो प्रकार की हैं । (१) कच्ची तथा (२) पक्की । प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार कच्ची सड़कों से होता था लेकिन आज पक्की सड़कों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । भारत में लगभग २ लाख ५० हजार मील लम्बी सड़कें हैं जिनमें ४०% पक्की है और शेष कच्ची है । पंचवर्षीय योजनाओं में पक्की सड़कों के निर्माण पर महत्व दिया जा रहा है । भारत की मुख्य पक्की सड़क गाँव ट्रंक रोड है । अन्य मुख्य सड़क ग्रेट डेक्कन रोड, बम्बई आगरा रोड और मद्रास बम्बई रोड आदि हैं । सरकार को पक्की सड़कों की मरम्मत तथा विस्तार के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिये ।

जलमार्ग :—प्राचीन समय से नदियों से भी व्यापार होता आया है । भारत में उत्तरी भाग की नदियाँ सदा बहने वाली होने के कारण व्यापार के योग्य हैं । इसलिए कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद का अधिकांश व्यापार प्रथम नदियों द्वारा होता है । वैसे हमारे देश में नदियों का व्यापारिक महत्व अधिक नहीं है । भारत में नदियों की कुल लम्बाई लगभग ४२००

भील है। सटीव व्यापार मे भी भारत ने कोई विशेष उन्नति नहीं की है क्योंकि विदेशी व्यापार सारा अंग्रेजों के द्वारा होता था और उसका शासन भी उन्हीं के हाथों में था। लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद भारत इस ओर प्रगति कर रहा है तथा जहाज के ठीक करने, बनाने आदि की शिक्षा का प्रबन्ध भारत में ही हो रहा है। अब भारतीय जहाज लगभग सभी देश के बन्दरगाहों को जाते हैं तथा भारत का लगभग ७०% विदेशी व्यापार इन्हीं बन्दरगाहों द्वारा होता है।

वायु मार्ग :— इस मार्ग का प्रयोग युद्ध काल से शुरू हुआ। युद्ध के बाद जहाज आयागमन के साधन बन गये। भारत में प्रमुख वायुमार्ग कम्पनी ताता एयरवेज है। जिसका नाम अब एयर इन्डिया कर दिया गया है। भारत की अन्य कम्पनियों में इन्डियन नेशनल एयरवेज, भारत एयरवेज डेकन एयरवेज, इन्डियन ओवरसीज, एयर लाइन्स, एयरवेज इन्डिया आदि मुख्य हैं। इन कम्पनियों के भारत में हवाई अड्डे फँसे हुए हैं इन कम्पनियों का कार्य यात्री का लाना ले जाना, डाक भेजना और व्यापार करना है। अब भारतीय सरकार वायुमार्ग के विकास की ओर प्रयत्नशील है।

देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार यातायात के सभी साधनों के विकास पर ध्यान दे। यातायात के साधनों के विकास में कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक सभी प्रकार की उन्नति होगी।

प्रश्न ७६—भारत में रेलों से (अ) दस्तकारी (आ) खेती तथा (इ) बड़े उद्योग धर्मों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(What are the economic effects of the Railways in India on (a) Indian handicrafts (b) Agriculture & (c) Long Scale Industries ?)

उत्तर :—

यातायात के साधनों के विकास का फल अच्छा ही होता है। लेकिन इससे हानि भी हो जाती है जबकि विकास बिना सोचे समझे किया जाता है। हमारे देश में रेलों का विकास अंग्रेजी व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था कि इसका भारतीय आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इस कारण से भारत में रेलों के विकास से अधिक लाभ नहीं हुआ। अब हम रेलों के विकास का भारतीय दस्तकारी, कृषि एवं बड़े उद्योग धर्मों पर प्रभाव विस्तार में देखेंगे।

रेल एवं दस्तकारी :—भारतीय दस्तकारी अपनी कला-कौशल एवं सुन्दरता के लिए विदेशों में प्रसिद्ध थी लेकिन इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद जब वस्तु मशीनों की सहायता से सस्ती बनने लगी तो वह भारत में भी घायी और उस समय की सरकार ने इनके बाजार को बढ़ाने के लिए जगह-जगह पर रेलें खुलवाईं जिसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी सस्ती वस्तुएँ बाजार में विक्राने लगीं तथा भारतीय दस्तकारी की स्पर्धा में पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलों के विकास में दस्तकारी की अधिक हानि हुई।

रेल एवं खेती :—रेल के विकास का प्रभाव खेती पर भी पड़ा। जब दस्तकारी समाप्त होने लगी तो व्यक्तियों ने खेती करना शुरू कर दिया। जिससे खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये तथा खेती की उन्नति में परेशानी हुई। हमारे जाने जाने की सुविधा हो जाने से गाव के श्रमिक शहरों में जाने लगे जिससे कृषि कार्य में श्रमिकों की कमी होने लगी। रेलों के विकास से भारतीय खेती स्थानीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गई लेकिन खेती का ढंग वही पुराना रहा। भारतीय कृषि में मशीनों का प्रयोग नहीं बढ़ा जिस कारण से विदेशों की तुलना में भारतीय कृषि अविक्सित दशा में ही रही है।

रेलों के विकास के साथ भारतीय कृषि को लाभ भी हुआ। रेलों के विकास के कारण ही भारत से जूट, कपास, तिलहन, चाय आदि वस्तुएँ विदेशों को जाने लगीं और जिनके बदले में भारत ने विदेशों से आवश्यक सामान खरीदा। रेलों के विकास के कारण ही कृषि में विशिष्टीकरण पैदा हुआ जैसे धान में जूट, आसाम में चाय, दक्षिणी भारत में कपास आदि। जिससे इनके उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। आजकल रेलों के द्वारा ही कृषि कार्य के लिए बीज, खाद, मशीनें आदि भेजी जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलों के विकास से खेती को जहां हानियां हुईं वहां लाभ भी हुए हैं।

रेल एवं उद्योग धंधे :—उद्योग धंधों को रेलों के विकास से अधिक लाभ हुआ है। रेलों की सहायता से ही औद्योगिक क्षेत्र में श्रम, कोयला एवं कच्चा माल पहुँचाया जाता है। इससे उनके विकास में बहुत सहायता मिली है। रेलों की सहायता से ही पक्का माल दूर दूर के बाजारों में भेजा जाता है जिससे उत्पत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

परन्तु हमारे देश में रेलों का विकास कुछ स्थानों पर केन्द्रित था जैसे बलकत्ता, बम्बई आदि। जिस कारण से ऐसे स्थानों पर अत्यधिक श्रम की समस्या पैदा हुई।

इस प्रकार उपलिखित विवरण से स्पष्ट है कि रेलों के विकास से भारत को लाभ व हानियाँ दोनों हुईं । हानियाँ केवल इस कारण से हुईं कि रेलों के विकास के पीछे अंग्रेजी शासन की स्वार्थ सिद्धि पूरी करने की इच्छा छिपी हुई थी । अब भारतीय सरकार रेलों का विकास देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कर रही है और आशा है कि रेलों के विकास से भारतीय कृषि एवं लघु एवं बड़े उद्योग धन्यों सभी को विकास का अवसर प्राप्त होगा ।

अध्याय ३६

व्यवस्था

प्रश्न ७७—‘व्यवस्था’ का अर्थ समझाइये तथा व्यवस्था के मुख्य कार्यों का वर्णन करिये । क्या व्यवस्थापक एक श्रमिक है ?

(Define ‘Organisation’ and explain the various functions of organiser. Is an organizer is equal to a Labourer ?)

उत्तर :—

“व्यवस्था का अर्थ” :—‘व्यवस्था’ उत्पत्ति के साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन है और यह कहना अनुचित न होगा कि आज के युग में उत्पादन की सफलता अधिकांश कुशल व्यवस्थापक पर निर्भर होती है । व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पत्ति के सभी साधनों को उचित मात्रा में एकत्रित करके उत्पादन कार्य को क्रियाशील करने का कार्य आता है । प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और यह तभी सम्भव है जबकि उत्पादन व्यय कम हो तथा उत्पादन भी अधिक मात्रा में हो रहा है । उसकी मांग भी बाजार में दिन प्रति दिन बढ़ रही हो । इसी कारण से व्यवस्थापक अपना ध्यान हमेशा इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर रखता है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति एवं श्रम विभाजन के कारण व्यवस्थापक के कार्य की महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है ।

व्यवस्थापक के मुख्य कार्य —उत्पत्ति कार्य में व्यवस्थापक का विशेष

महत्त्व है। उत्पादन कार्य की सफलता व्यवस्थापक की काय कुशलता पर ही निर्भर है। उत्पादन कार्य में व्यवस्थापक निम्न मुख्य कार्य करता है —

(१) उद्योग एवं स्थान का चुनाव :—किसी विशेष उद्योग एवं उस उद्योग के लिए किसी विशेष स्थान का चुनाव करना व्यवस्थापक का प्रमुख कार्य होता है। इस प्रकार के चुनाव के लिए व्यवस्थापक में अनुभव एवं दूरदर्शिता के गुणों का होना परम आवश्यक है क्योंकि यदि उद्योग एवं स्थान का चुनाव ही ठीक नहीं होगा तो फिर उद्योग की सफलता की कोई आशा नहीं रहती है। उद्योग के चुनाव में व्यवस्थापक इस ओर ध्यान देता है किस्त वस्तु के उत्पादन का देश एवं विदेश में बाजार है तथा उसके लिये सभी सुविधायें मिल सकती या नहीं और वस्तु टिकाऊ है या नहीं। क्योंकि यदि माग कम हो जाय तो वस्तु का stock किया जा सकता है या नहीं। इन सब बातों का ध्यान व्यवस्थापक किसी विशेष उद्योग के छाटन में रखता है। इसी प्रकार स्थान के चुनाव के प्रश्न पर बहु जनवायु कच्चे माल की प्राप्ति, श्रमिकों की सुविधा, बाजार की समीपता, यातायात एवं सवाहवाहन की सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर स्थान का चुनाव करता है।

- व्यवस्थापक के कार्य -
- १ उद्योग एवं स्थान का चुनाव।
 - २ उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना।
 - ३ प्रतिस्थान के नियम का पालन।
 - ४ अनुसन्धान की व्यवस्था।
 - ५ विज्ञापन की व्यवस्था।
 - ६ बाजार की व्यवस्था।

इस प्रकार व्यवस्थापक का उद्योग एवं स्थान के चुनाव करने का कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

(२) उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की व्यवस्था करना —व्यवस्थापक का कार्य उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उनको उचित अनुपात में उत्पादन कार्य में लगाना है। उद्योग के लिये उचित भूमि का प्रबन्ध करना, कच्चे माल को खरीदना, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था करना, उचित ध्याज पर पूजीपतियों से पूजी उधार लेना, उद्योग से सम्बन्धित यन्त्रों को खरीदना, शक्ति के साधनों की व्यवस्था करना साहसी का उपादन में रुचि पैदा करना आदि अनेक सभी कार्य अनेक

व्यवस्थापक को करने पड़ते हैं। व्यवस्थापक को श्रमिकों की व्यवस्था करने बड़ी योग्यता से कार्य करना पड़ता है। वह उनको उनकी योग्यता एवं कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करने को देता है तथा श्रम विभाजन के सिद्धांत का वह पूर्ण रूप से पालन करता है। इस प्रकार व्यवस्थापक का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की व्यवस्था करने का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है।

(३) उत्पादन कार्य में प्रतिस्थापन के नियम का पालन करना — व्यवस्थापक का यह भी कार्य होता है कि वह उत्पादन कार्य में प्रतिस्थापन के नियम का अच्छी तरह से पालन करे जिससे वस्तु का उत्पादन व्यय कम हो तथा उत्पादन में समय भी कम लगे और अच्छी किस्म का उत्पादन हो सके। इसके लिये वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधन की सीमान्त इकाई की उत्पादनशीलता की तुलना करता है। यदि श्रम की सीमान्त इकाई की उत्पादनशीलता पूँजी की सीमान्त इकाई से कम है तो व्यवस्थापक यह प्रयत्न करेगा कि कुछ श्रमिकों के स्थान पर उत्पादन कार्य में नई मशीनों का प्रयोग हो जिससे व्यय तथा समय की बचत हो सकेगी। इस प्रकार एक उत्पादन के साधन का दूसरे उत्पादन के साधनों से प्रतिस्थापन सम्भव है। व्यवस्थापक का उद्देश्य इस नियम के पालन करने में यह होता है कि कुल उत्पादनशीलता अधिकतम है तथा कुशल व्यवस्थापक ही इस नियम तथा उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो पाते हैं।

(४) उत्पादन कार्य में अनुसन्धान की व्यवस्था करना — व्यवस्थापक को उत्पादन कार्य में अनुसन्धान की भी व्यवस्था करनी होती है जिससे वस्तु विशेष का आकार, गुण आदि में यथायोग्य परिवर्तन किये जा सकें। उपभोक्ताओं की माँग उस वस्तु के लिए बढ़ सकें। व्यवस्थापक को समय के फैशन, रचि आदि पर विशेष ध्यान देना होता है। उसी के अनुसार उत्पादन कार्य करता है अन्यथा वह इस प्रतियोगिता के काल में अपनी वस्तु के उत्पादन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि पड़ो के उत्पादक डिजाइन के लिए अपने-अपने कारखानों में एक अनुसन्धान शाला रखते हैं जिससे वह बाजार में अनन्य प्रकार का सामान भेज सकें।

(५) वस्तु की अधिक माँग के लिए विज्ञापन की व्यवस्था करना — आज उत्पादन व्यवस्था में विज्ञापन की व्यवस्था करना भी अत्यन्त आवश्यक है। विज्ञापन के द्वारा ही उपभोक्ता को वस्तु विशेष का ज्ञान कराया जाता है

तथा उसे खरीदने के लिए उत्साहित किया जाता है। इसलिए व्यवस्थापक को विज्ञापन कला में भी कुशल होना चाहिये। उसे विज्ञापन के विभिन्न साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिये। विज्ञापन के विभिन्न साधनों में रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, एजेंट आदि साधन आते हैं। यह देखा जाता है कि वास्तविक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का बाजार केवल विज्ञापन के माध्यम पर ही स्थापित हो जाता है। जैसे स्याही, दवाईयाँ, साबुन, सिगरेट आदि। इस कारण विज्ञापन पर उचित ध्यान देना भी व्यवस्थापक का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है।

(६) वस्तु की बिक्री के लिए बाजार की व्यवस्था करना :— व्यवस्थापक का कार्य केवल वस्तु के उत्पादन करने तक ही सीमित नहीं रह जाना बरन उसका यह भी कार्य होता है कि वह वस्तु की बिक्री के लिए बाजार की व्यवस्था भी करे। वास्तव में व्यवस्थापक वस्तु का उत्पादन, उस वस्तु की मनुमानित भाग के आधार पर करता है। वह यह भी सोच कर चलता है कि वस्तु को कहां बेचा जायेगा फिर भी वह हमेशा नये बाजार की खोज में रहता जिससे उस वस्तु की खपत अधिक से अधिक हो सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवस्थापक को उत्पादन के साथ-साथ बाजार की भी व्यवस्था करनी होती है।

क्या व्यवस्थापक एक श्रमिक है ? — अब यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यवस्थापक एक श्रमिक है ? कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि व्यवस्थापक भी एक श्रमिक की भाँति अपना श्रम बेचता है। इस कारण से उसे एक श्रमिक ही समझना चाहिये। लेकिन जब हम उसके अनेक कार्यों का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान होता है कि उसका कार्य एक साधारण श्रमिक से भिन्न होता है तथा उसके ऊपर उत्पादन एवं बिक्री का सारा भार होता है। उत्पादन की सफलता और असफलता उसी की कुशलता पर निर्भर है। ऐसी वशा में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि व्यवस्थापक को उत्पत्ति का एक पृथक साधन मानना ही उचित होगा।

श्रम विभाजन

प्रश्न ७८—श्रम विभाजन क्या है ? इसके लाभों तथा हानियों की विवेचना कीजिये ।

(What is Division of Labour ? Discuss its advantages and disadvantages)

उत्तर :—

श्रम विभाजन का अर्थ —

प्रादि काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुओं को स्वयं उत्पन्न करता था । बाद में ज्ञान और सम्यता की वृद्धि के साथ मनुष्यों की आवश्यकताएँ और अधिक बढ़ गईं और यह असम्भव हो गया है कि एक व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यक वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न कर सके । अब यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक व्यक्ति वही वस्तु उत्पन्न करे जिसे उत्पन्न करने में वह विशेष निपुण है । इस प्रकार कोई लुहार बना कोई बढई, कोई कृषक इत्यादि इत्यादि । बाद में मनुष्य ने यह सोचा कि एक कार्य से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओं को यदि अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा किया जाय तो उत्पादन और अधिक और कम लागत पर हो सकता है । काम को इस प्रकार बाँट कर करने की क्रिया को ही श्रम विभाजन कहते हैं । अतः किसी एक कार्य को कई भागों अथवा उपविभागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग अथवा उपविभाग का अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार किये जाने की क्रिया को अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन कहते हैं ।

श्रम विभाजन के प्रकार (Kinds of Division of Labour) —

- (१) पेशेवर श्रम विभाजन (Occupational Division of Labour)
- (२) पूर्ण क्रिया श्रम विभाजन (Division of Labour into complete processes)
- (३) अपूर्ण क्रिया श्रम विभाजन (Division of Labour into incomplete processes)

(४) प्रादेशिक धम विभाजन (*Territorial Division of Labour*)

(१) पेशेवर धम विभाजन — इस प्रकार के धम विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति सब कार्यों के करने के बजाय अपनी रुचि, योग्यता, गुणविधा और परिस्थिति के अनुसार किसी एक व्यवसाय को चुन लेता है। जैसे कोई खेती करता है, कोई उढ़ई है, कोई मोची है तो कोई अध्यापक का काम करता है। भारत में वर्ग व्यवस्था इसी प्रकार के धम विभाजन का रूप था।

(२) पूर्ण क्रिया धम विभाजन — इसके अन्तर्गत एक पेशे को कई विभागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग पृथक व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति समूह एक कार्य के एक भाग को करता है, जो कि स्वतः एक पूर्ण क्रिया होती है। जैसे कपड़ा बुनने का काम सब कई व्यक्ति करते हैं। किसान कपास उगाता है, एक व्यक्ति कपास शोटता है, दूसरा उसे धुनता है, तीसरा रई कातता है और चौथा कपड़ा बुनता है।

(३) अपूर्ण क्रिया धम विभाजन — इसके अन्तर्गत एक पूर्ण क्रिया को कई छोटी २ अपूर्ण क्रियाओं में बांट दिया जाता है। मशीनों के प्रयोग से इस प्रकार का धम विभाजन बहुत ही सूक्ष्म हो गया है। प्रत्येक उप क्रिया अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की जाती है। अमेरिका में जूतों के कारखानों में जूते बनाने का काम कोई ८० उप क्रियाओं में विभाजित है।

(४) प्रादेशिक धम विभाजन — कुछ प्रदेश कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियों-वश किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिये उपयुक्त होते हैं। यहाँ केवल वही वस्तु उत्पन्न की जाती है जैसे आसाम में चाय, बंगाल में जूट, यू० पी० और बिहार में गन्ना। इसको प्रादेशिक धम विभाजन या उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं।

धम-विभाजन से लाभ (Advantages of Division of Labour) —

(१) योग्यतानुसार काम मिलना — प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य दिया जा सकता है। जो कार्य अधिक शारीरिक परिश्रम चाहते हैं उन्हें बलिष्ठ व्यक्तियों को देते हैं, जो काम मानसिक शक्ति का प्रयोग चाहते हैं उन्हें बुद्धिमान व्यक्तियों को दिया जाता है। योग्यतानुसार कार्य मिलने पर, हर व्यक्ति अपना काम जी लगा कर करता है।

(२) निपुणता पर वृद्धि :— निरन्तर एक कार्य के किसी उपविभाग

को करते २ एक समय पश्चात् श्रमिक अपने काम में विशेष बख्तर प्राप्त कर लेता है उसे उम्र काय के करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

श्रम विभाजन से

लाभ —

- १ योग्यतानुसार काय मिलना।
- २ निपुणता में वृद्धि।
- ३ मशीनों का अधिक उपयोग।
- ४ शारीरिक श्रम में कमी।
- ५ आविष्कारों की संख्या में वृद्धि।
- ६ समय की बचत।
- ७ पूँजी की बचत।
- ८ वस्तु की किस्म में सुधार।
- ९ काय सीराने के समय में बचत।
- १० धर्मों का अद मिटाना व गतिशीलता में वृद्धि।
- ११ स्त्री बच्चों का काय।
- १२ उत्पत्ति में वृद्धि।
- १३ लागत में कमी।
- १४ श्रमिकों में सहयोग की भावना।

(३) मशीनों का अधिक उपयोग — एक कार्य को बहुत सी छोटी छोटी क्रियाओं में बाँटने से मशीनों का प्रयोग सम्भव हो जाता है। हो सकता है कि पूरे काम को एक मशीन न कर सके परन्तु उसके कुछ भागों को मशीनों द्वारा किया जा सकता है।

(४) शारीरिक श्रम में कमी — श्रम विभाजन ने मशीनों का प्रयोग सम्भव बना दिया है। मशीनें भारी कामों को पूरा कर देती हैं इस प्रकार श्रमिक को बहुत ही कम शारीरिक श्रम करना पड़ता है।

(५) आविष्कारों की संख्या में वृद्धि — जब श्रमिक सदैव एक ही मशीन पर काम करता है तो उस उसकी सूक्ष्म रूप से निरन्तर देखने का अवसर मिलता है। वह उसका उन्नत बनाने का प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार आविष्कारों की संख्या में वृद्धि होती है।

(६) समय की बचत — श्रम विभाजन में एक श्रमिक एक ही काम में लगा रहता है। अतः उसे एक जगह

में दूसरी आन जाने या औजारों को बदलने इत्यादि में समय नष्ट नहीं करना पड़ता। अतः समय की बचत हो जाती है।

(७) पूँजी की बचत — जब एक व्यक्ति स्वयं ही पूरे काम को करता है तो वह एक या दो औजारों को ही एक समय में प्रयोग करता है बाकी औजार बेकार रक्ते रहते हैं। परन्तु यदि कई व्यक्ति मिलकर उस काय को

कर तो सारे औजार एक साथ प्रयोग में आ सकते हैं वे एक जोड़ी औजारों से भी काम कर सकते हैं इस प्रकार औजारों की आवश्यकता कम होती है और औजारों का पूर्ण उपयोग भी हो जाता है।

(८) वस्तु की किस्म में सुधार —जब एक वस्तु के विभिन्न भाग विविध प्रकार की मशीनों और निपुण कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं तो निश्चित ही उत्पादित वस्तु होती है।

(९) काम सीखने के समय में बचत —श्रम विभाजन के अन्तगत श्रमिक पूरे काम को न करके काय के एक भाग को करता है। इसलिये उस उत्पत्ति के काम का केवल एक भाग ही सीखना पड़ता है अतः काम सीखने के समय में और व्यय में बचत हो जाती है।

(१०) धर्मों का भेद मिटना और गतिशीलता में वृद्धि —जब उत्पत्ति को बहुत सी सूक्ष्म क्रियाओं में बाँट दिया जाता है तो प्रत्येक व्यवसाय की कुछ क्रियाएँ एक ही हो जाती हैं। अतः श्रमिक को एक पेशे को छोड़ कर दूसरे पेशे को अपना लेना सरल हो जाता है। इस प्रकार श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है।

(११) स्त्री बच्चों आदि को काम —श्रम विभाजन में एक काय का कितनी ही उपक्रियाओं में बाँट दिया जाता है। कठिन और भारी कामों को तो पुरुष कर लेते हैं और हल्का काम श्रमिका की स्त्रियों और बच्चों को देते हैं।

(१२) उत्पत्ति में वृद्धि —श्रम विभाग द्वारा मशीनों के प्रयोग तथा प्रत्येक मजदूर को अपनी योग्यतानुसार काम मिलान से कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।

(१३) लागत में कमी —श्रम विभाजन के कारण थोड़ी पूँजी के पूर्ण उपयोग से कम समय में बहुत अधिक उत्पादन होता है। अतः प्रति व्यक्ति लागत कम हो जाती है।

(१४) श्रमिकों में सहयोग की भावना —श्रम विभाग बिना सहयोग के नहीं हो सकता। एक काम को बहुत से मजदूर एक जगह मिलकर करते हैं। उनमें सहयोग व भाई-चारे की भावना पैदा होती है। वे मजदूर संघ (Trade Union) बना लेते हैं और सामूहिक रूप से अपनी दशा सुधारने के लिये प्रयत्न करते हैं।

श्रम विभाजन की हानियाँ (Disadvantages of Division of Labour) —

(१) नीरसता तथा अरुचि :—निम्नतर एक ही कार्य को करते रहने से श्रमिक का काम से मन ऊब जाता है, उसकी उसम को रूचि नहीं रहती है। श्रमिक एक महीने के समान हो जाता है।

(२) बुद्धि का सकुचित विकास —एक व्यक्ति जो अपने मा-जीवन कात्र म बुद्ध साथे साद काम ही करना रहता है, उसको अपनी बुद्धि पर जोर डालने भी आवश्यकता नहीं पडती। वह और कोई काम नहीं सीख सकता, इसलिये उसकी बुद्धि का विकास सकुचित ही रह जाता है।

(३) उत्तरदायित्व का ह्रास - बहुत से श्रमिक मिलकर एक वस्तु का निर्माण करते हैं। यदि वस्तु खराब हो जाय तो यह निर्णय करना कठिन ही जाता है कि काय किसके कारण खराब हुआ है।

(४) स्त्री व बच्चों से काम लेना —श्रम विभाजन के कारण ही कारखानों में स्त्रियों और बच्चों को काम मिलता है। कारखानों में काम करने से उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। देश की भारी सतान दुर्जन हो जाती है।

(५) बेरोजगारी का भय व गतिशीलता में कमी —जो श्रमिक केवल एक ही काम को जानता है। वह उस काम से अलग हो जाने पर अन्य किसी कार्य को नहीं कर सकता। अतः श्रमिकों को बेरोजगारी का भय लगता है। इसी कारण उसकी गतिशीलता भी कम हो जाती है।

(६) श्रमिकों और मिल मालिकों में सम्पर्क कम —श्रम विभाजन के कारण हजारों व्यक्ति एक जगह काम करते हैं। उनमें और मानिक में व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहता। इसके कारण हठता और तानेबंदी प्रायः ही जाया करती है।

(७) औद्योगिक नगरों की हानियाँ —श्रम विभाजन के फलस्वरूप उत्पात्ति का पैमाना बड़ा हो जाता है, हजारों की संख्या में मजदूर शहरों में आकर रहे जाते हैं। जब इन स्थानों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो मजदूरों

श्रम विभाजन से हानियाँ —

- १ नीरसता तथा अरुचि।
- २ बुद्धि या सकुचित-विकास।
- ३ उत्तरदायित्व का ह्रास।
- ४ स्त्री व बच्चों से कार्य लेना।
- ५ बेरोजगारी का भय।
- ६ श्रमिकों व मिल मालिकों में कम सम्पर्क।
- ७ औद्योगिक नगरों की हानियाँ

की रहने के लिये साफ, व हवादार मकान व मनोरंजन की सुविधायें आदि नहीं मिल पातीं। चिमनियों के धुये उनके स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। मत्त मजदूरों की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है।



प्रश्न ७६—श्रम विभाजन के लाभ हानियों का विवेचन कीजिए। इसकी क्या सीमायें हैं ?

(Discuss the advantages and disadvantages of division of Labour. What are its limitation ?)

उत्तर :—

प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न ७८ का उत्तर पढ़िये।

श्रम विभाग की सीमायें (Limitations of Division of Labour)

प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम विभाजन की दो निम्न सीमायें हैं —

(१) **बाजार का विस्तार (Extent of the market)** :—जिस वस्तु का बाजार विस्तृत होता है अर्थात् जिस वस्तु की मांग अधिक होगी, उसी वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और उसी वस्तु की उत्पत्ति में श्रम-विभाजन काम आ सकता है। जितना अधिक बाजार का विस्तार बढ़ता जाता है उतना ही अधिक और सूक्ष्म श्रम-विभाजन किया जा सकता है। सकुचित बाजार वाली वस्तुओं के निर्माण में श्रम विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता जैसे गाव के बढई का काम।

(२) **व्यवसाय का स्वभाव (Nature of occupation)** :—श्रम विभाजन की मात्रा व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर करती है। श्रम विभाग उन व्यवसायों में सम्भव है जहाँ समस्त क्रियायें व उप-क्रियायें साथ-साथ चल सकती हैं। जूते बनाने के कारखाने में सब उप-क्रियायें साथ-साथ चल सकती हैं, परन्तु लेखक व न्यायाधीश के कार्य का विभाजन नहीं हो सकता। इसी प्रकार खेती में हल चलाने के पश्चात् ही बीज बोते हैं। यह दोनों क्रियायें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं।

उद्योग धन्धों का स्थानीयकरण

प्रश्न ८०— उद्योगों के स्थानीयकरण से क्या अर्थ है ? इसके कारणों, लाभों तथा हानियों का वर्णन कीजिये ।

(What is meant by Localisation of Industries ? Discuss its causes, advantages and disadvantages)

उत्तर :—

स्थानीयकरण का अर्थ :— किसी स्थान विशेष में कुछ विशय सुविधाओं के कारण किसी उद्योग के सब कारखाने या भिन्न-भिन्न उद्योगों के एकत्रित हो जाने की प्रवृत्ति को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते हैं, जैसे बम्बई में सूती वस्त्र व्यवसाय, यू० पी० व विहार में चीनी व्यवसाय, कलकत्ता में जूट व्यवसाय, अखीनछ में ताले, मेरठ में कंची, चाकू व खुर्जा में चीनी मिट्टी के घर्तन बनाने के व्यवसाय केन्द्रित हैं । उद्योगों के स्थानीयकरण को भौगोलिक श्रम विभाजन भी कहते हैं । क्योंकि जिस प्रकार श्रम विभाग में कुछ मनुष्य किसी विशेष व्यवसाय या उसके किसी भाग को करने जाने हा जाते हैं उसी प्रकार कुछ स्थान किसी व्यवसाय के मुख्य उत्पादन केन्द्र बन जाते हैं ।

स्थानीयकरण के कारण
(Causes of Localisation) :—

(१) कच्चे माल का मिलना
(Availability of Raw Materials)— उद्योगों के स्थानीयकरण में यह एक महत्वपूर्ण कारण है । जहा जिस उद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल पाया जाता है, वे उद्योग उसी स्थान पर खुलने लगते हैं । इससे उनके याता-यात व्यय में कमी हो जाती है और अच्छी किस्म का माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है । बंगाल में जूट के, बम्बई में मूत के और उत्तर प्रदेश व विहार में चीनी के कारखाने इसी कारण केन्द्रित हैं ।

स्थानीयकरण के
कारण —

१. कच्चे माल की प्राप्ति ।
२. शक्ति की प्राप्ति ।
३. जलवायु ।
४. कुशल श्रमिकों की प्राप्ति ।
५. बाजार की निकटता ।
६. यातायात की सुविधा ।
७. उद्योग का पूर्वारम्भ ।
८. राजनैतिक कारण ।
९. अन्य कारण ।

(२) शक्ति का मिलना (Availability of Power).— कारखानों को चलाने के लिये शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः जहाँ शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं उद्योग घरे वहीं खुलने लगते हैं। टाटानगर का लोहे का कारखाना कोयले की खानों के पास केन्द्रित है। इसी प्रकार सूती मिलों का बम्बई प्रदेश में केन्द्रियकरण, जल विद्युत की उपलब्धता के कारण भी है।

(३) जलवायु (Climate) :—कुछ उद्योग ऐसे हैं जो विशेष प्रकार की जलवायु चाहते हैं। उदाहरणार्थ कपड़ा व्यवसाय के लिये नम जलवायु चाहिये, ऊन वस्त्र व्यवसाय के लिये सूखी जलवायु चाहिए। इसीलिये सूती वस्त्र व्यवसाय नम जलवायु के कारण बम्बई में और ऊन व्यवसाय सूखी जलवायु के कारण पंजाब में केन्द्रित है।

(४) कुशल श्रमिकों का मिलना (Availability of skilled Labour) :—जिस स्थान पर किसी उद्योग के लिये आवश्यक कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, वह उद्योग वहीं केन्द्रित हो जाता है। फिरोजाबाद में काँच का उद्योग व खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग इसी कारण केन्द्रित हैं।

(५) बाजार की निकटता (Nearness to Market) :—उत्पादन बाजार के लिये किया जाता है। यदि वस्तु का बाजार दूर है तो यातायात व्यय बहुत हो जायेगा और वस्तु की लागत बढ़ जायेगी। बाजार दूर होने पर उत्पादनकर्ता उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव व फंशन का अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं। अतः उद्योग बाजारों के निकट ही खुलने लगते हैं। कामपुर, मोदीनगर, दिल्ली में सूती मिल खुलने का यही कारण है।

(६) यातायात की सुविधायें (Transportation facilities) :—बाजारों की दूरी की समस्या यातायात द्वारा हल की जा सकती है। यातायात सस्ती व पर्याप्त मिलने पर कच्चा माल मगाने और तैयार माल बाजारों में भेजन में काफी बचत हो जाती है। इसी कारण समस्त औद्योगिक केन्द्र यातायात के भी प्रमुख केन्द्र हैं जैसे बम्बई, कानपुर, दिल्ली, भलकता आदि।

(७) उद्योग का पूर्वारम्भ (Momentum of early Part) :—कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी स्थान पर सयोग्यवश ही कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। कालान्तर में वहाँ उस उद्योग सम्बन्धी इतनी सुविधायें एकत्रित हो जाती हैं कि नये साहसी भी अपने कारखानों को वही खोलने लगते हैं।

(८) राजनैतिक कारण (Political factor) — जिन स्थानों में राजा या सरकार द्वारा किसी उद्योग तथा कला को संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है, वहाँ उस उद्योग का स्थानीयकरण स्वाभाविक है।

(९) इनके प्रतिरिक्त सस्ती भूमि, साफ पानी का मिलना, बैंकों व बीमा कम्पनियों का होना आदि भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं।

स्थानीयकरण के लाभ (Advantages of Localisation) :—

उद्योगों के स्थानीयकरण के निम्न मुख्य लाभ हैं :—

स्थानीयकरण से लाभ :—

१. कुशलता की वृद्धि।
२. कुशल श्रमिकों का वाजार।
३. स्थानि।
४. अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग।
५. पूरक उद्योगों का-विकास।
६. व्यापारिक यन्त्रों का विकास।
७. साहसियों में सहयोग।

हानियाँ :—

१. निपुणता का सीमित विकास।
२. आर्थिक संकट का भय।
३. युद्ध कालीन भय।
४. औद्योगिक केन्द्रों के दोष।

(१) कुशलता की वृद्धि :—

स्थानीयकरण होने से उस स्थान के श्रमिक उस धंधे में निपुण हो जाते हैं क्योंकि उनकी बार बार एक ही काम करना पड़ता है। एक बार कुशलता प्राप्त कर लेने से वह पतृक हो जाती है और पिता से पुत्र को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है।

(२) कुशल श्रमिकों का

वाजार :—स्थानीयकरण होने से वहाँ के श्रमिकों की उस व्यवस्था विशेष में कार्यकुशलता बढ़ जाती है। अब यदि कोई नया साहसी किसी अन्य स्थान पर उस व्यवसाय को स्थापित करना चाहे तो वह आवश्यक श्रमिक मजदूरों को ऐसे स्थानों से ही पूरा करेगा। कौच के सामान का कारखाना अन्यत्र खोलने के लिये, साहसी को फिरोजाबाद से श्रमिक बुनाने पड़ेंगे।

(३) स्थापति — एक स्थान पर किसी धंधे के स्थानीयकरण हो जाने से वह स्थान उन वस्तु के लिये प्रसिद्ध हो जाता है। वहाँ की बनी हुई वस्तुओं

केवल उस स्थान के नाम से ही बिक जाती है जैसे मेरठ की कैंबिया, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ आदि ।

(४) अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग :—प्रत्येक उद्योग में मुख्य वस्तु बनाने में कुछ निरर्थक पदार्थ (waste product) बच रहता है । यदि कारखाने अलग २ स्थानों पर हो तो इसको यों ही फेंक दिया जाता है । क्योंकि बेकार पदार्थ की मात्रा कम होने के कारण उसका कोई आर्थिक उपयोग नहीं हो सकता । परन्तु बहुत से कारखाने एक ही स्थान पर होने से निरर्थक पदार्थ का सामूहिक उपयोग करने के लिये एक कारखाना स्थापित किया जा सकता है । जैसे चीनी मिलों के पास शीरे से शराब व अल्कोहल बनाने के कारखाने लोहे के कारखाने के पास सीमेंट बनाने के कारखाने आदि ।

(५) पूरक उद्योगों का विकास —जिन स्थानों पर उद्योगों का स्थानीयकरण हो जाता है वहाँ कुछ ऐसे भी उद्योग खुल जाते हैं । जिनमें श्रमिकों की स्त्री व बच्चों को काम मिल जाता है जिसे मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है ।

(६) व्यापारिक यन्त्रों का विकास —जहाँ उद्योग बन्वों का स्थानीयकरण हो जाता है वहाँ बैंक, बीमा कम्पनियाँ, डाकखाने, तारघर, टेलीफोन, यातायात, पूजा व बाजार आदि सुविधाओं की भी उन्नति हो जाती है ।

(७) साहसियों में सहयोग —जब एक ही स्थान पर एक वस्तु के बहुत से उत्पादनकर्ता होते हैं तो उनमें मिलजुल कर कार्य करने की भावना बलवती हो जाती है । वे सामूहिक विज्ञापन करते हैं अपना संध बनाकर सामूहिक रूप से कच्चा माल खरीदते हैं, व तैयार माल बेचते हैं, व वैज्ञानिक बोध व अनुसंधान कराते हैं । अलग-अलग रह कर, उत्पादनकर्ताओं को ये लाभ प्राप्त नहीं हो सकते ।

स्थानीयकरण की हानियाँ (Disadvantages of Localisation)

(१) निपुणता का सीमित विकास :—स्थानीयकरण के फलस्वरूप श्रमिकों की कुशलता केवल एक ही व्यवसाय तक सीमित रह जाती है । वे अन्य कार्यों से अपरिचित रहते हैं । इसलिये वे किसी दूसरे स्थान या उद्योग षधों में कार्य करने के अयोग्य होते हैं ।

(२) आर्थिक संकट का भय :—स्थानीयकरण हो जाने से, उस स्थान के श्रमिक केवल एक ही उद्योग पर निर्भर रहते हैं । यदि वह उद्योग

सकट में पड़ जाये तो वहाँ के निवासियों को बड़ा आर्थिक मकड़ भोगना पड़ता है। माँग कम हो जाने पर या कच्चा माल न मिलने आदि पर कारखाने बन्द होने लगते हैं, मजदूर बेकार हो जाते हैं और उन्हें दूसरा काम नहीं मिल पाता।

(३) युद्ध कालीन भय — युद्धकाल में शत्रु सदा ही यह प्रयत्न करता है कि वह देश के उद्योगों को नष्ट करदे। इसलिये वह औद्योगिक केन्द्रों पर हमला कर उनको नष्ट कर देता है। यदि उद्योग से सम्बन्धित कारखाने समस्त देशों में फैले हों तो एक दो कारखानों के नष्ट होने से देश को कोई विशेष हानि नहीं होती।

(४) औद्योगिक केन्द्रों के दोष : — उन स्थानों में जहाँ बहुत से उद्योग केन्द्रित हो जाते हैं, अनेकों आर्थिक, सामाजिक व भौतिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आवादी अधिक हो जाने के कारण, मजदूरों को न रहने के लिये साफ व हवादार मकान ही मिल पाते हैं, और न खेलने के लिये खुले मैदान, पार्क, आदि। कारखानों का शोर गुल व धुआँ बड़ा ही हानिप्रद प्रभाव करता है। इसलिये मजदूरों का स्वास्थ्य गिर जाता है, उनमें शराब पीना, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना आदि की कुटेवें पड़ जाती हैं।

प्रश्न ८१—आधुनिक समय में उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के मुख्य कारण बताइये।

(Explain the factors which are responsible for decentralisation of industries in modern times)

उत्तर—

आधुनिक समय में स्थानीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। विकेन्द्रीयकरण का अर्थ अर्थशास्त्र में उद्योग घटो के एक स्थान पर एकत्रित न होने से बरन समस्त क्षेत्र त्रिखरे होने से है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो सके। अब हम यह देखेंगे कि आधुनिक युग में इस विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के मुख्य कारण क्या हैं ?

विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के मुख्य कारण — विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं —

(१) सुरक्षा की दृष्टि से विकेन्द्रीयकरण का पक्ष — ऐसा देखा गया है कि युद्धकाल में यदि किसी उद्योग के स्थानीयकरण के स्थान पर बम्ब बर्षा हो गई तो उत्पादन तथा देश की अर्थ व्यवस्था को काफी परेशानी

का सामना करना पड़ता है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए अब उद्योगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से विकेन्द्रीयकरण की नीति उचित है।

(२) सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का आर्थिक विकास :- देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए तथा देश में धन के समान वितरण के लिए भी विकेन्द्रीयकरण की नीति को प्रोत्साहन मिला है। इसी कारण से आज प्रत्येक देश की सरकार ने उद्योगों के क्षेत्रवर्ती वितरण (Regional Distribution of Industries) की नीति का पालन किया है, वास्तव में इस प्रकार की नीति से देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है तथा देश की गरीबी कम होती है।

विकेन्द्रीयकरण के कारण :-

- १ सुरक्षा।
२. आर्थिक विकास।
- ३ स्थानीयकरण के दोषों का अन्त।
- ४ स्थानीयकरण के स्थान पर नये उद्योगों की स्थापना में अधिक व्यय।
५. विद्युत शक्ति का विकास।
६. यातायात के साधनों का विकास।
- ७ बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएँ।

(३) स्थानीयकरण के दोषों से बचने के लिए :- विकेन्द्रीयकरण की नीति स्थानीयकरण के दोषों से बचने के लिए भी अपनाई गई है क्योंकि स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों को मकान, अच्छे वातावरण आदि का अभाव रहता था जिससे उनके स्वास्थ्य एवं नैतिक उन्नति का विकास नहीं हो पाता था। लेकिन विकेन्द्रीयकरण कर देने से श्रमिकों को यह सब सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। तथा वे अपना स्वास्थ्य एवं नैतिकता की उन्नति भी कर सकते हैं।

(४) स्थानीयकरण के स्थान पर नये उद्योग स्थापित करना और अधिक व्यय का कार्य :- ऐसा भी पाया गया है कि जिन स्थानों पर उद्योगों का स्थानीयकरण है वहाँ यदि कोई नया कारखाना खोला जाय तो कारखाने के स्थापित करने का व्यय अधिक होता है क्योंकि इन स्थानों पर भूमि के दाम बढ़ जाते हैं। वस्तुओं के दाम अधिक होने के कारण श्रमिक वेतन अधिक मागते हैं तथा स्थानीय सस्याओं के कर भी अधिक होते हैं। इस कारण से यदि वही कारखाना और किसी स्थान पर स्थापित किया जाय

तो स्थापित करने का व्यय कम होगा। इस विचारधारा के आधार पर भी विकेन्द्रीयकरण की नीति अपनाई जाती है।

(५) विद्युत शक्ति का विकास —स्थानीयकरण का प्रमुख कारण यह था कि उद्योग घरों को उन स्थानों पर स्थापित किया जाता था जहाँ पर कि शक्ति के साधन 'कोयला' आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि कोई कारखाना कोयला बाहर से मगाये तो यानायात व्यय अधिक होता था लेकिन अब विद्युत शक्ति के विकास के कारण यह समस्या नहीं रही है, विद्युत कम व्यय पर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाई जा सकती है और इसी कारण से विकेन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

(६) यातायात एवं सव्वादवाहनो के साधनो का विकास —प्राचीन समय में कोई उद्योग उस स्थान पर स्थापित होता था जहाँ कि यातायात एवं सव्वादवाहनो के साधन मौजूद हों जिससे कच्चा माल एवं उत्पादित वस्तु के नाने-लेजान में बाधा न हो लेकिन आज यह समस्या नहीं रही है। आज हर स्थान पर यातायात एवं सव्वादवाहनो के साधनो का विकास हो रहा है जिससे विकेन्द्रीयकरण की नीति को काफी सहयोग प्राप्त हुआ है।

(७) बैंकिंग एवं बीमा सम्बन्धी सुविधाओं का विकास :—आज के समय में बैंकिंग एवं बीमा सम्बन्धी सुविधायें देश के प्रत्येक क्षेत्र में फैल रही हैं जिससे उद्योगों को अधिक महायता मिलती है। इसी कारण से विकेन्द्रीयकरण की नीति अधिक सफल हो रही है।

इस प्रकार उपलिखित कारण से आज प्रत्येक देश की सरकार विकेन्द्रीयकरण की नीति का पालन कर रही है तथा स्थानीयकरण की प्राचीन प्रणाली को कम कर रही है।

अध्याय ३६

उत्पादन का पैमाना

प्रश्न ८२—बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ तथा हानियों को समझाइये। उत्पत्ति का पैमाना किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ?

(Explain the advantages and disadvantages of Large scale Production What are the limitations of the scale of Production ?)

उत्तर :—

किसी वस्तु की उत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है—(१) छोटी मात्रा में व (२) बड़ी मात्रा में। जब किसी व्यवसाय में उत्पत्ति के साधनों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जुटा कर उत्पत्ति की जाती है तब इसको छोटे पैमाने की उत्पत्ति कहते हैं। इसके विपरीत जब उत्पत्ति के साधनों को बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित करके उत्पत्ति की जाती है तब इसे बड़े पैमाने की उत्पत्ति कहते हैं। गाव का जुलाहा छोटे पैमाने की उत्पत्ति करता है क्योंकि उसको थोड़ी सी पूँजी, थोड़े से श्रमिक व अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक चीनी मिल में बड़े पैमाने की उत्पत्ति होती है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में भूमि, श्रम व पूँजी का प्रयोग करती है। करोड़ों रुपये विनियोग करके, हजारों श्रमिकों द्वारा, कुशल मैनेजरो के नियंत्रण में बड़ी पूरी जोखिम लेकर चीनी का उत्पादन किया जाता है।

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ (Advantages of Large-scale Production) —

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के फलस्वरूप प्रति इकाई वस्तु की लागत कम हो जाती है क्योंकि इस ढंग में उत्पादन करने वालों को निम्न दो प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं :—

- (१) बाह्य बचतें (External economies)
- (२) आंतरिक बचतें (Internal economies)

बाह्य बचतें (External economies) — बाह्य बचतें किसी उद्योग विशेष को ही नहीं बल्कि समस्त उद्योगों को समान रूप में प्राप्त होती हैं। औद्योगिक केंद्रों में यातायात व सड़कवाहन के साधनों के विकास, बीमा कम्पनी व बैंकों की स्थापना, विज्ञापन की सुविधायें व उद्योगों के स्थानीयकरण के अन्य लाभो आदि के कारण, उत्पादक व्यय में कुछ बचत हो जाती है। जो कि छोटे और बड़े सभी उत्पादकों को समान रूप में प्राप्त होती है। ये बचतें उद्योग के आंतरिक संगठन से सम्बन्धित न होने के कारण ही बाह्य बचतें कहलाती हैं।

आंतरिक बचतें (Internal Economies) — किसी उत्पादक इकाई को उसके आंतरिक संगठन की श्रेष्ठता के कारण जो बचतें होती हैं उन्हें

‘आंतरिक बचते’ कहते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादकों को छोटे उत्पादकों की अपक्षा अधिक आंतरिक बचत प्राप्त होती है। इन बचतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं —

- (१) प्रारम्भिक व्ययों में बचत।
- (२) निर्माण व्यय में बचत।
- (३) बिक्री व्यय में बचत।

(१) प्रारम्भिक व्ययों में बचत.—उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के लिए व्यवस्थापक को भूमि, कच्चा माल, यंत्र, औजार, इमारतें तथा ईंधन आदि की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने का उत्पादनकर्ता इन चीजों की बड़ी मात्रा में खरीदता है। अतः इन्हें थोक भावों पर प्राप्त किया जा सकता है। यातायात ऐजेंसियाँ भी बड़ी मात्रा में सामान ढोने के लिये किराये में छूट कर देती हैं।

(२) निर्माण व्यय में बचत :—

(i) इंजन व्यय की बचत —बड़े कारखानों में भारी-भारी मशीनों को चलाने के लिये चालक शक्ति की आवश्यकता होती है। जितनी ही अधिक शक्ति उत्पन्न की जाती है उतनी ही कम उसकी लागत पड़ती है क्योंकि बड़े इंजनों में ईंधन, स्थान व इंजीनियरों का व्यय अनुपात से कम बढ़ता है।

(ii) निर्माण शाला के व्ययों में बचत —बड़े पैमाने की उत्पत्ति में नई २ मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रति सूक्ष्म श्रम विभाजन करके उसके समस्त लाभों का उठाया जा सकता है, मशीनों की मरम्मत के लिये निज का वर्कशाप भी खोला जा सकता है जिससे मशीनों की मरम्मत में समय और धन दोनों की बचत हो जाती है।

(iii) अनुसंधान व सुधार आदि की सुविधा —बड़े उत्पादनकर्ता उत्पादन-विधियों में सुधार व नई २ मशीनों के आविष्कार हेतु अनुसंधान पर काफी पैसा व्यय कर सकते हैं। वे श्रेष्ठ मशीनों व आधुनिक उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग करके अपनी लागत कम कर लेते हैं।

(iv) अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग :—छोटे उत्पादक कारखाने के निरर्थक पदार्थ (Waste Products) को बहुधा फेंक देते हैं क्योंकि यह इतना थोड़ा होता है कि इसका कोई आर्थिक उपयोग (Economic use) नहीं हो सकता। परन्तु बड़े उत्पादक उसका उपयोग करके, बहुत बचत कर लेते हैं।

(१) **आफिस व्यय में बचत** :—जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में आफिस के क्लर्कों की सख्या व अन्य आवश्यक सामान की मात्रा नहीं बढ़ानी पडती । बहुत काम होने पर जोड़ने, घटाने व गुणा, भाग आदि करने के लिये मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है ।

(२) **वस्तु विक्रय में बचत** —

(i) **यातायात व्यय में बचत** :—बड़े पैमाने के उत्पादनकर्ता को बहुत बड़ी मात्रा में तैयार माल दूर-दूर तक मडियों में अपने ग्राहकों व ऐजेंटों को भेजना पडता है । अधिक सामान को यातायात कम्पनिया रियायती किरायों पर ले जाती हैं । उत्पादनकर्ता स्वयं भी यातायात की व्यवस्था अपने हाथ में लेकर, यातायात व्यय में बचत कर लेते हैं ।

(ii) **विज्ञापन व ऐजेंटों की नियुक्ति आदि के व्यय में बचत** :—बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अन्तर्गत प्रति वस्तु विज्ञापन लागत बहुत कम पडती है परन्तु छोटी उत्पत्ति में यह काफी अधिक होती है । बड़े उत्पादक अपने ऐजेंटों की नियुक्ति करके, बिना व्यय में बचत कर लेते हैं ।

(iii) **पैकिंग व्यय में बचत** —बड़ा उत्पादक अपना पृथक पैकिंग विभाग खोलकर, थोक भावों पर पैकिंग सामग्री खरीदकर, पैकिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति करके व पैकिंग मशीनों का प्रयोग करके, पैकिंग व्यय में बचत कर लेता है ।

बड़े पैमाने की उत्पत्ति की हानिया (Disadvantages of Large-scale Production) —

(i) **छोटे उत्पादकों का विनाश** —बड़ी मात्रा के उत्पादक बाह्य व आंतरिक बचतों के कारण सरता माल बेच सकते हैं इसलिये छोटे पैमाने के व्यवसायी जिनकी लागत अधिक होती है इनकी स्पर्धा में नहीं उठ सकते । धीरे-धीरे बाजार में केवल कुछ बड़े उत्पादक रह जाते हैं जो ट्रस्ट या कार्टल बनाकर बाजार के ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं इससे उपभोक्ताओं के शोषण का भय बना रहता है ।

(ii) **अति उत्पत्ति (Over Production) का डर** :—बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादन माग का पूर्व अनुमान (inanticipation of demand) करके किया जाता है । यदि उत्पत्ति माग से अधिक हो जाय तो उत्पादकों की हानि रहती है, कभी-कभी उद्योग बन्द भी हो जाते हैं और श्रमिकों में बेरोजगारी फैलने का डर रहता है ।

(iii) **वर्ग संघर्ष** :—बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अन्तर्गत हजारों श्रमिक

एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्वामी और सेवक में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। दोनों वर्ग एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। अतः आय दिन हड़ताल व ताले बन्दी की घटनायें होती रहती हैं।

(iv) धन का असमान वितरण :—ज्यों-ज्यों बड़े पैमाने पर उत्पत्ति करने वाले कर्म-कारखाने खुलते हैं, छोटे उत्पादनकर्ता समाप्त होते जाते हैं, धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता है। धनी और धनी निर्धन और निर्धन होते जाते हैं।

(v) युद्धों की सभावना —बड़ी मात्रा की उत्पत्ति को देश में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में बेना जाता। देशों में आगस में प्रतियोगिता होने लगती है और कभी कभी इस प्रयत्न में युद्ध तक हो जाया करते हैं।

(vi) हस्तकला की हानि —मशीनों द्वारा बने सामान के सामन हाथ के कारीगर की वस्तुयें नहीं टिक पाती हैं। वे अपना काम बन्द करके कारखानों में श्रमिकों के रूप में काम करने को बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार देश में हस्तकला-कौशल की हानि होती है।

(vii) श्रम-विभाजन की हानियाँ —बड़े पैमाने की उत्पत्ति श्रम-विभाजन द्वारा ही सम्भव है। श्रम-विभाजन की सप्रस्त हानियाँ बड़े पैमाने की उत्पत्ति के साथ पैदा हो जाती हैं।

बड़े पैमाने की उत्पत्ति की सीमार्ये (Limitations of Large-scale Production) :—

बड़े पैमाने की उत्पत्ति एक सीमा तक ही हो सकती है, इससे अधिक मात्रा में उत्पादन होने पर व्यवसाय में प्रति वस्तु लागत घटने के स्थान पर बढ़ने लगती है। नीचे हम बड़े पैमाने की उत्पत्ति की सीमार्ये का उल्लेख करते हैं —

(१) बाजार का विस्तार (Extent of the market) :—किसी वस्तु की उत्पत्ति का पैमाना बाजार पर निर्भर है। जिस वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। उसकी माग भी अधिक होती है अतः वे बड़ी मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं जैसे मोटरे, साईकिल इत्यादि। इसके विपरीत जिस वस्तु का बाजार सकुचित है, उस वस्तु का उत्पादन छोटे पैमाने पर ही किया जायगा जैसे गांधी टोपियाँ।

(२) व्यवसाय का स्वभाव :—कुछ व्यवसाय बड़े पैमाने पर चलाये नहीं जा सकते हैं जिन व्यवसायों में उपभोक्तार्यों की व्यक्तिगत रुचि का स्थान रखना पड़ता है जैसे कपड़े सीने का व्यवसाय, अथवा वे व्यवसाय जो

बलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जैसे चित्र बनाना, कालीन बुनना आदि छोटे ही पैमाने पर चलाये जाते हैं ।

(३) व्यवस्थापक की योग्यता — प्रत्येक मैनेजर की व्यवस्था सम्बन्धी योग्यता सीमित होती है । ज्यों ज्यों उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता जाता है त्यों २ व्यवसाय की समस्याएँ अधिक और जटिल होती जाती हैं, उमी मनुपात में प्रबन्धक का उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है । यदि वह इतने बड़े व्यवसाय की पूर्णतया देखभाल नहीं कर सकता तो व्यापार में हानि होने लगेगी । इसलिये व्यवसाय को उस सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा जिसके आगे बि व्यवस्थापक उसका प्रबन्ध न कर सके ।

प्रश्न ८३—उन कारणों का वर्णन कीजिये जो बड़े पैमाने की उत्पत्ति के मुकाबले में छोटे पैमाने की उत्पत्ति को जीवित रखने में सहायक होते हैं ।

(Explain the causes which help the small scale production to exit in competition to the Large scale production now-a-days)

उत्तर .—

मशीनों का आविष्कार और उसके प्रयोग से श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की प्रणाली से बड़े पैमाने की उत्पत्ति को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है । इसी कारण से आज प्रत्येक देश में बड़े पैमाने की उत्पत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति से उत्पादक को उत्पादन की आतरिव एवं बाह्य वचत तथा अन्य प्रकार की वचतें प्राप्त होती हैं जिससे उत्पादक को उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है । इन बड़े पैमाने के उत्पादन के सामने छोटे पैमाने के उद्योगों को अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है । फिर भी प्रत्येक देश में छोटे पैमाने के उद्योग का आर्थिक जीवन में महत्व आज भी समाप्त नहीं हुआ है । इसके मुख्य कारण निम्न हैं :—

(१) छोटे पैमाने का उत्पादन अधिक मितव्ययितापूर्वक किया जाता है । छोटे पैमाने के उत्पादन में अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं । उत्पादन माप को ध्यान में रख कर किया जाता है । नियन्त्रण एवं उत्पादन क्रिया बहुत आसान होती है । इसी कारण से छोटे पैमाने के उद्योगों का जोखिम भी कम हो जाता है ।

(२) छोटे पैमाने के उत्पादन के लिए थोड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है जो कि आसानी से एकत्रित की जा सकती है। परन्तु दूसरी ओर बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो उत्पादक अधिक पूँजी का प्रबन्ध नहीं कर सकते वे छोटे पैमाने के उद्योग को ही स्थापित करते हैं।

(३) कुछ वस्तुओं की माँग स्थानीय, अस्थिर एवं सीमित होती है। उस दशा में बड़े पैमाने का उत्पादन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता और छोटे पैमाने के उत्पादन को कार्य में सफलता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार वस्तु के माँग के स्वभाव के कारण भी कभी कभी छोटे पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) कुछ वस्तुओं के उत्पादन में उपभोक्ता की रुचि अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे दर्जी का कार्य, कढ़ाई बुनाई का कार्य, हीरे मोती का कार्य, आभूषण का कार्य इत्यादि। ये कार्य उत्पादक की हस्तकला से सम्बन्धित होते हैं। इस कारण से इन कार्यों में बड़े पैमाने का उत्पादन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये कार्य प्रायः छोटे पैमाने पर किये जाते हैं।

(५) कुछ छोटे पैमाने के उद्योग आज भी इसी कारण चल रहे हैं क्योंकि वे पैतृक व्यवसाय हैं जिनको वे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं चाहे उससे होने वाले लाभ की मात्रा कम ही क्यों न हो।

(६) प्रायः छोटे पैमाने का उत्पादन घर पर ही किया जाता है जिससे परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। बाहर के श्रमिकों की रखने की आवश्यकता कम हो जाती है जिससे उत्पादन व्यय कम हो जाता है।

(७) वैज्ञानिक उन्नति के कारण अब छोटे पैमाने के उत्पादन में भी मशीनों का प्रयोग होने लगा है जिस कारण से वे बड़े पैमाने के उद्योग के सामने अपना उत्पादन करने में सफल हो सकते हैं।

(८) जल विद्युत् शक्ति के विकास से भी छोटे पैमाने के उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला है क्योंकि विद्युत् आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाई जा सकती है।

(९) सहकारिता के प्रचार के कारण भी छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिक सहायता मिली है और वे सहकारिता के आधार पर बड़े पैमाने के उत्पादन से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं तथा उत्पादन कार्य में आने वाली समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं।

(१०) छोटे पैमाने के उत्पादन को सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि इसके विकास से देश में बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या का हल आसानी से हो सकता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपलिखित कारणों से अब भी छोटे पैमाने की उत्पत्ति बड़े पैमाने की उत्पत्ति के सामने जीवित है तथा यदि सरकार का सहयोग रहा तो छोटे पैमाने की उत्पत्ति ही प्रत्येक देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के हल करने का एक मात्र साधन होगा ।



अध्याय ४०

उत्पादन की बचतें

प्रश्न ८४—उत्पादन की बचतें क्या हैं ? ये प्रति इकाई वस्तु की लागत किस भाँति कम कर देती हैं ?

(What are the economies of Production ? How do they reduce the cost per unit of a commodity ?)

उत्तर —

उत्पादन की बचतें दो प्रकार की होती हैं —

- (१) बाह्य बचतें (External economies)
- (२) आंतरिक बचतें (Internal economies)

इनके उत्तर के लिये प्रश्न ८२ का उत्तर पढ़िये ।

उपरोक्त बचतों के कारण कुल उत्पादन की लागत कम हो जाती है और इसलिये प्रति इकाई वस्तु की लागत कम होती है । यही कारण है कि एक जुलाहा एक मिल की अपेक्षा महंगा कपड़ा बेचता है ।

अध्याय ४१ उत्पत्ति के नियम

प्रश्न ८५—क्रमागत-उत्पत्ति ह्रास नियम की पूर्णतया व्याख्या कीजिये । इसकी सीमायें भी बताइये ।

(Discuss fully the Law of Diminishing Returns and also give its limitations)

उत्तर :—

यह प्रत्येक किसान का अनुभव है कि यदि वह अपने खेत से अधिक उपज प्राप्त करने के लिये उस पर श्रम और पूँजी की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसकी कुल उपज तो बढ़ जाती है परन्तु अतिरिक्त श्रम और पूँजी की इकाईयों की सीमान्त उपज घट जाती है । दूसरे शब्दों में उसकी कुल उपज घटती हुई दर पर बढ़ती है या अनुपात से कम दर पर बढ़ती है । अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से पुकारते हैं । इस प्रवृत्ति को प्रत्येक किसान जानता है, इसके ज्ञान से लाभ उठाना है यद्यपि वह अशिक्षित होने के कारण अपनी इस जानकारी को नियम के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता ।

यदि श्रम और पूँजी की प्रत्येक अगली इकाई से बढ़ती हुई उपज प्राप्त होती तो यह सम्भव था कि समस्त विश्व की श्रम की आवश्यकता को एक ही खेत से पूर्ण कर लिया जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता क्योंकि खेती में क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है । यह नियम जो तो शीघ्र या दर में प्रत्येक व्यवसाय में लागू होता है, परन्तु इसका कृषि से विशेष सम्बन्ध है । मार्शल ने इस नियम की इस प्रकार व्याख्या की है "यदि कृषि काल में साथ ही साथ उन्नति न हो तो भूमि पर उपयोग की गई पूँजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने से, सामान्यतया, कुल उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है ।" (An increase in the capital and labour employed in the cultivation of land, causes in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture)

यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि नियम की परिभाषा में 'कुल उपज' का अर्थ उपज की मात्रा से है न कि उपज के मूल्य से ।


नियम क्यों लागू होता है .—घटती हुई सीमात-उत्पत्ति के प्रकट होने का कारण यह है कि भूमि की उत्पादन-शक्ति सीमित है और उसका धाय होता जाता है। जब किसी भूमि के टुकड़े पर श्रम और पूंजी की पहली इकाई लगाई जाती है तो यह भूमि की उत्पादन-शक्ति का कुछ अंश प्रयुक्त कर डालती है। पहली इकाई की अपेक्षा दूसरी इकाई को शोषण के लिये कम उत्पादन-शक्ति मिलती है, अतः दूसरी इकाई की उपज अधिक नहीं होती जितनी कि पहली इकाई की होती है। यह क्रम उत्तरोत्तर जारी रहता है और हर अगली इकाई से उत्पादन गिरता जाता है। ~

उदाहरण :—मान लीजिये कि एक खेत पर श्रम और पूंजी की पहली इकाई लगाकर सोहन किसान १० मन चना उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई के शोषण के लिए कम उर्वरशक्ति बचती जाती है, उसको दूसरी, तीसरी, व चौथी इकाईयो से ८, ५ व २ मन चना प्राप्त होता है। पाचवीं इकाई उसकी कुल उपज में कोई वृद्धि नहीं करती है। अतः अब वह और इकाईयो का प्रयोग नहीं करेगा। इस बात को निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया है :—

श्रम व पूंजी की इकाई	कुल उपज (मनो में)	उपज प्रति इकाई (सीमान्त उपज) मनो में
१	१०	१०
२	१८	८
३	२३	५
४	२५	२
५	२५	०

ऊपर के उदाहरण को रेखाचित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है :—

अब रेखा क्रमशः उत्पात्ति हास नियम की वक्र रेखा है। यह निरन्तर अ व की ओर झुकती गई है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रत्येक अगली इकाई की उपज कम होती गई है।



उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाये (Limitations of the Law of deminishing Returns) :—

इस नियम को मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा में दो बाधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं :—

(१) सामान्यतः और (२) यदि कृषि कला में साथ ही साथ उन्नति न हो। ये ही इस नियम की दो सीमायें हैं।

(१) सामान्यतः—यह नियम तभी क्रियाशील होता है जबकि एक भूमि के टुकड़े की उत्पादन-शक्ति को पूर्णतया शोषित करने के लिये सामान्यतः जो श्रम और पूँजी की मात्रा आवश्यक है वह उस खेत पर लगाई जा चुकी है। यदि भूमि पर लगी श्रम और पूँजी की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है जिसके कारण भूमि का पूर्ण उपभोग नहीं हो सकता तो यह नियम लागू नहीं होगा अर्थात् श्रम और पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने से प्रारम्भ में बढ़ती हुई सीमांत उपज प्राप्त होगी। परन्तु उत्पादन-शक्ति का पूर्ण उपयोग हो जाने के पश्चात् अगली इकाईयों की सीमांत उपज घटने लगेगी।

(२) यदि कृषि कला में साथ ही साथ उन्नति न हो :—यह नियम तभी लागू हो सकता है कि जब किसी प्रकार या विधि से अभी तक खेती की जा रही है उसमें परिवर्तन न हो यह अचलावस्था का नियम है और उन्नति-शील कृषि पर लागू नहीं होता। यदि श्रम और पूँजी की दृकार्थियों की वृद्धि के साथ आधुनिक ढंग से खेती की जाने लगे, उत्तम यन्त्रों और बीजों का प्रयोग किया जाय तो कुल उपज में अनुपात में अधिक वृद्धि सम्भव है।

क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम को क्रमशः लागत वृद्धि नियम (Law of Increasing cost) भी कहते हैं क्योंकि अधिक व्यय करके पहले से कम उत्पत्ति प्राप्त होती है।

प्रश्न ८६—उपज के क्रमशः घटने का नियम क्या है ? इस नियम का क्षेत्र स्पष्ट कीजिये। उद्योग धर्मों पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता ?

(What is the Law of Diminishing Returns ? State its scope Why is it not applicable to manufacturing industries ?)

उत्तर—

प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न ८५ का उत्तर पढ़िये।

नियम का क्षेत्र (Scope of the Law)

क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम विशेषकर कृषि पर लागू होता है परन्तु यह नियम अथ उद्योगों पर भी लागू होता है जैसे खान खोदना, मछली पकड़ना इमारत बनाना, मिट्टी के बरतन बनाना व उद्योग घड़े इत्यादि ।

(१) खान खोदना — प्रारम्भ में खान के कम गहरी होने के कारण, कम लागत पर अधिक सतिज पदार्थ निकलते हैं । परन्तु ज्यो-ज्यो श्रम और पूँजी का उपयोग बढ़ता है वैसे ही वैसे और गहरा खोदना पड़ता है । गहरी खुदाई में प्रकाश, शुद्ध वायु व धातु को ऊपर लाने के प्रबन्ध करने में बहुत व्यय करना पड़ता है । अतः जिस अनुपात में श्रम और पूँजी की इकाईयो पर व्यय होता है, धातु उस अनुपात से कम ही प्राप्त होती है ।

(२) मछली पकड़ना :—यह एक साधारण अनुभव है कि प्रत्येक पकड़ (catch) के बाद तालाब, भील या नदी में मछलियाँ कम हो जाती हैं और फलस्वरूप प्रत्येक अगली पकड़ उतनी सफल नहीं होती । कुछ लोगों का मत है कि समुद्री मछलियाँ इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि उन पर यह नियम लागू नहीं होता परन्तु यह बात नहीं है । अधिक मछलियाँ पकड़ने के लिये समुद्रों पर ज्यादा दूर जाना पड़ेगा और मछली पकड़ने का व्यय बढ़ जायेगा । अतः यह नियम लागू हो जाता है ।

(३) इमारत बनाना — मकानों की माँग को पूरा करने के लिये यदि एक मजिल के ऊपर मजिलें बनाई जाय तो प्रत्येक अगली मजिल बनाने में व्यय अधिक होगा क्योंकि सामान लाने ले जाने में समय अधिक लगेगा और शक्ति भी अधिक होगी । परन्तु चढ़ने उतरने की कठिनाई के कारण ऊपर की मजिलों का किराया कम होता जाता है । अतः खर्च की अपेक्षा किराया कम मिलता है और यह नियम लागू हो जाता है । यही बात शहर से दूर स्थानों में मकान बनाने के सम्बन्ध में सही है ।

(४) मिट्टी के बरतन बनाना — बरतन बनाने के लिये मिट्टी खोदकर प्राप्त की जाती है, जितने नीचे से मिट्टी खोदकर निकाली जाती है, उतनी ही लागत बढ़ती जाती है । अतः व्यय की अपेक्षा उपज कम प्राप्त होती है ।

(५) उद्योग धन्धे — कहा जाता है कि उद्योग धन्धों पर क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता परन्तु यह सही नहीं है । वहाँ यह ढेर से लागू होता है । जैसे ही इस नियम के लागू होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, व्यवस्थापक अपनी योग्यता से साधनों के अनुपात को बदलकर नये आवि-

प्लांटों का प्रयोग आदि कर इस नियम को कुछ दिन के लिये टाल देना है। जब कारखाने का विस्तार इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यवस्थापक उस पर नियन्त्रण न रख सके तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और यह नियम लागू हो जाता है।

प्रश्न ८७—क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या कीजिये। क्या कारण है कि यह नियम पक्का माल बनाने वाले उद्योग धर्मों पर लागू होता है ?

(State and explain the Law of Increasing Returns Why is it that the law applies to manufacturing industries ?)

उत्तर :—

श्रम और पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में अनुपात से अधिक वृद्धि होने अथवा प्रत्येक इकाई की सीमांत उत्पत्ति बढ़ने की प्रवृत्ति को क्रमशः उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। यह नियम प्रायः उद्योग धर्मों और कारखानों में लागू होता है। अनुभव में यह पता चला है कि यदि किसी कारखाने में श्रम और पूँजी की इकाईयाँ बढ़ायें, तब उत्तरोत्तर इकाई से सम्बन्धित उपज बढ़ती चली जाती है। प्रोफेसर मार्शल (Marshall) ने इस नियम की इस प्रकार परिभाषा दी है—‘श्रम और पूँजी में वृद्धि करने से, सामान्यतः अच्छी व्यवस्था हो जाती है जिसके फलस्वरूप श्रम और पूँजी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है।’ (An increase of labour and capital leads generally to improved organisation which increase the efficiency of the work of labour and capital)


उदाहरण —निम्न तालिका में एक कपड़े की मित का उत्पादन दिखाया गया है।

श्रम व पूँजी की इकाई	कुल उत्पत्ति (गजों में)	सीमांत उत्पत्ति (गजों में)
१	२५०	२५०
२	६००	३५०
३	१०००	४००
४	१५००	५००
५	२२००	७००

अतः स्पष्ट है कि श्रम व पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज अनुपात से अधिक बढ़ रही है। प्रति इकाई सीमांत उत्पत्ति भी बढ़ रही

इस नियम को क्रमशः लागत ह्रास नियम (Law of Diminishing cost) भी कहते हैं क्योंकि समान व्यय करने पर, उत्पादन प्रति इकाई अधिक होता है।

चित्र द्वारा निरूपण



चित्र में सब उत्पत्ति-वृद्धि नियम की वक्र रेखा है।

उद्योग घन्धों में नियम के लागू होने के कारण :—

(१) कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि बड़ा उत्पत्ति के अन्य साधन तो बढ़ जाते हैं परन्तु भूमि सीमित रहती है परन्तु उद्योग घन्धों में उत्पत्ति के समस्त साधनों को घटा बढ़ा कर ठीक-ठीक आदर्श अनुपात में जुटाया जा सकता है और अनुपात में अधिक उत्पत्ति प्राप्त करली जाती है।

(२) उद्योग घन्धों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जिसके कारण उद्योग को अनबो बाहरी व भीतरी बचतें प्राप्त होने लगती हैं और प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम हो जाता है।

(३) उद्योग घन्धों के क्षेत्र में नई नई उत्पादन प्रणालियों, नई-नई मशीनों का प्रयोग व नये नये आविष्कारों का ज्ञान व्यवस्थापकों को प्रतिदिन ही प्राप्त होता रहता है। ज्योंही किसी कारखाने में उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है त्यों ही आविष्कारों को नई मशीनों तथा नई उत्पादन प्रणालियों द्वारा उसको पीछे हटा दिया जाता है। यह क्रम सदैव चलता रहता है। अतः यहाँ उत्पत्ति वृद्धि नियम ही लागू होता है।

मार्शल ने कहा भी है उत्पादन में जहाँ प्रकृति का हाथ होता है वहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जहाँ मनुष्य का हाथ होता है वहाँ क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।

प्रश्न ८८—“उत्पत्ति का क्रमागत समता नियम” की व्याख्या कीजियेगा।

(Explain fully the “Law of constant Returns”.)

उत्तर :—


“उत्पत्ति का क्रमागत समता नियम”—इस नियम का केवल सिद्धांत महत्व है। यह नियम व्यवहारिक जीवन में लागू होता नहीं पाया जाता है। यह माना जाता है कि क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के मध्य कुछ समय के लिए उत्पत्ति का क्रमागत समता नियम लागू होता है। इस कारण से इस नियम का कुछ महत्व बढ़ जाता है।

इस नियम के अनुसार जब उत्पादन कार्य में एक साधन को निश्चित करके अन्य साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि साधनों की वृद्धि के ठीक अनुपात में होती है। इस प्रकार जब उत्पादन ठीक अनुपात में बढ़ता है तो सामान्त उत्पत्ति की प्रवृत्ति समान होने की पाई जाती है। इस सिद्धांत को हम निम्न उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं :—

माना कि अलीगढ़ के एक ताले के कारखाने में १०० श्रमिक तथा १० हजार की पूंजी लगी है और वे प्रतिवर्ष १००० तालों का निर्माण कर पाते हैं। इस दशा में उत्पत्ति कार्य में लगे हुए श्रम और पूंजी को हम उत्पत्ति के साधन की एक इकाई मान लेते हैं। अब यदि इसी उत्पादन कार्य में श्रम और पूंजी की दूसरी इकाई का प्रयोग किया जाय और उत्पादन २००० ताले हो जायें तो सीमान्त उत्पादन १००० ताले होगा। इसी प्रकार यदि तीसरी चौथी तथा अन्य श्रम और पूंजी की इकाईयों का प्रयोग करने में उत्पादन ठीक अनुपात में बढ़ता है तथा सीमान्त उत्पादन समान रहता है तो यह कहा जायेगा कि इस कारखाने में क्रमागत उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है। इस उदाहरण को हम निम्न तालिका से भी स्पष्ट कर सकते हैं :—

श्रम और पूंजी की इकाई	कुल उत्पादन (तालों का)	सीमान्त उत्पादन (तालों का)
१	१०००	१०००
२	२०००	१०००
३	३०००	१०००
४	४०००	१०००
५	५०००	१०००
६	६०००	१०००

उपलिखित तालिका को निम्न चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है :-



उपरोक्त चित्र में अ ब रेखा पर श्रम और पूंजी की इकाईया तथा अस रेखा पर तालो की सीमान्त उत्पत्ति दिखाई गई है तथा मम' रेखा उत्पत्ति के क्रमागत समता नियम को स्पष्ट करता है जो यह दिखाती है कि श्रम और पूंजी की इकाईयो की वृद्धि करने से क्रमागत उत्पत्ति समता नियम के अन्तर्गत सीमान्त उत्पादन हमेशा समान रहता है।

प्रश्न ८६—“उत्पत्ति में जो कार्य प्रकृति द्वारा किया जाता है वह उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार होता है और जो कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है वह उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार होता है।” इस कथन की व्याख्या कीजियेगा।

(“We say broadly that which the part while Nature plays in production conforms to the law of ‘Diminishing Returns the part which man plays conforms to the law of Increasing Returns’”. Explain this statement fully.)

उत्तर :—

उपलिखित कथन द्वारा मार्शल क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम का क्षेत्र निर्धारित करते हैं। उसके अनुसार क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम वहा लागू होता है जहा पर कि भूमि का प्रयोग उत्पादन कार्य में अधिक होता है और यह भूमि प्रकृति द्वारा मनुष्य को निशुल्क प्राप्त

हुई है। मार्शल भूमि का क्षेत्र कृषि कार्य तक ही सीमित नहीं रखता वरन् भूमि के अन्तर्गत खाने खोदने का उद्योग, मछली पकड़ने का उद्योग, पशु चराने का उद्योग आदि सभी उद्योगों को शामिल करता है क्योंकि इन सब कार्यों में भूमि का महत्व अधिक है और इसी कारण इन सब उद्योगों में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।

दूसी प्रकार क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के विषय में मार्शल का मत है कि यह वहा लागू होता है जहा कि उत्पादन कार्य में मनुष्य का हाथ, श्रम, पूँजी, व्यवस्था एवं साहस के रूप में अधिक होता है। इस प्रकार जिन उद्योगों में भूमि का महत्व कम तथा अन्य साधनों का महत्व अधिक होता है वहा क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।

अब यह प्रश्न होता है कि वे कौन २ से कारण हैं जिनके कारण कृषि कार्य में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उद्योगों में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। वे मुख्य कारण निम्न हैं :—

(१) उत्पादन कार्य का क्षेत्र :—कृषि कार्य बहुत अधिक क्षेत्र पर किया जाता है जिस कारण से उसकी उचित प्रकार से देख-भाल नहीं हो पाती है परन्तु उद्योग कार्य एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है जहा पर उत्पादन कार्य की देखभाल आसानी से की जा सकती है। इसी कारण से कृषि कार्य में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उद्योगों के क्षेत्र में क्रमागतः उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।

(२) उत्पादन में यन्त्रों के प्रयोग की सीमा :—कृषि कार्य के अन्दर श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लिए क्षेत्र सीमित होता है जिस कारण से मशीनों एवं यन्त्रों का अधिकतम प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इसी कारण से बड़ पैमाने की उत्पत्ति के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र में नहीं मिल पाते हैं। परन्तु उद्योगों के क्षेत्र में मनुष्य ने इस और अधिक विनास कर लिया है और श्रम विभाजन एवं मशीनों का प्रयोग अधिकतम रूप में होना है जिस कारण से उत्पादन में वैद्य एवं आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। इस कारण से भी कृषि क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उद्योगों के क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।

(३) प्रकृति का प्रभाव :—कृषि कार्य में प्रकृति का काफी अधिक प्रभाव होता है क्योंकि वर्षा एवं जलवायु कृषि उत्पादन को अधिक प्रभावित करती है, परन्तु उद्योगों के क्षेत्र में प्रकृति का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। इसी कारण से भी कृषि क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उद्योग क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।

और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कृषि क्षेत्र में कृपात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि मनुष्य का प्रकृति पर पूर्ण अधिकार नहीं है और इसी कारण ने कृषि कार्य प्राकृतिक प्रभावों से अधिक प्रभावित होता है।

परन्तु उपरोक्त दोनों सिद्धान्त प्रारम्भ में या घन्त में प्रत्येक व्यवसाय में लागू होते हैं। और वास्तव में देखा जाय तो ये दोनों सिद्धान्त एक ही सिद्धान्त के दो रूप हैं जिसे हम नमानुमातिक सिद्धान्त (Law of Proportionality) कहते हैं। इस प्रकार मार्गन का उर्लिखित कथन किनी सिद्धान्त विशेष की व्याख्या नहीं करता वरन् यह तो केवल क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम तथा क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के सिद्धान्तों के कार्यशील होने का क्षेत्र निर्धारित करता है जो क्रमशः कृषि एवं उद्योग है।

अध्याय ४२

संगठन

प्रश्न ६० —संगठन औद्योगिक इकाईयों का प्राण है' इस कथन की विवेचना कीजिये और संगठनकर्ता के लिये अपेक्षित गुणों का उल्लेख कीजिये।

("Organisation is the life-essence of industrial units"
Explain this statement and give the qualities that a good
organiser should possess.)

उत्तर :—

उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम मयोज और महकामिता स्थापित करने के कार्य को 'संगठन' अथवा 'प्रबन्ध' कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों में 'संगठन' साधन का विशेष महत्त्व है और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के साथ इसका महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी उत्पादन कार्य तब तक असम्भव है जब तक कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को उचित प्रकार से एक कुशल संगठनकर्ता द्वारा इस प्रकार संगठित न किया जाय कि वे अधिकतम उत्पत्ति कर सकें अन्यथा उत्पत्ति तो होन लगेगी परन्तु वह बहुत ही अनाम प्रद होगी। आधुनिक युग में उत्पत्ति बड़े बड़े कारखानों में माँग के पूर्वानुमान के आधार पर की जाती है। औद्योगिक इकाईयों में बड़ी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग होता है, इनको श्रमिक एवं ही जाह एक साथ कार्य करते हैं, करोड़ों की पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य में अपार जोखिम

होती है—कीन जाने कि इस सबका फल लाभ होगा या हानि। इन चारों साधनों को उचित प्रकार से संगठित करने का कार्य संगठनकर्ता अथवा मैनेजर का होता है। उसकी जरा सी भूल से या निरीक्षण की छूट से स्थिति बिल्कुल बदल सकती है। लाभ हानि में परिणित हो सकता है। अतः संगठनकर्ता का कार्य बड़ा ही जटिल और उत्तरदायित्व पूर्ण है। वह उद्योग का कप्तान (Captain of the Industry) कहलाता है। वह उपरोक्त कार्यों की अपनी कुशलता शिक्षा ज्ञान व अनुभव के आधार पर सम्पन्न करता है। आधुनिक संगठन समस्याओं की शिक्षा देन व उचित प्रकार के प्रबन्धक उत्पन्न करने के लिये प्रत्येक देश में व्यापार व्यवस्था की शिक्षा (Business management and Administration) के लिये शिक्षालय स्थापित हो रहे हैं।

संगठनकर्ता के गुण (Qualities of a good organiser) :—

वही संगठनकर्ता अधिक योग्य कहलाता है जो उत्पादन कार्य का संचालन अधिकतम मितव्ययता से कर सके और उत्पादन कार्य विधिवत चालू रख सके। इसलिये आवश्यक है कि उस व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होना चाहिये अन्यथा वह उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक योग्य प्रबन्धक को निम्न गुणों में युक्त होना चाहिये।

(१) दूरदर्शिता .—आज के औद्योगिक युग में उत्पादन मांग के पूर्व-अनुमान के आधार पर होता है। अतः संगठनकर्ता को दूरदर्शी होना आवश्यक है, उसको उपभोक्ताओं की मांग, रुचि व फँसना का सही अनुमान लगाना पड़ता है। बाजार की भावी स्थिति का भी अनुमान करना होता है। उसके अनुमान गलत हो जाय तो व्यवसाय को हानि होगी।

संगठनकर्ता के गुण :—

- १ दूरदर्शिता।
- २ शिल्प ज्ञान।
- ३ उच्च शिक्षा।
- ४ मनोविज्ञान का ज्ञान।
- ५ विद्वान्मनीयता।
- ६ अनुभव।
- ७ सूचना।

औद्योगिक युग में उत्पादन मांग के पूर्व-अनुमान के आधार पर होता है। अतः संगठनकर्ता को दूरदर्शी होना आवश्यक है, उसको उपभोक्ताओं की मांग, रुचि व फँसना का सही अनुमान लगाना पड़ता है। बाजार की भावी स्थिति का भी अनुमान करना होता है। उसके अनुमान गलत हो जाय तो व्यवसाय को हानि होगी।

(२) शिल्प ज्ञान —

कारखाने की मशीनों तथा अन्य यंत्रादियों का भी कुछ ज्ञान संगठनकर्ता को होना चाहिये। अन्यथा वह व्यापार की मशीनों की मांग का अनुमान, उनको चलाने के लिये उपयुक्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व उनके काम की उचित देखभाल न कर पायेगा।

(३) उच्च शिक्षा :—शिक्षित व्यक्ति का ज्ञान, विवेक व निर्णयशक्ति बड़े तेज होते हैं। उसका दृष्टि कोण भी बड़ा विस्तृत होता है। श्रम समाधान के साधन के लिये इन गुणों का होना अनिवार्य है। संगठनकर्ता को विभिन्न

विषयो जैसे गणित, बुक-कीपिंग, अर्थशास्त्र व व्यापार व्यवस्था आदि का ज्ञान होना आवश्यक है।

(४) मन विज्ञान का ज्ञान —श्रमिकों की प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों का अध्ययन करके ही श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। जो श्रमिक जिस कार्य के योग्य होना है उसको वही कार्य दिया जाता है। इस गुण के अभाव में श्रमिकों की शक्ति का उचित शोषण नहीं हो पायगा और न श्रमिक सतुष्ट रहेंगे और न उद्योग का उत्पादन ही बढ़ेगा।

(५) विश्वासनीयता :- सगठनकर्ता को ईमानदार व वचन का पालक होना अनिवार्य है अगर उसमें ये बात नहीं हैं तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, बाजार में उसकी साख कम होगी और कोई व्यक्ति अपनी पूजी उसके हाथ में सौंपने को तैयार नहीं होगा। अतः सगठनकर्ता में विश्वासनीयता का गुण होना अनिवार्य है।

(६) अनुभव :- योग्य सगठनकर्ता बनना एक सरल कार्य नहीं है। योग्यता व साथ २ बढ़ती है। वह अपनेकी समस्याओं, व कठिनाइयों को अनुभव के व्यापार व्यवस्था-क्षमता अनुभव के आधार पर ही दूर कर देना है। यह सत्य है कि सगठन क्षमता जन्म जात होती है परन्तु इसको अनुभव से बढ़ाया जा सकता है।

(७) सूचना —सगठनकर्ता को व्यापार का परीक्ष अथवा अपरीक्ष इस से प्रभावित करने वाली समस्त घटनाओं से अपने आप को सूचित रखना चाहिये। उरभोक्ता वर्ग, साथी उत्पादन कर्ताओं की स्पर्धा व स्थिति, राज्य की नीति, विदेशों में माँग की स्थिति आदि बातों का ज्ञान सदैव अनिवार्य है।

अध्याय ४३

साहस

प्रश्न ६१—साहसी के कार्यों एवं गुणों का वर्णन करियेगा।

(Explain the functions and Qualities of an Enterpriser.)

उत्तर :-

प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम एवं अनिश्चिता होती है और इस प्रकार की जोखिम तथा अनिश्चिता को उठाने वाले को ही साहसी कहते हैं। साहसी का उत्पत्ति कार्य में विशेष महत्व है। उसकी

योग्यता एवं दूरदर्शिता पर ही व्यक्तमाय विशेष की सफलता निर्भर होती है। इसी कारण से ही इसे उत्पत्ति का पृथक् साधन माना है।

साहसी के कार्य — साहसी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) उद्योग की छूट — मूलप्रथम साहसी को यह विचारना होता है कि वह किस उद्योग विशेष को प्रारम्भ करे। इसके लिये उसको उस उद्योग से सम्बन्धित माग, पूर्ति, कच्चे माल की सुविधायें, बाजार की समीपता आदि बातों का ज्ञान करके निर्णय करना होता है।

(२) उत्पत्ति का पैमाना :— उत्पत्ति का पैमाना निर्दिष्ट करना भी साहसी का कार्य है। साहसी का उद्देश्य अधिकतम प्राप्त करना होता है। इस कारण से वह उत्पत्ति उस स्थान तक बढ़ायेगा जहाँ सीमात लागत व सीमात भाव समान होगी क्योंकि साहसी इसी दशा में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

(३) उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग करना :— साहसी का यह भी कार्य है कि विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार उत्पत्ति कार्य में ऐसे लगाये कि प्रत्येक साधन से प्राप्त सीमात उत्पत्ति समान हो। तभी साहसी कम लागत पर अधिक उत्पादन करने में सफल हो सकता है।

(४) स्थान का चुनाव — साहसी को यह भी निश्चय करना पड़ता है कि उद्योग विशेष को जिस स्थान पर स्थापित किया जाय। इसके लिए वह जलवायु, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रमिकों की प्राप्ति, यातायात के साधनों की सुविधा, बाजार की समीपता आदि बातों पर ध्यान देता है। साथ ही वह विज्ञापन तथा सरकारी नीति पर भी अपना निर्णय करता है।

(५) वितरण कार्य :— सशुक्त उत्पत्ति को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटना भी साहसी का कार्य है। इस कार्य में वह सीमात उत्पत्ति के सिद्धांत की सहायता लेता है। शेष उसका लाभ या हानि होती है।

(६) जोखिम सहने का कार्य :— उद्योग से सम्बन्धित जोखिम को सहन करने का कार्य भी साहसी को करना पड़ता है जिसमें उसके व्यक्तिगत गुण अधिक सहायक होते हैं। साहसी के गुण हम आगे विस्तार से देखेंगे।

साहसी के कार्य —	
१.	उद्योग की छूट।
२.	उत्पत्ति का पैमाना।
३.	उत्पत्ति के साधनों का सहयोग।
४.	स्थान का चुनाव।
५.	वितरण कार्य।
६.	जोखिम सहने का कार्य।

साहसी के गुण :—साहसी में व्यवसाय विरोध की सफलता के लिए निम्न गुणों का होना आवश्यक है :—

(१) साहसी में धर्मिकों को उनकी कार्य कुशलता के अनुसार काम सौंपने का गुण होना चाहिये ।

(२) साहसी में दूरदशिता, विश्वास एवं दृढ प्रतिज्ञा के गुण होना चाहिये जिससे उसे आसानी से कम व्याज पर पूँजी उधार मिल सके ।

(३) साहसी में कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिये जिससे हानि के समय वह विन्तित होकर व्यवसाय न छोड़ बैठे ।

(४) साहसी में व्यवसायिक ज्ञान होना चाहिये जिससे वह किसी विषय या निर्णय शीघ्र व ठीक कर सके ।

(५) साहसी को नवीनतम आविष्कारों का ज्ञान होना चाहिये जिन्हें वह अपने व्यवसाय में प्रयोग कर सके ।

जिस साहसी में उपलिखित गुण होंगे वही उत्पादन कार्य की सफलता-पूर्वक चला सकता है तथा अन्य उत्पादकों से स्पर्धा करने में समर्थ हो सकता है ।

अध्याय ४४

कुटीर उद्योग धंधे

प्रश्न ६२—कुटीर उद्योग धंधे किसे कहते हैं ? भारत में इनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं ? उनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है ?

(What are cottage industries ? What are their problems and how can they be solved in India ?)

उत्तर :—

कुटीर उद्योग क्या हैं —

कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें कारीगर स्वयं अपने घरो में अपने प्राप तथा अपने बाल बच्चों की सहायता से चलाते हैं । इनमें जो थोड़ी बहुत पूँजी होती है वह भी प्रायः इन्हीं की होती है परन्तु कभी-कभी बाहरी धर्मिकों व पूँजी का प्रयोग भी किया जाता है । उत्पादन के प्रबन्ध व लाभ-हानि का उत्तरदायित्व भी इन्हीं के कंधों पर होता है । सन १९४६-५० के

टट कर आयोग (Fiscal Commission) के अनुसार 'यदि कोई कारीगर स्वयं अथवा अपने समस्त परिवार की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में अथवा सहायक धंधे के रूप में किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं?' बम्बई की प्राथिक व औद्योगिक निरीक्षण समिति (Bombay Economic and Industrial Investigation Committee) के अनुसार 'वे धंधे कुटीर धंधे हैं जिनमें आधुनिक शक्ति साधनों का प्रयोग नहीं होता और उत्पादन का काम आमतौर पर कारीगर के घर पर ही अथवा कभी कभी छोटे छोटे वर्कशाप में अधिक से अधिक नौ व्यक्तियों के सहयोग से किया जाता है।' हाथ करघे के काम, तेल पेनना, मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, कागज बनाना, लोहार व ब्रडई का काम कुटीर उद्योग ही है। कुछ कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो फुरसत के समय में सहायक धंधे के रूप में चलाये जाते हैं, जैसे रस्ती बटना, टोकरी बनाना, चरखा कातना, चटाई बनाना इत्यादि। कुछ प्रमुख कुटीर उद्योगों में छाटी व शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगता है।

महत्व — भारत में कुटीर उद्योग धंधा का विशेष महत्व है। भारत की जनसंख्या के कोई १०% व्यक्ति इनमें लगे हुए हैं जबकि मिल उद्योगों में केवल २०% ही हैं। भारत में कृषक साल के कई महीने ठाली रहते हैं कुटीर उद्योग उनको जीविका उपार्जन करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में कृषि पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक है उसको कम करने के लिये हम कुटीर उद्योगों का विकास करना आवश्यक है जिससे कृषि में हट कर व्यक्ति इनमें लग सकें। देश में बेरोजगारी फैली हुई है। यह उभे उद्योगों द्वारा दूर नहीं हो सकती। अतः कुटीर उद्योगों का विकास ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। कुटीर उद्योग ही सहायक धंधों के रूप में गरीब भारतीयों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। अतः भारत सरकार इनके विकास की ओर पूर्ण ध्यान दे रही है।

भारत में कुटीर उद्योगों की समस्याएँ (Problems of Indian cottage industries) — आजकल हमारे कुटीर उद्योगों के सामने अनेकों कठिनाइयाँ व उनके कार्य करने के ढंग में बड़े दोष हैं जिनको दूर करे बिना इनका पूरा विकास नहीं हो सकता है ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं —

(१) कच्चे माल की समस्याएँ — कुटीर उद्योगों में लगे कारीगरों को मस्ते व अर्ध कच्चे माल के प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। धनाभाव के कारण वे गाँव के महाजन अथवा शहर के दुकानदारों से उधार मान खरीदता है जो कि प्रायः उत्तम किस्म का नहीं होता है।

(२) **अपर्याप्त पूंजी** :—अधिक दस्तकार गरीब हैं। उनके पास

कुटीर उद्योग स्थापित करने और उसे चलाने लायक पैसा नहीं होता। इनको महाजनो व बनियो इत्यादि से ऊची ब्याज की दर पर रुपया उधार लेना पडता है। इस कारण अधिकांश दस्तकार ऋणी होते हैं।

कुटीर उद्योग धर्मों की समस्याएँ :—

१. कच्चे माल की समस्या।
२. अपर्याप्त पूंजी।
३. प्रशिक्षा व प्रज्ञानता।
४. प्राचीन पद्धति।
५. बिक्री की समस्या।
६. मिल उद्योगों से प्रतियोगिता।

(३) **अशिक्षा व अज्ञानता** :—कारीगर बहुधा अशिक्षित होते हैं और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक विकासो व उत्पादन प्रणालियों का ज्ञान नहीं होता। वे आधुनिक नवीन आविष्कारों

से बिल्कुल अपरिचित हैं। साधारण शिक्षा व ज्ञान के अलावा कारीगरों की दस्तकारी की शिक्षा देने की सुविधायें व साध. हमारे देश में बहुत ही अपर्याप्त हैं।

(४) **प्राचीन उत्पादन प्रणालियों व पुराने ढंग के औजार** :—अधिकांश कारीगर पुराने औजारों व पुराने तरीकों से काम करते हैं। फल-स्वरूप उत्पादन कम और घटिया होता है जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित माल की स्पर्धा में नहीं बिक पाता।

(५) **माल की बिक्री की समस्या** :—ज्यादातर कारीगर तैयार सामान को उन्हीं महाजनो को बेच देते हैं जिससे कि वे ऋण लेते हैं। महाजन दस्तकारों को उनकी वस्तु का उचित व पूरा पैसा नहीं देते। कारीगरों को यह पता नहीं होता कि उनके माल की माग कहां पर है, उनके ग्राहकों की रुचि क्या है, इत्यादि वे अपने माल का विज्ञापन व प्रदर्शन नहीं कर पाते।

(६) **मिल उद्योगों से प्रतियोगिता** :—यह समस्या कुटीर उद्योगों के अस्तित्व की समस्या है। भारत के उद्योग इसी प्रतियोगिता के कारण नष्ट हो गये थे और आज भी सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद वे बनप नहीं रहे। मिल की वस्तुयें सस्ती होती हैं मत कुटीर उद्योगों को सामान इनके सामने नहीं बिकने पाता।

कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सुझाव (Substitution for development of the cottage industries) :—

(१) **साधारण व टैक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध** —साधारण शिक्षा कारीगरों को अधिक उत्तरदायी बनाकर उसके दृष्टिकोण को विस्तृत कर देती

है, वे भाग्य पर न रहकर अपने कम से विश्वास करने लगने हैं। टेक्नीकल शिक्षा के लिये प्रमुख २ केन्द्रों में टेक्नीकल स्कूल खोलने चाहिये। जिसमें वे नवीन औजारों का ज्ञान व उनकी चलाना सीख सकें।

(२) सहकारी समितियों का निर्माण —दस्तकारों को अपनी सहकारी समितियाँ बनानी चाहिये।

ये समितियाँ कारीगरों के लिये पूजा की व्यवस्था करें, कच्चा माल सही ढंग से सवण्या के पक्के माल को वचन का प्रबन्ध करें। सहकारी समितियों के जिला स्तर पर सघ बनाये जायें जो शहरों में प्रिकी केन्द्र व प्रदर्शन गृह (Sales depots and show Rooms) खोलें। इस प्रकार कारीगरों को उनके मान का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

(३) कच्चा माल व नवीन औजारों की पूर्ति —कच्चे माल की पर्याप्त के लिये राज्य को निजी दुकानें खोलनी चाहिये जहाँ नियंत्रित मूल्य पर उचित मात्रा में कच्चा माल मिल सके। सरकार को नवीन औजारों को 'किराना विक्री प्रणाली' (Hire Purchases System) पर कारीगरों को देना चाहिये।

(४) सस्ती शक्ति की व्यवस्था —कुटीर उद्योगों में छोटी छोटी विद्युत् से चलाने वाली मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये, राज्य को कुटीर कारीगरों की प्राथमिकता देकर सस्ती विद्युत् शक्ति का प्रवर्धन करना चाहिये।

(५) औद्योगिक मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन —राज्य की ओर से औद्योगिक मेले व प्रदर्शनियाँ का आयोजन किया जाना चाहिये जिनमें देश की प्रमुख कुटीर उद्योगों की वस्तुयें प्रदर्शित की जायें। इनमें नवीन औजारों यन्त्रों व उत्पादन-प्रणालियों का भी प्रचार होना चाहिये।

(६) विज्ञापन व प्रचार —राज्य के उद्योग विभागों द्वारा अपने २ राज्यों में राज्य की वस्तुओं का विज्ञापन करना चाहिये। केंद्रीय सरकार

विकास के सुझाव :-

१. टेक्नीकल शिक्षा का प्रबन्ध।
२. सहकारी समितियों की स्थापना।
३. कच्चा माल व यन्त्रों की पूर्ति।
४. सस्ती शक्ति की व्यवस्था।
५. औद्योगिक मेले का आयोजन।
६. विज्ञापन व प्रचार।
७. राज्य द्वारा संरक्षण।
८. क्षेत्र निर्धारण।
९. सरकारी सहायता।

ममस्त देश की कुटीर वस्तुओं का विज्ञापन विश्व में कर सकती है। प्रमुख व्यापारिक नगरों में प्रदर्शन ग्रहण व विक्री कन्द्र खुलाने चाहिये।

(७) राज्य द्वारा संरक्षण — देश के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को चाहिये कि वह इनसे प्रतियोगिता करने वाले विदेशी माल पर भारी आघात कर लगा दें, ताकि ये कुटीर उद्योग उनकी स्पर्धा में टिक सकें।

(८) क्षेत्र निर्धारण — सरकार यह निश्चित कर सकती है कि किन किन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग कार्य करेंगे और किन किन में बड़े उद्योग। इस प्रकार इनमें आपस में प्रतियोगिता का अवसर कम हो जाता है।

(९) सरकारी सहायता — यह सत्य है कि कुटीर कारीगर असंगठित हैं और अभी काफी समय तक वे माल की स्पर्धा में नहीं टिक सकते, वे अपने-को सुविधायें स्वयं उपलब्ध नहीं कर सकते। अतः राज्य की सहायता अपेक्षित है। टैक्नीकल ज्ञान को सुलभ करके, पूँजी की व्यवस्था करके, कच्चे माल की प्राप्ति व तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था करके, सरकार इन धंधों को प्रोत्साहित कर सकती है।

रूप का विषय है कि उपरोक्त सभी सुझावों के आधार पर हमारी सरकार देश में कुटीर उद्योगों का विकास कर रही है।

—०—

प्रश्न ६३—उत्तर प्रदेश के मुख्य कुटीर उद्योग में कौन-कौन धंधे हैं? उनके विकास के लिए आप किन उपायों का सुझाव देंगे।

(What are the principle cottage industries of U P ? Give suggestion to improve their condition)

उत्तर :—

उत्तर प्रदेश के मुख्य कुटीर उद्योग धंधे निम्नलिखित हैं —

(१) हाथ करघे का काम — यह राज्य का सर्वोन्नत उद्योग है। धेती के धात इसी धंधे का स्थान है। हाडा मऊ, फैजाबाद अकबरपुर, वाराणसी अलीगढ़, हाथरस, मेरठ पिलखुआ सडीला इत्यादि इसके मुख्य केंद्र हैं। इसमें कोई १० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं।

(२) रेशमी कपड़ा बुनना — इसके लिये बनारस व मिर्जापुर प्रमुख स्थान हैं। बनारस की रेशमी साड़िया व कोमखान की साड़िया विदेशों तक भेजी जाती हैं।

(३) चमड़े का काम — वैसे तो यह बाय राज्य के प्रत्येक भाग में होता है पर संगठित रूप में यह कानपुर आगरा व दयालवाग में होता है। यहाँ के कारीगर जूते, जीन, पेटी सूटकपड़े आदि बनाते हैं। हाल ही में इसकी कोई ताल जोड़ी जूतों का घाडर आगरा से सप्लाई किया गया था।

(४) सोने-चाँदी की कढ़ाई का काम :—यह काम बनारस में बहुत पुराने समय में होता चला आया है। यज्ञ पर सोने-चाँदी के धागे बनाये जाते हैं। इनमें बहुत सुन्दर कढ़ाई होती है और स्त्रियों की साड़ियों के किनारे (Boarders) बनाये जाते हैं। ऐसी साड़ियों की मांग अब विदेशों में बढ़ती जा रही है।

(५) धातु के बतन बनाना :—यह काम मुरादाबाद, बनारस हाथरस अन्तरीनी, मोदीनगर, हापुड इत्यादि स्थानों पर विशेष रूप से होता है। मुरादाबाद व मोदीनगर में कलई के बतन बनाये जाते हैं। मुरादाबाद में बतनों के ऊपर खुदाई और जुड़ाई का काम बहुत सुन्दर होता है। बनारस में पीतल व ताँबे के बतन व खिलौने बनाये जाते हैं।

(६) चीनी मिट्टी के बतन बनाना :—मिट्टी के बतन तो राज्य के प्रत्येक गाँव व शहर में कुम्हारों द्वारा बनाये जाते हैं परन्तु हाल ही में चीनी मिट्टी के बतन बनाने का धन्धा राज्य में पनप चला है। इसके मुख्य केन्द्र खुर्जा, चुनार, गाढ़ियाबाद किठौर, बनारस इत्यादि हैं।

(७) काँच के बतन बनाना —काँच की चूड़ियाँ, चिमनी, गिलास, माला के दान व काँच का अन्य साधारण सामान इस उद्योग की प्रमुख उत्पत्ति हैं। फिरोजाबाद भारत की चूड़ियों की ३/५ भाग को पूरा करता है। इसके प्रमुख केन्द्र मरायछत्रीला, फिरोजाबाद, सासनी, बहजोई, नैनी, बनारस व बांलावती हैं।

(८) लकड़ी पर चित्रकारी का काम —यह काम अधिकतर सहारनपुर नगीना, मैनपुरी में किया जाता है।

उपरोक्त क अतिरिक्त मेरठ में चाकू व कैंचियाँ बनाने का उद्योग, अलीगढ़ में ताले बनाने का उद्योग, आगरा में दरिया व कालीन बुनने का उद्योग, मुजफ्फरनगर में कम्बल बुनने का उद्योग, बनारस में लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग व मिर्जापुर में गनीचे बुनने का उद्योग आदि बहुत ही विकसित कुटीर उद्योग हैं। सहायक धन्धों के रूप में, मिट्टी व लकड़ी के खिलौने बनाना, गुड बनाना, मूठा, चटाई, रस्मी, टोकरा आदि बुनना, साबुन बनाना, रंगाई छपाई रुई बुनना, चमड़ा कमाना, शहद की भक्की पालना आदि भी प्रान्त भर में किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सुझाव :—

उत्तर प्रदेश क कुटीर उद्योगों की समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ और विकास के सुझाव लगभग वही हैं जो कि साधारण भारतीय कुटीर उद्योगों की हैं। अतः प्रश्न क इस भाग के उत्तर के लिये कृपया प्रश्न ६६ का उत्तर देखिये।

राजस्व (PUBLIC FINANCE)

अध्याय ४५

सार्वजनिक वित्त

प्रश्न ६४—राजस्व किसे कहते हैं ? निजी और राजकीय व्यय व्यवस्था में भेद कीजियेगा ।

(What is Public Finance ? And differentiate between Private and Public Finance.)

उत्तर :—

राजस्व का अर्थ '—'राजस्व' अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है । इसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकारी आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है तथा उसका किस प्रकार व्यय किया जाता है । आज राजस्व के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण का भी अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार राजस्व का क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन ने राजस्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'राजस्व सरकार के आय, व्यय और एक दूसरे के अनुरूप लाने की प्रक्रिया का अध्ययन है । (Public Finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which one is adjusted to the other) इसी प्रकार सिडनी चेरमैन ने राजस्व के विषय में कहा है कि, "राजस्व अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो सरकार के आय प्राप्त करने और उसे व्यय करने की प्रक्रिया की विवेचना करता है ।" (Public finance is that part of Political economy which discusses the way in which government obtain revenues and manages them)

इस प्रकार राजस्व के अन्तर्गत सरकारी आय, व्यय एवं सार्वजनिक ऋण में सम्बन्धित बातों का अध्ययन किया जाता है ।

राजकीय और व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था में भेद :—राजकीय और व्यक्तिगत दोनों ही अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम लाभ की प्राप्ति होता है तथा आय और व्यय में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है । फिर भी राजकीय और व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था में कुछ भिन्नताएँ पाई जाती हैं जिसको सार्वजनिक के रूप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :—

भिन्नता का दृष्टिकोण	व्याक्तगत अर्थ व्यवस्था	राजकीय अर्थ व्यवस्था
१. आय व्यय का समायोजन ।	१. इस दशा में व्यय आय से अधिक नहीं होने पाता है ।	१. पहले व्यय का अनुमान लगाया जाता है तथा बाद में आय के साधनों में आय प्राप्त की जाती है ।
२. ऋण तथा आय के साधन ।	२. वह केवल दूसरे व्यक्ति से ऋण ले सकता है और उसके आय के साधन सीमित होते हैं ।	२. सरकार बाह्य तथा आन्तरिक दोनों ही साधनों से ऋण प्राप्त कर सकती है तथा नोट छाप कर अपनी आय के साधन में वृद्धि कर सकती है ।
३. बजटों की अवधि ।	३. व्यक्तिगत दशा में यह अल्प-कालीन होता है । साधारणतः प्रतिमास ।	३. परन्तु राजकीय अर्थ व्यवस्था में बजट की अवधि एक वर्ष की होती है ।
४. सीमान्त उपयोगिता की समानता ।	४. व्यक्ति प्रत्येक व्यय को सतर्कता से व्यय करता है तथा अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति की कोशिश करता है ।	४. परन्तु सरकारी व्यय में इतनी सतर्कता नहीं पाई जाती है । वे वर्तमान सीमान्त उपयोगिता के साथ २ मविध्य की सीमान्त उपयोगिता का भी ध्यान रखते हैं ।
५. बजटों में बचत ।	५. व्यक्तिगत रूप में बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा सज्जा सजाया जाता है ।	५. परन्तु राजकीय अर्थ व्यवस्था में बचत को दोष पूर्ण माना जाता है क्योंकि यह बचत व्यक्तियों के त्याग से प्राप्त होती है । इसलिए राजकीय अर्थ

भिन्नता का दृष्टिकोण	व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था	राजकीय अर्थ व्यवस्था
६. प्रयोग विधि ।	६. इस दशा में प्रत्येक बात छिपा कर रखी जाती है ।	व्यवस्था में संतुलित बजट को ही अच्छा माना जाता है । ६. परन्तु राजकीय अर्थ व्यवस्था में प्रत्येक बात को प्रचार का रूप दिया जाता है ।
७. परिवर्तनशीलता	७. व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सुगम नहीं है ।	७ परन्तु राजकीय अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन आसानी से किये जा सकते हैं ।
८. दृष्टिकोण ।	८. व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्था स्वार्थहित के दृष्टिकोण से प्रभावित होती है ।	८. परन्तु राजकीय अर्थ-व्यस्था का उद्देश्य हमेशा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत तथा राजकीय अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य एक होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन दोनों अर्थ व्यवस्थाओं में अनेक भिन्नताएँ पाई जाती हैं ।

प्रश्न ६५—सार्वजनिक व्यय किन सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिये । क्या भारत में सार्वजनिक व्यय इन सिद्धांतों के आधार पर होता है ?

(Explain fully the various canons of public expenditure. Is public expenditure in India based on these canons.)

उत्तर—

आज प्रत्येक राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है । इसके लिए प्रत्येक राज्य जनता से कर वसूल करती है तथा प्राप्त आय को सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर व्यय करती है जिससे सामाजिक लाभ अधिकतम हो सके । यह लाभ अधिकतम तभी होगा जबकि राज्य व्यय करते

समय कुछ नियमों का पालन करे। यह नियम ही सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत कहलाते हैं। प्रोफेसर फिन्डले शिराम ने चार मुख्य निम्न सिद्धांतों का वर्णन किया है :—

(१) लाभ सिद्धांत :—इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होना चाहिये जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी तथा कर-दत्ता को कर देने की योग्यता में वृद्धि होगी। इस सामाजिक लाभ की कोई अधिकतम सीमा तो निश्चित नहीं की जा सकती लेकिन फिर भी इसकी

न्यूनतम सीमा निश्चित कर सकते हैं और वह यह है कि सार्वजनिक व्यय से करदाता को इतना लाभ अवश्य प्राप्त होना चाहिये जितना कि वह कर के न देने पर प्राप्त करता। इस सिद्धांत के अनुसार इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि समाज में धन का वितरण समान हो। इसके लिए अधिकांश व्यय निर्धन वर्ग के व्यक्तियों पर किया जाता है।

(२) मितव्ययिता सिद्धांत :—इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को प्रत्येक व्यय मितव्ययितापूर्वक करना

चाहिये। सार्वजनिक व्यय में किञ्चन खर्चों नहीं होनी चाहिये। इसके निरीक्षण के लिए सरकार को उचित प्रवन्ध करना चाहिये। साथ ही व्यय ऐसी मदों पर भी होना चाहिये जिसमें भविष्य में राष्ट्रीय पाय बढ़े। इस प्रकार यहाँ मितव्ययिता का अर्थ यह नहीं है कि व्यय किया ही न जाये बल्कि जो भी व्यय हो उसका सदुपयोग होना चाहिये। तभी जनता के पैसे का अच्छा उपयोग हो सकता है।

(३) स्वीकृति सिद्धांत :—इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यय पहले उचित अधिकारी द्वारा स्वीकृत होना चाहिये तथा उसी के अनुसार व्यय किया जाना चाहिये। सरकार को इसका निरीक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिये। आजकल प्रत्येक राज्य में व्यय की स्वीकृति धारासभा द्वारा होती है तथा धारासभा द्वारा ही कोई व्यय कम या अधिक किया जा सकता है। ऋणों से प्राप्त आय के व्यय में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है

सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत :—

१. लाभ सिद्धांत।
२. मितव्ययिता सिद्धांत।
३. स्वीकृति सिद्धांत।
४. बचत सिद्धांत।
५. लोच सिद्धांत।
६. उत्पात एव वितरण पर अच्छा प्रभाव।
७. व्यय में पुनरावृत्ति न हो।

क्योंकि इसके भुगतान की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वीकृति लेने का उद्देश्य यही होता है कि व्यय में अख्यय न होने पावे।

(४) बचत सिद्धांत :— इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को बजट इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे व्यय आय से हमेशा कम रहे तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा न लेना पड़े। लेकिन यह सिद्धांत आज के समय में उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सरकार को अनेक कार्यों को पूरा करने के लिये व्यय-आय से अधिक करना पड़ता है तथा साथ ही आन्तरिक एवं बाह्य ऋणों तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार को सन्तुलित बजट की स्थिति प्राप्त करना अपना उद्देश्य समझना चाहिये।

किन्डले शिराज के उपलिखित सिद्धान्तों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्री व्यय के सिद्धांतों में निम्न सिद्धांतों की भी व्याख्या करते हैं।

(५) लोच सिद्धांत :— इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय में देश की परिस्थितियों को देखते हुए घटने और बढ़ने का गुण होना चाहिये। इसी को व्यय का लोच सिद्धांत कहते हैं।

(६) उत्पत्ति एवं वितरण पर अच्छा प्रभाव :— सार्वजनिक व्यय का उत्पत्ति एवं वितरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। सार्वजनिक व्यय से समाज में उत्पादन बढ़ना चाहिये तथा धन की असमानता भी दूर होनी चाहिये। इसके लिए सरकार को निचन वर्ग के व्यक्तियों पर अधिक व्यय करना चाहिये।

(७) ध्वय में पुनरावृत्ति न हो — देश की केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सस्थाओं द्वारा किये गये व्यय में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक सस्था का व्यय का क्षेत्र प्रथक-प्रथक होना चाहिये।

उपलिखित सिद्धांत सार्वजनिक व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं तथा प्रत्येक राज्य इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर व्यय करने का प्रयत्न करती है। भारत में सभी सिद्धांतों का तो पालन नहीं होता फिर भी साम सिद्धांत, स्वीकृति सिद्धांत तथा वितरण के समान होने के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन होता है। भारत में मितव्ययिता सिद्धांत एवं बचत सिद्धांत का उल्लंघन पाया जाता है। इसलिए हम भारत के सार्वजनिक व्यय को अष्टम नहीं कह सकते हैं।

प्रश्न ६६.— कर लगाने के सिद्धांत क्या हैं ? पूर्ण व्याख्या कीजिये। भारतीय करों में इन सिद्धांतों का कहां तक समावेश किया गया है ?

(What are the canons of taxation ? Explain fully. To what extent the Indian taxes satisfy these principles ?)

उत्तर :—

सरकार जनता से किस प्रकार कर प्राप्त करे, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने कुछ नियम प्रतिपादित किये हैं जिन्हें कर लगाने के सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम आडम स्मिथ (Adam Smith) ने अपनी पुस्तक (Wealth of Nation) में निम्न चार सिद्धांतों को बतलाया है :—

(१) समानता या न्याय का सिद्धांत (Cannon of Equality or Equity) :—इस नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार लगाये जायें कि प्रत्येक करदाता को समान स्वार्थ त्याग करना पड़े और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर देना पड़े। गरीबों की टैक्स देने योग्यता कम होनी है और अमीरों की अधिक। त्याग की समानता के लिये यह आवश्यक है कि गरीबों से टैक्स बहुत कम और अमीरों से बहुत अधिक लिया जाय।

अतः करदाता की आय जितनी अधिक हो उतनी ही अधिक दर से उसमें कर वसूल किया जाय अर्थात् बढमान टैक्स प्रणाली (Progressive system of taxation) को अपनाया जाय।

(२) निश्चितता का सिद्धांत (Cannon of certainty) —इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति को जो कर देना पड़े वह निश्चित हो, अन्या धुंध न हो, कर देने वाले तथा

अन्य आदमियों को कर देने का समय, ढग व कर की मात्रा स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिये। यदि कर में अनिश्चितता है तो व्यक्ति को कर देने में कठिनाई होगी और राज्य का बजट भी सफल नहीं हो सकता है।

(३) सुविधा का सिद्धांत (Cannon of Convenience) —प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी विधि से वसूल किया जाना चाहिये कि न तो करदाता को उसके देने में कठिनाई हो और न राज्य को उसके वसूल करने में ही कोई असुविधा हो। करदाता को कर देने में सुविधा तब अधिक होती है जब उसके पास पैसा होता है जैसे भारत में भूमि कर, अन्यथा करदाता और

कर लगाने के सिद्धांत :—

१. समानता का सिद्धांत।
२. निश्चितता का सिद्धांत।
३. सुविधा का सिद्धांत।
४. मितव्ययिता का सिद्धांत।
५. लोच का सिद्धांत।
६. सरलता का सिद्धांत।
७. उत्पादकता का सिद्धांत।

राज्य दोनों को ही असुविधा होगी । परीक्षा करों में सुविधा का गुण पाया जाता है ।

(४) मितव्ययिता का सिद्धांत :—(Cannon of Economy) :— कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि कर की प्रामदनी का अधिक भाग सरकारी कोष में जमा हो जाये पर्याप्त कर वसूल करने का व्यय कम से कम हो । इस सिद्धांत का यह भी अर्थ है कि कर का देश के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिये ।

उपरोक्त कर-सिद्धांतों के अतिरिक्त निम्न तीन कर सिद्धांत और प्रचलित हैं :—

(५) लोच का सिद्धांत (Cannon of Elasticity) :— कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि जब राज्य को अधिक धन की आवश्यकता हो तो कर सरलतापूर्वक बढ़ाये जा सकें । आय वर इम दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । कर की दर में थोड़ी सी वृद्धि या कमी करके राजकीय कोष में करोड़ों की आय बढ़ाई या घटाई जा सकती है ।

(६) सरलता का सिद्धांत (Cannon of Simplicity) :— कर और कर लगाने का तरीका सीधासादा होना चाहिये जो साधारण व्यक्ति की समझ में आ जाये, आय कर में यह गुण नहीं पाया जाता है ।

(७) उत्पादकता का सिद्धांत (Cannon of Productivity) :— कर ऐसे होने चाहिये कि सरकार को उनसे पर्याप्त आय हो जाय । ऐसा न हो कि कर से थोड़ी ही आय प्राप्त हो और छोटे-छोटे घनेकी कर लगाने पड़ें । एक बार कर देने में कर दाताओं को इतना बुरा नहीं लगता जितना कि बार-बार देने में ।

भारत में इन सिद्धांतों का कहाँ तक पालन किया जाता है :—

भारत में आय कर, भूमि कर, बिक्री कर, आयात-निर्यात कर व वस्तुओं के उत्पादन पर कर आदि ही मुख्य कर हैं । आय कर में समानता का गुण पाया जाता है । एक निश्चित आय वाले व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देते और फिर टैक्स की दर प्रामदनी के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है । आय कर व भूमि कर में निश्चितता का भी गुण है । राज्य को यह ज्ञात हो जाता है कि इन करों से कितनी प्रामदनी होगी परन्तु आयात-निर्यात कर व बिक्री करों में यह गुण नहीं पाया जाता है । सुविधा के दृष्टिकोण से भूमि कर और वस्तुओं पर लगे कर जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि श्रेष्ठ कर हैं । भूमि कर ऐसे समय वसूल किया जाता है जब किसान की फसल कट कर तैयार

हो जाती है। बिक्री कर प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु की कीमत के साथ ही थोड़े थोड़ी मात्रा में अदा कर देता है। आय कर की वसूली में बहुत व्यय होता है, एक पूरा विभाग ही इस कार्य के लिये देश में फँसा हुआ है परन्तु आयकर में मितव्ययिता का गुण पाया जाता है। इसी भाँति उत्पादकता और लोच के दृष्टिकोण से आय कर श्रेष्ठ कर है परन्तु इसमें सरलता का गुण नहीं पाया जाता है, यह इतना जटिल है कि विशेषज्ञ भी बहुत सी बातों पर एक मन नहीं हो पाते। परोक्ष करों में सरलता का गुण तो विद्यमान है ही परन्तु लोच और उत्पादकता नहीं पाई जाती है।

अतः देश की कर प्रणाली को सतुलित और आदर्श बनाने के लिये उसमें विभिन्न प्रकार के करों का समावेश किया जाता है।

प्रश्न ६७—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का अन्तर स्पष्ट कीजिये। प्रत्येक के लाभ व हानियों की विवेचना कीजिये।

(Distinguish clearly between direct and indirect taxes. Discuss the merits and demerits of each.)

उत्तर :—

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) :—

प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी आदमी से माँगा जाता है जिस पर उसका भार डालने की सरकार की इच्छा हो। यह कर करदाता स्वयं देता है, इसे वह दूसरों पर टाल नहीं सकता। इसका भार करदाता को स्वयं भेलना पड़ता है। आय कर, मालगुजारी, सम्पत्ति कर इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

परोक्ष कर (Indirect Tax) :—

परोक्ष कर अप कर को कहते हैं जो किसी व्यक्ति से इस उद्देश्य या इच्छा से माँगा जाता है कि वह कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल कर दायित्व पूर्ति कर लेगा। यह करदाता स्वयं ही नहीं देता, इसे वह दूसरों पर टाल देता है। इसका भार किसी अन्य व्यक्ति को भेजना होता है। ऐसे कर सामान्यतः वस्तुओं पर लगाये जाते हैं और वस्तुओं की कीमत में जोड़ कर ग्राहकों से वसूल कर लिये जाते हैं जैसे सेल्स टैक्स, उत्पादन कर, आयात-निर्गत कर, आदि।

प्रत्यक्ष कर के लाभ (Merits of direct Taxes) :—प्रत्यक्ष करों के निम्न लाभ हैं :—

(१) ये न्यायपूर्ण होने हैं :—इनकी इस प्रकार लगाता जाता है कि निर्धन लोगों पर इनका बोझ कम पड़े और धनिक लोगों पर अधिक । जिस व्यक्ति में कर देने की जितनी शक्ति होती है उससे उतना ही कर वसूल किया जाता है । अतः ये कर न्यायपूर्ण होते हैं ।

(२) ये निश्चित होने हैं :—करदाता यह जानते हैं कि उन्हें निश्चित रूप में कितनी रकम किस समय देनी है और सरकारी अधिकारी भी जानते हैं कि कुल कितना धन टैक्सों के रूप में वसूल होगा ।

(३) ये मितव्ययी होते हैं :—करदाता स्वयं सरकार को कर चुकाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता । इसलिये इनको एकत्र करने का व्यय भी कम होता है ।

(४) ये लोचदार होते हैं :—प्राथमिक भवट के समय प्रत्यक्ष कर की पीढी सी दर बढ़ा कर काफी आमदनी वसूल की जा सकती है । इसके प्रति रिक्त जैसे-जैसे भावादी और देश की सुख समृद्धि बढ़ती है, वैसे ही वैसे इन करों की भाव अपने आप बढ़ती जाती है । अतः ये कर लचकीले होते हैं ।

(५) ये न गरिक चेतना उत्पन्न करते हैं । करदाता कर देने समय इस बात का अनुभव करता है कि वह राष्ट्र के लिये धन दे रहा है । अतः वह उसके सदुपयोग में दिलचस्पी लेना लगता है । करदाता सरकारी खर्च तथा अन्य राज्य के कामों की आलोचना करते हैं ।

प्रत्यक्ष कर के दोष (Demerits of direct Taxes) :—

(१) ये असुविधा पूर्ण हैं :—करदाता को अपने हिमाङ्क-कित्ताङ्क विशेष ढंग से रखने पड़ते हैं, उसका पूरा विवरण व अनेकों फार्म आदि भर कर अधिकारियों को भेजने पड़ते हैं और टैक्स तय कराने के लिये स्वयं दफ्तरों में जाना पड़ता है । इनकी एक साथ भुगतान करना भी बड़ा असुविधाजनक होता है ।

(२) इनसे बचने की चेष्टा की जाती है :—प्रत्यक्ष करों के बचन के लिये करदाता हिसाब-कित्ताङ्क गलत बना दिया करते हैं और कर बचा लेते हैं परन्तु जो लोग ईमानदार होते हैं उनको सब कर देना पड़ता है ।

(३) कभी-कभी सरकार जनता को कर देने की सामर्थ्य का सही अनुमान नहीं लगा पाती और इच्छानुसार कर लगा देती है । इस कारण देश के किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय की समावना बढ़ जाती है ।

परोक्ष कर के लाभ (Merits of Indirect Tax) —परोक्ष करों में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं —

(१) ये सुविधाजनक होते हैं —परोक्ष कर वस्तुओं की कीमतों में मिले रहते हैं। अतः करदाता इनको अनुभव नहीं करता। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते समय दिये जाते हैं। राज्य भी इनको छोड़े से व्यक्तियों से इकट्ठा वसूल कर लेता है।

(२) ये प्रत्येक से वसूल किये जाते हैं —गरीब और अमीर सभी वस्तुओं का एक ही कीमत पर क्रय करते हैं। अतः प्रत्येक को समान टैक्स देना पड़ता है।

(३) इनसे आसानी से बचा नहीं जा सकता है —ऐसे कर वस्तुओं की कीमत में शामिल रहते हैं। अतः जो भी व्यक्ति वस्तु खरीदता है उसको ये कर अवश्य ही देने पड़ते हैं। वह इनसे बचने का प्रयत्न भी नहीं करता।

(४) हानिकारक वस्तुओं के ऊपर कर लगा कर उनके उपभोग को कम किया जा सकता है और सामाजिक हित की वृद्धि की जा सकती है।

(५) कुछ परोक्ष कर लोचपूर्ण भी होते हैं। अनिवार्यताओं पर लये कर ऐसे ही कर हैं। कर लगाने से इनकी माग कम नहीं होती। अतः ऐसी वस्तुओं पर कर दर बढ़ा कर अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

परोक्ष कर के अवगुण (Demerits of Indirect Taxes) —

(१) ये मितव्ययतापूर्ण नहीं होते —अंतिम करदाता और राज्य के बीच में अनेकों मध्यस्थ आ जाते हैं जो वस्तु के मूल्य को कर की मात्रा से अधिक बढ़ा देते हैं।

(२) ये न्याय पूर्ण नहीं होते —निर्धन व धनिक वर्ग सबको ही सामान कर देना पड़ता है जबकि निर्धनों की कर देय शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। अतः निधनों को अधिक त्याग करना पड़ता है।

(३) ये अनिश्चिन होते हैं।—किसी वस्तु के उपयोग की कुल मात्रा का सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः इनकी आय अनिश्चल होती है।

(४) अनिवार्यताओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर लगाये गये कर लोचदार नहीं होने क्योंकि कर लगाने से, कीमतें बढ़ती हैं और वस्तु की बिक्री कम हो जाती है।

(५) ये नागरिकता की भावना जाग्रत नहीं करते :—करदाता राज्य को सीधे ही कर नहीं देता बल्कि यह भी अनुभव नहीं करता कि वह कोई कर दे रहा है। कर तो वस्तु की कीमत के साथ पदा कर दिया जाता है। अतः वह राज्य की आय-व्यय में कोई दिलचस्पी नहीं लेता।

आवश्यक यह है कि प्रत्येक देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार के कर होने चाहिये।

—

प्रश्न ६८—एक कर तथा अनेक कर प्रणाली का वर्णन करियेगा तथा एक अच्छी कर पद्धति की विशेषताओं का वर्णन करियेगा।

(Explain fully the single and multiple tax system and also the main characteristics of a good tax system)

उत्तर :—

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य को एक कर प्रणाली या अनेक कर प्रणाली अपनानी चाहिये। इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में भी बहुत मतभेद रहा है। अब हम प्रत्येक के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

एक कर प्रणाली :—एक कर प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य को तमाम आय एक कर के लगने से प्राप्त होती है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने सरलता के आधार पर एक कर प्रणाली को उचित बताया तथा इसका समर्थन किया था। इसी कारण से समय-समय पर विभिन्न प्रकार के करों के आरोपण पर विशेष महत्व दिया और भूमि कर, धार्य कर, सम्पत्ति के पूर्वी मूल्य पर कर आदि। परन्तु इस कर प्रणाली में एक मुख्य दोष यह है कि कर केवल समाज के एक वर्ग पर ही लगेगा तथा समाज के अन्य व्यक्ति कर भार से बने रहेंगे तथा एक कर के द्वारा राज्य की तमाम आय भी प्राप्त भ्रामानी से नहीं हो सकेगी। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री एक कर प्रणाली के पक्ष में नहीं हैं।

अनेक कर प्रणाली :—अनेक कर प्रणाली वह कर प्रणाली है जिसमें करों का भार थोड़ा थोड़ा करके अनन्त मर्दों में बाँट दिया जाता है तथा इस प्रणाली में कर भार किसी विशेष मर्द पर अधिक नहीं होता है। ऐसा करने से कर का भार समाज के सभी व्यक्तियों पर पड़ेगा तथा राज्य को आवश्यकतानुसार आय प्राप्तानी से प्राप्त हो सकेगी। परन्तु यह कर प्रणाली भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है क्योंकि अनेक प्रकार

के कर होने के कारण इसकी वसूली में अधिक व्यय होगा तथा करदाताओं को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा ।

उचित प्रणाली :—उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से न तो एक कर प्रणाली और न अनेक कर प्रणाली उचित हैं । वरन् देश में बहुरूपी कर प्रणाली होनी चाहिये ।

बहुरूपी कर प्रणाली :—बहुरूपी कर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कुछ तो बड़े-बड़े कर होते हैं जिनका भार केवल धनी व्यक्तियों पर पड़ता है और जिनसे आय का एक बड़ा अंश प्राप्त होता है और कुछ छोटे छोटे कर होते हैं जिनका भार समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है । इस प्रकार बहुरूपी कर प्रणाली को ही एक अच्छी कर प्रणाली कहा जा सकता है ।

अच्छी कर पद्धति की विशेषतायें

किसी देश की कर पद्धति अच्छी है या नहीं । इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है । इसके लिए हमें देखना होगा कि उस देश की कर पद्धति में एक श्रेष्ठ कर पद्धति के गुण हैं या नहीं । एक अच्छी कर पद्धति की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) **प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का समावेश :—**एक अच्छी कर प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही प्रकार के कर होने चाहिये । दोनों ही प्रकार के करों के लगाने से समाज के सभी वर्गों पर कर का भार आता है । प्रत्यक्ष कर का भार धनी वर्ग पर तथा परोक्ष कर का भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक होता है । इसलिए कर को न्यायसंगत बनाने के लिये समाज में दोनों ही प्रकार के कर होने चाहिये ।

(२) **बहुरूपी कर प्रणाली होनी चाहिये :—**वास्तविक जीवन में न तो एक कर प्रणाली और न अनेक कर प्रणाली वरन् इन दोनों के मध्य का रास्ता अगमना चाहिये । देश की कर प्रणाली में कुछ कर ऐसे होने चाहिये जिनका प्रभाव धनी वर्ग के व्यक्तियों पर पड़े तथा कुछ कर ऐसे होने चाहिये जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़े । इस दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही प्रकार के कर समाज में लागू होने चाहिये । सभी देश में एक उचित बहुरूपी कर प्रणाली स्थापित हो सकती है ।

(३) **कर प्रणाली में सभी कर सिद्धांतों का समावेश :—**एक अच्छी कर प्रणाली वही है जिसमें कर के सभी सिद्धांत पाये जाते हैं । जैसे उत्पादकता, लोचकता, निश्चितता, विविधता, सरलता आदि के गुण । कर

प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे राज्य की आवश्यकतानुसार आय प्राप्त हो सके तथा नागरिकों को देश के प्रति सद्भावना बनी रहे। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसका देश की आर्थिक उन्नति पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा साथ ही कर प्रणाली के द्वारा देश में धन संचय में भी कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली वही है जिससे देश के आर्थिक विकास में कोई बाधा न हो तथा राष्ट्रीय आय आवश्यकतानुसार प्राप्त हो सके। कर प्रारोपण के समय अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum social Advantages) की ओर ध्यान रखना भी एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है।

अध्याय ४६

भारत में केन्द्रीय राजस्व

प्रश्न ६६—भारत की केन्द्रीय सरकार की आय-व्यय की मुख्य मदों की विवेचना कीजिये।

(Discuss the main heads of Income and Expenditure of the central Government of India)

उत्तर :—

भारत में गणतन्त्र का नया संविधान २६ जनवरी सन् १९५० से लागू किया गया। इस संविधान के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के आय तथा व्यय के साधनों को भी निश्चित किया गया। इस प्रकार के विभाजन का आधार उनसे सम्बन्धित काय थे।

भारत की केन्द्रीय सरकार की आय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं —

(१) आयात निर्यात कर (Customs Duties) .—भारत से जो वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हैं उन पर सरकार निर्यात कर (Export Duty) लेती है और जो वस्तुएँ विदेशों से भारत में आती हैं, उन पर सरकार आयात (Import duty) लेती है यह कर या तो माल के मूल्यानुसार या माल की मात्रानुसार (Specific) लगाया जाता है। ब्रिटिश शासन

जब तक काश्मीर समस्या का हल नहीं हो जाता, पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हो जाते, भारत सरकार को अपनी फौजों के ऊपर यह व्यय करते रहना पड़ेगा।

(२) नागरिक शासन पर व्यय (Civil administration) :—देश

का शासन चलाने में राज्य को बहुत बड़ी रकम व्यय करनी पड़ती है। इसके घन्तर्गत राज्य-संसद, लोकसभा व दूतावास सम्बन्धी व्यय शामिल हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इस मद पर व्यय और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि विदेशों में नये नये दूतावास खोले गये हैं और देश में नये-नये विभागों में अफसरों की नियुक्ति की गई है। मितव्ययिता पूर्वक व्यय करके इस मद पर कुछ बचत आवश्यक है। १९५८-५९ में इस मद पर २०० करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित था।

(३) निर्माण कार्य पर व्यय (Nation Building Expenditure) :—शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी इमारतों, कर्मचारियों के मकान, रोशनी, सड़क, आदि के उचित प्रबंध व देखभाल पर सरकार को काफी धन खर्च करना होता है।

(४) कर वसूली पर व्यय :—विभिन्न प्रकार के करों को वसूल करने के लिये देश में लाखों कर्मचारी नियुक्त हैं। उनके वेतन भत्तों आदि का व्यय इस मद में आता है। गतवर्ष इस मद पर ८५ करोड़ का व्यय हुआ।

(५) व्याज (Interest) :—भारत सरकार जनता से और विदेशी सरकारों और संस्थाओं से ऋण लेती है जिस पर उसे व्याज देना पड़ता है गतवर्ष ४० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था।

(६) निर्वासित सहायता पर व्यय (Expenditure on Rehabilitation) :—देश के विभजन के बाद से भारत सरकार शरणार्थियों को बसाने और उन्हें काम पर लगाने का सतत प्रयत्न कर रही है। इस कार्य पर सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार के व्यय के साधन :—

१. सुरक्षा पर व्यय।
२. शासन पर व्यय।
३. निर्माण कार्य पर व्यय।
४. कर वसूली पर व्यय।
५. व्याज।
६. निर्वासित सहायता पर व्यय।
७. अन्न आपात पर व्यय।
८. अन्य व्यय।

(७) अन्न आयात पर व्यय (Expenditure on food grains import) :—विद्यते कई वर्षों से बाढ भा जाने और फसल नष्ट हो जाने के कारण देश में अन्न की कमी है । भारत सरकार प्रतिवर्ष कोई १०० करोड रुपये व्यय करके विदेशों से अन्न आयात करती है ।

(८) अत्रय व्यय (Miscellaneous) —राज्यों की सहायता, कर्मचारियों को पेंशन, मुद्रा व टकसाल, प्रावि मदों पर भी भारत सरकार को व्यय करना पडता है ।

— ० —

अध्याय ४७

भारत में प्रान्तीय राजस्व

प्रश्न १००—उत्तर-प्रदेशीय सरकार की आय-व्यय की मुख्य मदे क्या हैं ? राज्य के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिये आय प्राप्ति के लिये अपने सुझाव दीजिये ।

(What are the principle heads of income and expenditure of the U. P. Government ? Suggest measures to increase revenues to meet increasing State Expenditure.)

उत्तर .—

नये विधान के अनुसार राज्य सरकारों को कुछ कार्य सौंपे गये हैं तथा उनके आय तथा व्यय के साधन भी निश्चित किये गये हैं । मालोचकों का कहना है कि प्रान्तीय सरकारों की आय बेनोचदार है और व्यय की सीमा अनिश्चित है क्योंकि राज्य सरकारों को अनेक राष्ट्र निर्माण के कार्य करने पडने हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार की आय के मुख्य साधन :—

(१) मालगुजारी (Land Revenue) :—राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख साधन भूमि कर अथवा मालगुजारी है । इस मद में साधारण मालगुजारी, सरकारी स्टेट की बिक्री, जमीन का महसूल आदि सम्मिलित रहता है । इस मद से आय निश्चित रहती है । यू० पी० में भूमि कर की दरों में परिवर्तन केवल ३० या ४० वर्ष में होता है क्योंकि यहाँ स्थाई बंदोबस्त प्रचलित है । राज्य में जमींदारी उन्मूलन होने के पश्चात से इस मद से आय घटती जा रही है ।

(२) कृषि आय कर :—यू० पी० में कृषि आय कर १९४८-४९ में लगाया गया था यह कर उन्हीं किसानों पर लगाया जाता है जिनकी ५० एकड़ से अधिक भूमि और ३००० रु० से अधिक आय है। इस कर में अभी कोई विशेष आय नहीं होती।

राज्य सरकार के आय के साधन :—

१. मालगुजारी।
२. कृषि आय कर।
३. सघीय आय कर का भाग।
४. धावकारी कर।
५. बिक्री कर।
६. मनोरंजन कर।
७. अन्य कर।
८. नागरिक शासन।
९. सिचाई से आय।
१०. बस यात्रायात से आय।

(३) संघीय आय कर का भाग.—प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर का एक निश्चित भाग दिया जाता है। उत्तर-प्रदेश सरकार को भी इससे काफी आय प्राप्त हो जाती है।

(४) धावकारी कर (Excise Duties) :—भांग, चरस, गाँजा, शराब आदि नशीली वस्तुओं बनाने पर राज्य का एकाधिकार है। इन वस्तुओं

के उत्पादन पर कर लगता है और इनके बेचने वालों से लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। अतः राज्य को काफी आमदनी हो जाती है। राज्य की सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति (Prohibition) अपनाई जाने के कारण इस मद से आय धीरे-धीरे गिरती जा रही है।

(५) बिक्री कर (Sales Tax) :—सर्वप्रथम १९४८-४९ में यू० पी० सरकार ने राज्य में बिक्री कर लागू किया। आज यह राज्य की आय का एक प्रमुख साधन है। यह एक परोक्ष कर और ग्राहकों पर टाल दिया जाता है। अतः विशेषतया अनिवायंताओं के ऊपर यह नहीं लगाना चाहिये।

(६) मनोरंजन कर.—सिनेमा, थियेटर इत्यादि देखने वालों से सरकार मनोरंजन (Entertainment Tax) वसूल करती है। राज्य में इसकी दर ५० नया पैसे प्रति रुपया है। यह कर बड़ा सुविधाजनक है। राज्य को इसके वसूल करने में और उद्योगों को इसे भ्रष्टाचार करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

(७) स्टाम्प, जगल, रजिस्ट्री व मोटर कर —स्टाम्प में रुकों पर लगाये गये टिकट, कोर्ट फीस तथा रसीदी टिकट की आय सम्मिलित है। जंगलों की लकड़ी बेचकर तथा पशुओं को धराने से आय प्राप्त होती है।

मोटर चलाने की लाइसेंस फीस, मरान, दुकान व जमीनों की रजिस्ट्री, फीस से भी राज्य को प्राय प्राप्त होती है ।

(८) नागरिक शासन :—इसमें न्यायालयों, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्मा, कृषि, सहकारिता तथा उद्योग धर्मों में प्राप्त होने वाली प्राय सम्मिलित हैं ।

(९) सिंचाई से प्राय :—सरकार को नहरों और ट्यूबवैलों द्वारा सिंचाई करने में सिंचाई कर मिलता है । यह प्राय इस मद में शामिल की जाती है ।

(१०) बस यातायात से प्राय :—राज्य में मराठी यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है मुख्य मंडलों पर राज्य की यमें चन रही हैं । इससे भी राज्य को काफी प्राय हों जाती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार की व्यय की मदें :—

(१) शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा :—राज्य में शांति स्थापित करने के लिये सरकार को पुलिस, जेल, न्यायालय आदि रखने पड़ते हैं । इन सब पर राज्य सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है ।

(२) राष्ट्र निर्माण कार्य :—राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत

राज्य सरकार के व्यय के साधन :—

१. शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा ।
२. राष्ट्र निर्माण कार्य ।
३. कर वसूली में व्यय ।
४. सिंचाई ।
५. मूद ।
६. सार्वजनिक निर्माण ।

स्वास्थ्य व विनिर्मा, शिक्षा, कृषि विभाग, सहकारिता का विकास, प्राथमिक विभाग, कुटीर उद्योग धर्मों के विकास आदि का व्यय सम्मिलित होता है । इन सब सुविधाओं के ऊपर राष्ट्र के लोगों का जीवन निर्भर करता है । यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में इन मदों पर व्यय बढ़ता जा रहा है लेकिन इन सुविधाओं के महत्व और इनकी राज्य में आदर्य-यता को देखते हुए इन पर व्यय अधिक होना चाहिये ।

(३) पर वसूली में व्यय :—राज्य द्वारा लगाये गये करों को वसूल करने में भी सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है ।

(४) सिंचाई :—नहरों, ट्यूबवैलों व तालाब आदि के बनवाने में जो व्यय होता है वह इस मद के अन्तर्गत आता है ।

(५) सूद —राज्य जनता से व केन्द्रीय सरकार से ऋण लेता है उस ऋण का व्याज भी व्यय की एक प्रमुख मद है ।

(६) सार्वजनिक निर्माण —राज्य में सड़क, पुल, सरकारी इमारतें व राज्य कर्मचारियों के महान आदि बनवाने में राज्य को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ते हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग (P. W. D.) के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का व्यय भी इस मद में सम्मिलित है ।

राज्य की आय बढ़ाने के सुझाव (Measures to enhance state revenues)

राज्य के बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिये राज्य की आय बढ़ाना आवश्यक है । यह निम्न प्रकार से हो सकता है :—

- (१) आमदनी के नये साधन ढूँढ कर
- (२) पुराने साधनों की आय बढ़ा कर
- (३) व्यय में मितव्ययिता बरके ।

राज्य में विकास कर (Development levy) लगाया जाना चाहिये । राज्य में बहुत सी विदेशी बम्पनियाँ काम कर रही हैं । उनका राष्ट्रीयकरण करके राज्य की आय बढ़ाई जा सकती है । पुराने करों की दरों में वृद्धि की कोई जगह नहीं है । मनोरजन कर की दर देश में सबसे ऊँची है, स्टाम्प ड्यूटी, रमीद टिकट, रजिस्ट्रेशन फीस आदि भी काफी ऊँची हैं । अतः राज्य को चाहिये कि वह अपने व्यय में मितव्ययिता बरते, कर प्राप्ति व्यय को घटाये, सुरक्षा शासन आदि पर व्यय कम बरे । सघ सरकार अपना व्यय कम करके राज्य सरकारों को अधिक सहायता दे सकती है ।

अध्याय ४८

भारत में स्थानीय राजस्व

प्रश्न १०१—नगरपालिकाओं के आय व्यय के साधनों की विवेचना कीजिये ।

(Discuss the source of the income and expenditure of Municipalities)

उत्तर :—

नगरपालिका एक स्थानीय सस्था है जिसका कार्य क्षेत्र नगर होता है। इस पर स्थानीय समस्याओं के हल करने का कार्य-भार होता है।

नगरपालिका की आय की स्रोत :—

(१) व्यापार कर —जब किसी नगर में कुछ माल बिक्रन आता है अथवा नगर से कुछ माल बाहर भेजा जाता है तो नगरपालिकायें उस माल पर कर लगाते हैं। चुंगी (Octroi Duty) सीमा कर (Terminal Tax) और राहदारी कर (Toll Tax) आदि इस प्रकार के कर हैं। ये भारतवर्ष की नगरपालिकाओं की आय के मुख्य साधन हैं। चुंगी एक परोक्ष कर है। अतः अनिवार्यताओं पर आसामदायक और विलासिता के पदार्थों की अपेक्षा कम चुंगी लगाई जाती है। इसके वसूल करने में काफी व्यय होता है। अतः चुंगी की अपेक्षा आजकल राहदारी और सीमा कर पसन्द किया जाता है।

- | नगरपालिका के आय के साधन — | |
|---------------------------|----------------------|
| १. | व्यापार कर। |
| २. | मकान या सम्पत्ति कर। |
| ३. | निजी सम्पत्ति से आय। |
| ४. | मूल्य या महसूल। |
| ५. | सरकारी सहायता। |
| ६. | फीस और लाइसेंस। |
| ७. | अन्य कर। |

(२) मकान या सम्पत्ति कर :—शहरो में मकान, दुकान व अन्य सम्पत्ति पर नगरपालिकायें उसके स्वामी पर कर लगाती हैं। यह एक प्रत्यक्ष और अनुपातिक कर है परन्तु मकानों की पूर्ति बेहोच होने के कारण यह गरीब किरायेदारों पर टाक दिया जाता है।

(४) निजी सम्पत्ति से आय :—इसमें नगरपालिकाओं की भूमि मकानों व घमशालाओं का किराया बाजारों व कसाई खानों से प्राप्त आय तथा नगरपालिका द्वारा किये गये व्यवसायों जैसे दूध, घी का काम, ट्राम चलाना, आदि की आय शामिल है।

(४) मूल्य या महसूल (Rates) :—कुछ शहरो में नगरपालिकायें नागरिकों को कुछ सेवायें प्रदान करती हैं। जैसे बिजली व पानी मन्वाई करना। इन सेवाओं के उपभोग करने वालों से कुछ मूल्य चार्ज करके, आय प्राप्त की जाती है।

(५) सरकारी सहायता —नगरपालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा

शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण व अन्य साधारण कार्यों के लिए सहायता भी दी जाती है ।

(६) फीसों और लाइसेंस —नगरपालिकायें अपनी सीमा में चलने वाले तंगे, इक्के, रिक्शे, साइकिलो आदि के स्वामी से वृद्ध कर लेती हैं जो लाइसेंस फीस कहलाती हैं । शराब व क्षवाई बेचने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है । कुत्ते व अन्य जानवरों आदि पर भी कर लगाया जाता है ।

(७) अन्य कर :—कुछ नगरपालिकायें व्यक्तियों से घन हैसियत कर, यात्री कर, व्यवसाय कर (सांडसारी, तेल के कोरहू, रुई ओटने की मशीनें आदि पर) भी वसूल करती हैं । तीर्थ स्थानों की नगरपालिकाओं को यात्री कर से काफी आय प्राप्त होती है ।

नगरपालिकाओं के व्यय की भेद .—

(१) कर वसूली का व्यय :—नगरपालिका के साधारण प्रबन्ध और

नगरपालिका के व्यय के भेद —

- १ कर वसूली पर व्यय ।
- २ जनरक्षा ।
- ३ जन स्वास्थ्य ।
- ४ जन सुविधा ।
- ५ जन शिक्षा ।
- ६ सार्वजनिक निर्माण ।

कर वसूल करने के लिये दफ्तर और चुगी-घरों के कर्मचारियों के वेतन भत्ता, पेंशन आदि का व्यय इसमें सम्मिलित है ।

(२) जन रक्षा —यह व्यय सड़को और गलियों में रोशनी, पुलिस या चौकीदारी या आग बुझाने की मोटर, जगली जानवरों व मापों को मारन का इनाम आदि की व्यवस्था पर होता है ।

(३) जन-स्वास्थ्य —नगर में सफाई का प्रबन्ध कराने, अस्पताल खुलवाने, छूत आदि बीमारियों के फैलने पर टीके लगवाने, साफ व स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करने आदि पर नगरपालिकाओं को व्यय करना पड़ता है । खाद्य पदार्थों की शुद्ध बिक्री का प्रबन्ध आदि के लिये भी कर्मचारियों पर व्यय किया जाता है ।

(४) जन-सुविधा —जनता की सुविधा के लिये नगरपालिकायें धर्म-शालायें, विश्राम-गृह, तागा व रिक्शा-स्टैंड, पार्क, बाजार व ह्यायादार वृक्षों आदि के प्रबन्ध पर काफी व्यय करती हैं ।

(५) जन शिक्षा .—जनसाधारण की शिक्षा के लिये, स्कूल, पाठशालायें

रात्रि-पाठशालायें, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था पर काफी व्यय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल स्तर तक अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा है। इसका प्रबन्ध नगरो में ये नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है।

(६) सार्वजनिक निर्माण —सड़कें नाले, नालियाँ, पुल, इमारतें व अन्य नगरपालकीय भवनों को बनवाने का व्यय इस मद में शामिल किया जाता है।

प्रश्न १०२—उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के आय व्यय की मुख्य मदों को बताइये।

(Discuss the main heads of income and expenditure of District Boards in Uttar Pradesh.)

उत्तर —

जो कार्य नगरपालिकायें नगरो में करती हैं प्राय वही कार्य जिला बोर्ड गावों में करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों को समाप्त कर दिया गया है अथ उनको जगह अंतरिम जिला परिषदें (Interim District Councils) जिला बोर्डों के कार्यों को कर रही हैं —

जिला बोर्डों की आय के साधन —

(१) अब्बाव —जिला बोर्ड की आय का मुख्य साधन अब्बाव (Land cess) है जो मालगुजारी के साथ ही राज्य द्वारा वसूल कर लिया जाता है और राज्य के जिला बोर्डों में बांट दिया जाता है। जिला बोर्डों की आय का यह सबसे प्रमुख साधन है।

(२) हैसियत कर —गांव के व्यक्तियों से उनकी आय के अनुसार वसूल किया जाता है।

(३) सम्पत्ति कर —जिला बोर्ड भी गांव की सम्पत्तियों पर कर लगाती है।

(४) निज सम्पत्ति से आय —जिला बोर्डों को कुछ आय अपनी भराया, व इमारतों से होती है जिनको किराये पर उठा दिया जाता है।

(५) राज्य से सहायता —राज्य सरकार बहुत से अनहित व अन-निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये जिला बोर्डों को सहायता देती है।

(६) मार्ग शुल्क —अपनी सीमा से होकर गुजरने वाली नदियों के ऊपर घाट शुल्क चार्ज किया जाता है। नदियों के ऊपर अस्याई पुल बनवा-

कर उनके ठेके उठा दिये जाते हैं। इससे जिला बोर्डों को कुछ आय हा जाती है।

(७) काँजी हाँस (Cattle House) — इनमें आबारा घूमने वाले पशुओं को बन्द कर दिया जाता है जिनको कुछ जुर्माना अदा करने के पश्चात् ही उनके मालिकों को वापिस किया जाता है। इससे भी जिला बोर्डों को आय होती है।

(८) खेती के बीज व औजारों की विक्री से आय व गाँव में लगाने वाले हाट, बाजार, मेले व प्रदर्शनियों में दुकानों के किराये से आय आदि भी जिला बोर्डों की आय के मद हैं।

जिला बोर्डों के आय के मद

जिला बोर्ड अपनी आय को निम्न मदों पर व्यय करते हैं —

- (१) गाँवों में प्राइमरी स्कूल व पुस्तकालयों की व्यवस्था।
- (२) अस्पताल खुलवाना, टीके लगवाना व मलेरिया की रोकथाम।
- (३) जानवरों के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय खोलना।
- (४) हाट, बाजार, मेले व प्रदर्शनियों का प्रबंध।
- (५) सड़क, पुल, घाट, सार्वजनिक स्थान व अन्य इमारतें बनवाना।
- (६) खरागाह का प्रबन्ध, वृक्ष व बाग लगवाना।
- (७) कर वसूल करना।
- (८) ऋणों पर व्याज देना।

विनिमय (EXCHANGE)

विनिमय

प्रश्न १०३—विनिमय का अर्थ स्पष्ट कीजिये । विनिमय से दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ?

(Explain the meaning of the term 'Exchange' Show how the two parties are benefitted by Exchange ?)

उत्तर —

विनिमय का अर्थ —

'दो पक्षों अथवा दो व्यक्तियों के बीच होने वाली धन अथवा सम्पत्ति के पारस्परिक, ऐच्छिक तथा वैधानिक परिवर्तन को विनिमय कहते हैं ।' साधारणतया विनिमय का अर्थ वस्तुओं व सेवाओं का बदल-बदल है परन्तु यदि यह धन का हस्तांतरण ऐच्छिक वैधानिक व पारस्परिक नहीं है तो इस क्रिया को विनिमय नहीं कह सकते । यदि राम ५ ह० का एक फाउन्टेनपैन एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ से खरीदता है तो यह क्रिया विनिमय कहलायेगी क्योंकि यह दोनों पक्षों (खरीददार व विक्रेता) की इच्छानुसार, वैधानिक ढंग से की गई है । मान लीजिये कि एक विद्यार्थी कालिज में जुर्माना देता है, यह कार्य वैधानिक तो है पर ऐच्छिक नहीं । इसी प्रकार यदि चोरी किसी की किताब चुराने तो किताब की यह बदल-बदल भी विनिमय नहीं होगी क्योंकि यह वैधानिक नहीं है । अतः धन का पारस्परिक, ऐच्छिक व वैधानिक हस्तांतरण ही विनिमय कहा जायेगा ।

विनिमय की निम्न शर्तें हैं :—

- (१) दो व्यक्तियों अथवा पक्षों का होना ।
- (२) धन का हस्तांतरण ।
- (३) हस्तांतरण पारस्परिक, इच्छानुसार व वैधानिक होना ।

विनिमय के प्रकार (Forms of Exchange) :—

विनिमय के दो तरीके हैं —(१) बदल बदल और (२) क्रय विक्रय बदल-बदल प्रथा (Barter system) के अन्तर्गत एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा से सर्घे ही परिवर्तन होता है, जैसे एक किसान का गेहूँ के बदले में कपड़ा लेना, एक जुलाहे का कपड़े के बदले में जूता लेना आदि । क्रय-विक्रय प्रणाली (Purchase and Sale) के अन्तर्गत विनिमय द्रव्य के माध्यम द्वारा

होता है। पहले वस्तुओं को द्रव्य से प्रदत्त जाता है फिर उस द्रव्य से अपनी आवश्यक वस्तुओं खरीदी जाती हैं। प्रथम क्रिया को क्रय (Purchase) और द्वितीय क्रिया को विक्रय (Sale) कहते हैं।

विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को लाभ होता है —

यह कहा जाना है कि एक व्यक्ति का लाभ दूसर की हानि द्वारा होता है (One man's gain is another man's loss), इसी दृष्टिकोण के कारण लोगो में यह अमार्त्मक विचार पाया जाता है कि विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ नहीं होता। यदि एक पक्ष को लाभ होता है तो दूसरे पक्ष की हानि। परन्तु यदि ऐसी बात है तो विनिमय होता क्यों है? वस्तुतः यह बात गलत है। विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को लाभ होता है।

विनिमय द्वारा मनुष्य ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता है जो उसके पास नहीं है परन्तु वह उसकी कोई आवश्यकता पूर्ति करती है अर्थात् उसकी उस उपयोगिता है। उसके बदले मनुष्य अपनी वह वस्तु देता है जो उसके पास अधिक है और जो उसकी आवश्यकता पूर्ति के काम नहीं आती अर्थात् जिसकी उसे उपयोगिता कम है। अतः विनिमय द्वारा व्यक्ति अपने अपने कम उपयोगिता की वस्तु देकर अधिक उपयोगिता की वस्तु ले लेता है और उस उपयोगिता का लाभ होता है। दूसरे पक्ष के मन में भी ठीक वही विचारधारा काम करती है। दोनों पक्ष समझते हैं कि विनिमय में वे दते कम और लेते अधिक हैं। अतः विनिमय से दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है।

प्राचीन अर्थशास्त्री 'लाभ का अर्थ उपयोगिता के लाभ से नहीं बल्कि 'द्रव्य के लाभ' से लगाते थे। इसीलिये उनका मत था कि विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ नहीं होता। विनिमय या तो समान मूल्य वाली या असमान मूल्य वाली वस्तुओं का ही होता है। मान लीजिये, राम के पास एक फाउन्टेनपैन है जिसकी कीमत ५ रु० है। राम इस फाउन्टेनपैन को बेकर समझता है और उसके बदले एक किताब लेना चाहता है। सुरेश के पास वह किताब है जो राम चाहता है परन्तु उसके लिये उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किताब की कीमत ३ रु० है। वह इस किताब को बदले में एक फाउन्टेनपैन लेना चाहता है। दोनों अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय कर लेते हैं। इस विनिमय में राम को २ रु० की हानि होगी और सुरेश को २ रु० का लाभ। परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्री कहेंगे कि राम और सुरेश दोनों को ही लाभ हुआ है। राम कम उपयोगिता की वस्तु (फाउन्टेनपैन) देकर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु (किताब) प्राप्त करता है और सुरेश भी कम उपयोगिता की वस्तु

(विताव) के बदले में अधिक उपयोगिता की वस्तु (फाउन्टनपैन) प्राप्त करता है। अतः दोनों को ही उपयोगिता वा लाभ होता है। इसका कारण यह है कि एक ही वस्तु के लिए दो उपयोगिताएँ होती हैं—एक उस व्यक्ति को जो उसे लेता है और दूसरी उसे देता है। लेने वाले को वस्तु की उपयोगिता देने वाले की अपेक्षा अधिक होती है।

इसलिये यह कहना भी सत्य है कि विनिमय में अपेक्षाकृत अतिरिक्त पदार्थों का अपेक्षाकृत आवश्यक पदार्थों से बदल-बदल किया जाता है, (*Exchange is the barter of the comparatively superfluous for the comparatively necessary*) जिस व्यक्ति पर जितनी चीज़ें अपनी आवश्यकताओं से अधिक होती हैं उसके अतिरिक्त चीज को वह दूसरे व्यक्ति की अतिरिक्त चीज में बदल लेता है जिसकी उसको अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक होती है। यह बात दानों ही पक्षों के साथ लागू होती है।

उदाहरण —मान लीजिये अ के पास गेहूँ और ब के पास चावल हैं। मान लीजिये दोनों का स्वभाव एक ही प्रकार का है। उनके लिये गेहूँ और चावल की विभिन्न इकाईयों की उपयोगिता इस प्रकार है —

वस्तु की इकाईयाँ	गेहूँ (अ)	चावल (ब)
१	३०	३२
२	२४	२५
३	२०	२१
४	१६	१६
५	११	१२
६	८	९

अ गेहूँ की अन्तिम इकाई जिसकी उपयोगिता ८ है देकर चावल की पहली इकाई जिसकी उपयोगिता ३२ है, खरीद लेता है। अतः उसको $३२ - ८ = २४$ इकाई उपयोगिता का लाभ होगा। इस प्रकार ब चावल की अन्तिम इकाई जिसकी उपयोगिता ९ है देकर गेहूँ की पहली इकाई जिसकी उपयोगिता ३० है, प्राप्त कर लेगा। अतः उसको $३० - ९ = २१$ इकाई की उपयोगिता का लाभ होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। जब दोनों में से किसी एक अथवा दोनों को विनिमय से हानि होने लगेगी तो विनिमय रुक जायगा। उक्त उदाहरण में अ और ब चावल और गेहूँ की ४ इकाईयाँ ही खरीदेंगे। पाचवीं इकाई खरीदने पर दोनों को हानि होगी।

यदि राम कपडा देकर जूता लेना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूँढना पड़ेगा जो जूता देकर कपडा लेने को तैयार हो। मानलीजिये सोहन जूता तो देना चाहता है पर बदले में तेल चाहता है, तो राम और सोहन मिलकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जो कपडा लेकर तेल दे दे। इस प्रकार इच्छाओं के दोहरे संयोग के अभाव में बड़ी कठिनाई होती है और वस्तु परिवर्तन नहीं हो पाता।

द्रव्य के प्रयोग से यह कठिनाई दूर हो गई है। अब राम को यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसा व्यक्ति ढूँढे जो कपडा लेकर जूता देदे। अब वह एक ऐसा व्यक्ति ढूँढेगा जो कपडा लेने को तैयार है। उसको घड़ी देकर बदले में द्रव्य मिलेगा और द्रव्य में जूता व अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुयें धरीद लेगा।

(२) मूल्य के मापक का अभाव :—(Want of a common Measure of Value) :—अदल-बदल प्रणाली के अन्तर्गत बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं के विषय में यह याद रखना पड़ता है कि प्रत्येक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुयें कितनी लेनी या देनी हैं। एक सेर तेल के बदले में कितना पुड, कितना कपडा, कितना गेहूँ, कितना चना आदि चाहिये, यह सब हर समय याद रखना पड़ता है। कोई ऐसा सर्वमान्य माप नहीं होता जिसको आधार मान कर सब वस्तुयें एक दूसरे से बदली जा सकें। अतः वस्तु परिवर्तन में बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाती है।

द्रव्य के प्रयोग से यह कठिनाई भी दूर हो गई है। राजदल प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में याद रखना पड़ता है जो अपेक्षाकृत बहुत ही आसान कार्य है। विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अतः यह कठिनाई उपस्थित नहीं होती।

(३) विभाजन की कठिनाई (Difficulty of sub-division) :—अदल-बदल की तीसरी कठिनाई यह है कि कुछ वस्तुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता और यदि उनका विभाजन कर भी दिया जाये तो वे बेकार हो जाती हैं। मानलीजिये ५ मन गेहूँ के बदले १ घोड़ा प्राप्त हो सकता है यदि किसी व्यक्ति के पास $1\frac{1}{2}$ मन गेहूँ है तो क्या वह $1\frac{1}{4}$ घोड़ा प्राप्त कर सकता है? नहीं—क्योंकि घोड़ा नहीं जा सकता और यदि बाँट दिया जाये तो वह बेकार हो जाता है।

इसी प्रकार मानलीजिये एक गाय के बदले में तीन बकरियाँ मिलती हैं। यदि गाय वाला १ बकरी लेनी चाहे तो गाय की अविभाज्यता के कारण वह उसको नहीं ले सकता।

परन्तु द्रव्य के चलने ने अदल बदल की इस अशुविधा को भी दूर कर दिया है। अब गाय वाला उसने दुकड़े नहीं करता वह बाजार में गाय के बदले द्रव्य प्राप्त कर लेता है। प्राप्त द्रव्य में से कुछ से वह बकरी खरीद लेता है और शेष द्रव्य का उपभोग अन्य आवश्यक वस्तुओं के खरीदने में करता है।

प्रश्न १०५—अदल बदल की प्रमुख अशुविधाओं का उल्लेख करो ? क्या यह प्रणाली अब पूर्णतया समाप्त हो चुकी है ?

(Discuss the principle inconveniences of Barter Has it been completely finished in the modern times ?)

उत्तर —

प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के लिये प्रश्न १०४ का उत्तर पढ़िये।

वर्तमानयुग में वस्तु परिवर्तन — अदल बदल की प्रथा एक ऐसे समाज में सफल हो सकती है जहाँ के व्यक्तियों की आवश्यकतायें बहुत ही सीमित और साधारण होती हैं, जहाँ विनिमय का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और जहाँ समाज आर्थिक दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः ससार के उन भागों में जहाँ उपरोक्त दशायें पाई जाती हैं। अदल बदल की प्रथा अब भी प्रचलित है। भारतीय गावों में व्यक्तियों की आवश्यकतायें थोड़ी सी और साधारण हैं जीवन की अनेकों अनिवायतायें इसी प्रथा के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। फसल काटने के समय श्रमिकों की सेवाओं का मूल्य अन्न देकर चुकाया जाता है। अन्न के बदले ग्रामीण व्यक्ति बहुत सा वस्तुयें गाव के बनियों, फेरी-वालों व पैठ आदि के दुकानदारों से प्राप्त कर लेते हैं। शहरों में कहीं-कहीं गली कूचों में शक-सब्जी आज भी इस प्रकार बिकती हैं।

वस्तु परिवर्तन प्रथा का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आज भी प्रयोग होता है। एक देश ससार के दूसरे देशों से जितने मूल्य का माल भगाता है उतने ही मूल्य का माल ससार के दूसरे देशों को बेच देता है। इस प्रकार जब माल का माल द्वारा मुगतान होता है तो इसको हम वस्तु परिवर्तन ही कह सकते हैं। परन्तु इनसे और प्राचीन वस्तु परिवर्तन में काफी अन्तर है। प्राचीन काल में खेती को तय करने के लिये आजकल के समान कोई सर्वमान्य माप न था परन्तु आजकल द्रव्य द्वारा यह कार्य सरलता से हो जाता है।

अध्याय ५०

बाजार

प्रश्न १०६—अर्थशास्त्र में 'बाजार' शब्द का क्या अर्थ है ? उन कारणों को स्पष्ट कीजिये जो किसी वस्तु के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं ?

(What is meant by the term 'Market' in Economics ? State and explain the causes which effect the extent of the market for a commodity ?)

उत्तर :—

'बाजार' शब्द से साधारणतया हमारा अर्थ उस स्थान से होता है जहाँ एक या बहुत सी वस्तुओं के खरीदार व बेचने वाले एकत्रित होकर वस्तुओं को देखभाल कर क्रय-विक्रय करते हैं। जैसे सब्जी बाजार, सर्राफा बाजार। यह बाजार शहर के किसी विशेष स्थान में होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय होता है। परन्तु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द की यह परिभाषा बड़ी संकुचित और अर्धज्ञानिक मानी जाती है। यातायात व मवादवाहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप बाजारों का अर्थ बदल गया है। अधिकांश वस्तुयें आज भी किसी स्थान विशेष पर विकती हैं परन्तु उनका विक्री-क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है, सोने, चाँदी, गेहूँ, पटसन के खरीदने व बेचने वाले वाले समस्त संसार में फैले हुये हैं। वे तार, टेलीफोन इत्यादि से आपस में प्रति-स्पर्धा करते रहते हैं। अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ इसी व्यापक रूप में लगाते हैं।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कूरनो (Cournot) के अनुसार 'अर्थशास्त्र में 'बाजार' शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान विशेष से नहीं होता जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है वरन उस तमाम क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के तमाम खरीदार व बेचने वालों में इस प्रकार का स्वतन्त्र व प्रतिभोगिता पूर्वक सम्बन्ध हो कि वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पाई जाय" (Economists understand by the term 'market', not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such

free inter course with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly") इस परिभाषा के अनुसार बाजार के लिये न वस्तुओं की भौतिक उपस्थिति आवश्यक है और न क्रेताओं और विक्रेताओं का किसी स्थान विशेष पर एकत्रित होना ही आवश्यक है क्रेताओं और विक्रेताओं में इस प्रकार का सम्बन्ध होना कि वस्तु की कीमत बाजार के समस्त क्षेत्र में समान हो जावे ।

अतः बाजार के चार आवश्यक गुण हैं —

- (१) एक वस्तु का होना ।
- (२) वस्तु के क्रेताओं का होना ।
- (३) वस्तु के विक्रेताओं का होना ।
- (४) क्रेताओं और विक्रेताओं में आपस में स्पर्धा होना ।

आर्थिक बाजार के दृष्टिकोण से एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न किस्म या विभिन्न ट्रेड-मार्क, अलग-अलग वस्तुयें मानी जायेंगी क्योंकि प्रत्येक के अपने अपने क्रेता व विक्रेता हैं और अपना-अपना मूल्य है । जैसे कमल, हनुमान, रथ, वनसदा ब्रांड आदि वनस्पति ची ये एक वस्तु नहीं हैं इन सबका बाजार अलग-अलग है ।

बाजार का क्षेत्र (Extent of the market) :— यदि किसी वस्तु के खरीदार व बेचने वाले बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं तो वस्तु का बाजार विस्तृत (wide) कहा जायगा और यदि छोटे से ही क्षेत्र में फैले हुए हैं तो वस्तु का बाजार सकुचित (Narrow) कहा जायगा । उन कारणों को जो किसी वस्तु के बाजार के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं दो भागों में बांट सकते हैं ।

(१) बाह्य परिस्थितियाँ या देश में पाई जाने वाली बातें (Internal conditions of a country)

(२) वस्तु के गुण (Qualities of a commodity)

देश की आंतरिक व्यवस्था .—

(१) शांति व सुरक्षा (Peace and Security) :— यदि देश में शांति, सुरक्षा, विश्वास व सुव्यवस्था है तो बाजार का विस्तार हो जाता है क्योंकि व्यापारियों को अपना हथका मारे जाने अथवा माल नूटे जाने का भय नहीं रहता और वे निर्भीक होकर व्यापार करते हैं । शांतिमाल में व्यापारी दूर-दूर के स्थानों से माल मगाते हैं और दूर दूर स्थानों को माल भेजते हैं । युद्धकाल में वस्तुओं का आवागमन रुक जाता है और बाजार का क्षेत्र भी सकुचित हो जाता है ।

(२) यातायात व संचार वाहन के साधन (Means of transportation and communication) :—यातायात के साधन जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि के उन्नत होना पर वस्तुओं का दूर-दूर तक आना-जाना आसान, सस्ता व शीघ्र हो जाता है। व्यापारी दूर देश को अपना माल भेजते हैं और मगाते हैं। इससे बाजार की सीमा बढ जाती है। इसी प्रकार डाकखाना, तार, टेलीफोन, इत्यादि के साधन अच्छे होने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान को समाचार भेजना व मगाना शीघ्र, सरल व सस्ता हो जाता है। इनकी सहायता से व्यापारी घर बैठे ही बैठे वस्तुओं का क्रय-विक्रय कर लेते हैं। परन्तु यातायात व संचारवाहन के साधनों के उत्तम व सस्ते न होने पर, वस्तुओं का बाजार विस्तृत नहीं होता, क्योंकि दूर-दूर के व्यापारी एक दूसरे से स्पर्धा नहीं कर पाते। ज्यों ज्यों यातायात के साधनों में विकास हो रहा है तथा तथा वस्तुओं के बाजार स्थानीय के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय होते जा रहे हैं। आजकल भारतवर्ष व घाम उदर और न्यूयार्क के बाजारों में यातायात की सस्ती व शीघ्र सुविधाओं के निवाम के कारण ही विकते हैं।

(३) चलन व बैंकिंग प्रणाली (Money of Banking) — यदि देश में मुद्रा का मूल्य स्थिर व बैंकिंग व साथ सुव्यवस्थित होती है तो उस देश में सभी देशों के व्यापारी अपना व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाते हैं परन्तु यदि देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रा हो या उसका मूल्य अस्थिर रह, तो व्यापारी वर्ग उस देश में व्यापार करना पसन्द नहीं करेंगे, उन्हें सर्वत्र हानि की सम्भावना बनी रहेगी। अच्छी बैंकों के अभाव में पर्याप्त पूँजी का निर्माण नहीं होगा, उचित व्याज पर ऋण प्राप्त नहीं होगा। परिणाम-स्वरूप वस्तुओं का बाजार विस्तृत नहीं होगा।

(४) व्यापार के वैज्ञानिक ढंग (Scientific Business Methods) .—यदि क्रेता स्वयं वस्तु को देख परख कर सोदा तय करें या स्वयं गोदाम तक जाना पड़े तो ऐसी वस्तु का बाजार सीमित रहता है परन्तु वैज्ञानिक ढंग में व्यापार करने से व्यापार अधिक हो जाता है। माल का वैज्ञानिक विज्ञापन नमूनों तथा श्रणियों के आधार पर माल वचना, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में माल का प्रदर्शन, आदि द्वारा वस्तुओं का बाजार धीरे धीरे बढता जाता है।

वस्तु के गुण (Qualities of the commodity) :—

बाजार का विस्तृत व सकुचित होना वस्तु-विशेष के स्वयं के गुण पर

भी निर्भर करता है। विस्तृत बाजार होने के लिये एक वस्तु में निम्नलिखित गुण होने चाहियें।

(१) **विस्तृत माँग (Wide Demand)** — जितनी विस्तृत किसी वस्तु की माँग होती है उतना ही विस्तृत उसका बाजार होता है। गेहूँ, कपास, लोहा, सोना चादी इत्यादि वस्तुओं की माँग सर्वव्यापी है और सभार भर में अनुभव की जाती है, अतः उनके बाजार अन्तर्राष्ट्रीय हैं। धोती व टोपी की माँग अधिकांश भारतवर्ष तक ही सीमित है अतः इनका बाजार राष्ट्रीय है। कच्चा माँग विस्तृत होना ही विस्तृत बाजार के लिये आवश्यक नहीं बल्कि माँग का निरन्तर (Regular) होना भी आवश्यक है। यही नहीं कि आज माँग है और कल नहीं है।

(२) **पर्याप्त पूर्ति (Adequate Supply)** — केवल वस्तु की अधिक माँग से ही उसका बाजार विस्तृत नहीं हो जाता। साथ ही साथ वस्तु की पूर्ति भी माँग का पूरा करन के लिये काफी होनी चाहिये। हस्तलिखित पुस्तकें व कलात्मक चित्रों का बाजार संकुचित ही रहता है क्योंकि इनकी पूर्ति बड़ी मात्रा में नहीं होने पाती।

(३) **टिकाऊपन (Durability)** :— शीघ्र नष्ट हो जाने वाली और कोमल वस्तुओं जैसे माँग, फल, दूध दही, मास, मछली इत्यादि सुरक्षित अवस्था में दूर-दूर तक नहीं भेजी जा सकती और न कुछ समय संग्रहित की जा सकती। अतः इनका बाजार सीमित होता है। टिकाऊ वस्तुओं जैसे गेहूँ, सोना, लोहा, रुई आदि जगह-जगह किसी हानिकारक एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकती हैं। अतः इनका बाजार विस्तृत होता है। परन्तु कोल्ड स्टोरेज व यातायात के शीघ्रगामी साधनों आदि की सुविधाओं के विकास के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत हो गया है।

(४) **दहनोयता (Portability)** — जिन वस्तुओं का वजन व आकार उसके मूल्य के अनुपात में कम होता है, उनका बाजार विस्तृत होता है। इसके विपरीत जो वस्तुओं सस्ती व भारी होती हैं, उनका बाजार संकुचित होता है। इसीलिये घटिया, सोना व चादी आदि का बाजार विस्तृत और डेंट, घास व रेत आदि का बाजार संकुचित होता है।

(५) **वस्तु का ग्रेड या नमूने बनाने की सुविधा (Facility for grading and Sampling)** — जिन वस्तुओं में यह गुण होता है उनका बाजार बड़ा होता है क्योंकि नमून अथवा ग्रेड की हुई वस्तु की कुछ मात्रा निकाल कर दूर-दूर व्यापारियों को जाच पत्ताच के नियम में भेजी जा सकती

हैं। इनके आधार पर ही करोड़ों रुपये के आर्डर प्राप्त कर लिये जाते हैं। उपभोक्ता अथवा ग्राहक को बाजार में आने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे ही बैठे माल का क्रय-विक्रय हो जाता है। गेहूँ, मँगनीज, सोना, चाँदी आदि वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है। इसके विपरीत जिस वस्तु का नमूना नहीं निकाला जा सकता या ग्रेड नहीं बन सकता उसकी बिक्री दूर देशों के साथ नहीं हो सकती क्योंकि उपभोक्ता को स्वयं वस्तु देखने के लिये बाजार में घाना कठिन होता है जैसे गाय-बैल इत्यादि।

—०—

प्रश्न १०७—पूर्ण बाजार से क्या अभिप्राय है? इसको क्या विशेषतायें हैं? स्पष्ट कीजिये कि “एक ही प्रतियोगिता मूलक मूल्य एक पूर्ण बाजार की विशेषता और परीक्षा है।”

(What is a perfect market? What are its characteristics? Explain that “a single competitive price is both the characteristic and the test of a Perfect Market”.)

उत्तर :—

अर्थशास्त्र में बाजार का वर्गीकरण प्रतियोगिता के अंश (Degree of Competition) के आधार पर पूर्ण बाजार (Perfect Market) व अपूर्ण बाजार (Imperfect Market) में किया जाता है। जब किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तो इस दशा में वस्तु का बाजार पूर्ण बाजार कहलाता है। प्रोफेसर बँनहम के अनुसार “कोई बाजार उस दशा में पूर्ण कहलाता है जबकि ग्राहकों और विक्रेताओं को तुरन्त ही उन कीमतों का पता चल जाता है जिन पर सौदा हो रहा है। प्रत्येक ग्राहक और विक्रेता को दूसरों द्वारा दी जाने वाली अथवा मँगी हुई कीमत ज्ञात होती है।” इन सबका अर्थ है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिये। पूर्ण प्रतियोगिता के लिये यह आवश्यक है कि वस्तु के बहुत अधिक क्रेता हों, व बहुत अधिक विक्रेता हों। स्पर्धा क्रेता और विक्रेताओं से ही नहीं बल्कि क्रेता क्रेता में व विक्रेता विक्रेता में भी होनी चाहिये। प्रत्येक क्रेता को यह पता होना चाहिये कि अन्य क्रेता किस भाव पर वस्तु खरीद रहे हैं और विक्रेता किस भाव पर बेचना चाहते हैं। यही बात प्रत्येक विक्रेता को अन्य विक्रेताओं और क्रेताओं के सम्बन्ध में ज्ञात होनी चाहिये। इसके लिये संदेशवाहन व यातायात के साधनों की पूर्ण सुविधायें होनी आवश्यक

हैं। ऐसा नान होना पर कोई भी विक्रेता उस मूल्य से कम वसूल न करेगा जिस पर अन्य व्यापारी अपना पाल बच रहे हैं और कोई भी क्रेता उससे अधिक मूल्य न देगा जो अन्य क्रेतागण दे रहे हैं। इन सब बातों का प्रभाव होता है बाजार में एक ही मूल्य रहना। ऐसे बाजार को पूर्ण बाजार कहते हैं।

पूर्ण बाजार की निम्न विशेषतायें होती हैं —

- (१) वस्तु के बहूत से क्रेता,
- (२) वस्तु के बहूत से विक्रेता,
- (३) क्रेता व विक्रेताओं में आपस में प्रतियोगिता,
- (४) क्रेताओं में आपस में प्रतियोगिता,
- (५) विक्रेताओं में भी आपस में प्रतियोगिता,
- (६) प्रत्येक क्रेता व विक्रेता बाजार का पूर्ण ज्ञान,
- (७) सदसदाहन व यातायात की सुविधाओं का पूर्ण विकास जिससे व्यापारी वग वस्तु के भावों व स्टाको के विषय में शीघ्र और सस्ते ही सूचना प्राप्त कर सकें।

(८) समस्त बाजार में वस्तु की एक ही कीमत।

एक ही प्रतियोगितामूलक मूल्य पूर्ण बाजार की विशेषता और और परीक्षा है —

हम अभी देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के फलस्वरूप समस्त बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहनी है। यदि स्पर्धा का अभाव में एक वस्तु के दो भाव प्रचलित हैं, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उस वस्तु के दो बाजार कह जायेंगे। यदि किसी स्थान पर मूल्य में विभिन्नता होती है तो हमारे न्यान न माल वहा आ जाता है। माष की पूर्ति बढ़ जाने के फलस्वरूप वस्तु का दाम गिर जाता है और दोनों ही स्थानों पर मूल्य समान हो जाता है। परन्तु मूल्य की समानता में भाड़े की छूट दी जाती है। यदि इलाहाबाद में गेहूँ का भाव १८) रु० प्रति मन है और कानपुर में १८।) रु० प्रति मन है और इलाहाबाद में कानपुर तक एक मन गेहूँ लाने का यातायात व्यय १।) है तो इलाहाबाद और कानपुर में गेहूँ का एक ही भाव माना जायगा क्योंकि मूल्य का अन्तर यातायात व्यय के बराबर ही है। हमारे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ण बाजार में भी वस्तु के मूल्यों में अन्तर पाया जाता है परन्तु यह अन्तर यातायात व्यय से अधिक नहीं हो सकता। पूर्ण बाजार के अन्तर्गत यातायात व्यय और आयात करों को निकाल कर सारे बाजार में वस्तु की कीमत एक ही रहेगी। अतः पूर्ण बाजार की विशेषता तथा

पहिचान यही है कि बाजार के सारे क्षेत्र में वस्तु की एक ही कीमत होनी चाहिये ।

पूर्णबाजार वास्तविकता में :—वास्तविक जीवन में पूर्ण बाजार नहीं पाया जाता है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती । पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है अतः पूर्ण बाजार भी एक कल्पनात्मक विचार मात्र है । साधारणतया क्रेता तथा विक्रेता बाजार की दशा से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होते और एक वस्तु के विभिन्न मूल्य मिलना स्वाभाविक हो गये हैं । परन्तु सदेशवाहन के साधनों की उन्नति होने से अपूर्ण बाजार कुछ कम होते जा रहे हैं ।

प्रश्न १०८—निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :—

(i) चोर बाजार (ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (iii) अल्पकालीन व दीर्घकालीन बाजार ।

(Write short notes on (i) Black market (ii) International market and (iii) Short period and Long period markets.)

उत्तर :—

(i) **चोर बाजार व काला बाजार (Black market) :—**चोर बाजार क्रेताओं व विक्रेताओं के उस दल को कहते हैं जो छिपे-छिपे निर्धारित कीमत से ऊँची कीमत पर चीजें खरीदते और बेचते हैं । शब्द चोर बाजार द्वितीय महायुद्ध में प्रचलित हुआ । युद्धकाल में वस्तुओं की कमी और माँग की वृद्धि से उनकी कीमत बहुत ऊँची हो गई । अनिश्चितता और अभाव के भय से लोगों ने वस्तुओं को छिपा कर सग्रह कर लिया । फलस्वरूप कीमतें और अधिक बढ़ गई । इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिये गये व कई वस्तुओं का राशनिंग कर दिया गया । सग्रहकर्ता (Hoarders) व्यक्तियों की मजदूरी का लाभ उठाकर, राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से ऊँचे मूल्यों पर उपभोक्ताओं को वस्तुएँ बेचने लगे । कानून की पकड़ से बचने के लिये यह क्रय-विक्रय चोरी छिपे, गैर समय किया जाता था । अतः इस प्रकार के बाजार को चोर बाजार कहा गया ।

(ii) **अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (International market) :—**जिन वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता समस्त ससार में फैले हुए होते हैं, उनका बाजार विश्वव्यापी या अन्तर्राष्ट्रीय होता है । ऐसी वस्तुओं के खरीदने व बेचने वाले ससार भर में होते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार वाली वस्तुओं के ५ उदाहरण :—

गेहूँ, सोना, चादी, रई, पेट्रोल ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होने के लिए एक वस्तु में वे सब भुण होने चाहिये । जो उसके बाजार के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं (देखिये प्रश्न ७० का उत्तर) ।

(III) अल्पकालीन व दीर्घकालीन बाजार (Short and Long period market) — 'काल' या 'समय' में तात्पर्य उस अवधि से होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति मांग बढ़ने पर शीघ्र ही बढ़ाई जा सकती है और किमी की बहुत समय याद । जितना समय किसी वस्तु की मांग व पूर्ति को साम्य की अवस्था में आने में लगता है, उसके आधार पर बाजार के चार भेद किये जाते हैं—दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार ।


अल्पकालीन बाजार .—यह वह बाजार होता है जिसमें विक्रेता का इतना समय मिल जाता है कि वह बड़ी हुई मांग की पूर्ति किसी प्रकार कर सके परन्तु मांग के अनुसार नहीं । इस कारण मूल्य निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का योग अधिक रहता है । पूर्ति केवल वर्तमान साधनों व उचित उपभोग से ही की जा सकती है न कि उत्पत्ति के साधनों को घटा या बढ़ाकर । मानसीजिये किसी कारणवश किसी शहर में किसी धर्म धामों की मांग बढ़ने की आशा है । पास-पास के बाग वाले बागों की अधिक देखभाल करके धामों की उत्पत्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे । उनके पास इतना समय नहीं है कि वे नये पेड़ लगाकर धामों की पूर्ति वृद्धि कर सकें । इस प्रकार धामों की पूर्ति बढ़ तो जायगी परन्तु इतनी नहीं कि मांग को पूर्णतया पूरा किया जा सके । अतः धामों के दाम मांग अधिक होने के कारण ऊंचे ही रहेंगे ।

दीर्घकालीन बाजार (Long Period Market) .—यह वह बाजार होता है जिसमें वस्तु की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिये अल्पकाल की अपेक्षा और अधिक समय मिल जाता है तथा उत्पत्ति के साधनों को घटा या बढ़ाकर मांग के अनुसार उत्पत्ति की जा सकती है । उदाहरण के लिये धामों व उदाहरण में मानसीजिये उस शहर में धामों की मांग सर्वत्र के लिये बढ़ जाती है तो बाग धाने पुराने बागों की उचित देखभाल के अतिरिक्त नई जमीन खरीद कर नये बाग लगायेंगे जिससे कुछ वर्षों बाद बढ़ती हुई धामों की मांग को पूरा किया जा सके । इस प्रकार के बाजार में मांग की पूर्ति की अपेक्षा अधिक प्रभाव नहीं पड़ता वरन् पूर्ति का प्रभाव मांग की अपेक्षा इतना अधिक होता है कि वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन व्यय के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति रखता है ।

प्रश्न/१०६—बाजार के भेद बताइये तथा निम्नलिखित वस्तुओं का बाजार कैसा है ?
 (अ) लंगड़ा ग्राम, (आ) जूट का सामान, (इ) करघे का सामान (ई) कुम्हार के बर्तन ।

उत्तर :—

बाजार का भेद कई दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है । जैसे क्षेत्रीय, विक्रो की दृष्टि से समयानुसार, प्रति-
 योगिता की दृष्टि से तथा बाजार के गुण के प्रकार के इस प्रकार के वर्गीकरण को हम चाहे द्वारा निम्न प्रकार
 से प्रदर्शित कर सकते हैं :—



क्षेत्रीय बाजार — क्षेत्रीय बाजार चार प्रकार के होते हैं । (१) स्थानीय (२) प्रान्तीय (३) राष्ट्रीय तथा (४) अन्तर्राष्ट्रीय । इस प्रकार बाजार के क्षेत्र में विस्तार हो जाने से बाजार का भेद भी बदल जाता है । अब हम प्रत्येक के विषय में विस्तार से देखेंगे :—

(१) **स्थानीय बाजार** :—जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक विशेष स्थान पर होता है तो वह उस वस्तु का स्थानीय बाजार उन वस्तुओं का होता है जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं, या वजन में भारी होती हैं या जिनकी माँग स्थानीय होती है जैसे सब्जी, दूध, ईंट आदि । लेकिन वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार में भी विस्तार हो रहा है । कोल्ड स्टोरेज के प्रयोग से इस कार्य में बहुत सहायता प्राप्त हुई है ।

(२) **प्रान्तीय बाजार** — कुछ वस्तुयें ऐसी होती हैं जिनका क्रय-विक्रय प्रान्तीय स्तर होता है जिस कारण से उनका बाजार भी प्रान्तीय बाजार कहलाता है । जैसे हापुड के पापड, राजपूताने में लाख की बूडिया आदि ।

(३) **राष्ट्रीय बाजार** :—जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सारे देश में होना है तो वह उस वस्तु का राष्ट्रीय बाजार कहलाता है जैसे चाच की बूडिया, धोती आदि ।

(४) **अन्तर्राष्ट्रीय बाजार** :—इसके लिये कृपया प्रश्न न० ७६ को देखियेगा ।

बिक्री की दृष्टि से बाजार — बिक्री की दृष्टि से भी बाजारों को चार भागों में बाँटा जा सकता है — (१) मिश्रित (२) विशिष्ट (३) नमूने द्वारा तथा (४) ग्रेड द्वारा बाजारों की स्थापना ।

(१) **मिश्रित बाजार** — जब किसी बाजार में एक से अधिक वस्तुओं का क्रय विक्रय होना है तो उसे मिश्रित बाजार कहते हैं । जैसे एक ही बाजार में कपडा, जूता, गेहूँ, चीनी, तेल आदि का क्रय-विक्रय होना । प्रायः ऐसे बाजार छोटे-छोटे गाँवों एवं शहरों में पाये जाते हैं ।

(२) **विशिष्ट बाजार** :—जब किसी बाजार में केवल वस्तु विशेष का ही क्रय-विक्रय होता है तो उसे उस वस्तु का विशिष्ट बाजार कहते हैं । जैसे सब्जी मंडी में केवल सब्जी का क्रय-विक्रय तथा सराफे में केवल सोने, चाँदी का क्रय-विक्रय आदि । ऐसे बाजार बड़े-बड़े शहरों में पाये जाते हैं तथा ऐसे बाजारों का विकास दिन पर दिन हो रहा है ।

(३) **नमूने द्वारा बिक्री का बाजार** :—इस प्रकार के बाजार में

विक्रेता केवल विभिन्न वस्तुओं के नमूने अपने पास रखता है तथा उन्हीं के आधार पर क्रय-विक्रय होता है, ऐसे बाजार को नमूने द्वारा विक्री का बाजार कहते हैं। आधुनिक समय में ऐसे ही बाजारों का अधिक विकास हो रहा है।

(४) ग्रेड द्वारा विक्री का बाजार :—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो केवल अपने नाम या ग्रेड के आधार पर ही बिक जाया हैं। जैसे गेहूँ, वनस्पति घी आदि। ऐसी वस्तुओं के बाजारों को ग्रेड द्वारा विक्री का बाजार कहते हैं, ऐसी वस्तुओं का बाजार प्रायः विस्तृत होता है।

समयानुसार बाजार :—समय की दृष्टि से बाजार तीन प्रकार के होते हैं—(१) दैनिक (२) अल्पकालीन तथा (३) दीर्घकालीन बाजार। अर्थशास्त्र में बाजार के इस वर्गीकरण को समयानुसार बाजार कहते हैं।

(१) दैनिक बाजार :—दैनिक बाजार में वस्तु विशेष की पूर्ति निश्चित होती है। इस कारण से वस्तु के माग का मूल्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। माग अधिक होने पर मूल्य अधिक होगा और इसी प्रकार माग कम होने पर मूल्य भी कम होगा। दूसरे शब्दों में दैनिक बाजार की दशा में वस्तु की उपयोगिता का वस्तु की माग और पूर्ति के समय पर या वस्तु के मूल्य पर अधिक असर पड़ता है।

(२) अल्पकालीन तथा (३) दीर्घकालीन बाजार } इसके लिये कृपया प्रश्न न० ७६ को देखियेगा।

प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार :—प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार दो प्रकार का होता है—(१) पूर्ण बाजार तथा (२) अपूर्ण बाजार।

(१) पूर्ण बाजार :—इसके लिये कृपया प्रश्न न० ७८ को देखियेगा।

(२) अपूर्ण बाजार :—वास्तविक जीवन में बाजार पूर्ण बाजार नहीं होता है। इसी को ही अपूर्ण बाजार कहते हैं। व्यवहार में विभिन्न विक्रेता एक ही वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर बेचते हैं। क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अतः बाजार में वस्तु का समान मूल्य नहीं पाया जाता है, यही अपूर्ण बाजार की विशेषता है।

गुणों के आधार पर बाजार :—गुणों के आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है (१)—अच्छा बाजार तथा (२) चोर बाजार।

(१) अच्छा बाजार :—जब किसी बाजार में वस्तुएँ उचित मूल्य पर या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिलने लगती हैं तो ऐसे बाजार को अच्छा बाजार कहते हैं। सरकार मूल्य निर्धारित करते समय देश की उत्पादन

तथा वितरण की दशा को ध्यान में रखती है। विकसित समाज के लिये एक अच्छे बाजार की अति आवश्यकता होती है।

(२) चोर बाजार :—इसके लिए कृपया प्रश्न ७६ को देखियेगा।

बाजार निर्धारण

(अ) लंगड़ा आम :—लंगड़े आम का बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तीनों ही प्रकार का हो सकता है। यदि आम अधिक पका हुआ है तब बाजार स्थानीय होगा और यदि आम ताजा है और ६ या १० दिन तक खराब नहीं हो सकेगा तो इस दशा में आम का बाजार राष्ट्रीय होगा। यदि आम बहुत ही अच्छी किस्म का है और कुछ समय तक रक्सा जा सकता है तो वह विदेशों को भी भेजा जाने लगेगा। ऐसी दशा में इसका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होगा।

(आ) जूट का सामान :—जूट के सामान का बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तीनों ही प्रकार का होता है।

(इ) करघे का सामान :—जुलाहे के करघे के सामान का बाजार प्रायः प्रान्तीय तथा कभी-कभी राष्ट्रीय होता है।

(ई) कुम्हार के बर्तन :—कुम्हार के बर्तन का बाजार प्रायः स्थानीय होता है।

—

अध्याय ५१

मूल्य निर्धारण करने का सिद्धांत

प्रश्न ११०—बाजार मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु का बाजार मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है?

(What is market price? How is the market Price of a commodity determined?)

उत्तर :—

बाजार मूल्य (Market Price) :—

बाजार मूल्य वह मूल्य है जो किसी समय विशेष पर बाजार में प्रचलित होता है। यह मूल्य मांग और पूर्ति के अस्थाई मूल्य

(Temporary Equilibrium) द्वारा निर्धारित होता है। अतः यह कभी अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती और प्रतिदिन और कभी-कभी दिन में कई बार मांग और पूर्ति के नये साम्य स्थापित होने पर बदलता रहता है। बाजार मूल्य 'अल्पकालीन' मूल्य भी कहलाता है क्योंकि यह अल्पकाल में ही प्रचलित होता है। अल्पकाल में किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप नहीं किया जा सकता है। अतः बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव रहता है। मांग बढ़ने पर यह मूल्य बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है।

बाजार मूल्य का निर्धारण (Determination of market price) -

किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है जहाँ वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के बराबर होती है अर्थात् दोनों साम्य की अवस्था में होती है।

उपभोक्ता किसी वस्तु को इसलिये खरीदता है क्योंकि वह वस्तु उसकी किसी आवश्यकता को सतुष्ट करने की शक्ति रखती है अर्थात् उसके लिये उस वस्तु की उपयोगिता है। वस्तु खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को द्रव्य के रूप में कुछ त्याग करना पड़ता है। घटती उपयोगिता के नियम के अनुसार भीमांत इकाई की उपयोगिता उसके लिये दी जाने वाली कीमत के बराबर होती है। यह उपभोक्ता की अधिकतम सीमा है इससे अधिक मूल्य वह दान को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादनकर्ता की भी एक न्यूनतम सीमा होती है। वह इससे कम मूल्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह न्यूनतम सीमा वस्तु के उत्पादन व्यय (Cost of Production) द्वारा निर्धारित होती है। दोनों ही पक्षों के बीच स्पर्धा होती है। उपभोक्ता वर्ग (खरीददार) यह चाहता है कि उसको अधिकतम सीमा से कम देना पड़े और उत्पादनकर्ता का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उसको उनकी न्यूनतम सीमा से अधिक मूल्य मिले। यह पारस्परिक सोदेवाजी करने की शक्ति पर निर्भर करता है कि वस्तु का मूल्य अधिकतम सीमा के निकट रहेगा या न्यूनतम सीमा के। जिस मूल्य पर खरीददार और बेचने वाले (उत्पादनकर्ता) राजी हो जाते हैं, वह उस वस्तु का साम्य मूल्य कहलाता है और नया साम्य बिंदु पर यह उस वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है।

बाजार मूल्य अस्थायी संतुलन द्वारा तय होता है। वस्तु की मांग बढ़ने से मूल्य भी बढ़ जाता है और कम होने से कम हो जाता है। बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव कम और मांग का प्रभाव बहुत अधिक रहता है।

है। पूर्ति तो किसी समय विशेष पर उसके स्टॉक (Stock) की मात्रा तक सीमित है। अल्पकाल में मांग में वृद्धि होने या कमी होने से उसकी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। उपरोक्त का यह अभिप्राय नहीं कि बाजार मूल्य निर्धारण में पूर्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्ति का प्रभाव मांग की अपेक्षा कम होता है। इस दृष्टिकोण से हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं—

(१) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुयें (Perishable Commodities)

(२) टिकाऊ वस्तुयें (Durable Commodities)


शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार मूल्य .—

यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है जैसे मछली, साक सध्नी, दूध इत्यादि तो मूल्य निर्धारण में मांग का बहुत ही अधिक प्रभाव रहता है और पूर्ति का बहुत ही कम। एसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से मूल्य में काफी वृद्धि होगी और मांग में कमी होने से मूल्य बहुत ही कम हो जायेंगे क्योंकि वस्तु की विक्री की स्थिति नहीं किया जा सकता और व्यापारियों को समस्त मान सस्ते मूल्य पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। यदि एकाएक किसी शहर में चार पाँच बरसत आ जाने के कारण दूध की मांग बढ़ जाती है तो दूध के दाम भी बढ़ जायेंगे क्योंकि दूध की पूर्ति बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी कारणवश दूध की मांग एक साथ कम हो जाय तो मूल्य कम हो जायगा। दूध वाले दूध को उठा कर रखने का इरादा नहीं कर सकत क्योंकि यह खराब हो जायगा और उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अतः दूध का मूल्य उस स्थान पर निर्धारित होगा जहाँ इसकी तमाम की तमाम पूर्ति विक्रि जायगी।

मान लीजिये किमी दिन बाजार में ३०० सेर दूध की पूर्ति है। निम्न तालिका यह बतलाती है कि विभिन्न मूल्यों पर बाजार में दूध की कितनी मांग होगी। ४ आना प्रति सेर के भाव पर तमाम का तमाम ३०० सेर दूध विक्रि जाता है। अतः दूध का बाजार मूल्य ४ आना प्रति सेर होगा।

मूल्य प्रति सेर (आनों में)	दूध की मांग (सेरो में)
१६	२०
१३	६०
८	१००
४	३००
२	५००

चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की पूर्ति समान है जो पव' सीधी खड़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित की गई है। माग की रेखा मम इसको स बिन्दु पर काटती है।



अतः ४ आना प्रति सेर के भाव पर ३०० मन दध की माग होगी जोकि पस व अप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की गई हैं।

टिकाऊ वस्तु का मूल्य निर्धारण —

यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है और कुछ दिन के लिये बाजार से हटाई जा सकती है तो मांग में कमी होने पर इसके मूल्य में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु की प्रपेक्षा कम कमी होगी क्योंकि मांग में कमी होने पर उत्पादनकर्ता इसकी पूर्ति को भी कम कर दगे। वजाए कम मूल्यों पर आज ही बेचने के वे अधिक मूल्यों पर फिर बेच लगे। अतः ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में पूर्ति का कुछ प्रभाव होता है किन्तु व्यापारियों का यह निराश कि वस्तु को आज ही बेच डाल या फिर बेच, निम्न वाता में प्रभावित होता है —

(१) **द्रव्य की आवश्यकता** — यदि विक्रेताओं को द्रव्य की आवश्यकता है तो वे कम मूल्य पर ही अपनी वस्तु बेच डालगे अथवा फिर बेचने के लिए बाजार से हटा लेंगे।

(२) **भविष्य में वस्तु की पूर्ति** — यदि भविष्य में वस्तु की पूर्ति अधिक होने की संभावना है तो विक्रेता उसी दिन कम मूल्य पर वस्तु बेच डालेंगे क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में पूर्ति अधिक हो जाने पर वस्तु का दाम और नीचा हो जाये।

(३) **भविष्य में वस्तु की मांग** — यदि भविष्य में वस्तु की मांग बढ़ने की आशा है तो विक्रेताओं में वस्तुओं को पूर्ति बचाने की प्रवृत्ति होगी।


गैर एक टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। इसकी मांग में वृद्धि होने से मूल्य में काफी वृद्धि हो जायेगी, पर मांग में कमी होने से मूल्य में अधिक कमी नहीं होगी क्योंकि विक्रेता बाजार से पूर्ति को हटाने लगते हैं। मान लीजिये

किसी विशेष समय बाजार में गेहूँ की माग व पूर्ति की सारिणी निम्न प्रकार है :—

गेहूँ का मूल्य (रुपयों में)	गेहूँ की मांग (मनों में)	गेहूँ की पूर्ति (मनों में)
१६ प्रति मन	५०००	८०००
१४ " "	६०००	६०००
१२ " "	७०००	४०००

चित्र द्वारा निरूपण

स्पष्ट है कि १४ रु० प्रति मन के माय पर गेहूँ की माग व पूर्ति दोनों ६००० मन हैं—दोनों मनुजन की अवस्था में हैं। जब मूल्य १२ रु० प्रति मन है तो शभवतः कुछ विक्रेताओं ने गेहूँ को फिर बेचने के लिए बाजार हटा लिया हो अतः उसकी पूर्ति घट गई है।



अतः स्पष्ट है कि चाहे वस्तु क्षीघ्र नष्ट होने वाली हो अथवा टिकाऊ उसके बाजार मूल्य निर्धारण में माग का प्रभाव अधिक होता है।

प्रश्न १११—“किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य मांग पर और दीर्घकालीन पूर्ति पर निर्भर रहता है।” इस कथन को समझाइये।

उत्तर :—

मूल्य निर्धारण के सिद्धांत पर समय का अधिक प्रभाव पड़ता है। तथा समय की दृष्टि से मूल्य दो भागों में बाँटा जा सकता है :—(१) अल्पकालीन मूल्य तथा (२) दीर्घकालीन मूल्य। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समय वस्तु विशेष के गुणों पर निर्भर करता है। इसीलिये एक वस्तु का दीर्घकालीन समय दूसरी वस्तु के लिए अल्पकालीन हो सकता है।

“अल्पकालीन मूल्य :—किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य वह मूल्य है जो किसी समय बाजार में पाया जावे। अल्पकालीन समय उस समय को कहते हैं जिसके अन्तर्गत मांग की घट बढ़ के अनुसार वस्तु की पूर्ति में घट

बढ़ आसानी से न हो सके और ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य मांग की दशाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। यदि मांग अधिक है तो मूल्य भी अधिक होगा और यदि मांग कम है तो मूल्य भी कम होगा। यह मूल्य वस्तु की मांग और पूर्ति के स्थायी सन्तुलन द्वारा तय होता है जिसमें मांग की दशाओं का प्रभाव अधिक होता है।

दीर्घकालीन मूल्य :—किसी वस्तु का दीर्घकालीन मूल्य वह मूल्य है जो उस वस्तु के मांग और पूर्ति के अधिक स्थायी सन्तुलन द्वारा तय होता है। दीर्घकालीन समय उस समय को कहते हैं जिसके अन्तर्गत उत्पादक की मांग की घट बढ़ के अनुसार पूर्ति या पूर्ति के साधनों में घट बढ़ करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस समय में वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में उसकी पूर्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्थात् यदि पूर्ति की मात्रा मांग से अधिक है तो मूल्य कम होगा और यदि पूर्ति की मात्रा मांग से कम है तो मूल्य अधिक होगा। इस प्रकार दीर्घकालीन मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार हम देख चुके हैं कि अल्पकालीन समय में समय कम होने के कारण पूर्ति सीमित एवं निश्चित रहती है। इसलिए अल्पकाल में वस्तु के मूल्य पर मांग का ही प्रभाव अधिक पड़ता है। दूसरी ओर दीर्घकाल में अधिक होने के कारण मूल्य पर मांग का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इस दशा में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। इसी बात को ध्यान में रख कर प्रो० मार्शल ने कहा कि “जितना कम समय होगा उतना ही अधिक हमें अपना ध्यान मूल्य के निर्धारण में मांग के प्रभाव पर विचार करने पर देना होगा और जितना समय लम्बा होगा उतना ही अधिक उत्पादन लागत का प्रभाव मूल्य के निर्धारण पर होगा।” (Thus we may say that, as a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on Value and the longer the period the more important will be the influence of cost of production on Value.)

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि “किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य मांग पर और दीर्घकालीन मूल्य पूर्ति पर निर्भर रहता है।”

प्रश्न ११२—सामान्य मूल्य किसे कहते हैं ? किसी वस्तु का सामान्य मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? उत्पत्ति के नियम सामान्य मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ?

(What is Normal Price ? How is the normal price of a commodity determined ? How do the Laws of Returns affect the Normal Price of a commodity ?)

उत्तर —

सामान्य मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है दीर्घकाल (Long Period) से हमारा तात्पर्य उस समय में है जिसमें वस्तु विशेष की पूर्ति की माग के अनुकूल घटने या बढ़ने के लिये पर्याप्त अवसर मिल जाता है अतः सामान्य मूल्य निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव निश्चयात्मक होता है। मूल्य निर्धारण तो माग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस बिन्दु पर ही होना है जहाँ ये दोनों समय की अवस्था में आ जाती हैं परन्तु यहाँ मूल्य निर्धारण में माग की अपेक्षा पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। सामान्य मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य (Long Period Price) भी कहते हैं। दीर्घकाल में माग और पूर्ति का सतुलन स्थायी (Permanent Equilibrium) होता है। इसीसे सामान्य मूल्य को स्थायी सतुलन मूल्य भी कहते हैं। यह मूल्य किसी समय विशेष पर पाया जाने वाला मूल्य नहीं बल्कि यह दीर्घकाल में मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक है। इसीलिये यह सामान्य मूल्य कहा जाता है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण (Determination of Long Period Price) :—

पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य मूल्य उस वस्तु के उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होता है। दीर्घकालीन मूल्य कभी भी उत्पादन-व्यय से कम या अधिक नहीं हो सकता क्योंकि जब तक मूल्य और उत्पादन-व्यय समान नहीं होंगे, माग और पूर्ति में स्थायी सतुलन स्थापित नहीं हो सकता। यदि मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक हो जाये तो नये उत्पादकों द्वारा या पुराने उत्पादकों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन होने से, वस्तु का सामान्य मूल्य कम होने लगेगा, यहाँ तक कि यह उत्पादन व्यय के बराबर हो जायगा। यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय से कम हो जाय तो उत्पादक वस्तु का उत्पादन कम करके, उसकी पूर्ति को घटा देते हैं और मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और उत्पादन व्यय के बराबर ही आ जाता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है।

उत्पत्ति के नियमों का सामान्य मूल्य पर प्रभाव }
 अथवा
 माँग के घटने बढ़ने का सामान्य मूल्य पर प्रभाव } :—

हम ऊपर देख चुके हैं कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। अतः जो शक्तियाँ किसी वस्तु के उत्पादन व्यय को प्रभावित करती हैं वे उसके सामान्य मूल्य को भी अवश्य ही प्रभावित करेंगी। वस्तु के उत्पादन-व्यय पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में माँग के घटने या बढ़ने पर वस्तु का उत्पादन कम या अधिक किया जाता है। ऐसा करने से उस वस्तु का उत्पादन-व्यय उत्पत्ति के नियम विशेष के अनुसार जो उस वस्तु की उत्पत्ति से लागू होता है, परिवर्तित हो जाता है। नीचे हम उत्पत्ति के नियमों का सामान्य मूल्य पर प्रभाव देखते हैं।

क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम व सामान्य मूल्य :—

इस नियम को क्रमागत लागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Cost) भी कहते हैं क्योंकि जिन अनुपात में उत्पादन की लागत बढ़ती है उस अनुपात में वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ता। अतः वस्तु की उत्पत्ति बढ़ाने से प्रति इकाई लागत बढ़ती है और उत्पत्ति कम करने से प्रति इकाई लागत कम होती है। इसलिए वस्तु की माँग बढ़ने पर सामान्य मूल्य बढ़ जाता है और माँग कम होने पर सामान्य मूल्य कम हो जाता है।

क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम व सामान्य मूल्य :—

इस नियम को क्रमागत लागत ह्रास नियम (Law of Decreasing Cost) भी कहते हैं क्योंकि लागत से अधिक अनुपात में वस्तु का उत्पादन बढ़ता है। अतः माँग बढ़ने पर ज्यो-ज्यो अधिक उत्पादन किया जाता है त्यो-त्यो प्रति इकाई लागत-व्यय व सामान्य मूल्य कम हो जाता है और माँग घटने पर ज्यो-ज्यो उत्पादन कम किया जाता है प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और वस्तु का सामान्य मूल्य बढ़ता जाता है।

क्रमगत उत्पत्ति समता नियम और सामान्य मूल्य :—

इस नियम के अनुसार उत्पत्ति घटाने या बढ़ाने का लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँग घटने या बढ़ने पर उत्पादन लागत पूर्ववत् रहती है अतः सामान्य मूल्य सदैव समान रहता है। इस नियम को इसी कारण क्रमागत लागत समता नियम (Law of Constant Returns) भी कहते हैं।

प्रश्न ११३—बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का अन्तर स्पष्ट कीजिए और उनके पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या कीजिये ।

(Distinguish between Market Price and Normal Price, and also discuss their mutual relationship)

उत्तर .—


बाजार मूल्य व सामान्य मूल्य का अन्तर :—

बाजार मूल्य	सामान्य मूल्य
१ यह वह मूल्य है जो किसी समय विशेष पर बाजार में माँग व पूर्ति के अस्थायी संतुलन से निर्धारित होता है ।	१. यह वह मूल्य है जो माँग व पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है ।
२. यह अल्पकालीन मूल्य है ।	२. यह दीर्घकालीन मूल्य है ।
३. इसके निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा माँग का अधिक योग होता है क्योंकि पूर्ति को सीधे ही माँग के अनुसार घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता ।	३. इसके निर्धारण में माँग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक योग रहता है क्योंकि समय इतना दीर्घ होता है कि वस्तु की पूर्ति को माँग के अनुरूप लगाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है और वस्तु की पूर्ति मूल्य निर्धारण में अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती है ।
४. यह मूल्य प्रति क्षण, प्रति घण्टा व प्रति दिन बदलता रहता है ।	४. यह मूल्य अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है और बाजार मूल्य इसके आस पास मड़राया करता है ।
५. यह मूल्य व्यवहारिक और वास्तविक है ।	५ यह मूल्य कालान्तरिक है जो व्यवहार में नहीं आता, जब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य को स्पर्श करता है तो चाँहू मूल्य सामान्य मूल्य नहीं बल्कि बाजार मूल्य कहलाता है । यह तो मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति का द्योतक है ।

बाजार मूल्य	सामान्य मूल्य
६. बाजार मूल्य प्रत्येक वस्तु का होता है चाहे वह पुन उत्पादनीय हो या नहीं हो ।	६. सामान्य मूल्य केवल उन्ही वस्तुओं का होता है जिन्ह पुनः उत्पन्न किया जा सके । सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय से प्रभावित होता है परन्तु जिस वस्तु को दो-बारा उत्पन्न नहीं किया जा सके उसका उत्पादन व्यय कैसे माकूम पड़े ।

बाजार मूल्य व सामान्य मूल्य का सम्बन्ध (Relation between Market Price and Normal Price) —

किसी वस्तु के बाजार व सामान्य मूल्य में बड़ा गहरा सम्बन्ध है । बाजार मूल्य में सदैव सामान्य मूल्य के लगभग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है अर्थात् बाजार मूल्य अधिक समय तक सामान्य मूल्य से अधिक दूर नीचे या ऊपर नहीं रह सकता । बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के आस पास भड़काया करता है । जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है :—



यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक होता है तो विक्रेताओं को असाधारण लाभ होता है और वे उत्पादन बढ़ा देते हैं । फलस्वरूप पूर्ति बढ़ने से बाजार मूल्य गिरने लगेंगे और उत्पादन व्यय के बराबर आ जायेंगे । इसी प्रकार यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक नीचा होता है तो विक्रेताओं को हानि होने लगती है । बहुत से सीमात विक्रेता बाजार से हट जायेंगे । पूर्ति घट जावेगी और फिर कीमत उठकर उत्पादन व्यय के बराबर हो जायेगी । जिस प्रकार घड़ी का पैमाना (Pendulum) घूमता रहता है किन्तु उसके ठहरने का एक केन्द्रीय स्थान होता है । इसी प्रकार बाजार मूल्य का केन्द्र स्वाभाविक, प्राकृतिक अथवा सामान्य मूल्य होता है ।

प्रश्न ११४—“किसी वस्तु का सामान्य मूल्य स्थाई रूप से उसके उत्पादन व्यय से अधिक ऊंचा और न अधिक नीचा रह सकता है” इस कथन की व्याख्या कीजिये ।

अथवा

“किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसके सामान्य मूल्य के इधर-उधर मडराया करता है” इस कथन को समझाइये ।

(“The Normal Price of a commodity can not permanently remain lower or than higher its cost of production ” Discuss this statement.)

Or

(“The market Price of a commodity oscillates about its Normal Price ” Discuss this statement)

उत्तर—

इस प्रश्न के उत्तर के लिये प्रश्न ११२ व ११३ का उत्तर भी पढ़िये ।

हम देख चुके हैं कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उसके उत्पादन व्यय से निर्धारित होता है और सर्वद्वय उत्पादन व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है । यदि सामान्य मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक है तो विक्रेताओं को असाधारण लाभ प्राप्त होंगे जिसको देखकर अन्य नये उत्पादक भी बाजार में वस्तु का उत्पादन शुरू कर देंगे और पुराने उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ा देंगे । फलस्वरूप बाजार में वस्तु की पूर्ति पहले की अपेक्षा बढ़ जायगी । पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत गिरने लगगी और शर्त शर्त उत्पादन व्यय के बराबर आ जायगी । इसी भाँति यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय से बहुत नीचा है तो उत्पादकों को हानि होगी । वे अपना उत्पादन कम कर देंगे बहुत से उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ कर देंगे । फलस्वरूप बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जायगी और वस्तु के दाम शर्त शर्त बढ़ने लगने और उत्पादन व्यय के बराबर हो जायेंगे । अतः यह बात सम्भव है कि चाहे समय के लिये किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उसके उत्पादन व्यय से कम या अधिक हो जाय परन्तु स्थायी रूप से ऐसा नहीं हो सकता ।

वस्तु का बाजार मूल्य उसके सामान्य मूल्य के इधर उधर मडराया करता है । बाजार मूल्य ऐसे अस्थायी कारणों से प्रभावित होता है जिनका प्रभाव क्षणिक अथवा अल्पकालीन होता है । इनके प्रभाव में बाजार मूल्य परिवर्तित होता रहता है लेकिन जब ये अस्थायी कारण समाप्त हो जाते हैं तो

बाजार मूल्य पुनः सामान्य मूल्य के पास आ जाता है साधारणतया: बर्फ २ आना प्रति सेर के भाव पर मिलता है। परन्तु किसी दिन विशेष गर्मी पड़ने या शहर में कुछ बरतें आ जाने पर बर्फ का भाव (बाजार मूल्य) ४ आना व ६ आना प्रति सेर तक हो जाता है। ये ऊँचे भाव सदैव नहीं रहते क्योंकि इनको कुछ अस्थायी कारणों जैसे बरत का आ जाना अथवा गर्मी अधिक हो जाना इत्यादि ने उत्पन्न किया है। इनके समाप्त हो जाने पर बर्फ का भाव पुनः २ आना प्रति सेर हो जायगा। हो सकिती है क्व अस दिन विशेष ठंड पड़ने के कारण बर्फ का भाव १ आना प्रति सेर हो जाय परन्तु यह भाव भी अस्थायी है और ठंड समाप्त होने के बाद ही बर्फ का भाव पुनः २ आना प्रति सेर हो जाने की प्रवृत्ति रखेगा। अतः बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इधर-उधर मडराया करता है।



अध्याय ५१

द्रव्य

प्रश्न ११५—द्रव्य की परिभाषा लिखिये और इसके कार्यों का पूर्ण विवेचन कीजिये।

(Define money and explain fully its functions)

उत्तर :—

प्रारम्भ में मनुष्य आत्म-निर्भर था। वह अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुयें स्वयं उत्पन्न करता था परन्तु सभ्यता की प्रगति और आवश्यकताओं की वृद्धि ने मनुष्यों को परस्पर निर्भर बना दिया। वे अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुयें स्वयं न बना कर किसी एक कार्य को करने लगे और अपनी अपनी फालतू वस्तु को अन्य व्यक्तियों से बदलने लगे। अतः वस्तु परिवर्तन 'अपना काम ऊँच कुँआ' इस प्रकार के विनिमय की कीटनाइयों के कारण ही एक ऐसी वस्तु खोजी गई जिसके बदले अन्य वस्तुओं का बदल-बदल हो सके। विनिमय के इस माध्यम को ही द्रव्य का नाम दिया गया। विभिन्न कालों में द्रव्य उस वस्तु को माना गया जो उस देश काल में साधारणतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती थी। वर्तमान

युग में सिक्को और कागजी नोटों के रूप में द्रव्य का प्रचलन एक बहुत बड़ा इतिहास है।

द्रव्य की परिभाषा (Definition of money) —

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने द्रव्य की अलग अलग परिभाषायें दी हैं। कुछ विद्वानों ने इसको बहुत ही संकुचित अर्थ में व्यक्त किया है और कुछों ने द्रव्य का बहुत विस्तृत अर्थ लिया है। संकुचित अर्थ में द्रव्य से अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के विनिमय के साधन से होता है और उसमें धातु के सिक्के, कागजी नोट, चँक, विल आफ ऐक्सचेंज, हुण्डी आदि सभी शामिल किये जाते हैं। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री उपरोक्त दोनों ही मतों से असहमत हैं, वे बीच का मार्ग अपनाते हैं। उनके अनुसार केवल धातु मुद्रा व कागजी नोट ही द्रव्य के अन्तर्गत शामिल किये जाते हैं। उनके मतानुसार द्रव्य वह वस्तु है जो ऋण और सौदों के अंतिम भुगतान में साधारणतया स्वीकार की जाती है। इस दृष्टिकोण से सिक्को व कागजी नोटों को छोड़ कर विनिमय के अन्य साधन जैसे विल, हुण्डी, चँक आदि द्रव्य नहीं कह जायेंगे। यद्यपि ये भी विनिमय के माध्यम हैं और व्यापार जगत में काफी प्रचलित हैं परन्तु द्रव्य नहीं क्योंकि इनका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है और न ही ये सब व्यक्तियों द्वारा साधारणतया स्वीकार किये जाते हैं। केवल व्यापारी वर्ग ही विश्वासनीय और साधन सम्पन्न पक्षों के साथ पत्रों को स्वीकार करते हैं। अन्य व्यक्तियों को वे मान्य नहीं होते। कुछ अर्थशास्त्री साख पत्रों को व्यापारियों का द्रव्य (Business men's Currency) कहते हैं।

प्रो० कोल (G D H Cole) के अनुसार 'द्रव्य क्रय शक्ति है' (Money is purchasing power) अर्थात् द्रव्य वह वस्तु है जिसके द्वारा अन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकें। यह परिभाषा दोष पूर्ण है क्योंकि बहुत सी वस्तुओं के बदले अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं परन्तु सब द्रव्य नहीं होतीं।

हार्टेल विद्वान का कहना है कि 'जो द्रव्य का कार्य करे वही द्रव्य है' (Money is what money does) यह परिभाषा बहुत ही विस्तृत है।

राबर्टसन के अनुसार "द्रव्य ऐसी वस्तु का द्योतक है जो माल के बदले में या अन्य प्रकार के व्यापारिक ऋण आदि के भुगतान में सर्वत्र स्वीकार की जाती है" यह परिभाषा अत्यन्त ही संकुचित है और द्रव्य से केवल धातु मुद्रा का ही अर्थ लगाती है।

उचित मत की परिभाषाएँ —

वाकर के अनुसार “द्रव्य वह है जो वस्तु का मूल्य देने और ऋण चुकाने के लिये अबाधित रूप से काम आता है” (Anything that passes freely from hand to hand in full payment of goods and in final discharge of indebtednesses is money.)

कीन्स (Keynes) के अनुसार “द्रव्य वह है जिसके देने से ऋण तथा मूल्य सम्बन्धी प्रसंविदे तय हो जाते हैं और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति को इकट्ठा किया जाता है” (Money is that by the delivering of which debt and price contracts are discharged and in the shape of which general purchasing power is held.)

प्रो० ऐली के शब्दों में “द्रव्य वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में अबाधित रूप से चलती है और जिसे सामान्यता ऋण के भुगतान में स्वीकार किया जाता है” (Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts.)

द्रव्य के कार्य (Functions of Money) :—

वर्तमान युग में द्रव्य अनेक कार्य करता है । इन कार्यों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है :—

- (१) मुख्य कार्य (Primary Functions)
- (२) गौण कार्य (Secondary Functions)
- (३) सामान्य कार्य (Contingent Functions)

(१) द्रव्य के मुख्य कार्य :—द्रव्य के मुख्य अथवा प्रारम्भिक कार्य दो हैं :—

(i) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) :—यह द्रव्य का मूल कार्य है । ‘माध्यम में’ तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय-विक्रय इसी के द्वारा हो । द्रव्य के आविष्कार न वस्तु-परिवर्तन प्रथा की समस्त कठिनाइयों को दूर कर दिया है । अब व्यक्ति अपनी बातुओं के बदले स्वतन्त्रतापूर्वक द्रव्य स्वीकार करते हैं और इस द्रव्य के बदले जो भी वस्तु वे चाहे बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर लेते हैं ।

(ii) मूल्य का सामान्य माप (A common measure of value) :—द्रव्य का यह कार्य पहले कार्य पर ही आधारित है । प्राचीन

काल में द्रव्य के अभाव से प्रत्येक वस्तु का मूल्य अन्य सभी वस्तुओं में याद

द्रव्य के कार्य —

१-मुख्य कार्य —

- (i) विनिमय का माध्यम ।
- (ii) मूल्य का सामान्य माप ।

२-सहायक कार्य —

- (i) सचय का साधन ।
- (ii) भावी भुगतान का आधार ।
- (iii) विनिमय शक्ति का हस्तान्तरण ।

३-सामान्य कार्य —

- (i) राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार ।
- (ii) श्रम विभाजन का आधार ।
- (iii) अधिकतम सतुष्टि का साधन ।
- (iv) साख का आधार ।
- (v) पूँजी की गतिशीलता में सहायक ।

रखना पड़ता था जोकि एक कठिन और असुविधाजनक कार्य था । परन्तु द्रव्य यह कार्य सुगमतापूर्वक कर देता है । प्रत्येक वस्तु का मूल्य द्रव्य में ही निश्चित किया जाता है । अतः द्रव्य मूल्य का सर्वोत्तम माप है । सभी देशों में मूल्य की माप द्रव्य द्वारा की जाती है ।

(२) द्रव्य के सहायक कार्य (Subsidiary Functions of Money) —

(i) अर्थ सचय का साधन (Store of Value) — प्रत्येक व्यक्ति भविष्य के लिये कुछ बचाकर रखता है । वस्तुओं के रूप में अथवा सचय अल्प काल तक ही किया जा सकता था क्योंकि वस्तुएँ नष्ट हो जाती थी और उनके मूल्य में हास हो जाता था । परन्तु वर्तमान द्रव्य ने यह कार्य बड़ा सरल बना दिया है । अर्थात् मुद्रा अथवा पत्र मुद्रा के रूप में अर्थ का सचय दीर्घकाल के लिये किया जा सकता है यह द्रव्य न तो क्षीय नष्ट

होता है और न इसका मूल्य ही अधिक अदलता बदलता है ।

(ii) भावी भुगतान का आधार (Means of Deferred Payment) — वर्तमान अर्थव्यवस्था में मनुष्य एक दूसरे से ऋण लेते व उनका भुगतान करते रहते हैं । यहाँ तक कि इस युग की साख युग कहा जाता है । वस्तुओं के रूप में ऋण लेकर वस्तुओं के रूप में ही भुगतान करने में ऋण दाता अथवा लेनदार दोनों में में किसी एक को हानि ही जाती थी क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बदलते रहते हैं । परन्तु द्रव्य के आविर्भाव के कारण यह कठिनाई दूर हो गई । द्रव्य का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहता है । अतः आजकल ऋणों का लेन देन द्रव्य के रूप में ही किया जाता है ।

(iii) विनिमय शक्ति का हस्तांतरण (Transfer of value) — द्रव्य एक वहनीय वस्तु है। द्रव्य की सहायता से धर्म (धन) का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से कम व्यय पर किया जा सकता है। वस्तुओं के रूप में धन को लाना लेजाना कठिन, असुविधाजनक व खर्चीला होता है।

(३) द्रव्य के सामान्य कार्य (Contingent Functions of Money) :—

(i) राष्ट्रीय-आय के वितरण का आधार (Basis of Dividing National Income) :—वर्तमान युग में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों के सहयोग से होता है। कुल उत्पत्ति को वस्तुओं के रूप में उत्पत्ति के साधनों में बांटना बड़ा कठिन है परन्तु द्रव्य द्वारा यह कार्य सरल हो गया है। कुल उत्पत्ति को द्रव्य द्वारा बदल लिया जाता है और फिर इस प्राप्त द्रव्य को प्रत्येक साधन में बांट दिया जाता है।

(ii) श्रम विभाजन का आधार (Basis of Division of Labour) —द्रव्य के कारण ही श्रम विभाजन को अधिक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। आजकल एक व्यक्ति एक कार्य या एक कार्य का कोई छोटा भाग केवल इमीलिये करता है क्योंकि वह जानता है कि उसे उस कार्य के बदले में जो द्रव्य मिलेगा उससे वह अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है।

(iii) अधिकतम संतुष्टि का साधन (Means to achieve maximum satisfaction) :—द्रव्य के द्वारा ही यह सम्भव है कि मनुष्य अपनी आय को समसोमात उपयोगिता नियम के अनुसार व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।

✓(iv) साख का आधार (Basis of Credit) :—साख का विशाल टांचा द्रव्य की आधार शिना पर ही आधारित है। जिस व्यक्ति के पास द्रव्य नहीं होता उसके लिये साख पत्रों को कोई स्वीकार नहीं करता। बैंकों को भी कुछ द्रव्य अपने स्थायी कोष में रखना पड़ता है जिसके बल पर ही बैंक ग्राहकों को साख देता है।

(५) पूंजी की गतिशीलता में सहायता (Makes capital Movable) :—द्रव्य के रूप में पूंजी एकत्रित करना बड़ा आसान है। द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक व्याज प्राप्त करने की लालच में शीघ्रता, सरलता और कम व्यय पर भेजा जा सकता है। द्रव्य के अभाव में, पूंजी में गतिशीलता न आ पाई थी। ✓

प्रश्न ११६—द्रव्य की परिभाषा दीजिये तथा आधुनिक सम्य समाज में मुद्रा का क्या महत्व है ?

(Define money and what is the importance of money in a civilized society ?)

उत्तर:—

द्रव्य की परिभाषा — इसके लिए प्रश्न ११५ देखियेगा ।

वर्तमान युग मुद्रा का युग कहा जाता है । यदि किसी देश की कृषि उद्योग, व्यापार, यातायात एवं सम्वादवाहनों की तुलना किसी मशीन के पुर्जों से की जाय तो मुद्रा का स्थान इन पुर्जों के चलाने के लिए तेल के समान है । देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्र में मुद्रा का प्रमुख स्थान है । साख सस्थायें भी मुद्रा के आधार पर कार्य करती हैं जो आधुनिक आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं । मुद्रा का महत्व निम्न विवेचन में और अधिक स्पष्ट हो जायेगा ।

(१) मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है — यह विचार प्रो० पीगू ने दिया था । वास्तव में अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण एवं राजस्व सभी में प्रत्येक क्रिया का मापदण्ड मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है । मुद्रा के प्रयोग से अर्थशास्त्र में निश्चतता पैदा होती है ।

(२) सामाजिक विकास में मुद्रा का हाथ — वास्तव में मुद्रा मानव समाज की प्रगति का सूचक है । किसी देश की आर्थिक उन्नति का ज्ञान उस देश की मुद्रा व्यवस्था से हो सकता है । स्वर्ण चलन के समय में किसी देश के स्वर्ण भण्डार द्वारा उसकी स्थिति आसानी से ज्ञात हो जाती है । आज भी स्वर्ण का अधिक महत्व है परन्तु इसका मुद्रा के रूप में प्रयोग समाप्त हो गया है ।

(३) वर्तमान अर्थ व्यवस्थाओं का आधार :— आधुनिक समय में पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था सभी का आधार मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन एवं वितरण की समस्याओं का हल होता है । पूंजीवाद में तो मुद्रा का विशेष महत्व है । पूंजी का भण्डार भी मुद्रा द्वारा होता है ।

(४) सामाजिक स्वतन्त्रता का आधार — मुद्रा ने सामाजिक दासता का अन्त किया तथा व्यवसाय स्वतन्त्रता प्रदान की है । श्रमिकों को पत्र मजदूरी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है जिससे उनकी सामाजिक स्वतन्त्रता

प्राप्त होती है। अब धर्मिक अपने श्रम को कही भी बेचकर मजदूरी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सम्मान बनाये रख सकता है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक स्वतन्त्रता का आधार है।

(५) राजनैतिक स्वतन्त्रता की वृद्धि :—वर्तमान युग प्रजातन्त्र का युग है। प्रत्येक सरकार जनता पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है तथा उस आय को जन उपयोगी कार्यों पर व्यय करती है। यह सब कार्य मुद्रा के रूप में ही होता है। करदाता द्वारा कर देने से राजनैतिक चेतना एवं स्वतन्त्रता की वृद्धि होती है।

(६) पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि :—यहां पूंजी की गतिशीलता का अर्थ मुद्रा के रूप में तरल पूंजी का किसी भी व्यवसाय एवं उद्योग में प्रयोग करने की क्षमता से है। मुद्रा के प्रयोग से पूंजी की उत्पादकता सभी व्यवसाय में समान होने की होती है जिससे सभी व्यवसाय एवं उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

(७) अदल बदल प्रथा के दोषों की समाप्ति :—अदल-बदल द्वारा विनिमय बहुत असुविधा के द्वारा होता था। इन्हीं असुविधाओं के दूर करने के लिए मुद्रा का उदय हुआ और अब मुद्रा के प्रयोग से अदल-बदल की सब असुविधायें समाप्त हो गई हैं।

इससे स्पष्ट है कि आधुनिक समय में भौतिक उन्नति का मुख्य कारण मुद्रा ही है। श्रम विभाजन, पूंजी की गतिशीलता, साख सस्थाओं की उन्नति एवं बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ सभी मुद्रा के कारण प्राप्त होते हैं।

प्रश्न ११७—द्रव्य का कार्य करने के लिये किसी पदार्थ में कौन २ से गुण होने चाहिये? यह गुण मूल्यवान् धातुओं में अन्य धातुओं की अपेक्षा कहां तक अधिक पाये जाते हैं?

(What qualities a commodity should possess in order to serve as money. To what extent these qualities are found more in valuable metals than in other metals.)

उत्तर :—

विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर अनेकों वस्तुओं ने द्रव्य के रूप में कार्य किया है परन्तु शनैः-शनैः सब वस्तुयें चलन से हट गईं क्योंकि उनमें वे गुण मौजूद नहीं थे जो एक आदर्श मुद्रा पदार्थ में होने अनिवार्य हैं। सोना,

चादी आदि धातुओं में ये गुण अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं अतः ये ही सबसे अधिक प्रचलित द्रव्य पदार्थ रहे हैं ।

द्रव्य का कार्य करने के लिये एक पदार्थ में निम्न गुण होने चाहिये —

(१) उपयोगिता या सामान्य स्वीकृति (Utility or General acceptability) :—सर्वमान्य स्वीकृति द्रव्य का एक आवश्यक गुण है । व्यक्ति द्रव्य को इसीलिये स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे द्रव्य को दूसरों को देकर अपनी इच्छित वस्तुयें प्राप्त कर लेंगे । अगर किसी पदार्थ में निजी उपयोगिता है तो वह द्रव्य क रूप में आसानी से स्वीकार किया जा सकेगा क्योंकि यदि वह पदार्थ द्रव्य के रूप में चलना वन्द भी हो जाय तो जनता उस धातु को किसी अन्य कार्य में प्रयोग कर सकेगी ।

मूल्यवान धातुओं जैसे सोना, चादी आदि में यह गुण पाया जाता है । अगर सोना या चादी द्रव्य के रूप में चलने वन्द हो जाय तो व्यक्ति इनका प्रयोग आभूषण बनाने आदि में कर लेंगे ।

- द्रव्य पदार्थ के गुण :-
१. उपयोगिता ।
 २. वहनीयता ।
 ३. टिकाऊपन ।
 ४. सभ्यता ।
 ५. विभाजकता ।
 ६. दलाऊपन ।
 ७. परिचयता ।
 ८. मूल्य में स्थिरता ।

(२) वहनीयता (Portability) :—जिन पदार्थों में वजन कम और मूल्य अधिक होता है, उनमें वहनीयता का गुण पाया जाता है । ऐसे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से कम व्यय पर ले जाया जा सकता है । सोना व चादी में यह गुण भी पाया जाता है । सोने का भाव १२० रु० प्रति तोला है । परन्तु गेहूँ, धोड़े व भंस आदि में यह गुण नहीं होता । पत्र मुद्रा में वहनीयता का गुण सब धातुओं से भी अधिक है ।

(३) टिकाऊपन (Durability)
या Or

अविनाशता (Indestructibility)

} द्रव्य एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है और सुरक्षित करके रक्खा भी जाता है ।

अतः द्रव्य पदार्थ ऐसा होना चाहिये जो शीघ्र ही घिस न जाय या नष्ट न हो जाय । प्रो० जीवन्स (Jevons) के अनुसार द्रव्य पदार्थ को "मद्य की भाँति उडना नहीं चाहिये, न मास की भाँति सडना ही चाहिये, लकड़ी की भाँति गलना नहीं चाहिये और लोहे की भाँति जग नहीं लगना चाहिये"

सोना, चांदी में यह गुण मौजूद है। सोने का सिक्का ८ हजार वर्ष में घिस पाता है।

(४) समानता (Homogeneity) — मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिये जिसके सभी टुकड़े व नमूने समान गुण वाले और मूल्य वाले हों। सोना, व चांदी में यह गुण पाया जाता है। परन्तु सारे बेल व भेड़ें एक सी नहीं होते। कागजी मुद्रा में भी यह गुण पाया जाता है। कागज के तमाम नोट एक से बनाये जा सकते हैं।

(५) विभाजकीयता (Divisibility) :—द्रव्य पदार्थ ऐसा होना चाहिये कि उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये जा सकें और टुकड़े होने के पश्चात् समस्त पदार्थ का मूल्य वही रहे जोकि टुकड़ों में बांटने में पहले था। सोने व चांदी में यह गुण पाया जाता है। चांदी की आठ दुग्धनियों को पिघला कर एक चांदी का रूपया बनाया जा सकता था। परन्तु हीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटना आसान नहीं है और टुकड़े करने पर उसका मूल्य घट जाता है। घोंडे का तो विभाजन ही नहीं सकता।

(६) ढलाऊपन (Malleability) —द्रव्य पदार्थ ऐसा होना चाहिये जो गलाया जा सके, पीटा जा सके और सुविधाजनक आकार में ढाला जा सके। सोने, चांदी में यह गुण पाया जाता है। हीरे में यह गुण नहीं पाया जाता। अतः उसको द्रव्य के रूप में प्रयोग नहीं करते।

(७) परिचयता (Cognisibility) :—मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिये कि वह जल्दी और आसानी से पहिचाना जा सके और दूसरी धातुओं व वस्तुओं से भिन्न किया जा सके। मिलावट या जालमाजी आसानी से जानी जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में जाली सिक्कों की सरया बढ जायगी। सोने में एक विशेष रंग होता है, चांदी में एक विशेष ध्वनि होती है जिनके कारण इनको आसानी से पहिचाना जा सकता है। सुनार कसीटी पर सोने को रगड कर उसके रंग को देख कर ही यह बतला देता है कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं हीरे में यह गुण नहीं पाया जाता।

(८) मूल्य में स्थिरता (Stability of value) —जो वस्तु द्रव्य के काम आती है उसका मूल्य साधारणतया स्थायी होना चाहिए। द्रव्य द्वारा ही समस्त वस्तुओं का मूल्य माँका जाता है। अगर माप दंड (Measuring Rod) का मूल्य ही स्थिर नहीं है तो वस्तुओं का मूल्य भी स्थिर नहीं रह सकता। और व्यापार बहुत अनिश्चित व जोखिमपूर्ण हो जावेगा। सोने चांदी में यह गुण पाया जाता है। इनका वार्षिक उत्पादन बहुत ही सीमित है और इनकी मांग भी लगभग निश्चित है। अतः इनके मूल्यों में असाधारण

घट बढ़ नहीं होती। अनाज के दाम प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, अतः यह द्रव्य के रूप में प्रयोग नहीं होता।

नोट :—आदर्श द्रव्य पदार्थ के उपरोक्त गुण **C U P D I S H M** शब्दों की याद करके वर्णन किये जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द एक गुण का बोध कराता है।

C	=	परिचयता (Cognisibility.)
U	=	उपयोगिता (Utility)
P	=	बहनीयता (Portability)
D	=	टिकाऊपन (Durability)
I	=	अक्षयता (Indestructibility)
S	=	मूल्य स्थिरता (Stability of value)
H	=	समानता (Homogeneity.)
M	=	ढलाऊपन (Malleability.)

प्रश्न ११८—प्रमाणिक व साकेतिक सिक्कों पर टिप्पणी लिखिये। क्या रुपया प्रमाणिक सिक्का है? रुपये की आधुनिक दशा स्पष्टतः समझाइये।

(Write a note on standard and token coins Is Rupee a standard coin? Clearly discuss the position of Rupee in this connection?)

उत्तर :—

प्रमाणिक सिक्का (Standard coin) :—

प्रमाणिक सिक्का वह सिक्का होता है जिसका अंकित मूल्य (Face Value) उसके वास्तविक या घात्विक मूल्य (Intrinsic Value) के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में 'प्रमाणिक सिक्के का' राज्य द्वारा निश्चित मूल्य उसमें लगी हुई धातु के मूल्य के बराबर होता है। इसका घात्विक मूल्य इसके अंकित मूल्य के बराबर होने के कारण इसको पूर्णकाय सिक्का (Full bodied coin) भी कहते हैं। यह सिक्का असीमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य होता है और इसकी स्वतन्त्रता ढलाई होती है अर्थात् ऋण के भुगतान में इसकी किसी भी सीमा तक दिया जा सकता है और जनता को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह एक साल में धातु ले जाकर सिक्कों को ढलवा ले। प्रमाणिक सिक्का देश का प्रमुख सिक्का होता है।

सांकेतिक सिक्का (Token Coin) :—

सांकेतिक सिक्का वह सिक्का होता है जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक अथवा घाटिक मूल्य से अधिक होता है अर्थात् जितने मूल्य की इसमें धातु लगी होती है इसका उससे अधिक मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। यह देश का सहायक सिक्का होता है और छोटे-छोटे भुगतानों में प्रयोग किया जाता है। यह सिक्का सीमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य होता है और इसकी परिमित ढलाई (Limited Coinage) होती है। इसीलिये इन सिक्कों को ऋण के भुगतान में एक निश्चित सीमा तक ही दिया जाता है और जनता को सिक्के ढलवाने की स्वतन्त्रता नहीं होती। ये राज्य देश के बल पर ही चलते हैं अतः इसको आदेश द्रव्य (Fiat money) भी कहते हैं। ऐसे सिक्कों के ढालने से राज्य को कुछ आय प्राप्त होती है। भारत में रुपये के अलावा अन्य छोटे सिक्के सब सांकेतिक हैं।

प्रमाणिक व सांकेतिक सिक्कों की तुलना :—

प्रमाणिक सिक्का	सांकेतिक सिक्का
१. देश का प्रधान सिक्का होता है।	१. देश का सहायक सिक्का होता है।
२. अंकित मूल्य घाटिक मूल्य के बराबर होता है।	२. अंकित मूल्य घाटिक मूल्य से अधिक होता है।
३. इसकी स्वतन्त्र ढलाई होती है।	३. इसकी सीमित ढलाई होती है।
४. यह असीमित कानूनी ग्राह्य मुद्रा है।	४. यह सीमित कानूनी ग्राह्य मुद्रा है।
५. यह पूर्णकाय सिक्का है।	५. यह आदेश द्रव्य है।

क्या रुपया प्रमाणिक सिक्का है :—

भारतीय चलन प्रणाली में रुपये का एक विचित्र स्थान है। इसमें आज कल सांकेतिक व प्रमाणिक दोनों ही प्रकार के सिक्कों की विशेषताएँ पाई जाती हैं। १८६३ तक रुपये में १६ आने के बराबर चांदी होती थी और इसमें प्रमाणिक द्रव्य की अन्य सब विशेषताएँ थी परन्तु १८६३ के पश्चात् टकसाल जनता के लिए बढ़ करदी गई और इसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो गया। धीरे-धीरे इसमें चांदी की मात्रा (सर्व-प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध में) कम हुई अब यह केवल गिल्ट का बना हुआ है।

अतः भारतीय रुपये का वास्तविक मूल्य इसके अंकित मूल्य से बहुत ही कम है, जनता को सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं है परन्तु यह देश का प्रमुख सिक्का है। इसके ही रूप में सब वस्तुओं का मूल्य मापा जाता है। यह असीमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य है। अतः स्वभावतः यह साकेतिक है किन्तु कार्य करता है प्रमाणिक सिक्कों का, इसलिए भारतीय रुपये को साकेतिक प्रमाणिक सिक्का (Token standard Coin) कहा जाता है।

आजकल भारतीय रुपये को कलकत्ता व बम्बई की टकसालों में सरकारी नियन्त्रण में ढाला जाता है। इसके मूल्य को १ सि० ६ पें० पर स्थिर रखा जाता है यह कार्य रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है।

—

प्रश्न ११६—निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये।

(अ) कानूनी ग्राह्य मुद्रा (ब) मुद्रा ढलाई (स) सिक्कों की हीनता।

(Write short notes on the following) :—

(a) Legal tender money (b) Coinage (c) Debasement of coins)

उत्तर :—

(अ) कानूनी ग्राह्य द्रव्य :—

कानूनी ग्राह्य द्रव्य उस द्रव्य को कहते हैं जिसे कानून ऋणों के भुगतान में स्वीकार करना पड़े। ऐसा न करने वाले व्यक्ति कानून की दृष्टि से दंड के भागी होते हैं। द्रव्य एक ऐसी वस्तु होता है जो सर्वमान्य हो यह तभी हो सकता है जबकि वह कानूनी या वैधानिक ग्राह्य हो। अतः द्रव्य हमेशा कानूनी ग्राह्य होता है। कागजी नोट, रुपया व अन्य सिक्के कानूनी ग्राह्य द्रव्य के उदाहरण हैं परन्तु बैंक या हूँडी नहीं क्योंकि लेने वाला उसके लेने से इकार कर सकता है। कानूनी स्वीकार्यता की सीमा के आधार पर द्रव्य के दो भाग किये जाते हैं :—

असीमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य (Unlimited legal tender Money)

यह वह द्रव्य होता है जिसको कानूनन किसी भी बड़ी से बड़ी रकम के भुगतान में स्वीकार करना आवश्यक होता है। जैसे भारत में रुपया, नोट व ऋजनी।

सीमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य (Limited legal tender money)

यह वह द्रव्य है जिसे ऋणों के भुगतान में केवल एक निश्चित सीमा तक

ही दिया जा सकता है। जैसे चवन्नी, दुवन्नी व इकन्नी को १०) म अधिक नहीं दे सकते। इसी प्रकार पैसे को १ रु० से अधिक लेने के लिये किसी को बाध्य नहीं कर सकते।

(ब) सिक्का ढलाई (Coinage) :—

किसी धातु के टुकड़े को सिक्के का रूप देना मुद्रा ढलाई कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है —(१) स्वतन्त्र सिक्का ढलाई (Free Coinage) (२) सीमित सिक्का ढलाई (Limited Coinage)

(१) स्वतंत्र सिक्का ढलाई —जब जनता को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वह सोना, चाँदी आदि टकसाल में ले जाकर सिक्के ढलवाकर ले आवे तो इस प्रकार की मुद्रा ढलाई को स्वतन्त्र सिक्का ढलाई कहते हैं। भारत में १८६३ तक और इंग्लैंड में १६३१ तक ऐसी ही पद्धति प्रचलित थी। भारत में जनता चाँदी ले जाकर टकसाल में चाँदी के सिक्के ढलवा सकती थी और इंग्लैंड में सोना ले जाकर सोवरेन (Sovereign) ढलवा सकती थी। जब सरकार जनता से मुद्रा ढलाई का कोई शुल्क नहीं लेती तो इसको निशुल्क मुद्रा ढलाई (Gratuitous Coinage) कहते हैं, यदि ढलाई व्यय के बराबर शुल्क लेती है तो इसको सशुल्क ढलाई (Brassage Coinage) कहते हैं और यदि सरकार लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ढलाई व्यय से अधिक शुल्क चार्ज करती है तो इसको सलाह मुद्रा ढलाई (Seigniorage) कहते हैं।

(२) परिमित मुद्रा ढलाई :—

जब राज्य जनता को यह अधिकार नहीं देता कि वह धातु ले जाकर टकसाल में सिक्को को ढलवा सके तो इस प्रकार की मुद्रा ढलाई पद्धति परिमित मुद्रा ढलाई कहलाती है। टकसालें जनता के लिये बढ़ रही हैं। मुद्रा ढलाई पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। भारत में आजकल परिमित मुद्रा ढलाई पद्धति ही प्रचलित है।

(स) सिक्कों की हीनता (Debasement of Coins) :—

सिक्कों की तोल अथवा शुद्धता अथवा दोनों को कम करना सिक्कों की हीनता या निष्कृष्टता कहलाता है। यह हीनता राज्य अथवा जनता दोनों ही के द्वारा हो सकती है। भारतवर्ष में १६४१ से पूर्व १८० ग्रेन चाँदी के रुपये में १५ ग्रेन खोट था। द्वितीय युद्ध में इसमें १० ग्रेन खोट कर दिया गया। आजकल यह केवल गिल्ट का ही है। इस प्रकार १६४१ के बाद रुपये में हीनता होती चली आई है।

जनता भी सिक्कों को हीन बना देती है। यह कार्य अर्थवैधानिक है। यह तीन प्रकार से होता है—(१) सिक्को के किनारे काट कर (clipping) (२) सिक्को को घिस कर (Abrasion) (३) सिक्को को तेजाब में डालकर (Siveating)। तीनों ही तरीकों में सिक्के की तोल में कमी हो जाती है।

अध्याय ५३

कागजी द्रव्य और मुद्रा का प्रमाण

प्रश्न १२०—पत्र मुद्रा के विभिन्न प्रकारों तथा उसके गुण-अव-गुणों को बताइये। भारत में कागजी द्रव्य का चलन कैसे किया जाता है ?

(Give the various kinds of Paper Money Discuss its advantages and disadvantages. How is the paper money issued in India ?)

उत्तर :—

कागज के टुकड़े पर छपी हुई मुद्रा को 'कागज द्रव्य' या 'पत्र मुद्रा' या नोट कहते हैं। पत्र मुद्रा से अभिप्राय सरकार द्वारा अथवा सरकार के आदेशानुसार देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित नोटों से है जो देश भर में राज्यादेश के बल पर स्वतन्त्रतापूर्वक विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कागजी मुद्रा का वास्तविक मूल्य नहीं के बराबर होता है। साख-पत्र जैसे चैक, बिल इत्यादि भी कागज के बने होते हैं और विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किये जाते हैं परन्तु कानूनी सर्वग्राह्य न होने के कारण कागजी मुद्रा के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जाते।

पत्र मुद्रा के गुण (Advantages of Paper Money) :—

आजकल के युग में कागजी मुद्रा बड़ी लोकप्रिय हो गई है। लगभग सभी प्रगतिशील देशों में घात्विक मुद्रा की अपेक्षा कागजी मुद्रा का अधिक प्रचलन है। इस मुद्रा के अनेकों लाभ हैं, जैसे

(१) वहनीयता—यह मुद्रा बहुत हल्की होती है अतः इसको एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़ी सरलता और सुविधापूर्वक ले जाया जा सकता है।

(२) सस्ती :—पत्र मुद्रा के प्रचलन में बहुत कम व्यय होता है। सिक्के ढालने की अपेक्षा नोट छापना बड़ा सरल है। इसी प्रकार जिस कागज पर नोट छापे जाते हैं उसकी कीमत धातु की अपेक्षा कम होती है।

(३) धातु की बचत —कागजी द्रव्य के प्रचलन के कारण बहुत सी धातु (सोना, चाँदी इत्यादि) जो सिक्के बनाने में प्रयोग की जाती, बच रहती है। अब उसका अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है।

(४) धातु की घिसाई की बचत :—कागजी मुद्रा के चलन में होने के कारण सोना या चाँदी के सिक्के जो चलन में होते हैं घिसने से बच जाते हैं।

(५) लोच —धातु-मुद्रा की अपेक्षा कागजी मुद्रा में बहुत अधिक लोच पाया जाता है। व्यापार की आवश्यकता अथवा सकट के समय इसकी मात्रा को भासानों से बढ़ाया जा सकता है और यदि कम करने की आवश्यकता हो तो कम भी किया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिये पहले उतनी ही धातु की आवश्यकता नहीं होती।

पत्र मुद्रा के गुण —	
१.	वहनीयता।
२.	सस्ती।
३.	धातु की बचत।
४.	धातु की घिसाई की बचत।
५.	लोच।
६.	सरलता।
हानियाँ —	
१.	सीमित क्षेत्र।
२.	क्षय हो जाना।
३.	मुद्रा प्रसार का भय।
४.	अस्थायी मूल्य।

(६) कागजी मुद्रा के द्वारा थोड़े आकार में बहुत सा मूल्य केन्द्रित हो जाता है। छोटे से कागज पर १०० ५० का नोट छाप दिया जाता है।

पत्र मुद्रा की हानियाँ (Disadvantages of Paper money) —

(१) सीमित क्षेत्र —कागजी मुद्रा केवल देश-विदेश की सीमाओं में ही चलती है। भारतीय रुपयों के नोट भारत से बाहर नहीं चलते।

(२) क्षय हो जाना —कड़ी धातु तो काफी दिनों तक सुरक्षित रह सकती है परन्तु कागज के नोट हाथों में बदलते बदलते या पानी पड़ जाने या अन्य कोई लापरवाही करने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।

(३) मुद्रा प्रसार का भय —कागजी द्रव्य की मात्रा अधिक हो जाने से देश में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है। नोट छापने का व्यय बहुत कम होता है अतः सरकार घन की आवश्यकता के समय काम चलाने के लिये

नोट छापने लगती है। मुद्राप्रसार के कारण देश में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को बड़ी हानि होती है।

(४) अस्थायी मूल्य :—पत्र मुद्रा का वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं होता। यह राज्यादेश पर चलती है। इसीलिये इसके चलाने में सरकार को बड़े विवेक से काम लेना पड़ता है अन्यथा इसके मूल्य में परिवर्तन होने लगते हैं जो कि वांछनीय नहीं।

पत्र-मुद्रा के प्रकार (Kinds of Paper money) :—

पत्र मुद्रा के निम्न तीन प्रकार हैं :—

(१) प्रतिनिधि पत्र मुद्रा (Representative Paper money) —

प्रतिनिधि पत्र मुद्रा उस कागजी द्रव्य को कहते हैं जिसके पीछे नोट छापने वाली संस्था शत-प्रतिशत कोप रखती है। यदि १०० रु० के नोट छापने हैं तो १०० रु० की कीमत का सोना या चांदी कोप में सुरक्षित रख दिया जायेगा। नोटों के प्रचलन की प्रारम्भिक अवस्था में जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये नोटों के पीछे १००% सोना या चांदी रखा जाता था। देखा जाय तो द्रव्य तो सोना व चांदी ही है परन्तु चलन में कागजी नोट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे यद्यपि धातुओं की वचत तो नहीं होती परन्तु धातु घिसने से प्रदूष्य वच जाती है।

(२) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper money) —

जिस पत्र मुद्रा के बदल में मागने पर सरकार से अथवा नोट निर्गमन करने वाली संस्था में प्रमाणित धातु मुद्रा प्राप्त हो सकें, उस मुद्रा को परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार के नोटों के पीछे १००% सोना या चांदी कोप में नहीं रखना पड़ता। नोट निर्गमन संस्था अनुभव से यह पता लगा लेती है कि सामान्यतः नोटों का कितना प्रतिशत किसी भूगतान के लिये प्रस्तुत किया जाता है। अतः नोटों के पीछे इतने ही प्रतिशत के बराबर सोना, चांदी आदि सुरक्षित कोप में रख देते हैं। भारत में २, ५, १०, १०० व १००० रुपये के नोट परिवर्तनीय कागजी मुद्रा हैं। जिनके भूगतान के लिये Reserve Bank of India एक निश्चित प्रतिशत सोना, चांदी व सिक्के आदि सुरक्षित कोप में रखती है। रिजर्व बैंक के नोटों पर गवर्नर की यह प्रतिज्ञा अंकित होती है "मैं पारक को मागने पर इसके बदले . . . रुपये भदा करन की प्रतिज्ञा करता हूँ" (I promise to pay the bearer on demand the sum of Rupees) इस प्रकार की पत्र मुद्रा से आवश्यक धातु बेकार कोप में पड़े रहने से बच जाती है और उसे अन्य आवश्यक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। पत्र मुद्रा के जिस भाग के लिये

कोप रखा जाता है। वह रक्षित भाग (Covered Issue) और कोप को अरक्षित (Uncovered Issue) कहते हैं।

(३) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper money) :— वह पत्र मुद्रा जिसके बदले सरकार अथवा नोट निर्गमन करने वाली सस्था सोना, चाँदी या प्रमाणिक मुद्रा देने की बाध्य न हो, उसे अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार के नोट केवल राजाशा के कारण चलते हैं। भारतवर्ष में १ रु० का नोट इसी प्रकार की पत्र मुद्रा के अन्तर्गत आता है। ऐसी मुद्रा के पीछे कोई रक्षित कोप नहीं रखा जाता है और न नोट के भुगतान के लिये कोई लिखित प्रतिज्ञा ही होती। राज्यानुसार चलने के कारण इसको आदेश द्रव्य (Fait money) भी कहते हैं। साधारणतः युद्ध-काल में ऐसी मुद्रा छपी जाती है और यह द्रव्य का कार्य भली प्रकार करती रहती है और जनता को इसके बदले में कोई धातु-द्रव्य लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और प्रसाधारण स्थिति के पश्चात् भी यह नोट इसी प्रकार चलते रहते हैं। भारतवर्ष में १ रु० का नोट युद्धकाल में छपा गया और युद्ध पश्चात् आज भी अपरिवर्तनीय मुद्रा के रूप में देश में चल रहा है।

भारत में नोट प्रचलन का तरीका (How notes are issued in India) .—

भारत सरकार ने सन् १९३५ से नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को दे दिया है। यह कार्य बैंक के निर्गमन विभाग (Issue Department) द्वारा किया जाता है। बैंक २, ५, १०, १०० व १००० रु० के नोट छापता सन् १९४६ में १००० रु० के नोटों को बन्द कर दिया गया। ये सब परिवर्तनीय कागजी मुद्रा हैं। इनके ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर की प्रतिज्ञा छपी रहती है कि धारक को मागने पर नोट पर अंकित मूल्य के बराबर सोना, चाँदी इत्यादि दे दिया जाएगा। १ रु० के नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) निर्गमित करता है। यह नोट अपरिवर्तनीय मुद्रा है।

गतवर्ष तक रिजर्व बैंक कुल नोटों के पीछे ४०% का सुरक्षित कोप सोने की धातु, सोने के सिक्के अथवा विदेशी प्रतिभूतियों (Securities) के रूप में रखता था और शेष ६०% रुपये के सिक्के तथा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखता था अर्थात् नोटों का प्रचलन अनुपातिक सुरक्षित कोप पद्धति के आधार पर होता था। इस वर्ष से भारत में नोटों के प्रचलन की न्यूनतम द्रव्य कोप की पद्धति अपनाई गई है। आजकल सुरक्षित कोप में २०८ करोड़ रु० का सोना, उसके सिक्के अथवा विदेशी सिक्कोरिटियां होनी चाहिये।

प्रश्न १२१—स्वर्ण चलन मान, स्वर्ण धातु मान, स्वर्ण विनिमय मान और स्टर्लिंग मान का अन्तर स्पष्ट कीजिये । भारतवर्ष में वर्तमान समय में कौन-सा मान प्रचलित है ?

(Distinguish clearly between Gold Currency Standard, Gold Bullion Standard, Gold Exchange Standard and sterling standard What is the prevailing monetary standard in India ?)

उत्तर :—

स्वर्ण चलन मान (Gold Currency Standard) —

स्वर्ण चलन मान उस प्रणाली को कहते हैं जिसके अन्तर्गत देश में सोने के बने हुये सिक्के चलन में होते हैं । इसी कारण इसको स्वर्ण मुद्रा मान भी कहते हैं चलन में सोने के सिक्को के अतिरिक्त कागजी द्रव्य और अन्य साकेतिक द्रव्य भी होते हैं परन्तु उनको सरकार सोने के सिक्को में बदलने के लिए हर समय तैयार रहती है । सोने के सिक्को की स्वतन्त्र ढलाई होती है अर्थात् जनता को यह अधिकार होता है कि वह सोना ले जाकर एकसाल में सिक्के ढलवा सके । इनका अंकित मूल्य इनके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है और ये अपरिमित कानूनी ग्राह्य द्रव्य होते हैं ।

इस मान में यह गुण होता है कि इसमें सोने के सिक्के चलन में होने के कारण लोगों को इस मान पर विश्वास अधिक रहता है परन्तु इसकी केवल घनवान देश ही अपना सकते हैं क्योंकि इस मान में बहुत बड़ी मात्रा में कीमती धातु की आवश्यकता पड़ती है । सिक्को के रूप में सोना चलन में रहकर व्यर्थ में घिसता रहता है । इसमें लोच भी नहीं होती है । अतः अब यह मसार के किसी देश में नहीं पाया जाता । इंग्लैंड में यह १९१४ तक रहा ।

स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) —

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सोने की कमी के कारण स्वर्ण मान का एक नया ढंग निकाला गया है । इसके अन्तर्गत देश में अधिकतर कागज के नोटों व चाँदी के सिक्कों का चलन होता है । यह कागजी मुद्रा परिवर्तनशील होती है और सरकार या अधिकारी सस्था नोटों के बदले में एक निश्चित दर पर सोना खरीदने और सोना देने को तैयार रहती है । सरकार सोने की छद्दे को राजकीय कोष में इस कार्य के लिए सुरक्षित रखती है । इस मान में सरकार यह नहीं पूछती कि सोना किस कार्य के लिए लिया जा रहा है ।

जनता सोना चाहे अपने निजी कार्यों के लिए ले या विदेशियों को भुगतान के लिए, सरकार इसकी कोई परवाह नहीं करती ।

इस मान में स्वर्ण मुद्रा मान के समस्त गुण पाये जाते हैं । साथ ही साथ सिक्के के निर्माण का व्यय और सिक्को की घिसावट बच जाती है । परन्तु सोने की एक बहुत बड़ी राशि राजकीय कोष में बेकार पड़ी रहती है यही इसका सबसे बड़ा दोष है । यह मान इंग्लैंड में १६३१ तक रहा ।

स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) .—

इस मान के अन्तर्गत देश में आंतरिक व्यवहार के लिए कागज या किसी सस्ती धातु का चलन होता है यह साधारणतया अपरिवर्तनशील होती है इसके बदले में आंतरिक कार्यों के लिए सोना नहीं मिल सकता । परन्तु विदेशी विनिमय और लेन देन के लिए देश की सरकार या कोई अधिकारी सत्या कागजी द्रव्य व सिक्को के बदले में एक निश्चित दर पर सोना या कोई ऐसी विदेशी मुद्रा जो सोने की बनी हो या स्वर्ण धातु मान पर आश्रित हो, देने का उत्तरदायित्व लेती है । इस प्रकार देश की प्रचलित मुद्रा का स्वर्ण से अपरोक्ष से सम्बन्ध कर दिया जाता है ।

इस धातु मान में सोने की कम आवश्यकता होती है अतः यह गरीब देशों के लिए बहुत उपयुक्त है । परन्तु इस मान पर लोगों की विश्वास कम होता है । इसको चलाने के लिए राज्य को बहुत हस्तक्षेप करना पड़ता है । भारत में १६३१ तक यही धातुमान था । १ रु० = १ शि० ६ पै० की दर से विदेशी भुगतान के लिए स्टर्लिंग मिल सकता था ।

स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) —

इस मान के अन्तर्गत देश के अन्दर पत्र मुद्रा चलन में रहती है जो आंतरिक व्यापार के लिए अपरिवर्तनशील होती है । विदेशी भुगतान के लिए आंतरिक पत्र मुद्रा के बदले में किसी दूसरे देश की मुद्रा को निश्चित अनुपात में दे दिया जाता है और इस विदेशी मुद्रा का भी स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता । १६३१ के बाद इंग्लैंड स्वर्ण मान नहीं रहा परन्तु भारतीय रुपये का सम्बन्ध १ शि० ६ पै० की दर पर स्टर्लिंग से बना रहा । रुपये का मूल्य स्टर्लिंग के मूल्य पर निर्भर हो गया । स्टर्लिंग का मूल्य घटने बढ़ने पर रुपये का मूल्य भी घटने बढ़ने लगा । क्योंकि रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से स्थापित कर दिया गया जो अब स्वर्ण पर नहीं था । इस मान को स्टर्लिंग विनिमय मान कहते हैं ।

भारत में प्रचलित मुद्रा मान :—

भारत 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' का सदस्य है । इस कोष की निधि

डालर म है। रुपये की दर ३३०८५१६४ रु०=१ अमरीकी डालर निश्चिन की गई है। रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् से १ रु०=२१ अमरीकी सेंट की दर निर्धारित हो गई है। अतः अब रुपया स्टर्लिंग से मुक्त है और प्रचलित मान 'अन्तर्राष्ट्रीय-स्वर्ण डालर विनिमय मान कहा जाता है।'

—०—

प्रश्न १२२—एक अच्छी मुद्रा पद्धति के आवश्यक गुण क्या हैं ?

(What are the essential of a good Monetary system ?)

उत्तर —

यह कहना कठिन है कि एक अच्छी मुद्रा पद्धति कौन-सी है ? फिर भी एक आदर्श मुद्रा पद्धति में निम्न गुणों का होना आवश्यक है :—

(१) मूल्यों में स्थिरता .—किसी देश की मुद्रा पद्धति में सबसे आव-

श्यक गुण यह होना चाहिये कि उस देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों में स्थिरता न रहने से समाज के सभी वर्गों, उद्योग, कृषि एवं व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ना है।

(२) सरलता का गुण —

एक अच्छी मुद्रा पद्धति में सरलता का भी गुण होना चाहिये। मुद्रा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिसको प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके। सरलता का गुण जनता का मुद्रा पद्धति में विश्वास पैदा करता है। स्वर्ण मान में यह गुण पाया जाता है।

(३) परिवर्तनशीलता का गुण :—एक अच्छी मुद्रा पद्धति वही है जिसकी मुद्रा सोना, चादी में आसानी से बदली जा सके। इससे जनता का उम देश की मुद्रा पद्धति में विश्वास पैदा होता है।

(४) निश्चितता का गुण :—मुद्रा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिसकी प्रत्येक बात स्पष्ट समझ में आ सके। सरकारी दायित्व के विषय में स्पष्टता होनी आवश्यक है। सभी किसी देश की मुद्रा पद्धति में निश्चितता का गुण आ सकता है।

अच्छी मुद्रा पद्धति की विशेषतायें :—

१. मूल्यों में स्थिरता।
२. सरलता का गुण।
३. परिवर्तनशीलता।
४. निश्चितता।
५. लोचकता।
६. मितव्ययिता।
७. मुद्रा प्रसार में सुरक्षा।

(५) लोचता का गुण :—मुद्रा पद्धति में लोचता का भी गुण होना चाहिये अर्थात् आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ आसानी से हो सके। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता के लिए मुद्रा पद्धति में लोच का होना आवश्यक है।

(६) मितव्ययिता का गुण —एक अच्छी मुद्रा पद्धति में मितव्ययिता का गुण भी होना चाहिये। मुद्रा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिसमें सोने, चांदी का कम से कम प्रयोग हो तभी मुद्रा पद्धति सरल एवं लोचदार हो सकती है।

(७) मुद्रा प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा :—मुद्रा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिसमें मुद्रा प्रसार का दोष न हो अन्यथा देश आर्थिक मकट में पड़ सकता है। इस कारण से एक अच्छी मुद्रा पद्धति में मुद्रा प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा का गुण भी होना चाहिये।

इसलिए किसी देश की मुद्रा पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उपलिखित गुण होने चाहिये। मुद्रा चलन की पद्धति उस देश की आर्थिक दशा, जनसंख्या का घनत्व एवं सामाजिक प्रथाओं व आदतों के अनुसार उस देश की सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

अध्याय ५४

मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन तथा ग्रीशम का नियम

प्रश्न १२३—मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन को समझाइये। इनसे समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(Explain Inflation and Deflation. How do they affect the different section of the society ?)

उत्तर :—

मुद्रा प्रसार (Inflation) —

मुद्रा प्रसार उस स्थिति को कहते हैं जब देश में द्रव्य की मात्रा उसकी आवश्यकता से अधिक हो जाती है। द्रव्य की आवश्यकता वस्तुओं के क्रय-

विक्रय के लिये होती है जो स्वयं देश के उत्पादन पर निर्भर होता है।
 फलतः जब किसी देश में उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक होने के कारण, मूल्य सिद्धांत के अनुसार, द्रव्य का मूल्य गिर जाता है अर्थात् समाज द्रव्य की इकाई पहले की अपेक्षा कम वस्तुओं और सेवाओं खरीद पाता है। अतः वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं।

मुद्रा प्रसार साधारणतया मुद्रा काल में होता है जब सरकार को युद्ध संचालन के लिये बहुत मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। वह नोट छाप कर ऋय शक्ति निर्माण करती है। पिछड़े हुए देशों में आर्थिक विकास के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने के लिये भी सरकार मुद्रा प्रसार की नीति को अपनाती है। भारतवर्ष में आजकल यही हो रहा है। अतः इसी कारण भारतवर्ष में मूल्य स्तर (General Price level) उठता चला जा रहा है।

मुद्रा संकुचन (Deflation) :—

मुद्रा संकुचन मुद्रा की विपरीत स्थिति है। जब देश में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम रह जाती है तथा देश में विनिमय कार्य के लिये मुद्रा अर्थात् रहती है तो ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम होने के कारण, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात् द्रव्य की ऋय-शक्ति (Purchasing Power) बढ़ जाती है। फलस्वरूप वस्तुओं के दाम गिरने लगते हैं।

मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन का प्रभाव .—

जैसा कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा संकुचन दोनों ही सामान्य मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। मूल्यों में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है जो निम्न प्रकार है :—

(१) ऋणी और ऋणदाता (Debtors and Creditors) :—मुद्रा प्रसार के ऋणी को लाभ और ऋणदाता को हानि होती है। मुद्रा प्रसार होने से द्रव्य की ऋय शक्ति कम हो जाती है परन्तु ऋणी ऋणदाता को उतना ही द्रव्य लौटाता है जितना कि उसने उधार लिया था। अर्थात् वह पहले की अपेक्षा कम ऋय शक्ति लौटाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में विपरीत प्रभाव होता है। ऋणी को हानि ऋणदाता को लाभ। ऋणी को अब पहले की अपेक्षा अधिक ऋय-शक्ति लौटानी पड़ेगी क्योंकि मुद्रा-संकुचन से मूल्य स्तर गिर जाता है।

(२) उत्पादक व व्यापारी (Producer and Businessman) — उत्पादकों और व्यापारियों को मुद्रा प्रसार से बड़ा लाभ होता है। उत्पादन लागत वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ती हैं अतः वे काफी मुनाफा कमाते हैं। व्यापारी लोग मदी के समय माल कोठों में भर कर रख लेते हैं और मुद्रा प्रसार के बाद ऊँची कीमतों पर बेचते हैं। अतिरिक्त लाभ के लालच में उत्पादक व व्यापारी खूब उत्पादन करते हैं।

परन्तु मुद्रा सङ्कुचन का इस वर्ग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यापारियों को हानि होती है क्योंकि उनके स्टॉक की कीमतें गिरने लगती हैं उत्पादकों का लागत व्यय उस अनुपात में कम नहीं होता जिससे कि वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। अतः उनको भी हानि होती है। फलस्वरूप उनमें निराशा छा जाती है, उत्पत्ति कम कर दी जाती है और देश में बेकारी फैल जाती है।

(३) उपभोक्ता (Consumers) :—मुद्रा प्रसार से उपभोक्तियों को हानि होती है क्योंकि अब उनको पहले की अपेक्षा अधिक मूल्यों पर वस्तुयें मिलेंगी। मुद्रा सङ्कुचन से इस वर्ग को लाभ होता है क्योंकि उनकी सीमित आय पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुयें खरीद पाती है।

(४) मजदूर वर्ग (Labourers) — मुद्रा प्रसार बेरोजगार मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है क्योंकि मुद्रा प्रसार की स्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये उत्पादक अपनी उत्पत्ति का पैमाना बढ़ा देते हैं जिससे मजदूरों को अधिक नौकरियाँ मिलती हैं। परन्तु जो मजदूर काम पर लगे होते हैं, मूल्य बढ़ जाने से उनको हानि होती है। उनकी आय पहले की अपेक्षा कम वस्तुयें खरीद पाती है। यह सही है कि मजदूर श्रम सघों की सहायता से अपनी मजदूरी बढ़वा लेते हैं परन्तु यह वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के अनुपात से बहुत कम होती है। फलस्वरूप श्रमिकों का जीवन-स्तर गिर जाता है और दीर्घकाल में उनकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। इसके विपरीत मुद्रा सङ्कुचन से मजदूरों में बेकारी फैलती है परन्तु जो मजदूर काम पर लगे रहते हैं उनको लाभ होता है क्योंकि उनके रहन-सहन का खर्च (Cost of Living) कम हो जाता है।

(५) निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति (Fixed income Earners) :—मुद्रा प्रसार से निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को हानि रहती है क्योंकि ज्यों-ज्यों मूल्य बढ़ते हैं इनकी वास्तविक आय (Real income) कम होती जाती है। किराये या ब्याज की आमदनी खाने वाले

व्यक्ति की आय मुद्रा-प्रसार के कारण नहीं बढ़ती है पर वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। अतः उसको हानि होती है। मुद्रा-सकुचन से इन व्यक्तियों को लाभ होता है। समाज के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को मुद्रा प्रसार से बड़ी हानि और मुद्रा सकुचन से बड़ा लाभ होता है।

यद्यपि प्रदा-प्रसार व मुद्रा सकुचन दोनों ही बुरे हैं परन्तु सामाजिक हित की दृष्टि से मुद्रा-प्रसार वांछनीय बुराई है। मुद्रा सकुचन से केवल निश्चित आय वालों को लाभ होता है परन्तु देश में निराशा छा जाती है, उत्पादन बंद हो जाता है और बेकारी फैल जाती है। मुद्रा-प्रसार यद्यपि निश्चित आय वालों को हानि पहुंचाता है पर देश में प्रायिक क्रिषा कलाप तो चलते रहते हैं और देश का उत्पादन बढ़ता है।

—

प्रश्न १२४—“बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है” इस कथन की पूर्ण व्याख्या कीजिये।

अथवा

गेशम के नियम को समझाइये। इस नियम के क्षेत्र तथा सीमाओं को स्पष्ट कीजिये ?

(“Bad money drives good money out of circulation.” Explain fully this statement.)

Or

(Explain Greshm's Law of Currency Circulation. Also discuss its scope and limitations)

उत्तर :—

रानी एलिजाबेथ के समय में इंग्लैंड में बहुत पुराने धिसे हुये तथा कम वजन के सिक्के प्रचलित थे। रानी ने पुराने और धिसे मिडे सिक्कों को चलने से हटाने के लिये बार-बार नये सिक्कों का प्रसार किया परन्तु जैसे ही वे चलन में आते थे वैसे ही वे गायब हो जाते थे। चलन में केवल पुराने सिक्के ही रह जाते थे। रानी ने इस सम्बन्ध में अपने आर्थिक सलाहकार सर टामस गेशम (Sir Tomas Gresham) से राय ली। गेशम ने इस स्थिति का अध्ययन करके यह बतलाया कि यदि किसी देश में दो सिक्के स्वतंत्र रूप से अपरिमित कानूनी द्रव्य के रूप में चलते हों तो बुरे सिक्के अच्छे सिक्कों को चलन से निकाल देते हैं। इसलिये चलने में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि बुरे सिक्कों को वापस ले लिया जाये। गेशम के इस

निष्कर्ष को ही अर्थशास्त्र में ग्रेशम का सिद्धांत कहा जाता है। संक्षिप्त में ग्रेशम का नियम यह है कि "बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है" (The bad money drives the good money out of circulation) बुरी मुद्रा से तात्पर्य जाली या छोटे सिक्कों से नहीं है बल्कि ऐसे सिक्कों से है जिनका वास्तविक मूल्य अन्य सिक्कों की अपेक्षा कम है और अपेक्षाकृत कम मूल्यवान् धातु लगी है।

ग्रेशम के नियम का क्षेत्र (Scope of Gresham's Law) :—

ग्रेशम का नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है :—

(१) एक धातु मान के अन्तर्गत :—जब देश में एक ही धातु के बने सिक्कों का प्रचलन होता है तो पुराने और धिसे हुये सिक्के नये और पूरी तौल के सिक्कों को चलन से हटा देते हैं। पुराना सिक्का बुरी मुद्रा ही जाता है और वह नये सिक्को (अच्छी मुद्रा) को चलने से हटा देगा।

(२) द्विधातु मान के अन्तर्गत :—इस प्रकार के मान के अन्तर्गत दो धातुओं, सोने और चांदी के सिक्के साथ साथ चलते रहते हैं, दोनों स्वतन्त्र अपरिमित कानूनी द्रव्य होते हैं और राज्य द्वारा उनका परस्पर मूल्य निश्चय कर दिया जाता है। जैसे १ सोने का सिक्का बराबर १५ चांदी के सिक्कों के। यद्यपि टकसाल में दोनों सिक्को का विनिमय अनुपात में निश्चित रहता है परन्तु धातुओं का बाजार मूल्य बदलता रहता है। तो उनमें से जिस धातु का भी बाजार मूल्य बढ़ जाता है, उसी धातु का बना हुआ सिक्का दूसरी धातु के सिक्के से अच्छा समझा जायेगा। अतः धीरे-धीरे चलन से अच्छे सिक्के निकल जायेंगे।

(३) कागजी मुद्रा के अन्तर्गत :—यदि किसी देश में आवश्यकता से अधिक अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (बुरी मुद्रा) निर्गमित कर दी जाये तो वह बहुमूल्य धातुओं के सिक्को को (अच्छी मुद्रा) चलन से हटा देगी। यदि केवल नोट ही चलन में हैं तो फटे व धिसे हुये नोट नये नोटों को चलन से निकाल देंगे।

अच्छा द्रव्य कहां चला जाता है :—

स्वभावतः अच्छी मुद्रा को जनता दबाकर रख लेती है। व्यक्तियों को नई चीज से प्रेम होता है। यदि आपको एक घिसा हुआ रुपया और दूसरा नया रुपया दिया जाये तो आप फौरन ही नये रुपये को छठा लेंगे। अतः हम नये सिक्कों को जोड़ लेते हैं और पुरानों को चलन में रखते हैं। नये सिक्को को पिघलाकर, आभूषण इत्यादि बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा की अपेक्षा अधिक बचत और अच्छी किस्म की होती है। अतः

इसको विदेशी भुगतान में प्रयोग किया जाता है क्योंकि विदेशी कम वजन के घटिया सिक्के स्वीकार नहीं करते ।

ग्रेसम के नियम की सीमायें (Limitation of Gresham's Law) —

ग्रेशम का नियम सर्वदा सत्य नहीं है । कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जहाँ यह नियम लागू नहीं होता । अतः इस नियम के लागू होने की निम्न शर्तें हैं —

(१) यदि देश में कुल चलन की मात्रा घटिया और अच्छे द्रव्य दोनों को मिलाकर, उसकी आवश्यकता अधिक नहीं है तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा । ऐसी स्थिति में दोनों ही सिक्के चलन में रहेंगे । यदि मुद्रा आवश्यकता से अधिक है तो यह नियम लागू हो जायेगा ।

(२) यदि सिक्के इतने अधिक घिस गये हों कि कोई भी उन्हें लेने को तैयार न हो तो यह ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा ।

(३) यदि समस्त जनता यह तय करे कि वह खराब द्रव्य प्रयोग ही नहीं करेगी, तो भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा ।

(४) सांकेतिक द्रव्य प्रमाणिक द्रव्य की अपेक्षा बुरा द्रव्य है क्योंकि उनका अंकित मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है । परन्तु फिर भी दोनों साथ साथ चलते हैं । कारण यह है कि सांकेतिक व प्रमाणिक मुद्रा में स्पष्टता नहीं होती ये अलग अलग प्रकार की चलन की माँग को सन्तुष्ट करने हैं ।

(५) यदि देश में बैंकिंग सुविधायें पर्याप्त हैं, लोगों में धन को जमीन में गाढ़ कर या पाम रखने की आदत नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा । जनता अच्छे द्रव्य को बैंकों में जमा कर देगी जो पुनः चलने में आ जायेगा ।

—

अध्याय ५५

साख

प्रश्न १२५—'साख' की परिभाषा दीजिये और इसके लाभ-हानियाँ बताइये । वर्तमान युग में साख का क्या महत्व है ?

(Define credit and give its merits and demerits. What is the importance of credit in the modern times)

उत्तर :—

अर्थशास्त्र में साख शब्द का अर्थ 'उधार' है अर्थात् जिस समय रुपये का भुगतान लेना चाहिये उस समय न लेकर भविष्य में किसी अन्य समय लिया जावे। हम दैनिक जीवन में वस्तु की कीमत या द्राव्यिक ऋण का भविष्य में भुगतान करने का आश्वासन देकर वस्तु या द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं। यही शक्ति अर्थशास्त्र में साख कही जाती है। "साख किसी व्यक्ति या समुदाय की यह शक्ति है जिसके अनुसार वह अन्य व्यक्ति या समुदाय से भविष्य में लौटाने की प्रतिज्ञा के आधार पर कुछ समय के लिये आर्थिक वस्तुओं प्राप्त कर सकता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैवन्स (Jevons) के अनुसार "साख कुछ विलम्ब के पश्चात् भुगतान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"

साख के तत्व :—उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि साख के निम्न ३ आवश्यक तत्व हैं :—

(१) विश्वास :—ऋणदाता साख देने के लिये तभी तैयार होता है जबकि उसे विश्वास हो जाय कि साख लेने वाला निश्चित समय पर पूर्ण धन राशि लौटा देगा। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति ईमानदार हो और रुपया अदा करने की सामर्थ्य (Capacity) भी रखता हो। जिस व्यक्ति की ईमानदारी पर किसी को विश्वास नहीं है या उसमें ऐसी शक्ति नहीं कि वह भविष्य में रुपया अदा करदे तो ऐसे व्यक्ति को उधार नहीं मिल सकता।

(२) धन :—यदि धन न हो तो साख का कोई प्रश्न नहीं उठता। साख शब्द का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि कुछ धन अथवा धन में बदली जाने वाली वस्तुओं का भुगतान उस समय न लेकर भविष्य में लिया जाता है। अतः धन साख का आवश्यक तत्व है।

(३) समय :—साख का तीमरा तत्व समय है। उधार वेचे हुए माल या उधार दिये गये धन का भुगतान भविष्य में एक निश्चित समय बाद ही होता है। यदि भुगतान वर्तमान में ही हो जाय और समय का कोई प्रश्न न उठे तो यह नकद सोदा कहलायेगा न कि उधार सोदा।

साख के लाभ (Advantages of Credit)

(१) साख-पत्र जैसे चेक, बिल, हुडी इत्यादि मुद्रा का काम करते हैं। आधुनिक विश्व में इतना सोना या अन्य धातु नहीं है कि मुद्रा सम्बन्धी समस्त माँग पूरी की जा सकें। अतः साख पत्र मुद्रा के पूरक का काम करते हैं।

(२) साख पत्रों के माध्यम से रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना बहुत ही सुविधाजनक व सस्ता होता है।

(३) साख से साख सस्थाओं जैसे बैंक, बीमा कम्पनी आदि को प्रोत्साहन मिलता है। ये सस्थाएँ न केवल पूजा का निर्माण करती हैं बल्कि साख सृजन भी करती हैं। इस एकत्रित पूजा को उचित व्यक्तियों अथवा व्यापारियों को उधार दिया जाता है जिससे व्यापार तथा उद्योग की प्रगति होती है।

(४) साख के कारण लोगों में व्याज के लालच में बचत करने की आदत बढती है। साख के अभाव में ये व्यक्ति सब आय अनुत्पादक प्रयोगों में व्यय कर डालते हैं।

(५) साख की मात्रा को घटा या बढा कर मुद्रा की पूर्ति को कम या अधिक किया जा सकता है। साख नियंत्रण द्वारा मूल्यों को स्थिर रख सकते हैं। जब मूल्य कम करने होते हैं तो देश में साख द्रव्य कम करके वस्तुओं की कीमतें गिरा देते हैं इसी प्रकार साख की मात्रा बढा कर मूल्यों को बढाया जा सकता है।

(६) साधारण नागरिक व देश की सरकार दोनों ही आवश्यकता व आपत्ति के समय साख के आधार पर रकम प्राप्त कर सकते हैं।

साख से हानिया (Disadvantages of Credit) :—

(१) साख से अपव्ययिता व अफूलखर्ची बढती है। उपभोक्ता व उत्पादनकर्ता दोनों ही उधार लिये गये धन को लापरवाही से व्यय करते हैं। उधार मिलने की सुविधा भित्तव्ययिता को नष्ट करती है।

(२) साख के कारण सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है जिससे व्यापार व उद्योग दानों को हानि होती है।

(३) व्यापार की सच्ची आवश्यकता से अधिक मात्रा में साख के प्रसार हो जाने पर देश में आर्थिक संकट और मदी आ जाने का भय बना रहता है।

(४) साख सुविधायें मिलने के कारण ही व्यापार इतने बडे हो जाते हैं कि वे एकाधिकारी बन जाते हैं जो उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

(५) साख के द्वारा बहुत से अकुशल व्यापारी अपनी अकुशलता को काफी दिनों तक छिपा लेते हैं। व्यवसाय में हानि होते रहने पर भी कुछ दिनों के लिये काम चलता रहता है।

उपरोक्त हानियों को थोड़ी सतर्कता में प्रयोग लाकर व राज्य द्वारा साख नियंत्रण करके आसानी से दूर किया जा सकता है।

साख का महत्व (Importance of Credit) :—

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में साख का इतना अधिक महत्व है कि इस युग को 'साख युग' कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में साख का महत्व दृष्टि-गोचर होता है। उरभोक्ता फुटकर विक्रेताओं से, फुटकर विक्रेता थोक विक्रेताओं से, थोक विक्रेता उत्पादनकर्ताओं से उधार सामान खरीदते हैं। उत्पादकों व व्यापारियों को साख सस्थाओं से साख मिलती है। वर्तमान उत्पादन के लिये विशाल धन-राशि की आवश्यकता होती है। इसका एक बड़ा भाग उधार लेकर ही विनियोग किया जाता है। यही बात छोटे पैमाने पर खेती, कुटीर उद्योग घघो आदि पर लागू होती है। जनता ही परस्पर साख नहीं ले-नी देती बल्कि सरकार भी अपन कर्तव्यों को पूरा करने के लिये देश की जनता व विदेशों से साख लेती है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भारत सरकार ने धरवी हयया आर्थिक विकास के लिये उधार लिया है। सक्षेप में, साख के अभाव में पात्र की अर्थव्यवस्था अस्तव्ययस्त हो जायगी।

— —

अध्याय ५६

साखपत्र

प्रश्न १२६—प्रमुख साख-पत्र कौन कौन से हैं? एक चैक और विनिमय विपत्र का नमूना बताइये। चैक और विनिमय विपत्र में क्या अन्तर है ?

(What are the main Credit Instruments ? Make out specimens of a cheque and a Bill of Exchange and Distinguish between the two)

उत्तर .—

भविष्य में ऋण चुकाने के लिखित प्रमाण पत्रों को ही साख पत्र (Credit Instruments) कहते हैं।

प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित हैं :—

१. विनिमय विपत्र (Bill of Exchange)
२. हुडी (Hundi)
३. प्रतिज्ञा पत्र (Promisory Note)
४. चैक (Cheque)
५. आई० ओ० यू० (I O. U, I Owe You)
६. बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)

७. बैंक नोट और करेंसी नोट (Bank and Currency Notes)
हम यहाँ पर केवल विनिमय विपत्र तथा बैंक के विषय में ही पढ़ेंगे।

विनिमय विपत्र (Bill and Exchange) :—

“यह एक विना शर्त का लिखित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है और एक विशेष व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह किसी तीसरे व्यक्ति को जिसका नाम उस पत्र में अंकित हो अथवा उसकी आज्ञा से किसी और व्यक्ति को या बिल के लेने वाले को उसमें लिखित रकम मागने या किसी निश्चित समय पश्चात् दे दे।”

विनिमय बिल देशी तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार में प्रयोग होते हैं। इसमें तीन पक्ष होते हैं :—

- (१) बिल का लिखने वाला (Drawer) यह लेनदार होता है।
- (२) वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है (Drawee) यह देनदार होता है।
- (३) बिल की रकम पाने वाला व्यक्ति (Payee)

कभी-कभी बिल का लिखने वाला और पाने वाला एक ही पक्ष होता है। जैसे राम ही बिल लिखे और स्वयं ही उसका भुगतान लेवे। विनिमय बिल मुद्दती व दर्शनी होते हैं। जब किसी बिल का भुगतान मागने पर या दिखाने पर होता है तो उसको दर्शनी बिल (Demand Bill) कहते हैं, यदि भुगतान कुछ समय या मुद्दन बाद होता है तो उसको मुद्दती बिल (Time Bill) कहते हैं। मुद्दती बिल लिखने के बाद, देनदार की स्वीकृति चाहता है।

विनिमय पत्र का नमूना (मुद्दती बिल)

₹० ५००	बुरजा
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">टिकट</div>	२० जून, १९५६
<p>आज से तीन महीने पश्चात् मेसर्स हजारी लाल गुलजारी लाल, कानपुर वाले को या हमारी आज्ञानुसार केवल पाच रुपये का भुगतान कीजिये। मूल्य प्राप्त</p>	
सेवा में, हरनारायण गोपीनाथ खारी बावली, दिल्ली।	हरप्रसाद श्योदत्त राय

चैक (Cheque) — जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोलता है तो बैंक उस व्यक्ति को एक चैक बुक भी देती है। बैंक से रुपया इन चैको के द्वारा ही निकाला जा सकता है। चैक की परिभाषा इस प्रकार है “चैक एक प्रकार का लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें वह व्यक्ति जिसका बैंक में रुपया जमा होता है, अपने हस्ताक्षर करके, बैंक को यह आज्ञा देता है कि वह किसी विशेष व्यक्ति को या धारक को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित धन दे दे।” चैक का रुपया सदैव मांगने पर ही मिलना है।


चैक में भी तीन पक्ष होते हैं —

- (१) चैक लिखने वाला (Drawer)
- (२) चैक का रुपया पाने वाला (Payee)
- (३) बैंक जो चैक का रुपया अदा करता है (Drawee)

जब चैक का रुपया किसी भी व्यक्ति को जो उसको पेश करे मिल जाता है तो ऐसे चैको को वाहक चैक (Bearer Cheque) कहते हैं। यदि चैक का रुपया उसी व्यक्ति को मिले जिसका चैक में नाम लिखा है तो उसे आदेशानुसार चैक (Order Cheque) कहते हैं।

चैक रेखांकित व खुला (Crossed and Open) भी होता है। जिस चैक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएँ (उनके बीच में कुछ शब्दों के साथ) या अकेले ही) खींची जाती हैं वह रेखांकित चैक कहलाता है। खुले चैक पर कोई रेखाएँ नहीं खिंची होती। रेखांकित चैक का रुपया बैंक के काउन्टर पर नहीं मिलता बल्कि किसी अन्य बैंक की मारफ्त ही मिल सकता है। रेखांकित करने से चैक अधिक सुरक्षित हो जाता है।

चैक का नमूना

	No	BA	Kharja
		C	20 th. June-1959
	THE BANK OF BARODA LIMITED		
	(Branch)		
Pay to Hari Shanker Gautama or		Order	Rupees one
thousand and five hundred only.		Bearer	
Rs. 1500/-			Rama Mohan

चेक और बिल का अन्तर

चेक	बिलिसय पत्र
१ यह सदैव एक बैंक के ऊपर लिखा जाता है ।	१. यह किसी फर्म या व्यक्ति या सस्था के नाम लिखा जाता है ।
२ यह मदेव दर्शनी होते हैं, इनका रुपया देखते ही चुकाना होता है ।	२ यह दशनी व मुहती दोनों ही प्रकार के होते हैं ।
३ इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं ।	३ मुहती बिल में स्वीकृति अनिवार्य होती है ।
४ इसको रेखांकित कर सकने है ।	४ बिल रेखांकित नहीं किये जाते ।
५ यह केवल देश के भीतरी कामों के लिए प्रयोग होता है ।	५ यह देशी व विदेशी दोनों प्रकार के भुगतानों के लिये प्रयोग किया जाता है ।
६ चेक की अवधि बीत जाने पर भी लेखक व सही करने वाले रकम के देनदार होने हैं ।	६ अवधि बीत जाने पर यदि बिल को भुगतान के लिए पेश न किया जाये तो इसका लेखक व सही करने वाले अपन दायित्व से हट जाते हैं ।
७ भुगतान न होने पर लेखक की सूचना देन की आवश्यकता नहीं होती ।	७ अस्वीकार हो जाने या भुगतान न होने पर लेखक को सूचना देनी पडती है ।

अध्याय ५७

बैंक

प्रश्न १२७—बैंक की परिभाषा दीजिये तथा आधुनिक बैंकों के कार्यों का विवेचन कीजिये ।

(Define a Bank and Discuss the functions of modern banks)

उत्तर :—

प्राधुनिक बैंक इतने अधिक कार्य करते हैं कि बैंक की एक उचित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। बैंक का मुख्य कार्य साख का लेन देन करना है अतः इसी को ध्यान में रखते हुये बैंक की परिभाषा दी जाती है। "बैंक वह संस्था है जो द्रव्य का व्यापार करती है।" (Bank is an institution which deals in credit) रुपया बचाने वाले व्यक्ति अथवा संस्थायें अपने रुपये को बैंकों में जमा कर देते हैं जिसके बदले में उनको मूद्र प्राप्त होता है। बैंक इस प्रकार एकत्रित धन राशि को ग्यारारियों और उद्योगशक्तियों को ब्याज पर उधार दे देता है। कम ब्याज पर रुपया लिया जाता है और अधिक ब्याज पर दिया जाता है। यही ब्याज की दर का अन्तर उनका लाभ होता है।

बैंकों के कार्य (Functions of modern Banks)

प्राधुनिक बैंकों के कार्यों को निम्न चार भागों में बांट सकते हैं :—

- (१) रुपया उधार लेना (Borrowing)
- (२) रुपया उधार देना (Lending)
- (३) आडत के कार्य (Agency functions)
- (४) अन्य कार्य (Miscellaneous functions)

(१) रुपया उधार लेना — बैंक जमा के रूप में जनता से रुपया उधार लेते हैं। जिन व्यक्तियों के पास फालतू धन होता है वे उसको बैंकों में जमा कर देते हैं। बैंक इसके बदले में उनको ब्याज देता है। बैंकों में साधारणतया तीन प्रकार के खातों में रुपया जमा किया जाता है —

(i) **मुहृती खाता (Fixed deposit Account)** — इस खाते में रकम एक निश्चित समय के लिये जमा की जाती है और उससे पूर्व नहीं निकाली जा सकती है। ऐसे खातों पर ब्याज की ऊंची दर होती है।

(ii) **चालू खाता (Current Account)** — इस खाते में से चाहे जब रुपया निकाला जा सकता है। विशेषकर व्यापारियों को यह अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि उन्हें दिन में कई बार भुगतान करने पड़ते हैं। ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता।

(iii) **बचत खाता (Savings Account)** — छोटे-छोटे व्यक्तियों को जो बहुत थोड़ी धन राशि बचा पाते हैं यह खाता उपयुक्त रहता है। इसमें से सप्ताह में दो बार ही रुपया निकाला जा सकता है। इन पर ब्याज प्रोत्साहित कम मिलता है। यह खाता साधारण व्यक्तियों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है।

कुछ बैंको में गोलक खाते खोले जा सकते हैं। ग्राहको को एक गोलक बैंक की सील लगाकर घर के लिये दे दी जाती है। सप्ताह में एक बार वह बैंक में लाकर खोली जाती है और उसकी घन-राशि को ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है।

(२) रुपया उधार देना.—इस प्रकार एकत्रित धन की व्यापारियों व व्यवसायियों को अधिक व्याज की दर पर उधार दे दिया जाता है। उधार उसी व्यक्ति को मिलता है जो ईमानदार व कुशल व्यापारी है और कोई धरोहर (Security) दे सकता हो। बैंक प्रायः नकद रुपया उधार नहीं देता बल्कि उतनी घन राशि को ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इस ढंग से बैंक नकद द्रव्य की मात्रा से कहीं अधिक रुपया उधार दे डालते हैं। इस कार्य को साख-निर्माण (Credit Creation) कहते हैं।

(३) ऐजेंसी कार्य.—बैंक अपने ग्राहको के लिये ऐजेंट का कार्य करता है जैसे :—

(i) बैंक, बिल व ड्रिडियों का रुपया वसूल करना।

(ii) ग्राहको के लिये अशपत्र (Shares) ऋण पत्र (Debentures) खरीदना व बेचना।

(iii) ग्राहको के अशपत्रों तथा ऋणपत्रों पर लाभांश व व्याज वसूल करना।

(iv) ग्राहको को अन्य व्यापारियों की साख, व्यापारिक कुशलता आदि के बारे में सूचना प्रदान करना।

(v) ग्राहको की ओर से चन्दे, बीमे का प्रीमियम व किराया आदि अदा करना।

(vi) ग्राहको के लिये ट्रस्टी, अटारनी व एक्जीक्यूटर आदि का काम करना इन कार्यों के लिये बैंक ग्राहको से कुछ कमीशन चाज करता है।

(४) अन्य कार्य :—

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंकों के निम्न कार्य भी हैं :—

(१) नोट निर्गमित करना.—हमारे देश में नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को है।

(२) विदेशी विनिमय की खरीद विक्री करना।

(३) साख-पत्र जैसे बैंक ड्राफ्ट, बैंक व साख की चिट्ठियाँ (Letter of Credit) आदि देना।

(४) जेवर, बहुमूल्य वस्तुएँ व दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखना।

प्रश्न १२८—बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं ? बैंको द्वारा साख की सीमाओं का उल्लेख कीजिये ।

(How banks create credit ? What are the limitations on the powers of the bank to create credit ?)

उत्तर :—

बैंक द्वारा साख का सृजन —बैंको का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये साख का निर्माण या सृजन करते हैं । बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

साख के निर्माण के लिए सर्वप्रथम बैंक साख को जमा खाते में इकट्ठा करते हैं । श्रोवर ड्राफ्ट अथवा नकद उधार दिये गये धन को बैंक ऋणी के नाम खाते में जमा कर देता है तथा ऋणी को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह एक निश्चित सीमा तक बैंक से कभी भी रुपया निकलवा सकता है । इस प्रकार जमा खाते से एकत्रित धन का कुछ भाग बचा कर शेष धन को बैंक फिर उधार दे देते हैं । इस प्रकार बैंक एक छोटी रकम के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में साख निर्माण करने में सफल होते हैं । जमाखाते का कुछ प्रतिशत धन बैंक अपने अनुभव के आधार पर बचा कर रखते हैं जिसके आधार पर वे दिन प्रतिदिन की देनदारी को पूरा कर सकें ।

उदाहरण :—उपलिखित बैंक द्वारा साख निर्माण करने की विधि को हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं । माना कोई व्यक्ति बैंक में १००) रु० जमा करता है । अब बैंक अपने अनुभव के आधार पर १०) रु० बचा कर ९०) रु० को उधार के लिए दे देता है और ९० रुपया भी ऋणी के अपने बैंक में जमाखाते में जमा कर लेता है तथा उसको रुपया निकालने की सुविधा दे देता है । इस प्रकार अब बैंक के पास जमा के रूप में १९०) रु० ही जाते हैं । १००) रु० नकद तथा ९० रुपया उधार जमा) अब फिर बैंक १०% रुपया बचा कर शेष को उधार दे देगा और वह जमा खाते में जमा के रूप में रख कर । इस प्रकार बैंक १००) रु० के आधार पर लगभग १०००) रु० तक का साख सृजन कर सकता है क्योंकि यह बैंक का अनुभव है कि एक समय में १०% रुपये से अधिक रुपया बैंक से नहीं निकाला जायेगा और यदि किसी समय रुपया इस सीमा से अधिक निकाला गया तो बैंक को केन्द्रीय बैंक से रुपया उधार लेना पड़ेगा या बैंक ही फेल हो जायेगा । लेकिन आधुनिक समय में केन्द्रीय बैंक का साख सम्बन्धी कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और बैंक के फेल होने की सम्भावना बहुत ही कम रह जाती है ।

साख सृजन की सीमायें — उल्लिखित वर्णन से यह नहीं समझना चाहिये कि बैंक की साख सृजन की कोई सीमा ही नहीं है। व्यवहार में बैंक के साख निर्माण करने की शक्ति कुछ निम्न बातों से परिमित हो जाती है।

(१) जिस बैंक को जमा का जितना अधिक भाग अपने पास रखना पड़ता है उतनी ही साख करने की सीमा कम हो जाती है।

(२) केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित द्रव्य का भी बैंकों के साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है, जितना अधिक देश में मुद्रा का चलन होता है उतनी ही अधिक साख सृजन की सीमा बढ़ जाती है।

(३) किसी देश में जनता के नकद रुपये रखने की आदत का भी साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है। यदि जनता नकद रुपया अधिक रखती है तो साख सृजन कम होगा और यदि जनता अधिकांश द्रव्य बैंकों में जमा करती है तो साख का सृजन भी अधिक होगा।

अतः उपलिखित तीन बातों पर किसी देश की साख सृजन की सीमा निर्धारित होती है।

अध्याय ५८

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

प्रश्न १२६—भारत में कितने प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं? उनके विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। भारतीय स्वदेशी बैंकों की कार्य प्रणाली आधुनिक बैंकों की कार्य प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है?

(How many kinds of Banks are working in India? Discuss briefly their various functions. How is the working of modern banks different with that of Indigenous banks?)

उत्तर —

भारत में निम्न प्रकार के बैंक कार्य कर रहे हैं —

- (१) स्वदेशी बैंक (Indigenous Banks)
- (२) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)
- (३) सहकारी बैंक (Cooperative Banks)
- (४) भूमि ऋणक बैंक (Land mortgage Banks)

- (५) विनिमय बैंक (Exchange Banks)
- (६) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)
- (७) सेविंग्स बैंक (Savings Banks)
- (८) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

(१) स्वदेशी बैंक — भारतीय बैंक व्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका क्षेत्र, संगठन तथा कार्य आधुनिक बैंकों से बिल्कुल नहीं मिलता। इनकी महाजन, साहूकार, मारवाड़ी, सर्राफ इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। वे उन स्थानों में विशेषतया काम करते हैं जहाँ आधुनिक बैंकों का प्रभाव है। वे छोटे छोटे किसानों, कारीगरों व छोटे-छोटे व्यापारियों को रुपया उधार देते हैं। उत्पादक व अनुत्पादक दोनों ही प्रकार के ऋण देते हैं। इनकी कार्य प्रणाली बड़ी सरल होती है। ये ब्याज की ऊँची दर चार्ज करते हैं। बड़े बड़े स्वदेशी बैंकर इण्डियों के भुनाने का भी कार्य करते हैं। ये बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ कोई निजी सहायक व्यापार भी करते रहते हैं। अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से इनका सम्बन्ध नहीं हो पाया है।

(२) व्यापारिक बैंक — भारत के अधिकांश बैंक व्यापारिक प्रकार के हैं जो व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारियों को माल का उत्पादन नहीं करना पड़ता वे तो थोड़े समय के लिए माल खरीदने व बेचने के लिये रुपया चाहते हैं। ये बैंक व्यापारियों को चालू खाते की सुविधा प्रदान करते हैं और ओवरड्राफ्ट के रूप में रुपया उधार देते हैं। ये ऐजसी व सेफ कस्टडी का काम भी करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक व इलाहाबाद बैंक ऐसे ही बैंकों के उदाहरण हैं।

(३) सहकारी बैंक — ये बैंक पारस्परिक सहयोग के आधार पर बनाये जाते हैं और गरीब किसानों व कारीगरों को रुपया उधार देते हैं। ये बैंक रेफीसन अथवा गुल्जे सिद्धांतों पर बनाये जाते हैं। ये वैयक्तिक साख पर केवल अपने सदस्यों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये सर्वत्र उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं।

(४) भूमि बंधक बैंक — ये बैंक किसानों को उनकी जमीन की सुरोहट पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऋण का समय २० से ५० वर्ष तक हो सकता है। ये भूमि खरीदने, भूमि में सुधार करने, बैल, मशीन इत्यादि खरीदने तथा पुराने ऋण के भुगतान के लिये ही ऋण देते हैं। ये अपनी पूंजी विशेषतया ऋणपत्रों (Debentures) को बेच कर एकत्रित करते हैं।

(५) विनिमय बैंक — ये बैंक विदेशी व्यापार की द्राव्यिक समस्याओं को हल करते हैं। इनके मुख्य कार्य एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदलना आयात निर्यात के भुगतान के लिये विनिमय वित्तों का प्रय-विक्रय करना व साधारण व्यापारिक बैंकों के कार्य करना है। भारतवर्ष के अधिकतर विनिमय बैंक विदेशी हैं और बदरमाहो पर पाये जाते हैं।

(६) औद्योगिक बैंक :— ये बैंक उद्योग धंधों को बहुत लम्बे समय के लिये रुपया उधार देते हैं। ये जनता से लम्बी अवधि के लिये रुपया व्याज पर लेते हैं, शेष व ऋण पत्र निर्गमित करते हैं और एकत्रित पूंजी को उद्योग धंधों व निर्माण, विस्तार व विकास के लिये उधार देते हैं। भारत में ऐसे बैंकों की कमी है। औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार का एक सफल प्रयास है।

(७) बचत बैंक — ऐसे बैंक भारत में अलग से नहीं हैं। टाकसान व कुछ व्यापारिक बैंक इस कार्य को करते हैं। यह बैंक छोटी छोटी रकमों को जमा किया करते हैं। इनका ध्येय बचत को प्रोत्साहित करना है। बचत पर कुछ व्याज भी देते हैं।

(८) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया — यह भारत का केन्द्रीय बैंक है और भारतीय बैंकों का पथ प्रदर्शक है। इसकी स्थापना १९३५ में एक विशेष एक्ट द्वारा हुई थी। यह बैंक का व सरकार का बैंक है, इसको नोट छापने का अधिकार है, यह देश की साल व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण करता है।

स्वदेशी बैंक व आधुनिक बैंकों में अन्तर :—

स्वदेशी बैंक	आधुनिक बैंक
१. इनका संगठन व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक आधार पर होता है।	१. इनका संगठन मिश्रित पूंजी कम्पनियों के सिद्धान्त पर होता है।
२. ये प्रायः अपनी पूंजी से काम करते हैं। जनता से रुपया जमा पर लेना कम ही होता है।	२. इनकी पूंजी का अधिकांश भाग जनता से जमा के रूप में प्राप्त होता है।
३. ये रुपया उधार देते हैं।	३. ये रुपया उधार नत दे और देते भी हैं।

४ ये साथ में कोई अन्य निजी व्यापार भी चलाते हैं।

५. ये अधिकतर गावों तथा कस्बों में पाये जाते हैं।

६. ये अपना वार्षिक हिसाब-किताब नहीं छापते।

७ ये बहुधा देशी ढग पर हिसाब-किताब रखते हैं।

८ इनका कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है।

९. ये बहुधा बिना धरोहर के रुपया उधार देते हैं।

१०. ये रिजर्व बैंक से सम्बन्धित नहीं हैं।

११ ये छोटे किसानों व कारीगरों को रुपया उधार देते हैं।

१२ इनकी शाखाएँ नहीं होती।

१३ इनकी व्याज की दर अपेक्षाकृत बहुत ऊँची होती है।

१४ इनकी कार्य-विधि सरल व सस्ती होती है।

४. ये केवल बैंकिंग व्यवसाय ही करते हैं।

५ ये बड़े बड़े शहरों और व्यापारिक केन्द्रों में पाये जाते हैं।

६. वार्षिक हिसाब-किताब छापना और उसका निरीक्षण कराना इनके लिये अनिवार्य है।

७. ये सदैव अंग्रेजी ढग पर हिसाब-किताब रखते हैं।

८. ये निश्चित समय ही प्रति दिन कार्य करते हैं।

९ ये बिना धरोहर के रुपया उधार नहीं देते।

१०. ये रिजर्व बैंक के सदस्य हैं।

११. ये बड़े-बड़े व्यापारियों व उद्योगपतियों को रुपया उधार देते हैं।

१२. इनकी अनेकी शाखाएँ होती हैं।

१३. इनकी व्याज की दर नीची होती है।

१४ इनकी कार्य-विधि बड़ी विषम तथा कार्य व्यय बहुत अधिक होता है।

प्रश्न १३०—रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के संगठन तथा कार्यों को बताइये।

(Discuss fully the constitution and working of the Reserve Bank of India ?)

उत्तर—

प्रत्येक देश में उसकी धारिक व साख स्थिति को नियंत्रित रखने के लिये एक केन्द्रीय बैंक आवश्यक है। भारतवर्ष में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया

केन्द्रीय बैंक का कार्य करता है। इसकी स्थापना १९३५ में एक विशेष अधिनियम द्वारा हुई। इससे पूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया व्यापारिक बैंकों के कार्यों के साथ केन्द्रीय बैंकिंग कार्य भी करता था। अन्य व्यापारिक बैंकों के साथ स्पर्धा करने के कारण यह भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नेतृत्व नहीं कर सकता था अतः १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

पूँजी व प्रबन्ध :- पहिले इसकी पूँजी ५ करोड़ रुपया थी जो १,०० १०० रुपयो के अंशों में बटी हुई थी। १ जनवरी १९४६ में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इसके व्यक्तिगत भागदारी (Share holders) नहीं हैं और इसका स्वामित्व तथा प्रबन्ध सरकार के हाथ में है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी इसकी पूँजी ५ करोड़ रुपया है। इस बैंक की चार शाखाएँ हैं जिनके कार्यालय बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता में हैं। इस बैंक का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board) जो बम्बई में है, के प्रतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास में हैं।

इसका प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड आफ डायरेक्टर्स (Central Board of Directors) द्वारा किया जाता है जिसमें निम्न अधिकारी होते हैं।

- १ एक गवर्नर
- २ दो डिप्टी गवर्नर
३. छ डायरेक्टर्स जिन्हें सरकार नियुक्त करती है
४. डायरेक्टर्स जिनकी नियुक्ति चारों स्थानीय बोर्डों से भारत

सरकार करती है।

- ५ एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी।

इस प्रकार केन्द्रीय संचालक मण्डल में १४ सदस्य होते हैं।

रिजर्व बैंक के कार्य — रिजर्व बैंक के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

- (१) केन्द्रीय बैंक के कार्य (Central Banking functions)
- (२) साधारण बैंक के कार्य (General Banking functions)

(१) केन्द्रीय बैंक के कार्य :- रिजर्व बैंक आफ इन्डिया भारत का केन्द्रीय बैंक होने के नाते, केन्द्रीय बैंकों के निम्न कार्य करता है :-

(1) नोट छापना :- रिजर्व बैंक को भारत में नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है (१ रु० के नोट को छोड़कर) यह कार्य बैंक का 'निर्गम विभाग (Issue Department) करता है। नोट न्यूनतम सुरक्षा कोष पद्धति

पर छापे जा सकते हैं। १०००), १००), १०), ५) व २) के नोट हमारे देश में इसी के द्वारा चलाये जाते हैं।

(ii) सरकार का बैंक.—यह केन्द्रीय, राज्य तथा अन्य सरकारी संस्थानों का रक्षक रखता है तथा उनका जितना रुपया जमा होता है उस सीमा तक उनके लिये भुगतान करता है। वह उसको इधर उधर भेजता है। यह सरकार द्वारा जमा किये गये रुपयों पर ब्याज नहीं देता। यह सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध भी करता है।

(iii) बैंकों का बैंक :—रिजर्व बैंक देश के प्रमाणिक बैंकों का संरक्षक और अंतिम सहारा होता है अतः यह संकट के समय उनकी वित्तीय सहायता करता है। प्रत्येक ऐसे बैंक को अपनी जमा का एक निश्चिन्त प्रतिशत रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। यह प्रमाणिक बैंकों के विनियम विपत्रों को भुनाता है। यह बैंकों का नियंत्रण व निरीक्षण भी करता है। कोई भी नई बैंक या किसी भी पुराने बैंक की नई शाखा, बिना रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के नहीं खुल सकती है।

(iv) विनिमय दर पर नियंत्रण :—भारतीय रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखना रिजर्व बैंक का कर्तव्य है। भारतीय रुपये की वर्तमान दर १ रु० = १ शि० ६ पै० या २१ सेंट है। बैंक का विनिमय दर नियंत्रण विभाग (Exchange Control Department) इस पर नियंत्रण रखता है। इस दर को बनाये रखने के लिये यह सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर विदेशी विनिमय का लन देन करता है।

(v) साख नियंत्रण :—देश में साख की मात्रा को नियंत्रित रखना रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है। यह कार्य बैंक दर (Bank Rate) को घटा बढ़ा कर, नोटों को कम या अधिक निर्गमित करके, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ क्रय विक्रय करके व बैंकों के खिलाफ सीधी कार्यवाही करके किया जाता है।

(vi) निकासी गृह की देखभाल —यह बैंक कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली व कलकत्ता के निकासी गृहों (Clearing House) की देखभाल करता है।

रिजर्व बैंक के साधारण कार्य :—उपरोक्त कार्यों के अलावा रिजर्व बैंक साधारण बैंकों जैसे कार्य भी करता है। जैसे :—

- (i) बिना ब्याज के रुपया जमा करना।
- (ii) बिल, हुडी आदि का खरीद, बेचना व भुनाना।

(iii) सोने, चादी व बिलो आदि के आधार पर अधिक से अधिक ६० दिन के लिये रुपया उधार देना ।

(iv) सरकारी प्रतिभूतियों खरीदना व बेचना ।

(v) प्रमाणित बैंको से कम से कम १ लाख रुपये की रकम के बदले स्तलिंग खरीदना व बेचना ।

(vi) ड्राफ्ट जारी करना ।

(vii) सोने चादी का क्रय-विक्रय करना ।

(viii) कृषि साख विभाग के द्वारा यह ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिये प्रयत्न करता है । सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये सुझाव व वित्तीय व औद्योगिक सहायता प्रदान करना भी बैंक का प्रमुख कार्य है ।

रिजर्व बैंक निम्न कार्य नहीं कर सकता :—

(१) जमा किये गये रुपय पर ब्याज नहीं दे सकता ।

(२) मुहूर्ती बिलो को न लिख सकता है और न स्वीकार कर सकता है ।

(३) किसी कम्पनी अथवा बैंक के अंश (Shares) नहीं खरीद सकता ।

(४) अंश तथा अचल सम्पत्ति की जमानत पर रुपया उधार नहीं दे सकता ।

(५) किसी उद्योग अथवा व्यापार में भाग नहीं ले सकता ।

(६) कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे हानि हो ।

—

प्रश्न १३१—स्टेट बैंक आफ इन्डिया के संगठन व कार्यों पर प्रकाश डालिये ।

(Discuss the constitution and main functions of the state Bank of India.)

उत्तर —

स्टेट बैंक क्यों —

दिसम्बर १९५४ में अखिल-भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने यह सुझाव दिया कि देश में बैंक व्यवस्था के विकास के औत्साहन के लिये 'भारत का एक राज्य बैंक' जिसमें राज्य की साभेदारी हो और जो एक मुहूर्त व्यापारी बैंक के रूप में कार्य करे, स्थापित किया जाये । समिति ने यह भी सुझाव दिया कि

इम्पीरियल बैंक को भूतपूर्व देशी राज्यों के बैंको में मिलाकर यह राज्य बैंक बनाया जाये। परन्तु सर्वप्रथम सरकार ने इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया पर ही अधिकार स्थापित करके 'भारत के राज्य बैंक' (State Bank of India) की स्थापना की।

स्टेट बैंक की स्थापना १ जुलाई १९५५ को इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई। इसके लिये स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट भी पास किया गया। इम्पीरियल बैंक की समस्त सम्पत्ति, देनदारी, लेनदारी व समस्त दायित्व राज्य बैंक ने ले लिये। इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदारों को रिजर्व बैंक द्वारा उचित मुआवजा दिया गया।

पूंजी :—इस बैंक की अधिकृत पूंजी २० करोड़ रुपये है जो १०० रुपये वाले २० लाख हिस्सों में विभाजित है। इसकी निर्गमित पूंजी ५६२५ करोड़ है। कुल शेषों में से ५५% हिस्से रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने खरीदे हैं और बाकी इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदारों व अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये हैं।

प्रबंध —इस बैंक का प्रबंध एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दो प्रबंध सचालक और १६ अन्य सचालक हैं। इनमें से आठ सचालक रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं, १ सचालक केन्द्रीय सरकार और १ सचालक रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त है शेष ६ सचालक अन्य हिस्सेदारों के हैं।

कार्य :—स्टेट बैंक आफ इन्डिया के कार्य वही हैं जो इम्पीरियल बैंक के हैं। इन कार्यों को यह रिजर्व बैंक की देख रेख व निर्देशन में करता है। यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और व्यापारिक बैंकों के समस्त कार्यों को करता है जैसे रुपया जमा करना, रुपया उधार देना, कमीशन पर आढत का काम व साख-पत्रों का लिखना, स्वीकार करना, बेचना व भुनाना इत्यादि।

यह बैंक छोटे व कुटीर उद्योग धंधों की सहायता भी करता है। कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिये एक पाइलट योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। खेती के लिये ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए यह बैंक सहकारी बैंकों को साधारण दर से १/२ प्रतिशत कम दर पर रुपया उधार देता है। केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों का रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर निशुल्क भेजता है। दीर्घकालीन ऋण की सुविधाओं के विकास के लिए यह भूमि बन्धक बैंकों के Debentures को मोल खरीदता है तथा उनको बाजार में बेचने में सहायता करता है।

यह बैंक विदेशी विनिमय का भी कार्य करता है। ग्रामवासियों को उधार देने के साथ ही साथ यह उन लोगों की बचत भी इकट्ठी करेगा क्योंकि इस समय गावों में रुपया जमा करने की कोई सुविधा नहीं है। आगामी पाच वर्षों में बैंक को अपनी ४०० नई शाखायें खोलनी हैं जो देश भर में ग्रामीण साख समितियों की सहायता करेंगी।

यह बैंक निजी व्यापार कर सकता है और अपनी सम्पत्ति के आधार पर ऋण ले सकता है। यह हमारे बैंकों के शेयर भी खरीद सकता है।

प्रतिबन्ध —

स्टेट बैंक आफ इन्डिया निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता :—

(१) यह निश्चित राशि से अधिक मूल्य वाले विनिमय बिलों की कटौती नहीं कर सकता।

(२) यह ऐसे बिल को नहीं भुना सकता जिसकी अवधि ६ माह से अधिक हो और जिस पर कम से कम दो व्यक्तियों अथवा फर्मों का दायित्व न हो।

(३) यह १५ माह से अधिक के कृषि-बिलों को नहीं भुना सकता।

(४) अपनी इमारतों के अतिरिक्त यह किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी नहीं हो सकता।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया कृषि, व्यापार, उद्योग इत्यादि सभी क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विकास कर रहा है। इस बैंक से ग्रामीण साख की सुविधाओं के विस्तार की बड़ी शाखायें हैं। इसके चार सालों के कार्य से इसकी समुचित प्रगति होती मालूम पड़ती है।

— — —

प्रश्न १३२—व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं तथा उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण कीजिये। किसी बैंक का लेन देन का कार्य एक भारतीय साहूकार के लेन देन के ढंग से किस प्रकार भिन्न है?

(What are the commercial Banks and write short notes on their functions How the banking functions of any bank differ from the banking system of Indigenous Money lenders)

उत्तर :—

जैसा कि नाम से विदित होता है यह बैंक व्यापारियों को ही सेवा करते हैं। यह व्यापारियों का रुपया जमा करते हैं तथा उनको आवश्यकता पड़ने पर रुपया उधार देते हैं। भारत के अधिकांश बैंक व्यापारिक प्रकार के हैं

जो व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारियों को मान का उत्पादन नहीं करना पड़ता वे तो थोड़े समय के लिये माल खरीदने व बेचने के लिये रुपया चाहते हैं यह बैंक व्यापारियों को चालू खाते की सुविधा प्रदान करते हैं और ओवर ड्राफ्ट के रूप में रुपया उधार देते हैं। वे ऐजन्सी व सेफ कस्टडी का काम भी करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक व इनाहावाद बैंक ऐसे ही बैंकों के उदाहरण हैं।

बैंक के कार्य

व्यापारिक बैंक के कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं (१) प्रमुख कार्य (२) अन्य कार्य।

(१) प्रमुख कार्य

प्रमुख कार्य दो होते हैं (१) रुपया जमा करना (२) रुपया उधार देना।

(१) रुपया जमा करना :—यह बैंक व्यापारियों का रुपया अपने यहाँ जमा करते हैं तथा इन पर व्याज भी देते हैं। व्यापारी लोग इस बैंक में निम्न खाते जैसे मुद्दी खाता, चालू खाता, गोलक खाता तथा बचत खाता खोल कर रुपया जमा कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर व्यापारी चालू खाता ही खोलते हैं। इस प्रकार यह बैंक व्यापारियों का आवश्यकता से अधिक रुपया जमा करके तथा समय पर उनका भुगतान करके उनकी सेवा करते हैं।

(२) रुपया उधार देना —यह बैंक निम्न तरीके से व्यापारियों को रुपया उधार देते हैं जिस पर कि वह व्याज भी वसूल करते हैं —

- (अ) अधिविषय (Overdraft) के रूप में।
- (ब) बिल तथा हुडियो को बट्टे पर भुनाकर।
- (स) नकद साख द्वारा।
- (द) माल की जमानत पर।
- (य) अचल सम्पत्ति की जमानत पर भी कुछ बैंक रुपया उधार दे देते हैं।
- (र) व्यक्तिगत जमानत पर advance के रूप में।
- (ल) प्रतिभूतियों को धरोहर के रूप में रख कर।

(२) अन्य कार्य

- (अ) गहने आदि सुरक्षित रखना।
- (ब) अपने ग्राहकों के लिए प्रतिनिधि, ट्रस्टी तथा वसीयत के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना।

- (स) बीमा विस्त आदि चुकाना ।
 (द) साख पत्रों, बिल, बैंक ड्राफ्ट, उधार खाते की चिट्ठी आदि निर्गमित करना ।
 (य) अपने ग्राहकों के लिये पासपोर्ट तथा देश में यात्रा के लिये टिकट आदि का प्रवर्धन करना ।
 (र) बिल, टुट्टी, बैंक आदि वसूल करना ।
 (ल) अग पत्रों पर लाभान और ऋण पत्रों पर व्याज संग्रह करना ।
 (व) एक स्थान से दूसरे स्थान को मपया भेजना ।
 (श) अशो व ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करना ।
 (प) ग्राहकों के बारे में आर्थिक सम्पत्ति देना ।
 (फ) बिल और टुट्टिया भुनाना ।

आधुनिक बैंक और देशी बैंक में अन्तर

आधुनिक बैंक

१. यह बैंक एक मस्या के रूप में होता है और मयुक्त पूजी वाली कम्पनी के रूप में मगटित किया जाता है ।

२. ये बैंक केवल बैंकिंग का ही कार्य करता है ।

३. यह बैंक जनता से मपया उधार लेते तथा देते हैं ।

४. इनके लिये वार्षिक हिसाब किताब रखना आवश्यक है जिसका कि अन्वेषण करना पडता है ।

५. ये अपना हिसाब किताब अंग्रेजी ढग से रखते हैं ।

देशी बैंक

१. यह बैंक एक व्यक्ति के रूप में होता है तथा पारिवारिक सिद्धांत पर मगटित होता है ।

२. इस बैंक का मुख्य कार्य केवल बैंकिंग व्यवसाय ही नहीं होता बल्कि यह और भी अपना कार्य करत हैं ।

३. इस बैंक का मुख्य कार्य जान पहचान के लोगों को ही मपया उधार देना होता है ।

४. इनके लिये यह आवश्यक नहीं होता ।

५. ये अपना हिसाब किताब रखने के लिये देशी ढग का प्रयोग करते हैं ।

६. ये बिना धरोहर के रुपया उधार नहीं देते ।

७ यह रुपया उधार पर बहुत कम व्याज वसूल करते हैं ।

८. इनका काम करने का समय निश्चित होता है ।

९. इनकी वडे २ शहरो मे शाखायें होती हैं और व्यवसाय बडी मात्रा मे चलता है ।

१०. इनको व्यवसाय को चालू करने से पहले सरकार से आज्ञा लेनी पडती है ।

११. इनको रिजर्व बैंक का सदस्य होना आवश्यक है । जिसकी कि इनको कुछ फीस जमा करनी पडती है ।

१२. रुपया निकालने के लिए इनमे बैंक का प्रयोग किया जाता है तथा आवश्यक प्रलेख भी भरने पडते हैं ।

१३ इस बैंक का बडा कार्यालय होने की वजह से बहुत से लिपिक कार्य करते हैं ।

१४ इनकी रजिस्ट्री करानी अनिवार्य होती है ।

१५. यह बैंक रुपया जमा करने वालो को पास बुक भी देने हैं ।

६. यह बिना धरोहर के रुपया उधार दे देते हैं ।

७ यह रुपया उधार देने पर बहुत अधिक व्याज लेते हैं ।

८. इनका यह बैंकिंग व्यवसाय हर समय चलता रहता है ।

९. लेकिन इसका कार्य व्यक्तिगत के रूप मे होता है । ना इसकी शाखायें ही होती हैं और न व्यापार ही बडी मात्रा मे होता है ।

१०. इसके लिये सरकारी आज्ञा लेनी आवश्यक नहीं होती ।

११. इनके लिये रिजर्व बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता ।

१२. इसमे ऐसा नहीं होता ।

१३. इसमे सिर्फ एक या दो मुनीम ही कार्य बाबूबी व मितव्यता से कर सकते है ।

१४. रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती ।

१५. यह बैंक पास बुक का प्रयोग नहीं करते है ।

प्रश्न १३३—साहूकारी प्रणाली पर एक नोट लिखिये ।

(Write a note on the Sahukari system in India.)

उत्तर :—

भारतवर्ष मे रुपया उधार लेने-देने का कार्य अर्थात् बैंकिंग व्यवसाय

बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है और आज भी जबकि आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का काफी विकास हो चला है, देशी प्रणाली के अनुसार व्यापार करने वाले बैंकमें आज भी देश के कोने-कोने में भर पड़े हैं। ये विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। गांवों और कस्बों में इनको महाजन, साहूकार, सेठ, बनिया, धनी, मारवाड़ी व वीहरा इत्यादि कहते हैं और शहरों में इनको साहूकार व 'मर्राफ' कहा जाता है। साहूकार व्यक्तिगत पारिवारिक फर्म अथवा सामे-दारी के आधार पर व्यापार करते हैं। रुपये के लेन देन के व्यापार के साथ साथ य प्रपना कोई निजी व्यापार भी करते रहते हैं। ये साहूकार लोग वास्तव में बैंक नहीं होते क्योंकि वे केवल उधार देन का ही कार्य करते हैं और रुपया जमा करने का काम अत्यन्त ही सीमित मात्रा में कभी कभी करते हैं। ये देशी ढंग पर प्रपना हिमात्र बिना रखते हैं।

साहूकारों अथवा देशी बैंकों के कार्य

(१) रुपया उधार देना :—साहूकार, सर्राफ व महाजन इत्यादि किसानों, कारीगरों, मजदूरों व व्यापारियों इत्यादि को विभिन्न कार्यों के लिये ऋण देते हैं। ऋण उत्पादन और अनुत्पादन दोनों ही कार्यों को दिया जाता है। गांवों के साहूकार नकद के अलावा वस्तुओं के रूप में भी उधार देते हैं और इस प्रकार प्रायः के अलावा ये त्रित्री पर लाभ भी वसूल कर लेते हैं।

(२) हंडी भुनाना —शहरों में साहूकार दृष्टियाँ भुनाने (Discounting) का काम भी करते हैं और इस प्रकार वे देश के आंतरिक व्यापार में बड़ी सहायता पहुँचाने हैं। आधुनिक बैंक भी साहूकारों व सर्राफों की जमानत पर ही व्यापारियों की दृष्टियों को भुनाने हैं।

(३) निजी व्यापार —साहूकार लोग रुपया उधार देने के कार्य के साथ साथ कुछ निजी व्यापार भी करते हैं जैसे गांवों में फुटकर सामान की दुकान खोलना, शहरों में वे सोने, चांदी का व्यापार व सट्टा व माल की खरीद बेच का व्यापार भी कर लेते हैं।

(४) रुपया जमा करना —रुपया जमा करना इनका कोई मुख्य कार्य नहीं है। गांवों में तो साहूकार लोग केवल रुपया उधार देते हैं परन्तु शहरों में साहूकार व सर्राफ इत्यादि बहुत ही सीमित मात्रा में यह कार्य करते हैं।

साहूकारों प्रणाली के दोष —

यद्यपि साहूकार लोग जम्बरतमद व्यक्तियों को रुपया उधार देकर एक

बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करते हैं परन्तु कुछ दोषों के कारण इनकी काफी बढनामी हो गई है। ये दोष निम्नलिखित हैं —

(१) ऊँची व्याज की दर — विशेषतया गावों के साहूकार तो बहुत ऊँची व्याज की दर पर रुपया उधार देते हैं जो कभी कभी ३००% तक होती है। व्याज की दर के ऊँचे होने के कारण प्राणी सदैव ऋण के भार से दबा रहता है।

(२) व्यापार के अनुचित तरीके :—ये कोरे वागजो पर दखत अथवा भ्रगूठा लगवा लेते हैं और बाद में मनमानी रकम भर लेते हैं ऋणियों से अपनेको अनावश्यक खर्च जैसे घर्मादा, बही लिखाई, घँली खुलाई, मुनीमी खर्च आदि वसूल करते हैं। ऋणियों से व्याज के प्रलावा बहुत प्रकार की बेगार और नजराने इत्यादि वसूल करते हैं।

इन दोषों के कारण कुछ लोग इनको समाप्त कर देने के मत में हैं। ऐसा करना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन है। ये साहूकार गावों व शहरों में ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देते हैं जिनके पास कोई धरोहर (Security) नहीं है और जिन्हें बैंक से किसी भी हालत में ऋण नहीं मिल सकता। जब तक इन लोगों के लिये कोई अन्य ऋण देने वाली एजेन्सी स्थापित नहीं की जाती तब तक साहूकारी प्रथा समाप्त नहीं हो सकती, आवश्यक यह है कि सरकार को कानून बनाकर इनके व्यापार के अनुचित तरीकों व व्याज को ऊँची दर पर नियन्त्रण रखना चाहिये। इनकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिये निम्नलिखित सुझावों का कार्यान्वित किया जाना चाहिये —

- (१) साहूकारों को रुपया जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जावे।
- (२) इनको अपने सध बनाकर अपने हितों की रक्षार्थ कार्य करना चाहिये।
- (३) व्याज की दर को कम किया जावे।
- (४) प्राधुनिक बैंको से इनका सम्बन्ध स्थापित किया जावे।
- (५) रिजर्व बैंक से इनका सम्बन्ध स्थापित किया जावे।

ग्रामीण ऋण

प्रश्न १३४—ग्रामीण ऋण के क्या कारण हैं ? तथा ग्रामीण साख के वर्तमान स्रोतों का वर्णन कीजियेगा ।

(Explain the causes of Rural Indebtedness and also the present sources of rural credit)

उत्तर :—

भारत की आर्थिक समस्याओं में से ग्रामीण ऋण की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है । भारतीय किसान के विषय में यह कहा जाता है कि “किसान कर्जदार ही पैदा होता है, वह कर्ज में पलता है और कर्ज को बढ़ा कर अपनी सतान के लिए छोड़ जाता है”, कृषकों के ऋणग्रस्त होने के अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) पूर्वजों द्वारा ऋण — भारतीय कृषकों का ऋणी होने का एक

ग्रामीण ऋण के कारण —

- १ पूर्वजों द्वारा ऋण ।
- २ मुकदमेवाजी ।
- ३ खेतों का छोटा व छिटका होना ।
- ४ कृषि में अनिश्चितता ।
- ५ कृषकों में फिजूलखर्ची ।
- ६ उचित साख व्यवस्था की कमी ।
७. कृषकों की शारीरिक दुर्बलता ।
- ८ कृषकों की अशिक्षा ।
- ९ ऋण प्राप्ति की सरलता ।
- १० सरकार की लगान नीति ।

मुख्य कारण पूर्वजों द्वारा ऋण को छोड़ कर मरना है जिसका परिणाम यह होता है कि कृषक इस बोझ को अपने सिर से आजन्म नहीं उतार पाता है । लेकिन अब इस दशा में सरकार ने कुछ नियम बनाकर सुधार किया है जिससे कृषकों को अधिक लाभ हुआ है ।

(२) मुकदमेवाजी — ग्रामीण जनता को मुकदमे का बहुत शौक होता है और जरा जरा सी बात पर मुकदमे लड़ बैठते हैं तथा जिसके लिए उन्हें महाजन से ऋण लेना पड़ता है जिससे उन पर ऋण का भार और भी अधिक बढ़ जाता है ।

(३) खेतों का छोटा और छिटका होना — देश में पतृक सम्पत्ति के बटने का ढग ऐसा है जिससे खेतों ने छोटे छोटे टुकड़े हो

जाते हैं तथा जिनमें कृषि कार्य लाभदायक नहीं हो पाता है और उन्हें बाध्य होकर ऋण लेना पड़ता है ।

(४) कृषि में अनिश्चितता :— भारतीय कृषि में प्राकृतिक कारणों का अधिक प्रभाव पड़ता है । वर्षा की अनिश्चितता, पशुओं वा महामारी से मरना आदि कृषकों को महाजन से ऋण लेने को बाध्य कर देते हैं तथा महाजन उचित अवसर समझकर कृषकों का अत्यधिक शोषण करता है ।

(५) कृषकों में फिजूलखर्चों :— कृषक शादी, सस्कार एवं त्यौहारों के अवसर पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर देता है । यदि कृषक के पास इन पर व्यय के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो ऋण लेकर व्यय करता है जिस कारण से ऋण का भार और भी अधिक बढ़ जाता है ।

(६) उचित साख व्यवस्था की कमी :— गावों में उचित सूद पर साख मिलने की व्यवस्था ना के समान है । इसलिए कृषकों को उत्पादक कार्यों के लिए भी महाजन से ऋण लेना पड़ता है । महाजन व्याज की ऊंची दर वसूल करते हैं तथा कृषि उत्पादन पर भी अधिकार जमा लेते हैं ।

(७) कृषकों की शारीरिक दुर्बलता :— भारतीय कृषक को पोष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है जिस कारण से वे दुर्बल रहते हैं तथा समय-समय उनको अनेक प्रकार के रोग सताते हैं । ऐसे समय में वे कार्य करने में असमर्थ होते हैं परन्तु पारिवारिक व्यय के लिये उन्हें महाजन से ऋण लेना पड़ता है ।

(८) कृषकों की अशिक्षा :— भारतीय किसान अशिक्षित होने के कारण महाजनों तथा वकीलों के धोखे में आ जाता है और अधिक व्यय कर देना पड़ता है जिससे ऋण की मात्रा और भी बढ़ जाती है ।

(९) ऋण प्राप्ति की सरलता :— कृषकों को ऋण मिलने की सुगमता ने उन्हें अत्यधिक ऋणी बनाया तथा महाजनों ने अत्यधिक ऋण देने का प्रयास किया क्योंकि वे जानते थे कि न्यायालयों द्वारा वे इसे वसूल कर सकते हैं । इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषक अधिक ऋणी हो गया ।

(१०) सरकार की लगान नीति :— सरकार प्रतिवर्ष कृषकों में लगान या मालगुजारी वसूल कराती है लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती कि फसल अच्छी हुई है या खराब । इस कारण से खराब फसल की दशा में कृषकों को लगान महाजनों से ऋण लेकर देना पड़ता है जिसमें उनपर ऋण का भार और भी अधिक बढ़ जाता है ।

ग्रामीण साख के वर्तमान स्रोत — भारतीय कृषको को समय समय पर ऋण की आवश्यकता होती है जिसको वे विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। वे मुख्य साधन निम्नलिखित हैं :—

(१) महाजन .—महाजन का ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बहुत महत्व है और वह आज भी ग्रामीण जनता को बहुत सेवा करता है लेकिन ये व्याज की ऊँची दर वसूल करते हैं तथा कृषको का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। इसीलिए सरकार इस प्रथा के अन्त के पक्ष में है।

(२) सहकारी साख समितियाँ :—देश में इस प्रकार की समितियों का विस्तार किया जा रहा है तथा इसके उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार एवं जनता इनके कार्यों में पूर्ण सहयोग दे। तभी वे ग्रामीण साख की माँग को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।

(३) भूमि बन्धक बैंक —ये बैंक कृषको को भूमि की आड पर स्थायी सुधार के हेतु दीर्घकालीन ऋणी की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार के बैंक सर्वप्रथम मद्रास प्रान्त में शुरू हुए थे लेकिन अब यह प्रत्येक प्रान्त में पाये जाते हैं। इन्होंने अभी अधिक सफलता प्राप्त नहीं की है।

(४) वाणिज्य बैंक —ये बैंक कृषको को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करते हैं। फिर भी इन बैंको द्वारा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को सहायता मिलती है जोकि बाद में कृषको को सहायता कर देते हैं।

(५) सरकार —कृषको को महाजन से बचाने के लिए सरकार ने उत्पादक कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था की जोकि 'तकावी ऋण' के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु इस कार्य से कृषको की आर्थिक की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया।

शीघ्र ही ही सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इन्डिया को स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया में बदल दिया है जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण साख की व्यवस्था करना है। इसलिए यह आशा की जाती है कि समीप भविष्य में इन सस्थाओं के विक्रम में ग्रामीण साख की समस्या का पूर्णत हल हो जायेगा।

अध्याय ६०

सहकारिता

प्रश्न १३५—सहकारिता के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिये ।

(Explain clearly the fundamental principles of cooperation)

उत्तर —

सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना । लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ अधिक व्यापक रूप में लिया जाता है प्रो० सी० एफ० स्टीकनैड ने सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी है कि “सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी न किसी व्यापारिक तथा आर्थिक दृष्टि से मिल जुलकर कार्य करता है । यह कुछ व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसमें मनुष्य स्वेच्छापूर्वक मिल जुलकर समता के आधार पर अपनी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं” (Cooperation indicates the association of individuals to secure common economic end by honest means.)

सहकारिता के सिद्धांत.—सहकारिता के आधारभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं —

(१) ऐच्छिक संस्था — सहकारी समिति की सदस्यता मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर है । यदि व्यक्ति चाहे तो उस संस्था का सदस्य बन सकता है और यदि चाहे तो अलग भी हो सकता है । इस प्रकार सहकारी समिति एक ऐच्छिक संस्था के रूप में कार्य करती है ।

सहकारिता के सिद्धांत —

१. ऐच्छिक संस्था ।
२. प्रजातन्त्र पर आधारित ।
३. सेवा भाव ।
४. आर्थिक उद्देश्य ।
५. आत्मनिर्भरता ।
६. मितव्ययिता ।
७. समीपता ।
८. समानता ।

तो उस संस्था का सदस्य बन सकता है और यदि चाहे तो अलग भी हो सकता है । इस प्रकार सहकारी समिति एक ऐच्छिक संस्था के रूप में कार्य करती है ।

(२) प्रजातन्त्र पर आधारित:— प्रत्येक सहकारी समिति में कार्य प्रजातन्त्र या जनतंत्र के नियमों के अनुसार होता है । प्रत्येक की प्रत्येक कार्य में समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होते हैं ।

(३) सेवा-भाव — सेवा भाव सह-

कारिता का मूल आधार है। सहकारिता में लाभ का उद्देश्य अधिक नहीं होता है सहकारिता में 'Each for all and all for each' के कथन का पालन होता है।

(४) आर्थिक उद्देश्य—सहकारी समिति किसी आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित की जाती है जिसमें सदस्यों को सामान्य आर्थिक लाभ प्राप्त होने हैं।

(५) आत्म निर्भरता—इस सस्था के अन्तर्गत अपनी सहायता प्राप्त करने तथा सदस्यों को आत्मवलम्बी बनाने के ऊपर बहुत बल दिया जाता है।

(६) मितव्ययिता—सहकारी सस्था मितव्ययिता के आधार पर कार्य करती है तथा सदस्यों को भी मितव्ययिता सिखाती है।

(७) समीपता—सहकारी समिति के सदस्य ऐसे होने हैं जो एक दूसरे से परिचित होते हैं तथा एक ही स्थान के निवासी होते हैं ऐसा सम्पर्क सहकारी साख समिति की दशा में होना अति आवश्यक है।

(८) समानता—सहकारी समिति में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसीलिये किसी सदस्य ने चाहे कितने ही हिस्से खरीद रखे हों परन्तु उसे केवल एक मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है।

प्रश्न १३६—सहकारी साख समिति से आप क्या अर्थ समझते हैं ? इसके लाभों का वर्णन कीजिये।

(What do you understand by co operative credit Society ? Discuss its advantages fully)

उत्तर—

'सहकारिता' (Co-operation) दो शब्दों 'सह' (co) और 'कारिता' (operation) से मिलकर बना है जिसका अर्थ है मिलकर कार्य करना। प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य सहयोग से काम करता आया है और आज भी जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग का विशेष महत्व है अर्थशास्त्र में सहकारिता का एक अलग अर्थ है। "बराबरी के स्तर पर मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन, जो किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया गया है, सहकारिता कहलाता है। यह सहकारिता साख, उत्पादन, वित्त, उद्योग, उद्योग प्रयत्न अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इसी परिभाषा के अनुसार सहकारी साख समिति

उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो मिल जुलकर अपने सीमित साधनों को एकत्रित करके अपने ही आपकी उचित व्याज की दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकतानुसार उनके सामूहिक साख और साधनों के आधार पर, ऋण का प्रवर्धन करना होता है। ये समितियाँ साहूकार का लोप करके सस्ती व्याज की दर पर रुपया उधार देती हैं —

सहकारी साख समितियों के प्रकार (Kind of co-operative credit Societies) —

भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन का विकास साख समितियों से ही प्रारम्भ हुआ और आज भी समस्त देश में इनका जाल सा फैला हुआ है। भारत में साख समितियों का विभाजन ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ (Rural Co-operative Credit Societies) और शहरी सहकारी साख समितियों में किया जाता है। प्रथम प्रकार की समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनको रेफीसन-मण्डल पर स्थापित किया जाता है। ये गावों के किसानों, कारीगरों व मजदूर सदस्यों को रुपया उधार देती हैं। द्वितीय प्रकार की समितियाँ शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनका निर्माण डेलिंग घुल्ले सिद्धांतों पर किया गया है। ये शहरों में शहर के दुकानदारों, कारीगरों, कुटीर-कर्मचारियों इत्यादि को रुपया उधार देती हैं। दोनों ही प्रकार की समितियाँ सदस्यों में वचत को प्रोत्साहित करने के लिये जमा-आकर्षित करती हैं जिस पर उचित व्याज भी दिया जाता है।

सरकारी साख समितियों का ढाँचा —

प्रत्येक गाव में एक साख समिति होती है जिसको प्रारम्भिक समिति (Primary Society) कहते हैं। ये सहकारी साख संगठन का आधार है। इनके ऊपर जिला स्तर व सहकारी सघ अथवा यूनियनों होती है। राज्य की समस्त जिला यूनियनों अथवा सघों के ऊपर एक प्रांतीय सहकारी बैंक होता है।

ग्रामीण सहकारी साख समितियों की विशेषताएँ (Rural Co-operative Credit Societies) —

(१) इन समितियों का क्षेत्र सीमित होता है (२) समिति बनाने के लिये कम से कम १० (अधिक से अधिक १००) सदस्य आवश्यक है (३) समिति का प्रवर्धन प्रजातन्त्रीय आधार पर होता है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। सब सदस्य मिलकर समिति के कार्यसंचालन के लिये एक अर्बतन्त्र प्रवर्धन कर्मटी नियुक्त करते हैं। (४) सदस्यों

का दायित्व प्रसीमित होता है (५) प्रवेश-शुल्क, शेयरों, जमा तथा बाहरी ऋणों से समिति की कार्यशील पूंजी एकत्रित होती है (६) व्याज दर भी बहुत कम होती है (७) ऋण के मुख्यतः उत्पादक कार्यों व पुराने ऋणों की चुकाने को दिया जाता है (८) ऋण का भुगतान छोटी २ किस्तों में होता है जो फसल तैयार होने समय देय होती हैं (९) व्यक्तिगत साख पर ऋण प्रदान किया जाता है (१०) हिस्से वाली समितियों के लाभ का कुछ भाग रक्षित कोष में जमा करके शेप सदस्यों को बांट दिया जाता है परन्तु गैरहिस्से वाली समितियों का समस्त लाभ रक्षित कोष (*Reserved fund*) में जमा होता है (११) समितियाँ का निरीक्षण व लेखा-परीक्षण रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के द्वारा होता है ।

शहरी सहकारी साख समितियों की विशेषतायें (Urban Co-operative Credit Societies) —

(१) इन समितियों का कार्य क्षेत्र अनेकाङ्कन काफी बड़ा होता है (२) समिति का प्रबंध सर्वजनिक व्यक्तियों के हाथ में होना है (३) ऋणी किसी भी उद्देश्य के लिये लिया जा सकता है (४) ये धरोहर के पीछे ऋण देती हैं (५) लाभ का वटवारा सदस्यों में किया जाता है (६) पूंजी का अधिकांश भाग शेयर वचकर प्राप्त किया करती हैं (७) सदस्यों को जमा पर प्रपक्षा कृत अधिक व्याज दिया जाता है (८) सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित होता है (९) अन्य बातें जैसे कम से कम सदस्यों की संख्या, वोट देने का अधिकार, प्रबंध कमेटी व अधिकार, ऋण का भुगतान, समितियों का निरीक्षण व लेखा परीक्षण इत्यादि ग्रामीण समितियों के अनुसार ही हैं ।

सहकारी साख समितियों के लाभ:—

(१) ये समितियाँ गांवों में किसानों, मजदूरों व कारीगरों को व शहरों में व्यापारियों, दुकानदारों, कुटीर-कर्मचारियों व नौकरी-पेसे वाले व्यक्तियों को गस्ते व्याज की दर पर थोड़े समय के लिये रुपया उधार देती हैं । इनके अभाव में ये व्यक्ति गाँव के महाजन व शहर के बनिया से रुपया उधार लेते थे जो इनकी स्थिति का फायदा उठाकर न्याज की मनमानी बहुत उची दर पर वसूल किया करते थे । साख समिति का उद्देश्य सदस्यों की सेवा प्रदान करना है न कि उनमें लाभ उठाना । अतः ये कम व्याज की दर पर रुपया उधार देती हैं ।

(२) जिन क्षेत्रों में सहकारी साख समितियों का विकास हो चुका है, वहाँ पर महाजन, बनियों व अन्य रुपया उधार देने वाले व्यक्तियों का प्रभुत्व

निश्चय रूप से कम हो गया है। समितियाँ उनसे स्पर्धा करती हैं। ग्रन महाजनों की ब्याज की दर भी साथ ही साथ गिर गई है।

(३) ये समितियाँ किसानों को पुराने ऋण चुकाने के लिये भी रूपया उधार देती हैं।

(४) ग्रामीण समितियाँ तो निजी-साख पर रूपया प्रदान करती हैं। अतः इन समितियों के कारण गरीब परन्तु चरिनवान, ईमानदार व उद्यमशील व्यक्तियों को भी रूपया उधार मिल जाता है। जबकि महाजन धरोहर के पीछे ही रूपया उधार देता है।

(५) साख-समितियाँ सदस्यों को साख प्रदान करने के साथ ही साथ उत्तम व सस्ते कृषि बीज, यत्र, औजार व खाद भी प्रदान करती हैं। इससे कृषि विकास को प्रोत्साहन मिला है।

(६) सदस्यों में मितव्ययिता व बचत की आदत डालती हैं। सदस्यों को उनकी जमा पर समितियाँ ब्याज प्रदान करती हैं।

(७) इन समितियों ने सदस्यों की नैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार किया है।

प्रश्न १३७—संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :—

(१) बहुउद्देशीय समितियाँ, (२) उपभोक्ता भंडार।

(Write short notes on —

(1) Multipurpose Societies, (2) Consumers Stores)

उत्तर :—

(१) बहुउद्देशीय समितियाँ :—पिछले कुछ वर्षों तक इस बात पर अर्थशास्त्रियों में काफी वादविवाद था कि सहकारी समिति को केवल किसी एक विशेष कार्य को करना चाहिये अथवा उनको अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिये। १९३७ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बात को बतलाया कि भारत में सहकारी साख समिति की असफलता का एक प्रमुख कारण इनका केवल साख प्रदान करना है। इनकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि गाँवों की समिति को अपने आसपास केवल साख प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि कृषकों की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिये। तभी कृषकों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। अतः अब देश में बहुउद्देशीय समितियों का निर्माण किया जा रहा है।

इन समितियों के निम्न कार्य हैं :—

- (१) कम व्याज पर ऋण देना ।
- (२) पुराने ऋण चुकाने के लिये रुपया उधार देना ।
- (३) अच्छे बीज, कृषि-यन्त्र व खाद बेचना ।
- (४) दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की बेचना ।
- (५) किसानों की उपज की बेचना ।
- (६) कुटीर उद्योगों का विकास ।
- (७) पशुओं के चारे का संग्रह करना ।
- (८) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन ।
- (९) सामाजिक सुधार करना व शिक्षा का प्रसार इत्यादि ।

उपभोक्ता भंडार (Consumers Store) :—

ये भंडार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर विशुद्ध उपभोग की वस्तुओं प्रदान करते हैं । इनको सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है । लाभ को सदस्यों में उनकी खरीदी हुई वस्तुओं की कीमत के अनुपात में बांट दिया जाता है । इस प्रकार सदस्यों को अपरोक्ष रूप से सस्ती वस्तुओं प्राप्त हो जाती हैं ।

इस प्रकार के भंडारों का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ । भारतवर्ष में इन भंडारों का विकास द्वितीय युद्धकाल में हुआ जब सरकार ने खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं का राशनिंग प्रारम्भ किया । इन वस्तुओं के वितरण के लिये शहरों में तथा बड़े बड़े कस्बों में उपभोक्ता भंडार स्थापित किये गये । युद्धकाल के बाद से ये भंडार भारत में कम होते जा रहे हैं । इनकी असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) कम प्रतिशत लाभ, (२) स्थानीय व्यापारियों का विरोध व स्पर्धा, (३) बड़ी सख्या में निश्चित आय वाले व्यक्तियों की कमी, (४) भारतीयों के जीवन स्तर का नीचा होना, (५) उधार मागने की प्रथा, (६) ग्राहकों की अश्रद्धा, (७) अनुभव की कमी, (८) अधिक प्रवध व्यय ।

आजकल बड़े-बड़े शहरों और कस्बों में ही उपभोक्ता भंडार पाये जाते हैं । ये दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को बेचते हैं । कुछ भंडारों को नियंत्रित वस्तुओं का अधिकृत विक्रेता (Licensed seller) नियुक्त किया गया है । मद्रास का ट्रिपलैन्ग्वेन स्टोर एक बहुत ही सफल भंडारों में से है । यू० पी० में सहकारी विक्री व विकास सघों द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का सामान बेचा जाता है । मद्रास में ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी भंडारों के विकास की ओर भी कदम उठा दिया है ।

प्रश्न १३८ — सहकारी खेती के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करियेगा तथा भारत के लिए उपयुक्त रूप कौन सा रहेगा और क्यों ?
या

सहकारी खेती किसे कहते हैं ? तथा भारत के लिए यह कहाँ तक उपयुक्त है ?

(Mention the various forms of cooperative farming recommended for adoption in India Which of them do you prefer and why ?)

Or

(What is cooperative Farming ? Show its suitability to India ?)

उत्तर —

सहकारी खेती का अर्थ — साधारणतः सहकारी खेती का अर्थ है कुछ किसानों का मिलकर कार्य करना । इस प्रकार के कार्य में किसानों का अपनी भूमि में सम्बन्धित अधिकार सुरक्षित रहते हैं तथा प्राप्त लाभ को भूमि के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं । योजना आयोग ने सहकारी खेती की परिभाषा करते हुए कहा है कि "सहकारी खेती का अर्थ है भूमि का एकीकरण एवं समुक्त प्रबन्ध" ।

सहकारी खेती के विभिन्न रूप — सहकारी खेती के निम्न चार रूप हो सकते हैं —

(१) सहकारी उन्नत खेती (Cooperative Better Farming) —

सहकारी खेती के प्रकार —

- १ सहकारी उन्नत खेती ।
- २ सहकारी समुक्त खेती ।
- ३ सहकारी किसान खेती ।
- ४ सहकारी सामूहिक खेती ।

इस प्रकार की खेती से सम्बन्धित समितियों का कार्य कृषि के उन्नत ढंगों का प्रचार करना है । इस दशा में किसान अपनी भूमि का स्वयं स्वामी रहता है तथा स्वयं ही खेती भी करता है । लेकिन कुछ कार्यों के लिए सब किसान मिलकर कार्य करते हैं जैसे बीज व खाद की

व्यवस्था, मशीनों के प्रयोग की व्यवस्था, उत्पादित फल की बिक्री की व्यवस्था आदि । इन कार्यों के प्रतिरिक्त किसान को अन्य कार्यों में स्वतन्त्रता रहती है । सदस्यगण इस समिति की सेवाओं के बदले कुछ कमीशन भी देते हैं ।

(२) सहकारी समुक्त खेती (Cooperative Joint Farming) — इस प्रकार की खेती में किसानों की भूमि के स्वामी का अधिकार तो प्राप्त होता है लेकिन कृषि कार्य मिलकर किया जाता है। इस कार्य के लिए एक समिति बनाई जाती है। जो कि कृषि कार्य की व्यवस्था करती है। प्रत्येक किसान को उसके श्रम के बड़े प्रतिदिन का प्रतिफल मिलता है। तथा समिति के लाभ का कुछ अंश जो कि उसके भूमि के मूल्य के अनुपात में होता है वह भी मिलता है। इस प्रकार की समिति का कार्य फसल का पैदा करना, बिक्री करना, भूमि सुधार करना आदि है। सदस्य यदि चाहें तो वे समिति से अलग भी हो सकते हैं।

३) सहकारी किसान खेती (Cooperative Tenant Farming) — इस प्रकार की खेती व्यवस्था के अन्तर्गत किसान कृषि कार्य प्रत्येक २ होकर करते हैं, लेकिन कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार समिति को ही होता है। क्योंकि समिति ही सरकार से या किसी बड़े जमींदार से भूमि बिना लगान या पट्टे के आधार पर अधिक समय के लिए ले लेती है। और उस भूमि को अनेक भागों में करके सदस्यों को जोतने के लिए दे देती है। भूमि पर कृषि कार्य की योजना समिति द्वारा ही बनाई जाती है तथा कृषि सम्बन्धी अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध भी समिति करती है।

(४) सहकारी सामूहिक खेती (Cooperative Collective Farming) — इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषि कार्य एवं स्वामित्व दोनों ही सामूहिक होते हैं, इस प्रकार की समिति भी भूमि की व्यवस्था बिना लगान या पट्टे के आधार पर करती है तथा सारी भूमि पर सब सदस्य मिलकर कार्य करते हैं जिसके बदले उन्हें प्रतिदिन का प्रतिफल दिया जाता है। तथा वर्ष के अन्त में प्राप्त लाभ को सदस्यों को उनके श्रम के अनुपात में बाँट दिया जाता है। इस प्रकार की खेती में मशीनों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

भारत के लिए उपयुक्त रूप — सरैया कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी, सामूहिक तथा सहकारी किसान खेती का संगठन एवं संचालन तभी हो सकता है जबकि समिति के पास भूमि की व्यवस्था हो। भूमि की व्यवस्था सुधार के हेतु प्राप्त भूमि, रिटायर्ड सैनिकों या भूमिहीन मजदूरों के बचाने के उद्देश्य से की जा सकती है। इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को यंत्रों की सुविधा पर भी पर्याप्त व्यय करना चाहिये। सरकार को सहकारी उन्नत खेती समितियों की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था

करनी चाहिये तभी भारत में सहकारी खेती के आधार की स्थापना हो सकती है ।

सहकारी समुक्त खेती समिति के सम्बन्ध में कमेटी का मत है कि इस प्रकार की समिति हर स्थान पर सफल नहीं हो सकती है । इसके विकास के लिए सरकार को ग्रांट, टेक्नीकल सहायता, निपुण कर्मचारियों की व्यवस्था आदि पर ध्यान देना होगा तथा साथ ही ऋण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि देश में सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाय । लेकिन सहकारी खेती का प्रयोग देश में सफल हो सकेगा भी या नहीं इसके विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है ।

सहकारी खेती के विरोध में राजाजी लिखते हैं कि "साम्यवादी देशों को छोड़कर जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव है और लोगों से जबरदस्ती कार्य कराया जाता है, कहीं भी सहकारी खेती का प्रयोग नहीं किया गया । सहकारी खेती बिना बल-प्रयोग के संभव नहीं होगी । लोग खुशी से मजदूर बनने के लिए राजी नहीं होंगे और किसान तो और भी कम । हमारे देश में सहकारी खेती भयकर रूप से विफल होगी ।"

लेकिन भारत की केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारें इस बात पर जोर दे रही हैं कि भारत में सहकारी ढंग से खेती की जाये । नेहरूजी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक सभा में कहा कि, "सहकारी खेती का कार्य लोगों की स्वेच्छा से होगा । लोगों को सहकारी खेती के फायदे समझाये जायेंगे और वे समझ ब्रूक कर ही इस प्रयोग में शामिल होंगे । नागपुर प्रस्ताव में तो यह भी कल्पना की गई है कि सहकारी समिति में शामिल होने वाला किसान अपनी भूमि का मालिक बना रहेगा । उसे अपनी भूमि और काम के हिस्सा से जमीन की उपज का हिस्सा मिलेगा ।"

नागपुर प्रस्ताव के अनुसार प्रथम तीन वर्षों में सरकार को "सेवा सहकार समितियों" की व्यवस्था देश भर में करनी चाहिये । जिसके विस्तार एवं सफलता पर सहकारी खेती आधारित होगी । इसके सफलता के लिए कई लाख लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी होगी । श्री मिश्र ने भी सहकारी खेती को गावों की समस्याओं के हल करने का मुख्य साधन बताया है ।

प्रश्न १३६. भारत में सहकारिता में कौन २ सी कमियाँ हैं ?
तथा सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजियेगा ।

(What are the Drawbacks of Cooperation in India ?
And give some suggestions for Improvement.)

उत्तर :—

भारत में सहकारिता का उचित विकास नहीं हुआ है । इसमें बहुत सी कमियाँ हैं जिसकी ओर समय २ पर अनेक कमेटियों ने सकेत किया है । जिनमें से मुख्य कमियाँ निम्न हैं —

(१) सहकारिता के सिद्धान्त का पालन न किया जाना .—

सहकारिता की कमियाँ —

१. सिद्धान्तों का अपालन ।
२. गैर साख समितियों पर कम ध्यान ।
३. पूंजी की कमी ।
४. अधिक ध्याज की दर ।
५. दिखावे पर जोर ।
६. शिक्षा व मितव्ययिता की कमी ।
७. हिसाब का निरीक्षण ।
८. संचालन में कमी ।
९. सरकारी नियन्त्रण ।

भारतीय जनता ने सहकारिता के सिद्धान्तों को नहीं समझा है । इसी कारण वे सहकारी समिति को भी महाजन के समान समझते हैं कुछ व्यक्ति सहकारी आन्दोलन को सरकारी आन्दोलन समझकर सहयोग प्रदान नहीं करते हैं जिस कारण से सहकारी आन्दोलन का भारत में उचित विकास नहीं हो पाया है ।

(२) गैर साख समितियों पर कम ध्यान — प्रारम्भ से अब तक सहकारी साख समितियों के विकास पर ही बल दिया गया है । क्रय-विक्रय, समितियों, बीज व खाद

भंडार समितियों, उपभोक्ता समितियाँ, चकबन्दी तथा ग्रामसुधार की समितियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । इसी कारण से सहकारिता का भारत में सर्वोत्तम विकास सम्भव नहीं हो पाया है ।

(३) पूंजी की कमी — सहकारी समितियाँ द्वारा ऋण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है क्योंकि इन समितियों के पास पूंजी की कमी रहती है, और जो भी ऋण मिलता है वह देरी से तथा एक साथ मिलता है जिस कारण से बाद में रुपये की आवश्यकता पड़ने पर कृषकों को महाजन से रुपये उधार लेना पड़ता है ।

(४) अधिक व्याज की दर :—साख समितियों की व्याज की दर उचित व्याज की दर से अधिक होती है क्योंकि प्रांतीय बैंक, केन्द्रीय बैंक को तथा केन्द्रीय बैंक प्रारम्भिक साख समितियों को रुपया उधार देते हैं, बाद में प्रारम्भिक साख समिति कृषकों को रुपया उधार देती है। जिससे व्याज की दर अधिक हो जाती है इसी कारण से कृषक इन समितियों का सदस्य बनना पसन्द नहीं करते हैं।

(५) दिखाने पर जोर —साधारणतः ऐसा पाया जाता है कि सहकारी समितियों का ठीक सिद्धांतों पर निर्माण नहीं किया जाता है। केवल दिखाने के लिए ही समितियों की संख्या में वृद्धि की जाती है तथा अनेक प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं जिससे वे आगे चलकर सफल नहीं हो पाती हैं।

(६) शिक्षा एवं मितव्ययिता की कमी —सदस्यों का अशिक्षित होना सहकारिता के कम विकास का मुख्य कारण रहा है। अशिक्षा के कारण ही समितियों के कार्य में मितव्ययिता का गुण नहीं पाया जाता है। जब तक भारतीय कृषक शिक्षित नहीं होंगे, भारत में सहकारी आन्दोलन उन्नति नहीं कर सकता है।

(७) हिसाब का निरीक्षण —सहकारी संस्थाओं के कार्य एवं लेन-देन की उचित जांच का होना अति आवश्यक है। व्यवहार में यह जांच इन्हीं समितियों से सम्बन्धित संस्था द्वारा होती है जिससे इनकी कमियों का पता नहीं लग पाता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इन समितियों की जांच डिस्ट्रिक्ट यूनियन द्वारा होनी चाहिये।

(८) संचालन में कमी —कुछ कमीशनरों का मत है कि समितियों का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है। ऋण कुछ व्यक्तियों को ही मिल पाता है। ऋण के प्रयोग के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि क्या वह उत्पादक कार्य में प्रयोग होगा या अनुत्पादक कार्यों में। समितियों का कार्यक्षेत्र कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रह जाता है।

(९) सरकारी नियन्त्रण —भारत में सहकारी आन्दोलन सरकारी आधार पर हुआ है। इसी कारण जनता साख समितियों को सरकारी बैंक के रूप में समझती है और इसी कारण से जनता का सहकारी आन्दोलन में पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो सका है। सहकारी समितियों पर जितना सरकारी नियन्त्रण अधिक होगा उतनी ही ये समितियाँ अपने आधारभूत सिद्धांतों से दूर हटती चली जाती हैं और सहकारिता का विकास नहीं होने पाता है।

सुधार के लिए सुझाव :—भारत में सहकारी आन्दोलन में जो कमियाँ हैं उनके सुधार के लिए कुछ सुझाव निम्न हैं :—

- (१) गैर-साख समितियों का पर्याप्त विकास होना चाहिये ।
- (२) सहकारी साख समितियों को बहुउद्देशीय समितियों के आधार पर चलाना चाहिये ।
- (३) ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाय तथा ऋण का मात्रा ऋण के भुगतान करने की योग्यता द्वारा निश्चित होनी चाहिये ।
- (४) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय बैंक की आर्थिक दशा में सुधार होना चाहिये ।

भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता के विकास पर अधिक बल दिया गया है तथा इसे प्रत्येक क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया है । कृषि तथा धनोत्पत्ति के सभी साधनों का सहकारिता के आधार पर विकास किया जायेगा ।

वितरण (Distribution)

अध्याय ६१

वितरण

प्रश्न १४०—अर्थशास्त्र में वितरण का क्या अर्थ है ? वितरण की समस्या को संक्षेप में समझाइये ।

(What is meant by 'Distribution' in Economics ? Explain in brief the problem of distribution.)

उत्तर :—

साधारण बोलचाल की भाषा में 'वितरण' से तात्पर्य किसी वस्तु को कुछ व्यक्तियों में बांटने से है परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु स्वयं उत्पन्न किया करता था। धीरे धीरे सम्यता की प्रगति व मानवीय आवश्यकताओं की वृद्धि के कारण, आर्थिक ढांचा बदलता गया। आज उत्पादन बड़े पैमाने पर धन-विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांतों पर किया जाता है। उत्पत्ति पाँच साधनों के सहयोग से की जाती है। कुछ लोग भूमि देते हैं, कुछ पूँजी उधार देते हैं, कुछ अपना मानसिक व शारीरिक धन लगाते हैं, कुछ व्यक्ति उत्पादन कार्य की व्यवस्था करते हैं और कुछ इसकी जोखिम को उठाते हैं। इन सामूहिक प्रयत्नों द्वारा उत्पन्न संयुक्त उत्पत्ति (Joint Product) को उत्पादकों के साधनों में बाँटा जाता है। इसी क्रिया को अर्थशास्त्र में वितरण के नाम से पुकारते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विक्सटोड के अनुसार "अर्थशास्त्र में वितरण के अन्तर्गत हम उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनके अनुसार किसी विषय औद्योगिक सगठन की संयुक्त उत्पत्ति उन व्यक्तियों में बाँटी जाती है जो उसे प्राप्त करने में सहायक होते हैं। संक्षिप्त व संयुक्त उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बाँटने की क्रिया का नाम ही वितरण है।

वितरण की समस्याएँ (Problems of Distribution) :—

वितरण की समस्या इतनी जटिल और विषम हो गई है कि आये दिन आर्थिक जगत में सघर्ष पैदा हो जाते हैं। पूँजीवाद, समाजवाद व साम्यवाद आदि इसी वितरण की समस्या की देन हैं। वितरण के सम्बन्ध में निम्न प्रश्न विचारणीय हैं।

- (१) कितनी सम्पत्ति बाटी जाय ।
- (२) सम्पत्ति का वितरण किनको किया जाय ।
- (३) वितरण का क्रम क्या हो ।
- (४) वितरण किस सिद्धांत पर किया जाय ।

(१) कितनी सम्पत्ति का वितरण किया जाय :—साधारणतया हम कहेंगे कि जितनी सम्पत्ति संयुक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप उत्पन्न हो उसी का वितरण होना चाहिये । परन्तु यह बात नहीं है । कुल उत्पत्ति (Gross Product) में से उत्पत्ति का व्यय निकालकर शेष उत्पत्ति (Net Product) को विभिन्न साधनों में बाँटा जाता है । ये व्यय निम्न हैं :—

(i) चल पूँजी का प्रतिस्थापन :—उत्पत्ति कार्य के लिये कुछ चल पूँजी की आवश्यकता होती है जैसे कच्चा माल, कोयला, बीज, खाद इत्यादि । इन सबके मूल्य को कुल उत्पत्ति में से निकाल कर, शेष सम्पत्ति को बाँटते हैं जिससे कि भविष्य के प्रयोग के लिये चल पूँजी पुनः खरीदी जा सके ।

(ii) अचल पूँजी का ह्रास :—अचल पूँजी जैसे मशीनें, इमारतें इत्यादि व्यापार में बहुत दिनों तक प्रयोग में आती हैं परन्तु धीरे-धीरे बिसकर कुछ समय परचान बेकार हो जाती हैं । इसलिये प्रतिवर्ष कुल उत्पत्ति में से अनुपातिक मूल्य ह्रास की घन राशि निकालकर भलग रखली जाती है जिससे कि अचल पूँजी के पूर्ण बेकार होने के समय तक इतनी घन राशि एकत्रित हो जाय कि उसको पुनः नई पूँजी से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

(iii) सरकारी कर :—कुल उत्पत्ति में से राज्य को दिये जाने वाले कर की रकम घोर घटा दी जाती है ।

उपरोक्त तीन प्रकार के व्ययों को निकालकर शेष सम्पत्ति को ही वितरित किया जाता है । इस प्रकार देश की समस्त उत्पादन इकाइयों की उत्पत्ति का योग ज्ञात किया जा सकता है । इसको राष्ट्रीय लाभ (National dividend) कहते हैं ।

(२) सम्पत्ति का वितरण कैसे किया जाय :—वितरण में भाग पाने के वही अधिकारी हैं जो उस सम्पत्ति के पैदा करने में सहायक होते हैं । उत्पत्ति के भूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था व साहस पाँच साधन हैं । इनके स्वामी क्रमशः भूमिपति, श्रमिक, पूँजीपति प्रबन्धक व साहसी होते हैं । इन्हीं में राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है । कुल उत्पत्ति का भूमिपति को मिलने वाला भाग सगान (Rent), श्रमिक को मिलने वाला भाग मजदूरी

(Wages), पूंजीपति को मिलने वाला भाग व्याज (Interest), प्रबंधक को मिलने वाला भाग वेतन (Salary) तथा साहसी को मिलने वाला भाग लाभ (Profit) कहलाता है ।

(३) वितरण का क्रम (Order) क्या है .—सम्पत्ति के वितरण का कोई पूर्व निश्चित क्रम नहीं है । यह कहना कठिन है कि पहले किसको मिलता है और उसके बाद किसको । परन्तु यह निश्चित है कि सबसे बाद में साहसी को उसकी जोखिम उठाने का प्रतिफल मिलता है । उत्पादन एक सतत चलने वाला कार्य है । साधनों के स्वामियों को उनके इकरारनामों के अनुसार निर्धारित समय पर पारिश्रमिक मिलता रहता है यदि शेष बचता है तो वह साहसी को मिल जाता है अन्यथा उसे हानि होती है ।

(४) वितरण किस सिद्धांत पर किया जाय :—प्रथम प्रत्येक उत्पत्ति का साधन अपनी सेवाओं को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण मानता है, दूसरे, प्रत्येक साधन की कुल उत्पत्ति में कितना योग (Contribution) है यह मालूम नहीं हो सकता । इन दो कारणों की वजह से वितरण का एक उचित सिद्धांत नहीं बन पाया है । साधारणतया, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन (साहसी को छोड़कर, उसको तो शेष सम्पत्ति मिलती है) का पारिश्रमिक उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है । साधन की मांग साहसी द्वारा होती है उसका एक अधिकतम मूल्य होता है जिससे अधिक वह कभी देने को तैयार नहीं होता । यह अधिकतम मूल्य साधन-विशेष की सीमात उत्पादकता से निर्धारित होता है । साधनों की पूर्ति उनके स्वामियों द्वारा होती है । उनकी एक निम्नतर सीमा होती है जिसमें कम मूल्य पर वे अपने साधनों की सेवाओं को बेचने को तैयार नहीं होंगे । यह मूल्य साधन-विशेष की लागत द्वारा निर्धारित होता है । इस प्रकार मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा मूल्य (साधन का पुरस्कार) न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं के बीच कहीं तय हो जाता है ।

अध्याय ६२

उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता

प्रश्न १४१—गतिशीलता का क्या अर्थ है ? भारतीय श्रम की गतिशीलता में क्या बाधाएं हैं ?

(Explain the meanings of Mobility of labour. What are the hindrances in the way of the mobility of Indian Labour ?)

उत्तर :—

गतिशीलता का अर्थ :—साधारण बोलचाल में गतिशीलता का अर्थ है 'चलने की शक्ति' या 'एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की शक्ति'। लेकिन अर्थशास्त्र में एक उत्पादन के साधन की गतिशीलता का अर्थ है उस साधन का किसी एक व्यवसाय, पेशे, वर्ग या स्थान को जाने की शक्ति। उत्पत्ति के पांच साधन हैं—भूमि, श्रम पूंजी, व्यवस्था तथा साहस। सभी में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। पर किसी में यह अधिक है और किसी में कम।

श्रम की गतिशीलता का अर्थ —

श्रमिकों की एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग को चले जाने की क्षमता व तत्परता (Capacity and willingness) को श्रम की गतिशीलता कहते हैं। मजदूर अधिक मजदूरी अथवा अच्छी काम की दशायें प्राप्त करने के लिये एक व्यवसाय अथवा स्थान से दूसरे व्यवसाय अथवा स्थान को धाते जाते रहते हैं।

श्रम की गतिशीलता के प्रकार —

श्रम की गतिशीलता तीन प्रकार की होती है :—

(१) भौगोलिक (Geographical mobility), (२) व्यवसायिक (Occupational mobility), (३) वर्गीय (Grade Mobility)

(१) **भौगोलिक अथवा स्थान गतिशीलता :—**मजदूर के एक गांव या शहर को छोड़ कर अधिक वेतन प्राप्त करने के लिये किसी अन्य गांव अथवा शहर में काम पर चले जाने को भौगोलिक अथवा स्थान गतिशीलता कहते हैं। यदि कोई खुरजा का मजदूर बुलन्दशहर पन्नी जी दुगर् मिल में काम करने चला जाय तो उसकी गतिशीलता स्थान गतिशीलता कहलायेगी। यदि मजदूर स्थान परिवर्तन सदैव के लिये कर लेता है तो यह स्थायी गतिशीलता और केवल थोड़े से समय के लिये करता है तो यह अस्थायी गतिशीलता कहलाती है।

(२) **पेशेवर गतिशीलता —**यदि कोई व्यवसाय मजदूर को रुचिकर नहीं है तो वह उसको छोड़कर दूसरे में चला जाता है। इसी प्रकार यदि उसको किसी दूसरे व्यवसाय में अधिक मजदूरी मिलने की आशा है तो वह अपना व्यवसाय परिवर्तन कर लेता है। ऐसी गतिशीलता को व्यवसायिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे खुरजा तेल मिल का कोई मजदूर, किसी दाल मिल में काम करने लगे या कोई प्रोफेसर किसी बैंक में उच्चाधिकारी बन जाये इत्यादि।

(३) **वर्गीय गतिशीलता :—**इत्येक व्यवसाय में वेतन आदि के आधार

पर भिन्न-भिन्न वर्ग पाये जाते हैं। श्रमिक के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने को वर्गीय गतिशीलता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है :—

(i) **सम वर्गीय या क्षैतिज गतिशीलता (Horizontal mobility) :**—एक फर्म की नौकरी छोड़कर किसी दूसरी फर्म में उसी वर्ग में काम कर लेने को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। जैसे खुर्जा की दाल मिल का कोई फोरमैन अपने मालिक से लडकर खुर्जा की किसी दूसरी दाल मिल में फोरमैन बन जाय या खुर्जा कालिज का कोई क्लर्क मेरठ कालिज में क्लर्क बन जाय आदि।

(ii) **विभिन्न वर्गीय या शीर्ष गतिशीलता (Vertical mobility) :**—उसी या दूसरी फर्म में निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में या उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में चले जाने को विभिन्न वर्गीय कहते हैं जैसे एक कालिज का क्लर्क वहा का हैडक्लर्क हो जाये, एक लेक्चरर एक प्रोफेसर हो जाये (नीचे से ऊपर को) या कोई फोरमैन एक साधारण मजदूर बना दिया जाये, एक घानेदार को हैड-कांसटेबिल बना दिया जाय (ऊपर से नीचे को)।

भारतीय श्रम की गतिशीलता में बाधाएं .—

भारतीय श्रमिक की गतिशीलता बहुत ही कम है। भारतीय श्रमिक अपने गांव या शहर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। टेक्नीकल ट्रेनिंग व शिक्षा की कमी के कारण उनमें न व्यवसायिक गतिशीलता है और न वर्गीय गतिशीलता। हम नीचे भारतीय श्रम की गतिशीलता में बाधक कारणों का विवरण देते हैं।

(१) **घर का मोह :**—भारतीय मजदूर अपना गांव, घर अथवा अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ कर कहीं दूर नहीं जाना चाहते। वे घर के रोगी (Home-sick) कहे जाते हैं। वे अपरिचितों के बीच नये वातावरण में अधिक धन कमाने की अपेक्षा घर पर पारिवारिक व्यक्तियों के साथ काम करके थोड़ा कमाना श्रेष्ठ समझते हैं।

(२) **महत्वाकांक्षी की कमी** —भारतीय अधिकांश भाग्यवादी हैं और सतोपी हैं। वे जीवन में थोड़ी आवश्यकताएँ रखते हैं। थोड़ी आय से ही उनकी आवश्यकताएँ सतुष्ट हो जाती हैं। वे अधिक धन कमाने के लिये घर से बाहर जाना नहीं चाहते। इस कारण उनकी गतिशीलता कम हो जाती है।

(३) **यातायात के साधनों की कमी :**—हमारे देश में यातायात के साधन विस्तृत, सस्ते और आसान नहीं हैं। इस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः श्रमिकों की गतिशीलता भी कम है। परन्तु यह बाधा अब धीरे-धीरे दूर होती जा रही है।

(४) वातावरण की भिन्नता :—भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग भाषा, धर्म, रीतिरिवाज, रहन-सहन व जलवायु पाई जाती है। एक प्रात का मजदूर दूसरे प्रात की भाषा तक नहीं समझ पाता है। वहाँ के खाने को भी वह ठीक नहीं समझता। अतः मजदूरों की गतिशीलता कम रहती है। यू० पी० का अमिब घासाम में जलवायु के खराब होने के कारण नहीं जाता है।

(५) अज्ञानता :—अमिकों को यह पता नहीं रहता है कि कहाँ उनकी माग है और कहाँ नहीं है। ऐसी सूचना प्रदान करने वाले माधनों का भारत में बड़ा ही सीमित विकास है। अतः मजदूर गतिशील नहीं हो पाते। देश में अब रोजगार दफ्तर खुल जाने के कारण यह बाधा धीरे-धीरे दूर होती जा रही है।

(६) अशिक्षा —अधिकांश भारतीय अशिक्षित हैं। वे नौकरियों से सम्बन्धित सूचनाओं व विज्ञानों को नहीं पढ़ सकते। इसके अतिरिक्त उन व्यवसायों में जहाँ केवल शिक्षित अमिकों की आवश्यकता होती है, भारतीय अमिक काम नहीं कर सकते। अतः उनकी गतिशीलता कम है।

(७) निर्धनता :—अधिकांश भारतीय गरीब हैं। वे बच्चों की पढाई पर इतना पैसा व्यय नहीं कर पाते कि वे किसी विशेष व्यवसाय के लिये योग्य बन जायँ अतः उनकी व्यवसायिक व वर्गीय गतिशीलता कम है। इसके अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान को नौकरी करने जाने के लिये पैसा व्यय करना पड़ता है। परन्तु धनभाव के कारण वे ऐसा नहीं करते। अतः उनकी भौगोलिक गतिशीलता भी कम हो गई है।

(८) सामाजिक रीतिरिवाजों का प्रभाव —भारतीय अम की गतिशीलता में जाति प्रथा, सयुक्त परिवार प्रणाली व पर्दा प्रथा बड़ी बाधक सामाजिक रीतियाँ हैं। जाति प्रथा के कारण एक जाति का व्यक्ति केवल अपनी जाति के व्यवसाय को ही कर सकता है अन्य को नहीं। सयुक्त परिवार प्रणाली के कारण अमिकों में अपने पारिवारिक सदस्यों का मोह उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह अन्य स्थानों पर काम करने को नहीं जाना चाहता है। पर्दा प्रथा के कारण स्त्री अम की गतिशीलता नहीं बढ़ पाती है। स्त्रियाँ उन्हीं स्थानों पर कार्य करना पसंद करती हैं जहाँ उनके पति होते हैं। अतः उनकी भौगोलिक गतिशीलता कम रहती है।

बड़े हर्ष का विषय है कि अम की गतिशीलता को उपरोक्त बाधाएँ धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, काम-दिलाल दफ्तर खोले जा रहे हैं। सामाजिक रीति रिवाजों का प्रभाव कम

होता जा रहा है, यातायात के साधनों को विकसित किया जा रहा है। अतः अब भारत के मजदूरों की गतिशीलता बहुत बढ़ गई है ?

प्रश्न १४२—धम की गतिशीलता का क्या अर्थ है ? यह कितने प्रकार की होती है ? गतिशीलता का श्रमिक की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(What is meant by Mobility of Labour ? What are its different kinds ? What is the effect of Labour Mobility on the wages of the workers ?)

उत्तर :—

प्रश्न के प्रथम और द्वितीय भाग के लिये प्रश्न १४१ का उत्तर पढ़िये।

धम की गतिशीलता का मजदूरी पर प्रभाव —

गतिशीलता के कारण मजदूरों की प्राथिक स्थिति में सुधार हो जाता है। यदि श्रमिकों में गतिशीलता है तो वे उन स्थानों से जहाँ उनको कम मजदूरी प्राप्त होती है उन स्थानों को जा सकते हैं जहाँ उनको ऊँची मजदूरी मिले। अधिक आय प्राप्त होने पर मजदूर अपने रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं।

मिल मालिक और उत्पादक गतिशील श्रमिकों को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि वे जानते हैं कि श्रमिक उसकी नौकरी छोड़ कर अन्यत्र वही चले जायेंगे।

धम की गतिशीलता का सबसे बड़ा लाभ सब स्थानों व व्यवसायों में मजदूरी की दर समान करना है। जिन स्थानों पर मजदूरी ज्यादा मिलती है वहाँ पर उन स्थानों से जहाँ कम मजदूरी मिलती है, श्रमिक आ जाते हैं। मजदूरों की पूर्ति बढ़ने से वहाँ की मजदूरी भी दर गिर जायेगी और पहले वाले स्थान में श्रमिक की पूर्ति कम हो जाने के कारण, मजदूरी की दर बढ़ जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय में मजदूरी समान हो जाती है। मान लीजिये सुरजा तेल मिल में प्रति श्रमिक को २ रु० रोज मिलता है और दाल मिल में १ रु० ८ आना प्रतिदिन मिलता है। अतः धीरे धीरे दाल मिल को छोड़कर मजदूर तेल मिल में जाने लगेंगे। तेल मिल में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाने के कारण वहाँ प्रति व्यक्ति मजदूरी गिर जायेगी। इसके विपरीत दाल मिल में पूर्ति कम हो जाने के कारण मजदूरी बढ़ जायेगी। मजदूरों का यह जानना सब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों मिलों में १ रु० १२ आना प्रतिदिन मजदूरी न हो जावेगी।

प्रश्न १४३—पूजी की गतिशीलता का क्या अर्थ है तथा पूजी की गतिशीलता पर प्रभाव डालने वाली बातों का वर्णन करियेगा ?

(Define Mobility of Capital and explain the various factors affecting its mobility)

उत्तर —

पूजी की गतिशीलता —

पूजी से भी गतिशीलता होती है। अधिक व्याज का लालच पूजी की गतिशीलता का मुख्य कारण है और इसी कारण से अन्य साधनों की तुलना में पूजी में गतिशीलता अधिक है। तभी विदेशों की पूजी हमारे देश में आ रही है। पूजी की गतिशीलता में यातायात व्यय भी अन्य साधनों की तुलना में कम होता है इसी कारण से कुछ ही खर्च में हजारों रुपये एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा सकते हैं। यह भी पूजी की गतिशीलता के अधिक होने का प्रमुख कारण है।

पूजी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बातें — पूजी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(१) चल और अचल पूजी — पूजी दो प्रकार की होती है —

(१) चल पूजी तथा (२) अचल पूजी। चल पूजी की गतिशीलता अचल

पूजी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली बातें :—

- १ चल और अचल पूजी।
- २ जोखिम एवं लाभ की आशा।
- ३ शान्ति एवं सुरक्षा।
- ४ पूजी के विनियोग के साधन।
- ५ बैंकिंग सस्थायें।
- ६ पूजी के सवादवाहन के साधन।

पूजी की गतिशीलता से अधिक होती है। चल पूजी के अन्तर्गत नकद रुपया शेयर्स तथा सिक्कुरिटीज आदि आते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी ओर अचल पूजी के अन्तर्गत मकान, दुकान, मशीन आदि आते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की आसानी से नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इन्हें उचित मूल्य में बेचने में समय लगता है।

(२) जोखिम एवं लाभ की आशा — पूजी की गतिशीलता उस

व्यवसाय में अधिक होती है जिसमें जोखिम कम होता है तथा पूजी सुरक्षित

रहती है। पूजीपति अनिश्चित व्यापार या व्यवसाय में विनियोग करने से डरते हैं। साथ ही जिस व्यवसाय या उद्योग में ब्याज की दर अधिक होगी वहीं पूंजी का विनियोग बढ़ने लगेगा।

(३) देश में शांति एवं सुरक्षा — यदि देश में शांति वा वातावरण है तो पूंजी की गतिशीलता भी अधिक होगी। क्योंकि ऐसे वातावरण में पूंजीपतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में पूंजी विनियोग करने में कोई भी डर नहीं होगा। इसके विपरीत यदि देश में अशांति है तो पूंजी की गतिशीलता भी कम होगी क्योंकि पूंजीपति पूंजी के विनियोग करने में डरेंगे।

(४) देश में पूंजी के विनियोग के साधन — जिस देश में आर्थिक औद्योगिक एवं सामाजिक उन्नति हो जाती है वहाँ पूंजी की गतिशीलता भी अधिक होती है और यदि किसी देश में उद्योगों की उन्नति कम हुई है तो वहाँ पूंजी की गतिशीलता भी कम होगी। एक देश में पूंजी के विनियोग के जितने अधिक साधन होंगे उतनी ही उस देश में पूंजी की गतिशीलता भी अधिक होगी।

(५) बैंकिंग संस्थाएँ — देश में व्यापारिक उन्नति के साथ बैंकिंग उन्नति भी सम्भव हो जाती है क्योंकि बैंकों के द्वारा रुपया आसानी से एवं कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट, हुण्डी, बिल आफ एक्सचेंज आदि के प्रयोग से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है।

(६) पूंजी के भेजने एवं सम्वादवाहन के साधन :— यदि देश में पूंजी के भेजने तथा सम्वादवाहन के साधन सुगम एवं उन्नत दशा में है तो उस देश में पूंजी की गतिशीलता भी अधिक होगी। टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राम आदि के प्रयोग से पूंजी की गतिशीलता में अधिक वृद्धि होती है।

अध्याय ६३

लगान

प्रश्न १४४—रिकार्डों का लगान सिद्धांत बताइये। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से इसको आलोचना कीजिये।

(Explain the Ricardian Theory of Rent Criticise it from the point of view of modern Economists)

उत्तर—

अंग्रेज अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने लगान के सम्बन्ध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अर्थशास्त्र में उसी के नाम के पीछे 'रिकार्डो का लगान सिद्धांत' के नाम से विख्यात है। इस सिद्धांत द्वारा रिकार्डो ने यह स्पष्ट किया है कि लगान (आधिक लगान) किसे कहते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है और पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में लगान का निर्धारण किस प्रकार होता है।

रिकार्डो के अनुसार 'लगान भूमि की उपज का वह भाग है जोकि भूमि की मौलिक तथा अक्षय शक्तियों के उपयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है।' ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil") रिकार्डो के लगान सिद्धांत के समझन से पहले यह जानना आवश्यक है कि (१) भूमि की उर्वरा शक्ति निम्न २ होती है। कुछ भूमि के टुकड़े अन्य टुकड़ों की अपेक्षा अधिक उर्वर होते हैं। ऐसे टुकड़ों पर समान व्यय करने पर घटिया भूमियों की अपेक्षा अधिक उत्पत्ति होती है। यह 'आधिक्य' (Excess) ही अर्थशास्त्र में बढ़िया भूमि का लगान कहलाता है। (२) किस भूमि पर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है। भूमि पर प्रयोग की गई श्रम और पूंजी की प्रत्येक अगली इकाई की उत्पत्ति पहली इकाई की अपेक्षा कम होती है। (३) किसी भूमि का लगान न केवल उसकी उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है बल्कि भूमि की स्थिति (Situation) पर भी निर्भर करता है। समान उर्वरा शक्ति वाली भूमियों के मध्य उम भूमि के टुकड़े का लगान अधिक होगा जिसकी स्थिति बहुत ही अनुकूल होती है।

लगान कैसे उत्पन्न होता है (How does rent arise) — अपने लगान सिद्धांत की व्याख्या के लिये रिकार्डो एक ऐसे नये देश की कल्पना करता है जहां व्यक्ति आकर बसने शुरू हुये हैं। भूमि मांग की अपेक्षा बहुत अधिक है। सब भूमि एक प्रकार की नहीं है। मान लीजिये उर्वरा शक्ति के दृष्टिकोण से वहां की भूमि क्रमशः अ, ब, स व द चार प्रकार की है। 'अ' भूमि सर्वोत्तम भूमि है और 'द' भूमि सबसे कम उर्वरा भूमि है। सर्व प्रथम 'अ' श्रेणी की भूमि पर खेती की जायगी। मनुष्यों में भूमि के लिये स्पर्धा नहीं होगी और न कोई लगान ही दिया जायगा। किन्तु जैसे २ आवादी बढ़ती जाती है और धन की मांग बढ़ती है, अधिकाधिक भूमि पर

खेती की जाने लगती है। यदि 'अ' भूमि पर आवश्यक अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता तो इससे घटिया 'ब' श्रेणी की भूमियाँ जोत में लाई जाने लगेंगी। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वह सर्वोत्तम भूमि पर खेती करे फलस्वरूप 'अ' श्रेणी की भूमियों के लिये स्पर्धा होने लगेगी क्योंकि समान धन व पूँजी के प्रयोग से 'अ' भूमि पर घटिया भूमि की अपेक्षा अधिक उपज पैदा होती है। दूसरे शब्दों में 'ब' श्रेणी के खेतों का उत्पादन-व्यय 'अ' श्रेणी के खेतों के उत्पादन-व्यय से अधिक होगा। इस प्रकार 'अ' श्रेणी के खेतों को 'ब' श्रेणी की अपेक्षा एक विशेष लाभ (*Differential advantage*) मिलेगा जिसे रिकार्डों आधिक लगान कह कर पुकारता है। अब 'अ' श्रेणी की भूमियों पर लगान उत्पन्न हो जायगा। इस प्रकार अन्न की माँग की वृद्धि के साथ-साथ और घटिया भूमियों पर खेती की जाने लगती है और बढ़िया भूमियों पर लगान उत्पन्न होना जाता है।

उपरोक्त उदाहरण में 'ब' भूमि की उपज का दाम बाजार में उतना ही होना चाहिये जितना कि उसका उत्पादन-व्यय है। यदि उत्पादन व्यय अधिक है और बाजार में उपज का दाम इतना नहीं है कि कुल उपज को बेचकर लागत वसूल की जा सके तो 'ब' भूमि पर खेती नहीं की जायगी। इस उदाहरण में 'ब' भूमि सीमांत भूमि है। इस पर कोई लगान नहीं होता अन्तः इसे बे लगान भूमि (*No-rent land*) भी कहते हैं। यदि उपज के दाम बढ़ जायें तो 'स' भूमि पर खेती की जाने लगेगी और 'स' भूमि सीमांत भूमि हो जायगी। इस प्रकार 'ब' भूमि अर्धसीमांत भूमि हो जायगी और इस प्रकार लगान उदय हो जायगा। इस प्रकार आधिक लगान किसी विशेष भूमि और सीमांत भूमि की उपज का अन्तर है। सीमांत भूमि की उपज व इस उपज का उत्पादन व्यय अन्य भूमियों के लगान का निर्णायक होता है।


उदाहरण — मान लीजिये कि चारों श्रेणियों की भूमि पर निम्न प्रकार गेहूँ प्राप्त होता है।

'अ' भूमि	'ब' भूमि	'स' भूमि	'द' भूमि
१०० मन	८० मन	६० मन	४० मन
लगान ६० मन	४० मन	२० मन	×

यदि 'द' श्रेणी की भूमियों पर भी खेती की जाती है तो 'अ' 'ब' व 'स'

श्रमियों की भूमियों पर क्रमशः ६०, ४० व २० मन गेहूँ लगान होगा। यदि 'स' श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है तो केवल 'अ' व 'ब' श्रेणी की भूमियों पर क्रमशः ४० व २० मन गेहूँ लगान होगा। यदि प्रत्येक दशा में गेहूँ की लागत ४०० रु० है तो बाजार में गेहूँ का दाम १० रु० प्रतिमन होना चाहिये क्योंकि तभी 'द' भूमि पर खेती की जायेगी और अ व स से भूमियों पर क्रमशः $(६० \times १०) = ६००$ रु०, $(४० \times १०) = ४००$ रु० व $(२० \times १०) = २००$ रु० लगान होगा।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण



'द' भूमि सीमांत भूमि है इस पर कोई लगान नहीं है। 'अ' 'ब' व 'स' भूमियों पर लगान छाया वाले भागों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

गहरी खेती में लगान-उपरोक्त उदाहरण से यह नहीं समझ

लेना चाहिये कि लगान केवल विस्तृत खेती में उदय होता है। यह गहरी खेती में भी उदय होता है। जब जन सख्या की वृद्धि के फलस्वरूप अन्न की माग बढ़ती है तो बजाय भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के खेतों पर श्रम व पूँजी की अधिकाधिक इकाईयों का प्रयोग करके भी अन्न की उत्पत्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रणाली को गहरी खेती कहते हैं। जब भूमि पर अधिकाधिक मात्रा में श्रम व पूँजी लगाकर गहरी खेती की जाती है तो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार, प्रति इकाई उत्पत्ति घटती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब श्रम व पूँजी की अंतिम मात्रा (Dose) की लागत और इससे प्राप्त उत्पत्ति की कीमत बराबर हो जाती है। इसको सीमांत इकाई अथवा लगान रहित इकाई (No Rent Dose) कहते हैं। इस प्रकार सीमांत इकाई से पूर्व लगाई गई सभी इकाईयों से लागत निकालने के बाद भी बचत रहती है। यह बचत ही उनसे प्राप्त होने वाला अधिक लगान है।

रिकाड़ों के लगान सिद्धान्त की आलोचना:—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकाड़ों के लगान सिद्धान्त की निम्न आलोचनाएँ की हैं.—

(i) रिकाडों द्वारा प्रतिपादित कृषि-क्रम असत्य है — यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ भूमियों पर ही खेती की गई। नये स्थानों पर सर्वप्रथम उन भूमियों को जोना जाता है जोकि आबादी के निकट होती है। उदाहरणार्थ जब अंग्रेज अमरीका में जाकर वसे तो उन्होंने सबसे उपजाऊ भूमि पर खेती प्रारम्भ नहीं की बल्कि समुद्रतट के मैदानों में खेती की जोकि उनके निकट थे। अतः रिकाडों का कृषि क्रम मिथ्या है।

(ii) भूमि की उर्वरा शक्ति नाशवान है :—रिकाडों के अनुसार लगान भूमि की प्रथम शक्तियों का प्रतिफल है। वस्तुतः ऐसा नहीं है कि भूमि की उर्वरा शक्ति अक्षय नहीं है। भूमि पर उपज उत्पन्न करने से उसकी उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे नष्ट होनी जाती है जिसको बनाये रखने के खादा का प्रयोग किया जाता है।

(iii) भूमि की शक्तियाँ मौलिक ही नहीं अर्जित भी होती हैं — लगान भूमि की मौलिक शक्तियों के उपयोग का प्रतिफल है। परन्तु उर्वरा शक्ति जोकि भूमि का एक मौलिक गुण है अर्जित भी किया जा सकता है जैसे खाद इत्यादि देकर।

(iv) बिना लगान भूमि नहीं पाई जाती है .—कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और भूमि सीमित रह जाती है तो घटिया से घटिया भूमि से भी लगान लिया जाने लगता है। परन्तु दूसरे मत के अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि सीमांत भूमि किसी एक देश में नहीं तो दूसरे देश में अवश्य पाई जायगी।

(v) 'भूमि' की व्याख्या बहुत ही संकुचित अर्थ में की गई है :—रिकाडों के अनुसार 'भूमि' (Land) से तात्पर्य केवल कृषि योग्य भूमि से है। वह इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। लगान प्रत्येक प्रकार की प्राकृतिक देन पर उदय होता है।

(vi) लगान मूल्य को प्रभावित करता है .—रिकाडों के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि लगान को प्रभावित करता है। परन्तु आजकल भूमि की बढ़ती हुई भाग के कारण, सीमांत भूमियों पर भी लगान ले लिया जाता है जिसको कृषक उपज की लागत में शामिल करके, उपभोक्तानों से वमूल कर लेता है।

(vii) यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है :—और चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता असम्भव होती है इसलिये यह सिद्धांत भी काल्पनिक

अव्यवहारिक है। वास्तव में कृषको व जमींदारों में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है।

(viii) आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान भूमि की उर्वरता का परिणाम नहीं बल्कि भूमि की सीमितता का परिणाम है। रिकार्डों का सिद्धांत केवल यह बताता है कि बढ़िया भूमि का लगान ज्यादा होता है और घटिया का कम। वह यह नहीं बताता कि लगान क्यों उदय होता है। लगान भूमि की स्वल्पता के कारण उदय होता है।

प्रश्न १४५—रिकार्डों का लगान का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत भारतीय परिस्थितियों में कहां तक लागू होता है?

(What is the Ricardian Theory of Rent? To what extent does it apply to Indian conditions?)

उत्तर —

रिकार्डों के लगान सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या के लिये प्रश्न १४४ का उत्तर पढ़िये।

भारतवर्ष और रिकार्डों का लगान सिद्धांत —

रिकार्डों का लगान का सिद्धांत भारतवर्ष में लागू नहीं होता। लगान के लिये यह अनिवार्य है कि किसान और भूस्वामियों में अबाधित प्रतियोगिता होनी चाहिये। परन्तु भारतवर्ष में ऐसी प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। यहां पर लगान हमेशा रीति रिवाज, प्रतियोगिता और नियमानुसार निश्चित हुये हैं। पहले जब जमीन की मांग कम थी और जनसंख्या का भार कम था, लगान रीति रिवाज के अनुसार तय होता था। किसान को अपनी फसल का एक निश्चित भाग जमींदार को लगान के रूप में देना पड़ता था। ब्रिटिश शासन काल में सरकार ने कानून बनाकर भूमि के लगान को निश्चित कर दिया। आजकल लगान प्रतियोगिता से निर्धारित होता है। खेती पर भार पहले ही अधिक है, घरेलू उद्योग घटो की अवनति और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोग खेती की ओर झुकते हैं। किसान से चाहे जितना लगान क्यों न लिया जाय वह जमीन छोड़ने के लिये तैयार नहीं होंगे। साथ ही कोई दूसरा ऐसा व्यवसाय नहीं जिसको वे अपना सकें। भूमि के लिये किसानों की प्रतियोगिता के कारण, भूस्वामी ऊंचे-२ लगान पर जमीन को देता है। इसको अत्यधिक लगान प्रथा (Rack renting) कहते हैं। सक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में किसान और भूस्वामियों में स्वतंत्र

प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। भूमि की कमी के कारण, सीमांत भूमियों तक से लगान वसूल कर लिया जाता है जिसको लागत में जोड़कर कृषक उपभोक्ताओं से वसूल कर लेता है। अतः भारत में रिकार्डों का लगान-सिद्धांत लागू नहीं होता।

प्रश्न १४६—आर्थिक लगान व प्रसविदा लगान में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

या

आर्थिक लगान व ठेका लगान पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये ?
(Differentiate between Economic and Contract Rent)

Or

(Write a short note on Economic and Contract Rent.)

उत्तर —

आर्थिक लगान (Economic Rent):—

हम प्रश्न १४३ में देख चुके हैं कि सब भूमियाँ समान उर्वराशक्ति वाली नहीं होती। सीमांत भूमि पर कोई लगान नहीं होता क्योंकि उसका उत्पादन व्यय उतना ही होता है जितना कि उसकी उपज का बाजार में मूल्य। इससे पूर्व की अर्ध सीमांत भूमियाँ सब अधिक उत्पन्न करती हैं क्योंकि वे उर्वराशक्ति में सीमांत भूमि से श्रेष्ठ हैं। अतः अर्धसीमांत भूमियों को सीमांत भूमि पर कुछ विशेष लाभ होता है। अतः आर्थिक लगान वह अतिरिक्त उपज (Surpluses product) या विशेष बचत (Differential gain) है जो अधिसीमांत भूमियों पर होती करने से उनकी अपेक्षाकृत अधिक उर्वरता तथा अधिक अनुकूल परिस्थितियों के कारण होती है।

ठेके का लगान :—भूमिपति और कृषक के मध्य आपसी इकरार द्वारा जो लगान तय होता है उसे ठेका लगान, इकरारी लगान या प्रसविदा लगान (Contract Rent) कहते हैं। यह लगान भूमि की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यद्यपि यह आर्थिक लगान से भिन्न है, इसका आर्थिक लगान से गहरा सम्बन्ध है। ठेके का लगान आर्थिक लगान के आस पास कभी ऊँचा और कभी नीचा होता रहता है। यदि भूमि की मांग ज्यादा है तो ठेका लगान आर्थिक लगान से अधिक हो सकता है। यदि भूमि की मांग है तो यह आर्थिक लगान से नीचा भी हो सकता है।

आसामियों और जमींदारों में जितनी अधिक स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी, उतना ही ठेका लगान आर्थिक लगान के निकट होगा। जब ठेके का लगान आर्थिक लगान से बहुत अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लगान (Rack Renting) कहते हैं।

आर्थिक लगान	ठेका लगान
१. यह भूमि की उर्वराशक्ति की भिन्नता के कारण उदय होता है।	१. यह भूमि की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है।
२. यह समय २ पर बदलता रहता है।	२. यह एक निश्चित समय के लिये अपरिवर्तित रहता है।
३. यह प्रतियोगिता से प्रभावित होता है।	३. यह रीति-रिवाज व किसान और जमींदारों के आपसी समझौते से प्रभावित होता है।
४. यह उचित लगान है जो आर्थिक शक्तियों के उचित काम करने से निर्धारित होता है।	४. यदि यह आर्थिक लगान से अधिक या कम हो जाय, तो यह अनुचित होता है।
५. यह एक सैद्धांतिक कल्पना है और अप्रत्यक्ष आदर्श है।	५. यह एक व्यवहारिक तथ्य है और प्रत्यक्ष यथार्थ है।

प्रश्न १४७—“अनाज का मूल्य इसीलिये अधिक नहीं होता क्योंकि लगान अधिक है, बल्कि इसलिये अधिक है क्योंकि अनाज का मूल्य अधिक है।” रिकार्डों के इस कथन को स्पष्ट कीजिये।

या

लगान और मूल्य के पारस्परिक सम्बन्ध को समझाइये।

(“Corn is high not because rent is high but the rent is high because corn is high”—Explain this statement of Ricardo.)

Or

(Explain the relationship between Rent and Price.)

उत्तर:—

रिकार्डों के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान अधिसीमात व सीमात भूमि

की उपज का अन्तर है। सीमांत भूमि वह भूमि होती है जिसका उत्पादन व्यय वही होता है जो कि बाजार में इस क्षेत्र पर उत्पन्न की गई फसल की बेचकर प्राप्त होगा। इससे पूर्व के खेतों पर हमको उत्पादन व्यय से अधिक रकम प्राप्त होती है इस अधिक रकम को ही लगान कहने हैं।

रिकार्डों ने अपने मूल्य सिद्धान्त (Theory of Value) में इस बात को बतलाया है कि मूल्य उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होता है (Value is determined by the cost of Production) अतः सीमांत भूमि की लागत ही बाजार में मूल्य को प्रभावित करेगी। यदि सीमांत भूमि पर ४०० रु० की लागत में ४० मन गेहूँ उत्पन्न होता है तो बाजार में गेहूँ के दाम १० रु० प्रति मन अवश्य होने चाहिये। सीमांत भूमि देलगान भूमि (No rent land) होती है। अतः लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता। क्योंकि यह उत्पादन व्यय में शामिल नहीं होता।

इसके विपरीत मूल्य लगान को प्रभावित करते हैं। लागत मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। हम अभी देख चुके हैं कि बाजार में गेहूँ का वही दाम होना चाहिये जो कि सीमांत भूमि पर इसकी लागत है परन्तु यदि गेहूँ के मदा हो जाने के कारण कृषक को अपनी उपज का उतना धन नहीं मिलता जितना उस पर व्यय होता है तो वह उस पर खेती करना छोड़ देगा और कोई अधि-सीमांत भूमि सीमांत भूमि हो जायेगी। प्रश्न १४३ के उदाहरण के अनुसार यदि गेहूँ के दाम ६ रु० १० आ० ८ पा० प्रति मन हो जायें तो केवल 'न' श्रेणी की भूमि से आगे खेती नहीं की जायगी क्योंकि इसकी उपज की बाजार में कीमत (६० × ६३) इसके उत्पादन व्यय (४०० रु०) के बराबर है। मूल्यों के गिरने के फलस्वरूप दो प्रभाव हुए —


(i) 'स' भूमि पर लगान समाप्त हो गया।

(ii) 'अ' व 'ब' भूमियों पर लगान पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब इन पर क्रमशः $(४० \times ६३) = २६७२०$ रु० व $(२० \times ६३) = १२६०$ रु० लगान होगा जबकि मूल्य कम होने से पहले इन पर $(६० \times १०) = ६००$ रुपये व $(४० \times १०) = ४००$ रु० लगान था।

इसी प्रकार मान लीजिये कि बाजार में गेहूँ का दाम बढ़ जाता है तो अब पांचवी श्रेणी की भूमियों पर खेती करना लाभदायक हो जायगा और जो भूमि अब तक सीमांत भूमि थी अधिसीमांत हो जायगी और लगान देने लगेगी और अधिसीमांत भूमियाँ पहले की अपेक्षा अधिक लगान देने लगेगी।

अत स्पष्ट है कि लगान मूल्य की निर्धारित नहीं करता बल्कि स्वयं मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में अनाज के दाम लगान द्वारा निर्धारित नहीं होते बल्कि अनाज के दाम लगान को निर्धारित करते हैं। यदि अनाज के दाम बढ़ जायें तो लगान भी बढ़ जाता है और यदि घट जायें तो लगान भी घट जाता है।

उपरोक्त मन के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जबकि लगान वस्तुओं के मूल्य में शामिल हो जाता है। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में किसानों के पास खेती की छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करने की नहीं है। अतः उनमें भूमि के लिये कड़ी स्पर्धा होती है और जमींदार सीमांत भूमियाँ पर भी लगान वसूल कर लेते हैं। इस लगान को वे वस्तुओं की उत्पादन लागत में सम्मिलित करके ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। इसके प्रतिरिक्त यदि भूमि पर किसी सभ्य या कुछ भूस्वामियों का अधिकार हो तो वे किसानों को बहुत अधिक लगान देने को बाध्य कर सकते हैं। जब सीमांत भूमि भी इस प्रकार लगान देने लगती है तो वस्तु के मूल्य भी प्रभावित हो जाते हैं।



प्रश्न १४८—क्या आर्थिक लगान उत्पन्न होगा यदि—

- (अ) खेती पर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं हो।
- (आ) यदि भू स्वामी स्वयं भूमि पर खेती करे।
- (इ) यदि अच्छी भूमि के टुकड़े सीमित हो तथा
- (ई) यदि भूमि का लगान माफ कर दिया जाये।

उत्तर —

रिकार्डों के आर्थिक लगान की व्याख्या से स्पष्ट है कि—

- (१) लगान भूमि की उत्पत्ति का एक भाग है
- (२) लगान भूमिपतियों को दिया जाता है तथा
- (३) लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदल में दिया जाता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अब हम प्रत्येक के विषय में विचार करेंगे।

(अ) यदि खेती पर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं हो - यदि खेती में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता है तब लगान भी उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि उपज का मूल्य लागत द्वारा निर्धारित होता

है इस कारण से उत्पत्ति के बढ़ने के साथ मूल्य में भी उसी अनुपात में कमी हो जायेगी जिससे लगान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(आ) यदि भू-स्वामी स्वयं भूमि पर खेती करे :—यदि भू-स्वामी स्वयं भूमि पर खेती करता तो भी आर्थिक लगान पैदा होता है । परन्तु इस दशा में यह मान लिया जाता है कि सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों में प्राप्त बचत भूस्वामी अपने आप ही को दे देता है । इस प्रकार यहाँ 'आर्थिक लगान' का विचार अप्रत्यक्ष रूप से सामने आता है ।

(इ) यदि अच्छी भूमि के टुकड़े सीमित हों .—यदि अच्छी भूमि के टुकड़े सीमित हो तो भी 'आर्थिक लगान' उत्पन्न होगा क्योंकि इस दशा में उपज की माँग बढ़ने पर तमाम भूमि पर श्रम और पूँजी की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग होने लगेगा और ह्यम नियम के लागू होने के कारण अधिसीमांत श्रम और पूँजी की इकाइयों तथा सीमांत श्रम और पूँजी की इकाई के उत्पादन के अन्तर के समान लगान उत्पन्न होगा ।

(ई) यदि भूमि का लगान माफ कर दिया जावे — यदि भूमि का लगान माफ कर दिया जाये तो भी लगान उत्पन्न होगा । लेकिन इस दशा में यह मान लिया जायेगा कि लगान भूस्वामी को न देकर किसान स्वयं अपने पाम रख लेता है ।

अध्याय ६४

भूमि अधिकार प्रणाली व जमींदारी उन्मूलन

प्रश्न १४६—भूमि अधिकार प्रणाली (Land Tenure system) से आप क्या समझते हैं ? भारत में भूमि अधिकार की कौन-कौन सी प्रमुख प्रणालियाँ हैं ?

(What is meant by 'Land Tenure system' ? What are the main types of land tenure systems prevalent in India ?)

उत्तर :—

भूमि अधिकारी प्रणाली से तात्पर्य उन दशाओं तथा शर्तों से है जिनके अनुसार खेती करने वाले काश्तकार जोतने-बोने के लिये भूमि प्राप्त करते हैं । इससे हमको बोध होता है कि भूमि में किसका स्वामित्व है, कृपक भूमि को

किन किन शर्तों पर प्राप्त करता है, भूमि की उत्पत्ति का बटवारा किन किन सिद्धांतों के आधार पर होता है और राज्य का भूमि से सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यक्तियों से क्या और कैसा सम्बन्ध है।

एक आदर्श भू अधिकार प्रणाली के तीन गुण होते हैं —

(i) स्वत्व की सुरक्षा (Fixity of Tenure) :—जिस भूमि की कृषि जोत बो रहा है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिये, उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि उस भूमि से उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा अगर ऐसा विश्वास नहीं होगा तो किसान कभी भी भूमि को अच्छी प्रकार से जोत बोयेगा नहीं। फलतः कृषि उपज कम होनी है।

(ii) उचित लगान (Fair Rent) —यह भी आवश्यक है कि काश्तकार से उचित लगान लिया जाय। यदि काश्तकार से लगान अधिक लिया जायेगा तो उसके पास कम धन शेष रहेगा फलस्वरूप न तो वह अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेगा और न खेती का विकास ही कर सकेगा।

(iii) हस्तांतरण की स्वतन्त्रता (Freedom of Transfer) — यदि काश्तकार को यह स्वतन्त्रता होगी तो वह आवश्यकता के समय अपनी भूमि को बंधक रख कर ऋण प्राप्त कर सकेगा। इस ऋण के द्वारा वह भूमि पर हर प्रकार की उन्नति कर सकता है। यदि कृषक को यह अधिकार नहीं होगा तो उसकी साख (Credit) कम हो जायगी।

भारत में भू अधिकार प्रणालियाँ (Land Tenure systems in India) :—

भारत में निम्न तीन प्रकार की भू अधिकार प्रणालियाँ पाई जाती हैं।

(१) रयतवारी प्रणाली (Ryotwari system) — इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषक का सरकार से सीधा सम्बन्ध होता है, वह स्वयं अपनी मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा करता है इनके और सरकार के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता। मालगुजारी भूमि को प्रत्येक टुकड़े पर पूरी नाप तौल के पश्चात् निश्चित की जाती है।

(२) महालवारी प्रणाली (Mahalwari system) — इसके अन्तर्गत मालगुजारी निश्चित करने के लिये बंदोबस्त की इकाई एक महाल होती है। मालगुजारी का उत्तरदायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर नहीं बल्कि ग्राम समाज के सभी व्यक्तियों पर सामूहिक ढंग से होता है, परन्तु प्रत्येक गांव का

लम्बरदार समस्त कृषको से मालगुजारी वसूल करके, सरकारी खजाने में जमा कर देता है। लम्बरदार की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है। यह प्रथा जमींदारी प्रथा के समान ही है अन्तर केवल इतना है कि जमींदारी प्रदेशों में केवल एक आदमी सरकारी मालगुजारी देने का जिम्मेवार होता है परन्तु महावारी प्रथा में कई व्यक्तियों के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है।

(३) जमींदारी प्रथा :—इस प्रथा के अन्तर्गत मालगुजारी पूरी जाय-दाद पर निश्चित की जाती है। किसान और सरकार के बीच में एक मध्यस्थ होता है जिसको जमींदारी कहते हैं। यह जमींदार जमीन का मालिक होता है। वह स्वयं खेती नहीं करता बल्कि अपनी भूमि को किसानों को उठा देता है। ये किसान जमींदार को लगान देते हैं। लगान वसूल करके जमींदार सरकारी खजाने में उनका कुछ भाग मालगुजारी के रूप में जमा करता है। लगान न मिलने पर, जमींदार कार्तकार को भूमि से बेदखल कर सकता है। मालगुजारी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से तय की जाती है।



प्रश्न १५०—उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भू-अधिकार प्रणाली का क्या रूप हुआ? या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

(What is the form of Land tenure system after the abolition of the Zamindari system in Uttar Pradesh? OR. Give the salient features of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act.)

उत्तर—

उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम (U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act), 1950 के अनुसार १ जूलाई १९५२ से उत्तर प्रदेश में प्राचीन महालवारी तथा जमींदारी प्रथा एक असाधारण गजट समाप्त घोषित कर दी गई। इस एक्ट के दो भाग हैं। प्रथम में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने व उनको क्षतिपूर्ति व पुनर्वास प्रदान करने आदि का वर्णन है। द्वितीय भाग में भू-अधिकार की नई पद्धतियों का वर्णन है।

इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश के कृषको को चार भागों में बाटा गया है :—

- (१) भूमिधर (Bhoomidar)
- (२) सीरदार (Sirdar)
- (३) आसामी (Assami)
- (४) आदिवासी (Adivasi)

प्रथम दो प्रकार के काश्तकार बड़े २ काश्तकार और बाद के दो काश्तकार छोटे २ काश्तकार हैं :

(१) भूमिधर —वे किसान हैं जिनको भूमि पर स्थायी, पीढी दर पीढी चलने वाले हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त हैं। वे अपनी जमीन को बच सकते हैं। उस पर मकान बना सकते हैं, बाग लगा सकते हैं आदि। वे भूमि को किसी भी प्रयोग में ला सकते हैं। जमींदारों के पास जो सीर, खुदाशत और वाग थे, वे उनके भूमिधर बन गये। जिन किसानों ने अपने लगान का दस गुना सरकारी खजाने में जमा कर दिया, उनको भी भूमिधर के अधिकार मिल गये। इसके अतिरिक्त कानून ने इन बातों की भी व्यवस्था है कि कोई भी सीरदार अपने लगान का दस गुना (१० गुना) सरकारी खजाने में जमा कर देता है तो उसे भूमिधर के अधिकार दे दिये जायेंगे परन्तु आदिवासी को भूमिधर के अधिकार तभी प्राप्त होंगे जबकि वह पाँच वर्ष के भीतर लगान का पन्द्रह गुना अदा कर देंगे।

(२) सीरदार —इनको अपनी भूमि पर स्थायी पीढी दर पीढी चलने वाले अधिकार प्राप्त हैं परन्तु वे अपनी जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ये किसान अपनी इच्छानुसार भूमि का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भूमि को केवल खेती, बागवानी व पशुपालन के लिये ही प्रयोग कर सकते हैं।

(३) आसामी —जो व्यक्ति पहले बाग का शिकमी काश्तकार या पशु-चर, सिंघाडा या अन्य ऐसी ही भूमि का काश्तकार था वह आसामी के नाम से पुकारा जाने लगा। आसामी को अपनी भूमि पर स्थायी दर पीढी दर पीढी चलने वाले अधिकार प्राप्त होते हैं। वे किसान जिनको भूमिधर या सीरदार किसानों ने अपनी भूमि लगान पर उठादी है, अथवा जो किसी रहन भूमि पर खेती करते हो, आसामी कहे जाते हैं।

(४) आदिवासी —जो किसान इस एक्ट के लागू होने से पहले शिकमी काश्तकार थे, वे अब आदिवासी कहलाते हैं। इनको अधिकार है कि ये पाँच वर्ष के भीतर लगान का १५ गुना जमा करके भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लें वरना उनकी भूमि वापिस ले ली जावेगी।

यू० पी० जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य

यह है कि भूमि उसी के अधिकार में रहे जो उसे जोतना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक लगान पर नहीं उठा सकता परन्तु भूमिधर अथवा सीरदार निम्न परिस्थितियों में अपनी भूमि को लगान पर उठा सकता है :—

- (१) अविवाहित लड़की या विधवा औरत है
- (२) नाबालिग है
- (३) पागल है
- (४) अघा या अपाहिज है
- (५) २५ वर्ष की आयु से कम है और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है
- (६) फौज में नौकर है
- (७) जेल में बंदी है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त यदि कोई भूमिधर अथवा सीरदार अपनी भूमि किसी दूसरे को देता है तो उसके समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

यद्यपि भूमिधर को अपनी भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार है परन्तु वह अपनी भूमि को ऐसे आदमी को बेचे, दान अथवा वसीयत न कर सकेगा जिसके पास पहिले ही ३० एकड़ भूमि है अथवा यह जमीन पाकर ३० एकड़ से अधिक हो जावेगी। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है जिससे किसी किसान के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि न हो जावे। इसी प्रकार ६ $\frac{1}{2}$ एकड़ से कम भूमि न होने देने के लिये अधिनियम की यह व्यवस्था है कि यदि भूमि के बटवारे के कारण भूमि का क्षेत्रफल ६ $\frac{1}{2}$ एकड़ से कम होता है तो अदालत उसका बटवारा नहीं करेगी बल्कि उस भूमि को बेच कर, प्राप्त धन का बटवारा किया जायेगा।

खेत तथा बाग की भूमि को छोड़कर, अन्य भूमि, बाग तथा खेतों के पेड़ छोड़कर, अन्य पेड़, कुएँ, मछली पकड़ने के स्थान, हाट-बाजार आदि के स्थानों पर ग्राम सभा का अधिकार रहेगा। भूमिधर और सीरदार को मालगुजारी तो सरकार निश्चित करती है परन्तु आसामी को वही लगान देना पड़ता जो उसके और भूमि स्वामी के बीच अथवा ग्राम-सभा के बीच तय होता है और यदि वह निश्चित दिन से तीन महीने के अन्दर लगान नहीं चुकाता तो उसे बेदखल किया जा सकता है।

सहकारी कृषि :—

अधिनियम के द्वारा सहकारी कृषि के प्रचार की व्यवस्था भी की गई है

सहकारी फार्म दो प्रकार से कायम किये जावेंगे (१) जब १० या १० से अधिक व्यक्ति जिनकी सम्मिलित भूमि ३० एकड़ या इससे अधिक हो, मिलकर कृषि करने की इच्छा प्रकट करें तो राज्य उनको अनेको सुविधायें प्रदान करेगा। (२) जब छोटे २ कम से कम २/३ किसान जो कर्म से कम कुल भूमि के २/३ के मालिक हैं, कलक्टर के यहां मिलकर कृषि करने का आवेदन पत्र दे तो बचे हुये १/३ किसानों को इसके लिये राजी होना पड़ेगा और सहकारी फार्म बना दिया जावेगा।

यू० पी० जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम की यही प्रमुख विशेषतायें हैं।

अध्याय ६५

मजदूरी

प्रश्न १५१—मजदूरी की परिभाषा कीजियेगा। नक़द और असली मजदूरी में अन्तर स्पष्ट कीजिये। असली मजदूरी पर किन २ तथ्यों का प्रभाव पड़ता है ?

(Define wages Distinguish between money and Real Wages. Enumerate the factors that affect the real wages of a worker ?)

उत्तर—

मजदूरी की परिभाषा :—साधारण बोलचाल में मजदूरी का अर्थ श्रमिक के श्रम के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं। इसी मत का समर्थन करते हुए प्रो० जीड ने कहा है कि "मजदूर को अपने श्रम के बदले में जो कुछ भी पुरस्कार मिलता है, वह मजदूरी कहलाती है।" उदाहरण के लिए जब स्वामी किसी श्रमिक को अपने यहां उत्पादन कार्य के लिए रखता है और बदले में उसे कुछ पुरस्कार देता है उसी को हम अर्थ-शास्त्र में उस श्रमिक की मजदूरी कहते हैं। प्रो० बंनहम ने मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि "मजदूरी वह श्रुदा के रूप में भुगतान है जिसको समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है।"

जब श्रमिक को अपने श्रम का प्रतिफल रोजाना प्राप्त हो जाता है तब इसे मजदूरी कहते हैं और यदि यही प्रतिफल मासिक या वार्षिक समय के आधार पर मिलता है तो उसे 'वेतन' कहते हैं ।

नकद मजदूरी (Money Wages) :—

वह द्रव्य जो किसी मजदूर को उसके परिश्रम के बदले में दिया जाता है, नकद या द्राव्यिक मजदूरी (Money or Nominal Wages) कहलाता है । यदि रामप्रसाद को पन्नी जी शुभर मिल, बुलन्दशहर में काम करने के १००) रु० प्रति मास मिलते हैं तो उसकी नकद मजदूरी १००) रु० कहलायेगी । आजकल मजदूरों को उनके श्रम का प्रतिफल द्रव्य में ही दिया जाता है । वैसे सामान अथवा वस्तुओं के रूप में मजदूरी देना भी कुछ सीमा तक प्रचलित है । भारतीय गाँवों में काम करने वालों को बदले में किसान अन्न दे दिया करते हैं ।

असल अथवा वास्तविक मजदूरी (Real Wages) :—

श्रमिक को द्रव्य का कोई विशेष महत्व नहीं होता उसके लिये असली महत्व आवश्यकता, आराम और विलासिता के उन पदार्थों का होता है जो कि वह नकद मजदूरी के द्वारा खरीद सकता है । इसके अतिरिक्त मजदूर व्ययमाय विशेष की सुविधाओं तथा रियायतों को भी महत्व देता है जो उसकी मजदूरी के अलावा प्राप्त होती हैं । नकद मजदूरी के द्वारा खरीदी जा सकने वाली आवश्यकता, आराम तथा विलासिता की वस्तुओं तथा मजदूर को मिलने वाली अन्य रियायतें, सुविधायें और लाभ व उन्नति के अवसरों का सामूहिक योग, असली या वास्तविक मजदूरी कहलाता है । कपडा मिल में काम करने वाले मजदूर को नकद मजदूरी के अतिरिक्त सस्ते दर पर कपडा मिलता है, रहने को मकान, मुफ्त पानी व विजली की सुविधायें भी दी जाती हैं । अतः ये सब सुविधायें व लाभ और नकद मजदूरी के बदले में खरीदी जा सकने वाली आवश्यकता आराम तथा विलासिता की वस्तुयें उसकी असल मजदूरी कही जायेंगी ।

मजदूर नकद मजदूरी की इतनी परवाह नहीं करता जितनी कि वह असल मजदूरी की क्योंकि उसका रहन-सहन का स्तर उसकी निपुणता उसकी असल मजदूरी पर निर्भर करते हैं ।

असल मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व :—

वास्तविक अथवा असल मजदूरी निम्न तथ्यों से प्रभावित होती है :—

(१) द्रव्य की क्रय-शक्ति (Purchasing Powers of Money) —

असल मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व —

- १ द्रव्य की क्रय शक्ति ।
- २ सहायक आय ।
३. अन्य सुविधाएँ ।
- ४ आश्रितों को काम ।
- ५ कार्य का स्वभाव ।
६. काम करने का समय ।
- ७ व्यापारिक व्यय ।
- ८ उन्नति की आशा ।
- ९ कार्य सीखने का समय ।
- १० कार्य का स्थायी या अस्थायी होना ।
- ११ सामाजिक प्रतिष्ठा ।

जिस स्थान पर मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है वहाँ द्रव्य के बढ़ने अधिक वस्तुयें व सेवायें खरीदी जा सकती हैं अतः उम स्थान की अपेक्षा जहाँ द्रव्य की क्रय-शक्ति कम है, अधिक क्रय शक्ति वाले स्थान पर, असल मजदूरी ज्यादा होगी। यही कारण है कि एक मजदूर को जो (१००) ६० महीने की नोकरी खुरजा में करता है एक दूसरे मजदूर की अपेक्षा जो (१००) ६० महीने की नोकरी बम्बई में करता है, असल मजदूरी ज्यादा है क्योंकि बम्बई में खुरजा की अपेक्षा चीजें बड़ी महंगी हैं। द्रव्य की क्रय शक्ति बम्बई की अपेक्षा खुरजा में ज्यादा है।

(२) सहायक आय (Supplementary Earnings) — जिन

व्यवसायों में मजदूर को कार्य करने के अतिरिक्त और अन्य किसी तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की सुविधा है, उन व्यवसायों में मजदूर की असल मजदूरी अधिक होगी जैसे बैंक का बलक वीम आदि का काम कर सकता है, एक अध्यापक पुस्तकें लिख सकता है ट्यूशन कर सकता है आदि।

(३) अन्य सुविधाएँ (Other Advantages) नकद मजदूरी के अतिरिक्त मजदूर को व्यवसाय की ओर से बहुत सी रियायतें व सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे रेलवे अपने कर्मचारियों को निःशुल्क भ्रमण, आने जाने के लिये फ्री पास आदि देती है, कारखानेदार अपने मजदूरों के लिये सस्ती वस्तुयें, मुफ्त रोशनी व पानी की सुविधाय, बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा व मजदूरों के लिये अस्पताल का प्रबन्ध कर देते हैं। जिन व्यवसायों में ये अन्य लाभ अधिक होते हैं वहाँ असल मजदूरी अधिक होती है।

(४) आश्रितों को काम (Work for the Dependents) :— जिन स्थानों पर मजदूरों की स्त्रियाँ तथा बच्चे व अन्य पारिवारिक सदस्य काम पर लग सकते हैं, वहाँ असल मजदूरी अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर अधिक

स्वयं भी कम नकद मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जायगा। यही कारण है कि खानों में काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा, बानपुर की मिलों में काम करने वाले मजदूरों की असल मजदूरी ज्यादा होती है क्योंकि खानों के मजदूर अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को काम नहीं दिला सकते।

(५) कार्य का स्वभाव (Nature of the Work) — कुछ कार्य जो बड़े जोखिम पूर्ण होते हैं जैसे वायुयान चलाना, सैनिक का कार्य आदि, कुछ काम बड़े थकाने वाले व बड़े कठिन होते हैं, जैसे लोहार का काम और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां श्रमिक का जीवन काल छोटा होता जाता है जैसे तेजाब बनाने का कार्य। इसके विपरीत कुछ कार्य बड़े सरल, जोखिम रहित और रुचिकर होते हैं जैसे डाक्टर, वकील, प्राफेसर आदि का कार्य। प्रथम प्रकार के व्यवसायों में असल मजदूरी कम होती है और वहां मनुष्य तभी काम करना पसन्द करते हैं जब वहां उनको नकद मजदूरी अधिक मिले।

(६) काम करने का समय (Period of Work) — जिन व्यवसायों में अधिक समय काम करना पड़ता है वहां उन व्यवसायों की अपेक्षा जहां कम समय काम करना पड़ता है, वास्तविक मजदूरी कम होती है। एक यूनीवर्सिटी का प्रोफेसर प्रतिदिन दो-तीन घंटे पढ़ाता है और वर्ष में कई माह की छुट्टियां प्राप्त करता है, उसकी वास्तविक मजदूरी उस बैंक मैनेजर से अधिक है जो समान आय पाता है किन्तु प्रतिदिन ८ घंटे काम करता है और कुछ थोड़ी सी ही छुट्टियां प्राप्त करता है।

(७) व्यापारिक व्यय (Trade Expenses) — कुछ व्यवसायों में योग्यतापूर्वक काम करते रहने के लिये, मनुष्य को कुछ व्यय करना पड़ता है जैसे कालिज के प्रोफेसर को कित्ताया व पत्रिकाओं के सारीखने पर व्यय करना पड़ता है, एक वकील को कित्ताया व पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिरिक्त एक मुन्गी भी रखना पड़ता है। इन व्यवसायों में असल मजदूरी कम होती है। जिन व्यवसायों में ऐसा व्यय नहीं करना पड़ता है वहां असल मजदूरी अधिक होती है।

(८) उन्नति की आशा (Hope of Progress) :—जिन व्यवसायों में उन्नति की सम्भावना होती है उसकी असल मजदूरी अधिक होती है। श्रम मजदूर उन व्यवसायों में अधिक काम करना पसन्द करेगा जहां उन्नति की आशा है चाहे उसमें प्रारम्भिक नकद मजदूर भले ही कम क्यों न हो।

(९) काम सीखने का समय व व्यय (Period and Expenditure of training) — कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें थोड़े ही समय व

लागत से काम सीखा जा सकता है जैसे टाइप करना, मोटर चलाना। किन्तु कुछ पेशों को सीखने के लिये काफी समय व धन व्यय करना पड़ता है जैसे डाक्टरों, इंजीनियरों व प्रोफेसरों का काम। द्वितीय प्रकार के व्यवसायों में जिनमें काम सीखने के लिये काफी समय व धन चाहिये, उनमें बहुत ऊँची नकद मजदूरी पर भी असल मजदूरी कम होती है।

(१०) काम का स्थायी या अस्थायी होना (Permanent or Temporary Work) — जिन व्यवसायों में मजदूर को स्थायी कार्य मिल जाता है, उनमें असल मजदूरी अधिक होती है। अस्थायी कार्य के लिये मजदूर ऊँची द्राव्यिक आय मांगते हैं क्योंकि इनकी असल मजदूरी कम होती है। यही कारण है कि १००) १० मासिक अस्थाई काम की अपेक्षा मजदूर लोग ७०) १० मासिक स्थाई काम अधिक पसन्द करते हैं। यही कारण है कि विवाह के अवसर पर बाजे वाले थोड़ी ही देर के काम के लिये सैकड़ों रुपये ले लेते हैं।

(११) सामाजिक प्रतिष्ठा (Social Status) — जिस काम को करने में सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान व आदर अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है, उसमें असल मजदूरी भी अधिक मानी जाती है। ऐसी कार्यों के लिये मजदूर थोड़ी मजदूरी भी स्वीकार कर लेता है।

प्रश्न १५२—मजदूरी किसे कहते हैं? मजदूरी किस प्रकार निर्धारित की जाती है?

(Define Wages? How are Wages determined?)

उत्तर —

मजदूरी का अर्थ—

राष्ट्रीय आय का वह भाग जो उत्पत्ति के साधन के रूप में श्रम को प्राप्त होता है, मजदूरी कहलाता है। या दूसरे शब्दों में जो पुरस्कार उत्पादन कार्य में लगे हुये मजदूर को अपने श्रम व सेवाओं के लिये दिया जाता है मजदूरी कहलाता है। मजदूरी एक प्रकार का मूल्य है जो उत्पादनकर्ता द्वारा मजदूर के श्रम को खरीदने के लिये दिया जाता है।

व्यवहारिक जगत में मजदूरी को विभिन्न नामों जैसे मजदूरी (Wages) तनखाह (Pay) वेतन (Salary) कमीशन (Commission) फीस (Fees) आदि से पुकारा जाता है। सिद्धांत- इनमें कोई अन्तर नहीं है। ये सब मजदूरी

के ही विभिन्न स्वरूप हैं क्योंकि ये सब ही धर्म के पुरस्कार हैं। उपरोक्त नामों का अन्तर मजदूरी को देने के समय मानसिक व शारीरिक धर्म के पारितोषिक के आधार पर किया गया है।

मजदूरी का निर्धारण (Determination of Wages) —

समय २ पर मजदूरी के निर्धारण हेतु अर्थशास्त्रियों ने अनेकों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आधुनिक दृष्टिकोण में वे सभी एकांगी व अपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं। मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत 'माँग व पूर्ति सिद्धांत' है। आधुनिक अर्थशास्त्री धर्म को एक वस्तु मानते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति के नियम के अनुसार तय होता है, उसी प्रकार धर्म का प्रतिफल अर्थात् मजदूरी भी इसी नियम के अनुसार तय होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य इसकी उन दो सीमाओं के बीच में तय होता है जो इसकी सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility) और सीमांत लागत (Marginal Cost) से निर्धारित होती है उसी प्रकार धर्म की मजदूरी उन दो सीमाओं के बीच में तय होती है जो धर्म की सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) और धर्म के जीवन स्तर (Standard of living) से निर्धारित होती है। सीमांत उत्पादकता मजदूरी की उच्चतम सीमा है और जीवन स्तर की लागत इसकी निम्नतम सीमा है।

धर्म की माँग :—मजदूरी की माँग उत्पादनकर्ताओं द्वारा की जाती है क्योंकि वस्तु उत्पादन के लिये धर्म आवश्यक है। वह धर्मिकों को केवल उतनी ही मजदूरी दे सकता है जितनी कि उसकी उत्पादकता है अर्थात् उसका उत्पादन में योग है। इससे अधिक मजदूरी कभी भी नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करने में उसको हानि होगी। सब धर्मिकों की उत्पत्ति समान नहीं होती और जैसे २ धर्मिकों की अधिकाधिक इकाईयों का उपयोग बढ़ता जाता है, अंतिम धर्मिक की उत्पत्ति कम होती जाती है। मिल मालिक धर्मिकों की संख्या को तब तक बढ़ाता जाता है जब तक कि सीमांत धर्मिक की उत्पादकता प्रचलित मजदूरी के बराबर न हो जाय। इसके बाद कोई धर्मिक काम पर नहीं रखा जाता। अगर वह फिर भी एक और मजदूर को रखता है तो उसकी उत्पत्ति पूर्व की अपेक्षा कम होगी और उसको हानि होगी। क्योंकि सब धर्मिक समान होते हैं इसलिये प्रत्येक धर्मिक को सीमांत या अन्तिम धर्मिक की उत्पादकता के बराबर ही मजदूरी मिलेगी। अतः धर्मिक की सीमांत उत्पादकता द्वारा धर्म की मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है।

श्रम की पूर्ति — श्रमिक की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। श्रमिकों को भी अपने श्रम को बनाये रखने के लिये कुछ व्यय करना पड़ता है। श्रमिक के ऊपर उसकी और उसके परिवार के भरण पोषण का भार होता है। अतः वह कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य लेना चाहेगा जिससे कि अपने परिवार का वह अपना भरण पोषण कर सके। दूसरे शब्दों में वह कम से कम इतनी मजदूरी चाहेगा जिससे उसका जीवन स्तर बना रह सके। मजदूरों में जिस मजदूर का भरण पोषण का व्यय सबसे अधिक होता है वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक के पोषण व्यय से मजदूरी की न्यूनतम सीमा निर्धारित होती है। इससे कम मजदूरी कोई भी श्रमिक स्वीकार नहीं करेगा।

श्रमिक की मजदूरी उपरोक्त अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं के बीच दोनों पक्षों की सापेक्षिक शक्तियों के सतुलन से निर्धारित होगी। यह दोनों पक्षों की पारस्परिक मोल भाव करने की शक्ति पर निर्भर करता है कि क्या मजदूरी न्यूनतम सीमा के निकट होगी या अधिकतम सीमा के निकट? यदि उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति सबल है तो वह कम मजदूरी देने में सफल हो जायेंगे और मजदूरी कहीं न्यूनतम सीमा के निकट होगी। और यदि मजदूरों में सौदा करने की शक्ति अधिक है तो मजदूरी की प्रवृत्ति उच्चतम सीमा के निकट होने की होगी। परन्तु हम देख चुके हैं कि श्रमिकों की मोल-भाव करने की शक्ति उत्पादनकर्ताओं की अपेक्षा बहुत ही कम होती है अतः अधिकांश मजदूरी न्यूनतम सीमा के निकट ही बही तय हो जाती है।

प्रश्न १५३—“अधिक मजदूरी कम मजदूरी होती है और कम मजदूरी अधिक मजदूरी होती है” इन विरोधी बातों का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

(“High wages are low wages and low wages are high wages” Explain clearly the meaning of these two opposite views)

उत्तर —

यह कथन कि ‘अधिक मजदूरी कम मजदूरी होती है और कम मजदूरी अधिक मजदूरी होती है’ बड़ा ही आश्चर्य जनक प्रतीत होता है। परन्तु वास्तव में यह पूर्ण रूपेण सही है। इस कथन के अर्थ को समझने से पूर्व यह जान लेना चाहिये कि श्रमिक की मजदूरी, उसके रहन सहन के स्तर

व उसकी कार्य क्षमता में बड़ा गहरा सम्बन्ध है। जब किसी व्यवसाय में मजदूरों को अधिक मजदूरी दी जाती है तो वे अपनी आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने लगते हैं। उन्हें खाने—पीने, पहिनने, रहने तथा स्वास्थ्य व शिक्षा के अच्छे माधन प्राप्त होने लगते हैं। श्रमिकों का जीवन-स्तर बढ़ जाता है और उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास होता है। मजदूर अधिक प्रसन्न व सतुष्ट रहते हैं। कार्य-क्षमता में वृद्धि ही जाने के कारण मजदूरों की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। जिन व्यवसायों में अधिक मजदूरी दी जाती है वहाँ उत्पत्ति में मजदूरी की अपेक्षा अधिक वृद्धि ही जाती है। अतः महंगी मजदूरी अन्त में सस्ती मजदूरी सिद्ध होती है।

इसके विपरीत जिन व्यवसायों में श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है उनमें श्रमिक असतुष्ट रहते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को ठीक प्रकार सतुष्ट नहीं कर पाते, उनका खान-पान, पहिनाव और शिक्षा दीक्षा सभी पहले की अपेक्षा गिर जाते हैं। उनकी शारीरिक व मानसिक कार्य-शक्ति का ह्रास हो जाता है। फलतः उनकी कार्यक्षमता गिर जाने के कारण, मजदूरों का उत्पादन गिर जाता है। यह देखा गया है कि जिन व्यवसायों में मजदूरी में जितनी कमी की जाती है उनमें उत्पत्ति मजदूरी की अपेक्षा अधिक कम हो जाती है। अतः सस्ती मजदूरी महंगी पड़ती है।

उपरोक्त से यह सिद्ध है कि यदि किसी मजदूर को कम मजदूरी दी जाय तो उसका उत्पादन गिर जाता है और अन्त में वह महंगा मजदूर साबित होता है और यदि मजदूरी बढ़ा दी जाय तो वह अधिक उत्पादन करके सस्ता मजदूर साबित होता है। इसी कथन के आधार पर आधुनिक युग में प्रगतिशील व्यवस्थापक अपने मजदूरों को काफी वेतन देते हैं। यह बात सही है कि उत्पादन में वृद्धि शीघ्र (Immediate) ही नहीं होती क्योंकि जीवन स्तर के बढ़ने और कार्य-शक्ति में विकास के समय लगता है किन्तु अन्ततः मजदूरों में वृद्धि होता है और ह्रास का प्रभाव उत्पादन में कम ही होता है। इसीलिये कहा जाता है कि 'अधिक मजदूरी कम मजदूरी होती है और कम मजदूरी अधिक मजदूरी होती है।'

प्रश्न १५४—विविध व्यवसायों में मजदूरों की भिन्नता के क्या कारण हैं। स्पष्ट रूप से समझाइये।

(Explain clearly the causes of the Variation of wages in different occupations.)

उत्तर—

व्यवहार में हम देखते हैं कि विभिन्न व्यवसायो में विभिन्न मजदूरी दी जाती है, इस प्रकार की मजदूरी में विभिन्नता के मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं—

(१) कार्य का स्थायी होना—जिस व्यवसाय में कार्य वर्ष भर

मजदूरी की विभिन्नता के कारण—

१. कार्य का स्थायी होना ।
२. कार्य सीखने का व्यय ।
३. कुशलता, योग्यता एवं गतिशीलता ।
४. व्यवसाय में सफलता की आशा ।
५. कार्य का स्वभाव ।
६. कार्य का उत्तरदायित्व ।
७. अन्य लाभ की प्राप्ति ।

चलता रहता है वहाँ उन व्यवसायो की तुलना में जहाँ कार्य रक र कर चलता है मजदूरी कम होती है क्योंकि अस्थायी व्यवसाय में लगे व्यक्ति बेकार समय में अपना पालनपोषण इस अधिक मजदूरी से कर सकते हैं । यही कारण है कि कपड़े के कारखानों के श्रमिकों को चीनी के कारखानों के श्रमिकों से कम मजदूरी मिलती है ।

(२) कार्य सीखने का व्यय—

जिस कार्य में साधारण या शिल्प शिक्षा प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहाँ मजदूरी उन श्रमिकों की

तुलना में जो शिक्षित नहीं हैं अधिक होती है, यदि ऐसा न हो तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं करेगा ; इसलिये कुशल श्रमिक की मजदूरी अकुशल श्रमिक से अधिक होती है ।

(३) कुशलता, योग्यता एवं गतिशीलता:—श्रमिकों की कुशलता में

भिन्नता के कारण भी मजदूरी में भिन्नता हो सकती है । क्योंकि न एक कुशल श्रमिक कम कुशल श्रमिक से अधिक कमा सकता है, साथ ही श्रमिक की गतिशीलता का भी उसकी मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है यदि एक श्रमिक एक स्थान में दूसरे स्थान को अधिक मजदूरी पर जाने को तैयार है तो उसकी मजदूरी दूसरे श्रमिक की तुलना में जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये तैयार नहीं है अधिक होगी ।

(४) व्यवसाय में सफलता की आशा—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं

जिनमें श्रमिकों को भविष्य में सफलता की बहुत आशा होती है परन्तु ऐसे व्यवसायो में प्रारम्भ में कम और बाद में अधिक मजदूरी मिलती है । इसके विपरीत कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम की आवश्यकता होती है । ऐसे व्यवसायों में प्रारम्भ में अधिक मजदूरी मिल जाती है ।

(५) कार्य का स्वभाव:—कार्य विभिन्न स्वभाव के हुआ करते हैं। कुछ कार्यों में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तो कुछ में कम, कुछ कार्यों में अवकाश अधिक मिलता है तो कुछ में कम कुछ कार्यों में जान का खतरा रहता है तो कुछ कार्यों में जान की सुरक्षा तथा कुछ कार्यों के करने से सामान्य सम्मान बढ़ता है आदि। इस प्रकार जिन कार्यों में जोखिम कम होता है, कार्य रुचिकर होता है, अवकाश अधिक मिलता है उनमें वेतन कम होता है इसी कारण से अध्यापक का वेतन कम है।

(६) कार्य का उत्तरदायित्व:—कार्य के उत्तरदायित्व में भिन्नता के कारण भी श्रमिकों के वेतन में अन्तर हो जाता है। उदाहरण के लिये एक कारखाने में मैनेजर का उत्तरदायित्व एक श्रमिक तथा एक इन्जीनियर में अधिक है इसी कारण से मैनेजर को श्रमिक तथा इन्जीनियर से तथा इन्जीनियर को श्रमिक से अधिक वेतन मिलता है।

(७) अन्य लाभ की प्राप्ति—कुछ व्यवसायों में श्रमिकों को निश्चित मजदूरी के अतिरिक्त अन्य लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण से वे कम मजदूरी होने पर भी उस व्यवसाय में कार्य करना पसंद करते हैं, जैसे कपड़े के कारखाने में कम मूल्य पर कपड़ा मिलना, रेलवे में आने जाने के लिये पास मिलना आदि। इसलिये जिन व्यवसायों में अन्य लाभ नहीं होते हैं वहाँ उन व्यवसायों की तुलना में जहाँ अन्य लाभ होते हैं मजदूरी अधिक होती है इस कारण से भी मजदूरी में भिन्नता हो जाती है।

अध्याय ६७

ब्याज

प्रश्न १५५—ब्याज की परिभाषा दीजिये तथा कुल और वास्तविक ब्याज का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

(Define Interest and distinguish clearly between gross and net Interest.)

उत्तर—

ब्याज की परिभाषा—

भयंशास्त्र में ब्याज उस आय को कहते हैं जो एक पूँजीपति को उसकी पूँजी के उपभोग के उपलक्ष में ऋणी द्वारा दी जाती है।

यद्यपि उपभोग और उत्पादन दोनों ही प्रकार के कार्यों के लिये द्रव्य के उपभोग का पुरस्कार व्याज कहा जाता है, परन्तु धर्मशास्त्र में द्रव्य के लेन-देन पर मुख्यतः उत्पादन की दृष्टि से विचार किया जाता है। पूँजी उत्पादक है वह प्रयोगकर्ता को अधिक धनोत्पादन में सहायता प्रदान करती है इस लिये ऋणी पूँजी उधार देने वाले को व्याज देता है। उधार देने वाला व्यक्ति पूँजी के प्रयोग के लिये कुछ पारितोषक चाहता है क्योंकि पूँजी बचाने में उसे कष्ट होता है और उसे कुछ बलिदान करना पड़ता है इसी पारितोषिक को धर्मशास्त्र में व्याज कहते हैं।

कुल और वास्तविक व्याज का अन्तर —

वास्तव में जो पूँजीपति ऋणी से वसूल करता है वह केवल पूँजी के उपभोग का प्रतिफल ही नहीं होता बल्कि उसमें अन्य कई कार्यों का प्रतिफल सम्मिलित होता है। पूँजीपति हमेशा उधार देने में कुछ असुविधा उठाता है निरालपदत्व व ऋण-वसूली पर भी कुछ व्यय करता है और ऋण के अदा होने अथवा न होने की जोखिम भी उठाता है। ऋणदाता इन सबके लिये भी प्रतिफल चाहता है। अतः साधारणतया व्याज की दर में पूँजी के प्रयोग के प्रतिफल के अनिश्चित इन सब बातों का प्रतिफल भी सम्मिलित रहता है। इसको कुल व्याज (Gross Profit) कहते हैं।

वास्तविक व्याज —

इनके विपरीत केवल पूँजी के प्रयोग के बदले में दिये जाने वाला प्रतिफल वास्तविक, असल अथवा विशुद्ध व्याज (Net Interest) कहलाता है। यह कुल व्याज का एक अंग होता है प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार "पूँजी उधार देने के बदले में मिला वह पुरस्कार, जो जोखिमहीन, प्रबन्ध रहित और असुविधाओं से विहीन विनियोग से प्राप्त होता है, 'विशुद्ध व्याज कहलाता है।' (Net interest is payment for loan of capital, when no risk, no inconvenience (apart from that involved in saving) and no work is entailed on the lender. Chepman)

कुल व्याज —

प्रोफेसर चैपमैन द्वारा दी गई विशुद्ध व्याज की परिभाषा से कुल व्याज की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—“ऋणदाता को पूँजी के प्रयोग जोखिम, प्रबन्ध एवम् असुविधाओं का जो प्रतिफल ऋणी से व्याज के रूप में प्राप्त होता है कुल व्याज कहलाता है।” इस प्रकार कुल व्याज के निम्न अंग हैं —

- (१) विशुद्ध व्याज ,
- (२) जोखिम का प्रतिफल,
- (३) पूजा देने में असुविधा का प्रतिफल,
- (४) ऋण के प्रवर्ध का पुरस्कार ।

(१) विशुद्ध व्याज — यह केवल पूजा के उपयोग का प्रतिफल होता है । (पढ़िये 'व्याज की परिभाषा' वाला भाग) ।

(२) जोखिम का प्रतिफल — रुपया उधार देने के व्यवसाय के साथ जोखिम अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है । ऋणदाता को सदैव इस बात की जोखिम रहती है कि उधार दिया गया धन वापिस आयागा अथवा नहीं । ऋणदाता इस जोखिम के लिये भी कुछ प्रतिफल चाहता है जिसको विशुद्ध व्याज में सम्मिलित कर दिया जाता है । प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये जोखिम दो प्रकार की होती हैं—(१) व्यक्तिगत जोखिम और (२) व्यवसायिक जोखिम ।

व्यक्तिगत जोखिम — जो व्यक्ति ईमानदार और सच्चे होते हैं उनको रुपया उधार देने में कम जोखिम होती है, वे सदैव उधार लिये गये धन को समय पर अदा कर देते हैं । किन्तु बेईमान, चरित्रहीन व भूटे व्यक्तियों को उधार देने में बड़ी जोखिम होती है । ऐसे व्यक्तियों से इसीतिथि अधिक व्याज लिया जाता है ।

व्यवसायिक जोखिम — व्यक्तिगत जोखिम के अतिरिक्त व्यवसायिक जोखिम भी विचारणीय है । कुछ व्यवसाय बड़े सुरक्षित होते हैं, इनमें पूजा लगान में कोई जोखिम नहीं होती परन्तु कुछ व्यवसाय जैसे सट्टे वा व्यवसाय आदि को रुपया उधार देने में बड़ी जोखिम रहती है । सट्टे में एक ही रात में लाखों इधर उधर हो जाते हैं । अतः जोखिम वाले व्यवसायों से व्याज अधिक लिया जाता है ।

(३) असुविधा का प्रतिफल — ऋण देने के कार्य में अनेको असुविधाएँ हैं । जब ऋणी समय पर रुपया अदा नहीं करते, तो उसको वसूल करना बड़ा असुविधाजनक होता है, समय समय पर उनसे तकाजा (demand) करना पड़ता है और उनके पीछे घूमना पड़ता है, कभी-कभी ऋणी उस समय रुपया लौटाते हैं जब उसकी कोई मांग नहीं होती, ऐसी अवस्था में रुपया व्यर्थ और अनुत्पादक पड़ा रहता है । इसलिये पूजापति व्याज की दर निश्चित करते समय इन असुविधाओं का ध्यान रखता है और इनके लिए कुछ प्रतिफल वसूल करता है ।

(४) प्रबन्ध का प्रतिफल — पूँजीपति के ऋणों का हिमाव नितान रखना पड़ता है। इसके लिये वहीलाते, स्टेशनरी व मुनीम रखने पड़ते हैं। ऋण वसूल करने और ऋणियों से मुकदमा इत्यादि लड़ाने के लिये गुमास्ते और कारिन्दे नियुक्त किये जाते हैं। इनके वेतन पर ऋणदाता को कुछ धन व्यय करना पड़ता है। यह व्यय ऋणदाता व्याज की दर बढ़ाकर ऋणियों से ही वसूल कर लेता है। भारत सरकार को रपया उधार देने में प्रबन्ध व्यय बहुत कम होता है अतः व्याज की दर भी कम होती है।

—०—

प्रश्न १५६—व्याज की परिभाषा दीजिये। व्याज की दर कैसे निश्चित की जाती है? पूर्णतया समझाइये।

(Define Interest How is the rate of interest determined? Explain fully.)

उत्तर —

६

व्याज की परिभाषा के लिये प्रश्न १५५ के उत्तर को पढ़िये।

व्याज की दर का निर्धारण (Determination of the Rate of Interest) —

समय समय पर अर्थशास्त्रियों ने व्याज की दर को निश्चित करने के लिये अनेको सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है परन्तु आधुनिक युग में व्याज निर्धारण का 'माँग व पूर्ति' सिद्धांत सबसे उपयुक्त माना जाता है। व्याज पूँजी के उपयोग का मूल्य है। इस सिद्धांत के अनुसार पूँजी के उपयोग का मूल्य (व्याज की दर) पूँजी के उपयोग की माँग व पूँजी के उपयोग की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ठीक उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार बाजार में किसी अन्य वस्तु का मूल्य।

पूँजी की माँग — पूँजी की माँग उद्योगपति, व्यापारी, किसान व अन्य उत्पादकों द्वारा की जाती है। ये व्यक्ति उत्पादन कार्य में पूँजी प्रयुक्त करके उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं। अतः वे पूँजी के प्रयोग के बदले में पूँजीपति को कुछ प्रतिफल देने को तैयार हो जाते हैं। यह प्रतिफल पूँजी की उत्पादकता पर निर्भर करता है। पूँजी की सब इकाइयों की उत्पादकता समान नहीं होती है। एक सीमा के बाद व्यवसाय में ज्यों-त्यों पूँजी की इकाइयों का उपयोग बढ़ाया जाता है त्यों-त्यों पूँजी की उत्तरोत्तर इकाइयों की उत्पादकता गिरती जाती है और एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पूँजी की सीमात इकाई की उत्पादकता व्याज की दर के बराबर हो जाती है। अब पूँजी की


और इकाईयो का उपयोग नहीं होगा। पूँजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की अधिकतम सीमा है। इससे अधिक ब्याज उत्पादनकर्ता कदापि नहीं देंगे।

पूँजी की पूति —पूँजी की पूति पूँजीपतियो द्वारा की जाती है। उनको पूँजी के सचय मे आत्म त्याग तथा समय से काम लेना पडता है। इसनिय जब तक उ हे इसके लिये उचित पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक पूँजीपति पूँजी उधार नहीं देंगे। उनको ब्याज के रूप मे इतना धन ग्रवश्य मिल जाना चाहिये जितनी कि उनके समय तथा बलिदान की लागत है। परन्तु प्रत्येक पूँजीपति को समान त्याग नहीं करना पडता। धनवानो को पूँजी बचाने मे कम त्याग करना पडता है वे तो कम ब्याज पर भी बचन करते रहेगे। परन्तु भीमान बचत करने वाले को कम से कम उसके त्याग और समय के बराबर प्रतिफल मिल जाना चाहिये। सीमात पूँजीपति के त्याग तथा समय द्वारा ब्याज की न्यूनतम सीमा निर्धारित होती है। कोई भी पूँजीपति इससे कम ब्याज स्वीकार नहीं करेगा। यदि ब्याज की दर, इस सीमा से भी कम है तो लोग पूँजी का सचय बढ कर देंगे।

ब्याज की दर इन्ही दोनो उच्चतम और न्यूनतम सीमाओ के बीच माँग और पूति की सापेक्षिक शक्तियो द्वारा कहीं भी उस बिन्दु पर निश्चित हो जावेगी जहा ये दोनो शक्तिया बराबर हो जावेगी।

मान लीजिये कि किसी समय ब्याज की भिन्न दरों पर पूँजी की माँग व पूति निम्न प्रकार है —

चित्र द्वारा निरूपण



ब्याज की दर	पूंजी की मांग	पूंजी की पूर्ति
३%	१४,००० रु०	१०,००० रु०
४%	१२,००० रु०	१२,००० रु०
५%	१०,००० रु०	१४,००० रु०
६%	८,००० रु०	१६,००० रु०
७%	६,००० रु०	२०,००० रु०

उपरोक्त तालिका के अनुसार ब्याज की दर ४% होगी क्योंकि इस ब्याज की दर पर ही पूंजी की मांग व उसकी पूर्ति के बराबर है।

प्रश्न १५७—ब्याज की दर में विभिन्नता के क्या कारण हैं ? भारतीय गावों में अधिक ऊँची दर पर रुपया क्यों मिलता है ?

(What are the causes of the variations in the rate of interest ? Why is the money lent on a very high rate of interest in Indian Villages ?)

उत्तर :—

ब्याज की दर में विभिन्नता के कारण —

पूर्ण प्रतिযোগिता की स्थिति में विशुद्ध ब्याज की दर लगभग सभी व्यवसायों व स्थानों पर एक सी होती है परन्तु व्यवहारिक ब्याज की दर (कुल ब्याज) एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग-अलग होती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) **जोखिम** — जिस व्यवसाय में जितनी अधिक जोखिम होती है।

ब्याज की विभिन्नता के कारण —

- १ जोखिम।
- २ दूरी का अन्तर।
- ३ ऋण की अवधि।
- ४ ऋण प्रबन्ध कार्य।
- ५ जमानत।
- ६ ऋण का प्रकार।
- ७ ऋण का समय।
- ८ वैकिंग व्यवस्था।

उसमें उतनी ही अधिक ब्याज की दर होती है, विपरीत अवस्था में ब्याज की दर कम होती है।

(२) **दूरी का अन्तर** —

पूंजीपति के निवास स्थान से पूंजी का विनियोग जितनी अधिक दूर होगा, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी क्योंकि ऋणदाता को यह डर लगा रहता है कि यदि उसका रुपया न मिला तो उसको कानूनी कार्यवाही करने इत्यादि में काफी व्यय और

असुविधा उठानी पड़ेगी । विदेशी ऋणों पर इसीलिये व्याज अधिक होता है ।

(३) ऋण की अवधि :—जितने अधिक समय के लिये रुपया उधार लिया जाता है । व्याज की दर उतनी ही अधिक होती है क्योंकि ऋणदाता को रुपया वापिस प्राप्त करने में अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यही कारण है कि दीर्घकालीन ऋणों पर अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा अधिक व्याज लिया जाता है ।

(४) ऋण प्रबंध कार्य :—ऋण के प्रबंध कार्य में अन्तर होना व्याज की दर में अन्तर होता है । किसानों को थोड़ा-थोड़ा ऋण देने और वसूल करने में प्रबंध कार्य अधिक रहता है इसलिये उनसे व्याज अधिक लिया जाता है ।

(५) जमानत या धरोहर :—यदि ऋणी किसी ईमानदार व्यक्ति की जमानत दे सकता है अथवा स्वयं कोई मूल्यवान् वस्तु जैसे आभूषण, मकान-जायदाद व माल इत्यादि रहन रख सकता है तो व्याज की दर नीची होती है क्योंकि ऋणदाता की जोखिम कुछ कम हो जाती है ।

(६) ऋण का प्रकार :—यदि ऋण उत्पादक कार्यों के लिये लिया जाता है तो व्याज की दर कम होती है किन्तु अनुत्पादक कार्यों जैसे विवाह, भोजन इत्यादि के लिये, लिये गये ऋण पर व्याज की दर अधिक होती है ।

(७) ऋण का समय :—तेजी के समय पूँजी की माँग अधिक रहती है अतः व्याज की दर भी अधिक होती है परन्तु भेदीकाल में जब पूँजी की माँग अपेक्षाकृत कम होती है व्याज की दर भी कम हो जाती है ।

(८) बैंकिंग व्यवस्था :—जिन देशों अथवा स्थानों में बैंक, बीमा कम्पनी इत्यादि नहीं होते अथवा सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर रहे होते वहाँ रुपया उधार लेने वालों को देशी साहकारों और महाजनों से ऋण लेना पड़ता है जो इन लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर ऊँची व्याज की दर वसूल करते हैं ।

भारतीय ग्रामों में ऊँची व्याज की दर :—

यदि हमारे देश में प्रचलित व्याज की दरों की अन्य प्रगतिशील देशों से तुलना की जाय तो विदित होगा कि भारत में व्याज की दरें अपेक्षाकृत ऊँची हैं । यही नहीं भारतीय गाँवों में शहरों की अपेक्षा व्याज की दरें ऊँची है । भारतीय साहकार, महाजन व गाँव के बनिये किसानों से १२% से

३७ $\frac{1}{2}$ % तक व्याज वसूल करते हैं। व्याज की इन ऊँची दरों के निम्न कारण हैं —

(१) भारतीय किसान निर्बल हैं उनकी इतनी भी आय नहीं होती कि वे ठीक प्रकार अपना गुजारा कर सकें। अतः वे उपभोग के लिये रुपया उधार लेते हैं। अनुत्पादक ऋणों पर स्वाभावतः अधिक व्याज लिया जाता है।

(२) गाँवों में बैंकों की कमी है। अतः ग्रामीणों को अपनी साख की आवश्यकता के लिये गाँव के वनियो, महाजनो व जमींदारों के पास जाना पड़ता है जो इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक ऊँची व्याज की दर वसूल करते हैं। सहकारी साख समितियाँ केवल थोड़ा सा ही ऋण थोड़े समय के लिये प्रदान करती हैं।

(३) साधारणतया किसान के पास ऋण के पीछे जमानत के लिये कोई मूल्यवान् आभूषण व अन्य वस्तुयें नहीं होती। भूमि भी थोड़े ही किसानों के पास है अतः अधिकांश ऋण व्यक्तिगत ईमानदारी की जमानत पर दिया जाता है इसीलिये व्याज की दर भी अधिक होती है।

(४) शहरों की अपेक्षा जहाँ ऋण उद्योग धंधों व व्यापार के लिये दिये जाते हैं, गाँवों में महाजन किसानों को कृषि कार्य के लिये रुपया उधार देता है। कृषि व्यवसाय हमारे यहाँ बड़ा ही अनिश्चित और जोखिम पूर्ण व्यवसाय है। अतः किसानों से व्याज की अधिक दर ली जाती है।

(५) गाँवों के किसानों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अनेकों ऋण दिये जाते हैं। छोटी-छोटी रकमों के वसूल करने में काफी प्रबंध-असुविधा व व्यय होता है। किसान बहुधा ऋणों को अदा नहीं करते हैं अतः महाजनो को मुकदमा लेकर कचहरी में जाना पड़ता है। ऋण वसूली के अधिक व्यय के कारण व्याज की दर भी अधिक होती है।

(६) भारतीय गाँवों में पूँजी की अपेक्षा पूँति बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता अधिकतर गरीब है जो अधिक धन संचय नहीं कर पाती। परन्तु पूँजी की मात्रा उत्पादक व अनुत्पादक दोनों ही कार्यों के लिये ली जाती है। इसी कारण भारत में व्याज की दर ऊँची है।

अध्याय ६८

लाभ

प्रश्न १५८—'लाभ' से आप क्या समझते हैं ? कुल और वास्तविक लाभ में अन्तर बताइये ।

(What do you understand by 'Profits' ? Distinguish between gross and net profits ?)

उत्तर :—

लाभ की परिभाषा :—

प्रत्येक उत्पादन कार्य में चाहे वह छोटे पैमाने पर किया जाय अथवा बड़े पैमाने पर, कुछ न कुछ जोखिम अवश्य ही होती है । आज के युग में धनोत्पत्ति मांग से पूर्व (In anticipation of demand) की जाती है अतः व्यवसायो में उत्पादनकर्ताओं की अपेक्षाकृत अधिक जोखिम उठानी पड़ती है । हो सकता है कि व्यापार में लाभ हो परन्तु यदि व्यापार में हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व कौन अपने कंधों पर ले ? उत्पत्ति में जोखिम उठाने या साहस करने का कार्य साहसी (Entrepreneur) द्वारा किया जाता है । इस प्रकार लाभ वह पुरस्कार जो साहसी को जोखिम अथवा अनिश्चिता झेलने के उपलक्ष में मिलता है । (Profits are the reward for risk taking and uncertainty bearing) दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को केवल जोखिम व अनिश्चितता उठाने के बदले में दिया जाता है, 'लाभ' कहलाता है ।

लाभ एक अवशेष है जो उत्पादनकर्ता को उत्पत्ति में से अन्य साधनों का पुरस्कार दे देने के पश्चात् बचता है । इस प्रकार लाभ धनात्मक (Positive) अथवा ऋणात्मक (Negative) दोनों हो सकते हैं । कुल उत्पादन में से कुल उत्पत्ति व्यय निकाल कर जो शेष रहता है लाभ कहलाता है । (Profits are a surplus over and above the expenses of Production)

लाभ = (कुल उत्पत्ति) — (कुल उत्पत्ति व्यय)

यदि कुल उत्पत्ति व्यय उत्पत्ति की मात्रा से कम है तो लाभ धनात्मक होगा और यदि कुल उत्पत्ति व्यय उत्पत्ति से अधिक है तो लाभ ऋणात्मक होगा । ऋणात्मक लाभ को साधारण भाषा में 'हानि' (Loss) कहते हैं ।

कुल व वास्तविक लाभ (Gross and Net Profits) —

हम इस प्रश्न में पहले बतला चुके हैं कि लाभ एक अवशेष है। वस्तु उत्पन्न करने में कुछ व्यय होता है। उत्पादक उस वस्तु को इस लागत-व्यय में अधिक पर बेचना चाहता है। यदि वह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसको उत्पत्ति व्यय के ऊपर कुछ अतिरिक्त (Surplus) प्राप्त होगा। अर्थशास्त्र में इसे ही कुल लाभ कहते हैं। इस प्रकार बिक्री मूल्य तथा लागत मूल्य का अंतर व्यापारी का कुल लाभ होता है। हमारे शब्दों में, 'किसी उत्पत्ति के कार्य में उत्पत्ति के सब खर्च निकालकर तथा उत्पत्ति के तमाम साधनों का उनका प्रतिफल देने के पश्चात् जो कुछ धन बचता है उसे कुल लाभ (Gross Profits) कहते हैं।' व्यवहारिक जीवन में 'लाभ' से तात्पर्य 'कुल लाभ' से ही होता है। वास्तविक अथवा विशुद्ध लाभ (Net or Pure Profits) सक्न लाभ का ही एक अंग है।

कुल लाभ के निम्न अंग हैं —

- (१) केवल जोखिम उठाने का प्रतिफल अथवा वास्तविक लाभ,
- (२) साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल,
- (३) सरक्षण व्यय (Maintenance expenses)
- (४) एकाधिकार लाभ (Monopoly gains)
- (५) अनायास लाभ (Chance gains)

(१) वास्तविक लाभ — यह केवल जोखिम उठाने का पुरस्कार होता है।

(२) साहसी के निजी साधनों का पुरस्कार — साहसी जोखिम उठाने के अतिरिक्त व्यापार में अपनी निजी भूमि, पूंजी तथा श्रम आदि को भी लगा देता है। यदि वह इन साधनों को कहीं अन्यत्र किसी व्यवसाय में विनियोग कर देता तो उसको इनसे कुछ लाभ प्राप्त होती है। अतः वास्तविक लाभ का अनुमान लगाते समय यह आवश्यक है कि कुल लाभ में से निजी भूमि का लगान, निजी श्रम की मजदूरी, निजी पूंजी का ब्याज व सगठन का वेतन निकाल दिया जाय। निजी साधनों की सेवाओं का प्रतिफल तो वह बगैर साहसी हुए भी प्राप्त कर सकता था।

(३) सरक्षण व्यय — प्रत्येक व्यापारी को अपनी चल व अचल सम्पत्ति की रक्षा के लिये कुछ व्यय करना पड़ता है। ये व्यय सरक्षण व्यय कहलाते हैं। वास्तविक लाभ मालूम करने के लिये प्रतिवर्ष कुल लाभ में से

कुछ धन इन व्ययों के लिये निकाल दिया जाता है। ये व्यय दो प्रकार के होते हैं :—(१) घिसाई और (२) बीमा।

घिसाई :—उत्पत्ति के लिये हम जिन यन्त्रों और औजारों का प्रयोग करते हैं वे धीरे-२ घिसते रहते हैं, यह घिसावट एक प्रकार का व्यय है जो वास्तविक लाभ मालूम करने के लिए सकल लाभ में से निकाल दिया जाता है। यह व्यय प्रतिवर्ष एक घिसावट खाते (Depreciation Account) में जमा कर दिया जाता है।

बीमा व्यय :—घिसाई के प्रतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सम्पत्ति का बीमा करा लिया जाता है। बीमे का प्रीमियम भी सकल लाभ का एक अंग है, इसे कुल लाभ में से घटाने पर ही हमें वास्तविक लाभ मालूम होता है।

(४) **एकाधिकार लाभ** :—कभी-२ व्यापारी को किसी वस्तु के उत्पन्न करने अथवा बेचने का एकाधिकार प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी पत्नी स्थिति से फायदा उठाकर असाधारण लाभ प्राप्त कर लेता है। ये असाधारण लाभ उनकी कार्यक्षमता का परिणाम नहीं होते बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता का फल होते हैं। अतः वास्तविक लाभ मालूम करने के लिये इन्हें सकल लाभ में से घटा दिया जाता है।

(५) **अनायास लाभ** :—कभी-२ किसी साहसी को अनायास ही बहुत अधिक लाभ हो जाता है जैसे युद्ध छिड़ जाने पर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और व्यापारियों को अकस्मात् ही असाधारण लाभ हो जाते हैं। इस प्रकार के लाभ व्यापारियों की योग्यता का परिणाम नहीं बल्कि परिस्थितियों के अकस्मात् ही व्यापारी के अनुकूल हो जाने का प्रभाव है। अतः सकल लाभ में से इनको निकाल देने पर ही वास्तविक लाभ मालूम किया जा सकता है।

वास्तविक लाभ :—सकल लाभ में से साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल, संरक्षण व्यय, एकाधिकार व आकस्मिक लाभ आदि को अलग कर देने पर जो शेष रहता है, वह वास्तविक, अथवा विशुद्ध लाभ कहलाता है। यह केवल जोखिम उठाने का प्रतिफल है। प्रो० वाकर (Walker) के अनुसार “विशुद्ध लाभ केवल जोखिम उठाने का प्रतिफल है” (Pure profits are only the remuneration for risk taking—Walker) व्यापार में हानि-भय सदैव बना रहता है जिसको साहसी सहन करता है। इस काम के लिये जो प्रतिफल साहसी को प्राप्त होता है वह वास्तविक लाभ कहलाता है।

प्रश्न १५६ :—लाभ किस प्रकार निर्धारित होता है ? लगान व लाभ में क्या अन्तर है ? इन दोनों की समानता पर भी प्रकाश डालिये ।

(How are profits determined ? Distinguish between Rent and Profit and bring out clearly the points of similarity between the two)

उत्तर :—

वैसे तो लाभ के निर्धारण के हेतु अर्थशास्त्रियों ने समय २ पर विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है परन्तु उन सबों में कुछ न कुछ दोष हैं । इन सब सिद्धान्तों में प्रोफेसर वाकर का सिद्धान्त अधिक प्रचलित है । वाकर महोदय के अनुसार “लाभ योग्यता का लगान है” (Profits are the Rent of Ability) । इसलिये लाभ उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार आर्थिक लगान । जिस प्रकार विभिन्न उर्वराशक्ति वाले भूमि क्षेत्र होते हैं उसी प्रकार विभिन्न योग्यता वाले साहसी होते हैं । सीमात साहसी को केवल सामान्य लाभ होते हैं—सामान्य लाभ लाभ की वह मात्रा है जिसके अभाव में व्यापारी व्यापार को छोड़ देने और जिसके मिलते रहने पर, व्यापार में बने रहने । जो साहसी सीमात साहसियों से अधिक योग्य होते हैं उनको अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं । यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सीमात भूमि से पूर्व की भूमियाँ पर अधिक उत्पत्ति होती है । अतः किसी विशेष साहसी का लाभ उसके व सीमात साहसी के लाभ का अन्तर है । अधिसीमात साहसियों की विशेष बचत (Differential gain) द्वारा लाभ निश्चित होता है ।

लाभ व लगान में अन्तर :—

(१) लाभ का निर्धारण लगान की माँति माँग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा नहीं होता ।

(२) लाभ नकारात्मक (Negative) भी हो सकता है परन्तु लगान सदैव धनात्मक (Positive) होता है । यह सम्भव है कि साहसी को हानि हो जाये परन्तु कोई भूमिपति भूमि का लगान अपनी जेब में नहीं दे सकता ।

(३) लाभ एक अवशेष है परन्तु लगान कुल उत्पत्ति में से भूमिपति को पहले ही दे दिया जाता है ।

(४) समाज की प्रगति से लाभ की दर गिरती परन्तु लगान की दर ऊँची होती है ।

(५) सीमात साहसी को सामान्य लाभ मिलते हैं और उत्पादन व्यय में शामिल होता है। परन्तु सीमात भूमि पर कोई आधिक लगान नहीं होता और न यह उत्पादन व्यय में जोड़ा जाता है।

लाभ व लगान में समानता —

(१) वास्तविक लाभ का निर्धारण सापेक्षिक बचत से होता है। इसी प्रकार आधिक लगान का निर्धारण सापेक्षिक उत्पत्ति से होता है।

(२) लाभ साहसियों की योग्यता में भिन्नता का परिणाम है उसी प्रकार लगान विभिन्न भूमियों की उपजाऊ शक्ति की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है।

(३) लाभ एक विशेष बचत है जो सीमात साहसी पर श्रेष्ठ साहसियों को प्राप्त होती है और वास्तविक लाभ कहलाती है। इसी प्रकार लगान भी एक बचत है जो सीमात भूमि पर श्रेष्ठ भूमियों को प्राप्त होती है। यह आधिक लगान कहलाती है।

लाभ और लगान की इस समानता को देखते हुए प्रोफेसर वाकर लाभ को योग्यता का लगान (Rent of Ability) कहते हैं।

अध्याय ६६

विदेशी व्यापार की विशेषता

प्रश्न १६०—भारतीय विदेशी व्यापार की प्रधान विशेषताये क्या हैं? पिछले कुछ वर्षों में भारत का निर्यात इतना कम क्यों हो गया है?

(What are the chief characteristics of India's foreign trade? Why have India's export declined in the recent years?)

उत्तर.—

भारतीयों के विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीनकाल से चले आ रहे हैं। हमारा विदेशी व्यापार बड़ा बड़ा चढ़ा था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत कच्चे माल का प्रमुख निर्यातकर्ता तथा पक्के माल का आयातकर्ता बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमारे विदेशी व्यापार में बड़ी वृद्धि

की । मुख्यतः हमारे निर्यात व आयातों की अपेक्षा बहुत अधिक हो गये । देश के विभाजन ने कपास और जूट उगाने वाले क्षेत्र हमसे पृथक कर दिये । अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारे आयातों में अनाज, कपास, जूट आदि का भी भाग बढ़ गया है । हमारी राष्ट्रीय सरकार अब पक्के मालों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है । देश में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण चलने के कारण, आयातों में भी मशीनों आदि पक्के माल का भाग बढ़ता जा रहा है ।

प्रमुख निर्यात — भारत के प्रमुख निर्यात चाय, जूट का पक्का माल, सूती कपड़ा, मैंगनीज, अवरक, कच्चा लोहा, लम्बाकू, तिलहन, चमड़े व खालें, कपास, मसाले, गोंद व लाख, ऊनी कपड़े व ऊन इत्यादि हैं ।

प्रमुख आयातः— भारत में आयात की प्रमुख वस्तुयें, लाद्यान्त मशीनरी, कपास, जूट, पेट्रोल, अखवारी कागज, दवाइयाँ, रसायन आदि, बिजली का सामान, मोटर गाड़िया (सब प्रकार की), कपड़ा, धातुयें, नकली रेशम का सूत, रंग इत्यादि हैं । इसके अतिरिक्त खेल का सामान, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ व शस्त्र आदि भी आयात किये जाते हैं ।

भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषतायें —

भारतीय विदेशी व्यापार की निम्नलिखित विशेषतायें हैं —

(१) हमारे आयात और निर्यात दोनों में ही पहला स्थान पक्के माल का है । युद्ध से पूर्व तक हम कच्चे माल के प्रमुख निर्यातक थे जिनमें कपास, जूट, तिलहन व कच्चा लोहा, मैंगनीज व अवरक इत्यादि थे । परन्तु अब स्थिति बदल गई है । कपास व जूट हम स्वयं पाकिस्तान से खरीदते हैं । हमारे निर्यातों में तेल, चीनी, कपड़ा, पटसन का सामान आदि बढ़ गये हैं । दिन प्रतिदिन पक्के माल का महत्व हमारे निर्यातों में बढ़ता जा रहा है । देश के औद्योगीकरण के लिये विशाल कीमती मशीनों का प्रतिवर्ष वही मात्रा में आयात किया जा रहा है ।

(२) कच्चे माल का महत्व आयात में बढ़ता जा रहा है और निर्यात में घटता जा रहा है । पाकिस्तान बन जाने के फलस्वरूप अधिक अन्न, कपास, व जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्र हमसे अलग हो गये । अतः हमको प्रतिवर्ष इनका आयात करना पड़ता है । पहले भारत कच्चा सामान भेजा करता था परन्तु देश के औद्योगिक विकास व राज्य की उदारतापूर्ण नीति के कारण, हमारे यहाँ से पक्के मालों का निर्यात बढ़ रहा है ।

(३) व्यापार सतुलन हमारे विपक्ष में है । हम प्रतिवर्ष लगभग

१०० करोड़ रुपये का अन्न आयात करते हैं। दूसरे देश में मूल्य-स्तर बढ़ जाने के कारण विदेशों में हमारी वस्तुओं की खपत नहीं हो पाती है। अतः हमारे निर्यात घट गये हैं। इसके विपरीत देश के विभाजन व औद्योगीकरण के कारण देश के आयात बढ़ गये हैं। अतः 'व्यापार अन्तर' (Balance of Trade) हमारे विपक्ष में रहता है।

(४) हमारा लगभग समस्त विदेशी व्यापार सामुद्रिक मार्गों से होता है। हमारी थल सीमा के देश निर्धन और पिछड़े हुये हैं उनसे हमारा व्यापार ही सीमित है। परन्तु पाकिस्तान-वन जाने के पश्चात् से हमारे थलीय व्यापार में कुछ वृद्धि हो गई है।

(५) हमारा समुद्र द्वारा होने वाला व्यापार कुछ प्रमुख बन्दरगाहों तक ही सीमित है। जोकि बम्बई, विशाखापट्टम, कलकत्ता व कोचीन है। हमारे विदेशी व्यापार का ३/४ भाग इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

(६) हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में है। आयातकर्ता व निर्यातकर्ता विदेशी ही हैं। जहाजी व बीमा कम्पनियाँ व विनिमय बैंक अधिकतर विदेशी हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार के सहयोग से अब इस क्षेत्र में भारतीयों का भाग बढ़ने लगा है।

(७) भारत का व्यापार ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों तक ही सीमित नहीं रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक इनमें इंग्लैंड के साथ हमारा सबसे अधिक व्यापार था परन्तु अब अमेरिका, रूस, जापान व अन्य यूरोपीय देशों से हमारा विदेशी व्यापार बढ़ता जा रहा है।

(८) हमारे आयात की वस्तुओं में उत्पादक वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने उपभोग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध व कड़ा नियंत्रण लगा दिया है परन्तु मशीनें, मोटरे, विजली का सामान आदि बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। ये देश के औद्योगीकरण व उत्पादन वृद्धि के लिये बड़े आवश्यक हैं।

(९) हमारा प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान आदि प्रगतिशील औद्योगिक देशों की तुलना में हमारा प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार बहुत कम है।

भारत के निर्यात कम होने के कारणः—

पिछले कुछ वर्षों में हमारे निर्यात हमारे आयातों की अपेक्षा कम हो गये हैं। यह स्थिति बड़ी असतोषजनक है। इस स्थिति के कई कारण हैंः—

(१) पिछले कुछ वर्षों से देश में मूल्य स्तर बढ़ जाने के फलस्वरूप कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है अतः देश से वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है। (२) भारत में जूट व कपास की कमी के कारण पहले की अपेक्षा जूट का तैयार माल व कपड़ा कम निर्यात होता है। (३) विदेशी व्यापार से पाकिस्तान हमारा विरोधी बन कर आ गया है। (४) स्वाधीनता के पश्चात् हमारे देश की अपनी आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहना पड़ा अतः विदेशी व्यापार की ओर अधिक ध्यान न दिया जा सका।

इस स्थिति को सुधारने के लिये राज्य व निजी व्यापारिक समस्यायें प्रयत्नशील हैं। भारत सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना की है जो विदेशी व्यापार का प्रोत्साहन व वृद्धि के लिये प्रयत्न कर रही है।

अध्याय ७०

भूदान यज्ञ

प्रश्न १६१—“भूदान यज्ञ” पर एक निबन्ध लिखिये। क्या यह उचित कार्यक्रम है।

(Write an essay on “Bhoodan Movement” Is it a proper attempt)

उत्तर.—

‘भूदान यज्ञ’—यह यज्ञ विनोबा भावे ने सन् १९५१ में शुरू किया था। विनोबा भावे देश की आर्थिक दशा से परिचित थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग ५ करोड़ व्यक्ति देश में ऐसे हैं जिनके पास कृषि काय के लिए भूमि नहीं है। और उन्हें पूरे साल काय भी नहीं मिलता है। जिससे इनकी आर्थिक दशा भी असन्तोषजनक है। इस समस्या को हल करने के लिये ही उन्होंने ‘भूदान यज्ञ’ का सहारा लिया है “भूदान आंदोलन का विचार उनके दिमाग में हैदराबाद में आया था जबकि वह घूमने जा रहे थे। तथा इस ‘आंदोलन’ की व्यावहारिक सफलता पर उनको जब विश्वास हुआ जब वह नालगोडा जिले के एक गाँव में ठहरे हुए थे। वह शाम के समय प्रतिदिन अपने विचार गविवासियों को सुनाते थे तथा उनकी समस्याओं के हल के उपाय भी बताते थे। एक दिन कुछ व्यक्तियों ने विनोबा जी

से यह प्रार्थना की कि वह सरकार से यह प्रयत्न करे कि इनकी कृषि कार्य के लिए भूमि मिल जाये। विनोबा जी ने इनकी प्रार्थना को सरकार तक पहुँचाने का वायदा किया। लेकिन तभी इनके दिमाग में विचार आया कि यदि यह भूमि की माग उन व्यक्तियों से पूरी हो जाये जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि है तो कैसा अच्छा होगा। इस बात को उन्होंने सभा में रक्खा और थोड़े समय के बाद १०० एकड़ भूमि उन्हें दान में मिल गई। विनोबा जी ने यह भूमि उन व्यक्तियों को दे दी जिन्होंने इसकी माग की थी। उनकी माग केवल ८० एकड़ भूमि की ही थी। इस प्रकार “भूदान” में उनका विश्वास बढ़ गया। और उसी समय से इसके प्रचार के लिए देश के कोने-कोने में दौरा लगा रहे हैं। जिससे देश के भूमिहीन कृषकों को भूमि मिल सके, देश में उत्पादन बढ़ सके। आय की वृद्धि हो सके, रहन सहन का स्तर उँचा हो सके तथा देश की आर्थिक दशा सुधर सके। वास्तव में विनोबा जी का यह ‘भूदान यज्ञ’ का विचार देश को आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर करता है।

एक उचित कार्यक्रम :—भव यह निर्णय करना है कि विनोबा भावे का यह कदम उचित है या नहीं। इसके लिए हमें इस आन्दोलन में होने वाले लाभों तथा हानियों पर एक दृष्टि डालनी होगी तभी हम इस आन्दोलन के वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं।

लाभ —इस आन्दोलन से अनेक लाभ हैं। जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं।

(१) **भूमिहीन कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार :—**भूदान आन्दोलन से उन कृषकों को जिनके पास भूमि नहीं है भूमि मिल जाती है। जिससे वे उस भूमि में उत्पादन करके अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकते हैं।

(२) **उत्पादन में वृद्धि :—**भूदान आन्दोलन से कृषि कार्य के लिए भूमि में वृद्धि होगी। जिससे देश में अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। तथा विदेशी अन्न के आयात में कमी हो सकेगी।

(३) **अहिंसात्मक रूप से भूमि का बंटवारा :—**क्योंकि इस आन्दोलन के अनुसार अमीर स्वयं अपनी इच्छा में भूमि का दान करता है तो इस प्रकार भूमि का स्वयं ही अहिंसात्मक रूप से बंटवारा हो जाता है और इस प्रकार अमीर और गरीब में आवृत्त प्रेम पैदा होता है।

(४) **सरकारी धन-भार में वृद्धि नहीं :—**इस प्रकार के भूमि के

वितरण में सरकार के धन भार में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि अन्य किसी दूसरे प्रकार से सरकार को जमीन का मुआवजा देना होता है।

(५) सहकारिता को प्रोत्साहन :—इस आन्दोलन से सहकारिता की भी वृद्धि होगी।

हानियाँ :—कुछ आलोचकों का कहना है कि भूदान से हानियाँ भी हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

(१) खेतों के छोटे २ टुकड़े हो जाना :—आलोचकों का कहना है कि भूदान से खेतों का क्षेत्रफल छोटे २ टुकड़ों में बंट जायेगा जिससे उत्पत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उत्पत्ति लागत भी बढ़ जायेगी।

(२) चरागाहों और जंगलों में कमी होगी :—यदि भूदान की सभी भूमि पर कृषि कार्य होने लगेगा तो चारे तथा वनों की कमी हो जायेगी। जिससे वनों के खाम हमें नहीं मिल सकेंगे तथा पशुओं की चारे की समस्या जटिल हो जायेगी।

(३) भूदान की भूमि अयोग्य है :—आलोचकों का कहना है कि दान से मिलने वाली भूमि अधिकांश, बजर, या कृषि के अयोग्य है। या वनों से घिरी हुई है। इस दशा में उस भूमि पर व्यय अधिक होता है जो ये गरीब किसान सहन नहीं कर सकते। परन्तु इस आलोचना के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उचित मुविधा प्राप्त हो जाने पर यह समस्या हल की जा सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भूदान आन्दोलन से हानि होते हुए भी लाभ अधिक है। और भूमिहीन कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने में यह एक सराहनीय कदम है।

अध्याय ७१

दाशमिक प्रणाली तथा मैट्रिक प्रणाली

प्रश्न १६२—निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—

(अ) भारत में सिक्कों की दाशमिक प्रणाली।

(ब) वाट व मापों की मैट्रिक प्रणाली।

(Write short notes on :—

(a) Decimal system of coinage in India.

(b) Metric system of weights and measures)

उत्तर —

(अ) भारत में सिक्कों की दशमिक प्रणाली —

१ अप्रैल १९५७ से भारतवर्ष में सिक्कों की दशमिक प्रणाली प्रचलित है। इसके अनुसार रुपये के मूल्य में कोई अन्तर नहीं हुआ है। यह अब भी देश का प्रमाणिक सिक्का है। अब रुपये को ६४ के स्थान पर १०० छोटे-२ सिक्कों की इकाइयों में बाट दिया गया है प्रत्येक छोटी इकाई 'नया पैसा' कहलाती है। इस प्रकार अब एक रुपये में १०० नये पैसे होते हैं। सिक्कों के प्रचलन की पुरानी प्रणाली में एक रुपया, षठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, आधाना और पैसा कुल मिलाकर ७ सिक्के थे। प्रचलित दशमिक प्रणाली में भी ७ सिक्के हैं बिनका नाम व मूल्य निम्न प्रकार है :—

एक रुपया	=	१००	नये	पैसे
रुपये का आधा भाग	=	५०	"	"
रुपये का चौथा भाग	=	२५	"	"
रुपये का दसवा भाग	=	१०	"	"
रुपये का बीसवाँ भाग	=	५	"	"
रुपये का पचासवाँ भाग	=	२	"	"
रुपये का सौवा भाग	=	१	नया	पैसा

जनता को नई प्रणाली के समझने और अपनाने में असुविधा न हो, इसलिये सरकार ने यह आदेश किया कि तीन साल तक अर्थात् १ अप्रैल १९५७ से ३१ मार्च १९६० तक नये और पुराने सिक्के साथ २ चलेंगे। अतः आजकल दोनों ही प्रकार के सिक्के चलन में हैं और निर्धारित अनुपात में परस्पर परिवर्तनीय हैं राज्य धीरे २ पुराने सिक्के चलन में हटाता जा रहा है।

यह प्रणाली विश्व के १४० मुद्रा निर्गमित करने वाले देशों में से १०५ द्वारा अपनाई जाती है। इसके अनेक लाभ हैं। इस प्रणाली के अनुसार हिसाब-किताब लगाना बड़ा ही आसान और सुविधानुक्त है। यह प्रणाली बड़ी वैज्ञानिक है। स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रणाली के कारण अकण्ठित सीखना बड़ा आसान हो गया है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय में है। ज्यादातर देशों में यह प्रणाली प्रचलित है अतः हमको भी इस प्रणाली को अपनाना आवश्यक था अन्यथा हमको उनके मूल्यों को समझने, हिसाब किताब को देखने इत्यादि में बड़ी असुविधा होती थी।

यद्यपि इस प्रणाली के प्रयोग से प्रारम्भ में लोगों को बड़ी असुविधा हुई परन्तु अब धीरे-धीरे वे इसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। १ अप्रैल १९६० से देश में केवल दशमिक सिक्को का प्रचलन रह जायेगा।

(ब) बाटो व मापो की मेट्रिक प्रणाली —

भारतवर्ष में बाटो व मापो की कोई समान प्रणाली नहीं पाई जाती है। कोई १४३ विभिन्न बाट व माप प्रणालियाँ देश में प्रचलित हैं। यही नहीं एक ही नाप के बाटो व मापो में अलग-अलग २ विभिन्नता पाई जाती है। देश में २८० तोले से लेकर ८३२० तोले वजन तक के १०० प्रकार के 'मन' प्रचलित हैं। इसी प्रकार 'सेर' भी ८ तोले से लेकर १६० तोले तक का होता है। कच्चा व पक्का मन तो आपने भी सुना होगा। इस प्रकार की स्थिति किसानों, व्यवसायियों इत्यादि को बड़ी हानिप्रद सिद्ध होती है। इसी कारण भारत की विगणन-प्रणाली में अनेको दोष आ गये हैं। खरीदने के बाट और बेचने के बाट और—यह अनेको भारतीय मंडियों में पाया जाता है।

उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिये भारत सरकार ने समस्त देश में एक ही समान 'बाटो व माप की प्रणाली' को अपनाने का निश्चय किया। इस प्रणाली का नाम 'मेट्रिक प्रणाली' है क्योंकि माप की प्रारम्भिक इकाई 'मीटर' है। देश में सिक्को की दशमलिक प्रणाली को अपनाने के बाद तोल व माप के लिए भी एक दशमलिक प्रणाली का अपनाना आवश्यक था। नई प्रणाली अक्टूबर १९५८ से देश के कुछ विभिन्न क्षेत्रों व राज्य व्यवसायों में लागू कर दी गई है। समस्त परिवर्तन १९६६ तक अर्थात् ८ साल की अवधि में पूर्ण हो जायेगा। तीन साल तक नई और पुरानी प्रणालियाँ उन क्षेत्रों और व्यवसायों में साथ-साथ कार्य करेंगी जहाँ पर नई प्रणाली को लागू घोषित किया गया है।

यह प्रणाली बड़ी ही सरल और वैज्ञानिक है। हिमाचल किताब लगाने में समय और असुविधा की वृद्धि होती है। इस प्रणाली के इन्हीं गुणों के कारण समस्त विश्व के ४/५ देशों ने इसको अपना रखा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है अतः उन्हीं के सहज प्रणाली अपनाने से बड़ी आसानी हो जाती है।

अध्याय ७२

भारतीय योजनायें

प्रश्न १६३—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये ।

(Write a short essay on the Second Five Year Plan of India)

उत्तर —

पहली पंचवर्षीय योजना १९५६ ई० में समाप्त हुई । इस योजना ने एक ऐसा ठोस आधा व सर्वांगीण अर्थ व्यवस्था प्रगति की इमारत खड़ी की जिससे आगे की प्रगति हो सके । इस पंचवर्षीय योजना से भारत की बहुत कुछ उन्नति हुई है । इस योजना से औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है । मूल्य स्तर संतुलन पर है अतः विदेशी विनिमय में भी संतुलन होता जा रहा है । सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण किया जा रहा है शिक्षा की उन्नति बड़े-बड़े उद्योगों की उन्नति, ग्रामोद्योग और छोटे छोटे घनों की भी उन्नति होती जा रही है । पंचवर्षीय योजनायें भारत को बहुत ही उन्नतिशील बना देंगी ऐसी आशा है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य —

(१) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को दूर करना तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण । भारत में धन का असमान वितरण बहुत अधिक है फलतः एक ओर बहुत ही धनिक वर्ग है जो बहुत कम है और दूसरी ओर बहुत गरीब लोग हैं जो कि उत्पादन में कुशलता से वृद्धि नहीं कर सकते हैं । अतः द्वितीय योजना इस विषमता को दूर करने की कोशिश कर रही है ।

(२) रोजगार सम्बन्धी सुविधा के क्षेत्र का विस्तार भारत में बेरोजगारी जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जा रही है । अतः इस योजना में बहुत से उद्योगों आदि की उन्नति करके लोगों को रोजगार की सुविधायें दी जाने की व्यवस्था है ।

(३) प्रमुख उद्योगों की उन्नति और औद्योगीकरण का विकास करना ।

(४) राष्ट्रीय आय में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना और जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न भी इस योजना में शामिल है ।

द्वितीय योजना समाजवादी समाज की स्थापना का और एक महत्वपूर्ण कदम है। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था आर्थिक उन्नति का मूल मन्त्र है क्योंकि समाजवादी अर्थ व्यवस्था में रहन सहन का स्तर ऊँचा करना, अवसरों में वृद्धि करना तथा व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है अर्थात् वह भी अपने को समाज की उन्नति करने में सहायक समझने लगेगा।

इस योजना में कुल ७,२०० करोड़ रुपये खर्च होगा जिसमें से ४,८०० करोड़ रुपये सरकार तथा २,४०० रु० करोड़ निजी उद्योगपति खर्च करेंगे। सरकार उपरोक्त धन का इस प्रकार व्यय करेगी।

(१)	बेटी और सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर	५६८ करोड़ रु०	११८%
(२)	सिंचाई और विजली पर	६१३	१८.७
(३)	उद्योग तथा खाने पर	८६०	१८.६
(४)	यातायात व सवादा वाहन पर	१३८५	२८.२
(५)	सामाजिक सेवाओं, मकानों तथा पुनर्वास पर	५४६	११.७
(६)	विविध	११६	२.४
		<u>४,८००</u>	<u>१००.०</u>

इस धन को प्राप्त करने के लिये यह योजना निम्नलिखित ढंग से प्राप्त करेगी।

(१)	चालूवचत	३५० करोड़ रु०
(२)	अनिरिक्त कर	४५० करोड़ रु०
(३)	रेलें	१५० करोड़ रु०
(४)	प्रोविडेंटफण्ड	२५० करोड़ रु०
(५)	जनता से ऋण तथा मल्प वचत	<u>१,२०० करोड़ रु०</u>
		२,४००

घाटा.—यह निम्नलिखित साधनों से पूरा किया जायेगा।

(१)	विदेशी सहायता	८००
(२)	हीनार्थ प्रबन्ध	१,२००
(३)	आन्तरिक व वाह्य	४००
		<u>२,४००</u>

इस योजना के अनुसार यदि मदिरा निषेध आदि कार्य किये जायेंगे तो उस आय की पूर्ति के लिये अतिरिक्त कर लगाये जायेंगे ।

द्वितीय योजना की विशेषता —जहाँ पहली योजना में खेती के उद्योग को बढ़ाने तथा उन्नत करने का प्रयत्न किया गया वहाँ दूसरी योजना में उद्योगों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया है । उद्योगों में भी ८६१ करोड़ रु० में से ६६१ करोड़ रु० बड़े पैमाने के उद्योगों में व खानों पर खर्च किये जायेंगे । प्रथम योजना में उद्योगों में खानों वाली पर १/३ खर्च किया गया था परन्तु इस योजना में इसको बढ़ा कर आधा कर दिया है ।

यद्यपि खाद्य तथा अन्य आवश्यक कच्चे मालों की कमी दूर हो चुकी है, पर देश की बढ़ती हुई आबादी की सख्या को ध्यान में रखते हुये इस योजना में खेती की पैदावार बढ़ाने पर उचित ध्यान दिया गया है । खेती सम्बन्धी सभी कार्यों और साधनों को उन्नतिशील बनाया जायेगा ।

राष्ट्रीय आय :—इस योजना के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय जो १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये थी वह बढ़ कर १९६०-६१ में १३,३८० करोड़ रु० आय हो जायेगी । इस प्रकार २५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी । इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय २८१ रुपये से बढ़ कर ३३० रुपये हो जायेगी ।

रोजगार में वृद्धि —इसके फलस्वरूप ८० लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा ।

द्वितीय योजना के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के टेक्निकल मिशन के विचार —

मिसन इस योजना की मोटी रूप रेखा से सहमत है परन्तु उसने इस योजना को बहुत कुछ उत्कृष्ट आर्कोशा वाली बताया है । उसने सरकार से कहा है कि हीनार्थ प्रबन्ध करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये तथा मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिये अधिक गल्ले का स्टाक करना चाहिये ।

मिशन ने बताया है कि देश की यातायात की हालत बड़ी खराब है और उसने शिफारिस की है कि इस समस्या को रेल, सड़क, तटीय जहाजरानी तथा आन्तरिक जलमार्ग उन्नत करके सुलभाना चाहिये ।

मिशन ने कहा कि सूती मिल उद्योग तथा हाथ करधा के बीच में जो समझौता किया गया है, वह नहीं चल सकेगा इसीलिये निर्यात करने में बाधा पड़ सकती है ।

मिशन ने कहा है कि विदेशी विनिमय कमाने के लिये अधिक सूती कपड़ा द्रव्य, फसलें आदि विदेशी को निर्यात करनी चाहिये। उसका यह भी कहना है कि निजी पूजा को योजना में सहयोग देने का अवसर देना चाहिये। उसका यह भी सुझाव है कि विदेशी पूजा व योग्यता को प्राप्त करने के लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये। मिशन का यह भी सुझाव है कि योजनाओं पर किये गये खर्च के आकड़ों की गड़बड़ को दूर करना चाहिये।

मिशन का सुझाव है कि सरकार को रेलों के भाड़े की दर बिजली की दर तथा बदरगाहों पर क खर्च की दर बढ़ा कर आय प्राप्त करनी चाहिये।

मिशन का कहना है कि योजना में जितनी उन्नति कृटीर उद्योग की उन्नति करने का प्रबन्ध है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

मिशन का कहना है कि उपयोग की वस्तुयें पैदा करने के लिये फँक्टरी और गैर फँक्टरी उत्पात्ति का जो बटवारा किया गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि गैर फँक्टरी उत्पात्ति पर अधिक भारोसा नहीं किया जा सकता।

मिशन ने आगे कहा है कि योजना में निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं। सरकार उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाने के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना उपरोक्त कार्य करेगी।

प्रश्न १६४—“तृतीय पंचवर्षीय योजना” के ऊपर एक निबन्ध लिखिये।

(Write an essay on “Third Five Year Plan”)

उत्तर —

भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना १ अप्रैल १९६१ से शुरू होगी। अभी ६ जुलाई १९६० की योजना आयोग ने इस आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तैयार की है जो निम्न प्रकार से है —

योजना के मुख्य उद्देश्य — तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य, निम्न हैं —

(१) सर्वप्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय आय में ५% से प्रतिवर्ष वृद्धि हो।

(२) दूनरे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाना तथा वेनी के उत्पादन में वृद्धि करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

(३) इस्पात, ईंधन बिजली से सम्बन्धित उद्योगों का विकास करना तथा मशीन निर्माण के कारखाने स्थापित करना जिससे औद्योगिक विकास की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें ।

(४) देश में जनशक्ति का उचित योग करना तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयत्न करना ।

(५) देश में धन एवं आय की असमानताओं के दूर करने का प्रयत्न करना ।

तृतीय योजना का आकार .—योजना आयोग के अनुमान के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में ७,२५० करोड़ रुपये होगा । सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मिलाकर कुल १०,२०० करोड़ रु० (६२० करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र में तथा ४००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में) विनियोग व्यय होगा । सार्वजनिक क्षेत्र में ६२०० करोड़ रुपये व्यय के अतिरिक्त १०५० करोड़ रुपये का व्यय चालू व्यय द्वारा होगा । इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग ७२५० करोड़ रुपये का व्यय सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होगा । इस व्यय का विवरण हम निम्न तालिका द्वारा दिखाने सकते हैं —

विषय	(प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपये में))
१. कृषि तथा छोटी सिंचाई योजनाओं पर	६२५
२. सामुदायिक विकास एवं सहकारिता	४००
३. बड़ी और मध्य की सिंचाई योजनाओं पर	६५०
४. बिजली पर	६२५
५. कुटीर एवं लघु उद्योग	२५०
६. उद्योग और खनिज पर	११००
७. परिवहन और मचार पर	१४५०
८. समाज सेवार्थे	१२५०
९. अनुसन्धान	२००

सर्वयोग ७२५० करोड़ रु०

कृषि तथा सिंचाई :—तृतीय योजना की रूपरेखा में कृषि विकास को प्रथम स्थान दिया गया है । इसके विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में कुल लगभग ६७५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । इस व्यय के अन्तर्गत कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता एवं सभी प्रकार की सिंचाई योजनायें शामिल

हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि निजी क्षेत्र में लगभग ८०० करोड़ रुपये इन कार्यों पर व्यय किये जायेंगे। योजना काल में कृषि उत्पादन में ३०% से ३३% तक वृद्धि करने का लक्ष्य है। तथा ऐसा अनुमान है कि सिंचाई योजनाओं से लगभग २ करोड़ एकड़ और भूमि पर सिंचाई की जाने लगेगी। जिससे योजना के अन्त तक ६ करोड़ एकड़ भूमि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सींची जायेगी और इस योजना काल में लगभग ४ एकड़ भूमि के ऊपर 'बराती खेती' भी की जायेगी। मिट्टी साधारण का कार्य १ करोड़ ३० लाख एकड़ और भूमि पर बढ़ाया जायेगा। और ८ करोड़ एकड़ भूमि पर पौध रक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

उद्योग और खनिज—उद्योग और खनिज के विकास पर योजना काल में १५०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। तथा निजी क्षेत्र में भी लगभग १,००० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की आशा है। योजना में इस्पात, मशीन निर्माण और उत्पादक वस्तुओं के निर्माण पर विशेष महत्व दिया जायेगा। साथ साथ उपभोग पदार्थ के निर्माण पर महत्व दिया जायेगा। और ऐसी आशा की जाती है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक कपड़ा, चीनी, सीमेंट और कागज बनाने की लगभग सभी मशीनों का निर्माण अपने देश में हो सकेगा।

कुटीर एवं लघु उद्योग—तृतीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास पर भी विशेष महत्व दिया गया है और इस पर लगभग २५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। यह धन उनकी शिक्षा, ऋण की व्यवस्था एवं कच्चे माल की पूर्ति आदि पर व्यय किया जायेगा। हाथ करघे से बना कपड़ा एवं खादों के विकास पर विशेष महत्व दिया जायेगा। तथा उद्योग पुरियो (Industrial Exrates) की सख्या में भी वृद्धि की जायेगी।

विजली—तीसरी योजना काल में विजली के ऊपर लगभग ६२५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। और ऐसी आशा की जाती है कि लगभग इस योजना काल में १५ हजार नये गावों एवं कस्बों में विजली पहुँचाई जा सकेगी। जिससे कुल नये गावों एवं कस्बों की सख्या जहाँ विजली होगी २४ हजार हो जायेगी।

परिवाहन एवं संचार—परिवाहन और संचार के विकास पर योजना काल में लगभग १४५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस योजना काल में लगभग १२,०० मील लम्बी नई लाइन विद्युत् की जायेगी। तथा २०० हजार मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण किया जायेगा। मोटर याता-

यात का विकास अधिकांश नीति क्षेत्र में किया जायेगा। और २ लाख टन के जहाज और खरीदे जायेंगे। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में विकास कार्य जारी रहेगा।

सामाजिक सेवाएँ — सामाजिक सेवाओं के विकास पर तृतीय योजना काल में लगभग १२५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त दी जायेगी। जिसमें योजना के अन्त तक कुल छात्रों की संख्या ६ करोड़ हो जायेगी। साथ २ वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार किया जायेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डाक्टरों, अस्पतालों, दवाखानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की जायेगी। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत कम आय वाले तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकानों की भी व्यवस्था की जायेगी। रहने की बस्तियों का भी सुधार किया जायेगा।

तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की दशा — राष्ट्रीय आय की ओर संकेत करते हुए योजना आयोग का विचार है कि तीसरी योजना काल में राष्ट्रीय आय ५% से अधिक प्रतिवर्ष बढ़ेगी। तथा रोजगार की दशा में कोई सुधार नहीं होगा और तीसरी योजना के समय में १० लाख व्यक्ति और बेरोजगार हो जायेंगे। इस प्रकार योजना के समाप्त होने के समय तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ८० लाख हो जायेगी जिसमें ७० लाख व्यक्ति ऐसे होंगे जो पहले से ही बेरोजगार होंगे।

योजना के लिये धन की व्यवस्था — तृतीय योजना काल में जो सार्वजनिक क्षेत्र में ७२५० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे उसकी आय के साधन निम्न तालिका में स्पष्ट हो जाते हैं —

<u>आय साधन</u>	<u>करोड़ रुपये</u>
१ वर्तमान करों से	३५०
२ रेलों से आय	१५०
३ सार्वजनिक उद्यमों से आय	४००
४ सार्वजनिक ऋण	८५०
५ अल्प बचत	५५०
६ भविष्य निधि से आय	५५०
७ अतिरिक्त कर तथा सरकारी उद्यमों से लाभ	१६५०
८ विदेशी सहायता	२२००
९ घाटे की वित्त व्यवस्था	४५०
कुल योग	७२५० करोड़ रु०।

उपलिखित तालिका से स्पष्ट है कि तीसरी योजना काल में घाटे की वित्त व्यवस्था से केवल ५५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐसा इस लिए किया गया है कि जिससे वस्तु के मूल्यों में अधिक वृद्धि न होने पाये। उपलिखित तालिका से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि घन व्यवस्था के मुख्य दो साधन-अतिरिक्त कर तथा विदेशी सहायता पर अधिक बल दिया गया है। अधिकांश अतिरिक्त कर परोक्ष करों के द्वारा ही वसूल किया जायेगा।

॥ समाप्त ॥

“परीक्षा उपयोगी महत्त्वपूर्ण प्रश्न”

निम्न प्रश्न विद्यार्थियों को परीक्षा के वास्ते अवश्य याद कर लेने चाहिये ताकि परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त किये जा सकें ।

विषय प्रवेश

प्रश्न संख्या—१, ६, १०, ११, १२, १३, १८ ।

उपभोग

प्रश्न संख्या—२१, २३, २४, २७, २६, ३०, ४०, ४३ ।

उत्पत्ति

प्रश्न संख्या—४६, ४८, ४९, ५४, ६२, ६३, ६६, ६७, ६९, ७०, ७३,
७४, ७८, ८०, ८५, ९०, ९२ ।

राजस्व

प्रश्न संख्या—९९, १००, १०३ ।

विनमय

प्रश्न संख्या—१०४, १०६, १०७, १११, ११४, ११५, ११७, १२०,
१२१, १२४, १२५, १२७, १३०, १३१, १३३, १३५,
१३८ ।

वितरण

प्रश्न संख्या—१४२, १४३, १४४, १५०, १५२, १५७, १६१, १६२,
१६४ ।
